उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १२७

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५३ से
शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५३ तक

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
१९५३

मूल्य : बिना महसूल ४ आने; महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये; महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५३

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५३

बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५३

बृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५३

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुन्शी ।

मन्त्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वित्त तथा विद्युत् मंत्री ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा-सदस्य, गृह तथा श्रम मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण मंत्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री ।

श्री सैयद अली ज़हीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा मादक-कर मन्त्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, माल तथा कृषि मन्त्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री ।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए०, (आनर्स) विधान सभा सदस्य, स्वशासन मन्त्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदस्य, परिवहन मन्त्री ।

उपमन्त्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सहकारिता उपमन्त्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वन उपमन्त्री ।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन उपमन्त्री ।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, कृषि उपमन्त्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उप-मन्त्री ।

श्री राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिंचाई उपमन्त्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण उपमन्त्री ।

सभा-सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपा शंकर, विधान सभा-सदस्य ।

अन्न मन्त्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा-सदस्य ।

२—श्री बनारसीदास, विधान सभा-सदस्य ।

उद्योग मन्त्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य ।

माल मन्त्री के सभा-सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल० एल० बी०, विधान सभा सदस्य ।

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान सभा-सदस्य ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज़ इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज़ खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ़ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पान्डेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्रीसैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	..	फ़तेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ़ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देषित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसेन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक़, श्री	..	फीरोजाबाद-फ़तेहाबाद
२०—इस्तफा हुसेन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उदयभान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२३—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—राम नगर
२४—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट
२५—उम्मेदसिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२६—उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमाद पुर-आगरा (पूर्व)
२७—ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२९—कन्हैयालाल श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
३०—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
३१—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चंदौली (दक्षिण-पूर्व)
३२—कमला सिंह, श्री	..	सैदपुर
३३—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३४—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३५—करनसिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३६—कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३७—कल्याण राय, श्री	..	हजूर भिलक (उत्तर)
३८—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३९—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
४०—कालीचरण टण्डन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
४१—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	कादीपुर
४२—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४३—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४४—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४५—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
४६—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण—पूर्व)
४७—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४८—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४९—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
५०—केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
५१—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५२—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५३—केशव पाण्डेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर—पूर्व)
५४—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५५—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५६—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५७—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
५८—खूब सिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५९—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
६०—गंगाधर जाटव, श्री	..	फ़ीरोजाबाद-फतेहाबाद
६१—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६२—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण—पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६३—गंगा प्रसाद सिंह श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६४—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	विधूना (पूर्व)
६५—गज्जूराम, श्री	..	मऊ—मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
६६—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६७—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६८—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
७०—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
७१—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७३—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफ़िरखाना (दक्षिण) -अमेठी (पश्चिम)
७४—गुलजार, श्री	..	मुसाफ़िरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७५—गेंदा सिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७६—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७७—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७८—गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७९—गौरीराम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
८०—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेहीघाट
८१—घासीराम जाटव, श्री	..	विधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
८२—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई—जालौन (दक्षिण)
८३—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८४—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	..	तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
८५—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८६—चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८७—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८८—चरण सिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८९—चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
९०—चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
९१—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९२—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर-(पूर्व)
९३—छेदालाल, श्री ..	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९४—छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९५—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९६—जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९७—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९८—जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९९—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
१००—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
१०१—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१०२—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०३—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०४—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०५—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०६—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०७—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०८—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०९—जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
११०—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१११—जुगुलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११२—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा—कुलपहाड़-चरखारी
११३—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११४—झारखण्डेराय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११५—टीकाराम , श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११६—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख ..
११७—डालचन्द, श्री	..	माट—सादाबाद (पश्चिम)
११८—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११९—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण—पश्चिम)
१२०—तुलाराम, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२१—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२२—तेज प्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२३—तेजबहादुर सिंह, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२४—तेजा सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२५—त्रिलोकी नाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२६—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२७—दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२८—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१२९—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१३०—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१३१—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३२—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३३—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३४—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३५—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३६*—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३७—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३८—देवमूर्तिराम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३९—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१४०—देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४१—द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ़्फ़रनगर (मध्य)
१४२—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री	..	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४३—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४४—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	..	ख़लीलाबाद (दक्षिण)
१४५—धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४६—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४७—नत्थू सिंह, श्री	..	आंओं (पूर्व) फ़रीदपुर
१४८—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४९—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१५०—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
१५१—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५२—नवलकिशोर, श्री	..	आओंला (पश्चिम)
१५३—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५४—नाज़िम अली, श्री	..	मुसाफ़िरखाना (उत्तर) —सुल्तानपुर (उत्तर)
१५५—नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५६—नारायण दास, श्री	..	फ़ैजाबाद (पूर्व)
१५७—नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५८—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व) —बीसलपुर (पश्चिम)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६१—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरीराम, श्री	..	केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६७—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व) —फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१७३——प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७४——प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७५——प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६——फजलुल हक़, श्री	..	रामपुर नगर
१७७——फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७८——फूल सिंह, श्री	..	देवबन्द
१७९——बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१८०——बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१——बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८२——बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८३——बलवीर सिंह, श्री	..	ग़ाज़ियाबाद (दक्षिण)
१८४——बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८५——बलवन्त सिंह, श्री	..	मुज़फ्फर नगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८६——बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८७——बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८——बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८९——बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१९०——बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९१——बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेहीघाट
१९२——बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९३——बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९४——बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९५——बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६——बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७——बेनी सिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९८——बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९९——ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००——भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०१——भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व) -गोरखपुर (दक्षिण)
२०२——भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३——भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०४——भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण) -खागा (दक्षिण)
२०५——भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०६——भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०७——भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०८——भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०९——भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री		बांसगाँव (दक्षिण-पूर्व)
२१०——भोला सिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२११——मक़सूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१२——मंगलाप्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१३——मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फ़र्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१४——मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१५——मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फ़ैजाबाद (पूर्व)
२१६——मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२१७—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१८—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१९—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर–टांडा-बिलासपुर
२२०—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२२१—महाजन, श्री सी० बी०	..	आगरा नगर (पश्चिम)
२२२—महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२३—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२४—महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२५—महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलालगंज
२२६—महाबीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर) देवरिया
२२७—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजी लाल, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	..	विधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
२३१—मुजफ्फ़र हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़ अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)–धामपुर (उत्तर–पूर्व)
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४३—मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४४—मुहम्मद मन्जूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	..	मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहनसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५२—मोहनसिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुनाप्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य) –मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा–करछना (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२५७—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुबीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण–पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६८—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार, (दक्षिण)
२६९—राजवंशी, श्री ..	..	पडरौना (दक्षिण–पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण–पूर्व)
२७०—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७१—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुन्डा (उत्तर)
२७२—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७३—राजाराम शर्मा, श्री	..	ख़लीलाबाद (उत्तर)
२७४—राजेन्द्र दत्त, श्री	..	मुजफ्फ़रनगर (पश्चिम)
२७५—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७६—राधामोहन सिंह, श्री		बलिया (पूर्व)
२७७—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)
२७८—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७९—रामअनन्त पाण्डेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८०—राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८१—रामंकिकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)–पट्टी–(उत्तर पश्चिम)
२८२—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८३—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८४—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८५—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८६—रामचरन लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८७—राम जी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८८—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)–हाटा (दक्षिण–पश्चिम)
२८९—रामदास आर्य, श्री	..	बुढाना (पूर्व) जानसठ (दक्षिण)
२९०—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९१—राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९२—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९३—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९४—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली–ड़लमऊ (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२९५—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९६—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९७—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९८—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व) –अमेठी (पूर्व)
२९९—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३००—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
३०१—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व) –बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
३०२—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०३—रामलखन, श्री	..	चकिया–चन्दौली (दक्षिण –पूर्व)
३०४—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)
३०५—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०६—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपूर (दक्षिण)
३०७—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०८—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०९—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३१०—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)
३११—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१२—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१३—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१४—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१५—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी–राबर्टसगंज
३१६—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१७—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप मिश्र "विशारद," श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१९—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२०—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२१—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२२—रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव क़दम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)–ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफ़त हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकत–जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह, कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ़अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)–शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३३७—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३८—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३९—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४०—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४१—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४२—विश्राम राय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति, यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेन्द्र शाह, राजा	..	कालपी—जालौन (उत्तर)
३५२—व्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दूधी—राबर्ट्सगंज
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५४—व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५५—व्रजविहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५६—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ-चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५९—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिव कुमार पांडे, श्री	..	सिराथू, मझनपुर
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण—पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर—पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—शिवराज बली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण—पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पाण्डेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७४—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरण लाल श्रीवास्तवा, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३७८—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगनचन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८३—श्रीचन्द, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीनिवास पण्डित, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
३८८—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८९—सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३९०—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३९१—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९२—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९३—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९४—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९५—सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
३९८—सावित्री देवी, श्रीमती	..	मुसाफ़िरख़ाना (मध्य)
३९९—सियाराम गंगवार, श्री	..	फ़र्रुखाबाद (मध्य)—क़ायमगंज (पूर्व)
४००—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४०१—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०३—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०४—सुन्दरलाल, श्री	..	आओंला (पूर्व)—फ़रीदपुर
४०५—सुरजूराम, श्री	..	सदर आजमगढ़ (उत्तर)
४०६—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०७—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४०८—सुल्तानआलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०९—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४१०—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४११—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४१२—हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
४१३—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१४—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१५—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहाँपुर (मध्य)
४१६—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१७—हरखयाल सिंह, श्री	..	बाग़पत (पूर्व)
४१८—हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१९—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४२०—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४२१—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२२—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२३—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२४—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२५—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२६—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२७—हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२८—हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
४२९—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४३०—(रिक्त)	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
४३१—रिक्त)	..	कैसरगंज (उत्तर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोबिन्द वल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा,
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की--

१--श्री उदय भान सिंह

२--श्री महावीर सिंह

३--श्री विश्राम राय

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज व गोली चलाना

*१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि ३१ अक्तूबर, व १ तथा २ नवम्बर, १९५३ को पुलिस ने लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों के जलूस पर गोली चलाई, अथवा लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का प्रयोग भी किया? अगर हां, तो क्यों?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--३१ अक्तूबर को विद्यार्थियों के एक उत्तेजित तथा अवैध जलूस को, जिसने कि पुलिस दल द्वारा रोके जाने पर ईंट मारना आरभ किया, तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने लाठी चार्ज व आंसू गैस का प्रयोग किया। ३१ अक्तूबर व नवम्बर १ को पुलिस को चार अवसरों पर गोली चलानी पड़ी और इन दोनों दिनों तथा नवम्बर २ को उपद्रवी मजमों पर कहीं-कहीं पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। ३१ अक्तूबर को टेलीफोन एक्सचेंज व नजीराबाद के पास जिन मजमों पर गोली चली उनमें विद्यार्थी शामिल थे। अन्य अवसरों के बारे में यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि उन मजमों में विद्यार्थी शामिल थे या नहीं। मजमों ने धारा १४४ के प्रतिबन्धों को तोड़ा, पुलिस के आदमियों तथा मैजिस्ट्रेटों को जो ड्यूटी पर थे ईंट, पत्थर से मारा, पोस्ट आफिसों और सरकारी मोटरों को जलाया तथा टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटे। ऐसी परिस्थिति में मजबूर होकर सार्वजनिक काम की चीजों की रक्षा तथा शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिये पुलिस को उपर्युक्त कार्यवाही करनी पड़ी।

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १--श्री राम नारायण त्रिपाठी ने पूछा।

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——उपर्युक्त कार्यवाही के फलस्वरूप तीन व्यक्ति मरे। कुछ व्यक्तियों को चोटें भी आई परन्तु उनकी संख्या ठीक प्रकार बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि न तो किसी ने अपनी चोटों की थाने में रिपोर्ट लिखाई। अस्पताल में भी जिन व्यक्तियों का मुआइना हुआ उनके रिकार्ड से यह नहीं पता चलता कि उनको चोटें उपर्युक्त घटनाओं के संबंध में आई या किसी अन्य कारणों से।

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)——क्या सरकार का उपर्युक्त गोलीकांड के औचित्य अथवा अनौचित्य के संबंध में कोई जुडिशियल इन्क्वायरी कराने का विचार है? अगर नहीं तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर के पैरा ८४७ के अनुसार जिलाधीश ने उन चारों घटनाओं की जिनमें गोली चलाई गई थी, एक अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जांच करा ली है। जांच आफिसर के अनुसार उन चारों अवसरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना अनिवार्य तथा आवश्यक था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ४ भी इसी संबंध में है वह भी इन्हीं प्रश्नों के साथ ले लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष——वह तो दूसरा है उसका माननीय अन्न मंत्री जवाब देंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——क्या ३१ अक्तूबर व ३० अक्तूबर को पुलिस द्वारा छात्रों के साथ की गई पाशविकता, अमानुषिकता, जोर जुल्म के फलस्वरूप नहीं थी....

श्री अध्यक्ष——प्रश्नों में आप साधारण भाषा का ही प्रयोग करें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण——३१ अक्टूबर को छात्रों का जो शांतिमय जुलूस निकला, क्या वह ३० अक्टूबर की रात में पुलिस द्वारा बरती गई जोर जुल्म की कार्यवाहियों के फलस्वरूत नहीं था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है। उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पहले तो जोर जुल्म को मैं स्वीकार नहीं करता और दूसरे शांतिमय विशेषण जो प्रयोग किया गया उसको मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन हां, यह हो सकता है कि ३१ अक्टूबर को जो जुलूस निकला उसका संबंध उस कार्यवाही से रहा हो जो कि ३० अक्तूबर को हो गई थी।

श्री राजनारायण——क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि ३० अक्टूबर की रात में पुलिस युनियन बिल्डिंग पर किसके हुक्म से गयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के।

श्री राजनारायण——क्या युनिवर्सिटी यूनियन की बिल्डिंग में जहां पर कि छात्र अनशन कर रहे थे वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पुलिस भेजने के लिये किसी ने कहा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी हाँ, युनिवर्सिटी अधिकारियों ने कहा था कि ऐसी एसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है इसमें जो उचित कार्यवाही हो वह की जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)——क्या गृहमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस उपद्रव से कितने रुपये का नुकसान हुआ?

नोट——अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २—३ श्री राम नारायण त्रिपाठी ने पूछे

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, बिल्कुल ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तो बतला सकता हूं। अभी तक जो अन्दाज लग सका है उसमें फतेहपुर और रायबरेली इन दो जगहों की पूरी-पूरी सूचना नहीं आ सकी है। बाकी रेलवे प्रापर्टी में १,८०० रुपये का नुकसान हुआ है। पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की ४१,२०० रुपये की प्रापर्टी का नुकसान हुआ है। रोडवेज का कम से कम ५७,७०० रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पुलिस आउटपोस्ट वगैरह का अन्दाज अभी नहीं लग सका है। सरकारी और दूसरी प्रापर्टी जो नुकसान हुई है वह १६,००,२०० रुपये की है। प्राइवेट प्रापर्टी की २२,६५६ रुपये की नुकसान हुई है। इस वक्त तो अन्दाज इतने ही का है। बाकी का कहना इस समय मुश्किल है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन दिनों के बीच में ३१ अक्तूबर और १ और २ नवम्बर के बीच में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पर हमला किया गया था और उनको सख्त चोट लगी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उनको चोट लगी थी।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को अस्पताल में दाखिल किया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, उनके जिम्मे इतना काम था कि बावजूद इतनी चोट के बराबर वह अपनी ड्यूटी करते रहे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या ३० अक्तूबर की रात को पुलिस भेजने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट ने गृह मंत्री से इजाजत मांगी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गृह मंत्री से इजाजत लेने की कोई जरूरत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं।

श्री राजनारायण—क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि युनिवर्सिटी अधिकारियों ने स्पष्ट तरीके पर यह कहा है कि पुलिस यूनियन बिल्डिंग पर आये और कब्जा करे, ऐसी मांग युनिवर्सिटी अधिकारियों ने नहीं की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता कि युनिवर्सिटी अधिकारियों के किस बयान की तरफ यह इशारा है। लेकिन युनिवर्सिटी अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी मर्जी के खिलाफ ताले तोड़ करके युनिवर्सिटी यूनियन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया है और उन्होंने यह कहा कि जो मुनासिब कार्यवाही हो वह की जाय। बाकी युनिवर्सिटी अधिकारियों का यह काम भी नहीं है कि वह डिक्टेट करें कि क्या-क्या कार्यवाही की जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ३१ अक्तूबर और पहली और दूसरी नवम्बर की घटनाओं में देश के पंचमांगियों का भी हाथ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पंचमांगी किन को कहते हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, उनकी कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन यह सही है कि कुछ राजनैतिक दलों का उन चीजों से काफी सम्बन्ध था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि टेलीफोन एक्सचेंज, नजीराबाद के पास जिन सज्जन ने गोली चलाई उन्होंने एक फायर मस्जिद की तरफ किया, दूसरा टेलीग्राफ आफिस की तरफ किया और तीसरा हाई कोर्ट कम्पाउंड की तरफ किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझ को इत्तिला है उन्होंने दो तरफ गोली चलाई और मैं पूरा ब्योरा भी बतला सकता हूं अगर श्रीमन् कहें...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई आगे समय हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि पुलिस वाले एक ट्रक में बहुत से ईंटे और पत्थर लड़कों को मारने के लिये ले गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह बात बिलकुल गलत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि पुलिस वालों ने हमारी युनिवर्सिटी की लड़कियों के ऊपर भी हमला किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का किस युनिवर्सिटी से मतलब है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मेरा मतलब है कि लखनऊ युनिवर्सिटी की लड़कियों के ऊपर भी पुलिस वालों ने लाठियों या पत्थरों से हमला किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक लाठी चार्ज का सवाल है वह मैं पहले ही प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि कहां-कहां पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। जहां तक पत्थर चलाने का सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि कहीं-कहीं पर पुलिस वालों ने कंकड़ चलाये। मैं एक बात और बता दूं। "लड़कियों" शब्द का प्रयोग किया गया, लड़कियों के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सबूत नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि युनिवर्सिटी की एक लड़की को पुलिस वालों ने धक्का देकर गोमती में गिरा दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह बात बिल्कुल सोलह आने गलत है?

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि लखनऊ की वह कौन सी सरकारी इमारतें हैं और कितनी हैं जो तोड़ी-फोड़ी गयीं और कितनी बसें जलायी गयीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अमीनाबाद सब पोस्ट आफिस, अमीनाबाद का दूसरा सब-पोस्ट आफिस, बर्लिंगटन होटल का डाकखाना, उसके अलावा सुन्दरबाग, गुरुद्वारा रोड, न्यू गणेशगंज, दुगावां इन सब जगहों के सब पोस्ट आफिसेज, सरफ़राज सब पोस्ट आफिस, हेवट रोड सब पोस्ट आफिस।

यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स, उसके अलावा गवर्नमेंट रोडवेज की तीन बसें जलायी गयीं, एक को नुक्सान पहुंचाया गया, बस शैल्टर दो जला दिये गये, एक को नुकसान पहुंचाया गया। म्युनिसिपल बोर्ड के वाटर वर्क्स की इमारत को नुक्सान पहुंचाया गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया और काफी सामान है उसमें जिसको नुकसान पहुंचाया गया। लालबाग क्रासिंग पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, लाइटिंग डिपार्टमेन्ट को नुक्सान पहुंचाया गया, १२ टेलीफोन बेकार कर दिये गये, ७७ डिस्ट्रिब्यूटर्स टेलीफोन के बेकार किये गये और एक ट्रंक लाइन को जला दिया गया और एक को नुक्सान पहुंचाया गया, जेल डिपो को काफी नुकसान पहुंचाया गया।

श्री रामकुमार शास्त्री--मैं केवल लखनऊ के लिये पूछ रहा हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके बताने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ शहर के अलावा और शहरों में कितना नुक्सान हुआ है और कितने रुपयों का?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह इससे सम्बन्धित, अध्यक्ष महोदय, नहीं है इसलिये इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह बात माननीय मंत्री जी जवाब में कह देंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज़िलों का तो यों है। लखनऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बहराइच, आगरा, फ़ैज़ाबाद, कानपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, गाज़ीपुर, जौनपुर, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ तथा पीलीभीत आदि जिलों में कुछ-कुछ नुकसान हुआ है। मैंने जो अभी टोटल बताया था उसमें से इन सब ज़िलों के लिये छांटना पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (ज़िला हरदोई)—क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय झंडे भी जलाये गये और गांधी टोपियां भी लड़कों ने जलाईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां?

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि ३० जुलाई की रात में क़रीब एक हज़ार पुलिस का यूनियन बिल्डिंग का घेरा घेरने के लिये भेजने की क्यों आवश्यकता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मालूम हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक हज़ार पुलिस तो वहां थी भी नहीं, लेकिन यह सही है कि जब पुलिस वहां पहुंची तो लड़के ज़रूर एक हज़ार से ज्यादा जमा हो गये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह मालूम है कि जब क़रीब एक हज़ार पुलिस का दल वहां पर चारों तरफ से घेर चुका था और क़रीब दो घंटे तक विद्यार्थियों को परेशान कर चुका था तब यूनिवर्सिटी के होस्टेल्स से निकल कर लड़के आये?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री राज नारायण—क्या सरकार को यह मालूम है कि पुलिस के घेरा डालने के समय के क़रीब डेढ़ दो घंटे बाद होस्टल के कमरों से निकल कर लड़के वहां आये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यूनियन बिल्डिंग अन्दर से बन्द कर ली गयी थी और पुलिस के सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने दो घंटे तक समझाने की कोशिश की कि हम इतना ही चाहते हैं कि यूनियन का दरवाज़ा खोल दिया जाय और हम उसके अन्दर जा सकें। दो घंटे समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो पुलिस को युनियन बिल्डिंग में बाई फोर्स एन्टर करना पड़ा। इधर इसी बीच में लड़के जमा कर लिये गये।

श्री राजनारायण—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जो कार्य किये गये हैं, क्या उसकी ज़िम्मेदारी सरकार अपने ऊपर मानती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो राय का सवाल है। आप खुद इसे जान सकते हैं।

श्री राजनारायण—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लखनऊ के मातहत इतना बड़ा काण्ड अपने प्रान्त की राजधानी में हो, क्या उसके लिये सरकार अपनी भी कोई जिम्मेदारी महसूस करती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस गवर्नमेंट के मातहत है तब तक जितनी जिम्मेदारी क़ानून के मातहत है, उतनी है।

लखनऊ गोलीकांड में आहत छात्र के आपरेशन में विलम्ब

*४—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि लखनऊ में १ नवम्बर के गोलीकाण्ड में घायल एक मेडिकल कालेज के विद्यार्थी के मस्तिष्क के अन्दर धंसी हुई गोली को निकालने के लिये आपरेशन ५ दिन बाद हुआ? अगर हां, तो यह देरी क्यों हुई?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछा।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—पहली नवम्बर को कोई मेडिकल कालेज का विद्यार्थी गोली से घायल नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता का तात्पर्य शायद उस घटना से है जिसमें मेडिकल कालेज के विद्यार्थी श्री जगदीश लाल गयन्दर को गोली लगी। यह घटना ३१ अक्तूबर की है। उक्त तिथि को लगभग ६ बजे शाम को यह बलरामपुर अस्पताल में लाये गये। इनके मस्तिष्क में गोली लगी थी। इसकी जांच की गयी और उनको मेडिकल कालेज भेज दिया गया। पहली नवम्बर को प्रातः इनका आपरेशन करने की राय हुई। तत्पश्चात् सीनियर डाक्टरों की राय से और श्री गयन्दर की भाभी के इच्छानुसार उनके भाई श्री नन्द किशोर के बम्बई से आने तक के लिये आपरेशन स्थगित किया गया। श्री नन्दकिशोर २ नवम्बर को दोपहर को आये। उसी समय यह निश्चय हुआ कि वेलोर से न्यूरो सर्जन को भी यदि इनको दिखलाया जावे तो उचित होगा। श्री गयन्दर को उक्त सर्जन को दिखाने के लिये सरकार ने अनुमति दी और उसके लिये आवश्यक प्रबन्ध करा दिया। तीसरी नवम्बर को प्रातः यह ज्ञात हुआ कि वेलोर के सर्जन विदेश गये हुए हैं। उस समय मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा ही आपरेशन करने के लिये श्री नन्द किशोर से अनुमति मांगी गयी। उन्होंने तीसरी नवम्बर की रात में सर्जन माथुर को दिखलाने की इच्छा प्रकट की। सर्जन माथुर ने ४ नवम्बर को प्रातः श्री गयन्दर को देखा और ५ नवम्बर को प्रातः आपरेशन करने का निश्चय किया। इस प्रकार ५ नवम्बर को ११ बजे उनका आपरेशन किया गया।

तारांकित प्रश्न

जोतों की चकबन्दी के संबंध में सरकारी योजना

*१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देश के कौन-कौन से जिलों में जोतों की चकबन्दी सबसे पहले शुरू होगी?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जोतों की चकबन्दी प्रारम्भ में केवल मुजफ्फ़रनगर व सुल्तानपुर जिले की एक-एक तहसील में करने का इरादा है।

*२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—इन जिलों में चकबन्दी शुरू हो जाने के बाद सारे प्रदेश में जोतों की चकबन्दी कराने के बारे में प्रादेशिक सरकार की क्या योजना है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—चकबन्दी आरम्भ हो जाने पर कर्मचारियों को इस कार्य में आवश्यक शिक्षा दी जायगी और उसके पश्चात् चकबन्दी यथासम्भव राज्य के दूसरे जिलों में शुरू की जायगी। आशा है कि दो तीन साल के अन्दर पहाड़ी व एक दो अन्य जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाक़ी कुल जिलों में काम शुरू हो जायेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि सुल्तान-पुर के अलावा फ़ैजाबाद का जिला भी विचाराधीन है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस साल तो नहीं, अगले साल जैसा कहा गया है देखा जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतला सकते हैं कि चकबन्दी का काम सूबे भर में कितने दिनों में पूरा हो जायगा?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—६, ७ वर्ष के अन्दर।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या चकबन्दी के विधेयक में कोई तरमीम की जा रही है?

श्री चरण सिंह—आवश्यक होता है तो हर विधेयक और अधिनियम में तब्दीली की जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सत्य है कि चकबन्दी विधेयक को प्रेसीडेंट द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है?

श्री चरण सिंह---अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाने की आशा है।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर के जिले में किन-किन तहसीलों में पहले चकबन्दी आरम्भ की जा रही है?

श्री चरण सिंह---मुजफ्फरनगर की कांदला तहसील में। लेकिन सुल्तानपुर की कौन सी तहसील में चकबन्दी काम शुरू होगा यह अभी तय नहीं हुआ है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के सिलसिले में ट्रेनिंग कब और कहां-कहां आरम्भ की जायगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुजफ्फरनगर और सुलतानपुर में जहां पहले काम शुरू होगा वहीं पर दे दी जायगी।

तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद में कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत भूमि का नीलाम

*३---राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सोरांव जिला इलाहाबाद में कोर्ट आफ वार्ड्स की कितनी भूमि थी?

श्री चरण सिंह---तहसील सोरांव जिला इलाहाबाद में कोर्ट आफ वार्ड्स की ९ गांवों में कुल ६९१ १९/६४ एकड़ भूमि थी।

*४---राजा वीरेंद्र शाह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलायेगी कि उस भूमि का नीलाम कब किया गया और यह भूमि किस व्यक्ति द्वारा खरीदी गई?

श्री चरण सिंह---उस भूमि का कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा न तो कभी नीलाम किया गया और न यह किसी व्यक्ति को बेंची गयी।

जमींदारों को अन्तर्कालीन प्रतिकर का वितरण

*५---राजा वीरेंद्र शाह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि अब तक (यानी ३१ जुलाई, १९५३) कितना अन्तर्कालीन प्रतिकर (Interim Compensation) जमींदारों को बांटा जा चुका है और कितना बांटा जाना चाहिये था? यदि इसमें कमी हुई तो क्यों?

श्री चरण सिंह---३१ जुलाई सन् १९५३ तक अन्तर्कालीन प्रतिकर के लिये ४२,६३० दरख्वास्तें पड़ीं और इनमें से १६,५१७ दरख्वास्तें फैसल हो गईं और ३६,१६,३१४ रुपया बांटा गया। यह मालूम करना कि ४२,६३० दरख्वास्तें देने वालों का अन्तरिम प्रतिकर कुल कितना होगा बहुत मुश्किल है। जब तक कि कुल दरख्वास्तों का कुछ फैसला न हो जाय। बाकी दरख्वास्तों के फैसले न होने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश लोगों ने खरीफ तथा रबी दोनों किस्तों के लिये इकट्ठा दरख्वास्त जुलाई के आखिर में ही दीं। १५ जुलाई, १९५३ तक कुल दरख्वास्तें २५,५६२ दायर हुई थीं और बहुत से लोग जिन्होंने अप्रैल या मई में दरख्वास्त दी थीं, उन्होंने महज खरीफ का रुपया न लेकर १ जुलाई के बाद रबी तथा खरीफ का इकट्ठा रुपया लेना तय किया।

पट्टी पूर्वी आगर व रामगढ़, जिला नैनीताल में चलमोड़ा घास को नष्ट करने के प्रयोग

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि पट्टी पू र्वी आगर व रामगढ़, जिला नैनीताल में चलमोड़ा घास की भयंकर वृद्धि के कारण आलू की फसल को भयंकर नुकसान हो रहा है ? इस घास को समूल नष्ट करने के हेतु जनता को रासायनिक विधियों व साधनों को उपलब्ध कराने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जी हां। इस घास की वृद्धि रोकने के लिये चौबटिया के सरकारी फल अनुसंधान केन्द्र (Government Fruit Research Station) में कई वर्षों से प्रयोगात्मक कार्य किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में अनेक रसायनों का प्रयोग किया गया है, किन्तु अब तक किसी ऐसे रसायन का पता नहीं चल सका जिसका व्यापक रूप से प्रयोग करने के लिये सिफारिश की जा सके, क्योंकि इन रसायनों के प्रयोग में बहुत अधिक लागत बैठती है, जो आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है। अब तक घास नष्ट करने वाले जो सबसे सस्ते रसायन का पता चला है वह फर्नोक्जोन है और इसके प्रयोग से घास की वृद्धि रोकने में प्रति वर्ष ६० रु० प्रति एकड़ से अधिक लागत बैठेगी और तब भी इसे पूर्णतया नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रयोगात्मक कार्य अभी चल रहा है और अन्य केन्द्रों से जिन नतीजों की प्राप्ति हुयी उनका भी उपयोग किया जा रहा है।

आगरा जिले में लैंड युटिलाइज़ेशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि का वितरण

*७—श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में (Land Utilization Act) के अन्तर्गत पिछले तीन सालों में कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री चरण सिंह—पिछले तीन वर्ष अर्थात् १९५०, १९५१ व १९५२ में कुल १८५ व्यक्तियों को ३,१२९ बीघा १६ बिस्वा भूमि दी गयी।

*८—श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या सरकार जून सन् १९५२ में दी गयी भूमि की तारीखवार व नामवार तालिका मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—तालिका यह है—

नाम	तारीख
१—श्री गंगा राम	१० जून सन् १९५२
२—,, भूरी सिंह	१० जून सन् १९५२
३—,, द्वारिका प्रसाद	२५ जून सन् १९५२
४—,, गिरधारी लाल	२५ जून सन् १९५२
५—,, रघुबन्शी दास	२५ जून सन् १९५२
६—,, नेत्रपाल सिंह	२९ जून सन् १९५२
७—,, जे० धर्मेन्द्र	३० जून सन् १९५२
८—,, हुक्म सिंह	३० जून सन् १९५२
९—,, दलीप सिंह व ,, विजेन्द्र सिंह	३० जून सन् १९५२
१०—,, काली चरण सिंह	३० जून सन् १९५२
११—,, मुरारी लाल	३० जून सन् १९५२
१२—,, कन्हैयालाल	२९ जून सन् १९५२
१३—,, कृषक गण ग्राम खेरिया	३० जून सन् १९५२

ग्राम सभाओं द्वारा किसानों के पेड़ों का नीलाम

*९—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव सभाओं को किसानों के निजी पेड़ नीलाम करने के लिए कोई आदेश दिया गया है? यदि नहीं, तब अमेठी तहसील (जिला सुल्तानपुर) में क्यों कर किसानों के निजी पेड़ नीलाम किये जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह—गांव सभाओं को किसानों के निजी पेड़ नीलाम करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया।

इस सम्बन्ध में सरकार या जिलाधीश के पास अमेठी तहसील के किसी भी किसान की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है।

विधायक निवास में दूध का वितरण

*१०—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास में दूध का वितरण भदरुक डेयरी के बजाय सहकारी समिति को दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरण सिंह—जी हां। १ जुलाई, १९५३ से इस डेयरी का दूध सब ग्राहकों को लखनऊ सहकारी समिति द्वारा वितरण किया जाता है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि जहां तक सम्भव हो पशु-पालन विभाग जानवरों की उन्नति तथा दूध की उपज का काम देखे और दूध का वितरण इत्यादि कार्य सहकारी विभाग द्वारा किया जाय।

*११—श्री श्रीचन्द—क्या यह सही है कि दूध के दाम बढ़ा दिये गये हैं? यदि हां तो क्यों?

श्री चरण सिंह—पहले दूध १० आने सेर (२ पौन्ड) के हिसाब से बेचा जाता था, इसके अतिरिक्त साढ़े तीन रुपया महीना हर ग्राहक से मकान पर दूध पहुंचाने का लिया जाता था। १ जुलाई, १९५३ से दूध ११ आने फी सेर (दो पौन्ड) के हिसाब से ग्राहकों के घर पर पहुंचा कर दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० आने से ११ आने भाव करने से कितनी वार्षिक आय का अनुमान है?

श्री चरण सिंह—उसमें गवर्नमेंट को कोई मुनाफा नहीं होगा। पहले जो किराया था वह इस १ आने फी सेर में कवर होगा। कितने पैसे आवेंगे, १ आने फी सेर के हिसाब से, यह कहना मुश्किल है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट अफ़सर आगरा द्वारा दिये गये टेम्पोरेरी मोटरों के परमिट

*१२—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजनल टांस्पोर्ट अफ़सर, आगरा, रीजन आगरा ने १९५२ में तथा १९५३ में अब तक कितने टेम्पोरेरी परमिट मोटरों के दिये?

परिवहन मंत्री श्री (विचित्र नारायण शर्मा)—१९५२ में १,६०० और १९५३ में १,२९५ स्पेशल परमिट दिये गये जिनकी अवधि एक हफ्ते की थी। अस्थायी परमिट एक माह से चार माह की अवधि के १९५२ में ३३३ और १९५३ में २१२ दिये गये।

*१३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़-अनूपशहर रोड पर गाड़ी नं० U. P. B. 1236 को भी टेम्पोरेरी परमिट दिया गया था? यदि हां, तो क्यों और कितने बार इसकी मियाद बढ़ाई गयी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, इस गाड़ी को प्रथमबार ६-१२-५२ से ५-३-५३ के लिए अस्थायी परमिट दिया गया जिसकी अवधि निम्नांकित तारीखों पर बढ़ाई गयी :-

६ मार्च, ५३ से ५ मई, १९५३
६ मई, ५३ से ५ जुलाई, १९५३
१५ जुलाई, ५३ से १४ अक्तूबर, १९५३

श्री भार्गव को अलीगढ़, बुलन्दशहर रूट पर एक अस्थायी परमिट प्राप्त था जिसकी अवधि ३१--१२--५१ को समाप्त हुयी । इस रूट पर रोडवेज की गाड़ियां चलने के कारण उनकी गाड़ी को बुलन्दशहर से हटाकर अलीगढ़-चन्दौसी मार्ग पर अस्थायी परमिट दिया गया जिसकी अवधि २०-२-५२ से १९-५-५२ तक की थी । इसे फिर २-६-५२ से १-९-५२ तक तथा ४-९-५२ से ३-१२-५२ तक के लिए उसी मार्ग पर अस्थायी परमिट दिया गया। अलीगढ़-चंदौसी रूट भी कुछ हिस्सों तक नोटीफाइड हैं । अतएव आर० टी० ए० ने किसी आपरेटर को इस रूट पर चलाने की जरूरत नहीं समझी और श्री भार्गव को अलीगढ़-अनूपशहर मार्ग पर तीन महीने की अवधि का ६-१२-५२ से ५-३-५३ तक का अस्थायी परमिट दिया ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अलीगढ़ और अनूपशहर रूट के लिए और भी डिस्प्लेस्ड आपरेटर्स के प्रार्थनापत्र आये थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन अवश्य आये होंगे क्योंकि एक रूट खाली होने से बहुत से प्रार्थनापत्र आ जाते ह ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हाई कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध भी आर० टी० ओ० ने तीन बार एक्सटेंशन दिया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कोई आर० टी० ओ० ऐसा नहीं कर सकता है कि हाई-कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध कुछ करे वर्ना वह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की सजा में आ जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि इस केस में ऐसा ही किया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मुझे निश्चय है कि ऐसा नहीं हुआ है । फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं दरियाफ्त करवा लूंगा ।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन्स दी थीं जिनमें इतनों को परमिट्स दिये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस विषय में सूचना नहीं है, लेकिन मैं बतला सकता हूं, क्योंकि एक-एक रूट के लिए बहुत सी एप्लीकेशन्स दी जाती हैं । इसलिए इसमें भी बहुत सी दरख्वास्तें आई होंगी ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़-अनूपशहर रोड यूनियन के कर्मचारियों और मोटर मालिकान की ओर से कोई डेपूटेशन या कुछ शिकायत उनके पास भेजी गयी थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसका मुझे स्मरण नहीं है ।

आगरा नगर में बस-सर्विस

*१४--**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका आगरा नगर में बस सर्विस कब से चलाने का विचार है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य हो चुका है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के अन्तर्गत आगरा सिटी रूट प्रकाशित की जा चुकी है और बस सर्विस जल्दी ही चल जायगी।

बरेली रोडवेज़ वर्कशाप में चोरी

*१५--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली रोडवेज़ वर्कशाप से सितम्बर, १९५२ में जो चोरी हो गयी थी उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--२, सितम्बर, १९५२ को बरेली रोडवेज़ के रीजनल वर्कशाप से एक स्पेयर व्हील चोरी होने का पता लगा। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच कराई गयी लेकिन न तो माल ही मिला और न अपराधी ही पकड़ा गया।

नैशनलाइज्ड ट्रान्सपोर्ट पर कमेटी की रिपोर्ट

*१६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में सन् १९४९ में नियुक्त एड-हाक कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--एड-हाक कमेटी की रिपोर्ट की जिन सिफारिशों से सरकार सहमत थी उस पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है।

सुल्तानपुर जिले में लेखपालों की नियुक्ति व बरखास्तगी

*१७--श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला की किस तहसील में कितने पटवारी अलग हुए और कितने नये नियुक्त किये गये?

श्री चरण सिंह--जिला सुल्तानपुर में तहसील क्रमानुसार जितने पटवारी अलग किये गये तथा नये (लेखपाल) नियुक्त किये गये उनका विवरण निम्नलिखित है:--

तहसील	अलग किये गये पटवारियों की संख्या	नियुक्त किये गये नये लेखपालों की संख्या
सुल्तानपुर	१८७	९१
कादीपुर	१६१	१०५
मुसाफिरखाना	१२७	६७
अमेठी	११७	७९

*१८--श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार नये नियुक्त होने वाले लेखपालों के लिए निर्धारित योग्यता, वेतन तथा अवधि सूचित करने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--योग्यता कम से कम हिन्दोस्तानी मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। शारीरिक बल संबन्धी परीक्षा भी पास करनी पड़ती है।

वेतन--रु० ३५--१--५५ है और जिनमें से १५ प्रतिशत को रु० ५५--२--६५ के सेलेक्शन ग्रेड में रखा जायगा। इसके अलावा रु० १२ मासिक मंहगाई भत्ता (Dearness Allowance), रु० ४ मासिक यात्रिक भत्ता (Fixed T. A.), जो अपनी तहसील से ५ मील की दूरी पर रहते हों, इसके अतिरिक्त २ रोज से ज्यादा ठहरने पर १२ आना दैनिक भत्ता (Daily allowance) तथा ८ आ० मासिक लेखन-सामग्री भत्ता (Stationery allowance)। नये लेखपालों की भर्ती के लिए कम से कम १८ वर्ष की आयु निर्धारित की गयी थी, और Emergency recruitment के बाद अधिक से अधिक २५ वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है। अवकाश अवधि नवनियुक्त के लिए ५५ वर्ष तथा पुरानों के लिए ६० वर्ष है।

*१९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

ठाकुरपुर, जिला रायबरेली में पासियों को दी गयी भूमि

*२०—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को मालूम है कि डिप्टी कमिश्नर रायबरेली द्वारा सन् ५० में तहसील महराजगंज, ग्राम ठाकुरपुर के ८० पासियों के परिवारों का शराब बनाने का पेशा बन्द करा कर उन्हें ८० बीघा भूमि, जो कि परती पड़ी हुयी थी काश्त करने हेतु दी गयी थी, जिस पर वे बराबर काश्त कर रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां तक सरकार के पास सूचना है, ऐसा मालूम होता है कि सन् १९५० ई० में उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में कुछ पासी परिवारों को जमींदारी की परती भूमि पर बसाने का प्रयत्न किया था। परन्तु इन परिवारों के कब्जे के सम्बन्ध में कोई क़ानूनी कार्यवाही नहीं हुई और बाद में इन पासी परिवारों और जमींदारों के सम्बन्ध में दफा १०७ की मुकदमेबाजी शुरू हो गयी जिसमें आखिर में समझौता हो गया।

*२१—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त ८० बीघा भूमि का इन्दराज इन ८० परिवारों के नाम हो गया? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अब इस समझौते के आधार पर हदबन्दी की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सही है कि सन् १९५० ई० में निश्चित तौर से ८० बीघे जमीन खेती करने के लिए उनको दी गयी थी, जिसकी सूचना बजट सेशन में और जिले के स्तर पर भी कर दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५० ई० में डिप्टी कमिश्नर कैप्टिन भगवान-सिंह गांव में गये थे और उस समय कुछ जमीन पासियों को दिला दी गयी थी, लेकिन कोई लिखित कार्यवाही नहीं हुई थी।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डिप्टी कमिश्नर महोदय ने कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की? कानूनी कार्यवाही नहीं की इसीलिए वह जमीन पासियों से छीनी जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उस समय डिप्टी कमिश्नर साहब ने ठाकुरों से कह कर जमीन दिलवा दी थी और उन्हें राजी किया था और कानूनी कार्यवाही का सवाल इस लिए पैदा नहीं होता कि वह उस पर काबिज थे। इसलिए जब ठाकुरों से झगड़ा पैदा हुआ, तो उसमें समझौता हुआ और उसकी हदबन्दी जैसा कि जवाब में कहा गया है, अदालत के जरिये से हो रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १०७ की कार्यवाही किन कारणों से चली ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१०७ तो हमेशा झगड़ा-फिसाद पर चलती है, इसी कारण से चली होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जिस जमीन का जिक्र किया गया है, वह उस परिवार को कभी नहीं दी गयी थी, बल्कि उन्होंने स्वयं उस पर कब्जा कर लिया था ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट को ऐसा मालूम नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--क्या सरकार को यह मालूम है कि उस १०७ के मुकदमे में केवल १०७ का समझौता हुआ है, जमीन के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ और यदि हुआ है, तो क्या सरकार उसको सब सदस्यों के सामने बताने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो जवाब से स्पष्ट है कि हदबन्दी की कार्यवाही हो रही है। समझौता हो गया, इससे पता चलता है कि जमीन के बारे में भी कोई समझौता जरूर हो गया।

रायबरेली जिले में अयोग्य लेखपालों की नियुक्ति

*२२--श्री रामेश्वर प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में नये नियुक्त किये गये लेखपालों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता कम से कम क्या रक्खी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सभी जिलों में लेखपालों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता कम से कम मिडिल पास रक्खी गयी है और रायबरेली जिले के लिए भी यही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--क्या यह सही है कि रायबरेली जिले में सरकार के ऐसे आदेश होते हुए भी बहुत से अनक्वालिफाइड कैन्डीडेट्स रखे गये थे और विधान सभा में यह प्रश्न उत्पन्न होने के बाद वे निकाले गये हैं ? यदि हां, तो कितने निकाले गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, शिक्षा की योग्यता न होने के कारण २८, उम्र अधिक या कम होने के कारण १४ और अन्य कारणों से २ निकाले गये हैं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे आदमी जिनमें शिक्षा की योग्यता नहीं थी या उम्र ज्यादा थी वे पहले ही क्यों रखे गये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जब इस बात का पता चला तो वे निकाले गये।

श्री रामेश्वर प्रसाद--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी ने इन लोगों को रखा था और यदि उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसकी डिप्टी कमिश्नर महोदय तहकीकात कर रहे हैं और उन अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। जो जिम्मेदार पाये जायेंगे उनके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

जिला रायबरेली में गांव-सभाओं को भूमि

*२३--श्री दल बहादुर सिंह (जिला राय बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायगी कि तहसील सलोन, जिला राय बरेली के अन्तर्गत कन्दरावां गेगौली, शहजादपुर ग्रामों में कितने एकड़ भूमि १ जुलाई, सन् १९५२ ई० को उक्त गांव-सभाओं को मिली ?

श्री चरण सिंह--१ जुलाई, १९५२ को कोई भी भूमि गांव-सभाओं में निहित नहीं हुई; बल्कि १ नवम्बर, १९५२ को हुई।

जो भूमि इन गांव-सभाओं में निहित हुई, उसका रकबा निम्न-प्रकार है :

				एकड़
कन्दरावां	..	..	..	८८५
शहजादपुर	..	..	..	४१६
गेगौली	..	..	..	३०२

*२४--श्री दल बहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उक्त गांवों के भूत-पूर्व जमींदारों ने उक्त गांव की पड़ती, ऊसर, बंजर, जंगल, पेड़ों और आबादी आदि पर अब तक कब्जा नहीं छोड़ा ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

धान को कीड़ों से बचाने का प्रयत्न

*२५--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार को मालूम है कि पिछल खरीफ की फसल में धानों में एक कीड़ा लग गया था, जिस से पूर्वी जिलों की धान की खेती को बहुत नुकसान हुआ ?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*२६--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह--क्या इन कीड़ों से बचने के लिए इस वर्ष कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण पेश करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--जी हां। ये प्रबन्ध अधिकतर पारसाल प्रदेश की कृषि रक्षा सेवा द्वारा हुए थे और लगभग ३,००० एकड़ धान की फसलों पर कई पूर्वी जिलों में दवाइयां छिड़की गयीं, वैसे तो दवाई छिड़कने के लिए सरकार ने ३) रु० फी एकड़ के हिसाब से फीस निर्धारित की है, परन्तु पिछले वर्ष, कुछ जिलों में इस कार्य को मुफ्त करने का भी हुक्म दिया गया था। इस साल भी किसानों के सुभीते के लिए अभी हाल ही में एक हुक्म जारी किया गया है, जिससे कि जौनपुर जिले के किसानों को गंधी कीड़े के नष्ट करने के लिए दवाइयों के छिड़काव के हेतु फीस बजाय तुरन्त पेशगी लेने के क्वार तक देने का मौका होगा।

जहां इस कीड़े के आक्रमण की सूचना मिलेगी, वहां फौरन कार्य किया जायेगा।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं ?

श्री चरण सिंह--अब तक मेरे पास इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी कि दवाइयों के अपर्याप्त होने के कारण जरूरी सहायता न पहुंच सकी हो। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसी कोई बात है, तो मैं उसे अवश्य जानना चाहूंगा।

श्री वृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को यह मालूम है कि आजमगढ़ और बलिया में लाखों मन खांड की फसल नष्ट हो गयी है ?

श्री चरण सिंह--वहां पर कितनी फसल नष्ट हुई, इसकी सूचना मुझे नहीं है।

गन्ने की पैदावार में कमी तथा अवपनीय किस्में

*२७--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रादेशिक ईख विकास विभाग द्वारा ईख उत्पादकों को कौन-कौन से गन्ना बोने की सलाह पिछले वर्ष दी गयी थी और इस वर्ष उसमें क्या परिवर्तन हुआ है ?

श्री चरण सिंह——गत वर्ष ईख विकास विभाग ने गन्ना अनुसन्धान संचालक की राय के अनुसार गन्ने की निम्नलिखित किस्मों को प्रदेश के विभिन्न भागों में बोने की सलाह दी थी——

क्षेत्र	जल्दी पकने वाली	मध्य काल में पकने वाली	मध्य-विलम्बित काल में पकने वाली
पूर्वी क्षेत्र	सी० ओ० ३९५	सी० ओ० एस० १०९	सी० ओ० ४५३
	„ „ ५१३		
मध्य-पूर्वी क्षेत्र	„ „ ३१३	„ „ एस० १०९	„ „ ४५३
	„ „ ३९५		
मध्य क्षेत्र	„ „ ३१३	„ „ ४२१	„ „ ४५३
	„ „ ५२७	„ „ क० ३०	
हेलखण्ड क्षेत्र	„ „ ३१३	„ „ एस० २४५	„ „ ४५३
	„ „ ५२७	„ „ ४२१	
पश्चिमी क्षेत्र	„ „ एस० ३२१	„ „ एस० २४५	„ „ ४५३
		„ „ ४२१	

मध्यकाल में पकने वाली सी० ओ० ३५६ गोरखपुर की माट मिट्टी में तथा खादर व तराई भागों में बोने के लिए उपयुक्त बताया गया था। इस वर्ष उपरोक्त सूची में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

*२८——**श्री गेंदा सिंह**——जिस प्रकार का गन्ना बोने की सलाह ईख उत्पादकों को दी गई थी। उसका परीक्षण हुआ था या नहीं? यदि हुआ था तो कहां-कहां और किस समय तथा उसके क्या परिणाम थे?

श्री चरण सिंह——जी हां। प्रश्न संख्या २७ में दी गई किस्मों में से सी० ओ० के० ३०, सी० ओ० एस० २४५, तथा सी० ओ० एस० ३२१ के अतिरिक्त सभी किस्में पहले ही से गन्ना उत्पादकों के यहां होती चली आ रही हैं। और उनका निष्पादन भी संतोषजनक रहा है। उपरोक्त तीन नवीन किस्में सन् १९५१-५२ में क्रमशः मध्यक्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वसाधारण के उत्पादन हेतु दी गई थीं। इनके परीक्षण का विवरण इस प्रकार है——

परीक्षा समय	परीक्षा स्थान	परिणाम
सी० ओ० के० ३०		
१९४२-४३ से १०४९-५० तक	शाहजहांपुर, हरगांव गोला गोकरन नाथ, हरदोई, महोली, बाराबंकी	मध्यकाल में पकने वाली किस्म सी० ओ० ४२१ से गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में प्रायः प्रत्येक स्थान में उत्तम पाई गई। गोला गोरकरन नाथ चीनी मिल की परीक्षा में भी इसका स्थान सी० ओ० ४२१ से अच्छा रहा है।

परीक्षा	परीक्षा स्थान	परिणाम
सी० ओ० यस० २४५		
१९४२–४३ से १९५०–५१ तक	मुजफ्फरनगर, डोईवाला, ज्वालापुर, सहारनपुर, रोहानाकलां, शामली खतौली, दौराला, सिभोली, मेरठ, राया, मोदीनगर, किच्छा, निपोली, शिवहारा, नवाबगंज, नगीना, रामपुर, बिलारी, बरेली तथा पीलीभीत।	प्रायः सभी स्थानों में निष्पादन संतोषजनक रहा। मध्यकाल में पकने वाली किस्मों सी० ओ० ३१२ और सी० ओ० ४२१ में भी यह उत्तम सिद्ध हुई है। रोहानाकलां, दौराला, सिभोली, देवबन्द, मोदीनगर, मवाना तथा मन्सूरपुर की चीनी मिलों में भी सी० ओ० ३१२, ३१३, ४२१ तथा ४५३ से उत्तम पाई गई है।
सी० ओ० एस० ३२१		
१९४६–४७ से १९५०–५१ तक	मुजफ्फरनगर, सिभोली, शामली, डोईवाला, रोहानाकलां, देवबन्द, मेरठ, दौराला, खतौली, मोदीनगर ज्वालापुर, लक्सर, सहारनपुर, मंसूरपुर, राया, मैनपुरी।	गन्ने तथा चीनी की उपज में सी० ओ० ३१२ तथा ३१३ से अधिक अच्छी रही। जोनल सेन्टर्स पर भी इसकी उपज संतोषजनक है। चीनी के पर्तें में यह सर्वोत्तम है। मन्सूरपुर तथा शामली चीनी मिलों की परीक्षा में इसका प्रथम स्थान है।

*२९—श्री गेंदा सिंह—पिछले वर्षों में प्रदेश में गन्ना प्रतियोगिता में किनको पुरस्कार दिये गये और उन पुरस्कारों के क्या आधार थे? पुरस्कार विजेताओं ने किस प्रकार का गन्ना बोया था?

श्री चरण सिंह—पिछले वर्षों में प्रदेश की गन्ना प्रतियोगिता में निम्नलिखित गन्ना उत्पादकों को अधिकतम गन्ना उत्पादन के आधार पर पुरस्कार दिये गये थे —

वर्ष	पुरस्कार की की श्रेणी	नाम प्रतियोगी	उपज प्रति एकड़	किस्म गन्ना
१९४८–४९	प्रथम	श्री लखपति सिंह, दौराला जोन, मेरठ	१८०७ मन	को० ४२१
	द्वितीय	श्री शाकिर हुसेन, काठ जोन, मुरादाबाद	१७२० ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री खलील खां, सहारनपुर जोन, सहारनपुर	१५५३ ,,	,, ४५३
१९४९–५०	प्रथम	श्री प्रह्लाद सिंह, दौराला जोन मेरठ	१९४० ,,	,, ४५३
	द्वितीय	श्री साहब, बलरामपुर जोन गोंडा	१७८१ ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री खमानी सिंह, शिवहारा जोन, बिजनौर	१७१४ ,,	,, ४२१

वर्ष	पुरस्कार की की श्रेणी	नाम प्रतियोगी	उपज प्रति एकड़	किस्म गन्ना
१९५०–५१	प्रथम	श्री बलदेव, सिंह, मनकापुर जोन, गोंडा	२१३१ मन	को० ४५३
	द्वितीय	माडल फार्म, बलरामपुर, गोंडा	२०९१ ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री नारायण सिंह, मलियाना जोन, मेरठ	१८४२ ,,	,, ४५३
*१९५१–५२	प्रथम	श्री प्रह्लाद सिंह, दौराला जोन, मेरठ	२०४८ ,,	,, ४५३
	द्वितीय	श्री ब्रह्मास्वरूप साती, बिजनौर जोन, बिजनौर	१८९३ ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री हरिबंश सिंह, बेगमाबाद जोन, मेरठ	१८९० ,,	,, ४५३

*नोट—१९५१–५२ में प्रदेशीय गन्ना प्रतियोगिता उत्सव नहीं मनाया जा सका था। इसलिये इस संबंध में पुरस्कार वितरित नहीं हुये थे।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि अगर आपके उत्तर में इस प्रकार की कोई सूची हो तो उसको नत्थी के तौर पर दिया करें तथा विवरण में उसे न रखें। इस प्रकार से पढ़ने में जो समय लगता है वह बच सकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ ई० के बाद गन्ने की बोने वाली किस्मों में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया?

श्री चरण सिंह—जरूरी नहीं समझा गया।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि ४५३ नम्बर का गन्ना, जितने परीक्षण हुये हैं उनमें सबसे अच्छा उतरा है, लेकिन उसको डिस्करेज करने के लिये मिल वाले कोशिश कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह—मैं इसकी बाबत नोटिस चाहता हूं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ४५३ नम्बर का गन्ना सूबे में कितने एकड़ में बोया गया?

श्री चरण सिंह—वैसे तो मैं काफी याद रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसकी बाबत एकदम पूरी संख्या नहीं बतला सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पुरस्कार के वितरण करने के बाद भी गत वर्ष से इस साल गन्ने की पैदावार में कमी हुई है?

श्री चरण सिंह—पैदावार कम होने के बहुत से कारण हो सकते हैं और प्रतियोगिता का असर जरूर पैदावार पर पड़ता है परन्तु विरोध में काम करने वाली कितनी ही चीजें और हो जायं तो प्रतियोगिता अकेली क्या करेगी ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गन्ने की जिन किस्मों का जिकर किया गया है उनमें से कोई किस्म पहाड़ पर भी पैदा हो सकती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में पैदा होने वाली औसत रिकवरी शुगर कंटेन्ट्स पर ईख विकास विभाग के तरक्की के कामों से कोई तरक्की हुई है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—गन्ने की पैदावार में केन डेवलपमेंट कौंसिल कायम होने के बाद अच्छी उन्नति हुई है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी से शुगर कंटेन्ट्स के बारे में पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ईख विकास-विभाग के इस प्रकार के गन्ने के बारे में सुझाव देने के कारण ही शुगर-रिकवरी बढ़ी है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, गन्ना विकास विभाग का यह मुख्य उद्देश्य है कि रिकवरी बढ़े।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इन बातों को ध्यान में रखकर ही पिछले वर्ष विकास विभाग के परीक्षण हुए हैं ?

श्री चरण सिंह—परीक्षण हुये हैं, लेकिन शुगर रिकवरी में कितनी पैदावार बढ़ी, यह मैं नहीं बतला सकता। इतना मुझे मालूम है कि गन्ने की पैदावार फी एकड़ डेवलेपमेंट ज़ोन्स में काफी बढ़ी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ गन्ने की किस्मों में शुक्रोज का परसेंटेज कम होने के कारण संचालक ने उनको न बोने की राय दी है और वह कौन सी किस्में हैं ?

श्री चरण सिंह—७ फरवरी सन् १९५३ को गन्ना विभाग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें कुछ किस्म गन्ने की इस तरह की हैं जिसको किसानों को नहीं बोना चाहिये, ऐसा कहा गया है। वे किस्में निम्न हैं :

२०५, ई० के० ३८, सी० ओ० ३३१, सी० ओ० ३७३, अगली फसल की, मंचुआं सी० ओ०, २९०, सी० ओ०, २४४ और कन्हाइया।

ये वेराइटीज हैं जो ७ फरवरी सन् १९५३ की विज्ञप्ति के मुताबिक बतलाई गई हैं कि उनका बोना ठीक नहीं है।

सिसवां, जिला देवरिया में कृषि योग्य भूमि तथा उसका वितरण

*३०—**श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)**—क्या सरकार को ज्ञात है कि सिसवां ग्राम सभा, तहसील पड़रौना, जिला देवरिया में खेती योग्य परती जमीन पिछले साल कितनी थी और अब कितनी है। उसमें से कितनी जमीन किसको दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१३५६ फसली में सिसवां ग्राम सभा में खेती योग्य परती जमीन २०६ एकड़ थी। अक्तूबर, १६५२ में कुशी नगर के भिक्षुक संघ को उसमें से ४० एकड़ जमीन का पट्टा दे दिया गया। अतः इस समय खेती योग्य परती जमीन केवल १६६ एकड़ है।

*३१—श्री रामसुभग वर्मा—क्या राजस्व मंत्री ने अपनी देवरिया यात्रा के समय उस ग्राम सभा को आश्वासन दिया था कि उक्त जमीन ग्राम सभा को दी जायेगी? यदि हां, तो क्या यह आदेश कार्यान्वित हुआ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह ठीक है कि अगस्त सन् १६५२ में राजस्व मंत्री से कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सिसवा गांव सभा की सारी परती भूमि भिक्षुक संघ को दी जा रही है। जिस पर मंत्री महोदय ने जिलाधीश से कहा था कि उनकी सम्मति में सारी भूमि संघ को दे देना उचित नहीं होगा। परन्तु बाद में जब उनको यह मालूम हुआ कि सिसवां गांव की कुल परती भूमि का रकबा २०६ एकड़ है तो कुशीनगर के धार्मिक व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा भिक्षुक संघ की आवश्यकताओं को देखते हुये उक्त रकबे में से ४० एकड़ भूमि सरकार की ओर से संघ को पट्टे पर दे दी गई।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि इस गांव में भूमिहीन लोग कितने हैं और क्या उन्हें जमीन देने की कोई व्यवस्था की जा रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—भूमिहीन लोगों को भूमि देने की व्यवस्था तो भूमि-प्रबन्धक समिति द्वारा होगी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है कि जिन भिक्षुक महोदय को यह जमीन मिली है उनका घर यहीं पर है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार को तो इसकी कोई सूचना नहीं है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे कुछ लोगों ने बतलाया है कि उनका घर उस जमीन से कुछ थोड़ी ही दूर पर है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि इस बीच के समय में कोई दूसरी जमीन भिक्षुक को दे दी जाय और गांव का झगड़ा खत्म करा दिया जाय?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार को यह मालूम हुआ है कि अंधिया, डुमरी, और बेलवा पलकधारी गांवों के गांव वाले शायद इस भूमि के बदले कुछ भमि देना चाहते हैं। अगर यह बदलाव हो जाय तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

आग से पीड़ित लोगों की सहायता

*३२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार द्वारा ऐसे पीड़ित लोगों को कोई सहायता देने का प्रबन्ध है जिनकी सम्पत्ति घर में आग लग जाने से बरबाद हो गई? यदि हां, तो पिछले वर्ष देवरिया जिले में ऐसी सहायता कितनी दी गई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—घर में आग लग जाने से क्षति उठाने वाले लोगों की परि-स्थिति के अनुसार सरकारी सहायता देने का प्रबन्ध है। ऐसे लोगों को तकावी तथा मुफ्त सहायता मिल सकती है। मुफ्त सहायता केवल उसी दशा में दी जाती है जब कि पीड़ित व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति नष्ट हो गई हो और तत्काल सहायता न पहुंचने पर भुखमरी की संभावना हो।

देवरिया जिले में पिछले वर्ष (१६५२ ई०) में अग्नि कांड के कारण ४२२ रुपये की मुफ्त सहायता तथा १७,११८ रुपये की तकाबी वितरित की गई।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या इसकी फेहरिस्त सरकार के पास है कि सन् १९५२ ई० में कितने घरों में आग लगी और उससे कितनी क्षति हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सअतलिया में १३ घरों में आग लगी और ८,४६२ रुपये की क्षति हुई, भेड़ी में एक घर में आग लगी और १२ हजार रुपये की क्षति हुई, बरियारपुर में १० घरों में आग लगी और ३,२३६ रुपये की क्षति हुई। भरौली बाजार में १ घर में आग लगी और ६,१२५ रुपये की क्षति हुई, नारायणपुर में ७ घरों में आग लगी और १,६५० रुपये की क्षति हुई।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि आग लगने के बाद सरकार को ठीक-ठीक और जल्दी सूचना मिल सके ?

श्री चरण सिंह—ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है।

जोतों की चकबन्दी का आरम्भ

*३३—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि वह प्रदेश में जोतों की चकबन्दी का कार्य आरम्भ करने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

*३४—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि वह प्रतापगढ़ जिले में जोतों की चकबन्दी का कार्य कब से आरम्भ कर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह कहना अभी संभव नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार के पास कोई विस्तृत योजना है कि किन-किन जिलों में किस वक्त यह योजना आरम्भ की जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसे तो अन्दाजा यह किया जाता है कि सन् ५४–५५ में करीब २२, २४ जिलों में और सन् ५५–५६ में प्रांत के सभी जिलों में यह योजना शुरू हो जायगी, पहाड़ी जिलों को छोड़ कर जैसा कि पहले जवाब दिया गया है।

आज़मगढ़ जिले के जूट विकास केन्द्र

*३५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर जूट विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं और उनमें कितने कर्मचारी हैं तथा उनका वार्षिक व्यय क्या है ?

श्री चरण सिंह—इस संबंध में माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिये एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जूट विकास केन्द्रों से वार्षिक कितनी आय होती है ?

श्री चरण सिंह—इन विकास क्षेत्रों से गवर्नमेंट को आमदनी होने का सवाल नहीं उठता है। यह तो किसानों की आय उससे बढ़ी है। यह मैं नहीं बतला सकता कि किसानों की आय कितनी बढ़ी है। इस इलाके में कितना पटसन या जूट बोया गया है, इसके आंकड़े गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं।

जौनपुर रोडवेज़ स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा कार्य-स्थगन

*३६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर रोडवेज स्टेशन पर २ जून, सन् १९५३ को हड़ताल हुई थी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। अलबत्ता कुछ देर कुछ कर्मचारियों ने उत्तेजनावश काम नहीं किया था।

*३७—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो हड़ताल करने का क्या कारण था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मड़ियाहू स्टेशन पर रोडवेज और तहसील के कर्मचारियों से कुछ वादविवाद और मारपीट हो गई ऐसा बताया जाता है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने कुछ ने कुछ दर तक काम नहीं किया। लेकिन सही स्थिति मालूम हो जाने पर वह लोग अपना काम करने लगे।

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २ जन, सन् ५३ की हड़ताल की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों और तहसील के कर्मचारियों में से इस मारपीट में कौन-कौन शामिल थे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जहां तक विभाग को सूचना है उस में एक कंडक्टर और एक दो चपरासी शामिल थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जांच जिलाधीश जौनपुर के द्वारा की गई थी।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जिलाधीश ने स्वयं इस की जांच की थी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी लोग हड़ताल करने पर क्यों मजबूर हुये और उसके क्या वजूहात थे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उसमें लोगों को समझा दिया गया।

श्री हरिहर नाथ शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन के सदस्यों ने पिछले २-३ दिनों के अखबारों में देखा होगा, हमारे एक महान् और देश के अग्रणीय सेवक श्री हरिहरनाथ शास्त्री का हाल ही में देहावसान हो गया है। हरिहरनाथ से हम लोगों का इतना घनिष्ठ संबंध था कि उनके बारे में जबकि ऐसी हृदय विदारक अवस्था में उनका इस तरह पर निधन हुआ हो हमारे लिये अपने भावों को प्रकट करना भी कठिन हो जाता है। वह अभी नवयुवक ही थे। केवल कार्यक्षमता में ही नहीं, काम करने की उनकी शक्ति अथक थी। वह सदैव नयी बातों को सुनते समझते और संसार की अन्तर्राष्ट्रीय बातों में भी ध्यान रखते हुये काम करते रहते थे। उनका सारा जीवन एक त्याग का जीवन रहा। वह जिस समय पढ़

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

रहे थे तभी गांधी जी के सिद्धांतों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी पढाई छोड़कर स्वतंत्रता की लड़ाई में योग दिया। तब से बराबर वह इस देश सेवा के काम को करते रहे। लगभग ७ मर्तबा तो वह जेल ही गये और अभी उनकी अवस्था ५० वर्ष की भी नहीं हुई थी। उन्होंने आरम्भ से ही निरन्तर राष्ट्रीय कार्य में अपना सारा ही समय दिया और सदैव निःस्वार्थ भाव से इस कार्य को करते रहे। वह इस तरह पर देश सेवक होते हुये बड़े विचार से, सदाचार से सौम्य मूर्ति की तरह अपना काम करते रहे। वह अग्रगामी कहे जा सकते हैं, परन्तु उनमें हर मसले के ऊपर विचार करने की तथा निर्लोभ और निष्पक्ष भावना से उस पर निर्णय करने की और फिर उस निर्णय पर अमल करने की योग्यता थी। नौजवान होते हुये हिम्मत ऐसी थी कि जिसका कोई मुकाबला न कर सके और लगन ऐसी थी जिसको मुश्किल से कोई और दिखा सके। उनमें विचारशीलता ऐसी थी कि जो बहुधा देखने में नहीं आती। उन्होंने कांग्रेस के सभी सिद्धांतों से कार्य किया परन्तु उनका विशेष क्षेत्र मजदूरों और श्रमजीवियों की सेवा का रहा। वह आई० एन० टी० यू० सी० के स्थापकों में से थे। उन्होंने उसकी बुनियाद डाली और वह कभी उसके अध्यक्ष और कभी मंत्री रहे। कभी एक पद पर और कभी दूसरे पद पर अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसज में, लेबर की जो बड़ी-बड़ी इन्टरनेशनल कांफ्रेंसेज होती थीं उनमें वह बराबर प्रतिनिधि के तौर पर विदेशों में भी जाते थे और जो काम वह करते थे उसकी विदेशों में भी काफी कद्र की जाती थी। वह इस असेम्बली के और इससे पहले जो हमारी कौंसिल थी उसके भी मेम्बर रहे और करीब दस साल तक वह हमारी इस व्यवस्थापिका सभा के मेम्बर की हैसियत से काम करने में उसके एक माननीय सदस्य रहे और जो कुछ वह यहां कहते थे उसको सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और उनकी राय की काफी वक़अत थी। हमार ऐसे साथी हमें छोड़ कर चले गये, इसी की बड़ी वेदना होती है परन्तु यकायक गये इससे धक्का और भी ज्यादा हो जाता है। उन्हें कोई रोग नहीं था। कोई इस तरह की आशंका या अंदेशा नहीं था और वह हवाई जहाज में दिल्ली से कोचीन जा रहे थे। रास्ते में जहाज की किसी खराबी के कारण उनका और उनके साथियों का जो उस जहाज में थे सभी का अन्त हो गया।

उनमें हमारे देश के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री रघुनन्दन शरण भी थे जिन्होंने देश के राष्ट्रीय कार्यों में काफी हिस्सा लिया और जो अब भी हमारी आर्थिक दशा के निर्माण में एक प्रमुख भाग ले रहे थे। उनके जाने से भी देश को बड़ी क्षति पहुंची है।

हरिहरनाथ जी के बारे में सारे देश में शोक छाया हुआ है और समाचार पत्र पढने वालों को मालूम ही होगा कि सभी वर्गों, सभी विचारों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया है और हरिहरनाथ जी का हमारे देश से, खासकर कानपुर के श्रमजीवियों से, बड़ा घना ताल्लुक था और हमारे प्रदेश के श्रमजीवियों के वह नेता थे उनके परामर्श से ही यहां बड़े-बड़े मसले हल होते थे। वह बहुत पढ़े-लिखे और विद्वान भी थे और इस तरह से वह देश के सेवक थे और जो गरीब होता था, जहां भी अन्याय होता था, वहां उनकी सहानुभूति रहती थी।

इसके बारे में जो हानि हमारी हुई है, उसका अन्दाजा लगाना मुझे असम्भव लगता है और मुझे यह मानना पड़ता है कि उनका स्थान जो रिक्त हुआ है उसे भरना कठिन है और दूसरा उनकी जगह लेने वाला मुश्किल से कहीं नजर आ सकेगा। ऐसी अवस्था में उनका चला जाना हम सबके लिये दुखद है। सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होने के अतिरिक्त वह एक बड़े अच्छे मित्र थे। उनका चरित्र, उनका सदाचार बड़े ऊंचे दरजे का था और उन पर भरोसा हो सकता था। उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा और सौम्य सोहार्दता का और शराफत का हमेशा रहता था

ऐसे मित्र का चला जाना हम लोगों के लिये व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़े दर्द की बात है और उनकी स्त्री जो कि ऐसी अवस्था में यकायक विधवा हो गई उनके लिय जो दिल में संताप होता है और जो भावनायें होती हैं उनको प्रकट करना कठिन है। भगवान उनको इतनी

शक्ति दे कि वह इस बड़े दुःख को सहन कर सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सदन की ओर से उनके कुटुम्बियों को और जो आई० एन० टी० यू० सी० के पदाधिकारी हों, उनको समवेदना भेजने की कृपा करें ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्री हरिहर नाथ जी शास्त्री की असामयिक मृत्यु पर हम सभी शोकसंतप्त हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, श्री हरिहर नाथ के निधन से आज हमारे देश को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। सारे देश को तो क्षति पहुंची ही मगर जब हम श्रमिक वर्ग को देखते हैं तो उनका एक सच्चा नेता जो अपने विचार के अनुसार श्रमिक वर्ग का कल्याण करने के लिये निरंतर सचेत था वह आज उनके बीच से उठ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि श्री हरिहरनाथ शास्त्री परस्पर विचारों की विषमता रखते हुये भी एक दूसरे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथियों के साथ प्रेम और मोहब्बत से मिलते थे। इसकी सभी को सराहना करनी चाहिये। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर श्री हरिहरनाथ शास्त्री सरीखे अधिक लोग राजनीति में हों तो अच्छा ही होगा। वे राजनीतिक विरोध रखते हुये भी उसके सामंजस्य के लिये काफी दूर बढ़ते थे। श्री हरिहरनाथ जी एक दूसरी राजनीतिक पार्टी (कांग्रेस पार्टी) के सदस्य बाद में हुये और श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव एक दूसरी राजनीतिक पार्टी (पी० एस० पी०) की सदस्या थीं ? कट्टरपंथी राजनीतिज्ञों के लिये यह अनुकरणीय है। हम तो आज श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव की ओर ख्याल करते हैं तो बड़े शोक सागर में डूब जाते हैं। उनके ऊपर इस असामयिक मृत्यु से कितनी गहरी चोट पड़ी है उसको वे कैसे बरदाश्त कर पायेंगी ? हम अपनी इस समवेदना और सहानुभूति को मान ीय मुख्य मत्री के उद्‌गारों के साथ मिलाते हुये यह जरूर निवेदन करेंगे कि इस सदन की ओर से श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव के पास हमारे ये उद्‌गार भेजे जायं। और श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव को इस अवसर पर हम आश्वासन ही क्या दे सकते हैं ? मगर हम अपनी इस कामना को जरूर व्यक्त करना चाहते हैं कि अपने ऊपर जो यह मुसीबत आयी है उसको पार पाने के लिये वह एक साहसिक कदम उठायें और जिस विचारधारा को रखते हुये वह समाज के कल्याण की ओर अग्रसर हो रही थीं उधर अग्रसर होती जायं।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राज नारायण जी ने इस शोचनीय विषय पर प्रकट किये हैं उनका संयुक्त दल की ओर से समर्थन करते हुये मैं भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे श्री शास्त्री जी से कभी मिलने का अवसर नहीं मिला किन्तु जो कुछ मैं उनके संबंध में यहां और सूचना पत्रों में पढ़ पाया उससे यह अवश्य प्रतीत होता है कि उनके देहान्त से देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। निसंदेह शास्त्री जी का सब से प्रथम गुण यही था कि वे सदैव "अन्डर डाग" के लिये लड़ना अपना कर्त्तव्य समझते थे और उस रूलर और रूल्ड की लड़ाई में उन्होंने हमेशा अपना कर्त्तव्य रूल्ड की सहायता करना समझा। अतः इस अवसर पर मैं और अधिक न कह कर केवल यही कहना चाहता हूं, हमें वह पुराना सिद्धांत ही याद आता है "मैन् प्रपोजेज गाड डिस्पोजेज"। और इसी विचार को ध्यान में रख कर हम कौंसोलेशन लेते हैं चाहे वह कितना ही पुअर कौंसोलेशन क्यों न हो ? इस प्रकार के शोकोद्‌गार प्रकट करते हुये मैं उस हानि को जो हमें हुई है, समझ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आज श्री हरिहरनाथ शास्त्री की असामयिक मृत्यु पर सदन के सभी सदस्य और सभी विचार धाराओं के सदस्य शोकमग्न हैं, मैं किन शब्दों में अपने शोक को प्रकट करूं। सदन की जो भावना है मैं उसके साथ हूं तथा श्री हरिहरनाथ जी के परिवार के साथ मैं भी अपनी समवेदना प्रकट करना चाहता हूं।

उनका मेरा परिचय पहले पहल १९२९ में हुआ था जब कि जी० आई० पी० रेलवे में बड़ा भारी स्ट्राइक चल रहा था जब कि मैं भी एक श्रमिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से काम कर रहा

[श्री अध्यक्ष]

था। वह एक बड़े संकट का समय था। वे मुझसे करीब १० वर्ष उम्र भी छोटे थे लेकिन श्रमिकों के नेता होने के कारण उनको कानपुर से झांसी बुलाया था। उन्होंने जो सलाह उस समय दी थी वह आज तक हमें याद है। इतने नवयुवक होने पर भी उस वक्त भी उनमें बड़ी गंभीरता थी। मैं समझता था कि उस वक्त वे कोई गरम स्पीच देंगे लेकिन उस छोटी अवस्था में भी मैंने जो गांभीर्य उनमें देखा, उससे मैं चकित हो गया। तब से आज तक मैं देखता रहा हूं कि जितनी नम्रता, मिलनसारी, विचार गांभीर्य, सब विचारों में समन्वय करने की खूबी उनमें थी वह श्रमिक कार्यकर्त्ताओं में बहुत कम पायी जाती है और इसी लिये मैं कहता हूं कि उनके जाने से जो देश में कमी हुई है उसकी पूर्ति अनेक वर्षों तक न होगी। जब कानपुर के पिछले १०० वर्षों के इतिहास को मैं याद करता हूं तो कानपुर का यह बड़ा दुर्भाग्य समझता हूं कि उसने एक से एक तेजस्वी और होनहार नेता तो उत्पन्न किये लेकिन वे हमें अल्पकाल में ही छोड़ कर चले गये। सन् ५७ की याद आती है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की याद आती है और आज उस होनहार व्यक्ति की याद आ रही है, जो हमें केवल दो ही दिन पहले छोड़कर चले गये। वे एक ऐसे कार्यक्षेत्र में कार्य करते थे कि जिसकी समस्यायें बड़ी जटिल हैं, जिनको सुलझाने में देश के बड़े बड़े मस्तिष्क भी घुटने टेक देते हैं, वे उन समस्याओं को सुलझाने में सहायता देते थे। यही कारण है कि वे न केवल आई० एन० टी० यू० सी० के ही प्रधान रहे या मंत्री रहे बल्कि रेलवेमेंस फेडरेशन, जिसमें कई दल हैं, उसके भी वे सभापति रहे। यही कारण है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने भी उनकी सराहना की कि वे सभी दलों के साथ मिल कर जिस तरह से खूबी से कार्य करते थे वह उनमें एक अद्वितीय गुण था। उनके इस गुण को याद करते हुये हम यह कह सकते हैं कि भगवान ऐसी हम लोगों को भी बुद्धि दे कि उनका अनुकरण करके हमारे कार्यकर्त्ता जनता के कार्य को करने में समर्थ हों। मैं अधिक नहीं कह सकता क्योंकि मेरा गला भरा हुआ है। हमारा उनके साथ हर कार्य में कई दफा दिन रात सम्पर्क रहता था। मुझे कभी यह नहीं मालम हुआ कि इतना महान् नेता अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इतना विख्यात होते हुये भी इतना नम्र हो सकता है। यहां की संस्कृति के अनुसार जो उनके साथी पुराने हैं, वे जनता की दृष्टि में कितने भी छोटे हों, या कोई लड़का ही हो लेकिन वे उन सबका सदैव एकसा ख्याल रखते थे और हर एक के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। अपने साथी तथा छोटे लड़कों के साथ भी वे मजाक और हंसी में ही बातचीत करते थे। वे बड़े मीठे तौर पर उनसे बातचीत भी करते थे और उनको समझा देते थे। बड़ों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही नम्रतापूर्ण था और उनको आदर देते हुये विरोध करना उनकी खूबी थी। अपना विरोध वे ऐसी नम्रतापूर्वक पेश करते थे कि बड़े-बड़े भी कई दफा उनके सामने झुक जाते थे और उनकी बात मान लेते थे। ऐसे अद्वितीय पुरुष की मृत्यु पर किसे शोक नहीं होगा ? इस सदन के सभी लोगों ने उनके प्रति अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं इस सदन की तरफ से उनके परिवार के पास समवेदना भेज दूंगा। और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया, आई० एन० टी० यू० सी० या जिस संस्था के साथ भी उनका आजन्म सम्पर्क था उनके अधिकारियों के पास भी इस सदन की तरफ से समवेदना भेज दूंगा। अब मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि हम लोग दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने-स्थान पर खड़े हो गये।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र आन्दोलन के संबंध में दो कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री राज नारायण जी का है और दूसरा श्री झारखंडे राय का है। विषय एक ही है यद्यपि श्री झारखंडे राय जी के प्रस्ताव का सम्बन्ध लखनऊ को छोड़ कर और भी जगहों से है, लेकिन वह उतना स्पष्ट नहीं है, इसलिये मैं उसको तो लेता नहीं। वह डेफिनिट नहीं है। दूसरा प्रस्ताव श्री राज नारायण जी

का है कि "लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के संगठन से सम्बन्धित मांगों की पूर्ति के लिये शान्तिपूर्ण छात्र आन्दोलन के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जिस बर्बरता तथा पाशविकता के साथ लाठी चार्ज, अश्रुगैस, गोली वर्षा तथा ईंट-पत्थर का प्रयोग कर निरपराध व्यक्तियों की नृशंस हत्या की तथा प्रान्त के शान्तिमय वातावरण को अशान्ति में बदल दिया है उस पर वाद विवाद करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।" इसके सबन्ध में अगर गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से कुछ अपने विचार रखना चाहते हों तो वह रख लें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि काम रोको प्रस्ताव की बात है उसके सम्बन्ध में तो मेरा निश्चित मत है कि यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता इसलिये कि वह इनडेफिनिट है, किसी स्पेसिफिक बात का जिक्र भी नहीं करता। परन्तु अभी इस मौके पर इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन नहीं करूंगा। यदि यह प्रस्ताव प्रेस किया गया तो फिर मैं कुछ कहूंगा। परन्तु मुझको ऐसा बतलाया गया है कि सदन के कुछ मित्रों की ऐसी इच्छा है कि इधर लखनऊ में और आस-पास जो घटनायें हुई हैं जिलों में, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ अधिक जानकारी प्राप्त हो जाय तो अच्छा है और गवर्नमेंट भी यह उचित समझती है कि जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी हो जाय ताकि अखबारों में उन्होंने जो कुछ पढ़ा है या लोगों के बयानों में जो कुछ पढ़ा है उनके बारे में उनको मालूम हो जाय कि किस तरह से एक घटना दूसरी घटना के साथ बैठती है। इसलिये यदि आप उचित समझें तो कोई समय उसके लिये दे दिया जाय, हम इसके लिये तैयार हैं। हम यह समझते हैं कि इसके बाद अब इस काम रोको प्रस्ताव की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--क्या गवर्नमेंट के स्टेटमेन्ट के बाद और लोग भी अपनी राय दे सकते हैं ताकि गवर्नमेंट भी उनकी राय जान ले?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मैं तो समझता हूं कि यह स्वाभाविक होगा कि लोग हमारी बात पर कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय राज नारायण जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, जहां तक कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में कहा गया है कि वह इनडेफिनिट है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसके सम्बन्ध में तो केवल आप को ही अधिकार है और आप ही उसके बारे में निर्णय दे सकते हैं। परन्तु माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ उस पर अपना विचार प्रकट कर ही दिया। मैं इस समय केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रान्त की राजधानी में इतनी अहम घटनायें हुई हैं जिनके लिये मैं चाहता हूं कि उन पर इस सदन में अवश्य विचार होना चाहिये और उसके लिये समय भी काफी होना चाहिये ताकि हर व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूर्ण मौका मिले। मैं चाहता हूं कि शान्तिमय वातावरण में उस पर विचार हो ताकि इस किस्म की घटनायें भविष्य में न घटें क्योंकि यह हमारे लिये भी, सरकार के लिये भी और सारे प्रान्त तथा देश के लिये भी अशोभनीय है। इसलिये मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां हैं और तमाम कैबिनेट के और सम्मानित मित्र यहां विद्यमान हैं, इसके लिये कोई समय निश्चित कर दिया जाय, एक पूरे दिन का समय ऐसा निश्चित कर दिया जाय जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित रहें। क्योंकि अगर वे उपस्थित नहीं रहेंगे तो इस पर जो तमाम बातें होंगी उनका उचित और सदुपयोग, उचित फल जो होना चाहिये वह पूरा नहीं हो पायेगा इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वह दिन जल्द से जल्द हो, पूरा समय हो और कोई ऐसी जल्दी इसमें न की जाय कि एक घंटा, दो घंटा या तीन घंटा में ही खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके निश्चित होने के सम्बन्ध में राय नहीं चाहता था। मैं तो यही चाहता था कि उसके महत्व को देखते हुये सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझती

[श्री अध्यक्ष]

हैं और विरोधी दल के नेता भी इसके सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि सरकार अपना एक वक्तव्य देना चाहती है और उसके ऊपर यहां के, सदन के, सदस्यों की राय जानना चाहती है कि उनके ऊपर वक्तव्य से क्या रिऐक्शन हुआ। तो इसके लिये उचित होगा कि इस काम रोको प्रस्ताव पर विचार न करके सरकार के वक्तव्य को सुनें। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे यह बतावें कि वे किस रोज वह वक्तव्य देना पसन्द करेंगे और उस पर चर्चा होगी तो उस पर कितना समय देना चाहेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बिल्कुल ठीक समझता हूं जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है कि जो हमारा समय है उसका पूरा सदुपयोग हो। इस बात का ध्यान रखते हुये और इस बात का भी ध्यान रखते हुये कि सब लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां रहें तो मेरी राय तो यही है कि इसके लिए १८ तारीख निश्चित कर दें और वह लंच के बाद। मैं समझता हूं कि इतना समय काफी होगा, इतने समय में जितनी भी आवश्यक बातें हैं वह सभी कही जा सकती हैं। यहां तो हर दल के बहुत से लोग हैं और यदि सभी लोग अपनी भावना यानी सेंटीमेंट प्रकट करें तो कुछ न कुछ कहा ही जा सकता है। लेकिन जो विचारणीय बातें हैं वह तो हर दल की तरफ से आसानी से इतने समय में कही जा सकती हैं। इस कारण मेरी यह राय है कि १८ तारीख लंच के बाद उसके लिये समय रख दिया जाय।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--मैं नम्रतापूर्वक सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि इस विषय के लिये यदि हो सके तो पूरा दिन रख दिया जाय। इस विषय पर सभी लोग चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के, सभी बोलना चाहेंगे। यदि जरूरी हो तो हम शनिवार के दिन भी बैठने के लिये तैयार हो सकते हैं लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि इसके लिये पूरा दिन दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल एक घंटे का फर्क आता है पहला घंटा तो प्रश्नों के लिये ही निकल जाता है। अगर उस दिन लंच के बाद ५ बजे तक पूरा न हो तो उसको १ घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

श्री राजनारायण--मैं तो यह निवेदन करूंगा, और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, कि लंच के बाद जो समय चले उसको ५ बजे के बाद बढ़ा लेने का प्रश्न आप के ऊपर छोड़ दिया जाय। जब आप देखेंगे कि पूरा नहीं हो रहा है तो जितना भी समय आप उचित समझें बढ़ा लेवें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--राजनारायण जी जो कहते हैं उसको मैं हमेशा मंजूर करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो अब यह निश्चित रहा कि १८ तारीख को लंच के बाद यह वक्तव्य होगा और जो लोग इसके ऊपर अपनी राय देना चाहें दे सकते हैं। यदि ५ बजे विवाद खत्म नहीं हुआ तो अधिक समय देने न देने का निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया गया। अब इतना तो निश्चित ही है कि ६ बजे तक वह चलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यक हुआ तो थोड़ा बहुत समय बढ़ाया जा सकता है। इसमें इस सदन को आपत्ति नहीं होगी। जो प्रश्न यहां पर हुये और उन पर जो पूरक प्रश्न हुये उससे मैं यह समझता हूं कि बहुत से लोगों को दिलचस्पी है और इस पर बहुत से लोग अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं तो यह सदन अधिक से अधिक समय तक बैठने की कोशिश करेगा।

श्री राजनारायण--मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बजाय १८ तारीख के १७ तारीख भी हो सकती है? क्योंकि १९, २० तारीख को गन्ने के उत्पादकों

का सम्मेलन है। यदि यहां पर १८ तारीख को उस पर विवाद हुआ तो श्री गेंदा सिंह और श्री जगन्नाथ मल्ल उसमें उपस्थित नहीं रह सकेंगे। वह देवरिया रामकोला, जहां सम्मेलन हो रहा है, चले जायेंगे। इस कारण मेरी दरख्वास्त है कि यदि सरकार के लिये विशेष मजबूरी न हो तो यह प्रस्ताव १७ तारीख के लिये रख दिया जाय नहीं तो कुछ लोगों की राय से वह वंचित रह जायेगी।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--रामकोला तो १८ तारीख को यहां से चलकर १९ तारीख को पहुंच सकते हैं। गेंदा सिंह जी तो अपना जरूरी इन्तजाम कर सकते हैं मगर राजनारायण जी को कठिनाई हो सकती है। सम्पूर्णानन्द जी ने इस बात को इसलिये कहा कि १६, १७ तारीख को मुरादाबाद में पुलिस का कुछ फंक्शन है। इसलिये हमारी मजबूरी है। हम तो चाहते थे कि इसको तुरन्त ही करें क्योंकि ऐसे मामलों में देर करना कोई फायदेमन्द नहीं होता। मगर मजबूरी की वजह से १८ तारीख की बात सम्पूर्णानन्द जी ने कही।

श्री अध्यक्ष--मैं तो इतना कर सकता हूं कि गेंदा सिंह जी पहले बोल लें और फिर वह जा सकते हैं।

विभिन्न स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--स्टैंडिंग कमेटीज के सम्बन्ध में मुझे बताना है कि कुछ माननीय सदस्यों का स्वर्गवास हो जाने एवं कुछ अन्य सदस्यों के निर्वाचन अवैध घोषित कर दिये जाने के कारण मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में निम्नलिखित स्थान रिक्त हो गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग में २ रिक्त स्थान हैं और वह सर्वश्री वशिष्ठ नारायण शर्मा एवं राजदेव उपाध्याय के निर्वाचन अवैध हो जाने के कारण से हुये हैं श्री सत्या नन्द का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा विभाग में भी एक स्थान रिक्त हो गया है। सर्वश्री चन्द्रपाल वाजपेयी एवं फतेह सिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण कृषि तथा पशुपालन विभाग में २ स्थान रिक्त हो गये हैं और श्री बैजूराम का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने के कारण से आबकारी विभाग में भी १ स्थान रिक्त हो गया है।

इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये मैंने यह निर्वाचन कार्यक्रम निश्चित किया है कि नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को १ बजे मध्याह्न तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को ३ बजे अपराह्न तक और निर्वाचन का स्थान, समय तथा तिथि यदि आवश्यक हुआ तो बाद में सूचित किया जायगा।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ८ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा

[श्री अध्यक्ष]
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १४ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया।

प्राविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि प्राविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १६ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और १९५३ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य अन-र्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राजपाल की अनुमति १७ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत करने का) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत करने का) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २५ सितम्बर, १९-५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ ससप्लाईज (टेम्पो-रेरी पावर्स) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २८ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अगस्त, १९५३ की बठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ५ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ अगस्त, १९५३की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ५ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ९ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शक्कर और चाल उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर, जिसे विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १६ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १९ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १९ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से सम्बद्ध माल (अ) विभाग की कतिपय विज्ञप्तियां *

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार, उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से सम्बद्ध माल (अ) विभाग की विज्ञप्तियों सं० ५९४७/१ (अ)—१०७३/१९५३, दिनांक २५ अगस्त, १९५३ ई०, सं० ५४९८-१ (अ)-१५४४/१९५३, दिनांक ४ सितम्बर, १९५३ ई० तथा सं० ५९३९-१-१ (अ)—१०७३—१९५३, दिनांक ११ सितम्बर, १९५३ ई० की प्रतिलिपियां * मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्तियां *

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार परिवहन विभाग की विज्ञप्तियों सं० ३०८२ टी० पी०/३०—१४२ (५) टी०-५१, दिनांक ३० जुलाई, १९५३, सं० ३२८९ टी०/३०—१४२-टी०-३४-५२, दिनांक ३० जुलाई, १९५३, सं० २१३७ टी० पी०/३०—१४२-टी०-१९-५१, दिनांक १ जून, १९५३, सं० ३४०० टी० पी०/ ३०—१४२ टी०-३२-५२, दिनांक १ सितम्बर, १९५३ तथा सं० ४४४० टी० पी०/३०—१४२/३४ टी० ५२, दिनांक ४ सितम्बर १९५३, जिसमें यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, की प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

यू० पी० ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स रूल्स, १९४९ में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति *

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं यूनाइटेड प्राविंसेज एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार माल (स) विभाग की विज्ञप्ति सं० २५९०/१ (स)—२८९ (स)—१९५३, दिनांक २९ अगस्त, १९५३, जिसमें यू० पी० एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स रूल्स, १९४९ में संशोधन किये गये हैं, की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नियमों पर विचारार्थ समय निश्चित करने की मांग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह जो बहुत सी नियमावलियां मेज पर रखी जा रही हैं इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ समय ऐसा निश्चित होना चाहिये कि इन नियमावलियों में क्या त्रुटियां रह गयी हैं उन पर भी हम अपनी राय जाहिर कर सकें। इस समय इतनी नियमावलियां एकाएक मेज पर रख दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में यदि आप समय देंगे तो हम बतायेंगे कि इन नियमावलियों में बहुत सी गड़बड़ी पैदा हो गयी हैं। जो नियमावली माननीय द्वारका प्रसाद जी ने अभी मेज पर रखी है....

---

* छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपकी बात तो समझ गया। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि किसी अधिनियम में अगर कोई ऐसी बात हो कि सदन की राय लेना आवश्यक है तो मैं इस बात की इजाजत दे सकता हूं, नहीं तो आपको सरकार से पहले से तय कर लेना चाहिये; इसी विषय के ऊपर अगर कोई सरकारी प्रोग्राम आ जायगा तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा। लेकिन अगर अधिनियम में ऐसी धारा मौजूद नहीं होगी कि सदन की राय लेनी पड़ेगी तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जहां तक जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) का सम्बन्ध है, यदि उसे देखा जाय तो जहां तक मुझे स्मरण है, मैं ऐसा समझता हूं कि उसके मुताबिक सदन की राय लेना आवश्यक है। और श्रीमन्! मैं आपके द्वारा आगे भी जा कर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वहां न भी लिखा गया तो भी आप को यह अधिकार सन्निहित है और समय और विषय की आवश्यकता को महसूस करते हुये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप उस पर जरूर राय लें। यह तमाम सूबे के किसानों से सम्बन्धित है और आज इस नियमावली के अन्तर्गत तमाम सूबे के किसानों का गला काटा जा रहा है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नियम हैं उनके सबन्ध में तो अवश्य भवन को विचार करने का अधिकार है। लेकिन एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स में, जहां तक मुझे मालूम है, कोई ऐसी धारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो उसके लिये आप समझते हैं कि उसमें सदन को विचार करने के लिए अधिकार है। यदि है तो आप समय नियत करते हैं।?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मैं समझता हूं कि उसमें कोई इस बात की जरूरत नहीं है कि सदन के लिये कोई समय निश्चित किया जाय। वैसे सदन के सदस्यों को अधिकार है कि हर सार्वजनिक विषय को जिसे वे चाहें यहां ला सकते हैं। नान आफिशल डेज भी होते हैं। इस बारे में किसी को कुछ कहना हो तो वह प्रस्ताव दे सकता है। दस बीस आदमी भेजना चाहें तो ऐसे भी भेज सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिनियम में यह है कि यह रूल्स तब तक मंजूर नहीं समझे जायंगे जब तक कि सदन अपनी राय न दे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अगर ऐसा होगा तो जरूर रखेंगे।

श्री राज नारायण--तो उसके लिये दिन देना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--उसके लिये दिन देंगे।

श्री अध्यक्ष--माननीय माल मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन राजनारायण जी कह रहे हैं कि ऐसा है।

श्री राजनारायण--उन्होंने माना है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अगर ऐसा होगा तो जरूर समय दिया जायगा लेकिन वह कागज देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी देख लें। अगर उसमें ऐसा होगा तो कोई समय निश्चित होना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अवश्य।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटिन्यूएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ...७५...पर)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ...७६--८४...पर)

उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १९५३

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ...८५--८६...पर)

उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ...८७--९३...पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ...९४--१०२...पर)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ... १०३--११३...पर)

आगरा यूनिर्वासिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्-संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट भवन के सामने प्रस्तुत करते समय कोई लम्बे भाषण की आवश्यकता नहीं होती है...

श्री अध्यक्ष—आपको कहना कुछ नहीं है तो केवल आप २४ नम्बर का विषय प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ..११४—१४८..पर)

उत्तर प्रदेश पुनः संघटित संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्यों के तथा राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें पुनः संगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें पुनः संगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, श्री भगवानदीन मिश्र के विधान सभा की सदस्यता से हट जाने के कारण राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, श्री भगवानदीन मिश्र का विधान सभा की सदस्यता से हट जाने के कारण राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इस बात के जो अभी प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं उनके अनुसार कार्यक्रम के लिये मैं समय निर्धारित करता हूं।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को १ बजे मध्याह्न तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को ३ बजे अपराह्न।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय २२ दिसम्बर, १९५३ को ३ बजे अपराह्न।

निर्वाचन का स्थान, समय तथा तिथि यदि आवश्यक हुआ तो बाद में सूचित किया जायगा।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीशन (कंटीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि इस विधेयक की अवधि ३१ दिसम्बर को खत्म होने जा रही है और अभी तक प्रान्त में खाद्यान्न को जमा करने के लिये और उनको रखने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को इस बात का अधिकार हो कि वह स्टोर्स को ले सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, नियम ९५ (ग) के अनुसार जब तक कि ३ दिन पहले सदस्यों के सामने उपस्थित न हो, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष——(माननीय अन्न मंत्री से) क्या आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है?

श्री बनारसी दास——जहां तक मालूम है इसकी कापियां पहले ही से भेज दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—कल शाम को आया और कल रात क़रीब ९ बजे तक वितरित हुआ।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, यदि यह आपत्ति है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विधेयक ऐसा है कि इसमें किसी वादविवाद की गुंजाइश नहीं है। इसलिये मुझे विश्वास है कि वह इस समय विचार करने की बात को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मेरी मुश्किल है कि बिना देखे ही कैसे हमसे आशा की जाती है कि.........

श्री अध्यक्ष—आपने इसे देखा नहीं है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं, देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि कल इस पर विचार हो जाय।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—— नहीं, तीन दिन बाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो ३ दिन बाद हो जाय।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५३, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय। इसकी कापीज ३ रोज पहले भेज दी गई थीं, ७ दिसम्बर को मैं समझता हूं कि सब सदस्यों को भेज दी गई थीं। इसलिये इस पर विचार आरम्भ कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, नियमावली की धारा १०५ के मुताबिक इसकी प्रतियां सदस्यों के सामने ३ दिन तक नहीं रहीं। इस बिल के सम्बन्ध में मुझे एक विशेष बात यह कहनी है कि जो प्रतियां हमारे पास गईं उन पर "कानफ़ीडेंशल" लिखा हुआ था और जब विधान सभा के सामने कोई चीज उपस्थित होती है तो वह प्रेस और पब्लिक के लिये पब्लिक प्रापर्टी हो जाती है। तो कानफ़ीडेंशल पेपर्स पर हम ऐक्शन नहीं ले सकते। नियमावली में कहीं भी इस बात का प्रावीजन नहीं है कि कानफ़ीडेंशल मार्क करके जो चीज भेज दी जाय तो उस पर ३ दिन के नोटिस की बात लागू न हो। इसलिये १०५ नियम के...

श्री अध्यक्ष--आपका एतराज वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप सूचना पा चुके हैं लेकिन टैक्निकलिटी यह है कि कानफ़ीडेंशल होने से आप उसे सूचना नहीं समझते। गुप्त सूचना होने से आपका उस सम्बन्ध में ज्ञान भी लुप्त हो गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपका कहना टैक्निकली सही हो सकता है कि उसको इगनोर कर दें। लेकिन चूंकि यह इस सदन के विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखता है कि सेलेक्ट कमेटी के जितने प्रतिवेदन हों वे पहले सदन में आ जाने चाहिये तब प्रकाशित हों, इसलिये शब्द कानफ़ीडेंशल इस पर डाल दिया गया है सदस्यों के पास सूचना भेजते समय । मेरे सामने यह गुत्थी रही है और इस कारण यह 'कानफीडेंशल' शब्द इसमें डाल दिया गया है। लेकिन उसमें और प्रतिवेदन में कोई फर्क नहीं हुआ है तो वह गुप्त सूचना सही मानी जायगी। गुत्थी को सुलझाने का मैंने यों प्रयत्न किया कि पहले से उस पर कानफ़ीडेंशल शब्द डाल दें ताकि कोई सदस्य उसे बाहर प्रकाशित न करें, लेकिन सदस्यों का तो अधिकार है कि वे चाहे चार रोज पहिले प्राप्त हो वह उनको अधिकार जानने का होता है। इसलिये उनके ऊपर विश्वास रख कर वह उपस्थित किया गया है। इसलिये वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों को इसकी सूचना नहीं है। फिर खाली यह टैक्निकल आब्जेक्शन रह जाता है जो ३ दिन का प्रश्न उठाया जाय। वह वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब सबको ज्ञान हो ही चुका है तो उसके ऊपर आक्षेप नहीं होना चाहिये। वरना तो आज का काम सभी इस तरह से बेकार हो जायगा। इसलिये मैं इजाजत दिये देता हूं कि वह अपना भाषण, इस पर विचार जारी रखने के लिये, जारी रखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की धारा ३४८ की उपधारा (३) की तरफ दिलाता हूं जिसके मातहत इस प्रदेश की विधान सभा ने अपनी भाषा हिन्दी मानी है और आगरा यूनीवर्सिटी बिल का इंट्रोडक्शन क्लाज तो अवश्य हिन्दी में है लेकिन आगे के संशोधन जो सरकार की ओर से उपस्थित हो रहे हैं वे सब अंग्रेजी में हैं। और क्योंकि हमारी भाषा हिन्दी है इसलिये इस बिल पर तब तक विचार नहीं हो सकता है जब तक कि हिन्दी में संशोधन उपस्थित न हों। इसी संविधान की धारा में यह कहा गया है...

श्री अध्यक्ष--कौन सी धारा ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--संविधान की धारा ३४८ की उपधारा (३)। जो राष्ट्रभाषा मानी जाय उसी में असेम्बली की सारी कार्यवाही होनी चाहिये । हां, कोर्ट्स के लिये जरूर अंग्रेजी ट्रांसलेशन को अथराइज्ड वर्जन कहा जा सकता है। मैं इसको इसलिये भी आवश्यक समझता हूं कि हमारी सरकार इसकी हमेशा उपेक्षा करती रही है। ऐसी सूरत में हमें आशा है और आपका हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

है, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और सरकार को मनमानी, नहीं करने देंगे जब तक हिन्दी भाषा में संशोधन उपस्थित न हों जायं तब तक इसकी आज्ञा न दी जाय।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)——इस विधेयक पर पहले जिस रोज बहस हुई थी अगर आपत्ति होती तो उस समय होती। इसके बाद यह सिलेक्ट कमेटी में गया और सभी पार्टी के जितने भी लोग वहां थे उन सब ने इस पर विचार किया था। अब जब कि इसकी रिपोर्ट आ गई है तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि इस पर कुछ आपत्ति हो। अगर इसमें कोई कमी होती तो आज से पहले कभी का आटोमेटेकली यह लैप्स हो जाता और इस पर विचार नहीं होता। आपने जो इस समय आपत्ति की है, मैं समझता हूं कि वह निराधार है। इसके पहले जो बिल है वह अंग्रेजी में ही पेश हुआ है। तो आज उसका संशोधन हिन्दी में हो तो जो बिल अंग्रेजी में है उसका अमेंडमेंट हिन्दी में हो यह असम्भव है। जो बिल यहां पेश होते हैं वह सब हिन्दी में पेश होते हैं। जो अंग्रेजी में बिल है उसके अमेंडमेंट अंग्रेजी में ही होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय राम नारायण जी इसको मंजूर करेंगे कि जो हुआ है, वह ठीक हुआ है और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रमुख मंत्री का . . . .

श्री अध्यक्ष——आपने सिर्फ हवाला भर दे दिया है लेकिन आपने यह पढ़कर नहीं देखा कि कौन सी चीज लागू होती है। मैं समझता हूं कि इस पर पहले निर्णय हो चुका है कि जो अधिनियम अंग्रेजी में बन चुके हैं उनके जब संशोधन होंगे तो संशोधनों की भाषा के संबंध में जो धारा का सुधार होने वाला है वह सब उसी भाषा में होंगे जिसमें कि अधिनियम है। लेकिन ऐसा करना चाहिये, वैसा करना चाहिये, जो खंड में दिया है कि फलां शब्द निकाल दिया जाय इत्यादि सब हिन्दी में होगा, इसमें भी यह चीज मौजूद है। जब किसी धारा का सुधार होने वाला है तो वह हिन्दी में कैसे होगा जब कि मूल अधिनियम अंग्रेजी में मौजूद है। अभी हिन्दी में मूल अधिनियम का अनुवाद नहीं हुआ है। जब अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद हो जायगा और सदन उसको पास कर लेगा तब यह आपका कहना उचित होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आपका एतराज निराधार है।

श्री हरगोविन्द सिंह——श्रीमान जी जो प्रवर समिति इस भवन और विधान परिषद् द्वारा बनी थी उसमें प्रायः सभी ऐसे सदस्य थे जिनका शिक्षा से संबंध था और मूल विधेयक उनके सामने था। संशोधन इसमें इतने कम थे और उनका महत्व भी इतना कम था कि कमेटी ने यह निर्णय किया था कि इस विधेयक को फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है जो थोड़े से परिवर्तन हुये हैं वह केवल यह हुये कि सीनेट में जितने मेम्बर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से रहे, इसमें कुछ रद्दोबदल हुई। इसके अलावा इसमें छोटी-मोटी रद्दोबदल हुई जिससे मूल विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि चूंकि यह भवन उस विधेयक पर पहले ही विचार कर चुका था जब यह प्रवर समिति को गया तो उसमें अधिक समय भी न लगना चाहिये और इस समय इस बात की अनुमति दे कि इस पर विचार आरम्भ किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा यह प्रस्ताव है कि यह विधेयक फिर से सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। हालांकि ज्वांइट कमेटी ने कुछ सुधार ऐसे किये हैं जोकि सुन्दर हैं, लेकिन इस विधेयक में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यों के त्यों छोड़ दिये गये हैं इसलिये आवश्यक है कि इसको फिर से सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ताकि वहां पर इन तमाम बातों पर विचार हो सके। यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बारे में हमारी सरकार यदा कदा घोषणा करती रहती है और सभी मानते हैं कि उनको आटोनामी

मिलनी चाहिये। इस विधेयक के संबंध में मुझे यह कहना है कि इसमें ऐसी धाराओं का भी संशोधन हुआ जिसमें चान्सलर की नियुक्ति का भी सवाल उठाया जा सकता है। अभी आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जब कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने खुद अपने विचार प्रकट किये हैं कि उस सूबे का गवर्नर ही वहां की यूनिवर्सिटी का चांसलर हो यह हटा देना चाहिये। तो ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रथा को बदला जाय। और इस विधेयक की धारा ८ में संशोधन किया भी गया है जो चांसलर से संबंध रखती है। तो जरूरत यह है कि फिर से इस विषय को लिया जाय और इस पर विचार करके यूनिवर्सिटीज के चांसलर की नियुक्ति के बारे में भी एक ऐसी व्यवस्था की जाय कि आटोमेटिकली जो सूबे के गवर्नर हों वह चांसलर न हो जायं बल्कि चांसलर ऐसे हों जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हों और जो कम से कम राजनीतिक पार्टियों के झगड़े में न पड़ कर के यूनिवर्सिटी के संगठन में, ऐडमिनिस्ट्रेशन में असर न डाला करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में स्वराज्य होने के बाद गवर्नर्स की नियुक्ति के संबंध में जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स होते हैं, आम तौर पर यही व्यवस्था रखी गयी है कि प्रेसीडेंट महोदय की तरफ से सिर्फ पुराने कांग्रेसमैन ही सूबों के गवर्नर रखे गये हैं। इसके लिये कोई एजुकेशनिस्ट होना या और कोई योग्यता रखना कोई कैद नहीं है, कोई भी हो सकता है। उस संबंध में कोई भी सुधार नहीं किया गया है बल्कि कांग्रेसमैन को कहीं न कहीं पर जगह देनी है इसलिये एक रूल सा बन गया है कि कांग्रेसमैन ही सूबों के गवर्नर होंगे। राजा सर महाराज सिंह का एक केस जरूर अलग था लेकिन वह शायद हटाये इसीलिये गये कि वह पूरे कांग्रेसमैन नहीं थे। तो इस सूरत में इस बात की संभावना है कि जब गवर्नर ही किसी सूबे का चांसलर हो तो वह उस पार्टी की राजनीति में हिस्सा ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, काफी टीका टिप्पणी हमारे वर्तमान चांसलर महोदय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं की अभी हाल ही में हुई और हमारा यह पूरा विश्वास है कि अगर आज चांसलर कांग्रेसमैन न होते तो इस तरह से जो पुलिस को धांधली करने का अधिकार दिया गया वह न दिया जाता। तो ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, एक पासिंग रिफरेंस दे देना मैंने जरूरी समझा।

वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में उसकी नियुक्ति चांसलर नहीं करते हैं बल्कि एक कमेटी है जो नियुक्ति करती है। मुझे आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के जो इस ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमटी के चेयरमैन थे वह कम से कम कुछ सुधार तो अवश्य ही उसमें करेंगे लेकिन वह ज्यों का त्यों रख दिया गया है कि चांसलर ही वाइसचांसलर की नियुक्ति करेगा। दूसरी बात जो देहली के पैटर्न पर हो सकती थी कि एक कमेटी बना दी जाय जिसमें एक चांसलर के प्रतिनिधि हों और एक यू० पी० पी० एस० सी० के प्रतिनिधि हों और एक दूसरी यूनिवर्सिटी के चांसलर हों, इन तीन आदमियों की एक कमेटी बना कर उनसे वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में . . .

श्री हरगोविन्द सिंह––अध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष––कहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह––मुझे एक वैधानिक आपत्ति करना है। मैं आपको असेम्बली रूल्स के नियम १०६ की याद दिलाता हूं जिसमें लिखा है––

106. There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions as the case may be, shall be put.

[श्री हरगोविन्द सिंह]

(इस प्रकाय पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर विवाद न होगा अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायेगा या किये जायेंगे।)

उसके अनुसार उनको अपने अमेंडमेंट के साथ एक ब्रीफ स्टेटमेंट ही प्रस्तुत करना चाहिये, लेकिन माननीय सदस्य व्याख्यान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--यह आपत्ति ठीक है। मैं समझता हूं आप केवल यह कहें कि आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में क्यों भेजना चाहते हैं। वह भी आप मुख्तसिर में कहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह समझता था कि पुनर्निदिष्ट करने के लिये काफी कारण बताने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपकी रूलिंग होने के बाद...

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा है कि आप मुख्तसिर में कारण बता सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इस बिल में होस्टल्स, ऐफिलीऐटेड कालेजेज आदि के बारे में अधिकार दिये गये हैं और वे भी ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में रखे गये हैं। सत्ता विकेन्द्रीयकरण और यूनिवर्सिटीज की अटोनोमी के ख्याल से जितने भी ऐफिलीएटेड कालेजेज हैं......।

श्री अध्यक्ष--आप सजेशन्स न दें। आप यह कह सकते हैं कि पुनर्विचार होना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसके बारे में भी सरकार ने जो सुझाव रखा है वह ठीक नहीं है। अच्छा तो यह होता कि यूनिवर्सिटीज को जांच करने का मौका दिया जाता। इसके अतिरिक्त, कार्य समिति का जो निर्माण हुआ है......

श्री हरगोविन्द सिंह--स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य इस बात पर बहस नहीं कर सकते कि क्या-क्या संशोधन इसमें किये जायं या किये गये हैं। वे केवल इसी बात पर कह सकते हैं कि यह बिल ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को क्यों भेजा जाय। क्या चीजें विचार करने से रह गयी हैं। इस पर वे कह सकते हैं लेकिन जो धारायें इस बिल में हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि टीका टिप्पणी का समय जब बिल धारावाही चलेगा, उस समय उनको मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--आपने एक संशोधन पेश किया है कि इस बिल को फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट किया जाय। यह क्यों किया जाय, आप इसके लिये कारण बता सकते हैं, आप उन कारणों की फेहरिस्त बना सकते हैं कि इन इन विषयों के ऊपर विवाद है, इसलिये हम यह आवश्यक समझते हैं कि इस पर इस समय विचार न किया जाय और इसको फिर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। लेकिन आप इसके औचित्य और अनौचित्य के ऊपर कि यह धारा सेलेक्ट कमेटी से क्यों मंजूर की गयी, उसका विरोध प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसके बारे में आप कोई सुझाव नहीं दे सकते। उसका समय वह होगा जब कि हर एक धारा पर विचार होगा। अतः इसको वापिस क्यों किया जाय इस विषय में केवल आप अपने विचार प्रकट करें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन पर कि यह विधयक फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय बोल रहा था। उस समय मैंने यह बतलाया था कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के मामलों में ऐसे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिये हैं जिनका लेना आवश्यक नहीं था। यूनिवर्सिटी अधिनियम के साथ यह जरूरी था कि अगर कोई गड़बड़ी होने की जानकारी हो तो उस समय यूनिवर्सिटी अथारिटीज़ को इस बात के लिये मौका दिया जाय कि वह अपने यहां के जितने ऐफीलियेटेड कालजेज़ हैं, उनकी इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट भेजें, लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया गया। यह भी विषय यों ही अछूता रह गया।

दूसरी बात जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल है उसके कंस्ट्रक्शन से संबंध रखती है। पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल १९ आदमियों की थी लेकिन अब ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ने इसकी संख्या २१ कर दी है, लेकिन मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि जब एक चांसलर के नामजद ४ आदमी हैं और वाइस चांसलर को लेकर पांच आदमी हैं तो हजारों अध्यापक जो हैं उनका एक भी नुमाइन्दा उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नहीं है। यह ऐसी भारी कमी है जिस पर मुझे ताज्जुब है कि सेलेक्ट कमेटी की नजर क्यों नहीं पड़ी और यह ऐसा आवश्यक विषय है जिसको फिर से कंसीडर करना चाहिये। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी के ५ मेम्बर होंगे। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ३ मेम्बर होंगे। तीन मेम्बर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हों यह नामुनासिब बात है। इस प्रकार से गैरजरूरी इन्टरफियरेंस नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से उसका संगठन करना त्रुटिपूर्ण है इस कारण इसको दूर करने की आवश्यकता है।

तीसरी बात जो इसमें रखी गयी है वह यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी में आगे ऐसे कालेजेज एफ़िलिएट नहीं हो सकेंगे, जो इन्टरमीडियेट एक्जामिनेशन के लिये विद्यार्थी तैयार करते हों। इसके अलावा सब से बड़ी बात जो उसमें की जा रही है वह यह है कि जितने इन्टरमीडियेट कालेजेज थे और ऐसे कालेजेज हैं जिनमें इन्टरमिडियेट के विद्यार्थियों की पढाई होती है उनको एक साल के लिये मौका दिया गया है। वह पढ़ने वाले लड़के ५५ में ऐडमिशन लें और ५६-५७ में उनका इक्जामिनेशन हो तो वह साल भर तक ही वहां पर रह सकेंगे। लेकिन श्रीमन् आगरा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे हमारे यहां के बहुत से कालेजेज जो हमारे प्रांत के कोने-कोने में फैले हुये हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। एक तरफ सरकार यह कहती है कि फाइनेंस की कमी है और एजुकेशन में फाइनेंस नहीं कर सकते। जब कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट की मांग आती है तो बहाना करके टाल दिया जाता है, लेकिन इन्टरमिडियेट कालेजेज की जो इन्कम होती है उसकी पूर्ति के लिये इस विधेयक में कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर सेंट जोन्स कालेज या बलवन्त राजपूत कालेज या आगरा कालज पर अगर यह विधेयक लागू किया जाता है तो क साल के बाद हजारों विद्यार्थी बेकार हो जायेंगे। उन कालेजेज ने हजारों रुपया खर्च करके यह सामान बनाया है। इससे उनका हजारों रुपये का नुकसान हो जायगा। टीचरों पर भी इसका असर पड़ेगा और बहुत से आदमी अलग कर दिये जायेंगे। ऐसे टीचरों को अलग कर दिया जायगा जो इन्टरमिडियेट क्लासेज को पढ़ाते थे और जिनका ग्रेड १५० से २५० होता है। जो किसी एग्रीमेंट से नियुक्त किये गये हैं और ८-१० साल और काम कर सकते थे, उनके एग्रीमेंट को फिर से रिवाइज करके रिग्रेड करना और उनकी तनख्वाह कम कर देना नामुनासिब है। यह जबरदस्त त्रुटि रह गयी है और इस पर फिर दोबारा सेलेक्ट कमेटी में विचार किया जा सकता है।

इसी प्रकार से सेलक्शन कमेटी का इन्तजाम है। जो भी नियुक्ति होगी उस पर सेलेक्शन कमेटी विचार करेगी और उसके मुताबिक ही नियुक्तियां होंगी उनको रिव्यू करेगी। इस तरह से इसमें खतरा है और इसमें बहुत से आदमियों की हत्या होगी। कितने ही आदमियों को

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

निकाला जायगा और यह काम उसूलों की बुनियाद पर मुनासिब नहीं है कि अब एक मर्तबा वह रखे जा चुके तो कम से कम ६-७ साल तक का प्राविजन आज है, तो ६ साल तक तो वह रहेंगे। तो अब उनके अप्वाइन्टमेंट पर फिर से विचार किया जाय और उनको निकाल दिया जाय या फिर से अप्वान्ट किया जाय इससे एक बड़ा भारी असंतोष होगा और इससे टीचर्स में एक बड़ी निराशा फैली हुई है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी इस बात को कैसे नजरअन्दाज कर गई।

इसके अलावा जो ३६ धारा इस बिल की है कि एक साल के अन्दर जितने भी सुधार, परिवर्तन और संवर्द्धन आदि स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छानुसार करना चाहती है वह करे, यह अध्यक्ष महोदय, ऐसी धारा नहीं होनी चाहिये। एक तो एक साल का टर्म जो है वही नामुनासिब है। इसके अलावा ऐसे अधिकार एक साल तक शिक्षा मंत्री जी या स्टेट गवर्नमेंट को देना नामुनासिब है। एक साल में कई मर्तबा विधान सभा की बैठक भी होगी, जो चीजें वह एडाप्टेशन वगैरह के तौर पर लाना चाहते हैं उसकी स्वीकृति लेजिस्लेचर से ली जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और भी डेफिश्येंसी जो इस बिल में रह गई है वह यह है कि आर्डिनेंसेज, रेगुलेशंस और स्टेट्यट्स बनेंगे। अभी-अभी जिक्र आया था जमींदारी उन्मलन कानून के संबंध में वहां यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी रूल्स वगैरा बनेंगे, वह लेजिस्लेचर को दिखला दिये जायंगे और उसके बाद उसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें इतने जबरदस्त अधिकार जैसे सिनेट कांस्ट्रक्शन का, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के कांस्ट्रक्शन वगैरह का, उसमें कितने रिप्रिजेंटेटिव वगैरह हों इन सबके संबंध में अगर इसकी व्यवस्था हो जाय कि वह लागू तो हो जायं, लेकिन ज्योंही विधान सभा की बैठक हो उसके सामने पेश करके उसकी स्वीकृति ले ली जाय, तो एक उसूली बात हो जायगी। ये चन्द ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें अगर यह सुधार हो जायगा तो यह बिल सही मानों में एक सुधारात्मक बिल हो जायगा जैसी कि शिक्षा मंत्री जी और सरकार की मंशा है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं। हमारे सामने इस वक्त ज्वाइन्ट सलक्ट कमेटी की रिपोर्ट है और इस सदन के नियम के मुताबिक इस बिल के ऊपर सामान्य रूप से बहस नहीं की जा सकती। जो संशोधन यहां रखा गया है उसमें यह कोशिश की गई है कि फिर सामान्य रूप से इस विधयक क संबंध में कहा जाय। मेरा निवेदन है कि यह उचित नहीं है। जितनी बातें माननीय रामनारायण जी ने कहीं हैं वह करीब-करीब जो डिसेंटिंग नोट है उसमें आ गई हैं और वह विषय ऐसे हैं, जो इस बिल से संबंध रखत हैं और अब जब यह बिल इस सदन के सामने एक-एक खंड के रूप में आयेगा तो इन सभी बातों पर उस समय अच्छी तरह से विचार होगा। यह कहना कि जो कुछ कहा गया है वह कोई नयी समस्या है, यह गलत है। यह अवश्य है कि कुछ लोगों की राय में, जो विधेयक के अन्दर कहा गया है वह ठीक नहीं है। बहुमत तो विधेयक के अन्दर आ गया। अल्पमत वालों ने अपना डिसेंटिंग नोट रखा है अब फिर सिर्फ उन्हीं बातों को दुहराया गया है और अब फिर यह चेष्टा करना कि यह विधेयक फिर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को चला जाय कोई अर्थ नहीं रखता। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं बल्कि इससे सदन का समय ही नष्ट किया जा रहा है। मैं फिर रामनारायण जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें क्योंकि उन्होंने जितनी बातें एक-एक करके दुहरायी हैं वह सभी डिसेंटिंग नोट के रूप में आ गई हैं और उन सब बातों पर यह सदन अच्छी तरह से विचार करेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है जिसे मैं सुबह से दो बार उपस्थित कर चुका हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मंत्री जी वैधानिक आपत्ति न कहकर पहले ही खड़े हो गये इसलिये मैं भी खड़ा हूं। आप कहें उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं बैठ जाऊं, लेकिन उनके खड़े होने से मैं नहीं बैठूंगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है और उसे मैं सुबह से दो बार भवन के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं और चेयर से भी मूवर महाशय से कहा गया कि वह इस प्रकार की बहस इस अवसर पर नहीं कर सकते। इस पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और अब फिर इस प्रकार का संशोधन आया है कि वह फिर से प्रवर समिति में जाय। इसके बारे में दफा १०६ में स्पष्ट है कि इस अवसर पर कोई डिबेट नहीं होगा। उस में है कि--

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions, as the case may be, shall be put."

(इस प्रकार पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा, अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा, या किये जायेंगे,

तो इस प्रकार कोई लम्बा वादविवाद यहां नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण--जो वैधानिक आपत्ति माननीय मंत्री जी ने उठाई उसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। दफा १०५ की जो लाइंस हैं उन को मंत्री जी यदि पढ़ें तो नियम के अन्दर मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि केवल एक ही सदस्य आपत्ति कर सकता है, कोई भी मेम्बर कह सकता है कि वह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, वह राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री मदन मोहन उपाध्याय कोई भी कह सकता है, श्री शिवनाथ काटजू साहब भी कह सकते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बेकार में इस तरह की टेक्निकेलिटी, नाइसिटी (कानूनी बारीकी) में न जायं। इस गम्भीर प्रश्न को फिर से मैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करता हूं कि वह इसे वहां जाने से न रोकें क्योंकि शिक्षा के गिरे हुये स्तर को और अनुशासन की कमी को सामने रख कर ही यह बिल लाया गया है और अब इस समय इसमें किसी तरह की कमियां और खामियां न रहनी चाहिये। हर समय अल्पमत और बहुमत को ही दृष्टिकोण में न रखकर जो जस्ट (उचित) चीज हो उसे भी देखना चाहिये। अल्पमत में तो हम हमेशा से ही हैं। अगर यही समझ लें तो हमें कुछ कहना ही न चाहिये, यह मैं काटजू साहब से कह रहा हूं। जो सदस्य यहां कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आये हैं वह आज की बदली हुई परिस्थिति पर विचार करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो हाल का रिजोल्यूशन है और स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो प्रस्ताव का मसविदा पेश किया था उसमें उन्होंने भी इस बात की ओर संकेत किया है कि शिक्षा संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप न रहना चाहिये और उसमें यह भी इशारा है कि वहां के पदाधिकारी सरकारी लोग न हों। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जायं और मुझे विश्वास है कि वहां इस पर गौर होगा और हमें भी अपनी बातें रखने का मौका रहेगा। शिक्षा के विशेषज्ञ जो हैं वह भी चाहते हैं कि इसमें कुछ और तरक्की की जाय इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा और इस बात का समर्थन करूंगा कि फिर इसे सेलेक्ट कमेटी में विचार के लिये भेजा जाय और एक दिन बैठ करके सिलेक्ट कमेटी के अन्दर इस पर फिर विचार कर लिया जाय। आप श्रीमन् इस बात को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसको हम यहां मनवाना चाहते हैं उस बात को मानने में माननीय मंत्री जी को बहुत कुछ दिक्कत होती है। खास कर आज की परिस्थिति में तो प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का सवाल उठ जाया करता है। मगर सिलेक्ट कमेटी में हमारा विश्वास है कि जब हम बौद्धिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से, अपनी बातों को रखेंगे तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को और दूसरे लोगों को, माननीय सम्पूर्णानन्द जी को, माननीय परिपूर्णानन्द जी को भी जिनको मैं चाहता हूं कि इस कमेटी

[श्री राजनारायण]

में रहें, अच्छी तरह से विचार करने का अवसर मिलेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी की सद्‌बुद्धि को अपील करूंगा और आज की व्यापक परिस्थिति की ओर मैं इशारा करूंगा, और इशारा करते हुये उनसे यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न केवल सरकार का या अपोजीशन का नहीं है। यह प्रश्न सारे राष्ट्र के जीवन से सम्बन्धित है। राष्ट्र का जीवन बदलेगा, बनेगा या बिगड़ेगा, इन तमाम से इस विधेयक का सम्बन्ध है। अगर यही विधेयक मौजूं माना गया, ठीक माना गया, जो आज परिस्थितियां छात्रों और छात्रों के अधिकारियों में पैदा हो गयी हैं उनका सामना करने के लिये यदि यही विधेयक है, तब दूसरी बात है, हम भी इसके सामने नत मस्तक होंगे। लेकिन जैसा कि काटजू साहब और दूसरे कहा करते हैं कि उनका बहुमत है और विरोधी दल वाले अल्पमत में हैं, केवल दस बीस आदमी हैं वे क्या कर सकते हैं, यह बात उनके लिये शोभनीय है। उनको इसका घमंड करना चाहिये। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अल्पमत और बहुमत को यहां पर ध्यान में न रखें और टेक्निकैलिटीज में न जायं। जो बातें हमारी ओर से प्रस्तुत की जा रही हैं उन्हीं बातों की ओर क्या कांग्रेस हाई कमांड ने इशारा नहीं किया है ? मैं समझता हूं कि किया है और किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कांड को ले करके। यह इतना बड़ा कांड हुआ है कि आज विद्वत जगत में सब लोग अपना-अपना दृष्टिकोण ऐडजस्ट (ठीक) करना चाहते हैं।

जब हम सिलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को पुनः ले जाने की बात करते हैं तो हमारे लिये लाजिमी होता है कि हम आपका ध्यान उन त्रुटियों की ओर आकर्षित करें जो इस विधेयक में रह गयी हैं। मैं विवाद के लिये कुछ नहीं कहना चाहता। फिर भी यदि मैं आपका ध्यान उन त्रुटियों की ओर आकर्षित नहीं करूंगा तो प्रवर समिति में इस विधेयक को पुनः भेजने की हमारी मांग कैसे उचित सिद्ध होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--यह नियम १०६ बिल्कुल साफ है। बहस के लिये मौका नहीं है।

श्री राजनारायण—मैंने खुद निवेदन किया कि मैं बहस करना नहीं चाहता, त्रुटियों की ओर इशारा करना चाहता हूं कि क्यों यह विधेयक प्रवर समिति में ले जाया जाय। मेरे दृष्टिकोण से आज जिस रूप में यह विधेयक है, उससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। आप श्रीमन्, इसको नोट कर लें कि मेरे दृष्टिकोण से सरकारी हस्तक्षेप से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। मेरे दृष्टिकोण से जिस रूप में इसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति है, जिस रूप में सिनेट का फार्मेशन (बनावट) है, जिस रूप में एक्जिक्यूटिव कौंसिल का फार्मेशन है, जिस रूप में फाइनेंस कमेटी का फार्मेशन है, जिस रूप में एक्जामिनर्स का स्वरूप निर्धारित किया गया है, जिस रूप में सलेक्शन कमेटी का स्वरूप निर्धारित किया गया है, यदि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति देखेगा तो वह यही पायेगा कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही मजबूती से हो रहा है। सरकारी हस्तक्षेप जहां भी शिक्षा संस्थाओं में होगा वहां जनतांत्रिक प्रणाली खतरे में पड़ेगी, जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं बन पायेगी, यह मेरा विश्वास है। इसलिये इन तमाम बातों को सामने रखते हुये मैं आपके द्वारा जितने माननीय सदस्य यहाँ हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे जजबे से अपना जजबा मिलायें और यह न सोचें कि विरोधी पार्टी की तरफ से एक बात आयी है, इसलिये इसको छोड़ दें। यह सवाल आज का नहीं है, कल का नहीं है, परसों का नहीं है, इस विधान सभा में बहुमत का भी प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सारे देश और प्रान्त का है। इसलिये इसको प्रवर समिति में ले जाना आवश्यक है। यदि प्रवर समिति में हम इसे ले जायेंगे तो मेरा विश्वास है कि

जितनी बातें और समस्याएं हम यहां पर उठा रहे हैं उन पर माननीय मंत्री जी जितना विचार वहां कर पायेंगे उतना यहां नहीं हो सकता, उतना यहां कर पायेंगे इसमें उनको खुद शक है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पुनः ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २ का संशोधन।

(१) खंड (*a*) के बाद निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(*aa*) 'Autonomous College' means an affiliated college declared as such by the University in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 24-A."

(२) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*bb*) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(*bb*) 'Ordinances' means Ordinances of the University made under this Act and for the time being in force".

(३) खंड (*d*) के बाद निम्नलिखित खंड (*dd*) के रूप में जोड़ दिया जायः—

"(*dd*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh"

(४) खंड (*f*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*f*) 'teacher' means a teacher of the University or a teacherof an affiliated college, and includes a Principal."

(५) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित नये खंड(*ff*) और (*fff*) के रूप में रख दिये जायं—

"(*ff*) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees;

(*fff*) 'teachers of the University' means persons employed by the University for giving instruction or conducting research;"

(६) खंड (*h*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*i*) के रूप में रख दिया जाय—

'(*i*) 'Working Men's College' means an affiliated College recognised by the University in accordance with sub-section (2) of Section 24-A

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक में यह संशोधन पेश करने जा रहा हूं कि खंड २ के उपखंड (४) द्वारा प्रस्तावित नये खंड (*f*) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'affiliated' के बाद शब्द 'Autonomous and working men' जोड़ दिये जायें।

मैं इस सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस विधेयक का मंशा है वह इन शब्दों के बढ़ा देने से बदलता नहीं है और मैं उम्मीद करूंगा कि यह संशोधन शिक्षा मंत्री जी मानने की कृपा करेंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह—इस संशोधन की कोई आवश्यकता इस कारण नहीं मालूम होती कि यदि माननीय सदस्य अफीलियेटेड कालेज और आटोनामस कालेज की डेफनीशन पढ़ें तो उससे स्पष्ट है कि वह अफीलियेटेड हो ही गया। इस वजह से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका जो मतलब इस संशोधन के लाने से है वह विधेयक में प्रस्तुत है ही।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (४) द्वारा प्रस्तावित नये खंड (*f*) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'affiliated' के बाद शब्द 'Autonomous and working men' जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय—

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

(*a*) have pursued an approved course of study in an affiliated college, or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arragement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor, or

(*b*) are tecachers in educational institutions under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*c*) are inspecting officers in the Department of Education of the Government of any part "A", "B" or "C" State, and fulfil the conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*cc*) being graduates, have served as whole-time librarians for a period of not less than three years in the University, or an affiliated college and fulfil such other conditions as may be laid down in the statutes, or

(*d*) have carried on (independent) research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*e*) are women who have carried on study privately under conditions laid down in the Statutes,

and have passed the examinations of the University under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Reguations.

Explanation.—The degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*d*) to (*e*) shall respectively be termed and be also stated in the relative diplomas as "internal' and 'external'.

(२) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(4) to institute certificates of proficiency, to make provision for instruction for and to grant such certificates, under conditions laid down in the Ordinances;"

(३) उपधारा (५) में शब्द "and Regulations" निकाल दिये जायं,

(४) उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'Lucknow' के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"or in the area that may, after the coming into force of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be included within the limits of a University established by law, except with the consent of the University concerned."

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि—

"मूल अधिनियम की धारा ४ में नई प्रस्तावित उपधारा (२) के खंड (*b*) तथा (*c*) को निकाल दिया जाय।"

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे प्रदेश में यह दशा है कि जहां तक हो सके ग़रीब जनता को सुविधा दी जाय परन्तु मैं यह देखता हूं कि इस विधेयक में अध्यापकों तथा निरीक्षकों को आज्ञा दी गई है कि वे प्राइवेट परीक्षा दे सकें और साथ ही साथ पुस्तकाध्यक्षों को भी यह आज्ञा दी गई है। जितने अध्यापक इस समय किसी भी संस्था में होंगे वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि हमारा वास्तविक कर्त्तव्य क्या है। वे अपनी परीक्षा के लिये ही किसी संस्था में जाते हैं और अपने वास्तविक कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। मैं प्रायः देखता हूं कि हाई स्कूल करने के पश्चात् स्कूलों में लोग जाकर प्राइवेट परीक्षायें उत्तीर्ण करते हैं। ये सुविधा दूसरे प्रकार से कुछ प्रतिबन्धों के साथ दी जाय तो अच्छा हो। इसलिये इस संशोधन से मैं चाहता हूं कि अध्यापक और निरीक्षक अपने कर्तव्य की अवहेलना न करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—क्या संशोधन चाहते हैं, इसकी कापीज तो हमें नहीं मिलीं।

श्री श्रीचन्द—मेरा संशोधन है कि उपखंड (*d*) और (*c*) इससे निकाल दिय जावें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध करता हूं। यह संशोधन बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सुविधा समाज की दीनावस्था को देखकर रखी गयी है। यदि कोई परिश्रम करके एम० ए० का इम्तहान पास कर लेता है तो कौन पाप या ब्लैकमार्केटिंग करता है ? मैं पूछना चाहता हूं। यह तो उसकी एबीलिटी और योग्यता की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां वे (e) को निकालना चाहते हैं....

श्री श्रीचन्द--वैधानिक आपत्ति है मुझे और वह यह कि मेरे संशोधन से (e) का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवनारायण--(c) ही सही। वह भी इसमें आ जाता है। लेकिन वीमेन भी तो टीचर्स हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है वह परीक्षा पास करके कोई गलत काम नहीं कर रहा है। गरीबी की वजह से होना तो यह चाहिये था कि इस देश में इनफेंट क्लास से यूनिवर्सिटी तक निःशुल्क शिक्षा हो और ऐसा संशोधन होता तो हम मान लेते। आपने उसको पेश नहीं किया कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। मैं श्रीचन्द जी से यह कहना चाहता हूं कि आपका यह संशोधन बिल्कुल अमान्य है और समाज का ध्यान रखते हुये और आने वाली संतान के हित की बात सोचिये।

"शिक्षक हौं सगरे जग को तिय, ताको कहा तू देत है शिक्षा।"

यह सुदामा ने कहा था। आप इस चीज को इगनोर न करें। भारत की नींव और उसकी ईंट उनके कंधे पर मौजूद है जो हमारे देश का निर्माण करेंगे और सुन्दर डिसीप्लिन कायम करेंगे। इसलिये उनके ऊपर नजर डालें। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर यह अर्ज करना है कि श्री शिवनारायण जी की बात को सुनने के बावजूद भी यह संशोधन पास किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आपने जिस दृष्टिकोण को सामने रखा वह ठीक नहीं है। वह ठीक है, उसमें भी दम है किन्तु मैं अर्ज करता हूं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उससे किसी न किसी का और कुछ न कुछ नुकसान होता ही है मसलन ३०२ कत्ल की धारा है उससे सबको फायदा होता है, कत्ल रुकते है और डकैतियां कम होती हैं, लेकिन कातिल को तो नुकसान होता ही है तात्पर्य कि कोई भी विधान जब बनेगा तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा ही। इसलिये जब कोई कानून बनाया जाता है तो देखा यह जाता है कि इससे ज्यादा आदमियों को फायदा होगा या ज्यादा आदमियों को नुकसान होगा। अगर ज्यादा आदमियों को फायदा होता है तो वह कानून बनाया जाता है।

मेरे दोस्त की जो धारणा है कि इससे लोगों का उत्थान रुकता है तो ठीक है, बात यह है कि हम टीचर्स के उत्थान को देखें या अनेक बच्चों के उत्थान को। हम कुछ आदमियों के फायदे को देखें या लाखों बच्चों के फायदे को ?

हुजूरवाला, मैं अर्ज करता हूं कि आजकल टीचर्स अपना सारा समय परीक्षा देने के लिये अपने पढ़ने में अथवा ट्यूशन वगैरा करने में लगाते हैं और वह स्कूल में तो महज तफरीह करने के लिये आते हैं। मैंने कई पाठशालाओं का मुआयना किया है। हर जगह मैंने मास्टर साहब से पूछा कि कापी में कहां गलती है आपके दस्तखत इस पर मौजूद हैं, किन्तु आपने गल्ती क्यों नहीं काटी। मास्टर साहब ध्यानपूर्वक देख गये लेकिन उनकी समझ में गल्ती नहीं आई जब मैंने उनको बतलाया तो कहने लगे कि गल्ती रह गई। इसी तरह से मेरे चुनाव क्षेत्र में एक साहब एम० ए० पास करके मेरे पास

आये और उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरी सिफारिश कर दीजिये जिससे मुझे भी पढ़ाने का काम कहीं मिल जाय। मैंने एम० ए० पास किया है। मैंने कहा कि मैं किसी की सिफारिश तो नहीं करता हूं, लेकिन आशीर्वाद देता हूं किन्तु योग्य व्यक्तियों को कभी-कभी उससे भी फायदा हो जाता है। कृपया आप अपनी बात मुझे लिखकर दे दीजिये। उन्होंने अंग्रेजी में लिखकर मुझे कागज दिया। मैंने कहा कि आप अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं। मैं तो हिन्दी जानता हूं। इस पर वह लगे अंग्रेजी में ही एक्सप्लेन करने। मैंने कहा कि क्या आप अंग्रेजी के लोभ में हिन्दी नहीं पढ़े? इस पर उन्होंने हिन्दी में अपनी बात १५ लाइनों में लिख कर मुझे दी जिसे मैंने पढ़ा। आप सच मानिये कि उसमें उन्होंने ९ गल्तियां कीं। मैंने कहा कि बतलाइये आपको कौन सी जगह दी जाय जब आपकी यह हालत है? मेरी राय मानिये तो बच्चों को एक साल पढ़ाना बन्द कर दीजिये और जो तेज मास्टर हैं वह कमजोर मास्टरों को पढ़ायें। आजकल के अधिकतर मास्टर खत भी नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि उनकी तबियत तो ट्यूशन्स या अपने पढ़ने में लगी रहती है। मैं उच्चाभिलाषा का विरोधी नहीं हूं किन्तु अपना ही काम करता हुआ व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है। बिना दर्जा पास किये भी केवल योग्यता पैदा करके एक साधारण नागरिक कल बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है। लेकिन यह धोखेधड़ी वाली बात ठीक नहीं है। इम्तहान देने के बाद नम्बर बढ़वाने के लिये कोशिश की जाती है क्योंकि यह तो मालूम ही हो जाता है कि पर्चे कहां गये हैं। लोग यह नहीं देखते कि बिना योग्यता के दर्जा पास करने का नतीजा क्या होगा। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो तो आपको यह सब रोकना पड़ेगा। अपने ही काम को करते हुये आदमी ऊंची से ऊंची तरक्की कर सकता है। इसलिये अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि पढ़ना मना कर दीजिये। वे बच्चों को पढ़ायें, पढ़ाने में अगर अच्छे होंगे, उन्हें कोई रोकता नहीं है स्टडी करने को लेकिन पढ़ाने के लिये ही पढ़ें तब तरक्की हो सकती है। लिहाजा अदब के साथ मैं अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। रोक दीजिये पढ़ना लड़कों का। जो लड़के फ़र्स्ट, सेकेंड आयें उन्हीं को आगे पढ़ने दीजिये तब तो आपको फ़ायदा होगा, वरना हुजूरवाला, यूनिवर्सिटी से जो लड़के पास करके निकलते हैं, माफ कीजियेगा, वे बुरा से बुरा काम कर सकते हैं। मगर हाथ से काम नहीं कर सकते। वे क्लर्की चाहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मेहरबानी करके टीचर्स को दूसरा काम न करने दिया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय शुक्ला जी का भाषण सुना और माननीय शिवनारायण जी का भी सुना। अभी माननीय शुक्ला जी ने जो कुछ कहा उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने बिल को शायद पढ़ा नहीं है। कुछ टीचर्स की उन्होंने बात की, कुछ इम्तहानों की की, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जो इंसपेक्टिंग स्टाफ के बारे में नीचे लिखा हुआ है (e) में। मुझे आज बड़ा दुख है कि मुझे माननीय शिवनारायण जी का इस मामले में साथ देना पड़ गया है कि जो संशोधन हमारे माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिवनारायण जी तो टीचर हैं ही, वह तो इस बात की कोशिश करेंगे ही कि टीचर्स को प्राइवेट इम्तहान देने का मौका मिलना चाहिये और स्टूडेंट भी हैं और बदकिस्मती से इस साल फेल भी हो गये हैं, लेकिन हम लोग तो यह चाहते थे और सेलेक्ट कमेटी में हम लोगों ने इस बात पर जोर भी दिया कि हम सिर्फ टीचर्स को ही नहीं बल्कि अगर और लोगों को भी शरीक कर सकें जिन्हें पढ़ने का शौक हो तो वे भी इम्तहान देना चाहें तो उन्हें मौक़ा मिलना चाहिये। आज मुझे बड़ा दुःख हुआ इसको सुनकर कि टीचर्स इंसपेक्टिंग स्टाफ और लायब्रेरियन को जो प्राइवेट

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इम्तहान देने का मौका मिलना चाहिये उसका विरोध हो रहा है। लेकिन उस विरोध का कारण क्या है यह अच्छी तरह से हम न समझ सके। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय शिवनारायण जी ने जो बातें कही हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री केशभानराय (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। शिक्षक वर्ग के बारे में जो यह बात कही गई कि अगर उनको परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाता है तो पढ़ाई में बाधा पहुंचती है, यह बात बिल्कुल ग़लत है। हमें यह याद रखना चाहिये कि यदि हम आगे पढ़ते हैं तो उससे हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि के साथ हम शिक्षक होने की अपनी योग्यता में वृद्धि करते हैं। यह नहीं हो सकता है कि हम उससे अपने शिष्य वर्ग का अहित करें। यह अवश्य है कि यदि रात में हम अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि बहुत कठिन मेहनत के कारण हम अपने क्लास में जाकर उतनी रीति पूर्वक पढ़ाई न कर सकें। ऐसा भी सोचा जा सकता है और सही भी है किन्तु यह कहना कि इससे जो हानि होती है वह परीक्षा देने वाले लाभ से अधिक है, ग़लत है। थोड़ी सी इस माने में थकावट आ जाती है कि रात को वह पढ़ता है लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी योग्यता अच्छी होती जाती है और अनायास ही वह क्लास में जाकर पढ़ा सकता है। फिर यदि उसमें योग्यता नहीं है तो क्लास में अधिक थकावट आयेगी, लेकिन अगर वह परीक्षा द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ा लेता तो उसको थकावट कम आयेगी। जब कोई परीक्षा में बैठता है तो हो सकता है एक दो वर्ष तक पढ़ाई में शिथिलता आ जाय लेकिन अंततोगत्वा शिक्षक अपनी पूरी वृत्तिकाल में जो लाभ विद्यार्थी को पहुंचा सकता है वह बहुत ज्यादा है और उसके सामने जो हानि होती है वह नगण्य है।

यह चीज तो अन्य पेशे वालों के बारे में कही जा सकती है और उसमें तत्व भी हो सकता है। कोई क्लर्क है अगर वह रात दिन पढ़ता है तो दिन में वह इतना सोचने विचारने का काम नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक के लिये पढ़ाना और परीक्षा देना दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाने वाले काम हैं। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को बल पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में संशोधन पेश करने वाले महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री श्रीचन्द जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस ले लें। मैं ऐसा समझता हूं कि आज भी हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो स्वतंत्र पेशा करते हुए अपने पढ़ने लिखने का काम जारी रखते हैं और उपयुक्त अवसर पर परीक्षा देकर डिग्री हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने की इच्छा हमारे देश में ज्यादातर लोगों को है क्योंकि खासकर नौकरी के मामले में डिग्री हासिल किये बग़ैर काम ही नहीं चलता। जो लोग पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वे काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकें ऐसी सुविधा उन लोगों को दी जानी अत्यन्त आवश्यक है। चाहे वह शिक्षक हो या क्लर्क हो सबको यह सुविधा दी जानी चाहिये। जहां तक शिक्षक का सम्बन्ध है वह तो अपनी योग्यता का इम्तहान भी ले सकता है और इस प्रकार से योग्यता बढ़ा कर अधिक योग्य साबित हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन या तो भ्रमवश लाया गया है क्योंकि मैं माननीय श्रीचन्द जी से यह उम्मीद करता हूं कि वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे

लोगों को सुविधा मिल सके जो लोग धन के अभाव में किसी चीज की प्राप्ति करने में अपने को असमर्थ पाते हैं और मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैसे लोगों के लिये तो उन्होंने रास्ता ही बन्द कर दिया है। अपने लिये भी बन्द कर दिया है और हमारे जैसे लोगों के लिये भी रास्ता बन्द कर दिया है। अगर हमारे मन में कभी आ जाय और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात की आवश्यकता समझें कि हम लोगों को भी कहीं जाकर डिग्री हासिल करनी चाहिये तो हमारे लिये फिर कहीं स्थान ही नहीं रहेगा। जहां जाकर हम डिग्री हासिल कर सकें। हालांकि मैंने अब इरादा छोड़ दिया है क्योंकि यहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी या और कोई माननीय मंत्री जी मुझे कभी-कभी कोई डिग्री दे दिया करते हैं। जिससे मैं आभूषित हुआ करता हूं और उसी से मैं सब्र कर लेता हूं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की डिग्री की इच्छा रखते हैं, मैं माननीय श्रीचन्द जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिये रास्ता खुला रहना चाहिये। कुछ सीमित क्षेत्र के लोगों के लिये ही यह रोक लगायी गयी है। जो संशोधन है उसे मुझे अच्छी तरह से देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है उससे मालूम होता है कि इसके अन्दर बहुत थोड़े से लोग आते हैं और वे बहुत ही हार्मलेस लोग हैं जिनको रोका जाता है। अगर कुछ ऐसे लोग होते जिनको रोकने से हमें भी आनन्द आता तो आप रोक देते लेकिन जहां बहुत हार्मलेस किस्म के लोगों को रोक कर आप उससे कोई लाभ नहीं उठाते हैं वहां एक रास्ता बन्द कर आप उनकी गरीबी को बढ़ाते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--वे हार्मलेस लोग कौन हैं?

श्री गेंदासिंह--जिनका जिक्र इस बिल के अन्दर है। हार्मलेस लोगों की फेहरिस्त के बारे में तो हम लोग अकेले में बात कर ही लिया करते हैं, लेकिन अगर श्री रामनरेश जी चाहेंगे तो हार्मलेस लोगों की फेहरिस्त मैं यहां भी दे दूंगा। तो इतनी बातें कहने के बाद मैं समझता हूं कि शायद श्री श्रीचन्द जी इस बात पर राजी हो जायेंगे कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि शायद यह संशोधन कुछ भ्रम के आधार पर इस भवन में पेश कर दिया गया है। खंड ३ का यदि अध्ययन किया जाय तो उसमें सिर्फ इतना ही है--

to confer degrees and other academic distinctions on persons who--

"(*b*) are teachers in educational institutions under conditions laid down in the statutes and ordinances, or"

मैं यह समझता हूं कि माननीय श्रीचन्द जी ने जो दलीलें दीं उससे मैं तो यह नहीं समझता कि उनको कोई आपत्ति इस बात से हो सकती है कि अध्यापकों को डिग्री न दी जाय। उनको आपत्ति हो सकती है उन कंडीशंस के ऊपर जो स्टेटच्यूट्स ऐंड आर्डिनेंसेज के अन्दर लेड डाउन की गयी हैं। वे कंडीशंस हमारे सामने नहीं हैं। उन्होंने यह बात कही कि आमतौर से जो अध्यापक इम्तिहान देते हैं उनके अध्यापन कार्य में कुछ शिथिलता आ जाती है। यह असम्भव बात है और अगर ऐसी बात है तो यह बात अवश्य है कि वह अध्यापक अपने कर्तव्य से थोड़ा सा हट जाता है और प्रबन्धक कमेटियों को इसे रोकना चाहिये, लेकिन जो अध्यापक ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपना अध्ययन करना चाहते हैं और कर सकते हैं और उनमें क्षमता है और समय है तो उनको उससे वंचित क्यों किया जाय?

[श्री नवलकिशोर]

इसी तरीके से माननीय शुक्ल जी ने बहुत सी बातें कहीं लेकिन उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि अध्यापकों को डिग्री मिले। उन्होंने तो आजकल का जो स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन है उसी को आपके सामने रखा और यह काफी हद तक ठीक है। इस सिलसिले में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात अवश्य कहूंगा जिसका सम्बन्ध टीचरों से है। असल में होता यह है कि आमतौर से लोग अपने आपको मसनूई तौर से किसी स्कूल में टीचर्स में अपना नाम रखवा देते हैं ताकि वह परीक्षा में बैठ सकें। तो मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि स्टेट्यूट्स ऐन्ड आर्डिनेंसेज की जो कंडीशन्स ले डाउन की जायं उनमें इसका अवश्य ध्यान रक्खा जाय, तो जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें शायद ऐसा कुछ प्रोविजन है कि जो अध्यापक ६ महीने से किसी स्कूल में कार्य कर रहा हो वही इम्तहान दे सकता है। मैं यह चाहता हूं कि उसकी अवधि बढ़ा दी जाय ताकि जो बोगस किस्म के लोग मसनूई तौर पर टीचर बन कर उससे फायदा उठाते हैं वे उससे फायदा न उठा सकें और इस विशेष सुविधा का मिस्यूज न हो सके और जहां तक अध्यापकों के कार्य का सम्बन्ध है उनका तो कर्तव्य ही निरन्तर अध्ययन करना है और अपनी योग्यता को बढ़ाना है। अतः उनको यह सुविधा अवश्य रहनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्रीचन्द जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मेरा सहारनपुर और गढ़वाल के दो तीन स्कूलों से प्रबन्ध सम्बन्धी वास्ता पड़ता है। मेरा पिछले दो तीन सालों का अनुभव यह है कि यदि प्रबन्ध और प्रिंसिपल महोदय ठीक रहें तो अध्यापकों को परीक्षा की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिये। पिछले साल में मेरे दोनों स्कूलों में यानी ज्वालापुर हाई स्कूल में भी और आर्य हाई स्कूल मायापुर में मैंने परीक्षा देने की सुविधा अध्यापकों को दी। मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह सुविधा अध्यापकों को अवश्य मिलनी चाहिये और खासकर उस हालत में जब कि वह ५० रुपये पर नियुक्त होता है और उसके पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं होता। परीक्षा की फीस मुश्किल से दे पाता है उसको इसलिये परीक्षा से रोक लिया जाना कि उसके पास पैसा नहीं है उचित नहीं प्रतीत होता। उनको उन्नति-पथ पर अग्रसर होने देने के लिये यही सबसे सरल तरीका है और इसलिये इस पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के अच्छे विचारों, सुन्दर सुझावों को जो कि इस अमेंडमेंट के मुताल्लिक प्रस्तुत किये गये सुना। मैं माननीय सदस्यों पर यह इम्प्रेस करना चाहता हूं कि यह हमें अवश्य देख लेना चाहिये कि यह अमेंडमेंट स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है या नहीं। अगर कोई अमेंडमेंट स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को जो अधिकार गारन्टीड् अन्डर दि कांस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर दखल-अन्दाजी करता है उसको नहीं मानना चाहिये। इस दृष्टिकोण से हमें इसको भी देखना है। जो भी स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक है उसको पूरा अधिकार अपना और अपने राष्ट्र के उत्थान करने का है और कोई ऐसा विचार या कानून अगर इस पर प्रतिबन्ध लगाता है तो वह विचार और वह कानून भी प्रगतिशील नहीं कहलाया जाना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। कोई भी विचारशील व्यक्ति हो जो कि निष्पक्ष भाव और इन्साफ का दृष्टिकोण रखता हो वह यही कहेगा कि इस प्रकार के अमेंडमेंट को इस सदन में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। जहां तक कि स्टैंडर्ड की बात है मैं समझता हूं कि गलत तरीके से वह बात कही गई है और शिक्षा व्यवस्था को कंडेम किया गया है। मैं समझता हूं कि यह तो यूनिवर्सिटी का काम है वहां की अथारिटीज का काम है कि वह अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा रखें और

कोई भी व्यक्ति जो उस टैंस्डर्ड को नहीं ला सकता उसमें वह नहीं आ सकता। लेकिन जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है वह लोग गरीब क्लास के लोग हैं। वह लोग किसी तरह से पढ़ लिखकर गवर्नमेंट सर्विस या एक्जीक्यूटिव पोस्ट्स में या दूसरे इम्तहानों में बैठकर नौकरी पा लेते हैं और जिनको कहीं नहीं मिलती वे कहीं शिक्षा विभाग में चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी और चाहे प्राइवेट मैनेज्ड स्कूल्स हों उनमें वह अपना दाखिला चाहते हैं। आप चाहते हैं उनके उस दरवाजे को भी बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह तो बिल्कुल गलत तरीका है। इसलिये मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, राज्य के भविष्य को देखते हुये अगर इस वक्त स्टैंडर्ड लो है तो वह जस्टीफाइड है। इसके लिये मैं सम्पूर्णानन्द जी को बधाई देता हूं। एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यू० पी० के अन्दर शिक्षा का प्रचार करने के लिये एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लो किया है। श्री आशुतोष मुकर्जी को सब जानते हैं उन्होंने कलकत्ता युनिवर्सिटी में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लो किया था। उसका कारण है और वह यह है कि गरीब लोगों को हम उसी स्तर पर लाना चाहते हैं जिस पर कि आज पैसे वाले लोग हैं। राज्य का उत्थान तभी हो सकता है जब सब बराबरी के साथ शिक्षा के उत्थान में लगें। ऊंचे स्टैंडर्ड को वही लोग पसन्द कर सकते हैं जिनके पास पैसा है और जो बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं और जो बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं यूनिवर्सिटी या कालेज में वही दाखला लेते थे, जो धन खर्च कर सकते थे। इसलिये मैं यह समझता हूं कि शिक्षा को पापुलर करने के लिये, राष्ट्र के विकास के लिये और शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने के लिये उस स्तर को लो करना है। तभी हम शिक्षा को ऊंचे उठा सकते हैं। शिक्षा के गुण, दोष पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये और यह उचित भी नहीं है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जिन साहब ने इस अमेंडमेंट को यहां पर उपस्थित किया है वह इसको वापस ले लें क्योंकि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना हमारे राष्ट्र के लिये गलत होगा। अगर इस प्रकार की बात एन्लाइटेन्ड लोगों के सामने आती है तो यह हमारे सदन के लिये एक अपमान की बात होगी।

श्री रामनरेश शुक्ल---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो श्री श्रीचन्द जी के संशोधन को पूंजीवादी विचारों का प्रतिनिधि समझता हूं क्योंकि जिस समाज के अन्दर डिगरियों को पाने के लिये यह प्रतिबन्ध लगे और केवल पैसे वाले लोगों को ही यह साधन मिलता है मैं समझता हूं कि वह समाज रहने के काबिल नहीं है और आज का जो समाज हम देख रहे हैं और आज जो खराबी हमारी शिक्षा संस्थाओं की है उसका केवल कारण यही है कि रुपये वालों के लिये ही साधन है। थोड़ी सी रोशनी यह थी कि शिक्षा संस्था कायम करके कोई भी गरीब आदमी का लड़का आगे जा सकता है तो उसको बन्द करने के लिये यह संशोधन यहां पर पेश किया गया है। तो ऐसे भयंकर बिल्कुल खतरनाक संशोधन का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है वह इस भवन के लिये उचित ही था और उसकी ऐसी ही सेवा होना चाहिये थी।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है जैसा कि दीनदयालु जी ने कहा मेरा भी सम्बन्ध दर्जनों शिक्षा संस्थाओं से है। मैं किसी अपने स्वार्थवश यह नहीं कह रहा हूं कि वहां पर शिक्षा स्टैंडर्ड की है परन्तु मैं यह देखता हूं कि वहां पर स्टैंडर्ड घटा नहीं है। वहां पर शिक्षक भी पढ़ने में लगे हुये हैं लेकिन किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ा। मैं रावत जी से और श्रीचन्द जी से सहमत नहीं हूं कि स्टैंडर्ड को लो कर दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल

मुझे यह मालूम भी नहीं है कि कहीं डा० सम्पूर्णानन्द ने स्टैंडर्ड को लो किया है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि अगर प्रतिबन्ध लगाना है तो इस प्रकार की सारी प्रणालियों पर प्रतिबन्ध लगाना है कि थर्ड क्लास के लड़के आगे नहीं जा सकते, चाहे वह अध्यापक के लड़के हों, कलेक्टर के लड़के हों या पूंजीपतियों के लड़के हों। यह तो विचार की बात है जो इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखती। इससे सम्बन्धित तो केवल यह बात है कि अध्यापकों के लिये यह प्रतिबन्ध रखा जाय या नहीं। जिस प्रकार से लोगों ने और मैंने इसका विरोध किया उसको देखते हुए मुझे आशा है कि माननीय श्रीचन्द जी अपने संशोधन को वापस कर लेंगे।

श्री श्रीचन्द--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही सुना कि मैं जनता का हितकारी नहीं हूं बल्कि पूंजीपति हूं। मुझे अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं गरीब किसानों और मजदूरों का पूरा साथी हूं और यदि आप आगे देखें तो मेरा एक संशोधन है उससे साफ हो जायगा और हमारे मित्रों को ज्ञात हो जायगा कि मैं गरीब किसानों और मजदूरों के हित के लिये ही यह कह रहा हूं। इस विधेयक में से मेरे संशोधन के अनुसार (B) और (C) निकाल दिये जायंगे तो इससे हित ही होगा कोई अहित की बात नहीं है। मैं फिर आपके सामने दोहराता हूं कि मैं भी एक पक्का किसान हूं और किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि किसी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन कर ही काम सम्पन्न हो जाय बल्कि मैं तो किसान मजदूरों का हित चाह कर चलने वाला हूं और अगर मेरा अगला संशोधन मान लिया जाय तो शंका दूर हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि गरीबों का हित करना है और पूर्णतयः अध्यापकों को शिक्षा में लगाना है तो उन्हें प्राइवेट परीक्षा देने का अवसर न देना चाहिये। आप भी अध्यापक चाहे रहे हों मैं भी अध्यापक पद पर रहा हूं और स्कूलों तथा कालेजों का मैनेजर और सहायक हूं और जब भी मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी में जाता हूं तो वहां हर एक स्कूल में जाकर लड़कों को देखता और समझता हूं और प्रायः देखता हूं कि अध्यापक अपनी पुस्तकें कक्षा में पढ़ा करते हैं यह कोई हित की बात नहीं है बल्कि इससे शिक्षा का सत्यानाश होता है। मैं नहीं चाहता कि हम शर्मा शर्मी या मिनिस्टर साहबान को खुश करने के लिये यहां दूसरी बात कह दें। जब तक हम यहां सच्ची बात न रखेंगे तब तक देश का और शिक्षा का उद्धार नहीं हो सकता, आज यहां चाहे अध्यापकों की या निरीक्षकों की बात हो, परन्तु हर समय हमें सही बात यहां रखना है। यदि वह कक्षाओं में बैठकर बी० ए०, एम० ए० की तैयारी करेंगे तो किस तरह से वह बच्चों को पढ़ा सकेंगे? मैं फिर कहता हूं कि वे स्कूल के समय में अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं तो इस प्रकार से किस तरह से मजदूरों किसानों का हित हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से उनका अहित हो। मुझको तो यह बात स्वप्न में भी नहीं आ सकती। मैं चाहता हूं कि हमारे गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे योग्य बनें और जो पूंजीपति हैं, धनवान हैं उनके बच्चों से आगे बढ़ें और प्रतियोगिता में वह मुकाबिला करके आयें। आप मानेंगे कि सब जनता देहात में कहती है कि फलां मिनिस्टर या फलां मेम्बर है या सेलेक्शन बोर्ड का मेम्बर है। भाई, वह तो अपने बच्चों को रखेगा, अपने ही बच्चों को नौकरी देगा। मैं कहता हूं कि यह चीज गलत है। जब कि हमारे बच्चे पढ़े नहीं हैं, और पढ़ेंगे नहीं बल्कि उनको पढ़ाने वाले कोई नहीं हैं, कोई उनका ध्यान नहीं रखता है, देखता भालता नहीं है तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमारे बच्चे कम्पीटीशन में आकर ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जायं। तो उसको चाहे मानें या न मानें, यहां तो कुछ देखा देखी बात चल रही है, मैं इसको

पसन्द नहीं करता। वास्तविक बात तो यह है कि यह संशोधन मानने योग्य है और इसको सदन को मानना चाहिए। मैं श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सभी सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप गहराई से इस पर विचार करें तो यह मानने के योग्य है। जो हित इसके अन्दर गरीबों का है, गरीबों के बच्चों का है, किसान और किसानों के बच्चों का है वह छिपा नहीं है। मेरे मित्रों ने यह कहा कि वह प्राइवेट स्टडी करते हैं और पढ़ाने के समय में हर्जा नहीं होता, आपने यह भी कहा कि रात को वह पढ़ते हैं और दिन में उनको स्कूल या कालेज में पढ़ाने का मौका मिलता है, मैं स्वयं देख चुका हूं, मैं भी एक विद्यार्थी रह चुका हूं, मेरे गुरु भी थे जो रात-रात भर स्टडी करते थे, जो पाठ उनको अगले दिन पढ़ाना होता था और वह दूसरे दिन आकर पूरे तरीके से हमको पढ़ाते थे। मैंने आज एम० ए० एल० टी० और बी० ए० एल० टी० को देखा है कि उनका प्रोनंसियेशन (उच्चारण) गलत है। वह पढ़ाना नहीं जानते। वह क्लास में गलत स्पेलिंग (हिज्जे) लिखते हैं क्योंकि वह स्टडी करके नहीं आते, इस वास्ते कि उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता, वह उसी में लगे रहते हैं। यह बात कही जाती है कि एक छोटी क्लास को पढ़ाने के लिये ज्यादा स्टडी की आवश्यकता नहीं। यदि आप एक योग्य टीचर, अध्यापक देखना चाहते हैं तो स्कूलों में चाहे किसी क्लास का कोई अध्यापक क्यों न हो, जब तक पूरे तरीके से स्टडी करके वह न आये वह ठीक से नहीं पढ़ा सकता। नये-नये अंग्रेजी के शब्द लीजिये, हिन्दी के लीजिए, उनका जो रेफरेंस इधर-उधर सन्दर्भ रखना है, जब तक वह पूरे तरीके से उन चीजों को बच्चों को न पढ़ाया जाय लाभ नहीं, यही नहीं, एक-एक पाठ को लेकर उसका अर्थ और शब्दार्थ जब तक पूरे संदर्भ के साथ न समझाया जाय जिससे कि बच्चे का साधारण ज्ञान बढ़ता जाय तब तक मैं उसे पढ़ाना नहीं समझता।

साधारण विज्ञान का जो विषय रखा गया है यदि इस तरह से पढ़ाया जाय तो मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता न हो और कुछ वर्षों के पश्चात् ही हमारे देश में वह वातावरण पैदा हो जाय कि हम दुनियां में सर्वोच्च या सुधरे हुए दिखाई दें। यदि इस प्रकार से हम देखा-देखी बात करते हैं तो कोई लाभ नहीं होने वाला है और उपाध्यक्ष महोदय हम गिरते ही चले जायंगे और उन्नति नहीं करेंगे। मेरे भाइयों ने यह बात कही कि दुबारा इस विधेयक को सेलेक्ट कमटी में भेज दिया जाय। बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि मैं उनमें बहुत त्रुटि देखता हूं और यदि गहराई तक पहुंचा जाय और यह न सोचा जाय कि जो विधान पहले से बने हुए थे उसी को कांट-छांट में लगे रहें क्योंकि यदि शब्दों के कांट-छांट में लगे रहेंगे तो जो उन्नति हम करना चाहते हैं वह न कर पायेंगे। इस विधेयक में हमने जो कुछ रखा है वह वास्तविक बातें नहीं हैं बल्कि हमने तो एक शब्दों का जोड़-तोड़ इसमें किया है। इसलिये शब्दों के जोड़-तोड़ की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक बातों के जोड़-तोड़ की आवश्यकता है। वास्तविक बातों को देखिए और इन सब कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार कैसे हमारा उद्धार होगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि दिन पर दिन हम नये-नये विधान, नयी-नयी धारायें और नये-नये क्लाजेज बनाते रहते हैं। हम यह देखें कि कौन-कौन से विधान ऐसे हैं जो हमारी राह में रुकावटें डाल रहे और हमारा कर्तव्य यह है कि उन विधानों को एक तरफ कर दें और छोटे-छोटे कानून बनायें कि जिनसे जनता का हित हो, जनता के लाभ की चीजें हों। हमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य यहां पर हैं और माननीय मंत्रीगण हैं, उनको अपने विचारों पर नहीं चलना है बल्कि पहल हमको तो जनता के विचारों पर चलना है। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि हम अपने विचारों के अनुसार कानून बना करके चलें, तब तक हम कदापि सफल नहीं हो सकते और न जनता का हित हो सकता है। सब से पहले हमें जनता के विचारों को देखना है कि जनता किधर जा रही है। जनता के विचारों के अनुसार हमें अपने

[श्री श्रीचन्द]

विचार बनाने हैं। अब मैं इस पर अधिक न कह कर समाप्त करता हूं और मैं अपने मंत्री महोदय से आपके द्वारा अनुरोध करता हूं कि यदि इस समय इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो फिर कोई अवसर संशोधन करने का वे लायें तो अच्छा हो जिससे जो बातें मैंने बतायीं वे की जा सकें और ग़रीब किसान-मजदूरों का हित, वह संशोधन द्वारा कर सकें।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से संशोधन पर जो वाद-विवाद हुआ उससे मैं ऐसा समझता हूं कि यदि माननीय सदस्यों ने इस बिल का अध्ययन किया होता तो शायद बहुत सी बातें जो इस समय कही गयीं उनकी आवश्यकता न होती। इसमें किसी ने तो यह कहा कि वह पूंजीवाद है, किसी ने कहा कि समाजवाद है। चूंकि इस बिल के बनाने में मेरा हाथ है, मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उस समय न मेरे सामने पूंजीवाद था और न समाजवाद था। एक सज्जन ने हमारे पूर्व अधिकारी की तारीफ करते हुए यह कहा कि उन्होंने यू० पी० में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बड़ा लो कर दिया और इसके लिये उन्होंने धन्यवाद भी दिया। मैं समझ नहीं सकता कि कहां तक यह सही है। अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड किसी भी कारण से लो किया जाता है, तो आप विश्वास मानिये कि उससे जनता का किसी भाग में लाभ होने वाला नहीं है, चाहे वह ग़रीब हो, चाहे वह अमीर हो। जब आप यह चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालयों से जो व्यक्ति निकलते हैं, वे आपके शिक्षक बनें, आपके बालकों की शिक्षा उनके हाथ में हो, या वे आपके दफ्तरों में या और नौकरियों में लग करके काम करें, तो यही आवश्यक है कि आप उनकी शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा रखें कि वे अच्छी तरह से उस कार्य को कर सकें। अगर कोई व्यक्ति, जो कार्य उसको करना चाहिये, उस कार्य को भली प्रकार से कर नहीं सकता है, तो यह उसका ही कार्य नहीं है, यह तो राष्ट्र का कार्य है और उससे राष्ट्र का अपकार हो सकता है। तो इस छोटे से संशोधन में मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह कोई चीज नहीं थी। इसमें सन्देह नहीं है कि आज हमारे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसको रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये और हर एक व्यक्ति को करना चाहिये। लेकिन यह कह देना कि इस संशोधन को मान लेने से ही शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जायगा, यह युक्ति मेरी समझ में नहीं आयी वरना इसको मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।

एक तो आप इस संशोधन को इस पृष्ठ भूमि में सोचिये कि पहले से ही आगरा विश्वविद्यालय में ऐसा नियम है कि जो लोग शिक्षालयों में अध्यापक हों, जो शिक्षा से सम्बन्धित हों, या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, जिनका स्पष्ट सम्बन्ध शिक्षा से हो उनको इस बात की सुविधा होनी चाहिये कि वे इम्तहान प्राइवेटली दे करके डिग्रियां प्राप्त कर सकते हों। उन्हीं तक यह सीमित है। शिक्षा विभाग से जो लोग संबंधित हों, जिनका कि पाठशालाओं से सम्बन्ध हो, जो स्वयं अध्यापक हों, उन्हीं लोगों को यह सुविधा दी जा रही है। एक तो यह पहले से ही उसमें था। उसमें यह देखा गया कि जहां इस समय सारे देश में शिक्षा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, वहां इस दरवाजे को बंद कर देना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मैं स्वयं अपने स्थान पर यह सोचता हूं कि एक विद्यार्थी जो कालेज में शिक्षा पा करके डिग्री प्राप्त करता है वह शायद स्तर के सम्बन्ध में उससे ऊंचा हो सकता है जो कि प्राइवेटली बैठता है। इसीलिये इस बिल में इस बात का प्रबंध किया गया कि डिग्रियां दो प्रकार की होंगी। एक एक्सटर्नल डिग्री होगी और एक इंटरनल डिग्री होगी। इंटरनल उन लोगों को मिलेगी जो कि पठन-पाठन के बाद विद्यार्थी जीवन की डिग्रियां प्राप्त करते हैं और उनके अतिरिक्त जो दूसरे होंगे उनको एक्सटर्नल डिग्री मिलेगी।

तो अब आप जहां भी किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हों वहां पर आप के ऊपर यह है कि आप एक्सटर्नल डिग्री वाले को लें या इंटर्नल डिग्री वाले को लें। अगर एक्सटर्नल डिग्री वाला यह समझा जायगा कि वह न्यूनतम श्रेणी का है, उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है तो आप उसको नहीं लेंगे। लेकिन यह सुविधा जो अभी तक उसको प्राप्त थी वह एकाएक बन्द कर दी जाय, यह ठीक नहीं समझा गया और इसी कारण से मैं इस संशोधन के विरुद्ध हूं। जिस प्रकार से बिल में प्रबन्ध किया गया है वह चीज़ कायम रहनी चाहिये। इसलिये मैं श्री श्रीचन्द जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री श्रीचन्द---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ३ के उपखंड (e) में से "are women who" निकाल दिया जाय।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह शब्द इसमें से निकाल दिये जायं तो यह शेष रह जाता है:

"To confer degrees and other academic distinctions on persons who:

(*e*) have carried on study *privately* under conditions laid down in the statutes."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक किसान जो हल चलाता है या एक मजदूर जो टोकरी ढो रहा हो, यदि वह हाई स्कूल तक पढ़ा हो और वह कोई परीक्षा देना चाहता हो तो उसको भी कोई अधिकार हो कि वह भी प्राइवेट तरीके से एक परीक्षा में बैठ सके। यदि यह रिआयत किन्हीं वर्गों को दी जाय तो दूसर वर्गों को जैसे किसान मजदूर हैं, उन्हें भी दी जाय, जिनको कोई अध्यापक भी नहीं रखता है। मेरा तात्पर्य यह है कि हरेक को यह सुविधा होनी चाहिये कि वह अपनी ऊंची पढ़ाई कर सके।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीचन्द जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। श्री रामनरेश जी ने अभी उनके पहले संशोधन का विरोध यह कह कर किया था कि वह पूंजीवादी सा है जिससे उसका मतलब यह था कि वह अध्यापकों को उनके अधिकारों से वंचित करता था। लकिन यह संशोधन तो बहुत ही विस्तृत है और ज्यादा उदारतापूर्ण है। मैं समझता हूं कि चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो किसान हो या मजदूर हो, उसे इस बात का अवसर देना चाहिये कि वह परीक्षा पास करके अपनी योग्यता बढ़ा सके।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक्सटर्नल और इन्टर्नल दो क़िस्म की डिग्रियां होंगी। तो हम सर्विस में उनको रख सकते हैं जो इंटर्नल डिग्रीवाले हों। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ग विशेष का हो और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये विद्याध्ययन करना चाहता हो तो उसे अवसर होना चाहिये। उसकी डिग्री एक्सटर्नल होगी। वह परीक्षा में बैठ कर परिश्रम कर के पास करेगा। मैं इस संशोधन में अधिक समय नहीं लेना चाहता और इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नौरंगी लाल (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। उसका कारण यह है कि पहले जो संशोधन पेश किया था श्रीचन्द्र जी ने, उसमें तो उनका दृष्टिकोण बहुत ही सीमित था और उससे और इस संशोधन से कोई मेल नहीं है। वह दूसरे श्रीचन्द जी थे और इस संशोधन में दूसरे हैं। उस वक्त हम उनकी सहायता नहीं कर सके लेकिन इस संशोधन के बारे में मैं भी सोच रहा था और

[श्री नौरंगी लाल]
दूसरे बहुत से मित्र भी सोच रहे हैं कि इस संशोधन को पास हो जाना चाहिये। इसका पहला कारण तो यह है कि यह संशोधन संविधान के अनुकूल है इस वजह से कि किसी डैमाक्रटिक स्टेट के लिये यह अच्छा है कि उसमें प्रिविलैजेज़ किसी को भी न हों चाहे कोई किसी वर्ग का क्यों न हो। वह डेमोक्रेसी सब से अच्छी कही जा सकती है और हमें दावा है कि हम अपने मुल्क के लिये एक अच्छी डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, एक अच्छा प्रजातंत्र अपने देश के लिये बनाना चाहते हैं । इसलिये हमारा परम उद्देश्य यह होना चाहिये कि जहां तक हो सके इन प्रिविलेजेज़ को कम करें, इन विशेषाधिकारों को कम करें जिनसे हम अपनी देश के लिये, अपने प्रान्त के लिये एक उच्चतम डैमोक्रसी बनायेंगे।

इसलिये सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम इनको सारे लोगों के लिये नहीं खोल देते हैं तो हम संविधान के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। जो कि हमारा सबसे पहला फर्ज है और हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। एक कारण और भी इस संशोधन का समर्थन करने का यह भी है कि हमारा देश अत्यंत ग़रीब देश है और हमारे इस देश में हर शख्स यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करने के लिये नहीं जा सकता है और हम देखते हैं कि आजकल की हमारी शिक्षा बड़ी कास्टली है और हर एक स्टूडन्ट वहां नहीं पहुंच सकता है। बड़े-बड़े बनियों तथा रईसों के लड़के तो बड़ी आसानी से यूनिवर्सिटी में जा कर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आजकल वही बी० ए०, एम० ए० तथा डाक्टरेट कर रहे हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ग़रीब लड़के जिनके मां-बाप के पास यूनिवर्सिटीज़ को फीस देने के लिये रुपया नहीं है, वह चाहे कितने ही क़ाबिल हों और बुद्धिवाले हों यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें वह गुण हैं, वह विकास के रास्ते पर पहुंच कर अच्छी डिग्री हासिल करे तो कोई यह पाप नहीं है। जिसके पास धन है उसके लड़के तो अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची डिग्रियां यूनिवर्सिटी से हासिल कर लें और ग़रीब लड़के जिनके पास धन नहीं है लेकिन बुद्धि है, शक्ति है और वह उच्चतर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको अवसर मिले तो ऐसे लड़कों के लिये हम यूनिवर्सिटीज़ के दरवाज़े बंद कर दें तो यह डेमोक्रेसी के विरुद्ध जाता है और समानता के विरुद्ध जाता है। इसलिये जो संशोधन श्रीचन्द जी ने पेश किया है वह असमानता का विरोधक है। जो चीज़ हमें इक्वैलिटी की तरफ ले जाय उसका हमें समर्थन करना चाहिये। इसलिये जो रिज़ोल्यूशन अब पेश हुआ है उसको मैं सपोर्ट करता हूं।

इसका दूसरा कारण यह भी है जैसा कि अंग्रेजी में कहा है कि

"Temples of learning should no be closed for those who are worshipers and devotees."

कहा यह जाता है कि जो लर्निंग्स के दरवाज़े हैं कभी किसी के लिये बन्द नहीं होने चाहिये जो कि उसके पुजारी हैं। जब कि आज हम अछूतों के लिये देव मन्दिर में प्रवेश करने के लिये कहते हैं और उनका दरवाजा उनके लिये खोलते हैं तो फिर टैम्पिल्स आफ लर्निंग के दरवाज़े को जो सब से ऊंचे और सब से बढ़िया है उनको हम बन्द कर दें। हमें कोई अधिकार नहीं है। हर एक को अधिकार होना चाहिये चाहे वह ग़रीब हो या अमीर हो सब शिक्षा हासिल कर सकें।

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को मंजूर कर लें और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही छोटी सी बात है और इसके मान लेने में आपका कोई हर्ज भी नहीं है। आप इसको सेफगार्ड भी कर दें। आप इसको दो हिस्सों में बांट दें। एक तो इंटर्नल और दूसरा एक्सटर्नल। इन्टर्नल में लड़के यूनिवर्सिटी में रह कर डिग्री हासिल करें और एक्सटर्नल में बाहर रह कर वह हासिल कर सकें यानी इसमें ग़रीब लड़के और टीचर्स वग़ैरा आ जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि सर्विसेज उनको ही मिलेंगी जो इन्टर्नल रह कर डिग्री हासिल करेंगे इसमें आप को कोई नुक्सान नहीं होगा और ग़रीब पब्लिक का फायदा होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को मंजूर कर लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी एक संशोधन खण्ड (३) में नम्बर २ पर दिया था कि वूमैन के स्थान पर पर्सन कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय यह बात खटकने की चीज है। हमारे साथियों ने काफ़ी बातें कहीं। इस विधेयक में 'वर्किंग मेन्स कालेज' का जिक्र किया गया है।

विधेयक के खण्ड २० के अनुसार नया प्रस्तावित सेक्शन २४ (२) इस प्रकार है—

"The University may under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated college, as a "Working men's College," for the purpose of providing courses for degrees to persons......who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged full time in business, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस सेक्शन की इस उपधारा की आड़ ली जा सकती है कि ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ (a) से लेकर (d) के ही लोगों को सुविधा नहीं दी है कि वे प्राइवेट पढ़ कर डिग्री हासिल कर सकें बल्कि सभी लोगों को दी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय पहले "full time" शब्द इस विधेयक में नहीं थे, अब रख दिये गये हैं कि जो फुल टाइम लगे हों उन्हीं को यह सुविधा दी जायगी। मैं समझता हूं कि पहले जो विधेयक उपस्थित हुआ था उनसे हमारी ज्वाइंट प्रवर समिति कुछ पीछे चली गयी है और काफ़ी रेस्ट्रिक्शन पैदा कर दिया है। तो इसकी आड़ से हमारे माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि औरतें पिछड़े वर्ग की कही जा सकती हैं, उनको सुविधा देनी चाहिये, लेकिन कोई वजह नहीं है कि ऐसे लोग जो पढ़ने की योग्यता रखते हैं और इम्तहान पास कर लें उनको इस बात का मौक़ा न दिया जाय। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस उचित संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी का जो संशोधन इस भवन के सामने रखा गया अभी तक हर एक सदस्य ने उसका समर्थन किया किन्तु मैं असमर्थ हूं कि मैं समर्थन कर सकूं। यह विषय प्रवर समिति के समने भी काफी देर तक रहा और काफी बहस हुई और काफी सोच-विचार के बाद जो क्लाज इस समय सदन के सामने है उस पर निश्चय किया गया था। श्रीचन्द जी के संशोधन का तात्पर्य यह होगा कि जो इस सम्बन्ध में स्त्रियों के लिये सुविधा दी गयी है वह सुविधा सब के लिये दी जाय। इसके समर्थन में एक वक्ता ने यह कहा कि जिसका अभी माननीय रामनारायण जी ने भी समर्थन किया कि हालांकि यह कहा जा सकता है कि स्त्रियां कुछ हद तक पिछड़ी हुई हैं फिर भी इक्वालिटी के सिद्धान्त के अनुसार किसी प्रकार से किसी को प्रिफ़रेंशल पोजीशन में रखना उचित नहीं। इस सिलसिले में हमारे विधान का भी जिक्र किया गया और यह बताया गया कि विधान की धाराओं के अनुसार भी यह एक ग़लत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं देख पाया हूं सभी भाषणों में एजुकेशन की चर्चा नहीं है। हर एक व्यक्ति ने माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करते हुए यह कहा कि यदि उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो शिक्षा के लिये बहुत लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यहां शिक्षा के महत्व की पूरे रूप से जांच नहीं की जा रही है जैसा कि इस धारा से स्पष्ट है "To confer degrees and other academic distinctions on persons" इत्यादि, इत्यादि आजकल डिग्री प्राप्त करना ही कोई एजूकेशन का सबूत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डिग्री या

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

डिस्टिंगशन प्राप्त कर लेता है तो आर्थिक दुनिया में यह कहा जाता है कि वह एजूकेटेड पुरुष है किन्तु इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति के पास डिग्री या डिस्टिंगशन नहीं है वह अनएजूकेटेड नहीं है। यह कहना कि ऐजूकेशन को इससे नुकसान पहुंचेगा, या ऐजूकेशन का द्वार दूसरों के लिये बन्द किया जा रहा है, यह गलत होगा। ऐजूकेशन के एक भाग का ही जिक्र इस सदन में किया गया लेकिन जिन इंस्टीट्यूशन्स में शिक्षा दी जाती है उनमें जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। यह मैं काफी हद तक मानने को तैयार हूं कि देश की आर्थिक दशा ऐसी है कि लोगों के पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं है और दिन प्रति दिन किन्हीं कारणों से शिक्षा सम्बन्धी खर्च बढ़ता ही जा रहा है ऐसी सूरत में यह अवश्य पाया जाता है कि बहुत से शिष्य ऐसे हैं, जो योग्य होते हैं लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे पढ़ नहीं सकते किन्तु इस सम्बन्ध में हमको बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐजूकेशन या डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आज कल के जमाने में यह कोई गारन्टी नहीं कि उसको काम मिल ही जायगा। यहां अनऐम्प्लायमेंट की जो हाहाकार मची हुई है डिग्री प्राप्त करने के बाद उसमें कोई अन्तर नहीं आयेगा। जो विधेयक हमारे सामने है वह ऐजूकेशन से सम्बन्धित विधेयक है, न कि डिग्री बांटने का विधेयक है। इसमें जहां जहां प्रवर समिति ने उचित समझा बहुत से ऐक्सेप्शन्स भी किये गये हैं, जैसा कि स्त्रियों के बारे में रखा गया है। इसके बारे में यह कहा जाना कि इक्वेलिटी को तोड़ा गया है, मेरी समझ में वह गलत है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, एक वक्ता ने एकोनोमिक आस्पेक्ट का जिक्र किया। यह मानता हूं कि आज कल की शिक्षा मंहगी है किन्तु शिक्षा को सरल बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह शिक्षा जिसको कि एक मनुष्य प्राप्त करता है या यह कि उसको उचित और लाभदायक शिक्षा मिले। देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षा की आवश्यकता है, यह विषय इस समय सदन के समक्ष विचाराधीन नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही शिक्षा के अच्छे और पूरे होने का प्रमाण नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इस संशोधन के विषय में जो कहा गया, मुझे दुख है कि मैं उससे पूर्णतया असहमत हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठ जायं, आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरा प्वायंट आफ आर्डर ही है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने पहले कहा नहीं इसलिये आप बैठ जायं।

श्री हरगोविन्द सिंह—आखिर इस संशोधन का उद्देश्य क्या है। यदि इस संशोधन का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित है.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। वह यह कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से पहले बहुत से मेम्बर खड़े हुए जो पहले नहीं बोले थे। तो उनको बोलने का मौक़ा न दे कर माननीय शिक्षा मंत्री जी को बोलने का परमिशन दिया गया जिसे मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन के ऊपर पहले नहीं बोले हैं। वे पहली दफा इस संशोधन पर बोल रहे हैं। आखिर में फिर बोल सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--तो मैं कह रहा था कि आखिर हमारा उद्देश्य इस संशोधन को लाने से क्या है। संशोधन का यदि यह उद्देश्य हो कि कुछ लोगों को शिक्षित बनावें तब तो इस संशोधन से इस आशय की पूर्ति नहीं होती। आज हिन्दुस्तान में आगरा यूनि-वर्सिटी जैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो केवल परीक्षा लेकर डिग्री देती हो। आज जो प्रवाह शिक्षा का चल रहा है उसमें तो यह सभी को मान्य है कि विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहियें जहां कि शिक्षा दी जाती हो और वहां प्राइवेट लोगों को परीक्षा में बैठ कर डिग्री प्राप्त करने की सुविधा न दी जाय। तो हिन्दुस्तान में केवल यही एक ऐसा विश्व विद्यालय है और राधाकृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि यह एक अजीब चीज है और अब समय के अनुसार ऐसा न होना चाहिये कि केवल परीक्षा लेने वाला ही कोई विश्वविद्यालय बने। तो इस दृष्टि से देखने पर ही मैं भी यह समझता हूं कि किसी निर्णय पर माननीय सदस्य आवें कि प्राइवेट स्टुडेंट्स के लिये कोई सुविधा न होनी चाहिये।

जहां तक शिक्षा का संबंध है इससे कौन इन्कार कर सकता है कि विश्वविद्यालय में एक वातावरण होता है और उस वातावरण से प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावित होता है? अलावा इसके आजकल जो परीक्षा पास करते हैं उनका रहन सहन और व्यवहार भी उच्च स्तर का होता है। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिये, इसी-लिये तो इस बिल में इस बात का प्रयत्न किया गया कि वर्क्समैन कालेज बनाये जायं जहां जाकर लोग काम कर सकते हैं। जिनके पास समय है और जो विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकते हैं वह ऐसे कालजेज में जा कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां तक प्राइवेट विद्यार्थियों का सम्बन्ध है डिग्री प्राप्त करने की कोई शिक्षा नहीं है। यह कहना कि हम शिक्षा मन्दिरों को रोक रहे हैं या किसी के खिलाफ दरवाजा बन्द कर रहे हैं जिसमें वे न आवें तो ऐसी बात तो नहीं है। पहले भी आगरा यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधा कभी नहीं थी कि प्राइवेट लोग बैठ सकें। और जब शिक्षा का प्रवाह यह चल रहा है कि ऐसे ही विश्वविद्यालयों का संगठन हो जहां शिक्षा दी जाती हो और जिनमें विद्यार्थी रह कर उससे, अपने प्रोफेसरों से, टीचरों से, अध्यापकों से सीधा सम्पर्क स्थापति हो और वह उनसे कुछ सीख सकें। तो ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह ठीक नहीं होगा कि यदि आप खोल दें कि हरएक आदमी विश्वविद्यालय में न जाय और परीक्षा केवल दे करके एक डिग्री प्राप्त कर ले। उसके लिये जितना सम्भव हो सकता था उतना प्रबन्ध तो इस विधेयक में कर ही दिया गया है। इससे अधिक करना मेरी समझ में शिक्षा के स्तर को बहुत नीचे गिरा देना होगा और वह इतना नीचे गिर जायगा कि एक समय आ सकता है जब आप स्वयं यह कहें कि ये डिग्री लेने वाले पूर्णतया अशिक्षित हैं। इस कारण मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी ने जो प्रस्ताव इस भवन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर आप ४८-४९ की रिपोर्ट आफ दि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन को देखें तो उसमें आपको मालूम होगा कि स्त्रियों के प्राइवेट ऐपियर होने के लिये मौका दिया गया था और उसका खास कारण यह था कि हमारे प्रांत में औरतों के लिये जो कालेजेज थे वे बहुत न्यून संख्या में थे। उनकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं थी कि औरतें वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ जो पर्दानशीन होने के कारण या और किसी कारण कठिनाइयां थीं उसके कारण उनको प्राइवेट एपियर होने के लिये परमिशन दी गयी थी। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसके पृष्ठ १०५ पर यह साफ दिया हुआ है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ता हूँ:

"Closely allied to the problem of compulsion is that of private candidates. Certain categories of students are allowed to appear at public

[श्री कमला सिंह]

examinations without attending lectures at recognised institutions. These categories gradually include school teachers, others connected with education and some times women. It is justified on the ground that people connected with educational work for sufficient intellectual interest to go through the curriculum on their own will in many parts of the country. Social conditions prevent women from attending Govt. educational colleges, there being no womens' college within easily accessible limits. We have received representations urging the extension of this sytem as there are many youngmen engaged in various professions who wish to improve their minds and their material prospects by studying at home and taking examinations offered by Universities. It is urged against this that the increase in the number of private candidates will bring down the standards of our degrees"

यह एक कारण हो सकता है जिसके लिये हमारे माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेन्ट हैं वह कम फेल होते हैं और जो प्राइवेट कैन्डीडेट्स होते हैं वह ज्यादा फेल होते हैं इसलिए स्टैन्डर्ड के लोअर हो जाने का संदेह है। तो इसके लिये वह आ सकता है क्योंकि इसमें यह दिया है--

"The percentage of failures among private candidates is much higher than among regular students and if private candidates are allowed to be more numerous and equal to the number of regular students (as they are likely to be, if the privileges are widely open), then the examiners must lower their standards according to the mental equipment of the majority of the candidates."

यही एक वजह है कि जिसके लिये विरोध किया जा सकता है कि स्टैन्डर्ड लोअर हो जायगा। लेकिन हमें इस वक्त यह देखना है कि पहले एक वक्त था जब इम्तिहान की जो फीस थी कम थी। जब कोई आदमी जो आसानी से जाकर स्कूल या कालेज में नहीं पढ़ सकता था ट्यूशन करके मामूली फीस दे कर भी पढ़ सकता था।

लेकिन आज की परिस्थिति को आप देखें कि फीस चौगुनी हो गयी है। इस वक्त जबकि परेशानी लोगों को चारों तरफ से है। खासतौर से पूर्वी जिलों को आप देखिये कि वहां पर ऐसी स्थिति है, वहां पर भुखमरी का आंतक है। लोगों के पास पैसा नहीं है और अगर वह अपने स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं या ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिये बड़ी भारी कठिनाई है और उसके लिये उनको आप क्या स्थान देना चाहते हैं। जिससे वह आगे बढ़ सकें। इसके अन्दर यह दिया हुआ है कि--

"and have passed the examinations of the University under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Regulations"

उस स्टैन्डर्ड को मेन्टेन करके जब उन्होंने कोई इम्तहान पास कर लिया और आपने कोई डिग्री उनको कन्फर कर दी तो फिर उनका कोई इम्तहान लेना कहां तक ठीक है यह आप समझ सकते हैं। प्राइवेट कंडीडेट के लिये कोई स्थान देना उचित नहीं होगा। अगर वीमेन के लिये या हरिजनों के लिये या बैकवर्ड लोगों के लिये यह जरूर होना चाहिये लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। जो ऐसा वातावरण पैदा नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दे सकें। ऐसे लोगों के लिये खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। जब आप एजूकेशन के लिये उनको पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कालरशिप दे रहे हैं, किताबों वगैरह की मदद दे रहे हैं, तो यह मुनासिब है कि ऐसे गरीबों के लिये आप ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे वे शिक्षा पा सकें। अगर कोई आदमी नाइट स्कूल अटेन्ड करके आगे बढ़ना चाहता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिये रास्ता खुला रहना जरूरी है। आप कोई भी कानून बनावें उसमें इस

बात का ख्याल जरूर रखें कि एक ऐसी क्लास जो कि उस वातावरण में रहने के लिये मजबूर है तो उन लोगों के लिये किसी प्रकार की रोक नहीं लगाना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि इतना कहने के बाद हमारे माननीय मंत्री जी इस बात पर अच्छी तरह से विचार करेंगे। अगर कोई आदमी प्राइवेट स्टडी करके ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिये रास्ता खुला रहना चाहिये और किसी क़ानून का ध्येय भी यही होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री श्रीचन्द्र के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है मैं समझता हूं कि वह इस सारे बहुत बड़े विधेयक में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आजकल जो परिस्थिति अपने देश की है उसके अन्दर किसी आदमी के लिये अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है तो १५०, २०० रुपये माहवार खर्च कम से कम पड़ता है। ऐसी दशा में कितने लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो अपने बालकों को यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा दे सकेंगे ? मैं तो यह समझता हूं कि उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। हां, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कभी-कभी गरीब आदमी या तो मास्टर बन जाते हैं या लाइब्रेरियन बन जाते हैं। मगर देखना यह है कि उनकी तादाद कितनी है। उनकी संख्या बहुत सीमित है। इसके अन्दर एक सुविधा बतलायी गयी है और वह यह है कि वर्कमेन कालेज भी होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने प्रदेश में वर्कमेन कालेज इतने ज्यादा कर देंगे कि छोटे से छोटे गांव और कस्बों के आदमी भी वहां शिक्षा प्राप्त कर सकें। यदि आप ऐसे कालेज कायम करेंगे तो वह भी आप शहरों ही में करेंगे जहां वह सुविधा प्राप्त हो सकेगी, लेकिन अधिक तादाद जनता की छोटी जगहों में रहती है वह शिक्षा प्राप्त न कर सकेगी। अब रही यह बात कि जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा होता है और जो प्राइवेट परीक्षा देते हैं उनका स्टैन्डर्ड नीचा रहता है। मैं यह कह सकता हूं कि मौजूदा हालत में यह बात सही नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की दशा और अनुशासन आदि पर इस समय वादविवाद न करूंगा क्योंकि उस विषय पर अभी १८ तारीख को बातचीत चलने वाली है और उसी समय उनके कारनामे भवन के सामने आयेंगे लेकिन मैं यह बात नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से प्राइवेट पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्टैन्डर्ड नीचा होता है। मैं यह भी जानता हूं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से भारी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की होती है जो शहरों में अपने मकानों पर रहते हैं और जो केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन प्रेमिसेज में नहीं रहते हैं। तो वह बात भी नहीं है कि वह अपने गुरु के पास रहते हों और उनके जीवन से लाभ उठाते हों, जैसा कि पहले हमारा तरीका था वह भी बात वहां नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मैं प्रसन्न होता और देश के लिये आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के विद्यालय अपने यहां कायम करें जो हमारे पुराने गुरुकुलों के आधार पर चलें और जहां पर विद्यार्थी लोग अपने गुरुओं के डायरेक्ट सम्पर्क में रह सकें। बदकिस्मती से उस शिक्षा प्रणाली को भी इस बिल में नहीं अपनाया गया है। हमारे यहां तो मौजूदा तरीका यही है कि ६ घंटे, ५ घंटे या ४ घंटे जाकर विद्यार्थी लेक्चर सुन लेते हैं और फिर उनका गुरुओं से कोई सम्पर्क नहीं रहता और जो लाभ हमारे विद्यार्थियों को हो सकता था वह भी उनको नहीं हो पाता। यही कारण है कि हमारे विद्यार्थियों का करेक्टर वैसा नहीं बन पाता जैसा कि गुरुकुल जैसी संस्थाओं से विद्यार्थियों को होना चाहिये। जब तक हमारी शिक्षा का यह तरीका है चाहे वह प्राइवेट पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सबका ध्येय एक ही है और उनमें कोई अन्तर नहीं है सबका ध्येय है डिग्री प्राप्त करना और नौकरी हासिल करना। बहुत भारी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो प्राइवेट पढ़कर ही आगे बढ़े हैं और तरक्की की है। हमारे देश में ही श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की मिसाल है, न वह कभी यूनिवर्सिटी में गये और

[श्री बलवन्त सिंह]

न कोई परीक्षा दी लेकिन आज उनके ऊपर हमारा देश फ़ख्र कर सकता है। तो इन्टरनल तरीके का और बाहर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के तरीके में कोई अन्तर नहीं है। आज की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमें इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये। कि जितनी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हमारे देश के लोग ऊंची से ऊंची प्राप्त कर सकें जैसी कि इस समय है उसके लिये हमें पूरी-पूरी सुविधायें देनी चाहियें अपने देश के लोगों को और इस बात का पूरा पूरा प्रबन्ध करना चाहिये हमारे प्रांत को जैसे कि उसने वर्कमेंस कालेज रखकर किया है। इस तरह से उसको अपना दरवाजा खोल देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री श्रीचन्द जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केशभान राय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने पूछा कि इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रसार के अलावा कुछ उच्चतर ही है। मैं यह विश्वास करता हूं कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो हमारे जीवन में एक बड़ी भारी क्रांति आ सकती है। हम यह जानते हैं, हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसमें अन्य दोषों के अलावा एक दोष यह भी है कि हमारे गांव से, हमारे गांव की आबादी से प्रतिभाशाली लोग धीरे-धीरे शहरों की और नगरों की ओर खिसके आ रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो हम इस दिशा में कुछ उल्टा कदम बढ़ा सकेंगे। हम यह जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो शहरों में आकर जरूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। वे ऐसे लोग हैं जो इंटरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं परन्तु न तो वह कहीं शिक्षक हो पाते हैं और न किसी विश्वविद्यालय का व्यय वहन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिये केवल एक मार्ग रह जाता है कि वे या तो नौकरी करें या घर आ कर बैठें। मगर घर बैठना उनके लिये ठीक नहीं हो पाता है। कारण यह है कि उनकी जैसी शिक्षा हुई है, और जैसी उनकी आजकल की मनोवृत्ति है कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके हम आगे किसी प्रकार ऊंची नौकरी प्राप्त करेंगे, यह उद्देश्य लेकर वे चलते हैं, तो ऐसी हालत में उनका घर बैठना किसी भी प्रकार उनके लिये ठीक नहीं होता। अधिकांश हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी यही उद्देश्य होता है किन्तु वह पूरा नहीं हो पाता है और ज्यों ज्यों शिक्षा की वृद्धि होती जा रही है त्यों त्यों हम शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती हुई पा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों से यदि १०० स्नातक निकलते हैं तो २५ से अधिक किसी काम में नहीं लग पाते हैं और इस तरह से बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है। एक ओर बेकारी बढ़ती है और दूसरी ओर विश्वविद्यालय में आकर ये विद्यार्थी शारीरिक श्रम करने की अपनी क्षमता खोकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। किन्तु उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पढ़ते समय कोई भी विद्यार्थी यह नहीं समझता कि वह आगे चलकर नौकरी नहीं पायेगा, बल्कि हर एक यह समझता है कि उस २५ में से १ मैं भी हो सकता हूं और सभी इस प्रकार से कोशिश करते हैं। किन्तु यदि यह मुमकिन हो सके कि वे घर पर रहकर इंटरमीडियेट की परीक्षा पास करने के बाद अपने घर के पेशे को करते हुए भी, एक वर्ष को छोड़िये दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष में भी किसी समय में उस शिक्षा पद को प्राप्त कर सकें जो विश्व-विद्यालयों में जाकर लोग प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर वे भी ऊंची नौकरी प्राप्त कर सकें तो उनको अपने देहात में रहने का भी मौका मिलेगा और उस होड़ में या उस जुए के खेल में जिसमें कि विश्वविद्यालय के छात्र आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी उनको बढ़ने की आशा बंध सकती है। लाभ यह होगा कि विश्वविद्यालय में जाकर जब कि वह जुए में हार जाते हैं तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं किन्तु इस तरह यदि वे घर भी रह जाते हैं, पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी की ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के साथ उस प्रतियोगिता में बैठते हैं, यदि उसमें सफल नहीं भी होते हैं तब भी वह अपने

को देहात में रखते हुए उसके अनुकूल तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा मेरा यह भी ख्याल है कि दूसरे दृष्टिकोण से भी हम देहातों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आज हम शिक्षितों से यह कहा जाता है कि हमें पढ़ कर शहरों में ही नहीं जाना चाहिये। देहात में भी रहना चाहिये। लेकिन देहात में हम रहें कैसे? जो देहातों में आजकल स्कूल बढ़ गये हैं, उससे उनकी इंटरमीडियेट तक शिक्षा हो पाती है। देहात में रह करके और अपना थोड़ा बहुत काम करके वे इंटरमीडियेट तक प्राइवेटली तैयारी कर लेते हैं। उससे आगे यदि वे पढ़ना चाहते हैं तो देहात में वे नहीं रह सकते हैं। मेरा यह ख्याल है कि यदि इस प्रकार की सुविधा मिल जाय तो हम एक एक देहात में एक एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। वहां एम० ए० की शिक्षा प्राप्त करके लोग थोड़े से वेतन पर देहात में रह सकते हैं बशर्ते कि वहां ऐसे लोग हों जिनके साथ वे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। हम देहात से इसलिए ही नहीं भागना चाहते हैं कि हमें कम वेतन मिलता है बल्कि हम इसलिए भी भागना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेतन पाने पर भी वहां समाज नहीं है। यदि हम वहां ऐसे विद्यार्थी पा सकें जो खेती का काम करने के साथ साथ बी० ए० और एम० ए० की तैयारी करते हों तो उनके बीच हम किसान रह सकते हैं और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

रह गयी बात संस्कार की। विश्वविद्यालयों में जो संस्कार प्राप्त हो रहा है मैं उसकी अधिक आलोचना न करके, केवल इतना ही बतलाऊंगा कि बौद्धिक संस्कार उनका हो सकता है। इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से जो साधारण लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका बौद्धिक विकास चाहे अधिक न हो परन्तु जहां तक नैतिकता का सम्बन्ध है जो देहात से स्नातक निकलेंगे वे कहीं अधिक अच्छे होंगे। मेरा यह ख्याल है कि देहात में प्रकृति की गोद में पल करके जो शिक्षा प्राप्त करेंगे वे चाहे बौद्धिक विकास में कम रहें परन्तु नैतिकता का जहां तक सम्बन्ध है वे अधिक धनी होंगे। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री नवलकिशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय श्रीचन्द जी ने इससे पहले भी एक संशोधन पेश किया था, वह श्रीमन् एक एक्सट्रीम पर था और यह दूसरे एक्सट्रीम पर है। इस सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों ने अपनी बातें कहीं उन्होंने डिमोक्रेसी, कांस्टिट्यूशन तथा और भी बड़ी बड़ी बातें कहीं और यह बताया कि डिमोक्रेसी का सबसे पहला आधार यह होता है कि उसमें किसी किस्म का डिस्टिंगशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये और बहुत बड़ा जोर दिया गया इस बात के ऊपर कि कम से कम सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिये। इसी सम्बन्ध में कांस्टिट्यूशन की बात भी कही, फंडामेंटल राइट्स की बात भी कही गयी। श्रीमन्, जहां तक डिस्टिंगशन और डिस्क्रिमिनेशन की बात है, अच्छा उद्देश्य है, ऊंचा ध्येय है, नहीं होना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद भी होता है, मैं तो जब इस भवन की ओर देखता हूं और अपनी बहिनों की संख्या को देखता हूं, तो मैं समझता हूं कि इस भवन में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंगशन है और जब ट्रेजरी बेंचेज की तरफ देखता हूं तब तो और भी ताज्जुब होता है, मालूम होता है कि बिलकुल ही डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंगशन किया गया है। तो जहां तक व्यावहारिक बात है, ऐसा होता ही है। मैं यह समझता हूं कि यह जो एक प्राविज़न इसमें है, पहले भी स्त्रियों को ऐसी विशेष सुविधा पुराने ऐक्ट में भी दी गयी थी और वह कोई नई चीज नहीं है माननीय सदस्यों को बहिनों से ज्यादा जेलसी करना उचित नहीं है।

दूसरी बात मुझको यह कहनी है कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो इसके (B), (C), (D) जितने भी ऊपर के खंड हैं यह सब बेकार हो जाते हैं एक तरफ तो कुछ भाइयों का विचार यह था कि अध्यापकों को भी प्राइवेट इम्तहान देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। तब दूसरा एक्स्ट्रीम यह है कि हरएक को इम्तहान देने का अधिकार होना चाहिये।

[श्री नवलकिशोर]

इस देश के जो एजूकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह निश्चित मत है कि मौजूदा युग में जो हमारी शिक्षा है उसका स्टैन्डर्ड दिन प्रति दिन नीचे गिरता जा रहा है। जहां कि उसके बहुत से कारण हैं वहां एक मुख्य कारण उन्होंने यह भी बताया है कि इस तरह विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाती है और उनका कन्ट्रोल करना असम्भव सा हो गया है। एक तरफ तो यह स्थिति है। इसी के साथ साथ शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनका यह भी मत है जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह जो अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, आगरा यूनिवर्सिटी टाइप की, इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारी आजकल की जो आवश्यकतायें हैं उनको कतई पूरा नहीं करती हैं और यह बिल्कुल आउट आफ प्लेस हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि इतने ज्यादा कालेजेज हैं, इतने अधिक विद्यार्थियों से उसका सम्बन्ध है, उसके तोड़ने से भी प्रांत में काफी डिस्टर्बेंस पैदा हो जायगा। वर्ना तो मेरा यह निश्चित मत है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देना चाहिये और सिर्फ रेजिडेंशल यूनिवर्सिटीज होनी चाहियें और उन यूनिवर्सिटीज के भी मातहत जो शिक्षा हो उसे तथा विद्यार्थियों की संख्या भी निश्चित कर देना चाहिये। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को लेकर अगर हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन (शिक्षा) के स्तर को ऊंचा उठाना चाहें तो वह असम्भव है। एक तरफ तो यह विचारधारा है। दूसरी तरफ अगर हम इस तरह से हर आदमी को प्राइवेटली इम्तहान देने की आज्ञा दे दें तो मैं समझता हूं कि एग्जामिनेशन का होना भी बहुत कठिन हो जायगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आयेंगे कि मैं नहीं समझता कि क्या स्टैन्डर्ड पेपर्स का होगा और क्या इग्जामिनर्स का।

इसी के साथ साथ जो दूसरी कठिनाई इसके सम्बन्ध में आयेगी वह यह है कि शिक्षा का प्रसार हो नहीं पायेगा क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया। हां, यह सही है कि जहांतक डिग्रियों के बांटने का सवाल है, उसका काफी प्रसार हमारे प्रदेश में हो जायगा।

मेरे एक भाई ने राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट का एक कोटेशन पढ़कर सुनाया। अगर मैं ठीक समझा हूं तो शायद जो चीज वह कह रहे थे, बिलकुल उसके विरोध में उसमें कहा गया था। टीचर्स को ही सिर्फ अधिकार दिया गया था कि वह इम्तहान दे दें क्योंकि उनको शिक्षा संस्थाओं में रहकर स्वयं अध्ययन करने का काफी अवसर होता है। उसी के साथ साथ स्त्रियों को भी विशेष रूप से अधिकार दे दिया गया था क्योंकि स्त्री समाज अब भी शिक्षा के सम्बन्ध में काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिए उनको अब भी यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर वे चाहें तो प्राइवेटली पढ़कर इम्तहान दे सकती हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके अधिकार के लिये हम होड़ करें और उनके स्थान को इस तरह से छीनना चाहें यह भी मुनासिब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि भाई श्री श्रीचन्द जी इस संशोधन को भी पहले की तरह वापस ले लेंगे।

* श्री शिवनाथ काटजू—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समस्या काफी गम्भीर है और इसके ऊपर काफी वादविवाद हो चुका है। प्रश्न यह है कि बी० ए० और एम० ए० डिग्रियों को भी प्राइवेट लोगों के लिये खोल दिया जाय। आजकल हमारे देश में ऐसी और डिग्रियां हैं जो कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन है या और सम्मेलन हैं, उनके द्वारा दी जाती हैं। ये इम्तहान (परीक्षायें) भारत के कोने कोने में होती हैं, उनमें लोग बैठते हैं और वह संस्थायें उनको डिग्रियां देती हैं। बाजे २ देशों में तो करेस्पान्डेन्स कोर्स भी हुआ करता है और उससे भी डिग्रियां मिल जाती हैं। अब हमको यह देखना है कि क्या हम अपने देश में भी अपने यहां की डिग्रियों को उसी प्रकार से देना चाहते हैं। यह जो कहा गया कि शिक्षा की सुविधा देनी चाहिये, तो इस प्रश्न से शिक्षा का कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जो बी० ए० परीक्षा में बैठेगा वह शिक्षित तो है ही। प्रश्न तो यह है कि क्या आप डिग्रियों

की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बाढ़ में ज्यादती करना चाहते हैं? डिग्रियों की हमारे यहां कमी नहीं है। प्राइवेट कैन्डीडेट्स साइंस की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। उनको लेबोरेट्री की सुविधा गांव में नहीं मिल सकती। हां, सम्भव है कि वे बी०ए० और एम०ए० की परीक्षाओं में बैठ सकें। आज हमारे देश में बी०ए० और एम०ए० वालों की कमी नहीं है। आज हमारे सामने शिक्षा का प्रश्न केवल यह नहीं है कि उसका स्तर प्रांत में ऊंचा हो बल्कि प्रश्न यह है कि हमारे नवयुवक साँसारिक स्तर से टक्कर ले सकें। अगर आप उच्च शिक्षा को डिग्रियों के बहाव में बहावेंगे तो उसका सांसारिक स्तर लगभग खो जायगा। बल्कि अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाय तो स्त्रियों के लिये जो एक्सैप्शन किया गया है, मैं बहुत ज्यादा उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन स्त्रियों, टीचर्स और लाइब्रेरियन्स के लिए जो विशष वातावरण में रहते हैं विशेष सुविधा हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आप एक दरवाजा खोल रहे हैं कि जिसके द्वारा डिग्रियों की छाप सारे देश में हो जाय? अगर कोई गाँव में बैठकर पढ़ सकता है तो उसके लिये कुछ रुकावट नहीं है, वह पढ़े। लकिन आप उस पर डिग्री की मुहर क्यों लगाना चाहते हैं? यह हमारी उच्च शिक्षा के लिये बहुत ही विषमय होगा। इसलिए इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मुझे भी इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। जिस तरह से इस पर बहस चल रही है उससे मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि इस संशोधन को ठीक तरह से समझा नहीं गया है और सदस्यगण इसका समर्थन करने लगे। मैं यह समझता हूं कि श्रीचन्द जी का पहला प्रस्ताव और यह दोनों एक ही हैं। जिन माननीय सदस्यों ने पहले का तो विरोध किया और अब इसका समर्थन करते हैं उनकी बात ठीक समझ में नहीं आयी। मुझे तो आश्चर्य होता है श्रीचन्द जी का वह मतलब है कि सबको यह सुविधा होनी चाहिये कि वह घर पर बैठकर पढ़ें और डिग्रियाँ प्राप्त करें। वह यह चाहते हैं कि इस उपखंड से शब्द 'वीमैन' को निकाल कर सबके लिये रास्ता खोल दिया जाय। जो लोग शिक्षा से सबन्धित हैं वे तो पहले ही से मौजूद हैं लेकिन अब हम सब को लाना चाहते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस संशोधन द्वारा पुरुषों को भी इस क्लास में महिलाओं के साथ रखना चाहते हैं। यह उपखंड केवल स्त्रियों का है। वास्तव में देखा जाय तो यहां हाई स्कूल या आई० ए० की परीक्षा तो है नहीं। हम तो यहां केवल उच्चशिक्षा की बात कर रहे हैं आज तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर यहां हाई स्कूल या आई० ए० की पढ़ाई में कोई रुकावट डाली जाती होती उसका विरोध करता। लेकिन यहां विश्वविद्यालय की उच्चशिक्षा का प्रश्न है। यहां जरूरत है गम्भीरता तथा गौर से देखने की। हमने रखा है कि आज लोग इस तरफ को जा रहे हैं कि पढ़ना ही मुख्य चीज है इम्तहान कोई चीज नहीं है हम तो आज यह भी सोच रहे हैं कि इम्तहान ही बन्दकर दिये जांय और यह अनिवार्य हो जाय कि जो विश्वविद्यालय में रह कर अध्ययन करे और वहां के सम्पर्क में आवे वहां के वातावरण से प्रभावित हो वही इसके अधिकारी हो सकते हैं। जहां पर यह बात सोची जा रही वहां पर सोचिये कि गांवों में घर पर बैठ कर एक पाठ्य पुस्तक पढ़ लेने के बाद वह विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल कर ले, यह कहाँ तक ठीक है। मैं समझता हूं कि इस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

जहां शिक्षा मंत्री जी का यह कहना है कि हम मजदूरों को भी ऊंची शिक्षा के लिय वर्कमैन कालेजेज खोल रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश हो जाती है कि लोग दिन भर रोजी कमाने के लिये अपना काम करें और रात को मजे से पढ़ें। कुछ लोगों ने पूछा है कि ऐसे कितने कालेज दिहातों में खुलेंगे जिनमें ऊंची शिक्षा दी जा सकेगी। मैं जानना चाहूंगा कि आज ऐसे कितने आदमी वहां होंगे जो हाई स्कूल और इंटर पास करन के बाद काम करते हुए ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पहले वह हाई स्कूल और एफ० ए० तो पास कर लें। फिर आगे का इन्तजाम भी हो जायेगा देहातों में जहां पहले से कालज हैं यह कालज खुल सकत हैं तो आसानी

[श्री राधामोहन सिंह]

हो जायगी और जहां ज्यादा मजदूर या किसान पढ़ना चाहेंगे और हाई स्कूल और एफ० ए० पास करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसका भी इन्तजाम आसानी से उन्हीं कालेजों में रात की कक्षाएं खोल कर हो जायगा। लेकिन पहले पहल देखना तो यह है कि कितने आदमी पढ़ने आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन पर हमें काफी गम्भीरता-पूर्वक सोचना है।

यह निर्विवाद है कि हमें अपनी शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम शिक्षा को ठीक तरह से चलायें। जहां तक हाई स्कूल और एफ० ए० का ताल्लुक है हमें हर तरह की सुविधा देना है लेकिन जहां विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है वहां यह बात नहीं कहनी चाहिये कि चन्द पुस्तकों को घर में पढ़ लेने से काम हो जाय। कुछ दोस्तों ने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों के लिये आप क्यों दरवाजे बंद करना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में डाक्टर टैगोर की बात कही इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहूंगा कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का आज तक दुनियां में कोई रास्ता नहीं रोक पाया है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के तो बिना डिग्री हासिल किये ही उनके पैरों पर दुनियां गिरती है। मैं आशा करता हूं कि अब व्यर्थ की बहस आगे न बढ़ाई जायगी। आशा है श्री श्रीचन्द अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और सदन का समय व्यर्थ बरबाद नहीं होने देंगे।

श्री गेंदा सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि कुछ डिग्री वाले माननीय सदस्यों में और बिना डिग्री वाले सदस्यों में भेद हो रहा है। अभी तक जो मैंने देखा है, मैं यह तो जानता नहीं कि श्री श्रीचन्द डिग्री होल्डर हैं या नहीं लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया है उनमें से अधिकांश लोगों में से एक आध लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर नहीं हैं।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में जो दलीलें दीं वह ऐसी दीं जो हमारे पक्ष में ही जाती हैं। दलील मुख्यतः दो तीन हैं वह यह कि गांव में बैठकर कोई पढ़ कर यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे दे तो कौन सी उसमें अनुचित बात है। इसमें श्री राधामोहन सिंह ने अनौचित्य बतलाया है। मैं नहीं समझता कि इसमें अनुचित कहां है, बल्कि यह तो बड़े गौरव की बात है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है कि सारे देश को शिक्षा दिलाने का उसका कर्तव्य है। सारे देश को शिक्षा दिलाने में आर्थिक कठिनाई सामने है जिसके कारण हमारी सरकार असमर्थ है। फिर तो यह सुन्दर रास्ता निकल आया और श्रीचन्द जी ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिससे सरकार का बोझा बहुत ही कम हो जाता है। वह यूनिवर्सिटीज के खोलने में रुपया खर्च न करे और हजारों और लाखों आदमियों की तादाद में घर में पढ़ कर ही परीक्षा दे दें और डिग्री होल्डर बन जायं।

हां, अब यह बात जरूर हो सकती है कि बहुत से डिग्री होल्डरर्स हो जायंगे तो बाजार बिगड़ जायगा। यह बात तो जरूर समझ में आने की है। लेकिन पहले से बाजार बहुत सस्ता हो गया है और अगर थोड़ा और सस्ता हो जायगा तो क्या बुराई होगी? और फिर मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, मैं बड़ी देर से इन्तजार कर रहा था माननीया प्रकाशवती जी का कि आखिर उनको तो कोई शिकायत है नहीं? कहा यह गया कि साहब, यह तो एक प्रिविलेज है स्त्रियों को। तो उनकी तरफ से तो इस बात की शिकायत नहीं है कि हम पुरुषों को सुविधा न दें लेकिन हम जो इससे सारे देश को रास्ता दिखाना चाहते हैं कि घर में बैठकर ऊंची तालीम हासिल कर सकें वह आपस में झगड़ रहे हैं। फिर इस बात की चिन्ता तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को होनी नहीं चाहिये कि लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद ऐसी जगहों में रह कर ही स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जा सकता है। हां, एक बात की चिन्ता वाजिब है कि

नइती सफ़ाई से पेन्ट, और कोट में नहीं रह सकते। माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टैंडर्ड बताने का अगर यह अर्थ हो तो मैं मान जाता हूं, लकिन अगर उनका उद्देश्य, जैसा कि मैं समझता हूं यह नहीं था, शिक्षा से है तो गांवों में पढ़ने और पढ़ करके इम्तहान में शहर वालों के साथ पास करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उनके लिये कोई दूसरा परीक्षा लेने वाला तो होगा नहीं। ऐसी सूरत में अगर गांवों में भी वह ऐसी अवस्था पैदा कर सकें कि वह शहर में २४ घंटे पढ़ने वालों के साथ परीक्षा पास हो सके तो मैं समझता हूं कि उसमें कहीं पर शिक्षा के स्टैंडर्ड के नीचा होने का खतरा नहीं है। हां, यह बात मैंने पहले कह दी है कि शहर में रहने में कुछ संस्कार बदलते हैं और वे संस्कार शिक्षित होने में भी बदलते ह। तो शिक्षित होने के बाद आवश्यकता उसको पड़ी कि वह शहर की तरफ आये और वहां आकर उस संस्कार को भी तब्दील कर सकते हैं। मेरी तो यह राय है कि माननीय श्रीचन्द जी का जो संशोधन है यह ऐसा है कि यह सारे विधेयक में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा क्योंकि जहां पर "स्त्रियां" लिखा हुआ है वहां पर यदि पुरुषों को भी स्थान दे दिया गया तो स्कोप बहुत बढ़ जायगा। यह भी कहा गया कि माननीय श्रीचन्द का जो ऊपर वाला संशोधन था वह स्कोप को संकुचित करता था और यह उसको बढ़ा देता है। तो इसलिय तो मैंने माननीय श्रीचन्द जी ऐसे आदमी के उस संशोधन का विरोध किया था, यह मेरे लिये बड़ी कठिन बात है लेकिन मैंने विरोध किया उनकी नाराजगी की परवाह कम करके और सदस्यों से कह रहा हूं कि उनके इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो हमारे प्रान्त में पुरुषों से शायद कुछ अधिक स्त्रियां हैं। तो अगर स्त्रियों को पढ़ने की सुविधा मिले क्योंकि उसको रोकने की तो कहीं चर्चा है नहीं, उनके अलावा दूसरे लोगों को भी दे देने की चर्चा है तो कोई हर्ज को बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बड़ा सुन्दर है। इससे गांवों की अवस्था बदलेगी, गांवों में पढ़ाई लिखाई की हालत बदलेगी और जो सरकार के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ सबको शिक्षा दिलाने का है उस बोझ से कुछ मुक्ति होगी, इसलिये यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पहले वाले अमेंडमेंट का विरोध किया था लेकिन आध घंटे क बाद वे सही रास्ते पर आ गये इसलिये इस दूसरे श्रीचन्द जी के अमेंडमेंट का मैं समर्थन करता हूं। क्यों करता हूं वह भी बताता हूं। मैं स्वयं अध्यापक हूं और वह भी हैं। माननीय उपाध्याय जी ने आज सुबह मेरे परीक्षा में बैठने के बारे में कहा। वे एक केपिटलिस्ट के बेटे हैं और मैं एक निर्धन झोपड़ी के रहने वाले का बेटा हूं। पसे की कमी और ग़रीबी के कारण मैं यूनिवर्सिटी न जा सका, अधिक पढ़ने का अवसर न मिल सका। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का जो आदर्श है वह चाणक्य ने लिखा है:

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्वत्
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः।

मैं अब पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार के पंडित यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अपने को कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने वाले कितने ऐसे पंडित हैं जो पराई बहन बेटियों को अपनी मां बहनों के समान और पराये धन को पत्थर के समान समझते हैं। 'वर्क ह्वाइल यू वर्क, प्ले ह्वाइल यू प्ले' इसी प्रकार से हम काम करते हुये और पढ़ते हुये अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। आज मुल्क में जो अपोजीशन पैदा हो रहा है वह इन यूनिवर्सिटीज़ के कारण से ही है। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सारी पार्टियां यूनिवर्सिटीज़ से ही क्रियेट होती हैं। उपाध्याय जी तो पैसे वाले हैं, वे पढ़ सकते हैं लेकिन ग़रीब लोग कैसे पढ़ सकते हैं? इस बार जब मैं आ रहा था तो हमारे यहां के मास्टरों ने कहा कि उनके साथ किस तरह से हेरेसमेंट होता है। मैनेजर लोग किस प्रकार से तंग करते हैं। आप से कहा क्या जाय? कहते हुये उस बात को आंसू गिरते हैं। इसलिये यह प्रतिबन्ध हटा लिया जाय तो

[श्री शिवनारायण]

बहुत ही अच्छा है। 'वी आर रनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एण्ड इट इज दि गवर्नमेंट आफ़ दि पीपुल, बाई दी पिपुल, फार दी पिपुल।' इसलिये हमारे लिए यह आवश्यक है कि सारी जनता और सारा समाज हमारे साथ आये, हम जनता का सही मानों में रिप्रेजेन्टेशन करें। मैं बड़े अदब के साथ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "मैन मे कम एन्ड मे गो एण्ड लर्निंग मे कन्टीन्यू" हमें देखना है कि लोगों को यह अधिकार खुले तौर पर दे दिया जाना चाहिये। मदन मोहन जी ने मेरे फेल होने की बाबत कही। यह तो जीवन ही है, फेल हो कर ही आदमी आगे बढ़ता है। "बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो"। अतः यह जो संशोधन है अगर वह मान लिया गया तो ऊपर जो तीन प्वाइंट्स हैं वह निकल जायेंगे और अध्यक्ष महोदय यह गांवों और ग़रीबों की पुकार है। आप कहेंगे कि यह वन साइडेड है लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जो पर्दानशीन औरतें हैं जैसा कि मुसलमानों में अधिकतर होता है, जितने भी हरिजन भाई हैं, या जो और जातियों के भी ग़रीब लोग हैं वे सब इस सहूलियत से लाभ उठा सकेंगे। अभी हमारे यहां का वाक़या है। एक लड़के ने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास किया लेकिन पैसा न होने के कारण आगे स्टडी न कर सका। मैंने खुद जा कर प्रिंसिपल स कहा कि इसको ले लो और इसकी फीस माफ कर दो लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होना मुश्किल ह। खैर, अगर प्रिविलेज प्राइवेटली बैठने का दे दिया गया तो किसी को कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। विद्यार्थियों के लिये मसल कही गयी है कि विद्यार्थी थोड़ा खाय और निबह जाय। लेकिन जब यहां से यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तब टाई चाहिये, कालर ठीक होना चाहिये, बटन अच्छा होना चाहिये नहीं तो वह कमरे के अन्दर नहीं जा सकता। इस तरह की गोल्ड स्मिथ की मिसाल मौजूद है जो यूनिवर्सिटी से भाग गया, वहां नहीं पढ़ सका। क्योंकि वह ग़रीब था, और लड़के उसका अपमान करते थे। फिर वहां से अमेरिका गया और कहां कहां गया और अपने बुद्धि तथा योग्यता से अपना नाम ऊंचा किया। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सन् ३७ की गवर्नमेंट के वक्त इसी सदन में एक सम्मानित सदस्य श्री हरनाथ प्रसाद जी जो दर्जा चार की ही योग्यता रखते थे लेकिन बड़े बड़े लोगों का मुकाबिला इसी सदन में करते थे। इतना ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को देखिये तो मालूम होगा कि अकबर महान के पास जब ईरान का एक पत्र आया तो उसे उन्होंने उल्टा पकड़ लिया, इस पर चिट्ठी लाने वाला हंस दिया। इसे देख कर अकबर के वजीर ने कहा कि क्यों हंसते हो, हमारे पेगम्बर भी नाख्वान्दा थे। तो हिन्दुस्तान की नाख्वान्दगी को हम उरुजे कामयाबी पर लाना चाहते हैं। ये लाल झंडी वाले, लाल टोपी वाले जो कम्युनिस्ट हैं जो आज अपने को अग्रगामी कहते हैं, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हम जो आज यहां मौजूद हैं उनसे कम अग्रगामी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि क्रान्ति हो और देश में नया समाज बने, हमारा देश उन्नति करे। लोगों के ऊपर किसी तरह की रोक न लगायी जाय, पब्लिक को फ्रीडम रहे कि वह जहां इच्छा हो वहां जाय, जो इम्तहान देना चाहे वह दे, ग़रीबी की वजह से कोई मारा मारा न फिरे। मैंने बहुत से ग़रीबों को देखा है कि जो पैसा न मिलने की वजह से पढ़ने के लिये मारे मारे फिरते हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका दिमाग़ आज कल के आई० सी० एस० लोगों से कम नहीं है लेकिन उनकी कोई पूछ इसलिये नहीं है कि वे एम० ए० या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्लर्की करते हैं। मैं अपनी आंखों देखी बात कहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हैरैस किया जाता है। यह बात मैं बिलकुल ठंढे दिल से कहता हूं और इत्मीनान के साथ कहता हूं। स्त्रियों के सम्बन्ध में मेरे भाई गेंदा सिंह जी ने कहा कि उन बेचारियों की बात क्यों करते हो, आर्यों के जमाने में वे यज्ञों में बैठती थीं, अपनी योग्यता में पुरुषों से किसी कदर कम नहीं थीं। आज भी मिसाल हमारे सामने मौजूद है अगर विजया लक्ष्मी पंडित इतनी पढ़ी लिखी न होतीं तो आज यू० एन० ओ० की प्रेसीडेंट न होतीं?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री शिवनारायण--मैं यह कहना चाहता हूं कि आप रास्ते से रोड़े हटा दीजिये। और यह अमेंडमेंट जो श्री श्रीचन्द जी का है उसे मान लिया जाय। बहुतों ने कहा है कि यह अमेंडमेंट इस बिल की जान है। वाकई इससे युनिवर्सिटी के अन्दर डिसिप्लीन बहुत ठीक हो जायगी और सरकार इन तमाम बातों से छुट्टी पा जायगी। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ दिसम्बर, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	पद का नाम	तनख्वाह			मंहगाई			सफर का भत्ता			कन्टिनजेन्सी			साल भर का खर्च		
१	२	३	४			५			६			७			८		
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	राजा सुल्तानपुर	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ४	२,६२०	६	०	१,१४३	१०	०	५६५	०	०	१४४	०	०	४,४७३	०	०
२	गोलाबाजार	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ३	२,३१३	९	०	१,०२९	१	०	५५२	८	०	९६	०	०	३,९९१	२	०
३	सूरजूपुर	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ३	१,९८०	०	०	१,०२०	०	०	५७२	३	०	१४४	०	०	३,७१६	३	०
४	दुवारी	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ३	२,२५५	०	०	१,०४०	०	०	५२८	१०	०	११४	०	०	३,९३७	०	१०
		कुल जोड़	९,१६८	१५	०	४,२३२	११	०	२,२१८	५	०	४९८	०	०	१६,११७	०	१०

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६)

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को और आगे जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये।

यू० पी ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ ई०।

विधेयक

यू० पी० (टेम्पोरेरी स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को ३१ दिसम्बर, १९५३ तक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा जारी रक्खा गया था और उक्त ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५४ तक जारी रखने की व्यवस्था करनी है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५३।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ का जारी रखा जाना।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ जो सन् १९४९ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट द्वारा संशोधित तथा जारी रहा, ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक प्रचलित रहेगा और प्रचलित समझा जायगा तथा उसकी समाप्ति पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के आदेश उसी प्रकार लागू होंगे मानों उस समय यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (ऐक्ट) से रद्द किया किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट सं० ४, १९४९ ई०।

स्पष्टीकरण—सन् १९४८ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट निर्देश (refernce) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० और उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ का निर्देश भी है।

उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५१ ई०।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ई० की अवधि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५३ तक बढ़ा दी गई थी। उक्त अधिनियम से खाद्यानों क भरने के स्थानों की और उनके अधिग्रहण करने पर प्रतिकर अवधारित करने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की अवधि उक्त दिनांक पर समाप्त हो जायगी। इस समय प्रदेश की राज्य सरकार अपने स्वयं के तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों के भारी स्टाक रखे हुये हैं। इस स्टाक का एक अंश उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत स्थानों में संगृहीत है। खाद्यान्न भरने और स्थानों का अधिग्रहण करने तथा अधिकृत स्थानों पर अधिकार बनाये रखने की आवश्यकता अभी बनी है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मंत्री, रसद विभाग।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु (with a view to faciliting the introduction of land reforms) वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी प्रणालियों के विनाश की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

२—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:

(१) 'अबवाब' का तात्पर्य अबवाब, मालिकाना या चौकीदारी से है,

(२) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत परगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the 1st class incharge of a Sub-division) तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो,

(३) 'डिग्री' का वही अर्थ है जो 'decree' को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(४) 'मौरूसी दर' का तात्पर्य कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा ५४ के अन्तर्गत स्वीकृत दर से है,

(५) 'भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) है,

(६) 'पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट, दिनांक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट, गजट दिनांक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की

प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित क़ानून कब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है,

(७) 'पट्टेदार' के अन्तर्गत ठेकेदार, पट्टेदार, मुस्ताजिर और अनुदान गृहीता (grantee) भी हैं, इन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो,

(८) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" को दिया गया है,

(९) 'नियत (prescribed)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) 'पिछला कृषि वर्ष (previous agricultural year)' का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) 'रामपुर' का वही अर्थ है जो उसे रामपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में, दिया गया है,

(१२) 'लगान' के अन्तर्गत रामपुर स्टेट गजट, दिनांक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित बन्दोबस्त सिसाला योजना के तथा क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन रामपुर स्टेट गजट में प्रकाशित दिनांक २८ मई, १९३८ और १२ मार्च, १९४९ की विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन पट्टेदार द्वारा देय जमा, मालगुजारी और जरे ठेका भी हैं,

(१३) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य—

(क) जहां तक दिनांक १ दिसम्बर, १९४९ के पूर्व की गयी किसी बात का सम्बन्ध है, रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ के पैरा ३ के अधीन नियुक्त रामपुर के चीफ कमिश्नर से है अथवा यथास्थिति हिज हाइनेस नवाब रामपुर, सरकार रामपुर, रामपुर दरबार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से है जिसे सम्बद्ध दिनांक पर रामपुर के कार्यपालिका शासन (Executive Government) के सम्पादन अथवा प्रशासन का अधिकार प्राप्त रहा हो और

(ख) जहां तक उक्त दिनांक के बाद की गयी किसी बात का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(१४) शब्द और पद—

(क) 'ठेकेदार', 'पट्टेदार', 'लगान', 'सायर', 'आसामी', 'ग़ैर दखीलकार', का वही अर्थ होगा जो इन्हें क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ में दिया गया है, और

(ख) 'बन्दोबस्त सिसाला योजना' का वही अर्थ होगा जो उसे रामपुर स्टेट गजट में बाद को प्रकाशित दिनांक ६ अगस्त,

१९३८ तथा ५ नवम्बर, १९३८ की विज्ञप्तियों से संशोधित रामपुर स्टेट गजट की १९ अक्तूबर, १९३५ की विज्ञप्ति में दिया गया है ।

पट्टों का अवसान (Determination)।

३—किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख (law, contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनांक जिसे निर्दिष्ट किया जायेगा (जो आगे चलकर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे।

पट्टों के अवसान के परिणाम ।

४—जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा—

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहां आगे चलकर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे मानों कि पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गयी हो;

(ख) जब पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत भूमि को खुदकाश्त में ले लिया हो तो पट्टेदार—

(१) क़ानून कब्ज़ा आराज़ी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा १४ के खंड (हे) से (काफ) तक में वर्णित भूमि से भिन्न भूमि का असामी गैर-दख़ीलकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) दर से आकलित लगान के बराबर लगान देना पड़ेगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायेगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा ।

(२) खंड (१) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में आगमहीन (without title) अध्यासी व्यक्ति समझा जायगा और वह ऐसे व्यक्तियों के लिये समय विशेष पर प्रवृत्त विधि के अनुसार उस भूमि से बेदखल किया जा सकेगा ।

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा;

(घ) ऐसी किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के बाद किसी भी अवधि के लिये देय सभी लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् उक्त धनराशि की कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उसे देने का दायित्व हो वैध भुगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्टेदार से उसे वसूल करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न पड़ेगा;

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (determined) पट्टे से भिन्न अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न हुये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के बाद किसी भी अवधि के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियां पट्टेदार को दी गई हों अथवा उसने संधित (compounded) या वसूल की हों, तो वह अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती हैं और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूली की जा सकती हैं;

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकती है;

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावशाली प्रत्येक बन्धक, शिकमी पट्टा अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण (transfer) का अवसान हो जायगा और ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो कि पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गयी थी जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (compulsory acquisition) की व्यवस्था की गयी हो;

(ज) पट्टे के अन्तर्गत भूमि में चराने अथवा भूमि से उपज एकत्रित करने का, पट्टेदार तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच ३० नवम्बर, १९४९ के पश्चात्, हुआ कोई भी अनुबन्ध अथवा अन्य संविधा अवसान के दिनांक से प्रभावहीन (void) हो जायगा;

(झ) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थिति सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिये नियत की जाने वाली शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेगी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि समाप्त होने पर यदि कि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो (और ऐसी दशा में अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी ।

देय लगान

५—१ दिसम्बर, १९४९ को या इसके बाद पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी भी अनुबन्ध अथवा संविदा के, या की गयी किसी भी बात के, अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, होते हुये भी, उक्त भूमि के लिए देय लगान—

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो १ दिसम्बर, १९४९ को देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिग्री अथवा आज्ञा से दीगयी किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी पर तब तक विचार न किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के बाद भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय मानी गयी हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में लेगा।

६—धारा ३ के अधीन पट्टे के अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि—

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्ज़ा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाये जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और उनका भूमापन (survey) करे अथवा ऐसी माप करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष जिसे निर्दिष्ट किया जाये पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाये जो निर्दिष्ट की गयी हो या मांगी गयी हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किये जायं तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले (seize) और उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्ज़े में ले ले।

पट्टेदार को पट्टे के उपलक्ष्य अवसान में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

७—(१) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गयी है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन कर दिया गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिये किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसे पाने का अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिविष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गयी है।

प्रतिकर का विवरण।

८—इस अधिनियम के अधीन पट्टे के अवसान के कारण हानि या क्षति के लिये प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ६ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income),

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान,

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सन्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

कच्ची निकासी ।

६——धारा ८ के प्रयोजनों के निमित्त पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे——

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान, जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धन राशियां भी हैं——

(१) नकदी में, और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नक़दी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान,

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न किया गया हो मौरूसी तो दर से अवधारित लगान,

(ख) पट्टेदार की खुदकाश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर जिसकी धनराशि——

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी, और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी ।

स्पष्टीकरण——इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सायर के अन्तर्गत तौलाई, तहबाजारी, नखासा, महसूल व जवाज और खनिजों से होने वाली आय नहीं है ।

पक्की निकासी ।

१०——धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो चुका है, दार की पक्की निकासी कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी——

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पिछले कृषि वर्ष में देय धनराशि,

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा प्रदत्त अथवा दिये जाने वाले कृषि आयकर की, यदि कोई हो, धनराशि,

(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर का २५ प्रतिशत समझा जायगा ।

देय प्रतिकर की धनराशि ।

११—पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्रों (formulae) के अनुसार अवधारित की जायगी—

प० नि० × अ० अ० = प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और

"अ० अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायेंगे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) अधिनियम के आरम्भ होने पर या उससे पूर्व समाप्त हो गयी हो और पट्टेदार वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखे रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी ।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन ।

१२—धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार के पास भेजी जायगी ।

डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश ।

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकता है और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

(२) ऐसे अभिदेश के सम्बन्ध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा ।—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (forward) ।

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट कर सकता है (confirm) बदल सकता है अथवा बढ़ा घटा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण ।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

१५—(१) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के संबंध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हों अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हों, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered or modified) कर दिया जायगा और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

विवरण का अंतिम प्रकाशन।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी।

१६—(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा।

प्रतिकार का भुगतान

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष हिसाब से अवसान के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी।

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस संबंध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्तु यह अदायगी उक्त प्रतिकर के संबंध में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार अदायगी की गयी हो, विधि की उचित प्रसर (due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव न डालेगी।

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति।

१८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम के बनाने का अधिकार।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी—

(क) धारा ४ के खंड (घ), (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धन राशियों को आकलित करने की रीति,

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार द्वारा अपनी खुदकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण,
(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय,
(घ) आधार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकार विवरण तैयार किया जायगा,
(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपत्तियां अभिदिष्ट करेंगे,
(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों मौरूसी दरों के निर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत,
(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जायं जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,
(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों और कार्यवाहियों में लागू होना,
(झ) इस अधिनियम के अधीन उन प्रार्थना-पत्रों के संबंध में दिये जाने वाले शुल्क जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,
(ञ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,
(ट) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से किसी दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण,
(ठ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्र तथा अन्य कार्यवाहियों में उन दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, और
(ड) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं अथवा नियत किये जा सकते हैं।

उद्देश्य और कारण

भूतपूर्व रामपुर रियासत के कुछ क्षेत्रों में ठेकेदारों और अनुदान गृहीताओं (grantees) के बने रहने से १९५० ई० का जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम में बतायी गई भूमि व्यवस्था संबंधी योजना को उक्त क्षेत्रों में प्रचलित करना कठिन हो गया है। यहां के व्यक्तियों के भूमि संबंधी अधिकारों में राज्य के शेष भागों की तरह समानता लाने तथा उनको अपनी कृषि की भूमि में लगाई गई पूंजी और अपनी मेहनत का पूरा-पूरा लाभ उठा सकने का अवसर देने के लिये इस प्रकार की ठेकेदारी तथा पट्टेदारी की प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक है। अतएव उक्त क्षेत्र में जमींदारी का उन्मूलन करने और भूमि व्यवस्था प्रचलित करने के विचार से प्रथम प्रयास के रूप में यह अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है।

चरन सिंह,
राजस्व मंत्री

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १६५३

खादी की बिक्री को विनियमित करने के विधेयक

यह आवश्यक है कि खादी की बिक्री को विनियमित किया जाय, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी बिक्री अधिनियम, १६५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

परिभाषायें।

२—प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) 'व्यापारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो थोक या फुटकर खादी की बिक्री का व्यवसाय करता हो।

(ख) 'खादी' के अन्तर्गत खद्दर भी है और इसका तात्पर्य भारत में करघे पर बुने हुये किसी ऐसे कपड़े से है जो भारत में हाथ से कते हुये रूई, रेशम या ऊन के धागे से अथवा उक्त प्रकार के किन्हीं दो धागों के अथवा सभी के सम्मिश्रण से बनाया गया हो।

(ग) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

खादी की बिक्री के लिये लाइसेंस

३—कोई भी व्यापारी इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के अनुसार अथवा अधीन ही किसी पदार्थ को खादी के नाम से बेंच सकेगा, अन्यथा नहीं।

लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारियों की नियुक्ति।

४—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है और उनके अधिक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को निश्चित कर सकती है।

लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार।

५—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को बाधित न करते हुये लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसी जांच करने के बाद जो नियत की जाय उसे खादी बेंचने का लाइसेंस प्रदान करेगा।

न्यायाधिकरण की नियुक्ति।

६—राज्य सरकार एक न्यायाधिकरण, जिसका एक सभापति होगा और जिसके दो सदस्य होंगे, नियुक्त करेगी।

उसका सभापति वह व्यक्ति होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या रह चुका हो अथवा जिसने कम से कम ५ वर्ष की अवधि तक ऐसे न्यायिक पद पर कार्य किया हो जो सिविल जज के पद से न्यून न हो।

लाइसेंस न प्रदान करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील शास्ति।

७—लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी की लाइसेंस न प्रदान करने की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय पूर्व-गामी धारा के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

८—कोई भी व्यापारी जो धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस की शर्तों को तोड़ेगा तो वह लाइसेंस निरस्त होने के अतिरिक्त कारावास के दंड का भी भागी होगा जो ६ महीने तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों का भागी होगा।

अपराधों की अवेक्षा Cognizence।

९—कोई न्यायालय तब तक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध की अवेक्षा (Cognizence) न करेगा जब तक कि सम्बद्ध लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी परिवाद न प्रस्तुत करे।

निगमों (Corporations) द्वारा अपराध।

१०—यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई समवाय (Company) अथवा अन्य निगमित संस्था हो तो उसका प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, मंत्री अथवा अन्य अधिकारी अथवा अभिकर्त्ता ऐसे अपराध का दोषी समझा जायगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अपराध उसकी जानकारी में हुआ हो और उसने उस अपराध को रोकने में यथोचित परिश्रम न किया हो।

नियम बनाने का अधिकार।

११—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:

(क) आकार पत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र दिये जांय और विषय जिन पर लाइसेंस देने में विचार किया जाय,

(ख) लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया और इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति,

(ग) आकार पत्र जिसमें और शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान अथवा प्रत्यावर्तित किया जाय,

(घ) लाइसेंस प्रदान पर आदेय शुल्क,

(ङ) आकार पत्र जिसमें और अवधि जिसके भीतर धारा ६ के अधीन अपीलें प्रस्तुत की जांय,

(च) न्यायाधिकरण का संगठन और उसका कार्य तथा वह रीति जिसके अनुसार जांच की जायगी।

उद्देश्य और कारण

सच्ची और प्रामाणिक खादी का रूप देकर नकली खादी की बिक्री को रोकने के लिये भारत सरकार ने "खद्दर (प्रोटेक्शन आफ नेम) ऐक्ट, १९५०" पास किया है। इस अधिनियम के अधीन खद्दर या खादी की परिभाषा यह है 'वह कपड़ा जो भारत में हाथ से कते हुये रूई, रेशम अथवा ऊनी धागे से अथवा इनमें किसी दो के सम्मिश्रण से अथवा सभी के सम्मिश्रण से हाथ के करघे पर बुना गया हो।' यह आवश्यक है कि इस अधिनियम का लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा खादी की बिक्री को विधान द्वारा विनियमित करके पालन किया जाय। यह विधेयक लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को छोड़कर अन्य व्यापारियों द्वारा खादी की बिक्री को रोकने के लक्ष्य से तथा उक्त व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था करने के निमित्त प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
उद्योग मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश एन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने का

१९३४ की यू० पी० ऐक्ट संख्या २५।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ का संशोधन किया जाय,

१९३४ की यू०पी० ऐक्ट संख्या २५।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में :—

(१) खंड (ई) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (एच) से (एम) तक निकाल दिये जांय, और

(३) खंड (एम) के बाद निम्नलिखित नये खंड (एन) और (ओ) के रूप में जोड़ दिये जांय :

(*n*) a reference to "proprietary rights in land" shall include a reference to compensation and rehabilitation grant payable under and in accordance with the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950:

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

(*o*) the expressions "compensation" and "rehabilitation grant" shall mean the compensation or, as the case may be, the rehabilitation grant payable under the U. P., Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act.

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ७ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) में शब्द "in full under section 23 or section 24 or granted a mortgage under section 25 or passed orders under section 27 or 28" के स्थान पर शब्द "under Chapter V" रख दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-ए का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ९-ए की—

(१) उपधारा (४) के शब्द 'fail' और 'cancel', के बीच शब्द 'or that it is no longer necessary in consequence of the acquisition of estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 to continue the appointment of a receiver' रख दिये जांय, और

(२) उपधारा (५) निकाल दी जाय।

यू०, पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-सी का निकाला जाना।

५—मूल अधिनियम की धारा ९–सी निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-डी का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ९-डी में शब्द, अंक और कोष्टक "(2), (4) and (5)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्टक "(2) and (4)" रख दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ११ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द:

"such property is transferred to any person under the provisions of sections 24, 25, 28 or 31 or a bond is issued by the Collector to a creditor under section 30 or 31" के स्थान पर शब्द "the debt has been liquidated under Chapter V" रख दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १४ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(7) If the Special Judge finds that—

(*a*) no amount is due, he may pass a decree for costs in favour of the landlord;

(*b*) an amount is due to the claimant, he shall—

(i) pass a simple money decree, having regard also to the provisions of section 3 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952 for such amount together with any costs which he may allow in respect of the proceedings in his court and of proceedings in any court stayed under the provisions of this Act together with *pendentelite* and future interest at a rate not higher than 4½ per cent. per annum; and

(ii) also certify the amount, if any, of such decree which, in accordance with the provisions of section 8 of U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952, is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord:

Provided that no *pendentelite* interest shall be allowed in the case of any debt where the creditor was in possession of any portion of the debtor's property in lieu of interest payable on such debt for the priod he was so in possession.

(8) Every decree passed under sub-section (7) shall be deemed to be a decree of a court of competent jurisdiction but shall not be executable within U. P. except under the provisions of this Act."

९—मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द और अंक "Section 14" के बाद शब्द 'or section 4 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952' जोड़ दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १५ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १६ में प्रकार (३) के बाद निम्नलिखित नया प्रकार (३-ए) के रूप में रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १६ का संशोधन।

"Class (3-A). Secured debts which are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord."

११—मूल अधिनियम की धारा १८ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय:

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १८ का संशोधन।

"Provided that secured debts which, in accordance with the provisions of section 8 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952, are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord shall continue to be so recoverable as if the security had not been extinguished."

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १९ का संशोधन।

'(2) The Special Judge shall inform the Collecor—

(*a*) of the amount of the secured debt which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord in respect of the mortgaged estate; and

(*b*) of the nature and extent of the property mentioned in the notice under section 11 which he has found to be liable to attachment or sale in satisfaction of the debts of the applicant."

१३—मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नई धारा १९-ए के रूप में जोड़ दी जाय:

यू० पी० ऐक्ट, २५, १९३४ में नई धारा १९-ए का जोड़ा जाना।

"Amendment of the decrees transmitted to the Collector.

19-A. Where a decree been passed by the Special Judge before the commencement of the U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1953 and the decree is in respect of a secured debt to which the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952 applies, the Special Judge shall, upon reductions o fthe amount of thedebt in accordance with the provisions of the said Act,

(*a*) inform the Collector of the reduction so made; and

(*b*) certify the amount, if any, of the decree aforesaid which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of the mortgaged estate; and the decree transmitted to the Collector under section 19 shall be deemed to have been amended accordingly."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में नई धारायें २३-ए और २३-बी का जोड़ा जाना।

१४—मूल अधिनियम की धारा २३ के बाद निम्नलिखित नई धारायें २३-ए और २३-बी के रूप में जोड़ दी जांय:

Compensation and rehabilittaion grant to be placed at the disposal of the Collector.

"23-A. The Collector shall require the Compensation Officer and Rehabilitation Grants Officer, as may be necessary to place at his disposal in pursuance of section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the amount of compensation money and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of his proprietary rights in land reported to be liable to attachment or sale under the provisions of sub-section (2) of section 19.

U. P. Act I of 1951.

Liquidation of secured debt recoverable form compensation and rehabilitation grant.

23-B. (1) Without prejudice to the provisions of section 8 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952 the amount or the bonds on account of compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A shall be expanded or utilised by the Collector in liquidation of the amount of the secured debt which having regard to the provisions of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952 was secured on the proprietary rights in land in respect of which such money has been received.

(2) If any balance out of the compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A remains in the hands of the Collector after utilising the same in accordance with the provisions of sub-section (1), such balance shall be utilised by the Collector in discharging the debts, other than the debts, referred to in the said sub-section in order of priority."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २४, का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

Realisation of value of debtors Property and application of proceeds for liquidation of debts.

"(1) The Collector shall then realise the value of such of the debtor's property, other than proprietary right in land, but including proprietary rights in land in areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified Area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916 or a cantonment under the provisions of the Cantonment Act, 1924 or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914, as shall have been reported by the Special Judge under the provisions of sub-section (2) of section 19 to be liable to attachement or sale:

Provided that the Collector before passing orders under this section of the sale of any property shall hear any objection which the debtor may have to make to the sale of that property:

Provided also that, notwithstanding anything in any other section, of this Act, the Collector may, if he considers fit, sell, along with any building disposed of under this section the proprietary rights of the applicant of any land occupied by such building or appurtenant thereto."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २५ से ३४ तक और धारा ३६ से ४२ तक का निकाला जाना।

१६—मूल अधिनियम की धारायें २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ और ४२ निकाल दी जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४४ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) में:

(१) खंड (ए) में शब्द और अंक "Section 23 or 24" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23, 23-B or section 24" रख दिये जाय, और

(२) खंड (बी) और (सी) निकाल दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४८ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में:

(१) उपधारा (१) में शब्द "or has granted the mortgage under section 25 or has ordered the payment of instalments under section 27 or 28 or has transferred the whole of the landlord's proprietary rights in unprotected land under section 28" के स्थान पर शब्द और अंक 'section 23-B or 24' रख दिये जायं, और

(२) उप-धारा (२) निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारायें ५५ और ५६ का निकाला जाना।

१९—मूल अधिनियम की धारायें ५५ और ५६ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की अनुसूची (Schedule) का निकाला जाना।

२०—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में एक नई धारा ६० का जोड़ा जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ५९ के बाद निम्नलिखित नई धारा ६० के रूप में जोड़ दी जाय:

Exercise of powers of the Collector by the Special Judge.

60. The powers exerciseable by the Collector under Chapter V may, if the State Government so directs, be exercised by the Special Judge either generally or in any area, as may be specified."

अपवाद (Savings)। २२—जब मूल अधिनियम का कोई भी उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित हो चुका हो तो जब तक भिन्न प्रयोजन न प्रतीत हो ऐसा निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधनः

(क) किसी ऐसी बात को पुनः प्रचलित न करेगा जो ऐसे निर्सन, परिवर्तन अथवा संशोधन के कार्यान्वित होने के समय प्रचलित या विद्यमान न हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित उपबन्ध के पूर्व प्रवर्तन (previous operation) पर अथवा तदन्तर्गत यथाविधि किये अथवा हुये काम पर प्रभाव न डालेगा,

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित, अथवा संशोधित उपबन्ध के अधीन उपार्जित, उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार या दायित्व को प्रभावित न करेगा, अथवा

(घ) उपर्युक्त ऐसे किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार, दायित्व के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी उपचार (remedy) अथवा आरम्भ की गई जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों पर प्रभाव न डालेगा, और ऐसे किसी उपचार का अनुपालन हो सकेगा और ऐसी किसी जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों का संचालन और समापन इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो सकेगा।

शंकाओं का निवारण। २३—सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध का निरसन अथवा संशोधन निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगाः

(क) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ६ के उपबन्धों के अधीन, मूल अधिनियम की धारा २५, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अन्तर्गत अनुदत्त किसी बन्धक का अविरत प्रवर्तन (continued operations);

(ख) मूल अधिनियम की धारा २७ अथवा २८, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अनुसार आज्ञप्त ऐसी किस्त के भुगतान का दायित्व जो ऋणी द्वारा देय हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसी किस्तों अथवा उनके अंश को, उक्त अधिनियम की धारा २९, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के अधिकार,

(ग) मूल अधिनियम की धारा ३० अथवा ३१, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अधीन दी गयी बन्धों (Bonds) को जारी करने के लिये आज्ञा का प्रवर्तन अथवा तदन्तर्गत जारी किये गये किन्हीं भी बन्धों की अविरत वैधता (continued validity);

(घ) मूल अधिनियम की धारायें ३१, ३३ और ३४, जो आगे चलकर निकाल दी गई हैं, के अधीन भूमि में स्वामित्व के अधिकारों के संक्रमण अथवा विक्रय, और

(ङ) अवध सेटिल्ड इस्टेट ऐक्ट, १९१७ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० में किसी भी बात के होते हुये भी मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र के दिनांक के बाद ऋणी की मृत्यु होने पर मूल अधिनियम की धारा ४० के अधीन उत्पन्न प्रभार (charge)।

यू० पी० ऐक्ट ७, १९५० की अनुसूची का संशोधन।

२४—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश संबंधी अधिनियम की अनुसूची का पैरा २ (यूनाइटेड प्राविलेज एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ से सम्बद्ध) निकाल दिया जाय और उक्त अधिनियम की धारा १० के अधीन यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के चैप्टर ५ के अधीन होने वाली कार्यवाहियों (proceedings) को स्थगित करने के लिये जारी की गई आज्ञायें निरस्त हो जायंगी।

अकुलन के हेतु न्यायालय और अन्य किसी प्राधिकारी के अधिकार।

२५—विचाराधीन किसी कार्यवाही या जांच के प्रति या इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन उपार्जित, उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के प्रति, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की प्रवृत्ति को सुकर बनाने के लिये कोई न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों का, ऐसे परिवर्तनों अथवा परिष्कारों सहित ऐसा अर्थ लगा सकता है जिससे तात्पर्य पर व्याघात न हो और जो न्यायालय अथवा प्राधिकारी के, जैसी भी दशा हो, समक्ष विषय को अनुकलित करने के लिये आवश्यक अथवा उपयुक्त हो।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार।

२६—राज्य सरकार, कठिनाइयों और विशेषकर उस किसी कठिनाई को दूर करने के, जो मूल अधिनियम के उपबन्धों को इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संकलित होने के संबंध में हों, प्रयोजन से आज्ञा द्वारा—

(क) आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि पर्यन्त उन अनुकूलनों के अधीन, जो परिस्कार, संयोजन अथवा वियोजन (addition and omission) के रूप में किये जायं जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे, प्रभावशील होगा और

(ख) उपर्युक्त प्रकार की किसी भी कठिनता को, जो विनिर्दिष्ट की जाय, दूर करने के प्रयोजन से अन्य ऐसे ही अस्थायी उपबन्ध बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

राज्य के देहाती क्षेत्रों में जमींदारी के विनाश ने और उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के अधिनियम, १९५२ के पारण ने उन ऋणों की स्थिति को, जो यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अन्तर्गत मामलों के विषय में थे, बिलकुल ही बदल दिया है। यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के उन उपबन्धों को हटाने के लिये जो निष्फल और अव्यावहारिक हो गये हैं, तथा अन्य उपबन्धों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिस्कृत करने के हेतु, यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

सिविल लाज़ (दीवानी कानूनों) में सुधारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि सिविल लाज़ (दीवानी क़ानूनों) में सुधार किया जाय और इसी उद्देश्य से कुछ अधिनियमों का, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन किया जाय।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलाएगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अनुसूची में निर्दिष्ट विधायनों का संशोधन।

२—अनुसूची के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट विधायन जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है अनुसूची के स्तम्भ ३ और ४ में वर्णित आयति पर्यन्त (to the extent) संशोधित होंगे और एतद्द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

अपवाद (Savings)

३—(१) इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गयी अथवा हुयी किसी बात (of anything already done or suffered) की, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा भारित किसी अधिकार, आगम, अधिभार अथवा दायित्व (any right, title, obligation or liability already acquired, accrued, or incurred) की, अथवा किसी ऋण की डिक्री से मुक्ति या उसके उत्सर्जन या किसी दायित्व से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा अधिक्षेत्र की जो प्रयोग में लाया गया हो, (any release or discharge of or from any debt, decree, liability, or any jurisdiction already exercised), वैधता, अवैधता, फल अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा (shall not affect the validity, invalidity, effect or consequence of), और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी न्यायालय में निविष्ट या आरब्ध (instituted or commenced) व्यवहार, जहां पर किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, उक्त न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जा सकेंगे।

(२) यदि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ में अथवा अनुसूची के स्तम्भ २ में वर्णित किसी अन्य विधायन में किसी संशोधन के हो जाने के कारण किसी वाद अथवा अपील के लिये नियत अवधि परिष्कृत हो गयी हो अथवा ऐसे वाद अथवा अपील पर कोई भिन्न अवधि अब से प्रवृत्त होने वाली हो, तो ऐसे संशोधन के अथवा इस बात के होते हुए भी कि अब वाद अथवा अपील किसी अन्य न्यायालय में हो सकेगी, उपर्युक्त वाद अथवा अपील में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कालावधि (limitation) आरम्भ हो जाने पर, वही अवधि प्रवृत्त होगी जो इस संशोधन के न होने पर होती।

अनुसूची

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
१	इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ (ऐक्ट सं० १, १८७२)	९०	वर्तमान धारा, धारा ९० (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय, और (क) शब्द "Thirty years" के स्थान पर शब्द "Twenty years" रख दिये जांय, और (ख) उसके बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में रख दिया जाय :— "(2) Where any such document as is referred to in sub-section (1) was registered in accordance with the law relating to registration of documents and a certified copy thereof duly certified by an officer duly authorised in that behalf is produced, the Court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to have been executed or attested".
२	ट्रांसफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ (१८८२ का ऐक्ट सं० ४)	१०६	(१) शब्द "expiring with the end of a year of the tenancy" और शब्द "expiring with the end of a month of the tenancy," निकाल दिये जांय। (२) शब्द "fifteen days' notice" के स्थान पर शब्द "thirty days' notice" रख दिये जायं।
३	प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० ९)	सेकेंड शिड्यूल	(१) आर्टिकिल (८), (२६), (३४) और आर्टिकिल (३५) का उपखंड (२) और आर्टिकिल (४३-ए) निकाल दिए जायं। (२) वर्तमान आर्टिकिल (३८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं :— "(38) a suit relating to maintenance but not being a suit for recovery of arrears of maintenance based upon a decree or a written agreement."

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
४	बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० १२)	२१	उपधारा (१) के खंड (ए) में शब्द "five thousand rupees" के स्थान पर शब्द 'ten thousand rupees' रख दिये जायं।
५	कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	३५-ए	(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :– "(1) If any suit or other proceeding, including proceedings in execution, but not being an appeal or revision, the court finds that the claim or defence or any part thereof is false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward and if such claim or defence or such part is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the court may, after recoiding its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for the payment of costs by way of compensation by the party by whom to the party against whom such claim or defence was put forward."
..	"	४२	(२) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं :– "42. The court executing a decree sent to it shall except as provided for in section 39 have the same power in executing such decree as the court which passed it. All persons disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree had been passed by itself."
"	"	४७	(३) धारा ४७ के वर्तमान स्पष्टीकरण को "Explanation I" के रूप में पुनः परिगणित किया जाय, और

क्रम-संख्या	अधिनियम का सक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
			उसके बाद निम्नलिखित "Explanation II" के रूप में जोड़ दिया जाय : "*Explanation II*— For the purposes of this section a purchaser at an auction sale in execution of the decree is representative of the judgment-debtor ".
	कोड ग्राफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	५१	(४) खंड (बी) के बाद निम्नलिखित नया खंड (बीबी) के रूप में जोड़ दिया जाय : "(*bb*) by attachment and transfer other than sale or by such transfer without attachment of any property."
	,, ,,	९२	(५) उपधारा (१) में खंड (सी) के बाद निम्नलिखित नया खंड (सीसी) के रूप में जोड़ दिया जाय : "(*cc*) for delivery of possession of any trust property against a person who has ceased to be trustee or has been removed."
	,, ,,	१०२	(६) धारा के अन्त में आने वाले शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "two thousand rupees" रख दिये जांय ।
	,, ,,	१४४	(७) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— "(1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or otherwise, the court of first instance shall on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made, as will, so far as may be, place the party in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied or reversed; and, for this purpose, the Court may make any orders, including order for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly consequential on such variation of reversal."

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
	कोड ग्राफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	१४५	(८) वर्तमान धारा १४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "145. Where any person has become liable as surety or given any property as security— (*a*) for the purpose of any decree or any part thereof, or (*b*) for the restitution of any property taken in execution of a decree, or (*c*) for the payment of any money, or for the fulfilment of any condition imposed or any person, under an order of the Court in any suit or in any proceeding consequent thereof— (i) if he has rendered himself personally liable, against him to the extent he has so rendered liable, and (ii) if he has given any property as security, by sale of such property to the extent of the security; and such person shall, for the purposes of appeal, be deemed a party within the meaning of section 47 : Provided that such notice as the court in each case thinks sufficient has been given to the surety. *Explanation*—For the purposes of this section a person who has been entrusted by a Court custody of any property attached in execution of any decree or order shall be deemed to have become liable as surety for the restitution of such property within the meaning of clause (*b*)".
६	दि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ९)	दि फर्स्ट शिड्यूल	(१) आर्टिकिल ११ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "one year" के स्थान पर शब्द "six months" रखदिये जांय, (२) आर्टिकिल १८२ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "three years" के स्थान पर शब्द "six years" रख दिये जांय।

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
७	दि इंडियन ल्युनेन्सी ऐक्ट, १९१२ (१९१२ का ऐक्ट सं० ४)	३	इस धारा की उपधारा (३) के अन्त में आने वाले कोलन के स्थान पर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय : "and includes any other civil court of a Munsif declared in that behalf and for such areas as may be specified by the State Government by notification in the Gazette, or"
८	दि प्राविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)	२०	(१) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :- "20. The Court when making an order admitting the petition may, and where the debtor is a petitioner, shall, appoint an interim receiver of the property of the debtor and may direct such receiver to take immediate possession thereof, and the interim receiver shall thereupon have such of the powers conferable on a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908, as the court may direct. Where in any case an interim receiver is not appointed at the time of admitting the petition, the court may make such appointment at any subsequent time before adjudication, and the provisions of this section shall apply accordingly. *Explanation*—The order appointing an interim receiver may in cases where the debtor is not the petitioner be in respect of either the whole or a part only of the debtor's property."
		५९-ए	(२) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधाराएं (४) से (७) तक जोड़ दी जाय : "(4) If on his examination any such person admits that he is indebted to the insolvent, the court on such officer may, on the application of the receiver, order him to pay to the receiver at such time and in such manner as to the court or such, officer seems expedient, the amount in

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
	दि प्राविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)		which he is indebted, or any part thereof either it full discharge of the whole amount or not, as the court, or as the case may be, the officer thinks fit, with or without costs of the examination. (5) If on his examination any such person admits that he has in his possession any property belonging to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to deliver to the receiver that property or any part thereof, at such time, in such manner and on such terms as to the court or, as the case may be, the the officer may seem just. (6) Orders made under sub-sections (4) and (5) shall be executed in the same manner as decree for the payment of money, or for the delivery of property, under the Code of Civil Procedure, 1908, respectively. (7) Any person making any payment or delivery in pursuance of an order made under sub-section (4) or sub-section (5) shall by such payment or delivery be discharged from all liability whatsoever in respect of such debt or property."
		७४	(३) शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "one thousand rupees" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

सन् १९५० में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिए और विशेषतः मुक़दमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यय के विषय में जांच करने और अनावश्यक मुक़दमें-बाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए सुझाव देने के निमित्त एक समिति नियुक्त की थी। सिविल लाज के सम्बन्ध में समिति की उन सिफ़ारिशों को, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, कार्यान्वित करने के लक्ष्य से इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२, ट्रांस्फ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७, बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ तथा अनुसूची में अभिदिष्ट अन्य ऐक्टों को निम्न-लिखित रीति से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(२) इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ६० के अधीन उन लेख्यों (documents) के निष्पादन को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जो ३० साल पुराने हों क्योंकि उनकी सिद्धि के लिए उपयुक्त साक्ष्य ढूंढना कठिन है। इस धारा में नियत ३० वर्ष की अवधि बहुत बड़ी है और उसे २० वर्ष कर देने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि धारा ६० के अधीन परिकल्पना (प्रिज़म्पशन) का लाभ यदि लेख्य की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाय तो भी मिलना चाहिए। न्यायालयों का बहुत सा समय इन लेख्यों के प्रमाणिकता के बारे में रीतिक साक्ष्य अभिलिखित करने में नष्ट हो जाता है, यह समय इस संशोधन द्वारा बच जायगा।

ट्रांसफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में संशोधन का लक्ष्य है कि माहवारी किरायेदारी की दशा में नोटिस की अवधि १५ दिन से ३० दिन कर दी जाय और साथ ही साथ यह कठिनाई दूर कर दी जाय कि नोटिस किरायेदारी की अवधि के आखिरी दिन पर समाप्त हो।

प्राविंशियल स्माल काज़ कोर्ट ऐक्ट के शिड्यूल २ को संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले जो उन न्यायालयों की अवेक्षा (cognizances) में नहीं आते, उनके द्वारा सुने जा सकेंगे। यह मामले इन न्यायालयों द्वारा सुने जाने वाले दूसरे मामलों से साधारणतया भिन्न नहीं हैं। आशा की जाती है कि इस प्रकार न्याय की प्राप्ति शीघ्रता से होगी।

बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे ५,००० से १०,००० रुपये तक के मूल्य वाली अपीलें जिला जजों द्वारा सुनी जा सकें और हाई कोर्ट में काम घट जाय और अपीलों का निस्तारण शीघ्रता से हो सके।

झूठी मुकदमेबाजी और कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए कोड आफ सिविल प्रोसीजर में कई संशोधन किये जा रहे हैं। कोड आफ सिविल प्रोसीजर की वर्तमान धारा ३५-ए के अधीन न्यायालय को तभी विशेष वाद-व्यय दिलाने का अधिकार है जब पक्ष यह दलील यथाशीघ्र प्रस्तुत करे कि विरोधी पक्ष की जानकारी में दावा या बचाव झूठा या परेशान करने वाला है। न्यायालय, यदि यह दलील न उठायी गयी हो, तो यह जानते हुए भी कि दावा या बचाव झूठा था विशेष वाद-व्यय नहीं दिला सकता। अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए धारा ३५-ए को संशोधित करके न्यायालय को स्वतः ही विशेष वाद-व्यय दिलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि दावा या बचाव परेशान करने वाला था।

जब एक न्यायालय द्वारा दी गयी डिग्री दूसरे न्यायालय को संक्रामित की जाती है, तो उस न्यायालय को, जिसे डिग्री संक्रामित की गयी है डिग्री के निष्पादन, उत्सर्जन अथवा भरपाई से सम्बद्ध कई प्रकार की आपत्तियां निर्णीत करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ऐसे न्यायालयों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है जिससे पक्षों को उस न्यायालय के पास अभिदेश की आवश्यकता नहीं रह जायगी, जिसने डिग्री दी हो। सिविल प्रोसीजर कोड में अन्य कोई संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

डिक्री को कायम रखने के लिये बहुत से बेकार के प्रार्थना-पत्र उसे जारी करने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। इससे न तो डिग्रीदार को ही फायदा होता है न ऋणी को ही फायदा होता है, क्योंकि उस पर अनावश्यक खर्चा लदता ही जाता है। न्यायालयों का भी बहुत सा समय इन प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में चला जाता है। अतः लिमिटेशन ऐक्ट, १६०८ के आर्टिकिल १८२ में प्रदत्त ३ वर्ष की अवधि के स्थान पर ६ वर्ष कर देने का विचार है।

डिस्ट्रिक्ट जजों के पास काम को घटाने के विचार से इंडियन ल्युनेन्सी ऐक्ट को संशोधित किया जा रहा है जिससे इस ऐक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई सिविल जज ही कर सकें।

कई बार ऐसा देखा गया है कि रिसीवर में निहित सम्पत्ति उसके कब्जे में नहीं आ पाती और दिवालिये का अधिकार उस पर बना रहता है। इसलिए यह उचित है कि जब ऋणी द्वारा दिवालिया निर्णित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो सभी दशाओं में न्यायालय रिसीवर को यह आदेश दे कि वह प्रार्थी की सम्पत्ति पर तत्काल कब्जा कर ले। तदनुसार प्राविंशियल इन्साल वेंसी ऐक्ट की धारा २० को संशोधित किया जा रहा है। इस ऐक्ट को इस अभिप्राय से भी संशोधित किया जा रहा है कि क्षिप्र प्रशासन (summary administration) की सीमा ५०० रु० से १,००० रु० कर दी जाय।

अतएव उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार और संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५३ कहलाएगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे और राज्य के विभिन्न भागों अथवा जिलों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किए जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर :—

(१) 'लाभार्थी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि को योजना के निष्पन्न होने के परिणामस्वरूप लाभ होगा,

(२) 'मंडल' का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित भूमि संरक्षण मंडल से है,

(३) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त अथवा पदयुक्त करे,

(४) 'जिला समिति' का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित जिला भूमि संरक्षण समिति से है,

(५) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(६) 'जिला भूमि संरक्षण अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त अथवा पदयुक्त अधिकारी से है,

(७) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(८) 'निर्माण (work)' का तात्पर्य योजना के अधीन बनाये या खड़े किये गये, निष्पादित या किये गये (constructed, erected, performed or carried out) किसी सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित वनीकृत क्षेत्र (afforested area) तथा पशुचर (pasture) भी हैं।

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल

३—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये भूमि संरक्षण मंडल की स्थापना करेगी।

(२) मंडल में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कृषि मंत्री, जो पदेन सभापति होंगे,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो उपमंत्री,

(ग) विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तीन सदस्य

(घ) विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित दो सदस्य,

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामांकित तीन सदस्य।

(३) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे, बोर्ड का पदेन सचिव (Secretary) होगा।

(४) उपधारा (२) के खंड (ख) से (ङ) तक में अभिदिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य यथास्थिति उपमंत्री विधान सभा का सदस्य अथवा विधान परिषद् का सदस्य न रहे तो वह इस बात के होते हुए भी कि उपर्युक्त कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, सदस्य न रह सकेगा :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सदस्य का कार्यकाल जो आकस्मिक रिक्ति (Casual vacancy) की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नामांकित हुआ हो उसके पूर्वगामी व्यक्ति के कार्यकाल का अवशिष्ट भाग होगा।

मंडल के कार्य

४—मंडल के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि संरक्षण की योजना अथवा कार्यक्रम पर विचार करना और स्वीकृति देना,

(ख) अधिनियम के अधीन भूमि संरक्षण के लिये स्वीकृत योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,

(ग) अन्य ऐसे कार्यों का पालन जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं।

५—(१) प्रत्येक जिले में एक जिला भूमि संरक्षण समिति स्थापित की जायगी।

जिला समिति

इसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) कलेक्टर,

(ख) नहरों के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर,

(ग) ज़िला विकास कार्य के आफीसर इन्चार्ज,

(घ) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर,

(ङ) डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफीसर,

(च) ज़िला भूमि संरक्षण अधिकारी।

(२) कलेक्टर अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामांकित उसका प्रतिनिधि समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

(३) ज़िला भूमि संरक्षण अधिकारी पदेन समिति का सचिव होगा।

(४) ज़िला भूमि संरक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) ज़िला अथवा उसके किसी भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना तैयार करना,

(ख) ज़िला अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि संरक्षण योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,

(ग) योजना के निष्पादनार्थ का पर्यवेक्षण (supervision) करना,

(घ) ज़िले में भूमि संरक्षण के अन्य ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किए जायं।

अध्याय ३

भूमि संरक्षण योजना की तैयारी

६—किसी भी क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जायगा :—

भूमि संरक्षण के उद्देश्य।

(क) भूमि का कटाव रोकने के लिये,

(ख) प्रधानतः जलवेष्टित क्षेत्रों में भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये,

(ग) भूमि को ऊसर होने से बचाने के लिए, और

(घ) बाढ़ रोकने के लिये।

७—जब कभी जिला समिति आवश्यक समझे तो वह मंडल से सिफारिश कर सकती है कि ज़िला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग में भूमि संरक्षण कार्य किया जाय।

ज़िला में भूमि संरक्षण कार्य करने के निमित्त जिला समिति की सिफारिशें।

मंडल का परामर्श।

८—जब मंडल को यह संतोष हो कि जिला या उसके किसी भाग में भूमि संरक्षण करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकार को निम्नलिखित के विषय में परामर्श और आख्या (report) दे सकता है :—

(क) जिला अथवा उसके भाग में किया जाने वाला भूमि संरक्षण, और

(ख) मंडल द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई आख्या में वर्णित प्रयोजनों के दृष्टिकोण से जिला समिति द्वारा योजना तैयार करवाना।

तथ्यों के संकलन और योजना के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश।

९—(१) राज्य सरकार, यदि वह आख्या स्वीकार कर ले तो :—

(क) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह जिला समिति द्वारा जिला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना की तैयारी के लिए भूमापन (survey) करे, तथ्य (data) एकत्रित करे और प्रस्ताव (proposals) तैयार करे,

(ख) जिला समिति को आदेश दे सकती है कि खंड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडल द्वारा राज्य सरकार को धारा ८ के अधीन भेजी गई आख्या में वर्णित प्रयोजनों के निमित्त, वह योजना तैयार करे।

(२) भूमि संरक्षण योजना (जिसे आगे चल कर योजना कहा गया है) नियत आकार में तैयार की जायगी जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(क) योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की आयति और व्योरे,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था के व्योरे,

(ग) योजना के निष्पादन का कार्यक्रम,

(घ) योजना के निष्पादन के उपाय और साधन,

(ङ) योजना के सम्बन्ध में लाभार्थी को दिये जाने वाले अधिकार, तथा उसके सम्पादन, पूर्ति और रखरखाव से, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा देय प्रभार भी, यदि कोई हो, होगा, सम्बद्ध दायित्व।

जिला योजना का नर्माण।

१०—धारा ९ के अधीन मांग (requisition) की प्राप्ति पर जिला समिति अथवा उसके किसी भाग के निमित्त, जैसी भी दशा हो, मंडल की आख्या में वर्णित आदेशों के अनुसार एक योजना बनायेगी।

योजना मंडल के पास प्रस्तुत की जायगी।

११—(१) धारा १० के अधीन निर्मित योजना कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के पास भेजी जायगी जो उसे विचार के लिए मंडल के समक्ष रखेगी।

(२) मंडल के समक्ष योजना प्रस्तुत किये जाने के बाद वह उस पर यथाशीघ्र विचार करेगा और उसे या तो सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किए, स्वीकार कर लेगा अथवा अस्वीकार कर देगा।

(३) मंडल द्वारा योजना अस्वीकार हो जाने पर राज्य सरकार ज़िला समिति को तदनुसार सूचित करेगी और ज़िला समिति उस पर आगे कार्यवाही न करेगी।

१२—(१) यदि योजना मंडल द्वारा धारा ११ के अधीन स्वीकृत हो जाय तो वह राज्य सरकार के पास भेज दी जायगी और जो उसे कलेक्टर के पास जिले में नियत रीति से प्रकाशनार्थ भेज देगी। आख्या का आपत्तियों के लिए प्रकाशन।

(२) कोई भी व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन से ३० दिन के भीतर जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

१३—(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, धारा १२ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो तो, पक्षों की सुनवाई करके उन आपत्तियों पर अपनी आख्या कलेक्टर के पास प्रस्तुत करेगा जो उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा। आपत्तियों का निस्तारण।

(२) यदि धारा १२ में नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो अथवा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और वह अन्ततः निस्तारित हो गई हो तो कलेक्टर ऐसे परिष्कारों अथवा परिवर्तनों सहित जो उपधारा (१) के अधीन आज्ञाओं के, यदि कोई हों, अनुसार आवश्यक हो, योजना को, प्रस्तुत तथा निस्तारित आपत्तियों पर आख्या सहित, राज्य सरकार को भेज देगा।

१४—धारा १३ के अधीन योजना और आख्या के प्राप्त होने पर राज्य सरकार मंडल के परामर्श से सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किये योजना को पुष्ट (confirm) कर सकती है और उसे सरकारी गजट में और सम्बद्ध जिले में प्रकाशित करा सकती है। योजना की पुष्टि

ऐसे प्रकाशन के पश्चात् योजना अन्तिम हो जायगी।

अध्याय ४

योजना का निष्पादन

१५—योजना ऐसे दिनांक को प्रचलित होगी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। योजना प्रचलित होने का दिनांक।

१६—धारा १४ क अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिए यह वैध होगा कि वह :— योजना के अन्तगत व्यापारों को कार्यान्वित करने का अधिकार।

(क) ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें (टेक लेवल),

(ख) ऐसी भूमि को खोदें या उसके अन्तस्तल (सब-स्वायल) वेधन (बोर) करें,

(ग) निर्माण खड़ा करें, बन्ध निर्मित करें और ऐसे सब कार्य करें जो योजना के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

कार्य-सम्पादन के आदेश।

१७--(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस देकर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण-कार्य को उसमें बताई गई रीति से और अवधि के भीतर अपनी लागत से बनवाये।

(२) यदि ऐसा लाभार्थी उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसार आदिष्ट कार्य नहीं करता है अथवा उसे करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है अथवा जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ऐसा समझता है कि लाभार्थी ऐसा नहीं करना चाहता है तो जिला भूमि संरक्षण अधिकारी वह कार्य स्वयं करा देगा और उसकी लागत को सम्बद्ध लाभार्थी से नियत रीति से वसूल कर लेगा।

योजना को कार्यान्वित करने में बल प्रयोग इत्यादि का जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को अधिकार।

१८--जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है अथवा करा सकता है, ऐसा बल प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो उसके विचार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यक हों।

स्वामी तथा अन्य व्यक्ति ऐसे व्यापार में विघ्न न डालेंगे।

१९--कोई व्यक्ति योजना क्षेत्र की भूमि पर या उसमें अथवा उसके पास कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उस क्षेत्र में योजना के निष्पादन में विघ्न या बाधा डाले।

उद्धार क्रिया व्यय

२०--(१) किसी क्षेत्र में योजना के निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा किया हुआ व्यय सम्बद्ध लाभार्थियों से वसूल किया जायगा।

(२) प्रत्येक लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली धनराशि नियत रीति से अवधारित और वसूल की जायगी तथा वह सम्बद्ध भूमि पर प्रभार (charge) होगी।

(३) इस प्रकार अवधारित धनराशि पर किसी वाद अथवा विधिक व्यवहार में कोई आक्षेप न हो सकेगा।

(४) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी यह भी अवधारित करेगा कि उपधारा (२) के अधीन सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा देय धनराशि एकमुट्ठ अथवा किस्तों में दी जायगी और यदि वह किस्तों का आदेश दे तो वह ऐसी किस्तों की धनराशि और संख्या तथा प्रत्येक किस्त दिए जाने का दिनांक निश्चित करेगा।

(५) यदि कोई व्यक्ति धनराशि नहीं देता है अथवा देने से इन्कार करता है, तो वह उसी प्रकार वसूल की जायगी मानों कि मालगुजारी का बकाया हो।

योजना की प्रगति की आख्या।

२१--(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों (intervals) पर, जो नियत किये जायं, योजना के निष्पादन की प्रगति की आख्या जिला समिति को प्रस्तुत करे।

(२) प्रगति की आख्या की एक प्रति राज्य सरकार के पास भी भेजी जायगी।

२२—(१) कलेक्टर योजना निष्पन्न होने के बाद यथाशीघ्र इस आशय की आख्या जिला समिति मंडल तथा राज्य सरकार के पास भेजेगा।

योजना की पूर्ति तथा निष्पादन के विषय में राज्य सरकार को आख्या।

(२) उपधारा (१) के अधीन आख्या नियत आकार में तैयार की जायगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) उपधारा (३) में अभिदिष्ट निर्माण-कार्यों का विवरण,

(ख) उपधारा (४) में अभिदिष्ट अधिकारों और दायित्वों का विवरण, और

(ग) अन्य एसे विवरण जो नियत किये जायं।

(३) निर्माण-कार्यों का विवरण नियत आकार में होगा और इसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) योजना के अधीन किये गये निर्माण-कार्यों का विवरण,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य विभिन्न विषयों के लिये किये गये उपबन्धों का विवरण,

(ग) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जायं।

(४) अधिकारों और दायित्वों का विवरण नियत आकार में तैयार किया जायगा और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) लाभार्थियों के अधिकार और दायित्व,

(ख) योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, और

(ग) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जायं।

२३—(१) अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज यथावश्यक ग्राम अभिलेख (village record) में ऐसी रीति से किये जायेंगे जो नियत की जाय और तत्पश्चात् वे ग्राम अभिलेख के अंग होंगे।

अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज।

(२) ग्राम अभिलेख में इस प्रकार किये गये इन्दराज किसी भी अभिलिखित मामलों के विवाद में साक्ष्य रूप से ग्रहण किये जा सकेंगे और जब तक कि उनके विपरीति सिद्ध न कर दिया जाय, वह सत्यपूर्ण परिकल्पित होंगे (shall be presumed to be true)।

२४—(१) धारा २२ के अधीन आख्या में निर्दिष्ट लाभार्थी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

आभार तथा दायित्वों का विसर्जन (discharge)

(क) इस योजना के अन्तर्गत निर्मित अथवा व्यवस्थित निर्माण-कार्यों की अपनी लागत पर रक्षा और मरम्मत करना, और

(ख) योजना के अधीन लगाये गये अन्य आभारों और दायित्वों का विसर्जन (discharge)।

(२) यदि लाभार्थी उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निर्माण कार्यों की रक्षा अथवा मरम्मत न करे अथवा अपने दायित्व उत्सर्जित न करे तो कलेक्टर निर्माण की रक्षा अथवा मरम्मत करवा सकता है और ऐसे दायित्वों को विसर्जित करा सकता है और ऐसी रक्षा, मरम्मत अथवा विसर्जन की लागत सम्बद्ध लाभार्थी से वसूल कर लेगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

शास्ति

२५—यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियम अथवा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह अर्थदंड का भागी होगा जो ५०० रुपये से अधिक न होगा।

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

२६—सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसे इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (सूट प्रासिक्यूशन आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) निविष्ट (इंस्टीट्यूट) नहीं किये जा सकेंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

२७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये उक्त नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(क) मंडल तथा जिला समिति की स्थापना तथा संगठन से सम्बद्ध विषय,

(ख) मंडल तथा जिला समिति द्वारा कार्यवाहियों के संचालन, कर्तव्यों के विसर्जन तथा कार्यों के किये जाने की प्रक्रिया और रीति,

(ग) धारा ८ के अधीन आख्या का आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले व्योरे,

(घ) धारा १४ के अधीन जिले में योजना के प्रकाशन की रीति,

(ङ) धारा २१ के अधीन प्रगति आख्या का आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले व्योरे,

(च) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आवश्यक रूप से रखे जाने वाले विवरणों, नक्शों, रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों के आकार,

(छ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों का आकार और रीति,

(ज) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिसों के आकार और उनके तामील किये जाने की प्रक्रिया,

(झ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन की जाने वाली बातों के लिये कालावधि का निर्धारण जिसके भीतर वे बातें अवश्यमेव हो जानी चाहिये तथा उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के इन लगाई गई कालावधियों के बढ़ाने अथवा बढ़ा न सकने का उन दशाओं में अधिकार जिनकी यहां पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन प्रार्थना-पत्र और अपील प्रस्तुत करने का समय,

(ट) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में, जिसके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र तथा आपत्तियों का प्रस्तुत करना और निस्तारण भी है, अनुसरण की जाने वाली क्रिया,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाली किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिक्रिया,

(ड) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को मिले अधिकारों का अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति को सौंपा जाना,

(ढ) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से अन्य किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ण) ऐसे विषय जिन्हें नियत करना है या जो नियत किये जायं।

अनुसूची

देखिए धारा ९ (२) (ख)

भूमि संरक्षण योजना के अधीन व्यवस्थित किये जाने वाले विषय

१—परत कटाव (sheet erosion), वायु कटाव (wind erosion जलमार्गों और दर्रों का बनाना (Gully and ravine-formation), किनारों का कटाव और बाढ़ें:

(क) किसी भूमि का, यदि उसमें खेती किये जाने से उस भूमि अथवा अन्य भूमि को नुकसान पहुंचता हो, खेती से विश्राम,

(ख) कटाव से अथवा, अन्य किसी भूमि की रक्षा के निमित्त किसी भूमि पर वन लगाना, अथवा उसे पशुचर बनाना,

(ग) किसी भी क्षेत्र में जहां वायु अथवा जल से कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) बन्धियों का निर्माण,

(ङ) भूमि को समतल करना,

(च) कन्टूर कल्टीवेशन (परिधि रेखा कृषि),

(छ) आंशिक कृषि (स्ट्रिप क्रापिंग),

(ज) जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा वर्षा की ऋतु में सघन उगने वाली फस्लें लगाना,

(झ) हरी खाद देना और भारी आर्गनिक खादों जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड, मैन्योर इत्यादि का प्रयोग,

(ञ) कच्ची फसलों (रा क्राप्स) की मनाही,

(ट) चरवाही पर नियंत्रण,

(ठ) उन क्षेत्रों में जहां भूमि के कटाव का तत्काल भय न हो, जोत के दशमांश क्षेत्र में फल के वृक्षों का लगाना,

(ड) अन्य किसी उपाय का प्रयोग जिससे भूमि का परत कटाव, वायु कटाव और जलमार्गों तथा दर्रों के बनने और बाढ़ों से बचाव।

२—जल वेस्टन और अवरुद्ध जल निष्कासन (Water logging and impeded drainage) :—

(क) जल वेस्टन प्रधान क्षेत्रों का सामूहिक तालाबों (community ponds) में परिवर्तन, जिन्हें गहरे पानी के धान तथा मत्स्य संवर्धन के लिये प्रयुक्त किया जा सके,

(ख) जल निष्कासन नालियों (opening of drainage cuts) को खोलना,

(ग) अन्तस्तल के जल का निष्कासन (pumping out the sub-soil water) और उसका रक्षित स्थान में उत्सर्जन,

(घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जल मार्गों (acqueducts) की संख्या बढ़ाना अथवा रेलपथ, नहर अथवा सड़क के पास के वर्तमान पुलियों इत्यादि का चौड़ा करना,

(ङ) अन्य उपाय जिससे जल वेस्टित अर्थात् कठिनता से जल निकलने वाले क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति बढ़ने की संभावना हो।

३—भूड़ (रेतीले) क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना :—

(क) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ख) बंधियों का निर्माण,

(ग) भूमि का समतल किया जाना,

(घ) हरी खाद देना और कम्पोस्ट, अथवा फार्मयार्ड, मैन्योर इत्यादि जैसी भारी आर्गनिक खादों का योग,

(ङ) फलीदार फसलों (leguminous) का उगाना,

(च) चरवाही पर नियंत्रण,

(छ) अन्य कोई उपाय जिससे इन क्षेत्रों की उत्पादन-शक्ति बढ़ने की संभावना हो।

४—ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकना :—

(क) तल और अन्तस्तल दोनों का जल निष्कासन जहां जल-तल उच्च हो,

(ख) उन क्षेत्रों में जहां जलतल निम्न हो हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा नहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जलतल उच्च हो जल निष्कासन प्रणाली खोलने की व्यवस्था करना,

(घ) सिंचाई के जल द्वारा अवशिष्ट क्षारता (alkalinity) पर प्रतिक्रिया के हेतु तीन या चार वर्ष में एक बार जिप्सम का प्रयोग,

(ङ) अन्य कोई उपाय जिससे ऊसर बनना रुक सके।

५—अन्य विषय जो नियत किए जायं।

उद्देश्य और कारण

भूमि का असावधानतापूर्ण प्रयोग तथा उसके सुधार की उपेक्षा एवं उसके क्रमिक ह्रास को रोकने के उपायों में उपेक्षा से वे क्षेत्र जो कुछ दिन पहले उपजाऊ थे बंजर हो गये हैं। राज्य के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने की समस्या है, अतः यह आवश्यक है कि उत्पादनशील भूमि का प्रत्येक एकड़ नियोजित रूप से प्रयुक्त किया जाय और उसे हीनत्व और पतन से रक्षित किया जाय । यद्यपि भूमि की उत्पादनशीलता को ह्रास से तथा भूमि को कटाव से बचाने के लिए कुछ उपाय सफलतापूर्वक व्यक्तियों द्वारा अपनाये जा सकते हैं तथापि अन्य ऐसे निरोधक उपाय हैं जिन्हें समन्वित रीति से बलपूर्वक अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कृषक की, नियोजित अभिरक्षा तथा भूमि संरक्षण के प्रति उपेक्षा से न केवल उसकी जोत की उत्पादनशीलता कुप्रभावित होती है बल्कि पास-पड़ोस की जोतों का भी ह्रास होता है। इसे रोकना है। यह सब केवल विधायन द्वारा ही हो सकता है। अतएव उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण, विधेयक १९५३ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री।

नत्थी 'ज'

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० पर संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) की रिपोर्ट

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक ६ अगस्त, १९५३ ई० के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

२—संयुक्त प्रवर समिति की बैठक १४ सितम्बर से १७ सितम्बर, १९५३ ई० तक और ११ अक्तूबर, १९५३ ई० को हुई। समिति के सामने उन संशोधनों की प्रतिलिपियां थीं, जिनके संबंध में सूचना विधान सभा के सदस्यों ने दे दी थी और अंतिम दिनांक को उसके सामने आगरा विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के सिनेट द्वारा किये गये सुझाव भी रखे गये थे। सिनेट ने २२ सितम्बर, १९५३ ई० को इस प्रयोजन के लिये हुई अपनी बैठक में विधेयक पर विचार किया था।

३—समिति ने विधेयक में जो मुख्य परिवर्तन किये हैं, वे नीचे दिये गये हैं—

(१) डिग्री कालेजों में नियुक्त लाइब्रेरियनों को, यदि वे स्टैट्यूट्स (Statutes) द्वारा नियत शर्तों को पूरा करते हों, तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में और बाहर की डिग्रियों के लिये प्रवेश पाने का अधिकार दे दिया गया है;

(२) आगरा विश्वविद्यालय को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह इलाहाबाद और लखनऊ के अध्यापक कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की सीमा में स्थित डिग्री कालेजों को, इन विश्वविद्यालयों की सम्मति से, सम्बद्ध (affiliate) कर ले;

(३) सिनेट के संविधान में—

(क) विधान मंडल के प्रतिनिधियों के लिये स्थानों की संख्या ५ से बढ़ाकर ७ कर दी गयी है, जिनमें से पांच विधान सभा के और दो विधान परिषद् के होंगे,

(ख) गैर सरकारी सम्बद्ध (affiliated) कालेजों के प्रबन्धकों (managements) के प्रतिनिधियों के लिये स्थानों की अधिकतम सख्या ६ से बढ़ाकर १० कर दी गयी है, और

(ग) प्रतिनिधित्व के प्रयोजनों के लिये कालेजों का वर्गीकरण स्टैट्यूट्स द्वारा इस आधार पर किया जायेगा कि किस मात्रा में उच्च शिक्षा दी जाती है।

(४) एक्जीक्यूटिव कौंसिल कार्यकारिणी परिषद् के संविधान में—

(क) गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर और सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज-आगरा के प्रिंसिपलों को पदेन सदस्यता से हटा दिया गया है,

(ख) डीन्स आफ फ़ैकल्टीज के लिये स्थानों की संख्या ४ के बढ़ाकर ६ कर दी गयी है और आर्ट्स (कला), साइंस (विज्ञान), एग्रीकल्चर (कृषि), तथा मेडीसिन (औषधि) के डीन्स आफ़ फ़ैकल्टीज के लिये स्थायी रूप से स्थान रख दिये गये हैं,

(ग) एकेडेमिक कौंसिल द्वारा नामांकित व्यक्ति के लिये एक स्थान रख दिया गया है,

(घ) सिनेट के प्रतिनिधियों के लिये स्थानों की संख्या ४ से बढ़ाकर ५ कर दी गयी है, और

(ङ) कौंसिल की कुल संख्या इस प्रकार १६ से बढ़ाकर २१ कर दी गयी है।

(५) "एकेडेमिक बोर्ड" का नाम बदलकर "एकेडेमिक कौंसिल" कर दिया गया है;

(६) यह आवश्यकता हटा दी गयी है कि फाइनेंस कमेटी की बैठक के लिये कोरम (Quorum) में सरकार का भी एक नामांकित सदस्य हो, वाइस-चांसलर को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है;

(७) संशोधित धारा २३(२) (जो विधेयक के खंड १६ के अन्तर्गत है) द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि बोर्ड आफ़ स्टेडीज (Board of Studies) का संविधान (Constitutions) और उसके अधिकार (powers) स्टैट्यूट्स द्वारा (न कि आर्डिनेंसेज द्वारा जैसी कि मूल विधेयक में व्यवस्था है और न रेगुलेशन द्वारा जैसी कि वर्तमान अधिनियम में व्यवस्था है) नियत किये जायं;

(८) नये विषयों में, ऐसी डिग्रियों के लिये जिनके लिये कोई कालिज सम्बद्ध किया गया है, कोर्स प्रारम्भ करने की अनुमति देने का एक्जीक्यूटिव कौंसिल का अधिकार, केवल बेचलर की डिग्रियों तक सीमित कर दिया गया है;

(९) गवर्नमेंट कालेजों को उस उपबन्ध से मुक्त कर दिया गया है जिसके अनुसार उनके लिये टीचर की प्रत्येक नियुक्ति के लिये वाइस-चांसलर का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है;

(१०) विधेयक में इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है कि गैर सरकारी सम्बद्ध (नान-गवर्नमेंट एफ़िलियेटेड) कालेजों में वाइस-चांसलर के अनुमोदन करने पर ही टीचर बरखास्त हो सकेंगे;

(११) विधेयक में इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है जिससे यह अपेक्षित हो जाय कि स्टैट्यूट्स (Statutes) प्रत्येक गैर सरकारी सम्बद्ध (नान-गवर्नमेंट एफ़िलियेटेड) कालेज के प्रबन्धक (management) के लिये यह अनिवार्य कर दे कि वह कालिज के प्रत्येक टीचर के साथ एक ऐसा संविदा (contract) जिसमें सेवा की आवश्यक शर्तें (conditions of service) दी हों, निष्पन्न करे;

(१२) चांसलर को अधिकार दे दिया गया है जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर, अंतरिम वाइस-चांसलर (Interim Vice-Chancellor) के कार्यकाल को बढ़ा सके, किन्तु एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं।

४—विचार विमर्ष के दौरान में, निम्नलिखित बातों को स्पष्ट किया गया—

(१) कि ऐसे अवैतनिक (आनरेरी) वाइस-चांसलर, जो अब तक आगरा यूनिवर्सिटी में इस पद पर रह चुके हों, संशोधित अधिनियम के अधीन उनके वैतनिक वाइस-चांसलर के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में कोई रोक नहीं है।

(२) एक्जीक्यूटिव कौंसिल, चांसलर द्वारा धारा ६ (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड (Proviso) के अधीन अपने मूल सिफारिशों पर फिर से विचार करने के लिये कहे जाने पर, कोई नया नाम या नये नामप्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपनी मूल सिफारिशों पर पुन: दोहराती है तो चांसलर को, उस व्यक्ति को जिसकी सिफारिश की गयी है या उन व्यक्तियों में से एक को जिनकी सिफारिश की गई है, नियुक्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। विधेयक की भाषा तदनुसार संशोधित कर दी गयी है।

५—यह सुझाव दिया गया कि एक ऐसे नये प्रकार का कालेज अर्थात् "ग्रामीण कालेज (Rural College)" की व्यवस्था की जाय जिसका उल्लेख राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है। किन्तु समिति ने यह अनुभव किया कि "ग्रामीण कालेज (Rural College)" का विचार "स्वायत्त कालेज (Autonomous College)" में सम्मिलित है।

६—समिति ने विधेयक में कतिपय अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन किये हैं।

७—विधेयक की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें वे संशोधन दिखाये गये हैं जो समिति के निर्णयों के अनुसार उसमें किये गये हैं।

८—प्रवर समिति विधेयक को पुनः प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझती।

(१) गोविन्द वल्लभ पंत, मुख्य मंत्री (चेयरमैन)
(२) हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री,
(३) मंगला प्रसाद, उपमंत्री,
(४) जुगल किशोर,
(५) सी० महाजन,
(६) पद्मनाथ सिंह,
(७) नवल किशोर,
(८) कैलाश प्रकाश,
(९) इस्तफ़ा हुसैन,
(१०) इर्तजा हुसैन,
(११) देव राम,
(१२) नारायणदत्त तिवारी*,
(१३) राधाकृष्ण अग्रवाल,
(१४) मदनमोहन उपाध्याय*,
(१५) पुत्तू लाल,
(१६) मल्खान सिंह,*
(१७) ईश्वरीप्रसाद,
(१८) पी० एल० श्रीवास्तव,
(१९) मुकुटबिहारी लाल,*
(२०) आर० के० शर्मा,
(२१) निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी,
(२२) शांति स्वरूप अग्रवाल,
(२३) बंशीधर शुक्ल।

---

*एक टिप्पणी के अधीन, जो सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तुत की गयी थी और जिसे तदनुसार आगे पृष्ठ ११७ से लेकर पृष्ठ १२४ तक में छापा गया है।

Note on the Report of the Joint Select Committee on the Agra University (Amendment) Bill, 1953.

The Agra University (Amendment) Bill, 1953, intended as it is to eliminate evils which have come to the forefront in the field of that University and thereby to create conditions to improve the standard of education, deserves careful consideration. The Joint Select Committee has no doubt improved the Bill in certain respects. But the Bill continues to suffer from certain defects and deserves to be further amended before it is enacted by the legislature.

Inspection and Inquiry

The old Agra University Act empowers the State Government to cause an inspection or inquiry to be made in respect of any matter connected with the University and its affiliated colleges and hostels and ultimately to issue directions to the University for necessary action. But the Act entitles the University to be represented at such inspection or inquiry and requires the State Government to ascertain the opinions of the Senate and the Executive Council on its suggestions on the report and to afford to the Executive Council opportunity and time to take necessary action upon the results of such inspection or inquiry. The proposed Amendment Bill completely ignores the University authorities in regard to inspection or inquiry connected with the affiliated colleges and allows the University's representative only the right to be present and be heard at an inspection or an enquiry held in respect of any matter connected directly with the University. The University is in no way less vitally interested in the proper management of its affiliated colleges than the State Government, and its participation in an inquiry about any of them is but proper. To ignore it in the matter is to weaken its authority, which is highly improper and unjust. As the Senate meets only once a year, its observations on the results of the inquiry and suggestions of the Government thereon may cause considerable delay in taking proper action. But the Executive Council meets regularly and it can without much difficulty and delay be associated in an inquiry and be allowed a share in determining steps to be taken against irregularities and maladministration of an affiliated college or hostel. The dignity of the University demands that its representative should have equal and full right of participation in an inquiry which may be instituted by the Government in any matter connected with the University or its affiliated college or hostel. The Bill should, therefore, be so amended as to entitle the Executive Council of the University to be represented at the inspection or inquiry which the Government may institute in any matter connected with the University or its affiliated college or hostel and its representative should have full freedom to participate at all stages of the inquiry and to take part in the formulation of its decisions. The Executive Council should have an opportunity to take necessary action on the results of the inquiry or inspection and must be invited to make its observations before any action is taken or decided by the Government.

The appointment of the Vice-Chancellor

The Vice-Chancellor is the chief academic and executive officer of the University and much of its efficiency depends on his capacity to conduct its affairs with strength, ability and integrity. For a person to discharge

Vice-Chancellor's duties properly a combination of certain qualities is needed. Besides probity, impartiality, keen sense of responsibility, wide human sympathies, initiative and drive, he must have the capacity to inspire students and teachers and command their confidence, to promote social harmony and fellow feeling, and to cultivate an atmosphere of creative thought in the University. He must also have a vision of social objective, some definite idea about the function of the University and the ability to translate ideas into practice, to grasp academic problems and administrative matters properly, to dispose of business speedily, to respect honest differences, and to work in harmony with other functionaries of the University. He must also have the strength to be firm and not to yield to pressure from any quarter. Such a person is not esily available. He will have to be sought and approached and this can best be done by a small committee. It will, therefore, be desirable to so modify the provisions of the Bill for selecting the Vice-Chancellor as to provide for the appointment of a committee of three persons, consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council, and (*c*) person chosen by the U. P. Public Service Commission with power to submit for the consideration of the Executive Council a penal of names for the election of the Vice-Chancellor. The Executive Council should be empowered to elect one of the penal as the Vice-Chancellor and its choice should as a rule be endorsed by the Chancellor. But for some specified special reasons the name may be referred back to the Executive Council for reconsideration. The final choice must be with the Executive Council with which the Vice-Chancellor will have to function. It is University's duty to choose its Vice-Chancellor and its autonomy in this matter deserves to be respected. The Executive Council, as it is proposed to be constituted in the Bill, is not likely to be dominated by any party. Its possibility may further be eliminated by the introduction of the system of proportional representation for selecting principals of affiliated colleges. The system proposed in the Bill no doubt allows the Executive Council a voice in the choice of the Vice-Chancellor. But it suffers from two defects. Firstly, it denies to the Executive Council the help of a small select committee in the search of a suitable person for the post. Secondly, it allows the Chancellor to appoint a person who may not have secured a majority of first preferences of the members of the Executive Council.

The Senate

The Joint Select Committee has rightly recommended that section 16, sub-section (1) of the University Act should stand unaltered and, thus, the Senate will continue to be recognised as "the Supreme Governing Body of the University". But this does not mean that the Senate should have power to change its composition the way it likes. It had no such power under the Agra University Act and there is no special reason to confer this power on it under the new legislation. Nor can the Government be justified to alter the provisions of the Legislation within a year of its enactment by the legislature. If it is thought proper to provide for the composition of the Senate in the Act, any alteration therein must be in the form of an amendment to the Act and must be enacted by the legislature. Legal provisions of an Act should not be allowed to be altered by the Senate or the Government without any reference to the Legislature. It is, therefore, necessary to *delete* the words "subject to the provisions of the Statutes" from the proposed section 14, sub-section (1), under section 11 of the Bill.

It is proposed in the Bill that the number of members in the Senate who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of other members. This permits the Government which shall frame Statutes under new legislation to reduce the staff's representation on the Senate to any extent it likes. Teaching staff's adequate representation is very necessary. It must, therefore, be laid down that the number of representatives of the academic staff shall not be less than the total number of other members excluding life members.

The Bill provides that for the Senate the representatives of the Registered Graduates shall be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. This system of election deserves whole hearted support as it ensures representation of different sections and view points and eliminates the possibility of the domination of any particular group. Under the Bill the manner of the selection of the representatives of donors and the academic staff and the management of the affiliated colleges will be determined by the Statutes. The word "selection" without any specific directive regarding election is very vague. It may mean 'choice by some sort of rotation.' It may also mean 'nomination by some executive or academic authority'. Obviously the nomination of more than one-half of the members of the Senate cannot in any way be justifiable. Perhaps it is not even contemplated by the sponsors of the Bill. The system of rotation is also not likely to produce satisfactory results. Donors may be too many to be represented by rotation. In a compact unitary and teaching university the system of rotation may secure proper representation of certain classes of teachers. But in case of an affiliating university with affiliated colleges spread all over the State no class of teachers can be represented properly under that system. It is, therefore, necessary to lay down that wherever practicable the system of proportional representation by means of the single transferable vote shall be prescribed for selection.

The Executive Council

At present the Executive Council consists of about 35 members. Its numerical strength is proposed to be reduced to 21. Much can be said in favour of the reduction of the numerical strength but with the number of affiliated colleges it will be desirable to fix its number at 25. In that case the number of principals be raised from three to four, the number of representatives of the Senate from five to seven, and the number of representatives of the Academic Council. from one to two. If the number is so increased, the balance between teachers and others, proposed by the Joint Select Committee, will be maintained. It is rightly proposed in the Bill that the representatives of the Senate are to be elected under the system of propo tional representation by means of the single transferable vote. This system of election deserves to be adopted for the election of the representatives of the Academic Council and the selection of principals of affiliated colleges. In a University which has more than fifty affiliated colleges the system of rotation cannot provide opportunities to all principals to serve on the Executive Council by turn. Nor can it guarantee that all the principals on the Executive Council will not belong to the same party. The system of proportional representation, on the other hand, allows all principals a share in the choice of their representatives on the Executive Council and makes the domination of a single group

almost impossible. To ensure some rotation it may, however, be provided that such principals as have served on the Executive Council for two terms shall not be entitled to seek re-election.

Under the Statutes framed under the Agra University Act the term of office of members of the Senate and the Executive Council is three years. The Bill proposes to raise it to five years. The old term of three years should be retained. The charge is hardly required and will in no way be justified if it is ultimately decided that a majority of the members of the Senate and the Executive Council other than *ex-officio* members be selected by some sort of rotation.

It is proposed in the Bill that the Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic Council. Under the provision it is possible for the Executive Council to prescribe a course of study which might not have been recommended by the Academic Council. This will not be proper. The Executive Council may refer back the recommendations of the Academic Council but must not act against its advice. It is therefore, necessary to lay down that the Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except on the advice of the Academic Council.

The Finance Committee

An affiliating University, like the Agra University, which can manage its finances without the assistance of a treasurer hardly needs a Finance Committee. Its appointment may, however, become necessary if the Government choose to finance the University for organising research and post-graduate studies. But even then the powers of the Finance Committee should be limited and clearly defined in the Act. It should not encroach upon the legitimate jurisdiction of the Executive Council which is responsible for the administration of the finances of the University. Confusion and conflict are likely to arise in case its financial responsibilities are allowed to be shared by the Finance Committee. The Finance Committee should not, therefore, be empowered to perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes. Its authority must remain confined to functions specified in the Bill.

Affiliated colleges

Almost all educational experts are of the opinion that the Intermediate and post-graduate classes should not simultaneously be maintained by an educational institution. So the Bill provides that one or the other of these classes shall cease to be maintained by affiliated colleges before the expiry of the academic year 1956-57. While some affiliated colleges, which have recently started post-graduate classes in a few subjects, may choose to drop them, important colleges of the State are not likey to drop post-graduate classes and may choose to drop Intermediate classes. This would involve the latter in such serious financial difficulties as cannot be met by them without necessary assistance by the Government. It is hoped that the Government which keenly feels the need of this educational reform will be prepared to lend necessary financial assistance to these institutions to enable them to organise post-graduate studies properly without maintaining Intermediate classes. This educational reform will aslo devolve on the Government the responsibility of making adequate arrangements for imparting education in the Intermediate courses in important educational centres, such as Agra and Kanpur. The Government, it is hoped, will be prepared to shoulder both the responsibilities.

It is provided in the Bill that in future no college shall be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination. It is possible to justify such a provision theoretically on grounds of academic efficiency. But it is hardly a practicable proposition to organise a college for preparing students for graduation only. Even if such an institution is established, its authorities will be forced to require an expert in one subject to take classes in an allied subject also, not to speak of requiring him to teach all the papers on the subject concerned. It is, therefore, necessary to provide that while the teaching of degree classes may be combined with that of post-graduate classes or with that of Intermediate classes, no new institution will be affiliated for post-graduate teaching if it prepares students for the Intermediate Examination.

Autonomous College

Under the proposed legislation the University is empowered to grant to an affiliated college the status of an "autonomous college" with the privileges of varying for its own students the courses of study prescribed by the University and holding examinations in the courses so varied. This provision is justified by its supporters on the ground that it will provide important affiliated colleges an impetus and an opportunity to impart education of higher standard than is possible under the courses prescribed by the Agra University. The standard so far maintained by the Agra University no doubt deserves to be raised and its reputation is yet to be built up. But the provision of the autonomous college is not the way to do so. It will not only further lower the reputation and standards of examination conducted by the Agra University but also create absolute chaos and confusion in the field of higher education. The courses of study prescribed by the Agra University are not invariably low as compared to those prescribed by other Universities in this State. In most cases there is no appreciable difference; and such deficiencies as exist deserve to be removed for the entire University. No doubt, the standard of teaching varies in different colleges. But the low standard of teaching in certain colleges need not stand in the way of important colleges to provide the teaching of higher standard to their students. The standard of examination no doubt deserves to be pulled up. Students of important colleges are also affected by the reputation of low standards of University examinations. But it is difficult to maintain that the Agra University has suffered in reputation with regard to its examinations inspite of the best efforts of the teachers of important colleges and that the provision of separate examination for students of important colleges is the sure solution of the problem. Chaos and confusion are bound to be created if within the same University standards of examinations conducted by different colleges will vary considerably. So it will not be desirable to allow the status of an autonomous college to an affiliated college engaged in imparting usual higher education. But the University may in a very special case admit a college to the privileges of an autonomous college when it is satisfied that the college concerned proposes to carry on some new experiments in the field of education which may demand greater freedom in determining the courses of study. Much is talked of the rural college. Even a University is proposed to be established as a rural University. But nothing practical has so far been done in this connection. It will be worthwhile to organize a rural college as an autonomous college and work out the potentialities of the idea.

Selection Committee

Under the proposed legislation a Selection Committee for each subject of study is to be formed to advise University authorities in regard to the

appointment of teachers of the University and affiliated colleges. The Committee will consist of five members, two of whom shall be persons possessing expert knowledge of the subject, nominated by the Chancellor. They are to be nominated from amongst experts chosen for this purpose at the Chancellor's request by relevant faculties of at least two Universities of India. The provision as it is worded permits the Chancellor to ignore the relevant faculty of the Agra University. This will hardly be proper, as it will amount to a want of confidence in the Agra University. Along with relevant faculties of some other Universities, the relevant faculty of the Agra University should, therefore, be requested to suggest names of experts before some of them are nominated as members of the Selection Committee.

It is porposed that if the Vice-Chancellor is not satisfied about the fitness of the candidate proposed for an appointment in an affiliated college, he may refer the matter to the Selection Committee, which may advise the Vice-Chancellor to cancel the appointments. The Selection Committee is also required to be consulted by the Chancellor on the question whether teachers of a certain category already engaged in an affiliated college in imparting instructions to post-graduate classes or guiding research be allowed to do so. It is necessary to provide that on such occasions the person concerned shall be afforded an opportunity to represent his case before the Selection Committee in person and that the affiliated college concerned shall be represented on the Committee. The right of interview and representation must be granted to the persons concerned. It will not be proper to cancel the appointment of a person on the basis of paper qualifications alone without examining carefuly whether he has not subsequently acquired necessary knowledge and efficiency for the work.

Committees of Managment of Affiliated Colleges

The Joint Select Committee has tried to provide some protection to the teachers of affiliated colleges in the matter of their service conditions and against hasty and unjust dismissals. Attempt has also been made to cancel the appointment of inefficient teachers in affiliated collges. But otherwise the management of affiliated collges is left almost untouched. The affiliating University always depends for its efficiency and reputation on the quality of the management of its affiliated colleges. Legislation intended to eliminate evils and create healthy conditions for higher education in an affiliating University cannot afford to ignore the question of the management of affiliated colleges. To raise the standard of the Agra University it is necessary to improve the management of its affiliated colleges. It should, therefore, be enacted that every affiliated college, not maintained by the Government, shall be managed by a committee of management constituted in accordance with Statutes to be prescribed in this behalf". On the management of each affiliated college the Executive Council of the University must be represented by an educationist selected from that region. The teaching staff of the college should also be represented on it by a duly elected teacher.

The Appointment of Examiners

In the amendment Bill it is proposed that the examiners be appointed by the Vice-Chancellor in the manner prescribed by the Statutes and that at least one-half of the paper-setters for each subject and as nearly as possible one-half of the examiner in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college. It is also provided in the Bill that every person appointed as an examiner shall, as a condition of his appointment agree that he will not undertake examination work in

excess of the limits laid down in the Ordinances. Much can be said in favour of certain changes in the system of the appointment of examiners. It must, however, be pointed out that in many subjects in the B.A. examination there are three papers and so if the proposed provisions are enacted, two-thirds of the paper-setters in most of the subjects in B.A. examination will be external. This will not be fair and proper. In Universities which have three papers on a subject only one external examiner is usually appointed. So while in post-graduate examinations at least one-half of the paper-setters in each subject should be external, in other examination at least one paper-setter in each subject which has more than one paper should be external. The provision with regard to the load of examination work is necessary in the interest of prompt and efficient work but it rules out the appointment of many over-worked senior teachers of other Universities. It is, therefore, difficult to say if witihin the State it will be possible to find out a sufficient number of experienced teachers of other Universities to act as external examiners, if the Act requires one-half of the co-examiners to be external. It will, therefore, be proper if provisions with regard to paper-setters, head examiners and deputy head examiners are laid down in the Act and the question of ratio between external and internal co-examiners is determined by the Satutes from time to time.

Ordinances

In the Bill it is provided that no Ordinance shall take effeet until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate. This will delay the operation of an Ordinance even when its immediate enforcement is deemed necessary by the Executive Council. It may often prove very unfortunate even disastrous to the vital interests of the University. It may be said that to meet the emergencies a temporary Ordinance may be passed and enforced by the Executive Council. The provision of a temporary Ordinance has some justification in regard to matters in respect of which Ordinances as a rule cannot be passed by the Executive Council except on the recommendation of the Academic Council which meets at longer intervals. But when the Executive Council has full powers to frame Ordinances, the distinction between temporary and ordinary Ordinances, may be meaningless. Who knows the problem which requires immediate enforcement of an Ordinance may not be of temporary character and may need an Ordinance of a permanent character? The provision of a temporary Ordinance will then fail to meet the requirements. The Executive Council will then have to frame on the same subject another similar Ordinance to be brought into operation as a permanent measure after the consideration of the Senate and the assent of the Chancellor. This duplication is hardly desirable and proper. It is, therefore, necessary to provide that an Ordinance will come into operation on the date determined by the Executive Council; but that its operation may be suspended by the Chancellor, if he thinks necessary; and that it may subsequently be vetoed by the senate by two-thirds majority and disallowed by the Chancellor after considering the views of the Senate. The suggestion is based on the provisions of the Banaras Hindu University Act.

Transitory Provisions

The Bill has proposed to invest the State Government with wide powers for a period of one year. These powers are much in excess of requirements. They place the University under the surveillance of the Government dignity and autonomy of the University are adversely affected. These transitory powers should be not only narrowly defined but also subjected to the strict control of the Legislature. Certain Statutes will no doubt have to be framed, adapted and modified to implement the new Act. But: hey

should be placed before the Legislature for its approval. Uncontrolled delegated legislative power is fraught with danger to democracy and deserves to be condemned. That is why delegated legislation and decree law are forbidden in France by the new Constitution, and are allowed for certain specific purposes under strict legislative control by the new Constitution of Italy. Section 36 of the Bill should, therefore, be substituted, by the following provisions :

A. Any officer or authority of the University exercising any functions under this Act, immediately before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953 (hereinafter referred) to as "the Amending Act" shall continue to exercise such functions until the corresponding new office or authority is appointed, elected or constituted in accordance with the provisions of this Act as amended by the Amending Act or the Statutes as adapted or modified under this Act.

B. The State Government may, by notification in the official gazette, frame such new Statutes and make such adaptations and modifications in the Statutes in force immediately before the commencement of the Amending Act as in its opinion may be necessary or expedient to bring the provisions of the Statues into accord with the provisions of this Act as amended by the Amending Act :

or modification of Statutes after the expiration of six months from the commencement of the amending Act, and

Provided that nothing in this Section shall be deemed to empower the State Government to frame any new Statutes or make any adaptation :

Provided further that Statues so framed, adapted or modified by the State Government under this Section shall be submitted to the State Legislature for its approval.

(Sd.) MUKUT BEHARI LAL,
(Sd.) NARAYAN DATT TIWARI,
(Sd.) MADAN MOHAN UPADHYAYA,
(Sd.) MALKHAN SINGH,

Members of the Joint Select Committee on the Agra University (Amendment) Bill, 1953.

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

[संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित/समिति द्वारा बढाया हुआ अंश रेखांकित कर दिया गया है और निकाला हुआ अंश ब्रेकटों "[ ]" के भीतर दिखाया गया है।]

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को और अधिक संशोधन करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में संशोधन करना आवश्यक है,।

यू० पी० ऐक्ट, ८ १९२६।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३, कहलायेगा।

(२) यह धारा और धारायें ३५ और ३६ उस दशा को छोड़ कर जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, तुरन्त प्रचलित होंगी और अन्य धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद, किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम से संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुसार, यूनिवर्सिटी अथारिटीज़ के सामान्यतः उपर्युक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके अन्तर्गत स्टैट्यूट्स बनाना (framing of statutes) भी है, वैध होगा, किन्तु धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी आज्ञा को मानते हुए, इस प्रकार संगठित कोई भी यूनिवर्सिटी अथारिटी तब तक सत्तारूढ़ (come into being) न हो सकेगी अथवा कार्य आरम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हों जायं,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी स्टैट्यूट्स तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे अधिक्रांत (superseded) न हो जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २ का संशोधन।

२—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (*a*) के बाद निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(*aa*) 'Autonomous College' means an affiliated college declared as such by the University in accordance with the provisions of subsection (1) of Section 24-A."

(२) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*bb*) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(*bb*) 'Ordinances means ordinances of the University made under this Act and for the time being in force."

(३) खंड (*d*) के बाद निम्नलिखित खंड (*dd*) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(*dd*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

(४) खंड (*f*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*f*) 'teacher' means a teacher of the University or a teacher of an affiliated college, and includes a Principal."

(५) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित नये खंड (*ff*) और (*fff*) के रूप में रख दिये जायं—

"(*ff*) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees ;

(*fff*) 'teachers of the University' means persons employed by the University for giving instruction or conducting research ;"

(६) खंड (*h*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*i*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*i*) 'Working Men's College' means an affiliated College recognised by the University in accordance with sub-section (2) of Section 24-A."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय—

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

(*a*) have pursued an approved course of study in an affilitated college or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor, or

(*b*) are Teachers in educational institutions under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*c*) are inspecting officers in the Department of Education of the Government of any parts "A", "B" or "C" State, and fulfil the conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*cc*) being graduates, have served as whole-time librarians for a period of not less than three years in the

University, or an affiliated college and fulfil such other conditions as may be laid down in the Statutes, or

(*d*) have carried on [independent] research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*e*) are women who have carried on study privately under conditions laid down in the Statutes,

and have passed the examinations of the University under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Regulations.

Explanation.—the degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*b*) to (*e*) shall respectively be also termed and stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external.'

(२) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(4) to institute certificates of proficiency to make provision for instruction for and to grant such certificates, under conditions laid down in the Ordinances ;"

(३) उपधारा (५) में शब्द "and Regulations" निकाल दिये जायं,

(४) उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'Lucknow' के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"or in the area that may, after the coming into force of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be included within the limits of a University established by law, except with the consent of [such University] the University concerned."

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ६ का संशोधन।

"Visitation.

6. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also off the examinations, teaching and other work conducted or done by the University. The State Government shall also have the right to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an affiliated college. The State Government shall in every case of inspection or inquiry, give notice to the University or the affiliated college (as the case may be) of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University or the college concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry."

(2) The State Government shall communicate to the Executive Counil or the Management of the affiliated college (as the case may be) its views with

reference to the results of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the college thereon, require the University, or the college to take such action as it may direct.

(3) The Executive Council or the Management of the college shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ८ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ९ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Vice Chancellor

9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst persons [recommended] whose names are submitted by the Executive Council in accordance with sub-section (2) and (3).

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of the Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, [recommend] submit to the Chancellor the names [of persons] not exceeding three in number [who in its opinion are] of persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the names [recommended] submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then [make fresh recommendations] either submit the same names or make any additions or alterations in them so, however, that the names so submitted do not exceed three in number.

(3) Where the [number of] name or names proposed in the Executive Council for being [recommended] submitted to the Chancellor under sub-section (2) does not exceed three, the Council shall [recommend] submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall out of the names so proposed elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs. 2,00 per month.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting his resignation to the Chancellor not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved.

(6) No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for re-appointment.

(7) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying on the duties of the Vice-Chancellor and shall at the same time call upon the Executive Council to forward its recommendations in acordance with sub-sections (2) and (3).

(9) Until the Chancellor has made arrangements under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor."

७—मूल अधिनियम की धारा १० में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the ordinances" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (५) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

(३) उपधारा (६) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ११ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द "fixed by the Executive Council" के स्थान पर शब्द "prescribed by the Ordinances" रख दियें जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "menial" के स्थान पर शब्द "inferior" रख दिया जाय और शब्द "Regulations" के पहिले शब्द "the Ordinances" जोड़ दिये जायं।

(३) उपधारा (४) में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १३ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के मद (iv) में शब्द "the Board of Inspection" के स्थान पर शब्द "the Finance Committee" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १४ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"The Senate. 14. (1) Subject to the provisions of the Statutes, the Senate shall consist of the following members so, however, that—

(*a*) the total number of members excluding the *ex-officio* and life members shall not exceed 125; and

(*b*) the number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed [one-half of the total number of members mentioned in the preceding clause] the number of other members;

Class I. *Life Members*—

(i) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the University or to the cause of learning;

Provided that their number in the Senate shall not at any time be more than four.

(ii) Persons who have made donations of Rs. 20,000 or more to and for the purposes of the University.

(iii) All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term.

Class II. *Ex-officio Members*—

(i) the Chancellor;

(ii) the Minister of Education in the Government of Uttar Pradesh;

(iii) the Vice-Chancellor ;

(iv) the Director of Education, the Director of Industries, the Director of Agriculture, and the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh ;

(v) the Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh;

(vi) the members of the Executive Council of the University.

Class III.

Representatives not exceeding ten, as may be determined in accordance with the Statutes, of persons who have made donations of sums of Rs. 2,500 or more but less than Rs. 20,000 (elected in the manner prescribed by the Statutes).

Class IV.

Representatives, not exceeding five, of industries, commerce, agriculture, learned bodies and the professions.

Class V.

[Five] Seven persons who are members of the Uttar Pradesh Legislature, out of whom [four] five shall be members of the Legislative Assembly and [one] two shall be [a member] members of the Legislative Council.

Class VI.

[Representatives of the Registered Graduates not exceeding twenty] Twenty representatives of the Registered Graduates to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University or an affiliated college and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years.

Provided that no Registered Graduate shall le entitled to vote at an election unless his name has been on the Register for at least one year prior to the date appointed for the return of voting papers.

[*Class VII.*

Representatives of the Academic Staff and the Management of affiliated colleges :

Such number as may be prescribed in each case by the Statutes of—

(i) Teachers of the University;

(ii) Principals of affiliated colleges teaching for post-graduate degrees;

(iii) Principals of affiliated colleges teaching for Bachelor's degrees only;

(iv) Teachers of affiliated colleges teaching for post-graduate degrees;

(v) Teachers of affiliated colleges teaching for Bachelor's degrees only;

(vi) Representatives not exceeding six of the managements of the affiliated colleges of whom not less than one-half shall be representatives of the managements of colleges teaching for post-graduate degrees;

Provided that an affiliated college shall not be deemed to be teaching for post-graduate degrees unless it has sent up candidates for examination for such degrees in at least three subjects not all of which are languages]

Class VII.—Such number, as may be prescribed by the Statutes, of representatives of the A cademic Staff and of the Managements of the affiliated colleges consisting of the following categories:—

(i) Teachers of the University;
(ii) Prinipals of affiliated colleges of class A;
(ii) Principals of affiliated colleges of class B;
(iv) Teachers of affiliated colleges of class A;
(v) Teachers of affiliated colleges of class B;
(vi) Representatives, not exceeding ten, of the Managements of affiliated colleges, other than those maintained exclusively by Government, of whom not less than one-half shall be representative of colleges of class A.

For the purpose of this clause affiliated colleges shall be classified by the Statutes as Colleges of class A or class B according to the amount ot advanced instruction imparted in them.

Class VIII.—Nominees of the chancellor not exceeding ten.

(2) Subject to the provisions of Section 36 the term of members other than members belonging to classes I and II shall be five years.

(3) The manner of slection of members of classes III, IV, [V] VI, and VII shall be determined by the Statutes.

(4) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member who has absented himself from three consecutive annual meetings of the senate without sufficient cause."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १६ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

Powers and duties of the Senate.

16. [(1) Subject to the provisions of this Act, the Senate shall have the power to review the acts of the Executive Council and the Academic Board and shall, except as otherwise provided for by this Act and the Statutes, exercise all the powers of the University.]

(1) The Senate shall be the supreme Governing Body of the University, and shall have power to review the acts

of the Executive Council (save when the Council has acted in accordance with the powers conferred on it under this Act, the Statutes, Ordinances or the Regulations), and shall exercise all the powers of the University not provided for by this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may—

(*a*) make Statutes, amend and repeal them;

(*b*) consider and cancel Ordinances ;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University;

(*e*) make Regulations.

१३—मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन।

17. (1) The Executive Council shall be the Chief executive body of the University. The constitution of the Executive Council shall be as follows:

The Executive Council

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

[(iii) The Principal, Sarojini Naidu Medial College, Agra ;]

[(iv) The Principal, Covernment Agricultural College, Kanpur ;]

[(v) Four of the Deans of the Faculties to be selected in the manner prescribed by the Statutes;]

(iii) The Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine and Agriculture and two other Deans ;

[(vi)] (IV) Three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner presc.ibed by the Statutes;

[(vii)] (v) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering ;

[(viii) Four] (vi) Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to [(vii)] (v) above who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote ;

(vii) One person, not belonging to any of the above categories, to be elected by the Academic Council.

(2) The Statutes shall prescribe the manner of selection and appointment and the qualification of the members belonging to clauses [(v) and (vi)] (iii), (iv) and (vii) of sub-section (1).

(3) The Statutes relating to the nomination, election and appointment of members of the Executive Council shall contain suitable provisions so as to secure that not more than one person connected with any one affiliated college as Principal or [Manager] member of the Managing Body or in any other capacity shall be member of the Executive Council.

(4) Subject to the provisions of Section 36 the term of office of members other than *ex-officio* members shall be five years."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Powers and duties of the Executive Council.

18. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(*b*) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to frame the Budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances relating thereto;

(*f*) save as otherwise provided for by this Act and the Statutes, to appoint the officers, teachers of the University and other servants of the University, to define the irduties and the conditions of their service and to provide or filling of temporary vacancies in their posts;

(*g*) to prescribe the courses of study for the examinations, certificates nd degrees of the University;

(*h*) to arrang for the holding of examinations and publication of the results;

(*i*) subject o the previous sanction of the Chancellor, to gra affilation to a college for teaching for specified egrees and to withdraw such affiliation;

(*j*) to arrange for and direct the inspection of all affiliated colleges and hostels;

(*k*) to control and manage and to frame rules for the University Library or Libraries and to appoint a Library Committee;

(*l*) to direct the form, custody and use of the Common seal of the University;

[(*l*)] (*m*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act the Statutes, and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Finance Committee ;

(3) The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic [Board] Council ;

(4) No teacher shall be employed by the University until provision has been made for his salary in the Budget of the University;

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Senate, but where in any case it is not able to do so it shall inform the senate of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १९ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Academic [Board] Council

"19. (1) The Academic [Board] Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

(2) The constitution of the Academic [Board] Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २० का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २० और २०-ए के रूप में रख दी जायं :—

"Finance Committee.

20. (1) The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chariman;

(ii) Two persons nominated by the State Government;

(iii) Two persons who are not in the service of University or of any affiliated college, elected by the senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) Three members [of whom at least one shall be a member nominated by the State Government] shall form a quorum.

(4) Members of the Finance Committee other than *ex-officio* members shall hold office for five years.

20-A. (1) The Finance Committee shall have the following duties, namely—

(*a*) it shall examine the accounts and the Audit Report and make recommendations to the Executive Council in regard to them ;

(*b*) it shall fix limits for the total recurring and the total non-recurring expenditure for the ensuing year based on the income and resources of the University;

(*c*) it shall scrutinize the financial estimates of the University for the ensuing year and make its comments on them, which shall be considered by the Executive Council ;

(*d*) it shall perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes.

(2) The Finance Committee shall take into consideration the views of the Executive Council in performing its duties referred to in clauses (*b*) and (*c*) of sub-section (1)."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २१ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"The Faculties. 21. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes. Each Faculty shall, subject to the control of the Academic [Board] Council, have charge of the courses of study and direction of research work in the subjects assigned to it by the Ordinances.

(2) The constitution and powers of the Faculties shall be prescribed by the Statutes.

(3) There shall be a Dean of each Faculty who shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(4) The manner of appointment and the term of Office of the Dean shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २२ का निकाला जाना।

१८—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २३ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में शब्द "Regulations to be made by the Executive Council after consideration of the recommendations of the Academic Board" के स्थान पर शब्द [the Ordinances] "the Statutes" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २४ तथा २४-ए के रूप में रख दी जायं —

"Affiliated Colleges. 24. (1) Every college which was an affiliated college on the first day of July, 1953, under and in

accordance with the provisions of this Act, shall continue to be such college until the affiliation is cancelled or otherwise withdrawn under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain Intermediate classes simultaneously with post-graduate classes.

Provided that any such college which on the 1st day of July, 1953, was maintaining simultaneously Intermediate and post-graduate classes may, at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1956-57.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination.

(4) Every application for affiliation to the University by a college not already affiliated and every application of an affiliated college for starting courses of instructions for a new degree shall, subject to the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 18, be dealt with in accordance with the Statutes. But nothing in this sub-section shall be deemed to require the previous sanction of the Chancellor under clause (i) aforesaid for the granting of an application of an affiliated college to start instruction in a subject (being a subject in which instruction is not already given) for a Bachelor's degree in respect of which the college is already affiliated and every such application may be dealt with by the Executive Council without reference to the Chancellor.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council may call for on its own motion or at the instance of the Academic (Board) Council.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in this behalf.

(7) The Executive Council may call upon any affiliated college so inspected to take within a specified period such action as may appear to it to be necessary.

(8) The affiliation of an affiliated college which fails to comply with the directions of the Executive Council or to fulfil the conditions of affiliation may be withdrawn in accordance with the provisions of the Statutes."

"24-A. (1) It shall be lawful for the University to grant to an affiliated College, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the Statutes, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, [in the manner and to the extent approved by the University] the courses of study prescribed by the University, and holding examinations in the courses so varied. The extent to which the courses may be varied and the manner of holding examinations conducted by such College shall be determined in each case by the University. Such a College shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes.

(2) The University may, under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College, as a "Working Men's College", for the purpose of providing courses for degrees to persons (otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged full-time in business, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Appointment of teachers of the University and affiliated colleges.

25. (1) There shall be a Selection Committee for each subject of study which shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) The Dean of the Faculty concerned ;

(iii) [One Principal] The Head of Department teaching the subject concerned in the University, or a Principal, or Head of Department of an affiliated college teaching post-graduate degrees and possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Academic [Board] Council ;

(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Chancellor.

(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least two Universities of India name of experts in each subject and shall nominate [three] two persons from amongst them.

(3) Teachers of the University shall be appointed by the Executive Council in accordance with the provisions of clause (*f*) of sub-section (1) of section 18 on the advice of the Selection Committee concerned. Where the Executive Council disagrees with the advice of the

Slection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(4) Every decision to make a substantive appointment of a teacher [of] in an affiliated college, not being maintained exclusively by Government, shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof. The continuance of the appointment shall be subject to the approval of the Vice-Chancellor who may with the concurrence of the Selection Committee concerned disapprove of the same, in which case it shall be terminated as soon as may be but not later than the date of expiry of period of probation."

२२—मूल अधिनियम की धारा २५ के बाद निम्नलिखित नई धारायें २५-ए, २५-बी और २५-सी के रूप में जोड़ दी जायं:—

यू० पी० ऐक्ट ८ १६२६ में नई धारा २५-ए, २५-बी और २५-सी का रखा जाना।

"25-A. (1) No teacher recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be entitled to impart instruction for a post-graduate degree or to guide research unless he is recognised for these purposes by the Chancllor on the advice of the Selection Committee referred to in sub-section (1) of section 25.

(2) No teacher recruited before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall, with effect from such date not later than one year from the said commencement as the State Government may by notification fix, be entitled to impart instruction for post-graduate degrees or to guide research unless—

(*a*) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the college concerned for teachers intended for post-graduate teaching ; or

(*b*) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or

(*c*) he had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to post-graduat classes ; or

(*d*) he has been approved for the purpose by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with sub-sections (1) and (2) of section 25.

Conditions of service of officers and teachers.

25-B. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances [relating to the conditions of service], every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract referred to sub-section (1) shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a tribunal of arbitration whose decision shall be final. Every such request shall be deemed to be submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration Act, 1940, (Act X of 1940) and all the provisions of that Act with the exception of section 2 thereof shall as far as possible apply.

(3) The tribunal of abitration provided for in sub-section (2) shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and [servants] other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, gratuity, insurance and provident funds as it may deem fit.

25-C. (1) Every teacher in an affiliated college, not being a college maintained exclusively by Government, who is recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be appointed under a written contract which will contain such terms and conditions as may be laid down by the Statutes.

(2) Every decision by the Management of an affiliated college, other than a college maintained by Government, to dismiss or remove from service a teacher shall be reported forthwith to the Vice-Chancellor and subject to provisions to be made by Statutes shall not take effect until it has been approved by the Vice-Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २६ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Statutes.

26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following:

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges;

(*e*) the conferment of honorary degrees;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(*g*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties;

(*h*) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and be liable to the withdrawal of such privileges;

(*i*) the inspection of affiliated colleges ;

(*j*) the maintenance of a Register of Registered Graduates

(*k*) the holding of Convocation ;

[(*i*)] (*l*) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes ; and

[(*j*)] (*m*) all othe matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

२४—मूल अधिनियम की धारा २७ के बाद निम्नलिखित धारायें २७-ए और २७-बी के रूप में रख दी जायें

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नई धाराओं २७-ए और २७-बी का रखा जाना।

"ordinances 27-A. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, including the giving of religious instruction, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students of the University and their enrolment as such;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates;

(*c*) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University;

(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to exam iners, tabulators, inspectors and other persons employed on the business of the University ;

(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University;

(*f*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(*g*) the conduct of examinations, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(*h*) the conditions of the residence of students;

(*i*) the maintenance of discipline among students;

(*j*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the veiws of the Senate;

Provided that no Ordinance—

(*i*) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations; or

(ii) affecting the conditions and mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examination or any course of study;

shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinance has been proposed or previously approved by the Academic [Board] Council.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft referred to in the proviso to sub-section (3) but may reject the proposals or return the draft to the Academic [Board] Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may suggest. Where the Executive Council rejects the draft, the Academic [Board] Council may appeal to the Senate, which shall consider the draft at its next meeting and its decision shall be final.

(5) An Ordinance made by the Executive Council under sub-section (3) shall be submitted, as soon as may be, to the Chancellor and the Senate. It shall be considered by the Senate at its next meeting. The Senate shall have the power, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members voting, to reject any such Ordinance.

(6) After the Senate has approved an Ordinance, it shall forward its views to the Chancellor who may either allow or disallow it.

27-B. (1) Notwithstanding anything in section 27-A the Executive Council may, [if it is of the opinion that an emergency has arisen] frame and enforce [an] a temporary Ordinance on any of the matters referred to in sub-section (2) of the said section.

(2) An Ordinance framed under sub-section (1) shall have the same force and effect as an Ordinance framed and enforced under and in accordance with section 27-A, but every such Ordinance shall be submitted to the Senate and the Chancellor and shall cease to operate at the expiration of one year from the date of its enforcement or if the Senate or the Chancellor disapproves it before the expiration of one year, upon such disapproval."

२५—मूल अधिनियम की धारा २८ और २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २८ और २९ के स्थान पर एक नई धारा का रखा जाना।

Regulations [28. The Executive Council may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, on its own motion or upon the motion of an Authority of the University, on the following matters:

(*a*) the procedure to be observed at the meetings of Authorities of the University and the number of members required to form a quorum ;

(*b*) the form and the manner of notice to be given of the meetings and the business to be transacted thereat ; the preparation of records of proceedings and similar matters ;

(*c*) the courses of study to be laid down for the examinations of the University ;

(*d*) the classification or inclusion of the subjects of study in the various Faculties ; and

(*e*) the matters which by this Act or the Statutes are to be, and may be prescribed by the Regulations :

Provided that the Executive Council shall not consider the draft of any Regulation relating to items (*c*) and (*d*) except on the recommendation of the Academic Board ;]

"28. (1) The authorities and the Boards of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances :

(*a*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum ;

(*b*) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations ; and

(c) providing for all other matters solely concerning such authorities and Boards as are not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (1) by an authority other than the Senate :

Provided that any authority or Board of the University which is dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final.

(4) The Executive Council shall make Regulations laying down—

(i) the courses of study for various examinations of the University;

(ii) the assignment of subject to the various Faculties ;

after receiving drafts of the same from the Academic Council.

The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions.

[2] (5) No Regulation shall be made in respect of matters which are to be provided for by Statutes and Ordinances under this Act."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३० का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३० में वर्तमान धारा की उपधारा (१) के रूप में परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) में रख दिया जाय:—

"(2) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree) any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ में [(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—]

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के अंतिम शब्द "and all examiners shall be appointed by the Executive Council" निकाल दिये जायं:

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) [There shall be at least two] At least one-half of the number of paper-setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college ;"

(३) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नई उपधारायें (४) तथा (५) के रूप में जोड़ दी जायं:—

"(4) The examiners in each subject shall be appointed by the Vice-Chancellor [by rotation from the penal of names prepared] in the manner prescribed by the [Ordinances] Statutes.

(5) Every person appointed as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

२८—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३३ का संशोधन।

"(2) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the State Government for purposes of audit. The State Government shall appoint an Auditor possessing appropriate professional qualifications and engaged in the active practice of his profession and shall determine the scale of his remuneration. After audit the accounts and balance sheet together with the Audit Report shall be published by the Executive Council in the Government *Gazette* and copies thereof shall be submitted to the Senate and to the State Government."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के रूप में निम्नांकित बढ़ा दिया जाय :—

"(3) It shall be lawful for the State Government to require any person, who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amount provided in the financial estimates or in violation of any provision of this Act, the Statute or the

Ordinance, to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३५ का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३५ में शब्द Body of the University और शब्द the matter के बीच निम्नांकित रख दिया जाय

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances",

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३६ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ३६ में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा की संख्या बदल कर उपधारा (१) कर दी जाय :—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be a member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३७ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द members के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३९ का निकाला जाना।

३३—मूल अधिनियम की धारा ३९ निकाल दी जाय।

'पद राजपूताना' का निकाल दिया जाना और "Academic Board" के स्थान पर "Academic Council" का रखा जाना।

३४—(ए) पद" "Rajputana"" जहा कहीं भी मूल अधिनियम में आया हो, निकाल दिया जाय ।

(बी) मूल अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "Academic Board" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "Academic Council" रख दिये जायं ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

३५—मूल अधिनियम, आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ अथवा इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये, इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय चांसलर किसी भी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकते हैं, और ऐसी नियुक्ति करने के लिये धारा ९

में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्त्तव्यों और कार्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक [या ऐसी लम्बी अवधि तक जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले वाइस-चांसलर के लिये अपेक्षित हो,] अपने पद पर रहेगा परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।

३६—मूल अधिनियम की धारा ४० के बाद धारा ४०-ए के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"40-A. The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in relation to the transition from the provisions of this Act, as it existed prior to its amendment by the Agra University (Amendment) Act, 1935, (hereinafter referred to as 'the Amending Act'), to the provisions of this Act, as amended by the Amending Act, by order published in the Official *Gazette*—

(*a*) direct that this Act, amended as aforesaid, shall during such period as may be specified in the order, take effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient ; or

(*b*) direct that till such time, not exceeding one year from the commencement of the Amending Act, as the University Authorities are consituted or appointed under and in accordance with this Act, amended as aforesaid, the powers, duties and functions, exercisable or dischargeable by such University Authorities shall be exercised and discharged by the corresponding authorities established on the date immediately before the commencement of the Amending Act ; or

(*c*) direct that any Statute or Regulation in force at the date immediately preceding the coming into force of the Amending Act shall continue in force subject to such alteration, modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient, until superseded by anything done or any action taken under this Act, as amended by the aforesaid Act ; or

(*d*) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty as it may deem fit to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of the Amending Act."

उद्देश्य और कारण

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट २७ वर्ष पहले पारित हुआ था। इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो यूनिवर्सिटी सेनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में राजस्थान के कालेजों के प्रतिनिधित्व से सम्बद्ध हैं। जयपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के फलस्वरूप इन उपबन्धों में असामन्जस्य आ गया है। उपर्युक्त अवधि में इस ऐक्ट के कार्यान्वित होने पर यह भी पता चला है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। इसके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा के स्तर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यथोचित निश्चित किया जाय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने इस पर विचार किया है और राधाकृष्णन् कमीशन तथा अन्य निकायों ने भी इस प्रश्न पर ध्यान दिया है। आशा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में जो खराबियां आ गई हैं वे इससे दूर हो जायंगी और ऐसी स्थिति आ जायगी जिससे शिक्षा उसी स्तर पर दी जा सकेगी जैसा कि इन सम्मेलनों में निश्चित किया गया है।

अतएव सदन के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ९९ एल० ए०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंदर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्म नाथ सिंह श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री

फज़लुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्रामराय, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव जन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री

सुरजूराम, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मऊ म्युनिसिपैलिटी के नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री इश्तयाक आबदी की नजरबन्दी

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ म्युनिसिपैलिटी के नव-निर्वाचित अध्यक्ष को नजरबन्दी से रिहा करने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उनकी नजरबन्दी के क्या कारण हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री इश्तयाक आबदी की नजरबन्दी के कारण की एक प्रति मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१२ पर)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने विचार करके क्या निर्णय किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनको एक महीने के लिये पैरोल पर छोड़ दिया गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि मऊ शहर के नागरिकों की ओर से श्री इश्तयाक आबदी की रिहाई के लिये ६,४८६ दस्तखतों से एक आवेदन-पत्र के साथ एक डेपुटेशन उनसे मिला था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी हां। कुछ लोग मुझसे मिले थे।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि उस डेपुटेशन के इस प्रार्थना पर कि उनको हमेशा के लिये रिहा कर दिया जाय, क्या निर्णय किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो निर्णय मैंने अभी बताया।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो संलग्न नोटिस है उसमें जितने आरोप इश्तयाक अाब्दी के ऊपर हैं वे सब सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में हैं। वह सत्याग्रह आन्दोलन खत्म हो गया है। फिर भी अब वे क्यों नजरबन्द रखे जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो भी कारण होते हैं वे उस व्यक्ति को दे दिये जाते हैं जो नजरबन्द किया जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं। ट्रिब्यूनल ने इन पर गौर किया और उनकी तरफ से जो रिप्रेजेन्टेशन हुआ था उसको भी ट्रिब्यूनल ने देखा। और इन सब के बाद ट्रिब्यूनल ने सरकार के उस निश्चय का समर्थन किया कि उनको एक वर्ष तक नजरबन्द रखना चाहिये। इसलिये ट्रिब्यूनल के निश्चय के अनुसार वह एक वर्ष की नजरबन्दी का हुक्म अब तक कायम है।

श्री झारखंडे राय--जो नोटिस संलग्न है उसके सेक्शन २ (c) में लिखा हुआ है कि मऊ की मीटिंग में ऐसा निर्णय किया गया कि मुहम्मदाबाद तहसील के पटवारियों के रिकार्ड्स जला दिये जायं, क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिये उनके पास क्या सबूत हैं ?

श्री अध्यक्ष--सबूत आप नहीं पूछ सकते। आप यह पूछ सकते हैं कि किस तरह से उनको इसकी जानकारी हुई ?

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात कैसे मालूम हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिस तरीके से सरकार को बहुत सी बातें मालूम होती हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि १५ तारीख से जो सत्याग्रह शुरू होने वाला था जिसकी चर्चा नोटिस के तीसरे प्वाइंट पर है, क्या उसकी विधिवत् सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को दे दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह जो कुछ हुआ हो लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद मैं समझता हूं मेरे लिये यह अनुचित है कि जिन बातों पर ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय दिया है उन पर कोई आलोचना करूं या उन पर अपनी कोई राय दूं।

नैपाल में पी० ए० सी० की टुकड़ियों का प्रेषण

*३--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि जो पी० ए० सी० की यूनिटें नैपाल में किसान विद्रोह को दबाने के लिये भेजी गयी थीं उनमें कुछ टुकड़ियां अब भी नैपाल में पड़ी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने कोई पी० ए० सी० या अन्य पुलिस नैपाल में किसान विद्रोह दबाने के लिये कभी नहीं भेजी।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही नहीं है कि नैपाल सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार के आदेश पर भीमदत्त द्वारा संचालित किसानों के आन्दोलन को दबाने के लिये हमारे प्रान्त से पी० ए० सी० की टुकड़ियां वहां पर भेजी गयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रश्न में किसान विद्रोह के दबाने की बात है। हम नहीं जानते कि नैपाल में कोई विद्रोह था या नहीं, यह उनका इन्टरनल मामला है। भारत सरकार ने जो हमको आदेश दिया उसके अनुसार हमने पी० ए० सी० की टुकड़ियां वहां पर भेजीं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—जितनी टुकड़ियां भेजी गयी थीं उनकी स्ट्रेंग्थ क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सब बातों को जनहित में बताना उचित नहीं होगा।

श्री झारखंडे राय—क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो टुकड़ियां भेजी गयी थीं उनमें इस समय कुछ वहां पर रह गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस । इनका उत्तर देना सार्वजनिक हित में उचित नहीं होगा।

स्वदेशी काटन मिल कानपुर के मजदूरों और मिल मालिकों में संघर्ष

*४—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल कानपुर में गत १६ नवम्बर से जो मिल मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष चल रहा है उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिनांक १६ नवम्बर, सन् ५३ से मिल मालिकों ने अपने मिल में तीन पालियों के बजाय दो पाली चलाने की योजना की और तीसरी पाली में थोड़े से (११४) कर्मचारियों को रख कर उनके अन्य कर्मचारियों को पहली दो पालियों के रिक्त स्थायी स्थानों की पूर्ति के हेतु विभाजित कर दिया। इस योजना के अनुसार रविवार को भी मिल चलाने का प्रस्ताव था। कर्मचारियों को इस नये तरीके से काम करना स्वीकार न था। मिल मालिक चाहते थे कि कर्मचारी नई योजना के अनुसार मिल के अन्दर आवें परन्तु कर्मचारी अपनी पुरानी पालियों के अनुसार मिल के अन्दर कार्य के लिये आना चाहते थे और वे रविवार को किसी प्रकार काम नहीं करना चाहते थे। संघर्ष का यही कारण है।

*५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संघर्ष को हल करने के लिये लेबर कमिश्नर ने कोई प्रयत्न किया ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विवाद के आरम्भ में ही श्रम कमिश्नर ने दोनों पक्षों के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की और वह अब भी इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील हैं। पुनः उनके द्वारा एक योजना दोनों पक्षों के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पीरियड आफ पेंडेंसी में मिलमालिकों को वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का कानूनी हक़ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस चीज की पीरियड आफ पेंडेंसी में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डा० बंशीधर की रेशनलाइजेशन स्कीम के आने के पहले ही इस तरह की स्कीम को मालिकान मिल ने क्यों चालू करने का विचार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डा० बंशीधर का रेशनलाइजेशन का जो प्रस्ताव है उस पर विचार करके उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में काफी समय लग सकता है। मिल-मालिकों का यह कहना है कि इस समय जो परिस्थिति है और कपड़े और सूत का जो स्टाक कानपुर में जमा है उसको देखते हुये मौजूदा तरीके पर मिलों को चलाने का काम उनके लिये असम्भव है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—क्या सरकार ने इस मजदूर आन्दोलन को दबाने के लिये पुलिस द्वारा लाठी का प्रयोग किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार मजदूरों के आन्दोलन को दबाने के लिये गलत काम नहीं करती।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो मजदूर थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी का कोई प्रयोग किया गया? कानपुर में स्वदेशी मिल के सामने जो मजदूरों का आन्दोलन चल रहा था उसको दबाने के लिये पुलिस द्वारा लाठी का प्रयोग किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार कोई लाठी नहीं चलवाती है लेकिन वहां मिल के फाटक पर कुछ संघर्ष था। जो मजदूर अन्दर जाना चाहते थे उनको कुछ मजदूर रोकते थे। वहां पर १४४ लगी हुई थी। ऐसी हालत में डी० एम० की आज्ञा पर शान्ति स्थापित करने के लिये वहां पर कुछ लाठी का प्रयोग भी करना पड़ा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह सच है कि मिल मालिकों ने इस योजना चालू करने के लिये यह कहा था कि उनके यहां बहुत माल जमा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैंने खुद ही कहा कि उनका ऐसा कहना था कि उनके यहां बहुत स्टाक जमा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो हड़ताल हुई उसका नोटिस बाकायदा दिया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे सूचना है बाजाब्ता नोटिस नहीं था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि मजदूरों के ऊपर वहां के मिलमालिकों की ओर से गर्म पानी छिड़का गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों के संघर्ष के सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी ठीक सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मजदूर पक्ष के लोगों ने अपने हस्ताक्षरों से कोई अनुमति दी थी और यदि नहीं, तो लेबर कमिश्नर ने उसे क्यों नहीं माना।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं समझा कि किस चीज को नहीं माना।

श्री अध्यक्ष—आप जरा प्रश्न को स्पष्ट कर दें।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—जब लेबर कमिश्नर ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फ़ैसला किया था तो क्या मजदूर पक्ष के लोगों ने अपने हस्ताक्षरों से अनुमति दी थी? और यदि नहीं, तो लेबर कमिश्नर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेबर कमिश्नर ने प्रमुख लोगों से ऐसा कहा था और कई कारणों से उचित नहीं समझा कि कागज पर दस्तखत कराये जायं लेकिन लेबर कमिश्नर को यह विश्वास जरूर है कि नयी योजना का विरोध नहीं करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब वह कानपुर गये थे तो उन्होंने कोई सुझाव रखा था और यदि रखा था तो उसको किसने मंजूर किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मैं गया था और मैंने सुझाव रखा था, मिलमालिकों ने तो सूचना दे दी थी कि वह उन्हें मंजूर है लेकिन दूसरे पक्ष से स्वीकृति नहीं आई।

तारांकित प्रश्न

इटावा के नलकूप

*१--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि इटावा में बने Tube-wells ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--जी नहीं।

*२--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि बहुत से Tube-wells सूख गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस कारण से ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या इटावा से इस बात की कोई शिकायत आयी थी कि सिंचाई के लिये ट्यूबवेल्स ठीक तरह से पानी नहीं दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--ऐसी कोई सूचना तो मुझको याद पड़ती नहीं है।

बांधों के टूटने के कारण

*३--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९४७ से अब तक कौन कौन बांध बनने के बाद टूटे और प्रत्येक में क्या क्या हानियां हुईं ?

श्री राममूर्ति--सन् १९४७ से अब तक भिलाही, वेदर, राजखड़, खजूरी तथा अहरौरा नामक ५ बांधों में बनने के बाद खांदियां हुईं जिनमें क्रमशः १३,०००, १२,०००, ३५,०००, ३५,००० तथा ८०,००० रुपये की क्षति हुई।

*४--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन बन्दों के टूटने के क्या क्या कारण थे ?

श्री राममूर्ति--इनके टूटने का कारण प्रायः मिट्टी के बराबर न बैठने के फलस्वरूप दरारों का बन जाना होता है। इन दरारों में पानी घुस कर जब बाहर निकलने का मार्ग बना लेता है, खांदी हो जाती है। बहुधा ऐसी खांदियां होने की संभावना बांध बनने के बाद प्रथम वर्ष में ही होती हैं। वैसे तो मिट्टी के सभी बांधों में किसी भी समय टूटने का डर बना रहता है।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार की ओर से ठेकेदारों को यह आदेश नहीं है कि बारीक मिट्टी डाली जाय और साथ में मिट्टी की कुटाई भी होती रहे ?

श्री राममूर्ति--हमारे यहां जब मिट्टी डाली जाती है] तो यह हिदायत होती है कि ऐसी लेयर डालें कि जिससे कनटेक्ट बनता चला जाय।

नोट--तारांकित प्रश्न १ व २ श्री भगवान सहाय ने पूछे।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बन्धों के टूटने में किन किन सरकारी कर्मचारियों का दोष पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—इसमें किसी के दोष का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मिट्टी बारीक डाली जाती है और यह तो नेचुरल होता है कि कभी कभी मिट्टी हट जाती है। इसमें किसी खास आदमी के दोष का सवाल नहीं पैदा होता है। अपनी जानिब में तो सभी सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूची बताई गई है बन्धों के टूटने की, वह सब मिर्जापुर जिले की है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह सभी मिर्जापुर जिले की है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि ये बन्धे मिर्जापुर जिले में ही क्यों टूटते हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—ऐसे बन्ध तो अमेरिका में भी बहुत टूट चुके हैं, केवल मिर्जापुर जिले में ही नहीं टूटते हैं।

*५—७—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थानान्तरित किये गये।]

लोहाघाट (अल्मोड़ा) के पुल के बहने से हानि

*८—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर सड़क में लोहाघाट में एक नया पुल जिसमें साठ हजार रुपया खर्च हुआ, बह गया ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)— जी नहीं, पुल नहीं बहा, केवल पुल का पाड़ टूट गया था तथा सीमेंट का काम, जिसको किये हुये केवल दो तीन दिन हुये हुए थे, गिर गया था। पुल के बनवाने में ३५,८३६ रुपया खर्च हुआ है।

*९—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—मई के महीने में इस क्षेत्र में इतनी अधिक ओला वृष्टि हुई कि नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। पहले अस्थायी (टेम्पोरेरी) पुल बहा और फिर पक्के पुल का छेद बन्द होने से तथा एकाएक पानी भरने और जोर से बहने के कारण इस पुल के पीछे की जमीन कटी तथा पाड़ टूट गया और दो तीन पहले किया हुआ सीमेंट का काम गिर गया। इससे दस हजार की क्षति हुई।

जिला अलीगढ़ के चालू नलकूप

*१०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जो टयूबवेल बने हैं उनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने चालू हालत में नहीं हैं ? जो टयूबवेल पानी नहीं दे रहे हैं वे कब तक दुरुस्त हो सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—अलीगढ़ जिले में ३० जून, १९५३ तक बने हुये २९४ नलकूपों में से २५५ नलकूप चल रहे हैं। ९ नलकूप फेल हो चुके हैं तथा ३० में अभी बिजली नहीं लगी है।

जो नलकूप चालू हालत में नहीं हैं, आशा की जाती है कि वे दिसम्बर १९५३ के अन्त तक चलने लगेंगे।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये नौ नलकूप जो बेकार हो गये हैं इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--जब जमीन के अन्दर कोई स्ट्रैटा नहीं मिलता है तब वह बेकार हो जाते हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नये नलकूप बनाये गये हैं उनकी नालियां बिना बनी हुई छोड़ दी गई हैं ?

श्री राममूर्ति--जो नलकूप नये बनते हैं तो क्रमशः उनकी नालियां बनती चली जाती हैं। पहले ६ फर्लांग तक वह कच्ची बनाई जाती हैं और फिर पक्की बनती हैं, तो इस तरह इसमें समय लगता है लेकिन नालियां छोड़ी नहीं जाती हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप टूटे हुए बतलाये हैं वह जिले के किन किन तहसीलों में ह ?

श्री राममूर्ति--इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है।

*११-१२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--[अगले सप्ताह के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया जिले में घाघरा नदी के बांधों की मरम्मत

*१३--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के उत्तरी भाग में घाघरा नदी के पानी से फसलों को बचाने के लिए लोगों ने छोटे छोटे बांध पहले ही से बंधवा रखे हैं ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*१४--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इन बांधों की मरम्मत तथा इनमें सुधार कराने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--इन बांधों का सर्वे (survey) कराया जा चुका है। इनमें से कुछ के मरम्मत व सुधार के तखमीने (estimates) मुख्य इंजीनियर के दफ्तर में बन चुके हैं और बाकी के बन रहे हैं। मुख्य इंजीनियर के पास से तखमीनों के आने पर सरकार बांधों की मरम्मत और सुधार की समस्या पर विचार करेगी।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि किन किन बांधों के एस्टिमेट अभी तैयार नहीं हो पाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिन बांधों का सर्वे किया गया है उनका एस्टिमेट मुख्य इंजीनियर के दफ्तर में तैयार है। उनका इंवेस्टिगेशन करके जब वे हमारे पास आयेंगे तब हम उन पर विचार करेंगे। यदि आप यह जानना चाहते हों कि कहां कहां बांधों का सर्वे किया गया है तो उनके नाम यह हैं--(१) श्रीनगर टोला छपरा, (२) टोला फरुखराय, (३) टोला फतेहराय।

*१५--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[स्थगित किया गया।]

कुशीनगर की स्थिति

*१६--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुशीनगर देवरिया जिले के मध्य में हवाई अड्डा के निकट स्थित है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां।

कसया (जिला देवरिया) में मुन्सिफी की आवश्यकता

*१७--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि कसया जिला देवरिया में मुन्सफी न होने के कारण हाटा तथा पडरौना तहसील की जनता को छोटे छोटे मुकदमों के लिए देवरिया जाकर अधिक समय तथा रुपया खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या वहां मुन्सिफी खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। सरकार ने कसिया में हाटा और पडरौना तहसीलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली एक मुन्सिफी (Munsif court) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया था। चूंकि इन तहसीलों का अदालती काम इतना काफी नहीं है कि एक मुन्सिफ उसमें पूरे समय तक लगा रहे। इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दिया गया है।

विधान सभा व विधान परिषद् के सचिवालयों के पुनर्संगठन पर विचार

*१८--श्री भगवान सहाय--१८ सितम्बर, १९५२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नं० ३ का हवाला देते हुये क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा व विधान परिषद् क सचिवालयों के पुनर्संगठन के मसले पर सरकार किस निश्चय पर पहुंची?

श्री सैयद अली जहीर--सरकार अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची है।

*१९--श्री भगवान सहाय--यदि अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची है, तो इस देरी का क्या कारण है?

श्री सैयद अली जहीर--देरी का कारण यह है कि यह मामला काफी अहम और मुश्किल है और अभी विचार जारी है।

श्री भगवान सहाय-- क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि १८ सितम्बर, १९५२ को सुपरिंटेंडेंट की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी।

श्री अध्यक्ष--मैं इतने डिटेल में इजाजत नहीं दूंगा, इस प्रश्न के ऊपर।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि कुछ पोस्ट्स असेम्बली डिपार्टमेंट से बिला स्पीकर की इजाजत के खत्म कर दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि स्पीकर से और गवर्नमेंट से जितना सम्बन्ध है, उस विषय में स्पीकर अपनी जिम्मेदारी समझ करके और इस सदन की तरफ से जो उचित समझेगा वह कार्यवाही करेगा। आप रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में इत्तिला जानना चाहते हैं, इसलिये उसकी मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अंतरंग जितनी बातें हैं उनके पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि स्टाफ के कम होने से मेम्बरों को उनके जायज हुकूक में बहुत सी मुसीबतें होती हैं?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी कोई शिकायत मेरे पास तो आई नहीं।

श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि इसी आशय का एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला पिछले साल इस सदन के अन्दर उठा था?

श्री सैयद अली जहीर--फिर से आप यह सवाल दोहरा दें।

(प्रश्न दोहराया नहीं गया।)

*२०-२१--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये।]

विंढमगंज-दुद्धी-जहरवार सड़क

*२२--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सच है कि निर्माण मंत्री सन् १६५२ ई० में जिला मिर्जापुर पधारे थे तो उन्होंने विंढमगंज-दुद्धी-जहरवार गांव सड़क को जो बिहार तथा विंध्य प्रदेश को मिलती है प्रदेशीय सड़क (Provincial Road) बनाने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--केवल दुद्धी से म्योरपुर हवाई अड्डे तक प्रान्तीय मार्ग बनाने के बारे में कहा गया था। उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप--क्या सरकार ने इसके निर्माण हेतु व्यय का तखमीना तैयार करवा लिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, करीब आठ लाख अड़सठ हजार रुपये का तखमीना इसका बनता है।

श्री रामस्वरूप--क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क के न बनने से पिछले दुर्भिक्ष में हवाई जहाज से गल्ला पहुंचाने में सरकार को २५ हजार रुपया खर्च करना पड़ा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। इसीलिये तो माननीय निर्माण मन्त्री ने लिखा था कि यह जरूरी सड़क है और इसके एस्टीमेट्स वग़ैरह तैयार करवाये जायं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि विंढमगंज से इस सड़क को शुरू न करने से इस सड़क का उतना लाभ नहीं होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--लाभ सभी जगह होगा, यों तो जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनवा दी जायं उतना ही लाभ होगा।

जिला बदायूं में सड़क निर्माण

*२३--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में फ़र्स्ट फ़ेज़ (first phase) में कौन-कौन सी सड़कें बनाने के लिये रक्खी गई और उन पर कितना कार्य हो गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला बदायूं में पहले फ़ेज़ में निर्माण के लिये रक्खी गई सड़कों तथा उन पर कार्य की प्रगति का विवरण माननीय सदस्य की मेज़ पर रक्खी हुई सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१४ पर)

श्री शिवराज सिंह यादव--फर्स्ट फ़ेज़ में सरकार ने २१ मील सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रान्सफर की हैं, क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ट्रान्सफर करने की उनकी नीति क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसी सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि जो कच्ची सड़कें ली गयी थीं उन पर कुछ काम पहले ठीक कर के फिर वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गईं। पूरे ग़ौर के साथ कैबिनट का यह फ़ैसला था और यह उचित समझा गया कि वे उन सड़कों का रख-रखाव ठीक तरह से कर सकेंगे।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट फ़ेज़ में सड़कों को रखने में क्या क्राइटेरिया देखा जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--फर्स्ट फ़ेज़ में जो क्राइटेरिया रखा गया वह यह कि जिन-जिन जिलों में सड़कें ज्यादा महत्व की हैं वे पहले ली जायं और जो इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको और ज्यादा महत्व दिया जाय। यह फ़ेज़ सन् ४६ से शुरू हो गया था और वह खत्म भी हो गया । अब वह चीज़ पंच-वर्षीय योजना में शामिल हो गई है और इसी के अनुसार यह काम हो रहा है।

शाहगंज-बिलवई रोड का निर्माण

*२४--श्री बाबूनन्दन (ज़िला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज तहसील ज़िला जौनपुर में सीमेंटेड सड़क बनी है उसमें कितना धन व्यय हुआ है और कितनी लम्बी सड़क बनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--शाहगंज तहसील में बिलवई रोड पर सीमेंट कंक्रीट हुआ है जिसमें ६०,००० पये का व्यय हुआ है । सीमेंट कंक्रीट १ १/२ मील पर हुआ है ।

*२५--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार के पास पब्लिक की तरफ से कोई शिकायत आयी है कि सड़क का काम ठीक नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सीमेंट और कंक्रीट जो वहां खर्च किया गया उसके लिये टेन्डर मांगे गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वैसे तो इसमें सूचना की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर ठका हुआ होगा तो टेन्डर मांगे ही जाने चाहिये ।

श्री बाबूनन्दन--जब सड़क बन कर तैयार हो गयी तो किस इंजीनियर ने उसे पास किया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। ज़िले के इंजीनियर कोई साहब होंगे ।

*२६-२७--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[स्थगित किये गये ।]

*२८-२९--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--[स्थगित किये गये ।]

पटवारी के बाग़ (जिला बुलन्दशहर) की पुलिया की दुरवस्था

*३०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जी० टी० रोड दादरी, गाजियाबाद के बीच पटवारी के बाग(जिला बुलन्दशहर) पर ही पुलिया सन् १९५१, १९५२ तथा १९५३ में कितनी बार बनाई गई है ?

श्री राममूर्ति--जी० टी० रोड पर दादरी और गाजियाबाद के बीच पटवारी के बाग के समीप सादुल्लापुर माइनर के साइफन की मरम्मत सन् १९५०-५१ में दो बार की गई थी। सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में इस साइफन की कोई मरम्मत नहीं की गई है।

*३१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इस पर कितना कितना व्यय हुआ है और अब वह किस दशा में है ?

श्री राममूर्ति--साइफन की मरम्मत के इस कार्य पर कुल १,६०५ रुपया व्यय हुआ है। जिस समय सादुल्लापुर रजबाहा चलता है उस समय कुछ पानी रिस कर सड़क पर आ जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बतायेगी कि मरम्मत होने पर भी आज तक यह पुलिया क्यों चूती है ?

श्री राममूर्ति--हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है और वह चूती है या टूट गई है तो फिर बनवा दी जायगी।

बस्ती ज़िले में कलवारी रोड के निर्माण की आवश्यकता

*३२--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के अन्तर्गत कलवारी रोड कब तक बन जायेगी और अब तक न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस सड़क पर सीमेंट कंक्रीट ट्रैक्स बिछाने का प्रस्ताव सर-कार के विचाराधीन है। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि यह कार्य कब तक पूरा होगा क्योंकि यह उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है।

श्री शिव नारायण--क्या यह सही है कि आधी सड़क की मालिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है और आधे की मालिक पी० डबल्यू० डी० है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार आने वाले बजट में हमारी इस सड़क को बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें चूंकि मिल का एरिया है तो उसका ट्रैक्ट है और इसकी कार्यवाही हो रही है और माननीय सदस्य को आशा रखनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसमें कुछ काम होगा।

एलम ग्राम (मुजफ्फरनगर) के नाले की सफ़ाई

*३३--श्री श्रीचन्द--क्या यह सही है कि एलम ग्राम (मुजफ़्फ़रनगर) के निकट नाले की सफाई गत तीन वर्षों से नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। एलम ड्रेन सन् १९५० में तथा इस वर्ष भी भली-भांति साफ़ की गई है।

*३४--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नाले की सफाई न होने के कारण एलम ग्राम में पानी भरने से मकानों को अत्यधिक हानि पहुच रही है ?

श्री राममूर्ति--एलम ग्राम का निरीक्षण ८ अगस्त, १९५३ को किया गया। इस ड्रेन के कारण एलम ग्राम के मकानों को इस साल कोई हानि नहीं पहुंची और न पिछले साल ही इस ड्रेन की सफ़ाई न होने के कारण मकानों को हानि पहुंचने के विषय में कोई शिकायत आई।

*३५--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार इस नाले पर एक पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। अगर ग्राम निवासियों की ओर से पुल बनवाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र आवेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नाले की सफाई सन् १६५१-५२ में क्यों नहीं की गई?

श्री राममूर्ति--इसकी जरूरत नहीं समझी गई।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पानी का रास्ता रुकने और मकानों को हानि पहुंचने पर ग्रामवासियों ने अनेक आवेदन पत्र जिलाधीश महोदय को भेजे?

श्री राममूर्ति--हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

जिला आगरे में उटंगन नदी पर पुल

*३६--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरे में उटंगन नदी के पुल का बनना, जिसकी स्वीकृति सरकार द चुकी है, कब शुरू होगा?

श्री गिरधारी लाल--सरकार इस कार्य को शीघ्र आरम्भ करने की आशा करती है।

आजमगढ़ जिले के किसानों को रहटों का वितरण

*३७--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में ५० रहट मुफ्त और १०० रहट आधे मूल्य पर किसानों को देने के लिये दिये गये थे?

श्री राममूर्ति--आजमगढ़ जिले में सिंचाई के हेतु किसानों को मुफ्त बांटने के लिये ५० रहट जिलाधीश को दिये गये थे और उनको यह अधिकार दिया गया था कि जहां कहीं वे उपयुक्त समझें आधी क़ीमत पर दूनी संख्या में रहट वितरण कर सकते थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री यह बतालाने की कृपा करेंगे कि जो रहट दिये गये हैं वह किन-किन तहसीलों में और कितनी संख्या में दिये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तहसीलों का तो पता नहीं है लेकिन ५६ किसानों को यह रहट आधी क़ीमत पर दिये गये।

नव्वापुर की घघीवा नदी पर पुल बनाने के लिये प्राप्त धन

*३८--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि केन डेवलपमेंट काउन्सिल ऐरा, जिला खीरी से पचास हज़ार रुपया पी० डब्लू० डी० को नव्वापुर की घघीवा नदी पर पुल बनवाने के लिये प्राप्त हुआ था?

श्री चतुर्भुज शर्मा--केन डेवलपमेंट काउन्सिल, ऐरा से पी० डब्लू० डी० को पचास हज़ार रुपया ऐरा खमरिया पंडित सड़क के निर्माण के लिये प्राप्त हुआ था।

*३६--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या उस रुपये का उपयोग पी० डब्लू० डी० द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, उस रुपये का उपयोग पी० डब्लू० डी० द्वारा किया जा रहा है।

*४०--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार उस रुपये को केन डेवलपमेंट काउंसिल, ऐरा को फिर वापस दिये जाने पर विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रुपया सरकार को कब प्राप्त हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह रुपया १९५२ में प्राप्त हुआ था।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह रुपया इस शर्त पर दिया गया था कि एरतमरियापुर सड़क के निर्माण का शेष रुपया सरकार दे देगी ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---पहले की यह बात तो नहीं है। अभी यह तय हुआ कि ५० हजार रुपया उन्होंने पहले दिया था और ५० हजार रुपया और दिया जिसमें से २५ हजार सोसाइटी ने और २५ हजार एक मिल मालिक ने। इस तरह से एक लाख रुपया आ गया है और यह तय हो गया है कि सड़क बनाई जाय और आज्ञा हो गई है काम शुरू कर दिया जाय।

*४१-४३---श्री पुलिन बिहारी बनर्जी (जिला लखनऊ)---[स्थगित किये गये।]

मुजफ्फर नगर जिले में सिक्का नाला पुल का टूटना

*४४---श्री श्रीचन्द---क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फ़रनगर के लोअर डिवीजन में यारपुर रजबहे के सिक्का नाला पुल के टूटने से किसानों की रबी तथा खरीफ की १३६० फसली की फसलें समाप्त हो गयीं ?

श्री राममूर्ति---हां, यारपुर एक्वेडक्ट ११ और १२ फरवरी, १९५३ के बीच की रात को यकायक टूट गया। यद्यपि रजबहे को पानी पहुंचाने का अस्थाई प्रबन्ध तुरन्त किया गया और रजबहा १३ मार्च से चालू भी कर दिया गया, फिर भी इस बीच में रजबहे के बन्द रहने के कारण गेहूं, मेंथी, मटर और दूसरी चारे की फसलों को कुछ हानि अवश्य पहुंची। अतः गेहूं के खेतों पर आधी और दूसरे चारों के खेतों पर पूरी छूट दे दी गई।

*४५---श्री श्रीचन्द---क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल के टूटने में सरकार की कितनी हानि हुई ?

श्री राममूर्ति---एक्वेडक्ट की मरम्मत में सरकार का १७,७०० रुपया व्यय हुआ।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी ने इस टूटे हुये पुल को स्वयं भी देखा है।

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस पुल के टूटने के समय स्वयं ही उन्होंने जाकर देखा और तमाम बातों का निरीक्षण किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यारपुर का तो मुझे स्मरण नहीं है लेकिन एक ऐसा टूटा हुआ साइफन जब कि मैं मुजफ्फरनगर के दौरे में गया था तो देखा था जिसको कि लोग ढोलक कहा करते थे कि ढोलक टूट गयी। यदि माननीय सदस्य का उससे तात्पर्य है तो मैंने अवश्य देखा है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस अवसर पर किन किन सरकारी कर्मचारियों का दोष पाया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी जाँच सुपरिन्टेंन्डिग इंजीनियर ने की और उनको यह मालूम हुआ कि एक तरफ का खम्भा जिस पर वह ढोलक रखी थी वह एक तरफ धंस जाने की वजह से टूट गया। किसी का दोष उसमें नहीं था।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग लगा कर कार्यवाही की गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते होंगे तो मैं इन्क्वायरी कर लूंगा ।

अतारांकित प्रश्न

आज़मगढ़ ज़िले में नल कूप

१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज़मगढ़ ज़ि में कब तक कितने नलकूप बन गये हैं और उनसे कितने कितने एकड़ की सिंचाई होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१.आज़मगढ़ ज़िले में अभी कोई नलकूप नहीं बने हैं। २. नलकूप प्रयोगात्मक दृष्टि से खोदे गये थे जो अब चालू कर दिये गये हैं और उनसे ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ।

घोसी---मुहम्मदाबाद सड़क का निर्माण

२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बता सकते हैं कि घोसी से मुहम्मदाबाद जाने वाली सड़क का निर्माण कब से आरम्भ हुआ था और यह सड़क कब पूरी हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल---इस सड़क पर निर्माण कार्य सन् १९४६ में आरम्भ हुआ था तथा अब यह पूरा हो चुका है ।

श्री इश्तयाक़ आबदी की नज़रबन्दी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव झारखंडे राय जी ने यहाँ पेश किया और व उसी सम्बन्ध में है जिस सम्बन्ध में अभी प्रश्न पूछे गये, आज़मगढ़ के श्री इश्तयाक़ आबदी की नज़रबन्दी से उत्पन्न पेचीदा परिस्थिति पर विचार करने के लिए । तो मैं इसको इतने महत्व का समझता हूं कि जिस पर काम रोको प्रस्ताव आ सकता है और न यह निश्चित ही है कि कौन सी पेचीदा परिस्थिति हो गई जिसके ऊपर विचार करना है । तो निश्चितता भी नहीं है और अर्जेंसी भी दिखायी नहीं देती कि जिसके कारण इसके ऊपर विचार के लिए मैं इजाज़त दे दूं ।

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१६ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

*खंड ३ (क्रमागत)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने इस सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने बड़े ध्यानपूर्वक कल माननीय शिव नारायण जी की स्पीच को सुना और मुझे उनके भाषण से कल बड़ा उत्साह मिला और उससे मैं यह समझा कि माननीय शिव नारायण

---

* १४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है ।

जी ने जो उद्‌गार निकाले वे उनके हृदय के उद्‌गार थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि आज सरकारी नौकरियों पर, या और भी जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ है उसमें जब क्वालि-फिकेशन की बात आती हैं तो उनमें यह सबसे पहले ही देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन का आदमी होता हैं वह लिया जाता है । जब वही लोग ऊंची से ऊंची शिक्षा पा सकते हैं जिनके पास ऐसे साधन हैं और इस प्रकार से वही लोग ऐसी नौकरियों को भी पा सकते हैं और देहात में रहने वाले गरीब लोग जो अपनी आर्थिक हालत की वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते उनको उन नौकरियों का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए आज यह मौका है जब कि प्रांत में रहने वाले गरीब लोगों को भी यह सुविधा दे सकते हैं ताकि वे अपने घरों में ट्यूशन रख कर या और प्रकार से पढ़ कर डिग्री हासिल कर सकें। इससे हमारे प्रांत के लोगों को बड़ा फायदा होगा। जहाँ तक शिवनारायण जी का सवाल है पहले तो उन्होंने टीचर्स के मामले पर इसका समर्थन किया क्योंकि वे खुद टीचर हैं, उस तजवीज के मान लेने से उनका टीचर रहना जरूरी हैं लेकिन अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो वे अवश्य ही टीचरी से इस्तीफ़ा दे देंगे और उनको इस सदन के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा तथा प्रांत की जनता जिसको वे रिप्रेजेन्ट करते हैं, उसकी तकलीफों के बारे में भी अधिक समय उनको विचारने का मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त यह अवश्य है, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि अधिक शिक्षा होने से पढ़े लिखे लोगों की बेकारी ज्यादा हो जायगी और उससे अधिक गड़बड़ी फैल सकती है। लेकिन उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि यहाँ शहर में आकर जो यूनिवर्सिटीज में लड़के पढ़ते हैं वे डिग्री हासिल करने के बाद गाँवों में जाना पसंद नहीं करते। अगर उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो भी वे लोग गाँवों के बजाय शहरों में ही रहना पसन्द करते हैं। जब कि हमारे देश में बड़े रचनात्मक काम होने वाले हैं, गवर्नमेंट विकास के कामों में लगी हुई है तो ऐसे समय में गाँवों के लोगों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो गाँवों की उन्नति कैसे हो सकती है। इसलिए गाँवों के लोगों को ऊंची से ऊंची डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाना चाहिये। अगर उनको मौका नहीं दिया जायगा तो गाँवों के लोग छोटी नौकरियों से भी इंटरमिडियट आदि की कैद होती है, लाभ नहीं उठा सकते। आगरा यूनिवर्सिटी ही एक एसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बाहर के लोगों को प्राइवेट बैठने का मौका मिलता है। हाँ यह मैं मान सकता हूँ कि गाँव के रहने वालों के लिये कोई क्वालीफिकेशन मुकर्रर कर दी जाय कि वैसे ही लोग इम्तहान में बैठ सकेंगे। गाँव के विद्यार्थियों को टीचर्स और इंसपेक्टिंग स्टाफ की तरफ से अवश्य ही सुविधा दी जानी चाहिये ताकि हमारे देश को ऐसे ग्रेजुएट मिल सकें जो गाँवों में जाकर जनता की सेवा कर सकें और शहरों और दूसरे पैसे वालों की तरह उनको भी बड़ी बड़ी नौकरियों में हिस्सा मिल सके। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं यह सोचता था कि जब माननीय शिव नारायण जी अन्डर ग्रेजुएट होकर इतना बुद्धिमत्ता पूर्ण भाषण देसकते हैं वे यदि ग्रेजुएट हो जायेंगे तो फिर क्या बात है। इसलिए डिग्री का भी कुछ असर होता ही है और मैं यह सोचता था कि हमारे माननीय शिव नारायण जी तथा और भी बहुत से ऐसे भाई हैं जैसे माननीय गेंदा सिंह जी को बड़ी शिकायत थी कि इसका विरोध जो कर रहे हैं वे सब ग्रेजुएट हैं। यानी जो ग्रेजुएट लोग हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं और जो नान ग्रेजुएट हैं वे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदा सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैंने भी ला पास कर रखा है लेकिन जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं उसका बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रांत के अन्दर हजारों नवयुवक ग्रेजुएट बनें। इसमें डरने की क्या बात है? आज शहर के विद्यार्थी डिग्री हासिल करने के बाद देहातों में जाने में हिचकिचाते हैं लेकिन जब गाँवों के अन्दर एक केडर ग्रेजुएट का हो जायगा तो यही शहर के विद्यार्थी गाँवों के अन्दर सर्विस करने के लिये सबसे पहले दौड़ेंगे क्योंकि बेकारी की समस्या हमारे प्रांत के अन्दर बहुत बड़ी है। जब कम्पटीशन होगा तो इन विद्यार्थियों को गाँवों में जाने में कोई आपत्ति

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहीं होगी। जैसा कि माननीय शिव नारायण जी ने कहा कि एक स्टूडेन्ट फर्स्ट क्लास इंटर-मीडियेट पास था लेकिन पैसा न होने की वजह से आगे नहीं पढ़ सका। आज देहातों के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आई० सी० एस० सर्विस में हैं। आज देहातों के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो आई० ए० एस० सर्विस में हैं? आज देहातों के विद्यार्थी सर्विस में इसलिये नहीं हैं कि उनको आगे पढ़ने और डिग्री हासिल करने का मौका नहीं मिलता। यह बात तो बिलकुल निश्चित है और यही कारण है कि यह बिल हमारे सामने आया है। अगर देहात वालों को आप यह अपारचुनिटी दे दें इस बिल के जरिये कि वे प्राइवेट इम्तहान दे सकें तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम अवश्य होगा। आज कल जो बहुत से स्कूल कालेज खोले जाते हैं वे पैसे के लालच से ही खोले जाते हैं, कोई कहता है कि मेरे यहाँ लड़के ज्यादा हो जायं, कोई कहता है कि मेरे यहाँ ज्यादा लड़के हो जायं क्योंकि ज्यादा लड़के होने की वजह से उनको फीस ज्यादा मिलती है। अगर यह संशोधन पास हो गया तो इस तरह के स्कूल कालेज अवश्य बन्द हो जायेंगे लेकिन साथ ही साथ गाँव के रहने वालों को इससे बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने इस सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---(जिला मिर्जापुर)---माननीय अध्यक्ष, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने सोचा, बहुत विचार किया लेकिन मुझे उनके संशोधन में कोई दोष नहीं दिखायी पड़ा। शिक्षा कोई अफीम या शराब नहीं है कि उसके ऊपर कोई पाबन्दी डाली जाय। मैं समझता हूं कि शिक्षा के विकास के लिये, शिक्षा प्रसार के लिए जितना ही बड़ा साधन हो, उसे आप अंगीकार करें, जितना साधन उसके लिये हो उतना ही देश के लिये हितकर होगा, इससे देश का कोई अहित नहीं हो सकता। जो इसके विरुद्ध दलीलें दी गयी हैं कि इससे शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिर जायगा तो मैं समझता हूं कि अशिक्षित रहने के बजाय अगर शिक्षा का स्टैन्डर्ड कुछ गिर भी जाय तो मुझे उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपने स्त्रियों को यह छूट दे दी है कि वे प्राइवेट परीक्षा दे सकती हैं। स्त्रियों की संख्या आधी होती है और आधे मर्द होते हैं। साढ़े ६ करोड़ की आबादी में सवा ३ करोड़ को आपने आजादी दे दी है लेकिन जो सवा ३ करोड़ मर्द हैं उनको आपने आजादी नहीं दी है कि वे प्राइवेट तौर से परीक्षा में बैठ कर डिग्री हासिल कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे माननीय मंत्री जी को या सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? मर्दों से ऐसी कौन सी भड़क है कि उन्हें आजादी न दी जाय? मैं तो इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं। मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जिन कालेजेज में लड़के भर्ती के लिये आते हैं वह जगह न होने से लौट जाते हैं उन सबको अवसर मिले कि वे डिग्री हासिल कर सकें। बहुत से लड़के तो फीस न देने की वजह से कालेज में नहीं आते हैं। पैसे की कमी की वजह से वे लौट जाते हैं और बहुत से आने पर भी प्रवेश न पाकर फिर जाते हैं। तो उन सबको भी अवसर दीजिये कि वे अपने हौसले को पूरा करें, उनकी तरक्की और विकास का रास्ता अवरुद्ध न हो। आपने संशोधन में यह रखा है कि व्यक्तिगत रूप से जिसमें जो विकास के गुण हैं, उनके विकसित करने में कोई रुकावट पैदा नहीं की जायगी। तो यदि आप प्राइवेट तौर से ऐपियर होने की गुन्जाइश नहीं देते तो उनके विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं हो सकती है। यह सर्वथा देश के लिये कल्याण करने वाला संशोधन है। इससे शिक्षा विस्तार और प्रसार में सहायता पहुंचेगी। इससे कोई बाधा नहीं पहुंच सकती। बस मुझे केवल इतना ही कहना था।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर कल से काफी बहस हो चुकी है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि संशोधन की खूबियों को देखूं अगर इसका समर्थन कर सकूं तो अच्छा है लेकिन इसको सुनने के बाद कि शिक्षा में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, इससे कौन इंकार करता है कि शिक्षा पर प्रतिबन्ध न हो, शिक्षा अधिक हो लेकिन यदि शिक्षा का परिणाम यह हो कि मनुष्य का सच्चा विकास हो सके जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र मजबूत हो। अगर हम इस कसौटी के ऊपर इस संशोधन में छिपे हुए भावों को कसते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि मैं उस पर इससे सफल नहीं हो पाता हूं। क्या आज हमारी यह मंशा होगी कि शिक्षा का अर्थ केवल बी० ए०, एम० ए० या किसी प्रकार की डिग्रियों को ले लें और यदि डिग्रियों का ले लेना ही शिक्षा का अर्थ हो जाय तो फिर योग्यता की कोई गुंजाइश कहीं बाकी नहीं रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब आज इस देश के विद्वान् इस बात को सोचने में लगे हुए हैं कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली कुछ इतनी गलत सी है कि जिससे निकले हुये नवजवान आज न तो समाज को स्वस्थ बना पाते हैं, न राष्ट्र को मजबूत कर पा रहे हैं तो इस दरवाजे को केवल इस भावना के आधार पर खोला जाय कि गाँवों में भी लोग इस प्रकार के इम्तहान दे कर अपनी डिग्रियों को हासिल कर सकें, यह उचित नहीं है। मैं उपाध्याय जी के इस तर्क को नहीं समझ पाया कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो गाँव के तमाम लोगों को परीक्षाओं में बैठने का मौका मिल जायगा और सरकारी पदों पर गाँव के लोग भी आ सकेंगे। आँकड़े तो मैं ठीक ठीक नहीं दे सकता लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है आज जितने भी सरकारी पद हैं उनमें गाँव वालों की संख्या बहुत काफी है। केवल शहरों का नाम लेना कि वे ही नौकरियों में हैं यह गलत सी बात है यह बात अपनी जगह पर सही है और किसी को भी इस बात को मानने से इंकार नहीं करना चाहिये कि जो लड़का योग्य हो और जिसमें इस बात का गुण हो कि आगे चल कर वह अच्छा निकल सकता है उसकी पढ़ाई में रोक नहीं होनी चाहिये। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज की मौजूदा सरकार हर एक कालेज और यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा स्कालरशिप के जरिये, किताबों के जरिये और फीस के जरिये सहायता दे कर उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर रही है। मैं तो उन आदमियों में से हूं जो सोचते हैं कि जो फर्स्ट क्लास विद्यार्थी हों उनका खर्चा राज्य को अपने ऊपर उठाना चाहिये और आगे जाने में सहायता करनी चाहिये। यही नहीं, मैं तो इसके आगे भी सोचता कि यूनिवर्सिटियों और कालेजेज का इतना खर्च बढ़ा देना चाहिये कि अगर पैसे वाले भी चाहें तो भी उनके थर्ड क्लास स्टूडेण्ट्स वहाँ न पढ़ सकें। तो आज जब इस तरह की विचारधारा देश में चल रही है क्या यह जरूरी है कि जितना भी हो चाहे जैसे हो किसी प्रकार से उनको डिग्रियां दिलवा दी जायं। इससे न समाज स्वस्थ बनेगा, न राष्ट्र मजबूत होगा और न इस प्रकार से कोई लाभ ही होगा।

मैं एक बात और नहीं समझ पाया कि क्या मनुष्य के विकास के लिये डिग्री का लेना ही जरूरी है। क्या और काम नहीं हैं जिन्हें सीखने के बाद मनुष्य का विकास हो सके। जहाँ तक इस आगरा यूनिवर्सिटी बिल के इस संशोधन का सम्बन्ध है उसमें तो जैसा मेरे साथी राधामोहन सिंह जी ने कहा था कि जहाँ तक साइन्स का सम्बन्ध है, विज्ञान की बात है वह तो जब तक प्रैक्टिकल क्लासेज ज्वाइन नहीं करेंगे कोई इम्तिहान में नहीं बैठ सकेगा। तो यह छूट आर्ट के लिए हो। आर्ट के हो जाने के बाद फिर इस प्रकार की डिग्रियों की भरमार हो जायगी। भरमार हो जाने के बाद शिक्षा का स्तर बहुत नीचे पहुंच जायेगा। जिस देश में विद्वत्ता का स्तर नीचे पहुंच जाता है फिर उस देश में कोई बड़ा काम नहीं हो पाता। इसलिए आज भावना में आकर ऐसे संशोधन का समर्थन नहीं करना है। मैं जोरदार शब्दों में श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध करता हूं और आपके द्वारा उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि रेवोल्यूशन के खात्मे की आवाज उठाना तो बहुत आसान होता है लेकिन वह रफ्तार इतनी तेज न हो कि जाकर कहीं खंदक में गिरना पड़े। हम तेजी से कदम उठाना चाहते

[श्री रामनरेश शुक्ल]

हैं लेकिन सोच समझकर उठाना चाहते हैं। बिला समझे कोई कदम उठाना गलत होता है। ऐसा कदम उठाने वाला खुद गिरता है और समाज को भी गिराता है। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैज़ाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य होता है जब कि मैं यह सुनता हूं कि बहुत से लोग जो भारतवर्ष के निवासी हैं, वे यह फरमाते हैं कि इन डिग्रियों से क्या लाभ है। प्रातः से लेकर सन्ध्या समय तक अगर हम अपने यहां लोगों को देखते हैं तो उनमें ज्यादातर आदमी क्वालिफिकेशन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कल एक माननीय सदस्य ने अपनी दौराने तक़रीर में यह फरमाया कि इस संशोधन के बारे में उनको आपत्ति है। श्रीमान्, मैं यह तसलीम करता हूं और मानता हूं कि आजकल प्रत्येक सरकार के लिये यह उचित है कि वह औरतों और बच्चों के लिये कुछ भेद भाव करे। कुछ विशेषाधिकार संविधान में दिये जाते हैं। इसके मायने यह नहीं हुआ करते कि उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जाय। मैं इसको दुरुपयोग नहीं कर सकता हूं क्योंकि जहां तक औरतों और बच्चों का प्रश्न है उनके लिये कुछ कन्सेशन होना ज़रूरी है और उनके लिये अगर इसका प्रयोग किया जाय तो कुछ बेजा बात नहीं परन्तु यहां पर कोई कारण नहीं है कि जिसके लिये वे ऐसा करें। मैं आप के ज़रिये से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस अधिकार के प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर करें और सोचें। डिस्क्रिमिनेशन की वहां पर ज़रूरत होती है जहां पर कि उसकी आवश्यकता हो और उसके बग़ैर काम नहीं चल सकता हो।

यहां पर शहर और देहात का प्रश्न भी उठाया गया और शिक्षा के स्तर का नीचा होने का प्रश्न भी उठाया गया परन्तु यहां शिक्षा का स्तर इस तरह से कभी गिर नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है। शहरों के बच्चों को कुछ इस प्रकार की तालीम मिल जाती है जिसके ऊपर हमारी सरकार को आपत्ति होती है और उसको लाठी चार्ज और गोली चलाना पड़ता है। कम से कम यह देहात के बच्चे एक कोने में तो पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के हाथ मजबूत हो जाते हैं। कम से कम किसी घर में जवान बहिन है या बुढ़िया मां है तो उसके सामने पारिवारिक असुविधा उपस्थित हो जाती है या ऐसे अनेकानेक कारण हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में, जिसकी वजह से देहातियों के लिये यह सुअवसर प्राप्त नहीं होता कि वे लखनऊ या इलाहाबाद जाकर पढ़ सकें। मैं इन सब बातों को देखते हुए इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं आप के द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह एक निर्दोष संशोधन है और उन्हें इसको मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कोई भी इम्तहान इस बात का एक सबूत होता है कि अमुक आदमी ने बौद्धिक विकास में इतनी उन्नति कर ली है और वह उसका एक तरह का नापने का पैमाना होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में तरक्की हो और समाज के हर आदमी को इस बात का मौक़ा हो कि वह केवल अपना बौद्धिक विकास ही न कर सके बल्कि उसकी मान्यता भी प्राप्त कर सके तो वह एक जायज बात है। हम में से किसको नहीं मालूम कि प्राइवेट कंडीडेड्स को कितनी बेईमानियां करनी पड़ती हैं, बहुत से प्राइवेट इम्तहान देने वाले लोग फ़र्जी नाम टीचर्स में लिखाते हैं और इस तरह के जराये निकालते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नाम लिखा लेते हैं और प्राक्सी करते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते हैं। ये सब बेईमानियां इसीलिये की जाती हैं कि उन के सामने कोई जायज तरीक़ा डिग्री प्राप्त करने का नहीं है। अगर हमें समाज में ईमानदारी

के तरीक़े रायज करने हैं, समाज के हर आदमी को मौक़ा देना हैं कि वह ईमानदारी से बौद्धिक विकास कर सके और उसको मान्यता भी प्राप्त कर सके तो हमें ऐसे कानून बनाने चाहिये कि जिससे समाज में लोग ईमानदार रह सकें। इस संशोधन को न मानने से यह बात लाजमी है कि ये बेईमानियां बराबर चलेंगी और रुकेंगी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि समाज में तरक्की हो और हर शख्स को जो आज सीढी के नीचे के डंडे से चढ़ता है और वह इस बात का इच्छुक है कि ऊपरी डंडे तक चढ़ सकें तो हमें सब को तरक्की करने के साधन देने चाहिये। आज हमें इस बात को मानने से कोई इन्कार नहीं है कि समाज शिक्षित उसी को मानता है जिसके पास कोई डिग्री है। यह तो बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आकर मालूम होता है कि हिमाचल प्रदेश कोरिया में है या हिन्दुस्तान में। वैसे तो हम डिग्री से ही मानते हैं कि कोई कहां तक शिक्षित है और कोई पैमाना उसे नापने का नहीं है। समाज का तो नियम यह है कि जो ज्यादा इनकमटैक्स देता है वह कम इनकमटैक्स देने वाले से ईमानदार माना जाता है। ऐसी थोड़ी सी समाज की गलतियां चली आती हैं जिनको हमें कानून बनाते समय गौर से देखना है और सोच समझ कर ठीक करना है।

मैंने लोगों का विरोध यह सुना कि प्राइवेट परीक्षा को एनकरेज करने से शिक्षा का स्तर गिर जायगा, लेकिन इस तर्क में कोई दलील समझ में नहीं आई कि शिक्षा के स्तर को गिरने या उठने के लिये प्राइवेट इम्तहान देने से या किसी कालेज के मार्फत इम्तहान देने से क्या फर्क पड़ता है? वह स्तर हम एक जगह पर रख सकते हैं। इम्तहानों के अन्दर एक अमुक नाप रख करके कि इस हिसाब से हम कापियों को जांचेंगे और जांचते वक्त जो इस लेवेल तक नहीं हैं, जिनका बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ है, उसको हम नम्बर नहीं देंगे। इस दलील में श्रीमन्, मुझे वजन नहीं मालूम होता है। इसके अलावा जिन आदमियोंने विरोध किया है इस संशोधन का मैं उनसे श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह यही चाहते हैं कि आज जो इस असेम्बली डिपार्टमेंट के अन्दर एक आदमी चपरासी की जगह पर काम करना शुरू करता है वह जिन्दगी भर चपरासी की जगह पर ही रहे, या उस चपरासी को यह मौका देना चाहते हैं कि वह अपना बौद्धिक विकास करके और अपने उस बौद्धिक विकास की मान्यता प्राप्त कर के ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंच सके और वह १० वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष में इस असेम्बली डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन सके। यदि आज हम चाहते हैं कि जो गिरी हुई स्थिति में हैं, उनको मौक़ा देना चाहिये ताकि वह अपनी मेहनत से ऊंचा पद प्राप्त कर सकें तो यह बात आवश्यक है कि हम उनको भी मौक़ा दें। यह भी तय है कि आज हमारे राज्य के जो भी रिसोर्सेज हैं वे हमको इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि हम उन्हें कालेजेज में नहीं भेज सकते, हम नये इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते, और जब हम नये इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते तो फिर हमारे सामने और कोई तरीक़ा उनका इस तरह आगे बढ़ाने का नहीं है सिवाय इसके कि वह प्राइवेट इम्तहान दे सकें। मैं इस बात को मानता हूं कि साइंस और टेक्निकल सबजेक्ट्स में इन्सान बिना कालेज के अन्दर अध्ययन किये हुए, बिना प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त किये हुए, बिना एक डिमांस्ट्रेटर द्वारा कुछ बातें सीखे हुए उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे विषय के लिये हम उन पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं या यह हो सकता है कि ऐसे विषय पढ़ाने के लिये हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारे कालेजेज जहां भी हों वहां पर आफ टाइम में उनको लेबोरेटरीज का या ऐसी चीजों के जानने का कुछ मौक़ा दिया जाय।

श्रीमन्, बहुत से इसके ऊपर डाकूमेन्ट्स पढ़े गये और बहुत से बाहर के लिटरेचर पेश किये गये, लेकिन मैं भी आप के द्वारा इस सदन के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं कि लंदन युनिवर्सिटी इग्लैण्ड की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसकी डिग्रियां कोई सस्ती डिग्रियां नहीं कहलातीं बल्कि उसकी डिग्रियों की बहुत काफी वक़अत है। लंदन यूनिवर्सिटी का इम्तहान पास किये हुए आदमी को हम ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आज हिन्दुस्तान से भी लन्दन यूनिवर्सिटी के इम्तहान प्राइवेट पास कर सकते हैं। इस तरीके से श्रीमन् मुझे मालूम है कि जर्मनी में भी पहले यह क़ायदा था कि बहुत सी डिग्रियां हम प्राइवेटली

[श्री भगवान सहाय]

इम्तहान दे कर प्राप्त कर सकते थे । तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों न हम उन्हीं चीज़ों का यहां पर भी मौक़ा दें कि जिससे हमारा समाज सभी तरक्की कर सके । इन शब्दों के साथ मैं पुनः श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और उनको इस क्रान्तिकारी क़दम के लिये बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने माननीय मंत्री जी से और सरकार से अपील करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर के अपने देश की उस जनता का उद्धार करें जो कि यूनिवर्सिटी कालेज में शिक्षा पाने से असमर्थ है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--मैं क्लोजर मूव करता हूं । इस पर काफी वादविवाद हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष--मैं श्री रामदास जी को बुला चुका हूं । उनके बोल लेने के बाद आप मूव कर सकते हैं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से नम्र-निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके सर्वसाधारण के हित में क़दम उठायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पक्ष और विपक्ष में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, किन्तु यह सबने माना कि शिक्षा प्रसार करना हमारा परम उद्देश्य है और इसमें कमी नहीं होनी चाहिये । हम सभी मानते हैं और इनकार नहीं करेंगे इस बात से कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में हमारी जनता देहातों में अधिक रहती है और उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बहुत कम है । इस ग़रीबी की दशा में ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है । आज हमारे देश में ग़रीब किसान, मज़दूर और सूचित और अनुसूचित जातियां बसती हैं । हमारे संविधान में इसकी काफी गुंजायश है कि इन अनुसूचित और सूचित जातियों को शिक्षा देने में कोई भेद भाव न किया जाय । जब हमारे संविधान में ऐसी गुंजायश है तो हम कैसे कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकते हैं कि जिससे लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह जांय । आज इस ग़रीबी में ऐसी दशा हो रही है कि हम अपने लड़कों को स्कूल और कालेजेज में दाखिल करा कर के शिक्षा नहीं दे सकते हैं । इसलिये उनको शिक्षा पाने का ऐसा अवसर मिलना चाहिये जिससे वे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकें । माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने विचार प्रकट करते हुए एक बात यह बतलायी थी कि जो लड़के यूनिवर्सिटी में दाखिल हो करके शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका स्तर ऊंचा रहेगा और जो प्राइवेट तरीक़े पर शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका स्तर नीचा रहेगा । मैं इसको इसलिये मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जब उनकी परीक्षा का मिआर एक होगा तब फिर कोई दिक्क़त की बात पैदा नहीं होती । जहां तक अनुभव की बात है वह अपनी जिन्दगी में भी अनुभव करता है और वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर के उसी स्तर तक पहुंच जायगा । एक दूसरी बात नवल किशोर जी की तरफ से आई थी कि जो प्राइवेट शिक्षा पाने वालों की परीक्षा का प्रबंध किया जा रहा है उसमें सरकार पर्याप्त क़दम उठा रही है, मैं समझता हूं कि सरकार इसमें भी पर्याप्त क़दम उठायेगी और उन लोगों को जो हमारे ग़रीब भाई शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और जो अपने स्कूलों में रह कर के ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें मौक़ा मिलेगा । हमारी बुनियादी तालीम जो बेसिक तालीम कहलाती है, उसका आधार यही है कि हम छोटे-छोटे कार्य कर के अपनी शिक्षा की प्राप्ति के ऐसे साधन पैदा करें जिससे हमारी आर्थिक दशा सुधरे । आज वालदैन अपने बच्चों से यह चाहते हैं कि उनके घर के काम में उनसे कुछ मदद मिले । इसलिये यह आवश्यक है कि बच्चों को और कार्य करते हुए ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का और अपने मस्तिष्क के विकास करने का मौक़ा मिले । इसलिये यदि यह संशोधन मंजूर कर लिया गया तो इसमें हमारी उदारता होगी और इससे सर्व साधारण को मौक़ा मिलेगा अपने मस्तिष्क के विकास का और उन्नति करने का । इन शब्दों के साथ मैं और न कहते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन पर पुनः विचार करें ।

श्री राम लखन मिश्र--मैं अब क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो मेरा प्रस्ताव है उसमें मैंने जो विचार रखा था और उसके पश्चात् अपने मित्रों की ओर से मैंने जो विचार सुने उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक बात यह बतलाई गई कि यदि प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षा देने की आज्ञा दे दी गई तो सभ्यता हमारे देश से लुप्त हो जायेगी अर्थात् इस प्रकार से जो डिग्री प्राप्त करेंगे वे असभ्य होंगे और उनके अन्दर सभ्यता नहीं आयेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में इस प्रकार से परीक्षा देने की आज्ञा दे दी जाय तो यह कदाचित् नहीं हो सकता कि उससे सभ्यता लुप्त हो जाय या यह कि वे सभ्य न हों। मैं तो यह समझता हूं कि आज कल की डिग्री पाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी बनिस्बत उन लोगों में अधिक सभ्यता है जो कि अनपढ़ हैं, चाहे वे शहर के हों या देहात के हों। ऐसी सभ्यता को मैं बनावटी समझता हूं और यह सभ्यता नहीं है। वास्तव में सभ्यता उन्हीं के अन्दर है जो कि वास्तविकता और सच्चाई सामने रखते हैं। आपने देखा होगा कि उन सज्जनों को जिनको देहात में घूमने का अवसर मिला होगा उन्होंने देखा होगा कि वहां जो वास्तविक बातें हैं, जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं वह कितना सराहनीय है। यदि वे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो सभ्यता उनके अन्दर और भी बढ़ेगी।

दूसरी बात स्टैंडर्ड (स्तर) के बारे में कही गई कि जितनी अधिक संख्या में लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका उतना ही स्टैंडर्ड गिरेगा। हां, एक बात अवश्य है कि मुट्ठी भर आदमी कदाचित इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि किसानों को पढ़ा लिखा कर उनके बराबर पहुंचाया जाय। वास्तविक बात यह है कि हमारे देश के अन्दर उनके उद्धार की ओर चेष्टा नहीं होती। अगर यह चेष्टा होती तो मैं समझता हूं कि जितने दूसरे देशों में विश्व-विद्यालय हैं उन्होंने प्राइवेट परीक्षा देने की अनुमति दे रखी है वैसी व्यवस्था यहां पर भी की जाय तो श्रेष्ठ है। यदि ऐसी बात है तो मैं यहां पर कोई ऐसा कारण नहीं समझता कि जिससे कुछ हानि हो। इसके पश्चात् मैं अपने भाइयों से यह निवेदन कर दूं कि नागपुर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट तरीके से लड़के परीक्षा देते हैं। वहां दूसरे प्रांत के लोग भी परीक्षा देने के लिये जाते हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिर गया या वहां सभ्यता कम हो गई ? मेरे कुछ भाइयों ने यह कहा कि स्त्रियों से ईर्षा है। मैं समझता हूं कि यह नहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ (१) में यह लिखा है:--

'The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, Sex, place of birth or any of them".

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा"। मेरा तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को भी मर्दों के बराबर अधिकार हों जैसा हमारे संविधान में दिया गया है। इसके पश्चात् एक बात मैं और अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हरिजन या मजदूर जाति वाले जो लोग हैं उनकी सहायता तो सरकार ने फीस अथवा किताबों द्वारा की है परन्तु उनकी जो वास्तविक आजादी है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तविक सहायता तो यह होगी कि आप बोर्डिंग हाउस का खर्चा दें जब कि खाने पीने का व्यय ५०-६० रुपये मासिक से कम नहीं है। यदि एक विद्यार्थी अपने घर पढ़ कर परीक्षा दे तो वह आसानी से और सस्ते में उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। मैं महसूस करता हूं हमारी सरकार ने फीस की सहायता तो दी है परन्तु वह भी पर्याप्त नहीं है। वह उसी समय तक ठीक है जब तक लड़का अपने घर पर ही रहता था और स्थानीय संस्था में पढ़ता था। एक, दो उदाहरण मेरे पास हैं। हमारे गांव में एक हरिजन लड़का था जो हाई स्कूल, इंटर में

[श्री श्रीचन्द]

फ़र्स्ट था लेकिन चूंकि उसके पास बाहर जा कर पढ़ने के लिये पैसा नहीं था वह आगे नहीं पढ़ सका। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा होनहार हरिजन बच्चा खर्चा न होने से न पढ़ सका और इस तरह से इन लोगों की उन्नति का रास्ता बन्द हो जाता है। यदि प्राइवेट परीक्षा देने का अवसर सर्वसाधारण जनता को मिले तो जो लाल और जवाहर हमारे छिपे हुए हैं वे निकल कर बाहर आ जायें और वे दबे न पड़े रह कर हमारे देश की उन्नति का साधन बनें। यह संशोधन यदि नहीं माना जाता है तो उन लोगों पर अन्याय होगा जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के पास या मजदूर किसानों के पास किसी प्रकार के साधन नहीं हैं।

हमारे एक दोस्त ने यह भी बतलाया कि इतनी तेज क्रान्ति हमारे देश के लिये घातक होगी। मैं उनको आगाह करता हूं कि ७वां वर्ष हमारी आजादी का यहां चल रहा है और इस प्रश्न पर हमने आज विचार शुरू किया है और अब भी इसे अत्यन्त क्रान्तिकारी आन्दोलन समझा जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर मैं नहीं समझ पाता कि कब जा कर इस पर गम्भीरता-पूर्ण विचार होगा। आर्टीकिल ४६ में भी यह बतलाया गया है कि:—

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all sorts of exploitation."

इसका हिन्दी अर्थ यह है "राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा"। फिर यह सोचिये कि जब हमारे संविधान में इस तरह का आदेश है तो क्यों इसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाय? मैं, अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्री से फिर सानुरोध कह दूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें और यदि नहीं करते हैं तो किसी प्रकार से यह समझाने की कृपा करें कि किसी तरह से भी मजदूर किसानों को, चाहे वे शहरी हों, या गांव के हों, यह अवसर होगा कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या यह सुविधा उनको कैसे प्राप्त हो सकती है अथवा उनको कोई भी ऐसी सुविधा न दे कर वे अवसर ही न पा सकें या वह ऐसे ही रखे जायंगे और चन्द मुट्ठी भर शोषक ही डिग्री प्राप्त करने वाले होंगे। मैं समझता हूं कि जब तक इस पर पूर्णतया विचार नहीं होगा तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं होगा। किसी प्रकार से भी यह बात ग्रामीण जनता या मजदूर जनता से छिपी नहीं है। कोई गांव हो या शहर हो जो इसको न चाहता हो। मैं तो देहातों में ही घूमता हूं और सब बातें देखता हूं। सब ओर से यही आवाज आती है कि परीक्षा के साधन न मिलने के कारण हमें अपना ध्येय छोड़ना पड़ता है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मित्रों और मंत्री महोदय से सानुरोध कहना चाहता हूं कि वर्तमान में ही इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय और ध्यान से देखा जाय और जनता की आवाज पर चला जाय। यदि हम स्वयं अपने ही विचारों पर चलेंगे तो जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि हम यहां बैठ कर जनता के हित के लिये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम जनता के विचारों को पहचान कर कि किस ओर जनता जा रही है उसकी सुविधा के लिये कार्य करें और इस प्रकार से हम चलें तो हमारा उद्धार होगा, अपने देश का कल्याण होगा क्योंकि जनता जो हमारी तरफ आशा की दृष्टि से ताक लगाये बैठी है, उसका हमें कल्याण करना है। हमारा प्रदेश आज लखनऊ की तरफ देख रहा है, उन्नति का यही एक मार्ग होगा। जय हिन्द।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमान्, इस संशोधन पर मैं कल ही अपना विचार व्यक्त कर चुका हूं और इसके बाद भी भवन में आवेशपूर्ण और भावुक उक्तियां रखी गयीं, उनसे भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैं अब भी नहीं समझता हूं और मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने विचारों को बदलूं। यदि इस संशोधन में मैं यह

देखता हूं कि इससे शिक्षा का प्रसार होगा, अधिक से अधिक संख्या में देश के नवयुवक आगे आने वाले कार्यक्रम के लिये तैयार होंगे और इससे हमारा राष्ट्र एक पग भी आगे बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संशोधन को मान लेने में तनिक भी संकोच न करता, लेकिन मैं उल्टे यह समझता हूं कि आज दुनियां में जो संघर्ष चल रहा है हम अपनी कमजोरियों को देखते हुए इस संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसका उसके लिये खोया हुआ धन ढूंढ निकालना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने स्तर को ऊंचा करें। आखिर शिक्षा का अभिप्राय क्या है, हम क्यों शिक्षा देते हैं, सरकार क्यों अपना कर्तव्य समझती है कि जनता को शिक्षित बनाया जाय? मैं समझता हूं कि इसका एक मात्र अभिप्राय यही होता है कि हम अच्छे और सुयोग्य नागरिक बनायें। यदि शिक्षा का यह अभिप्राय पूरा नहीं होता है तो उस शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कहेंगे। हम भले ही उसको एक दूसरी संज्ञा साक्षरता की दे सकते हैं।

आज हम सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है। हमें इस शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिये। हमारी आवश्यकताएं इस शिक्षा प्रणाली से पूरी नहीं होती, इस शिक्षा प्रणाली से हमारे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होती। वे कौन सी आवश्यकताए हैं, क्या कारण है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को दूषित कहते हैं? एक तो यह जैसा कि मैंने कहा कि हमारा समाज और हमारा ही समाज नहीं बल्कि दुनियां भर का सम्पूर्ण समाज शिक्षा से आशा रखता है कि वह अच्छे उत्पादक पैदा करेगी। हमारी शिक्षा प्रणाली यदि उस कसौटी पर कसी जाय तो मैं समझता हूं कि उत्पादक नहीं बल्कि उत्पादकों को वे उत्पादक बनाती है। यही हमारी शिक्षा की सब से बड़ी कमी है। तो एक तरफ तो यह और दूसरी तरफ इसका स्तर कितना नीचा होता जा रहा है यह आप स्वयं समझिये। हम किसी समय अपने विश्वविद्यालयों पर गर्व कर सकते थे, दुनिया में कहते थे कि हम जो शिक्षा देते हैं वह दुनियां के किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। लेकिन आज आपने देखा होगा थोड़े ही दिन हुए कि हमारे प्रधान मंत्री ने आस्ट्रेलिया की एक युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। आस्ट्रेलिया कोई इतना ऊंचा देश नहीं, कोई इतना बड़ा देश नहीं, उसका इतिहास हमसे कोई बहुत पुराना नहीं और वह हमसे यह कहे कि हिन्दुस्तान से आये हुए विद्यार्थी हमारे स्तर को नीचा करते हैं। जब हमारे विश्व-विद्यालयों में वे आते हैं तो हमारा स्तर नीचा होता है। हम चाहते हैं कि आप अपने विश्व-विद्यालयों में इस बात का प्रबन्ध करें कि वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा हो वर्ना हमें मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि भारत के विद्यार्थी हमारे इस विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं हो सकते। यह हमारे लिये, देश के लिये सब के लिये एक लज्जा की बात है। तो हमारे समाज की आवश्यकता इस समय क्या है? क्या आप यह समझते हैं कि आपका समाज एक पग भी आगे बढ़ सकेगा यदि आप अधपके अशिक्षित व्यक्तियों को, अशिक्षित मैं कहता हूं जान-बूझ कर, सबको हम एक डिग्री दे दें। किसी ने यह कहा कि अनुसूचित जातियों को अवसर नहीं मिलता, गरीब आदमियों को अवसर नहीं मिलता, गांव में रहने वाले लोगों को अवसर नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि हमारी इस समय जो समस्या है, हर यूनिवर्सिटी जो भी हैं वे यह चिल्ला रही हैं कि हमारे यहां विद्यार्थियों की संख्या कम की जाय। यदि यह संशोधन जो रखा गया है जिसमें गांव की पुकार उठायी गयी है, पिछड़े लोगों की पुकार उठायी गयी है, गरीब लोगों की पुकार उठायी गयी है, इसको किसी ने जरूरत समझी होती तो कोई कारण इस बात का नहीं था कि अब तक आप किसी शिक्षा विशेषज्ञ की यह राय नहीं दे सकते कि जिसने यह कहा होता कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों की ऊंची परीक्षा में प्राइवेट बैठने की अनुमति दी जाय। आज जितनी रिपोर्टें हैं, जितनी जांच कमेटियां हैं, सबने एक स्वर से इस बात को नहीं माना है, बल्कि इसका विरोध किया है। तो मैं समझता हूं कि हमें यह मान लेना चाहिये कि उन्होंने केवल एक ही नीयत से, केवल एक ही दृष्टि से और वह यह कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये ही इस बात को नहीं माना है। इन गर्मियों में भी जो परीक्षा हुई उसके बारे में मैं यह तनिक भी कहने में नहीं हिचकिचाता

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कि उस परीक्षा में जितनी कमजोरी और बेईमानी हुई वह ज्यादातर इन प्राइवेट केन्डीडेट्स के कारण ही हुई क्योंकि वे ही ज्यादातर इस बात की कोशिश करते हैं। कल भी एक साहब ने कहा और आज भी श्री भगवान सहाय ने कहा कि जब परीक्षा एक ही होती तो किस प्रकार से प्राइवेट कण्डीडेट्स के कारण परीक्षा का स्तर नीचा हो सकता है। मैं यह थोड़े से में ही समझा देना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेजेज हैं जिनमें बहुत से अच्छे अच्छे कालेजेज भी हैं और खराब कालेजेज भी हैं। उन अच्छे कालेजेज का कहना यह था कि हम लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों का मुकाबिला कर सकते हैं तो भी हमारे लिए वही नियम लागू होते हैं जो कि दूसरों के लिये होते हैं, और इस कारण से हमारी शिक्षा का स्तर नीचा होता जा रहा है। उन्हीं के लिये इस बिल में ओटोनोमस कालेज का प्रबंध किया गया है। अब बताइये कि वह स्तर किस प्रकार से नीचा होता है? वह इस प्रकार से होता है कि यदि परीक्षा में दो लाख विद्यार्थी बैठते हैं तो उनमें कालेज और स्कूल के ५० हजार होते हैं बाकी डेढ़ लाख प्राइवेट होते हैं। ये प्राइवेट कमजोर होते हैं। तब कोई भी एक्जामिनर यह नहीं कर सकता कि ७५ या ८० प्रतिशत को फेल कर दे। अगर ऐसा वह कर भी देगा तो हाहाकार मच जायगा। इस प्रकार स्तर का जो निर्णय होता है वह अच्छे विद्यार्थियों से नहीं होता वह कमजोर विद्यार्थियों से होता है। इस प्रकार से हमारी शिक्षा का स्तर नीचा होता जा रहा है। जैसे कि आपने कोई जंजीर बनाई और उसकी सब कड़ियां काफी मजबूत बनवाई लेकिन ४ कड़ियां कमजोर रखीं। अब उस जंजीर के मजबूत होने या न होने की कसौटी वह ४ कड़ियां होंगी न कि सारी जंजीर। इसी प्रकार शिक्षा का स्तर भी निर्णय किया जाता है। आप मूथम कमेटी की रिपोर्ट तथा आगरा यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये उन सबका यही मत है कि ऐसा न होना चाहिये। आज जो बेईमानी होती है आपको तो उसका निराकरण करना चाहिये न कि उस बेईमानी को सारे प्रांत में फैला दें। आप जरा उसके क्रियात्मक रूप पर ध्यान दें, क्योंकि गांवों और शहरों से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। अगर आप उसे प्राइवेट की अनुमति दे देते हैं तो शहर वाले लड़के भी जा सकते हैं और गांव वाले लड़के भी जा सकते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर गांव वालों की बात मान ली जाय तो गांव में जो लड़के पढ़ेंगे वे साइन्स सब्जेक्ट में—हां, अगर यह हो जाय कि प्रेक्टिकल का इम्तहान निकाल दिया जाय, फिजिक्स कमेस्ट्री की परीक्षा प्रैक्टिकल न हो और वह थ्यौरी में ही पास कर लें तब तो उसे एम०एस–सी० पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मुझे अनुभव है उसी के आधार पर मैं कहता हूं कि अगर साइंस की बात निकाल दी जाय तो आखिर वह घर पर क्या करेगा? वह किताबें रट रट कर ही पास होने का प्रयत्न करेगा। उसके लिये भी उसके पास इतनी पुस्तकें होनी चाहिये जिन्हें रट रट कर वह पढ़ सके और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो क्या आप यह समझते हैं कि इन पुस्तकों के खरीदने में फीस से कम रुपया लगेगा? अगर आप ब्रीलिएट लड़कों की बात ले लें, मैं आपको ठीक जोड़ तो नहीं बतला सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम हमारे प्रांत से करीब ४-५ हजार विद्यार्थी हर साल ग्रेजुएट होते होंगे। तो चार पांच हजार विद्यार्थियों में कम से कम मेरा ख्याल है करीब एक हजार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सरकार की ओर से स्टाइपेंड या स्कालरशिप मिलता है पढ़ने के लिये। प्रांत के कम से कम दो ढाई सौ ब्रीलिएंट स्टुडेन्ट्स को ६० रु० महीना मिलता है जिससे कि वे पढ़ सकें और उन्हें फीस भी नहीं लगती है। जितने हरिजन विद्यार्थी कालेजों में हैं उन सबको फीस के अलावा स्कालरशिप मिलता है। ६५४ हरिजन विद्यार्थी हैं। कालेजों में जितने हरिजन विद्यार्थी हैं उन सब की हम फीस देते हैं। इसके अलावा उन सबको हम स्कालरशिप भी देते हैं। इसके अलावा जो पिछड़ी जाति के लड़के हैं, डेढ़ या दो सौ के करीब उन सबको हम स्कालरशिप देते हैं। दो ढाई सौ ब्रीलिएंट पोलिटिकल सफरर के लड़कों को भी हम स्कालरशिप देते हैं। इन सब को जोड़ा जाय तो करीब ४ हजार नवयुवक हर साल ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से एक १ हजार–१२ सौ लड़कों को स्कालरशिप

मिलता है । इनमें हरिजन पोलिटिकल सफरर के ब्रीलिएंट स्टुडेन्ट्स आदि हैं। इसके अलावा २५ फीसदी लड़कों की फीस हर विश्वविद्यालय व कालेज में माफ है । अगर इतने पर भी आप यह समझते हैं कि किसी को समुचित अवसर नहीं मिलता बशर्ते कि वह इस काबिल हो कि वह ग्रेजुएट होकर देश को कुछ दे सके। तो क्या आप अब भी यह समझते हैं कि उसके लिये पूरा अवसर नहीं दिया गया है? मैं समझता हूं और मैं दावे से कहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी सचमुच में इतना तेज है और उसमें इतनी काबिलियत है तो एक भी विद्यार्थी ऐसा न होगा जिसको कि ऐसी सुविधा न होगी कि वह कालेज के अन्दर पढ़ सके। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी समस्या, हमारी आवश्यकता इस वक्त यह नहीं है कि हम ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ा दें चाहे वह सही माने में शिक्षा हो या न हो, बल्कि हमारी समस्या यह है, हमारी आवश्यकता यह है कि हम सचमुच में ऐसे लोगों को ही ग्रेजुएट की उपाधि दें जो उसके उपयुक्त हों और जो दूसरे देशों में जाकर हमारे लिये लज्जा का विषय न बनें। इसलिये आप इस संशोधन को इस दृष्टि से देखें और इसमें और किसी चीज का, न गांव वालों का और न शहर वालों का किसी का कोई सम्बन्ध है। ऐसे लोग जो गांवों में रहते हों, जो शहरों में रहते हों और जिनको अवसर न हो, जिसके पास समय न हो, वे अपने कार्यों में लगे हों उन्हीं के लिये वर्कमेंस कालेज खोलने की व्यवस्था की गयी है। मैं चाहता हूं कि इनकी संख्या अधिक से अधिक हो, जिसमें कि लोगों को यह अवसर मिल सके, लेकिन यदि आपने इस संशोधन को माना और सबको प्राइवेट इम्तहान दे कर बी० ए० की डिग्री से सुशोभित कर दिया, या एम० ए० की डिग्री से सुशोभित कर दिया तो नतीजा क्या होगा ? जितने भाषण यहां संशोधन के पक्ष में हुए सब ने यही कहा कि उनको नौकरियों में अवसर मिलेगा । नौकरियों में कितने आदमियों को अवसर मिलता है यह हम और आप सभी जानते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---और फिर वे क्या करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मदनमोहन जी तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में थे लेकिन इतना तो म कह ही सकता हूं कि इस सम्बन्ध में उपाध्याय जी ने वहां अपनी जबान भी नहीं हिलाई थी । तो यह बात तो दूसरी है, लेकिन आज नौकरियां हम वैसे कितने आदमियों को दे सकते हैं और फिर अगर आप नौकरियां दे भी दें तो भी यह तो आप जानते ही होंगे कि आज शिक्षा का स्तर क्या है ? एक ओर यह सोचा जा रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो इम्तहानात होते हैं उनमें डिग्रियों का प्रतिबन्ध न लगाया जाय । आपने देखा होगा कि केन्द्र के शिक्षा मंत्री ने कई बार ऐसी बात कही है। तो एक तो वह बात है ही लेकिन दूसरी और अगर आपने इस प्रकार से जैसा मैंने कहा अधपके ग्रेजुएटों का निर्माण किया और उनको नौकरी न मिली तो आप विश्वास मानिये कि देश के एनिमी नम्बर वन् में इन्हीं का शुमार होगा। वे आपके समाज के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, क्योंकि हर एक आदमी को दूसरे का धन और अपनी अक्ल सबसे ज्यादा मालूम होती है। वह यह समझेगा कि मैं तो बी० ए० जरूर हूं, लेकिन मुझको यह अवसर नहीं मिला है मुझको नौकरी में इसलिये नहीं लिया गया कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी या और किसी कारण से नौकरी नहीं मिली। तो वह आपका दुश्मन होगा। वह घर से भी जायगा, क्योंकि जिस कार्य को वह कर रहा था आपने उससे भी उसको खींच लिया। बी० ए० की डिग्री तो उसको मिल गई लेकिन अब वह काम नहीं करता, नौकरी उसको मिलेगी नहीं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। अभी एक किताब मैंने देखी जिसको अमेरिका के एक बड़े भारी सज्जन ने लिखा है 'मार्केट आन कालेज ग्रेजुएट' उन्होंने यही लिखा है कि अमरीका ऐसे देश में वह स्थिति बहुत जल्द आ रही है जब कि मामूली कारीगर ग्रेजुएट से कहीं ज्यादा ैदा करेगा। तो आज हमें आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ग्रेजुएटों की संख्या बढ़ावें बल्कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात

[श्री हरगोविन्द सिंह]
का प्रयत्न करें कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा संशोधन हो जिसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर वही लोग जा सकें जो उसके उपयुक्त हों और दूसरे लोग ऐसे कार्यों में लगें जिससे देश के उत्पादन में कुछ वृद्धि हो, जिससे देश कुछ आगे बढ़े. इस बात की जरूरत है। और अगर आपने समस्या को कई गुना इन असंख्य ग्रेजुएटों के निर्माण से और बढ़ा दिया तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस का परिणाम क्या हो सकता है। मैंने आपका काफी समय लिया, कल भी बोल चुका हूं और आज भी इतना समय लिया। इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है वे इसको वापस ले लेंगे।

श्री श्रीचन्द—मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं डिवीजन चाहता हूं।

(इस समय डिवीजन की घंटी बजाई गयी और इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुयी।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—श्रीमन्, कुछ हाथ उठाने से डरते हैं अगर आप लिखित नामों की कुछ व्यवस्था कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस गुनाह से यहां के लोग बरी हैं। यहां पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१८१
विपक्ष में—२३।)

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (2) में संलग्न "explanation" की पहली पंक्ति में शब्द " clause (*a*)" के स्थान पर "clauses (*a*) and (*b*)" रख दिये जायं और पंक्ति २ में शब्द "clauses (*b*) to (*e*)" के स्थान पर शब्द "remaining clauses" रख दिये जायं।

मेरा मलतब यह है कि (d) में जो वर्ग है यानी जो रिसर्च करता है उसको भी इस में रखा जाय। आशा है इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (2) में संलग्न 'explanation' की पहली पंक्ति में शब्द 'clause (a)' के स्थान पर 'clauses (a) and (*b*)' रख दिये जायं और पंक्ति २ में शब्द 'clauses (*b*) to (*e*)' के स्थान पर शब्द ' remaining clauses ' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ४ में प्रस्तावित उपधारा (2) के अन्त का *Explanation* निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा का मैंने जिक्र किया है उसके अन्त का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है —

> "The degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*b*) to (*e*) shall respectively be termed, and be also stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external'."

अध्यक्ष महोदय, जो बिल की प्रस्तावित धारा है उसमें दो प्रकार की डिग्रियों की व्यवस्था है। उन लोगों को जिनको इनटरनल डिग्री मिलेगी उनकी व्यवस्था (*a*) में इस प्रकार है—

> "(*a*) have pursued an approved course of study in an affiliated college, or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor,".

और आगे (*b*) और (*c*) में वह हैं जो एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स हैं और जिनको प्राइवेट परीक्षा देने की सुविधा है और आगे वह लोग हैं जो इंस्पेक्टिंग आफिसर्स हैं जो प्राइवेट पढ़ कर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और (*cc*) में वह ग्रेजुएट हैं जो कम से कम ३ साल तक होल टाइम लाइब्रेरियन रहे हैं उनको भी डिग्री प्राप्त करने की सुविधा दी गई है और रिसर्च स्टुडेंट्स के बारे में (*d*) हैं और आखिर में औरतों के बारे में है जो अध्ययन कर के डिग्री प्राप्त कर सकती हैं। (*b*) से (*e*) तक जो प्रस्तावित धारायें हैं उनमें जो संवर्धन किया गया है उसके लिये मैं मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यह जो सारा श्रेय शिक्षा मंत्री जी को मिल रहा है इसमें भेद करने से यानी (*b*) से (*e*) तक जो आते हैं उनकी डिग्री के साथ "एक्सटरनल" लिखा जायगा, इससे वह कम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी भेद है और जो सुविधायें एक हाथ से सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वे दूसरे हाथ से छीन ली जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी विधेयक में आगे चल कर २४–ए में वर्किंग मेन्स कालेज की भी व्यवस्था की गई और जिसमें पहले ही एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि जो लोग वर्किंग मेंस कालेज में अध्ययन करेंगे उनके अध्ययन का समय डेढ़ गुना होगा। अगर वैसे कोई बी० ए० की डिग्री दो साल में लेता है उनको तीन साल लगेंगे। एक तो प्रतिबन्ध वहां था ही उसके अलावा एक्सटर्नल लगाने के माने तो एक नालायकी का सर्टिफिकेट देना हुआ। उन्होंने काफी मेहनत की है और......

श्री हरगोविंद सिंह—वह तो अफिलिएटेड कालेज के होंगे और (*a*) में आ जायेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ठीक है, वह (*a*) में आ जायंगे लेकिन (*b*) से (*e*) तक जितने हैं उनको इन सुविधाओं के देने के पीछे जो उसूल है वह यह है कि ऐसे लोग जो कि किसी कालेज में पढ़ कर फीस देकर और इतना अधिक खर्च कर के डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें यह मौका मिले। तो उनको एक्सटर्नल डिग्री देने के माने यह हैं कि जब कभी वह किसी नौकरी के लिये जायं तो पहले ही सरकार की ओर से उसमें नालायक शब्द लिख देने की व्यवस्था कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नामुनासिब बात है। डिग्री प्राप्त करने के पहले, वह परीक्षा पत्र में उत्तीर्ण होते हैं, उनको नम्बर मिलते हैं और उसके मुताबिक प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियां उन्हें मिलती हैं। पहले तो उन्होंने एक आइडियल बात की कि सारी परेशानियों के होते हुये, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुये, आर्थिक कठिनाइयों का मुकाबला कर के

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उस डिग्री को उन्होंने हासिल किया और वह डिग्री उनको मिली, तो हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से यह नालायकी का सार्टिफीकेट उन्हें दिया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको महसूस करते हैं और अभी समय है कि यह जो ऐसी सुविधायें एक हाथ से प्रदान करते हैं और दूसरे हाथ से उनको छीने ले रहे हैं, ऐसा वह न करें और यह एक्सप्लेनेशन निकाल देने से हर आदमी को एक डिप्लोमा मिल जायगा और अपने भाग्य की आजमाइश करने का पूरा मौक़ा उसे होगा। वह जहां जाना चाहे उसे कोई असुविधा नहीं होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। इस अधिनियम में जो डिग्रियों का विभाजन है और जिसके अन्दर इण्टर्नल और एक्सटर्नल डिग्रियां रखी हैं वह परिस्थिति को देखते हुये मुनासिब हैं। इंटर्नल डिग्री उन विद्यार्थियों को दी जायेगी जो कालेज में पढ़ेंगे और कालेज की शिक्षा के बाद उसके इम्तहान में बैठेंगे और उसमें यदि वह पास हों तो उनको डिग्री दी जायगी। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कि कालेज के कोर्स का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन उनको इस विधेयक में विशेष सुविधा दी गई है कि वे भी इम्तहान में बैठ सकें जैसे कि अध्यापक या लाइब्रेरियन या शिक्षा विभाग के कर्मचारी वगैरह। स्पष्ट है कि वे उस वातावरण में नहीं रहेंगे जिस वातावरण में यूनिवर्सिटी और कालेजों के विद्यार्थी रहते हैं। वातावरण से मेरा अर्थ यह है कि केवल कोर्स की पुस्तकों को पढ़ना ही काफी नहीं है और इसी को पढ़ के इम्तहान पास करना ही काफी नहीं समझा जाता बल्कि उच्च शिक्षा का ध्येय यह होता है कि उसके फलस्वरूप विद्यार्थी विशेषज्ञों बड़े-बड़े योग्य प्रोफेसरों के सम्पर्क में आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लाभ उठाते हैं और विश्वविद्यालय के और कालेज के वातावरण में रह कर संसार को देखते हैं तथा अपना बौद्धिक विकास करते हैं। इससे उनकी बुद्धि का स्तर ऊंचा होता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे वातावरण में रह कर और ऐसी शिक्षा प्राप्त कर के उनको जो डिग्री मिलेगी वैसी डिग्री को दूसरे इम्तहान में पाने वाले विद्यार्थियों के साथ तुलना करना उचित नहीं है। उसके अन्दर कोई भेद भाव का प्रश्न नहीं है। कोई यह विचार नहीं है कि एक डिग्री ऊंची है और एक डिग्री नीची है बल्कि वास्तविकता को देखते हुये डिग्रियों का विभाजन एक्सटर्नल और इंटर्नल डिग्री में किया गया है। मैं श्रीमन्, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १४० पर आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इलाहाबाद युनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वह दस मील के अन्दर किसी और संस्था को अपने अलावा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से सम्पर्क न होने दे। यह एक वहां विवाद का प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि किसी कारण वश ऐसे कालेज भी अफिलिएट किये जायं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चाहिये कि एक एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की तरह से उनको बनादे और वह अपनी डिग्रियों को एक्सटर्नल और इंटर्नल डिग्रीज़ के रूप में रखें। जिन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी खुद पढ़ाती है उनको इंटर्नल डिग्री दे और दूसरे कालेजों में जिनकी शिक्षा होती है उनको एक्सनल डिग्री दी जायं। मूथम कमेटी की रिपोर्ट के शब्द इस प्रकार हैं—

"If, however, the arguments in favour of the affiliation of local colleges to the Agra University are not acceptable, we would recommend that careful consideration be given to the question whether the University should not constitute an external department and divide its degrees, the former being granted only to members of the University, the latter to any person who passes a prescribed examination. Such a scheme should enable the University to maintain the standard of its degree and at the same time relieve it of the responsibility for the management of any institutions other than its own."

तो मेरा निवेदन है कि यह जो चीज यहां रखी गयी है वह उचित है और इसको देखते हुये माननीय त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है वह ठीक नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये आया हूं। जहां तक कि हम लोगों का ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटी एजूकेशन का जो ध्येय है उसके बारे में हमें कुछ भ्रम है। असल में हमेशा सब विद्वानों ने यह कहा है कि जहां तक कि विश्वविद्यालय हैं, उनका ध्येय जो शिक्षा का है वह यह है कि जो विद्यार्थी है उसका सम्पूर्ण विकास हो और उसके साथ-साथ अपने देश में बैस्ट टैलेंट जिसे कहते हैं वह हाइयेस्ट लेविल पर आ सके। इस तरह से दो बातें हैं जो कि देश में होनी चाहिये। एक तो यह है कि हर व्यक्ति को यह अवसर हो कि वह अपना पूर्ण विकास कर सके। और उसके साथ ही साथ जो बेस्ट टैलेन्ट हो वह यूनिवर्सिटी में छन कर आ सकें और आकर अपना पूर्ण विकास कर सके। इस ध्येय के मातहत हमको अपनी तमाम शिक्षा को देखना चाहिये।......

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नौरंगलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात प्रस्तुत कर रहा था कि हर विश्वविद्यालय का कुछ ध्येय होता है और हमारी शिक्षा का भी ध्येय उस ध्येय से मिलना चाहिये। मैं यह कह रहा था कि शिक्षा के ज्ञाताओं ने विश्वविद्यालयों का ध्येय यह रखा है कि हर एक मनुष्य को पूर्ण विकास करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये। यही उच्च शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता है। सम्भव हो सके तो हर देश में हर मनुष्य को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह अपना सम्पूर्ण विकास कर सके। सम्पूर्ण विकास में केवल मानसिक विकास ही नहीं आता बल्कि इसमें और भी चीजें शामिल हैं जैसे सामाजिक विकास और नैतिक विकास। इन्हीं के साथ मानसिक विकास भी लगा हुआ है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आल राउण्ड डेवलपमेंट, तो ऐसा विकास हर व्यक्ति का होना चाहिये। यही शिक्षा का उच्च उद्देश्य माना जाता है। अब यह हो सकता है कि किसी मुल्क के अन्दर इतने पर्याप्त साधन न हों कि वह हर मनुष्य के लिये यह सुविधा दे सके। ऐसी सूरत में सिर्फ वे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुल्क के बैस्ट टैलेण्ट कहे जा सकते हैं। जो सर्वोत्तम माने जा सकते हैं और इसलिये जहां पर हम हर शख्स को ऊंची शिक्षा नहीं दे सकते हैं वहां हमें यह चाहिये कि जो कमजोर हैं वह नीचे रहें और जो अच्छे टैलेण्ट्स हैं वह ऊपर आ जायं। इस प्रकार से हम अच्छे से अच्छे नागरिक पैदा कर सकेंगे। इसी ध्येय को लेकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा दी जाती है।

अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि आज कल जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहां चल रही हैं जैसे आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। कहना होगा कि नहीं होती है। वहां शिक्षा ग़लत तरीक़े पर दी जा रही है और यहां से जो लड़के पढ़ कर निकलते हैं वे कुछ नहीं करते हैं। इस तरह से और भी बहुत से आरगूमेंट्स लिये जा सकते हैं। लेकिन मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हमें एक चीज सोचना है कि हमें यों नहीं सोचना चाहिये कि आज कल हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं बल्कि हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वह आगे क्या हो सकती हैं। हमें केवल वास्तविकता पर ही जोर नहीं देना चाहिये लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि कल वह क्या बन सकती हैं। एक प्रतिक्रियावादी और उन्नतिशील में यही तो अन्तर होता है। जो प्रतिक्रियावादी होता है वह यही देखता है कि आज में क्या हूं और जो उन्नतिशील होता है वह कल के लिये भी देखता है कि कल वह क्या होगा और तब वह अपने विचार प्रकट करता है।

हम यह देखते हैं कि लखनऊ में गड़बड़ी हुई और इलाहाबाद में गड़बड़ी हुई यानी एक एटमोसफीयर लड़कों के खिलाफ लोगों में पैदा हो गया कि आजकल की एजूकेशन अजीब तरह की है। एजूकेशन में न ला है और न आर्डर है, पोस्ट आफिस जलाये जा रहे हैं, तार तोड़े जा रहे हैं और बसेज को नुक़सान पहुंचाया जा रहा है। इन सब चीजों को देख कर हम कहने लगते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा बेकार हो गई। इसलिये जो लड़के प्राइवेट

[श्री नौरंगलाल]

इम्तिहान देते हैं और यूनिवर्सिटीज में रह कर देते हैं वह सब बराबर हैं और उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिये। इसलिये इस भेद को हमें मिटा देना चाहिये। परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि हम भावुकता में आजांय बल्कि हमें देखना यह चाहिये कि आगे चल कर हम क्या कर सकते हैं और हम उन कमियों को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसके लिये हम ऐक्ट बना सकते हैं, आर्डिनेन्स निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम खराबी को दूर कर सकते हैं। बहरहाल यूनिवर्सिटी एजूकेशन के एम को हमें नहीं छोड़ना चाहिये। अगर हम इसके इस एम को छोड़ देंगे तो हम अपनी उच्च शिक्षा के उद्देश्य को ही समाप्त कर देंगे।

कल जो मैंने यहां पर भाषण दिया था और श्री श्रीचन्द जी के संशोधन को सिपोर्ट किया था उसका एक प्वाइंट था और वह यह था कि किसी डैमोक्रेसी में प्रिविलेजेज नहीं होना चाहिये। इसीलिये कल मैंने कहा था कि इस प्रस्ताव के जरिये लोगों को एक विशेष अधिकार मिल रहा है और डैमोक्रेसी का यह उद्देश्य होना चाहिये कि कम से कम प्रिविलेजेज हों। यदि आप दरवाजा खोलते हैं तो सब के लिये खोलना चाहिये। इसलिये मेरा कल के भाषण का यही आधार था।

मैं यह समझता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी की एजूकेशन का सवाल है तो वह तो यूनिवर्सिटी के अन्दर ही होनी चाहिये। यदि इस तरह से होगा तभी हम एजूकेशन को चरम सीमा तक पहुंचा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह इंटर्नल और एक्सटर्नल का भेद रखा जाय क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो तो उस सूरत में अगर प्राइवेट आदमी में और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट में कोई डिफरेन्स नहीं रखते हैं तो नतीजा यह होगा कि जो लोग प्राइवेटली पास करते हैं उनमें और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स में कोई अन्तर ही नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटीज में रह कर लड़के पढ़ते हैं तो वहां उनका सामाजिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास होता है और वह आल राउण्ड डेवलपमेंट करते हैं। हम यह सोचें कि यूनिवर्सिटीज में एजूकेशन तो केवल दिमाग़ को बढ़ाने के लिये हैं तो यह ठीक नहीं होगा। एक्जामिनेशन तो दूसरी चीज है। यह यूनिवर्सिटी एजूकेशन का एम नहीं है और न होना ा चाहिये। यूनिवर्सिटीज के लिये एक्जामिनेशन कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। एजूकेशन के लिये तो एक ऐटमासफ़ियर चाहिये। वहां पर दिमाग़ ही नहीं बढ़ता है। शिक्षा में तो सारी चीजें होनी चाहिये, नैतिकता भी अच्छी होनी चाहिये, शारीरिक और मानसिक विकास भी होना चाहिये। ये सब चीजें हों तो ठीक है। लेकिन अगर एक ही रह जाती है तो ठीक नहीं है। इसलिये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये। कंफ्यूजन यह होता है कि उसने भी बी० ए० पास कर लिया और इसने भी पास कर लिया इसलिये दोनों को एक साथ खड़ा कर देना चाहिये। यह गलत है, तो नतीजा यह होगा कि यूनिवर्सिटीज को लड़के छोड़ देंगे, कोई घर पर ट्यूटर रख कर पढ़ लेगा, कोई किताबें रट कर पास कर लेगा, डिग्री तो मिल ही जायगी। तो क्यों लोग यूनिवर्सिटी में जायंगे? कौन सा स्टीमुलैंट होगा उनके जाने के लिये? क्यों कोई इतना रुपया खर्च करेगा? वह घर पर बैठ कर पास कर लेगा। तो इसलिये हमें इस चीज को दूर करना है। कुछ न कुछ डिसटिंक्शन जरूर रखना चाहिये एक्सटर्नल और इंटर्नल में कि यह वह विद्यार्थी है जिसने युनिवर्सिटी में नहीं रह कर पास किया और यह वह विद्यार्थी है जिसने यूनिवर्सिटी में रह कर पास किया इसलिये उसका स्टेटस ऊंचा है क्योंकि उसने मानसिक, शारीरिक और नैतिक तीनों प्रकार की उन्नति की है और जिसने यूनिवर्सिटी से बाहर रह कर पास किया है उसने केवल एक ही प्रकार की उन्नति की है जिसे हम मानसिक कह सकते हैं। इसलिये इन दोनों को एक ही स्तर पर नहीं रखना चाहिये। इसलिये जो यह संशोधन रखा गया है वह बड़ी भूल में रखा गया है हमारे रामनारायण जी की ओर से। इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। इसलिये आवश्यकता है कि यह संशोधन पास नहीं होना चाहिये। एक और बात है। कहा जाता है कि सब में बराबरी होनी चाहिये इससे शिक्षा काफ़ी बढ़ जायगी और उसका प्रसार होगा। ठीक है, बराबरी होनी चाहिये। लेकिन यह तो एक ले मैन का

आर्गुमेंट है। बराबरी के अर्थ को सोचना चाहिये। यह समानता का शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। समाजवादी जो कहते हैं कि हमको बराबरी मिलनी चाहिये तो उनके कहने का मंशा यह है कि मैथेमेटिकल बराबरी नहीं होनी चाहिये। समानता का अर्थ यह नहीं है। यह बिलकुल गलत है कि हर शख्स के अन्दर का विकास बराबर हो। जिसके दिमाग में जैसा टैलेंट है वैसा वह काम करे।"Each according to his capacity and each according to his merit." जैसा कि आजकल रखा है कि हर शख्स जितना कर सकता है वह करे और उसको वह मिले जिसको वह डिजर्व करता है। किसी जमाने में जब अनार्किक स्टेट आयेगी तब "each according to my capacity and each according to his needs." तो इसलिये यह जरूरी है कि समानता को इस तरह से कंफ्यूज न करें। मैं देख रहा हूं कि अगर इस तरीके से कर देंगे तो जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। घोड़ा, बैल, बकरी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, सब बराबर। ईक्वालिटी का यह अर्थ गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह होता है कि कामर्स, आर्टस, साइंस आदि में कोई विभेद नहीं होना चाहिये। दोनों बी० ए० पास हैं, ग्रेजुएट हैं तो यह डिफरेंस क्यों। इसको भी खत्म कर देना चाहिये। इसका अर्थ यह निकलेगा। लेकिन वह फर्क किसी कारणवश होता है। वह इसलिये होता है जिससे लोग जान जायं कि इसने यह शिक्षा प्राप्त की है, यह मास्टर आफ आर्टस है, यह मास्टर आफ साइंस है, यह मास्टर आफ म्यूजिक है। तो जब हम यह फर्क मानते हैं तो उसके साथ ही साथ हमको यह विभेद भी मानना पड़ेगा कि इस शख्स ने यूनिवर्सिटी में रह कर तालीम पायी है और इस शख्स ने यूनिवर्सिटी से बाहर रहकर तालीम पायी है। जब तक ऐसा विभेद नहीं किया जायगा तब तक वह आपके उस अमेंडमेंट के विरुद्ध ही चला जायगा, जो कि आपने इसके पहले पास किया है। मैं यह इसलिए नहीं कहता कि यह राम नारायण जी ने पेश किया है बल्कि इसलिए कहता हूं कि यह उनके उसूल के भी विरुद्ध जाता है। अतः यह जो संशोधन पेश है कि इंटरनल और ऐक्सटर्नल के डिफरेंशियेशन को निकाल दिया जाय और जब की डिग्रियाँ समान रखी जायं, अगर यह अमेंडमेंट पास हो गया तो कोई यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिये जायगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि इसके द्वारा आप कुछ लोगों को यह प्रिविलेज दे देंगे बिना फीस दिये हुये, बिना पैसा लगाये हुये, बिना कष्ट सहन किये हुये, बिना सेक्रेफाइस किये हुए ही डिग्रियाँ पा जायं। यह बात ठीक न होगी। यह चीज न होनी चाहिये। अगर यह विभेद नहीं किया गया तो बहुत से लोग मुफ्त में ही डिग्रियाँ पा जायेंगे। जो हर प्वाइंट से खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह सोशलिस्टिक प्वाइंट आफ व्यू हो, कम्युनिस्टिक प्वाइंट आफ व्यू हो या उपयोगिता का प्वाइंट आफ व्यू हो किसी भी प्वाइंट आफ व्यू से यह संशोधन ठीक नहीं मालूम होता। मेरा तो ख्याल यह है कि यह संशोधन गलती से रख दिया गया है और मेरे मित्र इसको वापिस ले लेंगे।

श्री गंगाधर सैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार की डिग्रियों के रखने से बहुत बड़ा अस्वाभाविक डिफरेंशियेशन पैदा हो जायगा। जब एक ही परीक्षा में यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी तथा टीचर और इंस्पेक्टर बैठता है तब उनको अलग अलग प्रकार की डिग्रियाँ देना न्यायसंगत मालूम नहीं देता। क्योंकि दोनों के लिये परीक्षा एक ही प्रकार की है। जब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन प्रकार के डिवीजन रखे हुए हैं तब मेरी समझ में नहीं आता कि कालेज में पढ़ने वाले और कालेजेज में न पढ़ने वालों में अन्तर क्यों रखा जाता है। अगर ये तीन प्रकार के डिवीजन न होते तब भी इस स्तर वाली बात में कुछ महत्व हो सकता था एक तरफ तो हम उन्हें यह अधिकार देते हैं कि वे प्राइवेट परीक्षा भी दे सकते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ हम दो प्रकार की डिग्रियाँ करके एक किस्म से जो अधिकार उन्हें देते हैं उस अधिकार से उन्हें वंचित कर रहे

[श्री गंगाधर मैठाणी]

हैं। सामान्यतः यह फर्क इसमें मालूम पड़ता है यह दिखलाने के लिये कि ये रेगुलर विद्यार्थी होकर पढ़े हैं और ये प्राइवेट पढ़े हैं। केवल इतना ही अन्तर इसमें मालूम पड़ता है लेकिन आजकल हम जिस पद्धति पर चल रहे हैं, प्रजातंत्रीय युग में प्रत्येक व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिये कि वह पढ़े और पढ़ने के बाद जितना प्रयत्न उसने किया है उसका फल उसे मिले। तो हम इस संशोधन के द्वारा जो प्रयत्न उसने किया है उस प्रयत्न के फल को उससे छीनते हैं। जैसा कि मूथम कमेटी रिपोर्ट में भी कहा गया है, वास्तव में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में अन्तर है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। उसका स्कोप जो है वह १० मील के अन्दर बतलाया गया है। और वहाँ पर अगर एक्सटर्नल और इण्टरनल का सवाल उठाया जाय तो स्वाभाविक है कि वह १० मील के अन्दर है और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है लेकिन यहाँ पर जहाँ कि एक किस्म से सारे प्राविंस या राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर भी लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। यह अन्तर कर दिया गया कि एक्सटर्नल या इण्टरनल की डिग्री अलग-अलग होगी। तो जो सुविधा आपने उनको दिया है उस सुविधा से वे लोग वंचित हो जायेंगे। हम तो समझते हैं कि यह एक्सप्लेनेशन जो रखा गया है वह बिलकुल बेकार है। यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण भी है। पैसा न होने की वजह से या और सुविधायें न होने की वजह से वे लोग कालेजों को छोड़कर प्राइवेट परीक्षा देते हैं। अगर हम एक ओर से उनको इजाजत देते हैं तो दूसरी तरफ उनके ऊपर एक ब्लाट लगा देते हैं। एक्सटर्नल परीक्षा देने का जो एक अधिकार हमने उन्हें दे रखा है, उस अधिकार से हम उन्हें वंचित कर देते हैं। यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण भी सामने आता है। जो पैसे वाले लोग हैं वे स्वभावतः अपने लड़कों को हिन्दुस्तान के अन्दर भी पढ़ाते हैं और उसके बाहर भी पढ़ाते हैं लेकिन जो पैसे वाले नहीं हैं उनके लड़के कालेज में न रहने पर भी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से एक्सटर्नल और इन्टरनल का डिफिसियेशन करके हम उनको इस अधिकार से वंचित कर देते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस संशोधन को मंजूर कर लें जिससे इतनी ज्यादा काफी तादाद में जो बहुत से अध्यापक लोग प्रति वर्ष आगरा यूनिवर्सिटी से परीक्षा देते हैं और जो अच्छी योग्यता प्राप्त करते हैं, अच्छे डिवीजन से पास होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि जहाँ तक सर्विस का सम्बन्ध है उसके लिये तो और भी क्वालिफिकेशन्स रखे जाते हैं। जैसे कि उसके अन्दर एज का सवाल रहता है यहां अन्य दूसरे सवाल रहते हैं तो यहाँ पर यह दिखलाने के लिये कि ये कालेज के अन्दर विद्यार्थी रहे या नहीं रहे इस प्रकार का जो क्लाज रखा गया है यह ठीक नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी का जो पुराना ऐक्ट था उससे भी इसको रिगरस कर दिया गया है। जहाँ लोगों को पहले सुविधायें थीं उनसे भी उनको वंचित कर दिया गया है। लोगों को आशा थी कि प्रजातंत्र के इस युग में आगरा यूनिवर्सिटी और उदार होगी और हमारी सरकार भी पहले से उदार होकर एक ऐसा ऐक्ट बनायेगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की सुविधा मिलेगी। मुझे आशा है कि इसका समर्थन किया जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं खण्ड ३ में प्रस्तावित उपधारा (२) पढ़ देना चाहता हूं। उसमें दिया है—

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

(a) have pursued an approved course of study in an affiliated college, or in more than one affiliated colleges situate in

the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned dy the Vice-Chancellor, or

"Explanaion-- The degrees conferred under clause (a) and those conferred under clause's (b) to (e) shall respectively be termed and be also stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external."

श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय राम नारायण त्रिपाठी को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो क्लाज (a) के हैं उनको इन्टरनल कहा जाय और जो दूसरी कैटिगरीज के लोग हैं उनको एक्सटर्नल कहा जाय। यह एक टेक्नालोजी है और इस टेक्नीकल टर्म में आपत्ति मेरे भाई को नहीं होनी चाहिये। यह वस्तुस्थिति है। इण्टरनल को एक्सटर्नल नहीं कहा जा सकता है और न एक्सटर्नल को इंटरनल ही कहा जा सकता है।

मेरे एक माननीय दोस्त ने कहा कि मूथम रिपोर्ट इस पर लागू नहीं होती। मैंने माना कि इस यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसके सिद्धांत का सम्बन्ध है उसका विरोध करना असम्भव है क्योंकि बात सही है। उसमें कोई दोष भी नहीं है अगर उसको आगरा यूनिवर्सिटी के लिये लागू किया जाय। तो इस प्रकार से इस पर भी आपत्ति नहीं की जा सकती। केवल एक आशंका का स्थान है और वह यह है कि इसके मिस इंटरप्रिटेशन के कारण इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्रीज के कारण भेदभाव किया जा सकता है। उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिये और यदि सरकार ऐसा करे तब वह फोरम होगा जब माननीय रामनारायण जी आपत्ति करें और उस स्थान पर मैं उनके साथ हूंगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह एक स्टिग्मा है, लाँछन है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह स्टिग्मा नहीं है, लाँछन नहीं है, वास्तविकता है। इस इण्टर्नल और एक्सटर्नल का अभिप्राय किसी पर लाँछन लगाना नहीं है। कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह के इण्टर्नल डिपार्टमेंट्स हैं। मैं मानता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। लेकिन अगर विदेशों में इससे कोई बुराई नहीं पैदा होती और इसको लोग लाँछन या स्टिग्मा नहीं समझते तो यहाँ पर आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता। हाँ, उस आधार पर अगर भेदभाव किया जाय तो आपत्ति का स्थान है। लेकिन उसमें भी ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ हो सकती हैं परन्तु प्रायः इस तरह का भेदभाव उचित नहीं होगा और यदि कोई ऐसा भेदभाव किया जाता है तो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी आपत्ति कर सकते हैं और उनकी वह आपत्ति उचित भी होगी। इन शब्दों के साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापिस ले लें, क्योंकि इससे कोई क्षति की सम्भावना इस परिस्थिति में नहीं है।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पूर्व संशोधन पर मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी का व्याख्यान सुनने का अवसर मिला था। उन्होंने जब श्री श्रीचन्द जी का संशोधन उपस्थित हुआ था तो उसकी स्थिति को साफ करने क सिलसिले में एक्सटर्नल और इंटरनल के जो इम्प्लीकेशन्स होते हैं उनको समझाने की कृपा की थी। मुझे अभी अपने पूर्ववक्ता श्री नौरंगलाल जी के व्याख्यान को सुनने का अवसर मिला। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया। डिमोक्रेसी और टेक्नीकल टर्म के शब्दों के जाल में फंसा कर जो सही बात थी उसको एक दूसरी जगह रखने की कोशिश की। एक तरफ यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि वे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके अलावा कम ही लोग अगर वह शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करें तो वह बहुत ही अस्पष्ट वातावरण अपने देश में पैदा हो सकता है, इसलिये श्रीचन्द्र जी के संशोधन का विरोध किया गया कि उससे अधिक संख्या बढ़ जायगी। तो शिक्षा का जो स्तर है वह घटने न पावे उसका सन्तुलन होगा, वह बढ़ता रहेगा और उन डिग्रियों को

[श्री रामकुमार शास्त्री]

प्राप्त करके जो कि और यूनिवर्सिटियों से प्राप्त करेंगे देश का कल्याण कर सकेंगे। वहाँ पर यह प्रतिबन्ध लगाकर कि केवल जो अध्यापक हैं वही इम्तहान दे सकते हैं बाकी लोग नहीं। उसका विरोध किया गया, लेकिन मैं तो इस इण्टरनल और एक्सटर्नल का जो प्रस्ताव है उसका विरोध नहीं करता हूं। इसका क्रेडिट जाता है उन लोगों के पक्ष में जो कि एक गाँव में रहते हैं और जिनके पास वह साधन उपलब्ध नहीं हैं जो कि विश्वविद्यालयों में हैं। जिस वातावरण की तुलना की जाती है कि विश्वविद्यालयों में बहुत शुद्ध वातावरण है उसका उदाहरण सब के सामने हैं। मैं यह कहूंगा कि आज वर्षों से इन विश्वविद्यालयों में इसका विरोध किया गया है और इसका जीताजागता नमूना अपने प्रदेश में ही है कि न मालूम कितनी बार मुख़्तलिफ जगहों पर यह विरोध किया गया है। यह कहा गया है कि इन यूनिवर्सिटीज को अलग करके नेशनल यूनिवर्सिटीज कायम की जायं क्योंकि वहाँ की जो प्रणाली होगी वह स्वस्थ होगी और अपने देश को अग्रसर करने में कामयाब होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग गाँव में रहते हैं और जिनके पास साधन नहीं है जिनकी आर्थिक दशा खराब है, अगर वह शिक्षा प्राप्त करना चाहें, एक अध्यापक की हैसियत से या किसी देहात में रहकर किसी दूसरे प्रकार से तो उनके सामने इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है क्योंकि उनमें प्रतिभाशाली स्नातक भी हो सकते हैं तो उनके लिये प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। मैं उन भाइयों का विरोध करता हूं कि जो इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। यह कहना कि यह संशोधन सोशलिस्टों की तरफ से आया है ठीक नहीं है यह नहीं होना चाहिये। इस हाउस में जब हम बैठते हैं चाहे वह इस तरफ बैठे चाहे उस तरफ बैठे जो उचित बात हो उसका समर्थन करना चाहिये। इण्टरनल और एक्सटर्नल में किसी प्रकार का डिस्टिंकशन नहीं होना चाहिये। वह प्रतिभाशाली जो गाँव में रहकर शिक्षा प्राप्त करके अपनी जाती हैसियत से अगर डिग्री प्राप्त करें तो उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये। मैं किसी मिसाल को लेकर नहीं चलना चाहता हूं कि फलाँ कमीशन ने यह सिफारिश की। हम तो यहाँ पर नये कानून बना रहे हैं। हमने जमींदारी अबालिशन का कानून बनाया वह किसी की मिसाल लेकर नहीं बनाया। हम अगर यह समझते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे सामने है और उसको साधन उपलब्ध नहीं है जिससे कि वह देश के कल्याण का रास्ता निकाल सकता है, तो उनको हमें जरूर मौका देना चाहिये। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं यह सुनता हूं कि यूनिवर्सिटी का वातावरण बहुत सुन्दर होता है। गुरबत में और आर्थिक संकीर्णता में रहकर जो वातावरण बन सकता है वह वहाँ पर नहीं हो सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि देहात का वातावरण बहुत सुन्दर होता है और जब कभी मौका होगा तो हमारे विद्यार्थी महोदय देहात का आश्रय लेंगे। वहाँ का वातावरण कहा जाता है कि देहाती से घटा होता है जबकि उन्हें अपने पक्ष को मनवाना होता है और उस समय शहरों का पक्ष लिया जाता है और जब दूसरे पक्ष को मनवाना होता है तो कहा जाता है कि देहातों का वातावरण उच्च प्रकार का होता है। इसलिए मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को मानेंगे कि एक्सटर्नल और इण्टर्नल का कदापि भेद न रहे।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय जिस आधार पर उस को प्रस्तुत करते हैं उस के उद्देश्यों से सहमत होते हुये भी मैं उसका विरोध करता हूं। आशंका की जाती है कि बाहरी और भीतरी शब्द से भेद पैदा किया जाता है और उस से बाहरी स्नातकों के साथ सौत-पुत्र का सा व्यवहार होगा। मुझे यह कहना है कि ऐसी आशंका ही क्यों हो। किसी भी क़ानून में ऐसा भेद नहीं किया जाता और यदि कोई भेद किया जाय तो उसका विरोध करना चाहिये किन्तु जहाँ तक मैं जानता हूं कि किसी भी क़ानून में और किसी निर्धारित योग्यता में ऐसा भेद नहीं किया गया है। कहा जाता है कि विधि में कहीं ऐसा नहीं है

परन्तु यह चीज एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पैदा करेगी जिसमें भीतरी को प्रिफरेन्स दिया जायगा। मुझे एक बात याद आती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो स्कूलों से चरित्र पत्र मिलता था उस में सच्चरित्रता का एक अंग यह भी माना जाता था कि अमुक विद्यार्थी काँग्रेसी नहीं था और वह विद्यार्थी जिसके चरित्र पत्र में लिखा जाता था कि वह काँग्रेसी नहीं है वह अपने उस चरित्र पत्र को अच्छा समझता था, लेकिन युग ने पलटा खाया और एक दिन आया कि इसी समाज में हम देखने लगे कि वही चरित्रपत्र अच्छा है कि जिसमें लिखा हो कि यह विद्यार्थी काँग्रेसी है। मैं आपको बतला दूं कि हमारे यहाँ अनुशासन आदि की जो व्यवस्था है उसकी यदि वह स्थिति बनी रही तो मैं आप को विश्वास दिलाऊंगा कि साधारण लोग ही नहीं, बल्कि राजकीय अधिकारी भी यही सोचेंगे कि हम प्रिफरेन्स बाहरी लोगों को दें या भीतरी लोगों को दें। हमारे सामने यह प्रश्न होगा कि तथाकथित अनुशासन हीन वातावरण में पले हुये स्नातकों को अपनायें या बाहर वाले दूसरे लोगों को अपनायें। हम नहीं कह सकते कि भविष्य हमें किस ओर प्रिफरेन्स देने पर बाध्य करेगा। ज्यों-ज्यों औद्योगिक विकास होगा त्यों-त्यों हम बाहरी क्षेत्र वाले स्नातकों को भी अनेक स्थान दे सकेंगे और सोच सकेंगे कि तथाकथित अनुशासनहीन वातावरण में पले हुये स्नातकों को स्थान दें या बाहरी स्नातकों को। जैसी स्थिति है उसके अनुसार यह बाहरी और भीतरी का भेद रहना ही चाहिये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस अन्तर को किसी प्रकार समझा जा सके और यदि वहाँ का वातावरण अच्छा हो और भीतरी विद्यार्थी अच्छा चरित्र दिखला सकें तो यह भेद हो तो कोई दुख की बात नहीं है। प्रमाणपत्र में होता ही क्या है? प्रमाणपत्र में जितने वर्ग इसमें हैं, उस वर्ग की चर्चा की जाती है। एक्सटर्नल और इंटर्नल शब्द नहीं रखे जाते किन्तु प्रमाणपत्र की शब्दावली को आप पढ़ें तो पता चल जाता है कि विद्यार्थी नियमित रूप से परीक्षार्थी है या निजी रूप से। आर्डिनेंसेज की चर्चा कर दी जाती है, फलाँ आर्डिनेंस के अनुसार। तो आज भी स्पष्ट हो जाता है प्रमाण-पत्र से कि यह विद्यार्थी रेगुलर नहीं है, नियमित रूप से नहीं है, बल्कि प्राइवेट है, इसका पता चल ही जाता है। ऐसी स्थिति में मैं संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसे अनावश्यक समझकर वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा गया है कि उपाध्यक्ष महोदय, या अधिष्ठाता जो कि अध्यक्ष का आसन ग्रहण करते हैं उनको उपाध्यक्ष महोदय या अधिष्ठाता महोदय, कहकर सम्बोधित किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। कोई अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष महोदय जब आसन ग्रहण करते हैं तो वह अध्यक्ष हैं, न कि अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का ध्यान एक बाम्बे विधान सभा की रूलिंग की तरफ आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने निर्णय दिया है कि उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता जब कुर्सी ग्रहण करते हैं तो उन्हें अध्यक्ष कहकर सम्बोधित करना चाहिये न कि अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष कहकर।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि हमारे यहाँ के सदस्यों को इसी तरह कहने में सुविधा हो गयी है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस विषय में अपना निर्णय दें।

श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैंने बहुत से भाषण सुने और उन पर मैं एक सूक्ष्म विवेचना करना चाहूंगा लेकिन इसके पहले मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान हिन्दू समाज में प्रचलित एक व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहूंगा जहाँ

[श्री रामेश्वर लाल]

ब्राह्मणों के विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। वहाँ शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि न्याय की डींग हाँकने वाले लोग यह कह सकते हैं कि हमने साँस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बराबर का अधिकार शूद्रों को दे दिया है लेकिन मैं दावे के साथ आज भी माननीय शिक्षा मंत्री के शासन काल में भी ऐसे विद्यालयों को बता सकता हूं जो कि आज सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ भी शूद्रों को और वैश्यों को संस्कृत शिक्षा में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह रिवाज आज भी हमारे देश में प्रचलित है। तो फिर जब मैंने श्री रामनारायण जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को देखा और उसके साथ साथ अपने कुछ विरोधी साथियों को उसका विरोध करते हुये देखा तो मैंने समझा कि जैसे कि यह प्रचलित व्यवस्था हिन्दू समाज में आज भी विद्यमान है, वैसे ही आज की प्रजातांत्रिक हुकूमत में भी विद्यमान है। उसी तरह का एक डिप्लोमा एक अलगाव की व्यवस्था देना, आज के इस संशोधन को दूर हटा देने के माने होगा। आज इर्न्टनल और एक्सटर्नल इन दो बातों पर विचार करने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इससे प्रभावित कौन से लोग हैं। जब आप विचार करेंगे कि शिक्षा पर जो कि आज देश में है तो देखेंगे कि उसके दो पहलू हैं। एक तो व्यापारिक दृष्टिकोण से धनोपार्जन के निमित्त। धनी और उच्च तबके के लोग आज अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और वे यह समझते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी यह आने वाली सन्तान हमारे लिये एक सहारा होगी। इसलिये शिक्षा की एक प्रचलित व्यवस्था पढ़े लिखे धनी लोगों में और मध्यम वर्ग के लोगों में है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि आज देहात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने बच्चों की शिक्षा धन की कमी में नहीं दे पाते हैं। हमने तो अपने गांवों में देखा है कि बचपन में जो बच्चे विद्यालय में जाने के लिये तैयार माने जाने चाहिये और जिनकी ऐसी उमर होती है कि वे विद्यालय में जायं, उनके मां बाप धन की कमी के कारण खेतों पर उनको लगाते हैं, सोहनी कराते हैं, बकरी चरवाते हैं और हरिजनों के यहां उनसे सुअर चरवाये जाते हैं। इस प्रकार वे अपने बच्चों को धनाभाव के कारण स्कूलों में नहीं भेजते हैं। लेकिन इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि जब वे बच्चे अगल बगल क बच्चों को देखते हैं कि वे पढ़ने के कारण समाज में कुर्सी पाते हैं, चारपाई पाते हैं, ऊंचा स्थान पाते हैं, तो वे भी शिक्षा की ओर रत होते हैं। मैंने देखा है कि हल चलाने वाले लोग 'क' 'ख' 'ग' की किताबें पढ़ते हैं। यही नहीं उन्होंने मिडिल पास किया है, हाई स्कूल पास किया है, और उसके बाद कालेजों में डिग्रियां ली हैं। मैं बनारस की तरफ आप का ध्यान ले जाऊंगा। बनारस में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो रिकग्नाइज्ड नहीं हैं। वहां पर विद्यार्थी जाते हैं और संस्कृत की शिक्षा लेते हैं और शास्त्री तक की डिग्री लेते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वक्ता महोदय क्या बोल रहे हैं?

श्री रामेश्वर लाल--राम नरेश जी ने पूछा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने समझा कि वे समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सटर्नल और इंटर्नल के ऊपर मैं बोल रहा हूं और दोनों चीजों के ऊपर मैं अपना भाव आप के सामने प्रमाण के साथ रखना चाहता हूं। मैं यह बतला रहा था कि शास्त्री की परीक्षा पास करने के बाद यूनिवर्सिटी की डिग्री लोगों ने ली है। तो यह डिफ्रेंसिएशन हमको नहीं करना चाहिये। मैं दूसरी तरफ आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैंने अभी एक माननीय सदस्य का भाषण सुना। मैं कहूंगा कि आज अर्थ शास्त्र के विद्वानों ने पढ़े लिखे लोगों को समाज की एक पूंजी माना है और जिसके पास जितनी ज्यादा पूंजी होती है वह धनोपार्जन करने में उतनी ही सफलता प्राप्त करता है। यह हम और आप बराबर मानेंगे। हम देखते हैं कि आज एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिये, अगर ऊंची शिक्षा हमको देनी है, तो दस हजार रुपये से कम हमको व्यय नहीं करने पड़ेंगे। ऐसी दशा में यदि कोई प्राइवेट शिक्षा लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है और उस योग्यता को प्राप्त करता है, तो

मैं नहीं समझता कि आप उसे एक्सटर्नल और इन्टर्नल की उपाधि दे कर क्यों समाज में अलगाव और दुराव देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद इस अलगाव और दुराव वाली नीति को दूर कर के एक्सटर्नल और इंटर्नल वाले झगड़े को देखते हुये माननीय रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे भला होगा।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री त्रिपाठी जी द्वारा जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उनको क्यों शंकायें हो रही हैं। लोगों को यह शंका है कि एक्सटर्नल और इंटर्नल दो विभागों में जो विभाजन हो रहा है उससे संभव है कि उन स्नातकों को जो एक्सटर्नल स्नातक होंगे वह स्थान न मिल सके जो स्थान इंटर्नल स्नातकों को मिले। इसके सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि दोनों में कुछ फ़र्क़ अवश्य रहेगा। जिन स्नातकों ने चार या छै वर्ष तक विश्वविद्यालय में अपने गुरुओं के नीचे बैठ कर विद्याध्ययन किया है उन स्नातकों में और वह स्नातक जो कि बाहर रह कर अपना उद्योग करते रहे हैं और डिग्री प्राप्त कर ली है, उन दोनों में क्या भेद नहीं होगा। भेद अवश्य होगा। माननीय सदस्यों को परेशानी यह मालूम हो रही है और यह उनको भय हो रहा है कि मुलाजिमत में और नौकरियों में हम भेद करेंगे यानी हम एक्सटर्नल वालों को जो बाहरी होंगे उनको स्थान नहीं देंगे। और जो हमारे कालेज से निकले हुये, यूनिवर्सिटीज़ से निकले हुये हमारे स्नातक होंगे, उन्हीं को स्थान देंगे। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इस बात को बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और उन्होंने बतलाया कि सम्भव हो सकता है कि ऐसा समय आ जाय कि हम सिर्फ बाहरी लोगों को ही प्रिफ़रेन्स दें और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उन्हें जो कि विश्वविद्यालय से पास हो कर निकले हैं यानी कालेज का जीवन व्यतीत किया है, उत्तम स्थान दें। यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस में कोई सन्देह नहीं कि आज की परिस्थिति हमें इस बात के लिये बाध्य करती है और हम इसे मानते हैं कि जो इंटर्नल लड़के हैं, जो कि विश्वविद्यालयों से पास कर के स्नातक निकलते हैं उनमें एक तरह की अनुशासनहीनता आ रही है, सम्भव है कि हम इस बात को तय करें कि हम उनका स्थान नहीं देंगे। यह तो केवल परिस्थिति के ऊपर ही निर्भर रहता है। परन्तु भेद को रखना अत्यन्त आवश्यक है और वह इसलिये आवश्यक है कि एक आदमी जो इतने दिनों विद्यार्जन करता है, विद्या मन्दिर में रहता है, सारा समय वहीं व्यतीत करता है जैसा कि नियम है। उसी नियम के अनुसार उस आदमी से एक आदमी जो कि बाहर से आता है और सिर्फ पास कर लेता है, दोनों में भेद होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैंने कल ही श्री श्रीचन्द जी ने जो संशोधन उपस्थित किया था जिसका यह अर्थ था कि हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिये कि वह परीक्षाओं में बैठ सके और डिग्रियां प्राप्त कर सके, उसका समर्थन किया। उससे मैं यह चाहता था जैसा हमारे बहुत से माननीय सदस्यों का विचार था कि लोगों को, आप सब लोगों को, इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि परीक्षाओं में बैठ सके और ऊंची से ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर के अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें, वहां तक तो ठीक है। यहां तक तो मैं सहमत हूं कि ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का हर एक व्यक्ति को अवसर मिले परन्तु उसी के साथ साथ मैं इस बात का डिस्टिंक्शन जरूर चाहता हूं कि दोनों में भेद अवश्य हो। एक आदमी जिसने कि यूनिवर्सिटी में रह कर शिक्षा प्राप्त की है उसमें और जिसने कि बाहर रह कर केवल परीक्षा पास कर ली है, उसमें भेद आवश्यक है।

सर्विसेज के बारे में तो आप जैसा चाहें वैसा विधान बना सकते हैं। चाहे आप स्थान भीतर वालों को दें अथवा बाहर वालो को दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन पर इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और इसका विरोध करता हूं, साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे त्रिपाठी जी इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं स्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अभी एक माननीय सदस्य का नाम ले चुका वे भाषण देंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—मैं प्वाइंट आफ आर्डर फिर उठाना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष के पद को ग्रहण कर रहे हैं वे अध्यक्ष हैं और इस सिलसिले में मैंने आपके सामने बाम्बे विधान सभा की रूलिंग भी रखी थी। मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं कि हमारे श्री उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता महोदय, जो अध्यक्ष के पद को ग्रहण करें क्या वे उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता कह कर सम्बोधित किये जा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि यहां की परम्परा उपाध्यक्ष ही कह कर सम्बोधित करने की है। सुविधानुसार लोग जिस प्रकार से भी सम्बोधित करें इसमें कोई बहुत बड़े महत्त्व का प्रश्न नहीं आता है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री त्रिपाठी जी का जो संशोधन इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो एक्सप्लेनेशन इस संशोधन के अन्दर किया हुआ है वह इस प्रकार है—

"The degrees conferred under clause (a) and those conferred under clauses (b) to (e) shall respectively be termed and be also stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external'."

एक्सटर्नल में २ तरह के लोग आते हैं, एक तो टीचर्स और दूसरे लाइब्रेरी वाले, व्रजबिहारी जी ने कहा कि लोगों के दिल में यह भ्रम है कि एक्सटर्नल वालों को नौकरी में नहीं लिया जायगा, यह बात ग़लत है क्योंकि वे तो पहले ही एम्पलायड हैं। हां, लेडीज के मामले में यह बात विरोध करने की है, क्योंकि वे प्राइवेट विद्योपार्जन करके डिग्रियां ले सकती हैं। यह एक्सप्लेनेशन केवल स्त्री समाज के लिये घातक हो सकता है। लेकिन जैसा राधाकृष्णन् रिपोर्ट में है, इसमें कुछ हद तक बैकवर्ड और शैडयूल्ड क्लास के लोगों पर भी असर आ सकता है। उन्होंने लिखा है कि हम सोशल बुराइयों को एक दम दूर नहीं कर सकते और हमारे कंस्टीटयूशन में शैडयूल्ड कास्ट वालों के अलावा सबके बराबर इलैक्टोरैट्स हैं और यह कि—

"We are in great sympathy with the anxiety of these scheduled castes and backward communities to raise their cultural level. Their backwardness is the result of a long period of unequal opportunity and it should be remedied as speedily as possible. We must provide them with additional assistance which will enable them to give their children equal education opportunities with others in the nation. In the present condition of our society the ends of justice in the matter of scheduled castes and the communities declared to be backward by the government of the province or the state can be met by reserving a certain proportion of seats for qualified students of these communities leaving the rest of the seats to members of all communities by open competition. The percentage of reservation shall not, however, exceed 1/3rd of the total number of seats. The principle of reservation may be adopted for a period of ten years."

सन् १९४८-४९ के यूनिवर्सिटी कमीशन ने यह माना है कि बैकवर्ड और शैडयूल्ड कास्ट के लोग ग़रीब हैं और इसलिये उनको हर तरह से परेशानी हो रही है।

शिक्षा मंत्री जी ने क्या इस बात की सफाई करने की कोशिश की है कि २५ फीसदी लोगों की फीस माफ होती है, १५०–२०० स्कालरशिप बैकवर्ड क्लास के लोगों को दिये जाते हैं और २००–३०० पोलीटीकल सफरर्स को दिये जाते हैं, तो क्या वे इनको बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ा दें, तो मैं समझता हूं कि एक्सटर्नल और इंटर्नल में कम मतभेद होना चाहिये। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के भाषण से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला कि वह शैडयूल्ड और बैकवर्ड क्लास के लोगों के स्कालरशिप बढ़ाने की किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अगर वह इस बात की कोशिश करते कि बैकवर्ड लोग भी धनीमानी लोगों के बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकते, तो मैं समझता कि यह बात बर्दाश्त की जा सकती थी कि २ तरह की डिग्रियां आप रखें। लेकिन अगर यह चीज नहीं आई तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को अधिक कठिनाई होगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि बैकवर्ड क्लास वालों के और शैडयूल्ड कास्ट वालों के हित में और दूसरी गरीब जनता के हित में इस संशोधन को हमारे मंत्री महोदय अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे। इससे गरीब लोगों का बहुत भला होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी——उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन के विरोध में और पक्ष में माननीय सदस्यों के भाषण सुने। बहुत सी बातों का तो दोनों ने जवाब दिया, लेकिन दो एक बातें ऐसी हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

एक बात सर्वांग उन्नति की कही गई। एक तरफ तो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वह त्रुटिपूर्ण है। उससे जो स्नातक होते हैं वह अनुभवहीन होते हैं, वह अमेरिका और ऑक्सफोर्ड की बात तो जान सकते हैं लेकिन अपने देहात की बात नहीं जान सकते हैं। वाकया यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत से ऐसे स्नातक हैं जिनको बहुत से पौधों के नाम ग्रीक और लेटिन में तो याद होंगे लेकिन देहात में जाकर वह उनको पहचान नहीं सकते हैं। उनकी स्कूल और कालेजेज के वातावरण में एकांगी उन्नति तो हो सकती है जो दिमागी उन्नति है, लेकिन वह अनुभवहीन होते हैं।

जहां तक डिग्रीज के देने का सवाल है तो वह ऐसे लोगों को दी जा रही है जो पहले कोई दर्जा पास करके शिक्षा विभाग में हैं, इसमें ग्रेजुएट हो सकते हैं इंटरमीजिएट हो सकते हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसी इंस्टीटयूशन के लायब्रेरियन हैं और लगातार तीन साल तक रहे हैं। इसके अलावा औरतें हैं। उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि बहुत से विरोध करने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि गृहस्थी का जितना ज्ञान औरतों को होगा उतना किसी और को कभी नहीं हो सकता है। दुनिया की अनुभवपूर्ण औरतें आपकी बात बर्दाश्त करें और गृहस्थी चलायें और फिर डिग्री प्राप्त करें। इसके बाद भी अगर वह अनुभवहीन रह जाती हैं तो फिर विरोध करने वाले सज्जन कहां खड़े हैं, इसको वह स्वयं ही समझ लें।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

ऐसे लोगों को आज कल डिग्रीज दी जा रही हैं जिनको दुनिया का कुछ अनुभव नहीं होता। जिनको दुनिया के ऊंच नीच देखने का मौका मिलता है और जो दुनिया के संघर्ष में पड़ते हैं उनको तो अनुभवहीन बतला दिया जाता है और जो लोग कालेज में जाते हैं और जिनको गेहूं और जौ की बाली की तमीज नहीं हो सकती है उनको आप कह सकते हैं कि वह इंटरनल हैं और उसको तजुर्बा है। जहां तक संस्कारों का सवाल है, तो संस्कार यूनीवर्सिटी में तालीम लेने से नहीं हो सकते हैं। हां, यह हो सकता है कि हमारी शिक्षा की पृष्ठ भूमि विदेशी तालीम है और हमारे विदेशी शासकों की तालीम है। इसीलिये हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मांग यह है कि आपके यहां जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसका लक्ष्य क्या है? आज हमारे मंत्री जी को गर्व हो सकता है कि उन्होंने बहुत से प्राइमरी स्कूलों को पेड़ों के नीचे चलाया और इतनी संख्या में स्कूल खोल दिये कि कहीं पर अध्यापक नहीं है तो कहीं पर बिल्डिंग नहीं हैं और कहीं पर लड़के ही नहीं हैं। इस पर हमारी सरकार फख्र कर सकती है लेकिन यह हमारी आज की शिक्षा प्रणाली लक्ष्य हीन है। आज डिस्पिलिन का सवाल होता है। उसका कारण यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी आशायें पूरी नहीं होती हैं। हमारी सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है कि कहां जायंगे। हाई स्कूल, इंटरमीजियेट, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएटस की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। मैं कहता हूं कि वह एक संकुचित दायरे में रहते हैं, जिनको अपने स्कूल की किताबों के अलावा और कुछ जानकारी भी नहीं है। तो इससे न संस्कार बनने का सवाल पैदा होता है और न सर्वांग उन्नति ही होती है। जिनको एक्सटर्नल डिग्री दी जा रही है उनके संस्कार तो कहीं अच्छे हैं। माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे लेकिन संस्कार कोई मामूली शब्द नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उससे कैरेक्टर की जांच होती है। कैरेक्टर के माने स्त्री, पुरुष का सामाजिक सम्बन्ध ही नहीं है। कैरेक्टर के माने बड़े वसी हैं। तो एक्सटर्नल डिग्री की बात हुई, सर्वांग उन्नति की बात हुई, संस्कार की बात हुई। कौन सी ऐसी बात रह जाती है जिससे इंटरर्नल और एक्सटर्नल में कोई विशेष विभेद किया जाय। मुझे यह विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि हमारा शिक्षा विभाग इस बात पर गौर कर रहा है कि जो लोग एक्सटर्नल डिग्री पायें उनको कम से कम शिक्षा विभाग में न लिया जाय। इतना बड़ा भेद भाव हमारी सरकार के दिमाग में है। तो यह भेदभाव तो तब रहेगा जब वहां कोई प्राविजन रहेगा और अगर ऐक्ट में कोई प्राविजन नहीं है तो न तो माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्कूलर निकाल सकते हैं और न कोई दूसरा निकाल सकता है। तो जब भेद भाव नहीं रखना है तो एक्सप्लेनेशन की बात क्यों रखी जाती है। जैसा कि लोगों ने बताया काफी मेहनत करने के बाद वह डिग्री प्राप्त करेगा। तो एक्सटर्नल रखने से लोगों का यह ख्याल होगा कि इसने यों ही पास कर लिया, यह कम योग्य है। सौभाग्य से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय यहां उपस्थित हैं और मैं समझता हूं कि आज हमारे शिक्षा मंत्री जी को सलाह लेने में आसानी है। मुमकिन है वह डरते कि कहीं मुख्य मंत्री जी यह न कह दें कि जैसा सेलेक्ट कमेटी से आया था वैसा ही रहना चाहिये था। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर राय देकर उनको यह सलाह देंगे कि वह मेरे संशोधन को मान लें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--रामनारायण जी ने चाहा है कि मैं इसमें कुछ कहूं। मुझे सारी बहस जो इस मामले में हुई वह सुनने का तो अवसर नहीं मिला मगर जो रामनारायण जी ने कहा और जो दो तीन व्याख्यान मेरे आने के बाद हुये उनको

मैंने कुछ सुना। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में गया, वहां सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे और वहां बहुत अच्छी तरह से हर बात पर विचार किया गया। दरअस्ल एक वक्त तो मेरा यह ख्याल था कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल यूनानिमस होगी और कोई भी नोट आफ़ डिसेंट नहीं होगा मगर चूंकि कुछ राजनीतिक दल अलग-अलग हैं लिहाजा नोट आफ डिसेंट भी उसमें आ गया। मगर जहां तक शिक्षित लोगों का ताल्लुक है, शिक्षित से मेरा मतलब यह नहीं है कि और लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव, श्री महाजन, आचार्य जुगुल किशोर आदि, इन सब की इत्तफाक राय से यह बिल जैसा कि यहां पर आया है बनाया गया था जिसमें वाइसचांसलर्स, प्रोफेसर्स जितने उसमें थे उन्होंने अपनी राय दी है, जो कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं उन्होंने भी और जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं उन्होंने भी। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने अपना दस्तखत किया है। सो मैं समझता हूं कि उन्होंने समझा कि दस्तखत कर देना अच्छा है बजाय न करने के। तो कोई बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और फिर वहां से आये तो उसके ऊपर यह समझ कर हमें चलना चाहिये कि आमतौर से सभी लोगों ने उसकी देखभाल की है। जब तक कोई खास वजह न हो तब तक उसे ठीक ही मानना चाहिये। और यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी दो हाउसेज की थी, केवल एक हाउस की नहीं थी। उसमें काफी सदस्य थे। कमेटी में काफी सोच-विचार इस पर हुआ। उसके बाद यह रिपोर्ट आयी है। यह सब तो मैं और सब संशोधनों के लिये निवेदन कर रहा हूं। जहां तक इस खास संशोधन का सवाल है मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह उज्र किस बात का है। यह संशोधन तो एक वाकये को बयान करता है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी डी० ए० वी० कालेज से पास करता है और किसी आदमी ने कालविन्स कालेज से पास किया है तो पहले के सामने अगर डी० ए० वी० कालेज से पास किया और दूसरे के सामने कालविन्स कालेज से पास किया अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो इसमें नामुनासिब बात क्या हो जाती है। इसी प्रकार जो लोग क्लासेज अटेंड करके पास करते हैं उनके सामने इंटरनल लिखा जाय और जो लोग बाहर रह कर पास करें उनके सामने एक्सटर्नल लिखा जाय तो क्या यह वाक़या नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह वाक़या नहीं है? अगर वाक़या है और बात सही है तो फिर उज्र किस बात का है। रामनारायण जी ने कहा कि एक्सटर्नल वाले अधिक अच्छे होते हैं, अगर ऐसी बात है तो उनके सामने एक्सटर्नल लिखे जाने से ही उनको ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिये अगर किन्हीं बातों में इंटरनल वाले बेहतर हैं और किन्हीं बातों में एक्सटर्नल वाले बेहतर हैं तो लोगों को बात मालूम हो जानी चाहिये। मेरे ख्याल से यह बात छिपाये जाने के बजाय इसका लिखा जाना ज्यादा अच्छा है। अगर कोई बात फैक्ट न हो तो उसको छिपाया भी जाय लेकिन जो वाकया है उसको लिखने में क्या उज्र हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर किसी वजह पर एक्सटर्नल वाले अच्छे साबित हो सकते हैं तो लोग उनको वहां ले सकते हैं और जहां पर इंटरनल वाले अच्छे साबित हो सकते हैं वहां पर उनको ले लें। रामनारायण जी की राय में एक्सटर्नल वाले ज्यादा अच्छे हैं इसलिये यही उनके पक्ष में जाता है कि उनके सामने एक्सटर्नल लिख दिया जाय। इस प्रकार फैक्ट्स को बयान करना हर तरह से मुनासिब है।

एक बात यह भी कही गयी कि इससे शिड्यूल कास्ट के लोगों या बैकवर्ड क्लास के लोगों को दिक्कत होगी। यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आयी। क्योंकि जितने भी एक्सटर्नल होंगे वे सब टीचर्स या इंसपेक्टिंग आफीसर्स होंगे। अगर यह बात साबित हो कि मुलाजिमत में हरिजन या बैक वर्ड क्लास के लोग ज्यादा हैं तब तो यह कहा जा सकता है कि उनको इससे नुकसान होगा लेकिन यह कहा जाता है कि

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]
वह ज्यादा नहीं हैं तो फिर इस तरह की बात होने से उनको नुकसान कैसे होगा? अतः यह दलील मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आयी।

राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी गयी। उसका क्या असर इस पर पड़ता है वह भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं वह मुनासिब नहीं क्योंकि हमारे सूबे में इस बात की काफी कोशिश की जाती है कि हरिजनों को हायर एजूकेशन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। उनको वजीफे दिये जाते हैं, उनकी फीस माफ की जाती है। मेरी जाती राय है कि हरिजनों को ऊंची तालीम देना ही उनके स्तर को ऊंचा करने का सब से ज्यादा फायदेमंद तरीका है। इसलिये हमने इस बात की कोशिश की कि उनमें जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय और मेरा ख्याल है कि उनको दी जाती है और यह कोशिश की जाती है कि कोई भी इस वजह से मजबूर न हो कि उसका खर्चा नहीं चलता इसलिये वह ऊंची तालीम नहीं पा सकता। इसलिये उससे इस चीज को जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि उनकी तालीम में मदद दें मगर इस अमेंडमेंट से तो उनको कोई नफा नहीं पहुंचता और बैवर्ड क्लास को भी जो कुछ मदद हो सकती है वह जरूर मिलनी चाहिये मगर खाली हरिजन और बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर जितने भी अच्छे काम हैं जिससे उनको फायदा हो, उनके रास्ते में रुकावट डाली जाय, यह तो किसी तरह से भी लाभदायक बात नहीं हो सकती है। जहां तक इस संशोधन की बात है मैं समझता हूं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी भी इस बात को मंजूर करेंगे कि इस एक्सप्लेनेशन के रहने देने से अच्छाई ही है, और बुराई कुछ होती नहीं।

श्री उपाध्यक्ष— क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ कहना है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ४ में प्रस्तावित उपधारा (२) के अन्त का Explanation निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नयी उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे —

"(4) To make provisions for instructions and to grant certificates of proficiency under conditions laid down in the Ordinances."

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो विधेयक की उपधारा है वह इस प्रकार है—
"(4) to institute certificates of proficiency, to make provision for instruction for and to grant such certificates under conditions laid down in the Ordinances;"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं है। सिर्फ मुझे अनुभव सा हुआ है कि इसमें एक मर्तबा तो सर्टिफिकेट का दोबारा उद्धरण नहीं है और साथ ही साथ मेरा जो संशोधन है उसके कर देने से अंग्रेजी भी अच्छी हो जावेगी और साथ ही साथ मंशा भी सरकार का निकल जाता है। तो मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको देख कर इसे मंजूर कर लेंगे।

श्री हर गोविन्दसिंह—अगर आ ा वही मतलब है संशोधन से तो उसमें जरा सी कमी रह जाती है। जो विधेयक है उसमें "to institute certificates of proficiency" है। मैं आपको उदाहरण कर समझा सकता हूं कि जैसे मान लीजिये कि हम किसी को डेन्टिस्ट्री कोर्स में इंस्ट्रक्शन देकर प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन विधेयक से अगर 'nstitute certificates' निकल जाता है तो जरा गड़बड़ी रहेगी।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—आपका भी तो मतलब यही है कि आर्डिनेंसेज के मुताबिक दिया जाना चाहिये। फिर इसमें दिक्कत ही क्या है। आपका परपज तो कवर हो जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्न दिया जाय—

"Visitation 6. (1) The State Government shall hav to cause an inspection to be such person or persons as it may dir University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University. The State Government shall also have the right to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an affiliated college. The State Government shall, in every case of inspection or inquiry, give notice to the University or the affiliated college (as the case may be) of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University or the college concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(2) The State Government shall communicate to the Executive Council or the Management of the affiliated college (as the case may be) its views with reference to the results of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion or the Executive Council or the Management of the college thereon, require the University, or the college to take such action as it may direct.

(3) The Executive Council or the Management of the college shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'persons' के बाद का वाक्य 'as it may direct' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"of eminence such as Ex-Chancellor or Ex-Vice-Chancellors of the University, Vice-Chancellors of the Universities of other states or Judges of the High Court of the State."

तथा पंक्ति ८ के शब्द 'inquiry' के बाद शब्द 'by persons reffered to above' बढ़ा दिये जायं।'

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं वह इस प्रकार है--

"The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct,"

वहां यह हो जायगा--

"such person or persons of eminence such as Ex-Chancellor or Ex-Vice-Chancellors of the University, Vice-Chancellors of the Universities of other States or Judges of the High Court of the State."

और आगे पंक्ति ८ में 'by person referred to above' से उन्हीं की तरफ इशारा है जिनका जिक्र मैंने अभी अपने संशोधन में किया है। इस धारा में जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है उसमें "by person or persons as it may direct" से एक शंका पैदा होती है कि सरकार जिसको समझे नियुक्त कर सकती है। इस बात की आशंका एक बात से और भी हुई और वह यह है कि इस विधेयक में एक तरफ तो इंटरमीडियेट की परीक्षा और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा एक साथ न हो और ग्रेजुएट के क्लासेज किसी इंटरमीडियेट कालेजेज में न हों और उसके साथ साथ डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भी रखा गया है और सिनेट में भी रखा गया है। हो सकता है कि सरकार ऐसे मामलों में एक मामूली आदमी से, किसी सब-इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स से इन्क्वायरी करा दे और वह सरकारी अफसर हो सकता है और सरकार के इशारे पर चल सकता है। जहां तक मुझे मालूम है हमारे शिक्षा मंत्री जी आगरा यूनिवर्सिटी से बहुत नाराज हैं। वहां गड़बड़ियां हैं यह हम भी समझते हैं लेकिन एक बदला लेने की भावना की तरह यह संशोधित विधेयक उपस्थित किया गया है तो इस कारण मुझे और भी शंका हो जाती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से और मुझसे बात हुई और मैंने उनसे निवेदन किया था कि यूनिवर्सिटी में एक दो रिप्रेजेंटेशन टीचर्स से अफिलियेटेड कालेजेज में रख दिया जाय। उन्होंने बतलाया कि वहां पर कोई क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी अटानामी के लिहाज से ऐसे लोग जिनकी इंटेग्रिटी और ईमानदारी पर किसी को शक न हो उनको रखा जाय। अभी हाल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी और उसमें भी इसी किस्म के लोग थे जिसका कि जिक्र मैंने किया है। तो मेरे संशोधन का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का

हाथ बांधा जाना चाहिये ताकि वह किसी आदमी को जिसको वह कम्पिटेंट समझती है और अगर वह कम्पिटेंट नहीं है उसको रखकर और उससे एन्क्वायरी करा कर मनमाना फैसला करके अर्थ का अनर्थ न करे। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इससे एतराज नहीं होगा, क्योंकि उनका भी दावा यही होगा कि उनकी नीयत साफ है और अगर यह गलतफहमी दूर हो जाती है तो हमारी और उनकी स्थिति साफ हो जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन उनको स्वीकृत होगा।

श्री नौरंगलाल--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो संशोधन आया है उसका विरोध करता हूं और विरोध बिलकुल सीधासादा है। रामनारायण जी ने जो संशोधन अभी रखा है उसका मंशा यह है कि जिनको एप्वाइन्ट करने की ताकत दी जा रही है कि जिन-जिन को चाहेंगे एप्वाइन्ट कर लेंगे उनमें आपको विश्वास नहीं है। तो अगर आपको अविश्वास है कि वह ठीक आदमी को अप्वाइंट नहीं करेगा तब तो आप उसको यह हिदायत दे सकते हैं और उसकी पावर को लिमिट कर दें लेकिन जब आप इस बात को मानते हैं कि जो भी आदमी वह अप्वाइन्ट करेंगे वह ठीक करेंगे और आपको उस पर विश्वास है और आप उनको शक्ति देते हैं कि वह इन्क्वायरी कर लें तो फिर आगे चलकर यह विश्वास क्यों पैदा हो जाता है कि वह गलत आदमी को अप्वाइन्ट करेंगे। यहाँ पर इन लम्बे-चौड़े शब्दों के जोड़ने से क्या फायदा है। जब वह किसी आदमी को अप्वाइन्ट करेंगे तो वह तो ठीक ही करेंगे। हम लोगों को इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती है। अगर यहाँ पर आप कुछ लफ्ज बढ़ा देते हैं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस वास्ते मेरी यह राय है कि आपने जो यह संशोधन दिया है वह कंट्रेडिक्टरी है और ठीक नहीं है और आपका खुद का मतलब उससे हल नहीं होता है। इन दो सेक्शन के आदमियों को आपने छांट लिया है कि वह गाइडेंस देंगे अप्वाइन्ट करने में। मेरी समझ में नहीं आता कि संशोधन करने वाले महोदय ने यह कैसे समझ लिया कि जजेज और वाइस-चाँसलर के अलावा और कोई आदमी काबिल नहीं है और उनकी पावर को लिमिट कर देते हैं। और भी आदमी हो सकते हैं जो काबिल हो सकते हैं इन दो पर ही क्यों इस चीज को लिमिट कर देते हैं। हमारे प्रदेश में प्रिंसिपल भी हो सकते हैं लेजिस्लेचर के आदमी भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं और एक लेमैन भी हो सकता है तो आपने यह कैसे कह दिया कि सारी जिम्मेदारी इन दो पर ही रहनी चाहिये। बाज आदमी ऐसे होते हैं कि एजुकेशनिस्ट हैं और वह ब्लंडर कर देते हैं। हम बराबर सुनते आते हैं कि फलाँ यूनिवर्सिटी में गड़बड़ हो रही है। तो इस प्रकार से आपके संशोधन में खुद यह विरोध पैदा हो जाता है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इससे उनका मकसद हल नहीं होता है और वे इसको वापस ले लें। इससे न उनका मतलब पूरा होता है और खामखाह के मतलब रखने से कोई लाभ नहीं होता है और यह मीनिंगलेस हो जाता है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--श्रीमान्जी, मैं यहाँ पर इसलिये खड़ा हुआ हूं कि जो श्री रामनारायण जी ने संशोधन रखा है उसमें कुछ अथारिटी यूनिवर्सिटी के लोगों को मिल जाती है कि वह भी जो इन्क्वायरी की जाय विजिटर अप्वाइन्ट करने में उसमें गवर्नमेंट की तरफ से वह भी हिस्सा लें। गवर्नमेंट की तरफ से जो इस बिल के अन्दर रखा गया है उसमें यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ पर जो आदमी रक्खे जायेंगे वह केवल देखने के लिये रहते हैं और उनको कोई अधिकार बराबर का नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी अथारिटी अपने ऊपर ले लेती है। वह आदमी वहाँ पर स्वतंत्र होने चाहिये लेकिन गवर्नमेंट खुद डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाती है। जो भी चाहे यह गवर्नमेंट कर सकती है। हमने इसकी बाबत अपना डिसेंटिंग नोट दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि यह बात ठीक नहीं है जो कि सरकार अपने हाथ में सारी पावर ले रही है। पिछले आगरा यूनिवर्सिटी बिल में जो था उसको बिलकुल इगनोर किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को

[श्री मलखान सिंह]

मान लें कि यूनिवर्सिटी का कोई आदमी बराबर उस सिटिंग में लिया जाय और उसको अधिकार भी दिया जाय और जो रिपोर्ट एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने आवे तो उसको यह अधिकार हो कि वह जो भी कार्यवाही करना चाहे कर सके। अगर आप कहें कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल ने कोई कार्यवाही नहीं की.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वह कह रहे हैं वह इस सिलसिले में नहीं है कि यूनिवर्सिटी का आदमी हो या न हो और इस संशोधन से उस का संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन पर ही ध्यान दें तो अच्छा है।

श्री मलखान सिंह--मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में यह कह रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के आदमी रखें जो हाईकोर्ट के जज हों या वाइस चाँसलर या चाँसलर हों या दूसरे इस तरह के लोग हों तो कोई इस प्रकार की दिक्कत न रहेगी कि उनके ऊपर विश्वास किसी को न रहे और जैसा कि अभी मेरे मित्र माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर कोई इंस्पेक्टर्स वगैरा भेजे गये तो कहीं-कहीं ऐसा भी होता है, जैसा कि अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी में होता रहा है कि वहाँ ज्यादातर डी० ए० वी० कालेज कानपुर के प्रोफेसर या इसी तरह के लोग भेजे जाते थे जो कि अपने-अपने कालिजों की उन्नति के लिये दूसरे कालिजों पर अनुचित टीका-टिप्पणी किया करते थे। इन सब दिक्कतों से बचने के लिये ही यह संशोधन रखा गया है और यह एक उचित संशोधन है जिसको मैं समझता हूं कि मान लेना चाहिये।

श्री शिवनाथ काटजू--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जो संशोधन रखा गया है वह जाँच के अधिकार की सीमा को घटाता है। इस धारा के अन्दर प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह जहाँ मुनासिब हो वहाँ जाँच करे। यह अधिकार पहले के विधेयक में भी था और उसके सिद्धांत में यहाँ कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। डिसेन्टिग रिपोर्ट में दूसरी बात कही गयी है। उस में यह कहा गया है कि यह जो जाँच कराई जाय उसमें यूनिवर्सिटी और कालेज के अधिकारियों को भी शामिल किया जाय। और वह बात अभी ठाकुर साहब ने रखी थी लेकिन जो संशोधन आया है वह डिसेंटिंग नोट के सिद्धांत से जुदा है, उस में कहा गया है कि जिन लोगों को जाँच के लिये मुकर्रर किया जाय उन की तफसील क्या हो यानी किन लोगों को जाँच के लिये चुना जाय। वह हाईकोर्ट के जज हों, वाइस चाँसलर या चाँसलर रह चुके हों। इस संबंध में जो कुछ श्री नौरंग लाल जी ने कहा है उस से अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूँ। यह सम्भव है कि सरकार जजों या वाइस चाँसलर वगैरा को नियुक्त करें लेकिन यह भी संभव है कि अगर ऐसे आदमी उस वक्त न मिल सकें तो वह बाहर के लोगों को भी नियुक्त कर सकती है, इसलिये सरकार के इस अख्तयार में कमी करना मुनासिब नहीं है। बिल में सरकार को पूरा अधिकार है कि वह मुनासिब आदमियों को जाँच के लिये नियुक्त करे और वह मुनासिब आदमी सब प्रकार के हो सकते हैं। जजों के बारे में कहा गया लेकिन हाईकोर्ट में आजकल उनकी इतनी कमी है कि अगर उन को इन्क्वायरी कमेटीज में भेजा गया तो जब वैसे ही शिकायत है कि हाईकोर्ट के फैसलों में देर होती है वहाँ और भी देर होने लगेगी संभव है कि कोई रिटायर्ड लोग मिल जायं तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि अगर और कोई मुनासिब आदमी मिले तो उसको नियुक्त किया जाय। तो ऐसी स्थिति में सरकार के अधिकार में रुकावट पैदा करना मुनासिब नहीं है।

अब जो दूसरी बात कही गई है कि जाँच के अन्दर युनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाय तो यह तो एक दूसरा ही प्रश्न है। इस संशोधन से उसका विशेष संबंध नहीं है लेकिन जाँच ही करनी है तो कालेज के खिलाफ वह जाँच होगी। जिसके खिलाफ वह जाँच होगी उसी संस्था या वहाँ के आदमियों को जाँच की कमेटियों में मुकर्रर

करना यह तो कोई सिद्धांत के अन्तर्गत आने वाली बात नहीं है। जाँच तो एक इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी होती है और उस ट्रिब्यूनल में या और जो जाँच करने वाले हों ऐसे व्यक्ति होने चाहिये कि जिस संस्था की जाँच की जा रही हो उससे उनका कोई संबंध न हो। यह जो कहा जा रहा है कि जहाँ जाँच की जाय वहाँ के आदमी जाँच कमेटी में हों यह तो कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया यह इस संशोधन के बाहर है और संशोधन से तो उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री हरगोबिन्द सिंह—श्रीमन्, यह संशोधन जो आया है मैं इसका विरोध करता हूं और काटजू साहब और जो उनके पूर्व वक्ता थे। कहने के बाद कुछ और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। यह दफा, आगरा यूनवर्सिटी ऐक्ट जो पहले था उसमें भी थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके भी शब्द यही थे "Right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct." तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी ही समानान्तर धारायें करीब करीब कुल युनिवर्सिटी ऐक्ट्स में हैं। तो इतने दिनों से यह यूनिवर्सिटी ऐक्ट लागू है और कमेटियाँ उसमें मुकर्रर की गई हैं, लेकिन यह तो आक्षेप कभी भी सरकार पर नहीं आया कि ऐसे लोग मुकर्रर किये गये जिनकी ईमानदारी में किसी को संदेह हो सकता है। ठीक ऐसे ही इलाहाबाद युनिवर्सिटी में भी है और आप जानते हैं कि स्वयं श्री रामनारायण जी ने कहा कि उसमें मूथम एक हाई कोर्ट के जज थे वह मुकर्रर हुये। लेकिन जैसा काटजू साहब ने कहा, उसके कारण मेरा ख्याल है कि शायद एक वर्ष के करीब मूथम साहब कचहरी नहीं जा सके। तो ऐसे अवसर हो सकते हैं जब ऐसे लोगों को मुकर्रर करने को सरकार को अख्तियार न हो, इन कमेटियों में काम करने के लिये। तो जो पहले की धारा थी उसी तरह से अब भी रखी गयी है, उसमें किसी सन्देह की बात नहीं है और न होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय रामनारायण जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, इस संक्षिप्त वादविवाद में दो-तीन चार प्रश्न खास-खास उपस्थित किये गये। माननीय नौरंगलाल जी ने तो मुझसे यह जानना चाहा कि क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है, तो वह बात अलग कहिये। अगर स्टेट गवर्नमेंट पर विश्वास है तो फिर उसका विश्वास करते हुये क्यों आप यह मुनासिब समझते हैं कि इन्क्वायरी कौन करे, उसमें खास-खास लोगों को स्पेसिफाई कर दिया जाय। मैं माननीय नौरंगलाल जी को और माननीय मंत्री जी को उपाध्यक्ष महोदय, बता देना चाहता हूं कि इस सरकार पर मेरा क़तई विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो यह नौबत ही क्यों होती कि मैं उस पर शक करता? यह बदकिस्मती हमारी है कि आज इस विधान सभा में कई पार्टियों के चुनाव में खड़े हो जाने के कारण एक माइनारिटी रिप्रिजेंटेटिव की सरकार बनी हुई है और वह अपनी संख्या, बहुमत के जोर पर कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। विश्वास में दो बातें आती हैं, एक तो उनकी नेकनियती और बदनियती का सवाल उठता है और दूसरा यह है कि उनकी कार्यक्षमता पर विश्वास का सवाल है। तो नेकनियती और बदनियती का तो इतना नाजुक मामला है कि उसको इस समय में छेड़ना नहीं चाहते लेकिन कम से कम कार्यक्षमता के बारे में तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी अक्षम सरकार तो शायद ही फिर कभी इस सूबे में आये।

उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला आपके सामने था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी मामला विद्यार्थियों की यूनियन के संगठन के संबंध म आपके सामने था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कितने शांतिपूर्ण ढंग से वहां मामला तय कर लिया, लेकिन चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों में सरकार का भी काफी हाथ था इसलिये जो यहां तांडव नाच हुआ वह विदेशी शासन को भी मात कर देने वाला था। तीन दिन तक लगातार लखनऊ शहर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था और जिस की इच्छा जिस तरह से हुई उसने वैसा किया। दूकानें लूटी गयीं········

श्री शिवनाथ काटजू---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भाषण संशोधन की सीमा से बहुत बाहर जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इशारा कर देना चाहता था। उसका अवसर तो १८ तारीख को आयेगा। जहां तक इस सरकार की कार्यक्षमता का सवाल है, मुझे उसपर विश्वास नहीं है। इसीलिये मैं चेक्स और बैलेंसेज लगाना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार कोई मनमानी कार्यवाही न कर सके। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सरकार का मंशा ठीक है तो वह मेरा संशोधन क्यों नहीं मान लेती है। माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि इतने जजेज उपलब्ध नहीं होंगे इनक्वायरी के लिये। जितने भी इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट और रेप्रिजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट हैं उनमें साफ लिखा है कि उसमें इनक्वायरी जजेज करेंगे। जजेज के बारे में हम जानते हैं कि उनके ऊपर प्रादेशिक सरकार का असर नहीं पड़ेगा। दूसरे साथ ही साथ जहां तक उनकी इंटेगरिटी का सवाल है, किसी को सन्देह नहीं हो सकता है। एक बात है कि जजेज कांग्रेसियों की बात नहीं मानते हैं। इसीलिये मैंने यह मुनासिब समझा कि इस तरह की व्यवस्था की जाय। किसी मामले की डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर या इंसपेक्टर आफ स्कूल्स इनक्वायरी करें, ऐसे वसीय अधिकार हम सरकार को नहीं देना चाहते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू---मैं विरोधी दल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक रखा गया है, यह उसी काल तक के लिये नहीं है जब तक कि कांग्रेस सरकार है। खुदा नख्वास्ता अगर आप भी आगये तो आप के लिये भी लागू रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक बहुत खास प्वाइन्ट हमारे काटजू जी ने छेड़ दिया। मैं उनको अभी से बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आयी तो बहुत से ऐसे विधेयक हम को उसी दिन जला देने पड़ेंगे जो इस सरकार ने बनाये हैं। इसके संबंध में मैं यह मुनासिब समझता हूं कि अगर वाकई माननीय शिक्षा-मंत्री जी चाहते हैं कि सरकार मनमानी न करे तो मेरे संशोधन को वे अवश्य स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्युत्तर में तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की चूंकि खुशी हुई कि श्री रामनारायण जी का विश्वास हम में नहीं है तो इसीलिये उनको धन्यवाद देने के लिये फिर से मैं खड़ा हुआ हूं। उनको हमारी नियत में भी संदेह है ठीक ही है, आदमी अपना ही प्रतिबिम्ब हर जगह देखता है। तो यह हमारे लिये दुख की बात नहीं है।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है, जैसा मैंने कहा, आजकल एक और दिक्कत हो गयी है। आप अखबारों में रोज देखते ही होंगे कि हाई कोर्ट के जजों को रिट का अधिकार होता है। एक हाई कोर्ट के जज को इस इनक्वायरी में रखा जाय और दूसरा कोई उसके खिलाफ वहां रिट कराये उसी के यहां, यह ठीक नहीं है। हम को इन लोगों को अलग ही रखना चाहिये यह मेरी अपनी राय है। लेकिन अगर कभी आवश्यकता हुई तो उनको इसपर रखा भी जा सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। जहां तक हिसाब-किताब की बात है अगर वाइस चांसलर और हाई कोर्ट के जजेज को उसमें रख दिया जायगा तो वे कुछ नहीं समझ पावेंगे। वहां तो एक एकाउन्टेंट होना चाहिये जो उसको समझ सके। इस प्रकार इस सीमा को संकुचित कर देने से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और इसीलिये ऐसा रखा गया है। मैं यह नहीं चाहता कि श्री रामनारायण जी मुझ में विश्वास करें, क्योंकि उनकी निस्वत भी मेरी कुछ बहुत अच्छी राय नहीं है। तो इसलिये उसका मुझे बहुत दुख नहीं है। इन्हीं कारणों से यह चीज इसमें रक्खी गई है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'persons' के बाद का वाक्य 'as it may direct' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"of eminence such as Ex-Chancellor or Ex-Vice-Chancellors of the University, Vice-Chancellors of the Universities of other States or Judges of the High Court of the State."

तथा पंक्ति ८ के शब्द 'inquiry' के बाद शब्द "by persons referred to above" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा 6 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय—

"(3) Where the Executive Council or the Management of the College doe not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished or representation made by the Senate or Executive Council or Management of the College, as the case may bel, issue such direction as it may think fit, and the Executive Council or the Management of the College shall comply with such directions."

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान खंड ४ की उपधारा (3) इस प्रकार है कि—

"The Executive Council or the Management of the College shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

उसके स्थान में इसको रख दिया जाय जो म ने उपस्थित की है। इस अधिनियम के खंड ४ की उपधारा (1) तथा (2) उसी प्रकार अपने स्थान पर रहेंगी और (3) के स्थान पर इसको रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में एक रीजनेबिल टाइम एफीलियेटेड कालेजेज और यूनिवर्सिटी को दिया जायगा कि गवर्नमेंट की जांच के बाद जो-जो त्रुटियां संबंधित कालेज या यूनिवर्सिटी के मामले में हों उन पर कार्यवाही करने के लिये उनको एक समुचित अवसर दिया जाय। अगर इस बीच में वह कार्यवाही न करें तो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आदेश देगी कि फलां-फलां कार्यवाही वह करें। लेकिन जैसा कि प्रस्तुत विधेयक है उसमें उनको कोई मौका न देकर सीधे स्टेट गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन्स दे देगी कि वह फलां-फलां कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह नामुनासिब बात है कि यूनिवर्सिटीज की ओटोनोमी को कायम रखते हुये भी यूनिवर्सिटीज और एफीलियेटेड कालेजेज के मामलों में गवर्नमेंट दखल दे। जब यूनिवर्सिटीज के नीचे यह कालेजेज हैं तो पहले तो सीनेट को अधिकार होना चाहिये था कि जिस अधिकारी को वह मुनासिब समझे उससे एफीलियेटेड कालेजेज के संबंध में जांच कराये और इसके बाद अगर कोई त्रुटि रह जाय तो सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले। लेकिन सरकार सीधे ही यह अधिकार ले रही है यह नामुनासिब बात है। एक तरफ तो सरकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार देती है और दूसरी तरफ वह उसको सीधे आदेश भी दे सकती है। इसलिये यह तो दोहरी हुकूमत कायम करने की कोशिश की है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, जैसी कि वर्तमान विधेयक की उपधारा है वह ज्यों की त्यों मान ली जाय तो नतीजा यह होगा कि सरकार जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल या सीनेट से कोई जांच न करायेगी तो जो भी इंक्वायरी होगी लोग सीधे शिक्षा मंत्री जी के पास या सरकार के पास पहुंच जायेंगे और एक दोहरे शासन की प्रणाली पड़ जायगी जो यूनिवर्सिटीज के इंतजाम में खलल डालेगी।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मूल अधिनियम की इससे संबंधित धारा की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें भी इस किस्म का प्रावीजन था। पुराने अधिनियम की चौथी धारा इस प्रकार है—

"Where the Executive Council does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished by representation made by Senate and the Executive Council issue such directions as it may think fit and the Executive Council shall comply with such directions."

अभी-अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने बिल की धारा ज्यों की त्यों रख दी है लेकिन मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ४ जो काफी उचित थी, निकाल दी गई है। इसलिये इस बात को दृष्टि में रखते हुये मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है मेरे ख्याल में यह बेकार सा है क्योंकि जो एतराजात माननीय रामनारायण जी ने यहां रखे हैं वे प्रायः सभी मूल अधिनियम में आ गये हैं और उनके एतराजात और आपत्तियां एक प्रकार से निराधार हैं। अगर श्रीमान्, खंड ६ की १ और २ धाराओं को देखें तो उनसे विदित है कि उनके अन्तर्गत मुख्तलिफ स्टेजेज रखे गये हैं। पहले जांच कमेटी मुकर्रर होगी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट युनिवर्सिटी और कालेज के अधिकारियों के सामने जायगी और उनको जो कुछ कहना है या जो एतराजात करने हों वे सरकार के पास आयेंगे फिर सरकार उनसे यह कहेगी कि तुम अमुक काम करो और अपनी नीति उनके सामने रखेगी। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उस आदेश का पालन करें। ये सभी बातें इसमें पहले, दूसरे और तीसरे उपखंडों में आ जाती हैं। त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है वह एक प्रकार से बेकार सा है। धारा ६ के उपखंड (२) और (३) में प्रायः वे सभी बातें हैं जो त्रिपाठी जी ने अपनी नयी उपधारा (३) में रखी हैं। यदि आप अधिनियम की धारा ६(२) को देखें तो उसमें यह लिखा है—

"The State Government shall communicate to the Executive Council or the Management of the affiliated College (as the case may be) its views with reference to the result of such inspection or enquiry and shall after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the College thereon require the University or the College to take such action as it may direct."

यह यहां स्पष्ट रूप से विदित कर दिया गया है कि सरकार पहले अपना निर्णय कालेज या यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भेजेगी और उनसे उनकी राय मांगेगी और उसके सुनने के बाद उनसे कहेगी कि तुम इस प्रकार से चलो। उसके आगे उपखंड (३) में यह लिखा है—

"The Executive Council or the Management of the College shall then within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

फिर जब सरकार उनको आदेश देगी तो एक सीमित समय में इन कालेज या यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनका पालन करें। त्रिपाठी जी ने अपने संशोधन में जो खंड ४ रखा है उसमें कोई विशेष बात नहीं है। उसकी शब्दावली भले ही भिन्न हो लेकिन सिद्धांत वही है। उनका यह मत है कि इसके पूर्व कि सरकार कुछ कदम उठाये, सरकार को यूनिर्वासिटी या कालिजों के अधिकारियों को एक मौका देना चाहिये कि उनको जो कुछ कहना हो वह सरकार के सामने रखें और फिर सरकार अपना निर्णय दे। श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि विधेयक में जो खंड हैं उनमें स्वयं इस सिद्धांत के ऊपर ध्यान रखा गया है और सरकार उसी समय कदम उठायेगी जब कि वह इन कालिजों या यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव कौंसिल का मत और उनका उत्तर सुन लेगी। ऐसी स्थिति में त्रिपाठी जी का संशोधन बेकार है और मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरीगढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से त्रिपाठी जी के संशोधन के ऊपर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि जो त्रिपाठी जी का संशोधन है उसके अन्त में यह जोड़ दिया जाय—

"Provided that the state Government shall have the right to institute a direct Governmental inquiry or to directly issue directions to any affiliated college, only if the Senate and the Executive council fail within a reasonable time to take action to the satisfaction of the state Government.

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास बाद को भेज दें

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और बतलाने के पहले मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह बता दूं कि हालांकि उन्होंने मुझे संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य बनाया था लेकिन क्योंकि उस समय पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की बैठक हो रही थी इसलिये दुर्भाग्यवश मैं उस प्रवर समिति में उपस्थित न हो सका था। यह मैंने इसलिये बतलाया कि कहीं मेरे खिलाफ भी वे वही बातें न कहें जो उन्होंने उपाध्याय जी के खिलाफ कहीं कि मैंने यह एतराज वहां क्यों नहीं किया था। मैं यह नहीं कह सकता कि अगर मैं वहां रहकर आवाज भी उठाता तो उसका इस पर क्या असर पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपकी आज्ञा से मैं उन संशोधनों को बता देना चाहता हूं जो सरकार की ओर से आगरा यूनिर्वासिटी ऐक्ट में पेश किये गये हैं। उन संशोधनों की जो शब्दावली है उसकी मैं जांच करना चाहता हूं। ऊपरी रूप से देखा जाय तो यही मालूम होता है कि ये संशोधन मुख्य ऐक्ट की धाराओं के समान ही है। मुख्य ऐक्ट की धारा ६ को अमेंड करने का सुझाव सरकार की ओर से दिया गया है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाय तो यही मालूम होगा कि यह पुराने ऐक्ट के अनुसार ही है लेकिन अगर उसके शब्दों को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि धारा ६ की उपधारा (१) की तेरहवीं पंक्ति में चन्द शब्द जोड़ दिये गये हैं जो शब्द जोड़ दिये गये हैं वे इस प्रकार से हैं: (or the affiliated college) (as the case may be) और उसके बाद जोड़ा गया है" "or the college concerned"

उपधारा (२) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में "Senate and the Executive Council" के स्थान पर 'Executive Council or the Management of the college' रख दिया गया है।

तीसरी पंक्ति में यह जोड़ दिया गया है—"affiliated college (as the case may be)".

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

छठी लाइन में शब्द "Executive council or the Management of the college" यह शब्द 'Senate and the Executive council' के स्थान पर आये हैं।

सातवीं लाइन में शब्द "Advice" के स्थान पर शब्द "Require" का प्रयोग किया गया है। और आठवीं पंक्ति में यह जोड़ दिया गया है "or the college."

इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं सदन में उपस्थित चन्द सदस्यों के सामने इन सब बातों को विस्तारपूर्वक रख दूं। इसका कारण यह है कि त्रिपाठी जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है उसको पेश करने का यही तात्पर्य था कि वे सरकार की इस चेष्टा के विरुद्ध आवाज उठाना चाहते थे।

सरकार ने इस विधेयक द्वारा ऐफिलिएटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल डालने की चेष्टा की है। उसको त्रिपाठी जी बहुत हद तक अपने संशोधन द्वारा अनुचित और आपत्तिकारक समझते थे किन्तु चूंकि उनके संशोधन से यह स्पष्ट नहीं होता था इसलिये मैंने आपकी आज्ञा से अपना संशोधन उनके संशोधन के ऊपर पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार की ओर से जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन पेश किया गया है उसमें सबसे प्रथम आपत्ति यही है कि सरकार ने इस धारा द्वारा ऐफिलियेटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल डालने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि न मुझे और न किसी और व्यक्ति को ही इस धारा के संबंध में कोई आपत्ति हो सकती है आपत्ति केवल इसी बात से है कि सरकार ने यह उचित समझा है, दुर्भाग्यवश सरकार ने यह आवश्यक समझा है और मुझे इसके लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि सरकार स्वयं ऐफिलिएटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल दे। यह बात तो हम स्वीकार करते हैं, सरकार की ओर से इस बात की स्वीकृति सदैव पायी गयी है कि यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस यूनिट है। यानी इसका मतलब यह है कि उसकी भीतरी और अन्दर की कार्यवाहियों के संबंध में यूनिवर्सिटी को पूर्ण तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। यह सरकार की ओर से माना जा चुका है और जब हम आगरा यूनिवर्सिटी को आटोनोमस यूनिट मानते हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि आगरा यूनिवर्सिटी के मातहत जो ऐफिलिएटेड कालेजेज हैं वे भी उसी आटोनामस यूनिट के एक अंग हैं। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस ऐक्ट के द्वारा इस बात की चेष्टा करते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो सबार्डिनेट यानी ऐफिलिएटेड कालेजेज हैं उनकी दैनिक कार्यवाहियों में दखल देते हैं तो वे यूनिवर्सिटी को आटोनामस यूनिट मानते हुये भी इसके आटोनामस होने का उल्लंघन करते है और यह एक बहुत ही अनुचित कदम होगा।

यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कालेजेज की दैनिक कार्यवाहियों में दखल देने के बहुत से दुष्परिणाम होंगे और मैं यह चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो मैं देख सकता हूं, इस संबंध में जो मेरा अनुभव है अभी माननीय मंत्री महोदय से बहुत कम है और वह यह है कि जहाँ सरकार की ओर से संशोधन आया है उसका फल यह होगा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद ऐफिलियेटेड कालेजेज का उत्तरदायित्व दो दिशाओं में होगा। एक तो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ और दूसरी सरकार की तरफ। इस बात को मैं शायद ही समझता हूं और क्या इसको हमारे माननीय मंत्री महोदय इंकार कर सकते हैं। इसका जो दुष्परिणाम होगा उसका वर्णन करना आवश्यक नहीं है। इससे कंफ्यूजन और घपला मचेगा। केवल इतना ही नहीं किन्तु आज जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है इससे एक बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ऐफिलिएटेड कालेजेज के जो अध्यापक हैं, इन कालेजेज के जो विद्यार्थी हैं उनमें आज कल इस हद तक इनडिसिप्लीन बढ़ गयी है और इस विधेयक की इस धारा के कारण तो इनडिसिप्लीन और बढ़ेगी।

उसका कारण मैं यह बतलाता हूं कि अभी तक जो ऐफिलिएटेड कालेज के अध्यापक हैं वे समझते हैं कि अगर हमने कोई बुरा काम किया तो हमारे विरुद्ध कोई आपत्तिकारक बात हो जायगी तो उसके सामने केवल एक ही उपाय था और वह यह कि वह अथारिटीज के पास जाता। वहाँ अपनी बात सुनाता। यदि उसकी बात सही होती तो अवश्य यूनिवर्सिटी की अथारिटी उसकी बात सुनते और उसकी बात मानकर उसकी आपत्ति शायद दूर भी करते किन्तु अब क्या होगा ऐफेलियेटेड कालेज का अध्यापक शायद ही कभी अपनी शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी अथारिटीज के पास जायगा और यदि ले भी जाय और वहाँ असफल रहा तो उसके पश्चात् वह फौरन सरकार के पास अपना रोना ले कर आयेगा और यह संभव है कि सरकार यूनिवर्सिटी के फैसले के विरुद्ध किसी दूसरे ही नतीजे पर पहुंचे। जो कुछ भी हो यह अवश्य है कि यदि यह मौका किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है कि दो ट्रिब्यूनल में से किसी के पास जाय तो स्वाभाविक है कि जहाँ उसकी पहुंच होगी वहाँ वह जायगा।

मैं यह नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी अथारिटीज की तुलना में हमारी सरकार के पास ही अध्यापक अधिक पहुंचेंगे किन्तु इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी एक ऐफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है जिसके ऐफीलियेटेड कालेजेज की शाखायें सारे भारत भर में फैली हुई हैं और जब इसकी शाखायें इतनी दूर-दूर फैली हुई हैं तो यह भी निस्संदेह है कि हर एक शाखा के स्थान पर हमारे छोटे बड़े घरेलू नेता और बड़े नेता भी वहाँ होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे इन घरेलू नेताओं की पहुंच कहाँ है। मैं किसी के खिलाफ यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन एक दुष्परिणाम जो मेरे विचार में है वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं और मुझे यह एक डर की बात दिखती है कि अगर इस विधेयक को इसी रूप में पास किया जायगा तो सरकार के सामने ये अमुक घरेलू नेता आयेंगे और अमुक सिफारिशें करेंगे और केवल इतना ही नहीं चाहे वे शिकायतें वास्तविक हों, चाहे बनाई हुई हों और चाहे उनका कोई स्वार्थ उसमें निहित हो ऐसी शिकायतें लेकर हमारी सरकार के सामने वे पेश करेंगे और जब एक माना हुआ व्यक्ति सरकार के सामने एक शिकायत ले कर आये तो फिर सरकार के लिये जरूरी हो जायगा कि उसकी जाँच करायें चाहे बाद में उस जाँच का परिणाम उल्टा ही सिद्ध हो परन्तु जाँच कराना आवश्यक हो जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि हमारे मंत्री महोदय जिनके ऊपर इस प्रदेश भर की शिक्षा निर्भर है उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा।

साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दुष्परिणाम भी बताना चाहता हूं कि जब कि एक तरफ से यूनिवर्सिटी की अथारिटीज सीनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल इन ऐफिलियेटेड कालेजेज की देखभाल करती हैं तो वे अपने विचारानुसार आर्डर्स पास करती हैं। अब इस विधेयक के अनुसार सरकार को भी अधिकार होगा कि वह भी एफिलियेटेड कालेजेज़ के संबंध में जो उचित समझे आर्डर्स पास करे। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार कोई आर्डर्स पास करे। आपत्ति मुझे केवल इसी बात पर है कि सरकार इन एफीलियेटेड कालेजेज के संबंध में कोई आर्डर्स पास करे और अथारिटीज कोई आर्डर्स पास करें। यह सही है कि पिछले दिनों ऐसी परिस्थिति वहाँ रही जिसमें यह आवश्यक हो गया था कि सरकार बहुत हद तक उनके और उनके ऐफीलियेटेड कालेजेज के काम में दखल दें। मामला बहुत बिगड़ चुका था और इसकी मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक उचित समय में लाया गया है परन्तु जैसा कि उद्देश्य में कहा गया है यह प्रतीत नहीं होना चाहिये कि सरकार ने इस अवसर का एक अनुचित लाभ उठाकर इस विश्वविद्यालय को भी अपने हाथ में लेना चाहा है। इससे न सरकार का फायदा होगा, क्योंकि सरकार के पास विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग के पास अभी प्राइमरी और सेकेंड्री एजुकेशन की समस्या को हल करना शेष है। तो उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा कि वह अपने हाथ में विश्वविद्यालय के काम को ले लेंगे। केवल इतना ही रखें कि जो वहाँ पर बुराई हो उसको दूर करने का प्रयत्न करें और वहाँ की निगरानी करें और अगर कोई शिकायत हो तो वहाँ दखल डालकर उसको सुधारने का प्रयत्न करें।

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

मैंने बता दिया कि वहाँ पर इन्डिसिप्लिन का अन्देशा है अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह लोकल अटानामी का जो विषय है उसको आप एक कलम की लकीर से दूर नहीं कर सकते हैं। जनतंत्र राज्य में लोकल अटानामी को हर जगह, जगह दी जाती है। ऐसे युग में यह शोभा नहीं देता, और जो अपने को डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती हो उसके लिये यह उचित नहीं कि वह ऐसे कदम उठाये जिससे लोकल अटानामी के अधिकार में व्यर्थ की कोई चोट पहुंचे। जिस प्रकार से इस विधेयक में किया जा रहा है उससे यूनिवर्सिटी के लोकल अटानामी में बाधा डाली जा रही है और यह नितान्त अनुचित है। इस संबंध में मैं मूथम कमेटी की रिपोर्ट से कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं। हालाँकि इसके बारे में पहले बतलाया जा चुका है लेकिन आपकी आज्ञा से चन्द लाइनें पढ़ना चाहता हूं:—

"A high degree of autonomy is a fundamental need of a University if it is to perform its task properly. The claim to academic freedom rests on three grounds. (i) the necessity of freedom from any form of regimentation if creative thinking is not to be imperilled (ii) the best results in education and research will be obtained if they are left in the hands of those who know most about them (iii) the inherent right of associations in a free country to conduct their own affairs in their own way and develop according to the inner necessities of their own nature."

इससे अधिक लोकल अटानामी के संबंध में कहना अनावश्यक है।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन है यह बिलकुल आउट आफ आर्डर है। अगर यह स्वतंत्र रूप से रखा जाता तब तो यह इसका स्थान हो सकता था लेकिन खंड ३ में यह जिस प्रकार से रखा गया है वह असंगत है क्योंकि ऊपर के उप खंडों में यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है कि जाँच होगी। अगर उपखंड ३ में यह प्राविजो डाल दिया जाता है तो यह सारे उपखंड को कंट्रोल करेगा। जब एक बार एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया हो तो उसको यह बदल नहीं सकता है। यह जो प्राविजो बालेन्दुशाह जी बढ़ाना चाहते हैं अगर यह सारे खंड ६ को कंट्रोल करता तब तो ठीक हो सकता था क्योंकि उसके अन्दर एक जनरल सिद्धांत रखा गया है कि एफिलियेटेड कालेजेज के बारे में कोई इन्क्वायरी न हो जब तक कि सिनेट या एक्जीक्यूटिव कौंसिल उसको स्वीकार न करे। जब उप खंड (१) और (२) के सिद्धांत स्वीकार कर लिया गये हैं अब तब अगर यह इस उपखंड ३ को मान लिया जाता है तो यह असंगत हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा हो तो मैं उत्तर दे दूं हालाँकि मैं माननीय शिवनाथ काटजू की लीगल नालेज का सामना नहीं कर पाता किन्तु मुझे दुख है कि जब श्री राम नारायण त्रिपाठी ने अपना संशोधन पेश किया था उस समय उन्होंने कहा था कि उन का संशोधन वर्तमान उपधारा ३ के स्थान पर आये। पहली गलती उन की यह हुई। यदि माननीय शिवनाथ जी ध्यान से देखें तो यह केवल ३ ही उपधारा है और हमारा प्राविजो अंतिम उपधारा के अन्त में आ रहा है। अगर उन का मतलब यह है कि वह केवल अंतिम उपधारा को करेगा तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। वह टरमिनेट नहीं करता बाकी इन्टरप्रिटेशन की बाद दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संशोधन उपस्थित किया जा सकता है लेकिन जो संशोधन पहला है उस के साथ ही इसका स्थान हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बार-बार यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बिल के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता।

मैंने शुरू में ही यह बात स्पष्ट रूप से कह दी थी कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो घपला पिछले दिनों हुआ और वहाँ के ऐफीलियेटेड कालेजों में जो वातावरण पाया गया उसको निगाह में रखते हुये सरकार के सामने और कोई उपाय नहीं था सिवा इसके कि वहाँ की त्रुटियों को सख्ती के साथ दूर किया जाय लेकिन इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि इन त्रुटियों, गल्तियों और घपलों को दूर करने की चेष्टा में कोई और गलत कदम न उठाया जाय। जो विश्वविद्यालयों की लोकल अटानामी है उसको वह न छेड़ें, यदि वह इसमें दखल देंगे तो उसका कोई अन्त ही न होगा। एक तरफ तो हमारी सरकार सबको आश्वासन देती है कि वह अपने को काबिल बनावें और वह शनैः शनैः सबको लोकल अटानामी और पावर देना चाहती है लेकिन कहीं अगर किसी समय कोई बुराई पैदा हो गई तो वहाँ पर इस तरह से लोकल अटानामी को दूर करना और उसमें बाधा डालना अनुचित कदम होगा, इस पर मंत्री जी जरा विचार करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन के कारण और उद्देश्य में माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । परन्तु सरकार ने इस समय और भी गुप्त कारण पाया और समझा कि यूनिवर्सिटी पर भी अपना कब्जा कर लिया जाय। जब तक सरकार पावर में है सब माल उसी का है इसलिये उसको अपने ऊपर अधिक बोझ लेना मुनासिब नहीं है। उनको कार्यवाही करना आवश्यक है लेकिन दूसरों को अयोग्य ठहरा कर अपने हाथ में अटानामी का लेना मुनासिब न होगा। मुझे विश्वास है कि जो चर्चा आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में हुई है और जितने लोगों ने उसकी शिकायत की है सरकार के सामने और दूसरे स्थानों में उसको देखते हुये आवश्यक होगा कि सरकार अपनी ओर से केवल आगरा यूनिवर्सिटी और उसकी शाखाओं को सावधान करे और केवल इतने ही में संतुष्ट रहे कि अपने पास टैकिल करने के ही अधिकार रखे तो मेरे ख्याल में सरकार का कर्त्तव्य पूरा होगा और अन्त में जहाँ तक रिफार्म करने का सवाल है मैं जानता हूं कि यहाँ इस समय आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में रिफार्म करने की आवश्यकता हो गई है। मगर मैं नम्रतापूर्वक माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वे रिफार्म करने का बेड़ा बहुत दूर तक अपने हाथ में न लें जैसा कि कालरिज साहब ने कहा था —

"Every reform, however necessary will by weak minds be carried to an excess; that it itself will need reforming."

इसलिये शिक्षा मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि जहाँ तक आवश्यकता हो वहीं तक वे अपनी लाल कलम चलावें । उससे अधिक बढ़ना न उचित है और न उससे किसी को लाभ होगा । न शिक्षा का लाभ होगा और न उससे हमारे विश्वविद्यालय को लाभ होगा।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन त्रिपाठी जी ने हाउस के सामने प्रस्तुत किया है और उसी संशोधन में एक संशोधन हमारे शाह जी ने किया है मैं उन दोनों का विरोध करता हूं। जहाँ तक त्रिपाठी जी के संशोधन का संबंध है मुझे अधिक नहीं कहना है क्योंकि श्री काटजू ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। हमारे त्रिपाठी जी जो कुछ अपने इस संशोधन के अन्तर्गत चाहते हैं वह सब धारा ६ की (२) और (३) उपधाराओं में आ चुका है । जहाँ तक लोकल अटानामी का प्रश्न है हमारे शाह जी ने कुछ कोटेशंस मूथम इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट से दिये। आप जानते हैं कि यह विधेयक सरकार को क्यों लाना पड़ा यह ठीक है, हमें विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है लेकिन स्वतंत्रता की कोई सीमा हुआ करती है। अगर हमारे विश्वविद्यालयों में कुप्रबन्ध है, भ्रष्टाचार है तो वास्तव में सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपना कदम उठाये। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो वह सरकार नहीं कही जा सकती है। हम देखते हैं कि राधाकृष्णन कमीशन जो कि पिछले सालों सन् १९४७-४८ में बैठा उसमें जिन साक्षियों ने वहाँ आकर के अपनी गवाहियां दीं, उनसे पता चलता है कि वास्तव में लोकल आटानामी जो विश्वविद्यालय की है उसको सुरक्षित करना है लेकिन साथ ही साथ सरकार का कर्त्तव्य यह भी है कि अगर वहाँ कोई कुप्रबन्ध है तो सरकार उसको दूर करे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने, राधाकृष्णन कमीशन के सामने एक गवाही हुई थी, उसके कुछ शब्द पढ़ देना चाहता हूं —

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

"The Central Government should have power of interference. Even then Varsity will continue to enioy autonomy. Autonomy is good thing provided it caters to the larger interests of education and functions properly. If University is mismanaged, it is the right as well as the duty of Government to interfere in the larger interests of education and public."

तो जब हमारे विश्वविद्यालय की ऐसी शोचनीय हालत थी तो वहां पर सरकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है हालांकि जिस रूप में सरकार संशोधनों को पश करं रही है वह हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं तो इतना कह देने के लिए तैयार हूं कि जो संशोधन हमारे त्रिपाठी जी ने किया अगर उसमें ये शब्द होते जैसा कि उन्होंने कहा है--

"Where the Executive Concil or the Management of the College does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government."

इसके बाद अगर हमारे त्रिपाठी जी का यह संशोधन होता --

"It shall take steps against the institution as it thinks proper under the circumstances of the case."

अगर ये शब्द होते तो एक नयी बात होती और मैं भी उनके संशोधन का समर्थन करने के लिये तैयार होता। लेकिन जो आप चाहते हैं, जैसा कि अभी कहा जा चुका है उपधारा (२) और (३) में वह पहले ही आ चुका है। जहां तक लोकल आटोनामी का प्रश्न है हमको उसे सुरक्षित रखना है. लेकिन साथ ही साथ हमको यह ध्यान देना है कि जब हमारी सरकार विश्वविद्यालयों के ऊपर काफी रुपया खर्च करती है अगर वहां कुप्रबन्ध है, भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध को कभी सहन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अगर सरकार वहां हस्तक्षेप भी करती है तो मैं समझता हूं कि वह एटानामी को सुरक्षित रखने और विश्वविद्यालय के हित में है। इन शब्दों के साथ जो मुख्य संशोधन और उसके अन्तर्गत संशोधन बालेन्दुशाह द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालेन्दुशाह के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह परमावश्यक है कि किसी भी ऐफिलिएटेड कालेज के आटोनामस होने में जो उसके अधिकार हैं वे सुरक्षित रखें जायं, कारण यह है कि अगर किसी भी ऐफिलिएटेड कालेज की आटोनामी ली जाती है तो उसका अभिप्राय यह होता है कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट दोनों की हुकूमतों में उस कालेज को रहना पड़ता है और उससे एक तरह से मिसमैनेजमेंट होता है आपकी आज्ञा से मैं बालेन्दुशाह जी के संशोधन को सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं, जिससे माननीय सदस्यों को उसका पूर्ण ज्ञान हो जाय--

"Provided that the State Government shall have the right to institute a direct governmental enquiry or to directly issue directions to any affiliated college, only if the Senate and the Executive Council fail within a resonable time to take action to the satisfaction of the State Government."

श्रीमन्, इस संशोधन का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट है और उसके यह माने हैं कि गवर्नमेंट सीधे किसी भी ऐफिलिएटेड कालेज के खिलाफ कोई जांच न करायें

जब तक कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल और सिनेट उस चीज़ को जो गवर्नमेंट चाहती हो करने में असमर्थ न हों । श्रीमन्, जो सरकार की इच्छाएं हों और जो सरकार ऐफिलिएटेड कालेजों में सुधार चाहती हो, उसको एक्जिक्यूटिव कौंसिल और युनिवर्सिटी सिनेट के द्वारा कराया जा सकता है । अगर किसी ऐफिलिएटेड कालेज की शिकायत सरकार तक पहुंची हो और वह दूर कर दी जाय तो मैं नहीं समझता कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है । श्रीमन् इसमें एक यह बात हो सकती है कि सरकार के कुछ आदेश हों और यूनीवर्सिटी के कुछ आदेश हों और इस प्रकार इस डुएल सिस्टम से विद्यार्थियों में इंडिसिप्लिन पैदा हो और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर जाय।

मैंने कुछ वैधानिक आपत्तियां भी सुनीं । माननीय काटजू महोदय ने माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई कि यह बातें प्रिंसिपल ऐक्ट में नहीं थीं बल्कि अमेंडिंग ऐक्ट में विद्यमान हैं । श्रीमन्, यदि इसको वे ग़ौर से समझते तो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का जो अभिप्राय है वह स्पष्ट हो जाता है और यह ऐसा स्पष्टीकरण है कि और भी जो त्रुटियां इसमें हैं वे साफ हो जाती हैं और इसके पढ़ने के बाद शायद उनको कोई शिकायत बाकी न रहे। श्रीमन्, जब सरकार एक जगह यह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार करती है कि ऐफिलिएटेड कालेजेज अटोनामस बाडी ह, तो फिर सरकार दूसरी जगह उनके अधिकारों को क्यों अपहरण करना चाहती है। यह सर्वथा अनुचित है। या तो आप उनको पूरे अधिकार दीजिये या आप यह कर दीजिये कि ऐफिलिएटेड कालेजेज़ सीधे आपके नीचे हैं। यदि आप उनको अटोनामस बाडी मानते हैं तो यूनिवर्सिटी के सिनेट और एक्जिक्युटिव कौंसिल के अधिकार क्षेत्र में इस बात के रहने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है कि यह मसला उनके सुपुर्द कर दिया जाय। यदि सिनेट और एक्जिक्यूटिव कौंसिल उन खामियों को दूर करने में समर्थ हों तो फिर इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि सरकार कोई डिपार्टमेंटल इनक्वायरी इंस्टिट्यूट कराये जिससे बहुत सी दिक्कतें पैदा हों । इसमें एक भ्रम हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का स्तर नीचे गिर जायगा। इसलिये सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। श्रीमन्, उनके आटोनामस बाडी होते हुये भी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा परन्तु वह हस्तक्षेप एक सीमा के अन्दर होना चाहिये। अगर आप सुधार के रूप में कोई चीज़ किसी यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं उसको आप करा सकते हैं। इसके लिये कोई आपत्ति या कठिनाई नहीं है । परन्तु उन अधिकारों को जिनको कि एक मर्तबा स्वीकार किया गया है, उन्हें आप नहीं छीन सकते हैं। किसी भी विशेषज्ञ या किसी भी कमीशन की बल्कि दूसरे देशों में भी किसी की यह राय नहीं हो सकती है कि यूनिवर्सिटी जो है वह इस तरह से सरकार के नीचे रखी जाय ताकि सरकार की जो नीति हो उसका यूनिवर्सिटियां पालन करें और सरकार जो भी चाहे वही करे। तो श्रीमन्, यह तो कोई मानी नहीं रखता। यह मैं मानता हूं कि जब गल्तियां हों या त्रुटियां हों तब आप कदम उठायें। अगर सिनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन खराबियों को मानने के लिये और दूर करने के लिये तैयार न हों या इसके अलावा भी अगर कोई बाधा उनको दूर करने में पड़ती हो या रास्ते में आती हो, उस वक्त के लिये श्रीमन्, अधिकार आपके पास है। परन्तु आप उनका इस प्रकार से दुरुपयोग न करें जिसमें कि शिक्षा का स्तर नीचे गिर जाय और ऐफिलियेटेड कालेजेज़ बिल्कुल आपके मातहत हो जायं । यह कोई मानी नहीं रखता और न इससे लोगों को या देश को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है।

इन सबको देखते हुये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय। यह संशोधन बिल्कुल निर्दोष है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । सरकार जो अधिकार चाहती है वह संरक्षित है और भविष्य में भी संरक्षित रहेगा परन्तु जो कालेज ऐफिलियेटेड होना चाहते हैं उनको नष्ट-भ्रष्ट न करें ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी का जो अमेंडमेंट है और उसके ऊपर जो माननीय बालेन्दुशाह जी का अमेडमेंट है उन दोनों के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

मैं आज उनको यह बता देना चाहता हूं कि न तो सरकार ने कोई अनुचित कदम उठाया और न तो सरकार ने आटोनामी में कोई दखल दिया। यूनिर्वासिटी के जितने अधिकारी हैं वे सब ज्यों क त्यों मौजूद हैं। इस संशोधन की जो धारा ६ है मैं उसकी एक-एक लाइन इस हाउस के सामने पढ़ कर एक्सप्लन करना चाहता हूं कि सरकार ने कोई दखल नहीं दिया है बल्कि श्री त्रिपाठी जी ने जो रखा है वह केवल रोड़ा अटकाने के लिये है। अगर वाकई हमको इन्टरफियरेन्स करना होता और बोर्ड को अपने हाथ में लेना होता तो हमारे पास अधिकार है और हम डाइरेक्ट गवर्नर से आर्डर करा देते और यूनीर्वासिटी हमारे हाथ में आ जाती मगर हम तो पब्लिक ओपीनियन किल नहीं करना चाहते हैं। we are running a democratic Govt. [हम प्रजातन्त्र सरकार चला रहे हैं।] हम डुएल गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं जैसा कि यहां अभी कहा गया लेकिन डुएल गवर्नमेंट में लोग चल रहे हैं। हम तो सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि पब्लिक ओपीनियन किल की जाय और पब्लिक हरैस की जाय, और टीचर्स हरैस किये जायं या मेम्बर हरैस किये जायं। अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है कि वह उसे ठीक करे ताकि किसी भी यूनिर्वासिटी में या ऐफिलियेटेड कालेज्ज में ऐसी गड़बड़ियां न होने पायें। गवर्नमेंट कोई बेजा दखल नहीं करना चाहती है बल्कि वह सिर्फ जरा सुधारना चाहती है। म ईमानदारी से कहता हूं कि अध्यापक समाज स्वयं चाहता है कि गवर्नमेंट सारे इंस्टीटयूट को अपने अधिकार में ले ले। वे कहते हैं कि नेशलाइजेशन कर दिया जाय। अगर इसके पक्ष में बाहर के और भीतर के सभी लोगों की राय ली जाय तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि सेंट परसेंट वोट इसी पक्ष में होंगे कि गवर्नमेंट सारी शिक्षा संस्थाओं के अधिकारों को अपने हाथ में ले ले। इसमें कहीं अन्तर नहीं है। इसमें साफ दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं--

"The State Government shall have the right to cause inspection by such person or persons as it may direct."

तो इसमें यह है कि जैसा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं ले रही है।

"The University or the College concerned shall be entitled to appoint a representative."

यहां पर भी यूनीर्वासिटी या कालेज कनसर्नड को अधिकार दिया गया है, सरकार ने अधिकार नहीं लिया है। मैं श्री त्रिपाठी जी और महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी से कहना चहता हूं कि वह आंखें खोल कर देखें कि इसमें क्या-क्या लिखा है। उसके अर्थ समझें, डिक्शनरी खोल कर देखें, उसके भाव को समझें। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता है। मैदान में उतरिये, बैक डोर से इन होने की जरूरत नहीं है। जो बात सुन्दर होगी उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन जो बात ग़लत होगी उसमें हम आपके साथ हर्गिज नहीं होंगे। आपकी जो डिमांड है वह दूसरी धारा में मौजूद है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, हालांकि श्री शिवनारायण जी सरकारी बेंचेज पर बैठे हैं और सफेद टोपी पहनते हैं लेकिन वह जो "हम" शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को किस शब्द पर आपत्ति है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—"हम" शब्द पर आपत्ति है।

श्री शिवनारायण—श्रीमान्, इससे मेरा मतलब हमारी सरकार से है। मैं गवर्नमेंट का मेम्बर हूं और आन बिहाफ आफ गवर्नमेंट बोल रहा हूं। हमारी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। हम कहीं पर दखल नहीं दे रहे हैं यहां पर रिफार्म शब्द कहा गया है। शनैः शनैः हम रिफार्म कर रहे हैं जैसा कि आपने कोटेशन दिया है। अगर हम अलीगढ़, इलाहाबाद और बनारस वगैरा में सब जगह एक साथ कर देते तो गड़बड़ी हो सकती थी। इसलिये मैं विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वह बहुत ही सोच समझ कर किया है। मुझे दुःख है कि राजा साहब प्रवर कमेटी में तो मौजूद नहीं थे और यहां पर वह शिकायत करते हैं। ऐसे मेम्बरों को क्यों रखते हैं जो अटेंड भी नहीं करते। जहां पहुंचना था वहां तो गये नहीं और अब कहते हैं कि यह गड़बड़ी वह गड़बड़ी है। अगर आपको फिक्र होती तो आप वहां होते।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, CONFIDENTIAL DEPARTMENT. No. E-2684(3) XXV/CX-

Dated Lucknow, August 26, 1953.

Notice under section 7 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act IV of 1950), as amended from time to time.

Whereas, by virtue of Order No. E-2684 (1) XXV/CX, dated August 26, 1953, you Ishtiaq Abdi son of Syed Faqir Hussain, resident of village Deogaon, P. S. Deogaon, district Azamgarh, have bee detained under sub-clause (ii) of clause (*a*) of sub-section (1) of section 3 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act IV of 1950), as amended from time to time.

2. Now, therefore, in pursuance of section 7 of the said Act, the Governor of Uttar Pradesh, is pleased to direct that you be informed that the grounds of your detention are that for sometime you have been trying to foment agrarian trouble in the rural areas of Azamgarh District. In furtherance of your objective you have been inciting the kisans to start a mass movement with effect from August 15, 1953, which you have been characterising as 'Satyagraha', for taking forcible possession of the fields of lawful owners, in contravention of the judicial decisions of competent authority under Act XXXI of 1952, thereby trying to create a spirit of lawlessness all round. This is borne out by your activities detailed below:

(*a*) On July 27, 1953, at about 10 A.M. you along with Jai Bahadur Singh, Ramanand Vaish, Bambahadur Singh, Sachitanand, Tika Singh, Bachchey Lal Shastri and Dasrath Rai, held a private meeting in a boat on the river Sarju in P. S. Dohrighat at which it was decided that those kisans who had moved applications under Act XXXI of 1952, should be instigated to the extent so that they might take forcible possession of the fields of other persons in contrevention of the decisions of Assistant Collectors and that the kisans should be given support in an organised manner in that connection.

(*b*) In a public meeting which was held on August 9, 1953, as P. S. Ghosi, you gave a speech calculated to create disaffection among the public against the local police by levelling false unfounded charges particularly of bribery against them. At this meeting you also incited the audience to join the so called 'Satyagraha' movement for taking illegal possession of the fields of other persons.

(*c*) In the night of August 9/10, 1953 between 10 P.M. to 12 P.M. you attended a secret meeting in the Communist Party Office at Nohammadabad. The meeting was also attended by Ram Lakshan Singh, Najmul Hasan, Ramanad, Ramdeo, and Bachchey Lal Shastri and it was decided there at that the Patwari records which are kept in the Tahsil should somehow be set on fire so that the kisans may easily take possession of the fields of ex-zamindars.

3. The so-called 'Satyagraha' movement for defiance of law and order, which you have been directing, actually resulted in acts of violence as will be evident from the following incidents.

(*a*) On August 15, 1953, a group of about 50 persons most of whom were armed with *lathis* though fitted with flags, led by Bachchey Lal Shastri after holding a meeting at Nadwa Sarai, P. S. Ghosi, inspite of the assembly having been declared unlawful by the competent authority proceeded to take forcible possession of plot No. 253/255 of village Nadva Sarai belonging to Must. Soghra Bibi and on remonstrance by the servants of the lawful owner of the pot, the so-called 'Satyagrahis' became violent and used force resulting in injuries to some persons. At this the police which had been posted there intervened and 23 rioters were arrested with their *lathis* on the spot.

(*b*) Again on August 16, 1953, organised groups of persons armed with *lathis* tried to assemble at Naowa Sarai to take forcible possession of other persons' fields. They had to be dispersed by the P.A.C. posted there to maintain law and order. Few persons were arrested on the spot, while others ran way.

(*c*) The papers recovered from your possession at the time of your arrest in Dohrighat Circle included the programme of the so-called 'Satyagraha' movement from August 16 to 27, 1953, in Azamgarh District, which further confirmed that you had a direct hand in the organisation of this illegal and violent movement.

4. These activities on your part are prejudicial to the maintenance of public order and there is reasonable apprehension of a continuance of these activities by you. With a view, therefore, to prevent you from continuing this course of action, it has been considered necessary to detain you.

5. Also, in pursuance of the provisions of the said section of the said Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that you be further informed that you have a right to make a representation against the order under which you are detained. If you wish to make a representation you should address it to the Home Secrtety to the State Government through the District Magistrate, Azamgarh.

Your case will be submitted to the Advisory Board constituted under the said Act within thirty days of the date of your detention and your representation if received after this period may not be considered by the said Board.

6. Also, in pursuance of the provisions of section 10 of the said Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to direct that you be further informed thatyou have a right of personal hearing before the said Advisory Board If you desire to be heard in person by the said Board, you should specifically say so in your representation.

(1) Sd. S. N. MEHROTRA,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

जिला बदायूं

मार्च ५३ तक की कार्य प्रगति

पत्र-संख्या १

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	लम्बाई	मिट्टी भराई	पुल तथा पुलिया	सोलिंग कोट एकत्री-करण	सोलिंग कोट पुष्टी-करण	इन्टर कोट एकत्री-करण	इन्टर कोट पुष्टी-करण	टाप कोट एकत्री-करण	टाप कोट पुष्टी-करण	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	नई पक्की सड़कें										
१	मुरादाबाद—चन्दौसी—बदायूं ..	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	एक लेबिल क्रासिंग के अतिरिक्त सब कार्य समाप्त हो गया।
२	डिबई—चन्दौसी (राजघाट में डेकिंग के अतिरिक्त) ..	१२	१२	५+५	५	५	५	५	५	४—६	
	जिला बोर्ड की पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण										
१	बदायूं—सहसवां ..	१८	..	..	..	..	१८	१८	..	..	इन सड़कों पर कार्य समाप्त हो गया।
२	बदायूं—क़ादिर चौक	११	..	..	..	..	११	११	..	..	
३	बदायूं—दातागंज	१७	..	..	..	..	१७	१७	..	..	
४	मुरादाबाद—चन्दौसी—बदायूं ..	२७	..	..	..	..	२७	२७	..	..	

क्रम-संख्या	कार्य-विवरण	लम्बाई	मिट्टी भराई	पुल तथा पुलिया	सोलिंग कोट एकत्रीकरण	सोलिंग कोट पुष्टीकरण	इन्टर कोट एकत्रीकरण	इन्टर कोट पुष्टीकरण	टाप कोट एकत्रीकरण	टाप कोट पुष्टीकरण	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	कच्ची सड़कें										
१.	बिसौली—इसलामनगर ..	१६	१५	१+११	..	..	..	..	..	..	यह सब सड़कें जिला बोर्ड, बदायूं को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
२.	इसलामनगर—सम्भल ..	२	२	—	..	..	..	..	..	..	
३.	इसलामनगर—सुल्तानपुर ..	६	—	०+४	..	..	..	..	..	..	
४.	सईदपुर करेंगी ..	८	८	०+४	..	..	..	..	..	..	
५.	गवन—बहरैला ..	१२	१२	२+६	..	..	..	..	..	..	
६.	सहसवां—गन्नौर ..	२२	२२	३+११	..	..	..	..	..	..	
७.	सहसवां—नधा ..	९	९	०+६	..	..	..	..	..	..	
८.	बिलसी बिसौली ..	६	६	१+५	..	..	..	..	..	..	
९.	उझैनी—जलालपुर ..	६	६	०+१	..	..	..	..	..	..	
१०.	अलापुर—ककरैला ..	४	३	०+२	..	..	..	..	..	..	
११.	उसवां—अलापुर बदायूं ..	१९	१९	२+१५	..	..	..	..	..	..	
१२.	चित्री—दातागंज ..	९	९	०+५	..	..	..	..	..	..	
१३.	दातागंज—सादुल्लागंज ..	८	८	०+५	..	..	..	..	..	..	
१४.	बिनासवर—बिलहट ..	४	४	०+४	..	..	..	..	..	..	
१५.	वजीरगंज से जिले की सीमा तक	४	४	०+४	..	..	..	..	..	..	
	रेलवे के पुलों की डेकिंग										
१.	कछलाघाट पर पूर्वोत्तर रेलवे के गंगा के पुल की डेकिंग	यह कार्य रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है।									

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९६ पर)

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

१८९८ की ऐक्ट संख्या ५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ को, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित करने का

विधेयक

१८९८ को संख्या ऐक्ट ५

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहाँ पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ को, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१८९८ को ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४९७ का संशोधन

२—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (जिसे यहाँ पर आगे चल कर 'कोड' कहा गया है) की धारा ४९७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"When bail may be taken in case of non-bailable offence.

497 (1). When any Person accused of any non-bailable offence is arrested or detaimed without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a Court, he may be released on bail, but he shall not be so released if he is accused often offence punishable with death or transportation for life and there appear sufficient grounds for inquiring into his guilt or for his trial ;

Provided that the Court may direct that any person under the age of sixteen years or any woman or any sick or infirm person accused of such an offence be released on bail."

१८९८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४९८ का संशोधन

३—कोड की धारा ४९८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"Power to direct admission to bailor reduction of bail

498. The amount of every bond executed under this Chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case, and shall not be excessive ; and the High Court or the Court of Session may ,in any case, whether there be an appeal on conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced, but it shall not so direct if he is accused or convicted of a non-bailable offence punishable with death or

transportation for life and there appear sufficient grounds for inquiring into his guilt or, as the case may be, his trial:

Provided that the Court may direct that any person under the age of sixteen years or any woman or any sick or infirm person accused of such an offence, be admitted to bail.

Explanation—In this section appeal and revision against conviction shall be deemed to be continuation of trial."

उद्देश्य और कारण

ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें घृणित अपराध करने वाले व्यक्तियों ने जमानत पर होते हुए भी फिर गम्भीर अपराध किये हैं और अपने मूल अपराधों से सम्बद्ध साक्ष्य में हस्तारोप करने का प्रयत्न किया है। इससे अपराध पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। गम्भीर अपराध करने वाले अभियुक्तों की यानी उन उपराधों के अभियुक्तों की, जिनका दण्ड मृत्यु अथवा कालापानी है, यदि उनके दोष के विषय में जांच करने अथवा अपराध की सुनवाई करने के लिये पर्याप्त कारण हों, जमानत नहीं होनी चाहिये। इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ४९७ और ४९८ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधित किया जाय। अतएव यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० ए० पी० १०१ एल० ए०—१९२४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५९)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खाँ, श्री
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहन निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्दमो हिले उपनाम छुन्नगुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह श्री

गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेज सिंहा, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक़, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसादसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख्फ़ी शेरवानी, श्रीमती

संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बलिया ज़िले में मनियर टाउन एरिया के अस्पताल की सुव्यवस्था

*१—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के मनियर टाउन एरिया का अस्पताल अर्थाभाव के कारण सुव्यवस्थित नहीं है ?

*२—क्या सरकार को मालूम है कि मनियर क्षेत्र, जिला बलिया के करीब पचास हजार व्यक्तियों की दवा तथा इलाज के वास्ते मनियर टाउन एरिया का अस्पताल ही है ?

*३—क्या सरकार इस अस्पताल की इमारत के लिये तथा इसे दवा इलाज के सामानों से सुसज्जित करने के लिये उचित अनुदान देने की कृपा करेगी ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जिस योजना में मनियर टाउनएरिया का अस्पताल है उसके अनुसार चिकित्सक को ५० रुपये माहवार सबसिडी मिलती है और अस्पताल के लिये ११४० रुपये साल (जिसमें १८० रुपये दवाओं के लिये है) निर्धारित है। "सबसिडी" की पूरी रकम सरकार देती है और अन्य खर्चा आधा आधा बोर्ड और सरकार द्वारा दिया जाता है। किसी अतिरिक्त अनुदान की प्रार्थना आने पर उस पर विचार होगा।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस अस्पताल से कितने मरीज सालाना लाभ उठाते हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार इस अस्पताल के लिये एक पूरी तनख्वाह पर डाक्टर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

एपिडेमिक असिस्टेंटों की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण के नियम

*४---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायगी कि प्रवेश में कितने Epidemic Assistants आज कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---प्रदेश में १७७ एपिडेमिक असिस्टेंट आजकल कार्य कर रहे हैं।

*५---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि उनके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किये जाने का क्या नियम है ?

श्री बनारसी दास---साधारणतः उनका स्थानान्तरण किसी स्थान पर व्यापक रूप से किसी संक्रामक रोग के प्रकोप पर अथवा विशेष मेलों में कार्य करने के हेतु किया जाता है। प्रकोप के उपशम होने पर या मेलों के अन्त होने पर वे पुनः अपनी अपनी नियुक्ति के स्थानों पर वापिस कर दिये जाते हैं।

पानी कल बनारस के निकाले गये कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र

*६---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पानी कल बनारस के ६५ निकाले गये मजदूरों की ओर से जो दरख्वास्तें श्रम मंत्री की सेवा में सितम्बर, १९५२ में आई थीं, उनके विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---सरकार के पास ४६ ऐसे कर्मचारियों की दरख्वास्तें, उनके निकाले जाने के चार वर्ष बाद अक्तूबर, १९५२ में आई थीं। उनमें प्रार्थना की गई थी कि उनको फिर से काम पर नियुक्त किया जाय अथवा उनका मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल (Industrial Tribunal) के सामने औद्योगिक विवाद कानून (Industrial Disputes Act, 1947) के अनुसार कार्यवाही के लिये रक्खा जाये। उनके स्थानों पर नये कर्मचारियों को स्थायी रूप से रख लिया गया था। नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के ऐसे मामले औद्योगिक ट्रिब्यूनल (Industrial Tribunal) के सामने नहीं जाते। अतएव उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पानी कल बनारस के कर्मचारी क्यों निकाले गये थे ?

श्री मोहन लाल गौतम---इल्लीगल स्ट्राइक करने के लिये।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उद्योग विभाग के कानून में कुछ परिवर्तन करने वाले हैं जिससे पालिका, टाउन एरिया और कारपोरेशन्स कर्मचारियों को औद्योगिक कानून में अपील करने का अधिकार हो सके ?

श्री मोहन लाल गौतम---लोकल बाडीज के कर्मचारियों के मामले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जाते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार लोकल बाडीज के झगड़ों को मिटाने के लिये कोई कानून बनाने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अभी तो ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

नोट---तारांकित प्रश्न ४-६ श्री रामसुन्दर पांडे ने पूछे।

आयुर्वेदिक राजकीय औषधालयों के लिये ग्रामों में भवन की असुविधा

*७—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आयुर्वेदिक राजकीय औषधालयों के लिये ग्रामों में समुचित भवन की सुविधा नहीं है ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ।

*८—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार इन औषधालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिये राजकीय प्राइमरी पाठशाला की भांति आधा व्यय भार स्वयं और आधा जनता से सहायता लेकर भवन निर्माण पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस आर्थिक संकट के समय इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सका औषधालयों के लिये छोटे-छोटे भवनों की जरूरत है और जनता को स्वयं ही उन्हें निर्माण करना चाहिये।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार इन भवनों के निर्माण में मैटीरियल, जैसे कोयला, लोहा आदि की सहायता दे सकती है ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ। जहाँ पर भवन निर्माण के लिये इस प्रकार की माँग की जायगी अवश्य इस प्रकार की चीजों के लिये सरकार सहायता देगी।

जन-संख्या के अनुपात से राजकीय औषधालय खोलने की योजना

*९—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामों में राजकीय औषधालय के खोलने का आधार योजना में जनसंख्या के अनुपात से है या दूरी के अनुपात से है ?

श्री बनारसी दास—ग्रामों में चिकित्सालय स्थापित किये जाते समय जन-संख्या और दूरी दोनों पर विचार किया जाता है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितनी जनसंख्या पर। एक अस्पताल खोलने का नियम है और कितनी दूरी पर ?

श्री बनारसी दास—प्रायः ५ मील की दूरी का ध्यान रखा जाता है और ५ मील दूरी के अन्तर्गत जितने भी गाँव आते हैं उनकी आबादी को देखकर निश्चय किया जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ भवन आदि मिलने की सुविधा है। ग्रामवासियों की ओर से या तो बिला किराये के भवन मिलने की या अपनी तरफ से भवन निर्माण करने की सुविधा है, इसका भी ख्याल किया जाता है।

जिला अल्मोड़ा में जैनोला रामगंगा के पुल की मरम्मत

*१०—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के इलकापाली पट्टी नया में जैनोला राम गंगा का पुल जो गंगा की बाढ़ से खराब हो गया था, दो साल से बे मरम्मत पड़ा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस पुल की साधारण मरम्मत जिला बोर्ड द्वारा कराई जा चुकी है।

*११—श्री खुशी राम—क्या सरकार इस पुल की मरम्मत यथाशीघ्र करा देने का विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—जो मरम्मत जिला बोर्ड ने करा दी है उसके अतिरिक्त कोई सुधार कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री खुशीराम—क्या मान्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल की मरम्मत कब की गई?

श्री मोहनलाल गौतम—यह पुल सन् १९५१ में खराब हुआ था और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उसकी मरम्मत कराई।

बस्ती जिले में चोरी से गल्ला बाहर भेजने का केस

*१२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बस्ती जिले में गत अगस्त, सन् ५२ में या उसके लगभग ४ गाड़ी गल्ला ए० पी० स्कीम का जो चोरबाजारी से बाहर भेजा जा रहा था तहसील हरैया के नायबतहसीलदार द्वारा पकड़ा गया था?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी हां, ९ बोरा ज्वार और ७ बोरा जव तहसीलदार हरैइया ने हरैया से बिक्रमजोत जाते हुये २३ अगस्त, १९५२ को पकड़े थे। यह गल्ला ए० पी० स्कीम का जान पड़ता था और इसे ब्लैक मार्केट में बेचे जाने का संदेह था।

*१३—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जांच हुई? यदि हां, तो उस जांच का क्या फल निकला?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, पुलिस द्वारा जांच कराने के पश्चात् मामला न्यायालय को भेज दिया गया परन्तु अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राजाराम शर्मा—मामला न्यायालय में किस तारीख और किस महीने में भेजा गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—पुलिस की तहकीकात के बाद यह मामला अदालत में भेजा गया था।

श्री राजा राम शर्मा—मेरा प्रश्न था कि किस तारीख और किस माह में वह केस अदालत में भेजा गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—तारीख की सूचना मैं इस समय नहीं दे सकता, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको यह सूचना दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—नोटिस मांग लिया कीजिये।

बस्ती जिला बोर्ड को वापस की हुई सड़कें

*१४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की जो सड़कें बोर्ड को वापस हुई हैं उनमें से किन किन सड़कों को कितनी कितनी सहायता १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में बस्ती जिला बोर्ड को मिली हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—जिला बोर्ड, बस्ती को वापस की गई समस्त कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिये सन् १९५२-५३ ई० के वित्तीय वर्ष में १९,००० रुपये का अनुदान सरकार ने स्वीकृत किया था। प्रत्येक सड़क के लिये अलग अलग अनुदान नहीं दिया गया।

श्री राजाराम शर्मा--कितनी सड़कें जिला बोर्ड को वापिस की गयी हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है ?

श्री मोहन लाल गौतम--कुल १५ सड़कें वापिस की गयी हैं और उनकी लंबाई ९७ मील है।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बोर्ड को वापिस की गयी हैं उनके रख-रखाव के लिये यह रुपया दिया गया है या कि उनके मैटलिंग के लिये ?

श्री मोहन लाल गौतम--सिर्फ उनके रख-रखाव के लिये।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बोर्ड को वापिस की गयी हैं क्या उनमें कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो बिलकुल कच्ची हैं और जिन पर मिट्टी भी नहीं पड़ी है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो कच्ची सड़कों का ही सवाल है ?

सन् १९५१ और १९५२ में कबाल टाउन्स में कोयला चूर तथा सीमेंट का वितरण

*१५--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न Cabal Town में कितना-कितना सन् १९५१ और सन् १९५२ में कोलडस्ट दिया गया ?

श्री बनारसी दास--सन् १९५१ और १९५२ में कबाल टाउन्स को जितना जितना कोयला चूर दिया गया उसकी एक सूची मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९१ पर।)

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह अलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है ?

श्री बनारसी दास--इसका आधार यही रहा है कि वहां की पहली आवश्यकताओं और जिले तथा शहर की आबादी के हिसाब से कोटे का अलाटमेंट किया जाता है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरे का कम कोटा नियत किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास--आगरे के कोटे में कोई विशेष रूप से कमी नहीं हुई है। वहां पहले सालों के अन्दर जो आबादी थी और उन दिनों में उसकी जितनी जरूरियात थीं उन्हीं आधारों पर वहां का कोटा नियत किया गया है।

*१६--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या अन्नमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न Cabal Towns में सन् १९५१ और सन् १९५२ में कितना सीमेंट दिया गया ?

श्री बनारसी दास--१९५१ और १९५२ में कबाल जिलों को कितना सीमेंट दिया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है--इन जिलों में ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों के बटवारे के पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

साल	सेन्टर	प्राप्ति			
१६५१	कानपुर	१४६२०	टन		
	इलाहाबाद	८०४४	,,		
	बनारस	१२०२१	,,		
	आगरा	६२५१	,,		
	लखनऊ	६७३४	,,	१२	हंडरवेट
१६५२	कानपुर	१८२८२	,,		
	इलाहाबाद	१०४६५	,,		
	बनारस	१००६१	,,		
	आगरा	७०६५	,,	१४	,,
	लखनऊ	६६१२	,,	१५	,,

श्री देवकी नन्दन विभव--प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से आगरे की जनसंख्या का नम्बर तीसरा आता है लेकिन सीमेंट के एलाटमेंट में जो उसे सबसे कम दिया जाता है क्या उसका कोई विशेष कारण है ?

श्री बनारसी दास--इसके अलावा जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं उनका कोटा इसके अन्दर शामिल नहीं है और वहां पर निर्माण के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अलग कोटा दिया जाता है जिसका विवरण इस वक्त मेरे पास नहीं है। और इस वक्त सीमेंट का एलाटमेंट जो है वह वहां की जितनी पहले आवश्यकता थी उसी के आधार पर निश्चित किया गया है।

नैपाल से प्राप्त चावल का बीज

*१७--**श्री देवकी नन्दन विभव**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १६५२ में चावल के बीज नैपाल से मंगाये गये। यदि हां, तो किस कीमत पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां। सन् १६५२ में जो चावल के बीज नैपाल से खरीदे गये थे उनकी कीमत धान के ग्रेड के अनुसार दी गई थी जो इस प्रकार थी :--

धान ग्रेड २	१८ रु० प्रति मन
धान ग्रेड ३	१६ रु० प्रति मन
धान ग्रेड ४	१३ रु० ८ आने प्रति मन

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि नैपाल से ये जो बीज आये उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--नैपाल से जो बीज आये उसका अच्छा परिणाम रहा। उसके खिलाफ कोई शिकायत सरकार के पास नहीं पहुंची।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये चावल के बीज कहां कहां बोये गये हैं जो नैपाल से आये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जिन-जिन जिलों ने मांग की उन-उन जिलों को ये चावल के बीज दिये गये।

ईंट पकाने के लिये जौनपुर जिले में कोयले का वितरण

*१८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जौनपुर जिले में १९५२-५३ में कितने वैगन कोयला ईंट पकाने के लिये दिया गया?

श्री बनारसी दास—२२५ वैगन।

*१९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक वर्ष कितना कोयला जौनपुर शहर और कितना गांवों के हिस्से में पड़ता है?

श्री बनारसी दास—शहर और गांव के बीच जिले के कोयले के कोटे का निर्धारित बंटवारा नहीं है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि २२५ वैगन कोयला सरकार और आम जनता को दिये गये या केवल आम जनता को?

श्री बनारसी दास—यह सार्वजनिक कोटा है, इसके अन्दर सरकारी कार्यों का कोटा शामिल नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या जौनपुर से अधिक कोयले की मांग की दरख्वास्तें सरकार के पास आई थीं?

श्री बनारसी दास—यह निश्चित तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक कोयले की मांग का सवाल है वह तो प्रायः सभी जिलों से आ रही है।

खरौली रायबरेली जिले की अदालत पंचायत में दायर मुकदमे

*२०—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले की सलोन तहसील के खरौली अदालत पंचायत में १ जनवरी, सन् १९५२ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५२ के अन्त तक कुल कितने वाद दायर किये गये, कितनों का निर्णय हो गया और कितनों का निर्णय होना अभी बाकी है?

श्री मोहन लाल गौतम—कुल २७ मुकदमें दायर हुये। ४ मुकदमों का निर्णय दिसम्बर, १९५२ में ही हो गया था। शेष २३ मुकदमें अनिर्णीत हैं।

*२१—श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि रायबरेली के जिलाधीश ने जिला पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट पर सरकार से उक्त अदालत पंचायत के सरपंच को उसके पद से हटाने के लिये अनुरोध किया था? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं। यह सही नहीं है।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार यह कृपा करके बतायेगी कि जब एक वर्ष में २७ मुकदमों में से सिर्फ ४ ही मुकदमों का निर्णय हुआ तो फिर २३ के न होने का क्या कारण है?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचमंडल का कोरम पूरा न होने की वजह से।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सन् १९५२ में ही नहीं सन् १९४९ से अब तक बहुत से मुकदमें ऐसे पड़े हुये हैं जिनके निर्णय अभी नहीं हुये हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि उक्त सरपंच महोदय इस समय भी जिलाधीश के आदेश से मुअत्तल हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी भी सूचना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचमंडल का कोरम पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम—आपसी झगड़ों के कारण।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आपस में यह झगड़े थे उनको दूर करने का सरकार ने कोई उपाय किया।

श्री मोहन लाल गौतम—सरपंच के खिलाफ कुछ शिकायतें आईं उनकी तहकीकात हुई और उनको कड़ी चेतावनी दी गई।

श्री दल बहादुर सिंह—क्या यह सही है कि वर्तमान जिलाधीश ने अपने हाल ही के निरीक्षण में उनके खिलाफ खुली जांच का आदेश दिया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

विजयगढ़, जिला मिर्जापुर में चिकित्सा-व्यवस्था

*२२—श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को विदित है कि जिला मिर्जापुर में तहसील राबर्ट्सगंज के विजयगढ़ परगने के ३०० वर्ग मील के क्षेत्र में स्थित एक मात्र जिला बोर्ड के औषधालय के टूट जाने से वहां की ३०,००० जनता की चिकित्सा तथा दवा की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सरकार कोई राजकीय औषधालय खोलने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—विजयगढ़ जिला मिर्जापुर में एक सब्सीडाइज्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर यूनिट था जो कि चिकित्सक के अभाव के कारण ११ सितम्बर, १९५१ से बन्द कर दिया गया। जिला बोर्ड को आदेश दे दिया गया है कि प्रयत्न करके यूनिट को दोबारा चालू करें। इस स्थान पर राजकीय चिकित्सालय खोलने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री राम स्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो आदेश दिये गये थे उसके फलस्वरूप अब तक क्या प्रयत्न हुये ?

श्री बनारसी दास—अभी तक तो कोई यूनिट खाली नहीं हुआ।

*२३—श्री राम स्वरूप—क्या सरकार को पता है कि यह क्षेत्र प्रतिवर्ष तीन माह तक मलेरिया से आक्रांत रहता है ? यदि हां, तो इसके निवारणार्थ सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस समय यह भाग उत्तर प्रदेश की मलेरिया निरोधक योजना में सम्मिलित है जो सितम्बर, १९५२ ई० में प्रारम्भ की गई थी। अब केन्द्रीय शासन द्वारा निर्मित नेशनल मलेरिया कंट्रोल स्कीम नामक एक बड़ी योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाली प्रस्तावित ५ यूनिटों में से एक यूनिट मिर्जापुर जिले में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके द्वारा जिले के सभी मलेरिया ग्रस्त ग्रामों में कार्य हो सकेगा।

श्री राम स्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि प्रतिवर्ष मलेरिया की रोकथाम के लिये कितने डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाता है ?

श्री बनारसी दास--जिस वक्त मलेरिया का समय होता है प्रायः इस बात का प्रयत्न किया जाता है जैसा कि उत्तर दिया गया है। हमारे प्रांत में खास तौर से ऐन्टी मलेरिया स्क्वाड्स कायम किये गये हैं और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जैसे मिर्जापुर के बारे में आपने जिक्र किया तो वहां नेशनल मलेरिया कंट्रोल की केन्द्रीय योजना के अधीन पांच केन्द्रों में से मिर्जापुर एक केन्द्र रहेगा।

श्री राम स्वरूप--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष भर में मिर्जापुर में कितना व्यय होगा ?

श्री बनारसी दास--यह तो अभी नहीं बतलाया जा सकता। वह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। जब वह योजना शुरू होगी उसका विवरण बाद में मालूम होने पर पता चल सकेगा।

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में लेडी डाक्टर की आवश्यकता

*२४--श्री राम स्वरूप--क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज कस्बे के लिये किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री राम स्वरूप--क्या आगामी वर्ष में किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति के संबंध में सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास--इस समय लेडी डाक्टर के नियुक्त करने में कठिनाई यह है कि वहां पर रहने के लिये तथा अस्पताल के लिये कोई जगह नहीं मिल रही है। वहां के सिविल सर्जन और जिलाधीश को लिखा गया है कि जल्द से जल्द वह उनके लिये जगह तलाश करें। जैसे ही जगह तलाश होगी लेडी डाक्टर की नियुक्ति कर दी जायगी।

जिला, बोर्ड बदायूं में कार्यावरोध

*२५--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड बदायूं के कार्य में पिछले ४ माह से पूरा डेड लाक है और कोई कार्य-संपादन नहीं हो रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--दिसम्बर, १९५२ के मध्य से मई, १९५३ के मध्य तक जिला बोर्ड के कार्यकरण की गति अवरुद्ध रही।

*२६--श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार इस डेड लाक के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--गतिअवरोध का कारण बोर्ड के सदस्यों की आपस की दलबन्दी थी।

*२७--श्री शिवराज सिंह यादव--सरकार ने इस डेड लाक को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--सरकार स्थिति का निरीक्षण सतर्कता से कर रही है। यदि कार्यकरण में उचित प्रगति नहीं होती है, तो सरकार बोर्ड के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगी।

श्री शिवराज सिंह यादव---क्या यह सही है कि जिला बोर्ड बदायूं में डेडलाक कायम होने से पहले आधे से ज्यादा मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने लिखित व जबानी शिकायतें प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ सरकार से कीं ?

श्री मोहन लाल गौतम---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ शिकायतें कई तरीके से आयीं।

श्री शिवराज सिंह यादव---क्या दौराने डेडलाक में सरकार ने उन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच या अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कोई जवाब तलब किया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---बदायूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में दो पार्टी हैं। एक के लीडर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट हैं और दूसरी पार्टी के लीडर श्री शिवराज सिंह यादव एम० एल० ए० हैं। । इन दोनों का मसला कांग्रेस पालियामेंटरी बोर्ड के सामने है। अगर यह पालियामेंटरी बोर्ड आपस में कोई समझौता नहीं करा सका तो फिर उचित कार्यवाही की जायगी।

स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की निवर्तन आयु

*२८---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की नौकरी की अवधि बढ़ती हुई बेकारी की दृष्टि से ६० वर्ष की अवस्था के स्थान पर ५५ वर्ष की अवस्था का नियम पुनः लागू करने जा रही है।

श्री मोहन लाल गौतम---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार यह बतलाने की [कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय कब हो जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कब से यह प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम---कुछ महीनों से यह प्रश्न एक्टिव कंसीडरेशन में है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रान्त में स्वायत्त शासन संस्थाओं में ५५ वर्ष की अवधि समाप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

अर्जुनपुर, जिला जौनपुर की अदालत पंचायत का चुनाव

*२९---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अदालत पंचायत अर्जुनपुर, तहसील शाहगंज, जौनपुर का चुनाव तारीख १८ जनवरी, सन् १९५३ ई० को हुआ है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं।

*३०---श्री बाबू नन्दन---यदि हां, तो क्या नई चुनी पंचायत ने कार्यभार संभाल लिया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव क्यों स्थगित किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम---चुनाव स्थगित नहीं किया गया है बल्कि चुनाव की तारीख १६-११-५३ रखने की कोशिश की गई थी लेकिन वह १७-११-५३ को हुआ जो अवैध करार दिया गया।

श्री बाबू नन्दन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुनपुर अदालत पंचायत के झगड़े के सिलसिले में कोई लिखा-पढ़ी हुई है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, हुई है।

श्री बाबू नन्दन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सूचना है कि वहां के पंचायत अधिकारी द्वारा अदालती पंचायत के कार्य के बारे में सरपंच को मोअत्तल किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना चाहिये।

शाहगंज, जिला जौनपुर के ऐलोपैथिक दवाखाने में दवा का अभाव

*३१---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार को इस बात का पता है कि शाहगंज जौनपुर में जो एलोपैथिक दवाखाना है वहां पर दवाओं की कमी के कारण दवाइयां न देकर नुस्खा लिखकर मरीजों को दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास---आवश्यकता के अनुसार मरीजों को नुस्खे लिखकर भी दे दिये जाते हैं।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायंगे कि क्या वह आवश्यकता के अनुसार दवाओं का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास---यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिसपेन्सरी है। उसको सरकार प्रतिवर्ष १ हजार रुपये की रिकरिंग ग्रान्ट देती है।

श्री बाबू नन्दन---क्या शाहगंज अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए वहां ज्यादा धन देने पर सरकार विचार करेगी।

श्री बनारसी दास---यह तो सभी डिसपेन्सरीज का प्रश्न है, जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आर्थिक स्थिति को देखते हुये विचार किया जायगा।

मथुरा ज़िले में कोयले व सीमेंट का वितरण

*३२---श्री रामहेत सिंह (ज़िला मथुरा)---क्या अन्न मंत्री कृपा करके बतायंगे कि सन् १९५२-५३ में मथुरा जिले को कितना सीमेंट व कोयला दिया गया ?

श्री बनारसी दास---सन् १९५२-५३ में मथुरा जिले को ४५,६६९ बोरे सीमेंट तथा १४८ गाड़ी कोयला दिया गया।

*३३--श्री रामहेत सिंह--उक्त सीमेंट और कोयला में से मथुरा और वृन्दावन को छोड़ कर शेष देहात में तहसीलवार कितना कितना दिया गया?

श्री बनारसी दास--उक्त सीमेंट तथा कोयले का ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार वितरण निम्न प्रकार किया गयाः--

सीमेन्ट--

		बोरे
तहसील	मथुरा ..	५,१०९
,,	सादाबाद ..	८,३५२
,,	छाता ..	४,७३१
,,	माट ..	६,२५६
	योग ..	२४,४४८

कोयला--

तहसील	मथुरा ..	११ गाड़ी
,,	छाता ..	१९ ,,
,,	सादाबाद ..	८ ,,
,,	माट ..	७ ,,
	योग ..	४५ ,,

श्री राम हेत सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो वितरण हुआ वह जनसंख्या के अनुसार हुआ है या आवश्यकता के अनुसार?

श्री बनारसी दास--तमाम प्रान्त की स्थिति के लिहाज से जिलों की आवश्यकता के अनुसार यूनिट निश्चित करके कोटा निश्चित किया गया है और उसी के अनुसार वितरण होता है।

श्री राम हेत सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक आम सभा में कहा था कि कोटा जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किया जाता है?

श्री बनारसी दास--उसमें जनसंख्या और आवश्यकता दोनों शरीक हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में जो शहरों और सड़कों से दूर पड़ते हैं कभी कोटा नहीं पहुंचता है?

श्री बनारसी दास--अब कोआपरेटिव यूनिट्स के कायम होने से यह असुविधा बहुत हद तक दूर हो जायगी।

कोमलसा-अहरौला सड़क का कच्चा भाग

*३४--श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कोमलसा-अहरौला के बीच की सड़क जिसकी कुल लम्बाई १० मील है, ५ मील पक्की हो चुकी है?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

*३५---श्री व्रज विहारी मिश्र---क्या सरकार का विचार कोमलसा-अहरौला सड़क के शेष ५ मील को भी पक्का करा देने का है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस ५ मील की पक्की सड़क के अभाव में कोमलसा से अहरौला पहुंचने के लिये आज़मगढ़ होकर जाना पड़ता है ?

श्री मोहन लाल गौतम---हो सकता है ?

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या सरकार जिला बोर्ड को इस ५ मील की सड़क को पक्की कराने के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये तैयार है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस मुहक्मे के पास बजट में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है जिससे सहायता दी जा सके।

ज़िला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के सेक्रेटरियों की सर्विसेज़ को सरकारी करने का प्रश्न

*३६---श्री राम चन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के सेक्रेटरियों की सर्विसेज़ को सरकारी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या सरकार को विदित है कि खेर कमेटी ने इन पदों के प्रान्तीयकरण की सिफारिश की थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिश के अनुसार एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल भी तैयार किया था ?

श्री मोहन लाल गौतम---एक बिल तैयार हुआ था।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---नामंजूर नहीं किया है।

श्री राम चन्द्र विकल---उस पर क्या कार्यवाही हो सकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अलग अलग बातों पर अलग अलग विचार हो रहा है।

*३७-३८---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---[२३ दिसम्बर, १९५३ ई० के लिये प्रश्न संख्या ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर के देहात में ईंधन की कमी

*३९---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले के देहाती क्षेत्र के कुछ कोल डिपो बन्द कर देने के कारण लोगों को वर्षा के इन दिनों में खाना पकाने के लिये पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है ?

श्री बनारसी दास—कानपुर के देहाती क्षेत्रों के ६ डिपो बन्द कर दिये गये हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों से असुविधा की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस तरह की सूचना खाद्य कमिश्नर को दी गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि ये कोल डिपो फिर से चालू कर दिये जायं ?

श्री बनारसी दास—लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के आयरन और स्टील कंट्रोलर की रिपोर्ट तो यह है कि वहां ज्यादातर लकड़ी का प्रयोग होता है, कोयले की आवश्यकता नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—बारिश के दिनों में ईंधन में गोबर इस्तेमाल न हो और लोग खाना पकाने के लिए ईंधन पा सकें, क्या इस के लिए सरकार कोल डिपो को फिर से चालू करेगी ?

श्री बनारसी दास—इन कोल डिपोज के कैंसिल होने से जहां तक जिले के तमाम कोटे का सवाल है उस पर तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं इसलिये यदि जिले को आवश्यकता है तो उससे पूर्ति हो सकती है लेकिन जहां तक ईंधन का प्रयोग है, उसका प्रयोग तो खाना बनाने के लिए होता ही है।

नये म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया

*४०—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ६ महीनों में कौन-कौन से नये (१) म्यूनिसिपल बोर्ड, (२) नोटीफाइड एरिया तथा (३) टाउन एरिया स्वीकार किये गये हैं और उनकी जनसंख्या क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम—गत ६ महीनों में कोई नया म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया नहीं बनाया गया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी अगर तालिका देखेंगे तो यह प्रश्न ३-८-५३ का है, उससे ६ महीने पहले यानी फरवरी से अब तक कितने नोटीफाइड एरिया तथा म्यूनिसिपल बोर्ड बनाये गये हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरा तो यही उत्तर है कि उस तारीख से पहले ६ महीनों में भी कोई नहीं बनाया गया।

बस्ती सदर अस्पताल में उपकरण तथा स्टाफ की कमी

*४१—श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती के सदर अस्पताल में बिजली लगी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—जिला अस्पताल में बिजली लगाये जाने पर विचार हो रहा है।

*४२—श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती सदर अस्पताल में कुल कितने (Beds) हैं, कितनी नर्स हैं और कितने की कमी है ?

श्री बनारसी दास—बस्ती सदर अस्पताल में कुल १२४ बेड्स (Beds) हैं। यहां पर ५ सिस्टर तथा १२ स्टाफ नर्स हैं और ५ सिस्टर तथा ६ स्टाफ नर्सों के स्थान रिक्त है।

*४३—**श्री शिवनारायण**—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में बस्ती अस्पताल की गणना किस श्रेणी में की जाती है और क्या उसी अनुपात से सब सामान उस अस्पताल को प्रदान किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—अस्पतालों को दिये जाने वाले साधनों के बारे में कोई स्तर निश्चित नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली न मिलने के कारण बस्ती अस्पताल का एक्सरे प्लांट बेकार पड़ा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है।

श्री शिवनारायण—बिजली कब तक लग जाने की आशा की जाय।

श्री बनारसी दास—वहां बिजली लगाये जाने का तखमीना मंगाया जा चुका है और अगले साल के शेड्यूल के अन्दर उसको शामिल कर दिया गया है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस वर्ष ५ सिस्टर्स और ६ स्टाफ नरसों की पूर्ति कर देगी।

श्री बनारसी दास—यह कहना बड़ा कठिन है। जितनी कि सभी जगह सैंक्शंड स्ट्रेंथ है वहां प्रायः नर्सेज और सिस्टर्स की कमी है, क्योंकि पर्याप्त संख्या के अन्दर नहीं मिल पा रही हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को ज्ञात है कि बेड की कमी के कारण रोगियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

श्री बनारसी दास—यह सही नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—एक्सरे प्लांट को चलाने के लिए जब तक बिजली नहीं आती है तब तक सरकार जेनरेटर लगाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त जैसा कि कहा गया, न्यू शेड्यूल आफ डिमांड्स के अन्दर उसका प्रावीजन कर दिया है तो इसलिए उसका प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या दूसरे जिलों से बस्ती जिले में नर्सें नहीं भेजी जा सकतीं ?

श्री बनारसी दास—यह तो सारे प्रान्त की समस्या है। बहुत कम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जितनी स्वीकृत नर्सेज हैं उतनी वहां पर हों।

अपाहिजों का प्रबन्ध

*४४—**श्री बद्री नारायण मिश्र** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अंधे, लंगड़े, लूले तथा कोढ़ियों के भरण-पोषण में सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है ?

श्री बनारसी दास—अन्धे, लूले तथा लंगड़ों के भरण-पोषण का कोई विशेष प्रबन्ध सरकार द्वारा नहीं है। उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध हर अस्पताल में है और शिक्षा विभाग द्वारा उनकी शिक्षा का भी प्रबन्ध है। कोढ़ियों के लिये प्रदेश में कई कुष्ठाश्रम हैं जिनमें उनकी चिकित्सा व भरण-पोषण दोनों का प्रबन्ध है। इन कुष्ठाश्रमों को सरकार १,७१,००० रुपया वार्षिक ग्रान्ट देती है।

*४५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि अपाहिजों की सहायता के हेतु उन्हें किसी उत्पादनशील कार्य में लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*४६—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसे अपाहिजों की संख्या अलग-अलग इस राज्य में क्या है?

श्री बनारसी दास—यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह आश्रम कौन-कौन से हैं और कहाँ पर हैं?

श्री बनारसी दास—प्रान्त में इस समय १६ इस तरह के कुष्ठ आश्रम कार्य कर रहे हैं। एक नैनी इलाहाबाद में, दूसरा अल्मोड़ा में, तीसरा चंडौक, जिला अल्मोड़ा, चौथा फैजाबाद, पाँचवाँ देहरादून और सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, हल्द्वानी, नैनीताल, खीरी, बहराइच, गढ़वाल, आगरा, गोरखपुर और राजकली शंकर, बनारस और लीपर असाइलम, गोरखपुर।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोढ़ी, अपाहिज और अंधों के लिये कोई सुरक्षित रखने के संबंध में सरकार कोई कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, इस प्रकार का कोई कानून विचाराधीन नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी ने जिन अस्पतालों का नाम बतलाया क्या वे कोढ़ियों के हैं या उनमें अन्धे, लंगड़े और लूले भी रहत हैं?

श्री बनारसी दास—मैंने कुष्ठ आश्रमों का विवरण दिया है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्धे, लूले, लंगड़े और कोढ़ियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है?

श्री बनारसी दास—उसका उत्तर दिया जा चुका है, सरकार के पास उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

रामपुर में हैजे की रोकथाम

*४७—श्री फजलुल हक़ (जिला रामपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर शहर में हैजे का प्रकोप हो रहा है और उससे २०, २५ के लगभग मौतें २, ३ दिन में हो चुकी हैं?

श्री बनारसी दास—रामपुर में हैजे का प्रकोप है। एक सप्ताह में ८ मौतें हुई। बाक़ी में कम हुई।

*४८—श्री फजलुल हक़—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या-क्या उपाय इस प्रकोप को रोकने के लिये किये गये हैं?

श्री बनारसी दास--सभी आवश्यक उपाय शुरू से किये गये हैं, जैसे कुओं को लाल दवा व मकानों को औषधियों द्वारा साफ करवाना, मरीजों के देखभाल एवं चिकित्सा वहाँ के सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में होना, हैजा से बचाने के लिये टीके लगाये जाना इत्यादि। एक एडिशनल एपेडेमिक असिस्टेन्ट भी रामपुर शहर में ३१ जुलाई से नियुक्त कर दिया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी रामपुर के पास कालरा वैक्सीन भी समय पर भेजी जा चुकी है। रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने नगर की विशेष सफाई कराने के लिये भैंसा गाड़ियाँ भी रक्खी हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय अन्न मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि क्या अभी तक कालरा जारी है? अगस्त में सवाल किये गये थे, उनका उत्तर अगस्त के लिये है या अभी के लिये भी लागू है, क्योंकि "हैजे का प्रकोप है" ऐसा आपने कहा। तो क्या अभी भी जारी है?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, उसका उत्तर प्रश्न संख्या ४७ के सम्बन्ध में दिया जा चुका है। इस वक्त वह कम हो गया है।

श्री फ़ज़लुल हक़--सवाल नम्बर ४७ के जवाब में मौतों की जो तादाद बताई गई है, मेहरबानी कर के क्या सरकार बतलायेगी कि यह किस तारीख़ से किस तारीख़ तक के आदाद व शुमार हैं?

श्री बनारसी दास--यह सूचना इस वक्त नहीं दी जा सकती है। बाद में माननीय सदस्य चाहेंगे तो मिल सकती है।

श्री फ़ज़लुल हक़--क्या सरकार मेहरबानी कर के बतलायेगी कि हैजा शुरू होने से और उसके खत्म होने तक कुल कितनी मौतें हुईं?

श्री बनारसी दास--उसका विवरण भी नहीं है। जिस सप्ताह का आप ने पूछा है उसका दिया गया है।

श्री फ़ज़लुल हक़--क्या यह वाक़या है कि हैजा शुरू होने के बाद यह तजावीज़ जो अख्तियार की गयी हैं यह बहुत काफी देरी से अख्तियार की गयी हैं?

श्री बनारसी दास--जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई वैसे ही उसका प्रबन्ध किया गया। एपिडेमिक असिस्टेंट जिलों जिलों में रहते हैं। बाक़ी जो स्थानीय प्रबंध हो सकता था वह वहाँ के हेल्थ आफिसर ने तुरन्त ही किया।

श्री फ़ज़लुल हक़--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि यह तमाम तदबीरें किस तारीख़ से अख्तियार की गयीं?

श्री बनारसी दास--यह तो बतलाया गया कि एपिडेमिक असिस्टेंट के लिये ३१ जुलाई को आदेश हुआ, बाकी टीका लगाना, लाल दवा डालना, घरों की सफाई करना वहाँ का हेल्थ विभाग करता है।

श्री फ़ज़लुल हक़--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह तदबीरें जो अख्तियार की गयीं वह मेरे सवाल करने से पेश्तर अख्तियार की गयीं या बाद में?

श्री बनारसी दास--यह तो मुझे मालूम नहीं कि यह प्रश्न आपने किस तारीख को यहाँ पर भेजे। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वैसा प्रबन्ध वहाँ का हेल्थ विभाग करता है।

श्री फ़ज़लुल हक़--क्या सरकार ने ऐसी हिदायत जारी की है कि आइन्दा बरसात शुरू होने से पेश्तर और हैजा शुरू होने से पेश्तर जरूरी तदाबीर अख्तियार की जांय?

श्री बनारसी दास—जी हाँ, वह तो आदेश है कि जिस वक्त हैजा फैलने का मौसम होता है उसी वक्त यह सारे प्रीकाशन्स लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय अन्न मन्त्री से मैं यह कहूंगा कि जब हैजा ऐसे महत्व के विषय के सम्बन्ध में दो तीन महीने पहले प्रश्न पूछे गये हों तो उत्तर देते समय उनको रिवाइज कर लेना उचित होगा, क्योंकि आठ मौतें हुईं या कितनी मौतें हुईं यह पुरानी बात हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि उनको उत्तरों को रिवाइज कर लेना चाहिये।

श्री बनारसी दास—इस सम्बन्ध में जो विशेष आँकड़े हैं वे बाद में भेज दिये जायंगे।

मैनपुरी जिले में क्षय निवारणार्थ धन का वितरण

*४६—श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में क्षय रोग को दूर करने के लिये गत पाँच वर्षों में कितना रुपया सरकार ने स्वीकार किया और कितना रुपया नगर पालिका, मैनपुरी ने दिया ? इस रुपये में से अब तक कितना खर्च हुआ है ?

श्री बनारसी दास—(अ) सरकार ने कोई विशेष अनुदान नहीं दिया परन्तु सरकारी अस्पताल में जो टी० बी० के रोगी आये उनकी चिकित्सा Indoor में की गई। ऐसे मरीजों की संख्या का सालाना औसत लगभग ३०० है।

(ब) नगरपालिका ने ४,००० रुपया क्षय रोग को दूर करने के लिये क्षयनिवारिणी समिति, मैनपुरी को दिया।

क्षय निवारिणी, समिति मैनपुरी ने अब तक कुल १,७६२ रुपया ६ आना व्यय किया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षय-निवारण समिति ने जो १,८०० रुपया वितरण किया वह कितने मरीजों में किया।

श्री बनारसी दास—वह तो जैसा मैंने अभी बताया कि तीन सौ मरीजों का औसत होता है उनमें आउटडोर पेशेन्ट भी होते हैं। क्षय निवारण समितियों की मदद से अतिरिक्त अस्पताल की तरफ से उनकी मदद तो होती ही है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर-पालिका ने जो ४ हजार रुपये की मदद की वह कितने वर्षों के लिये है ?

श्री बनारसी दास—यह कुल सहायता मैंने बतलाई है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह चिकित्सालय इस जिले में कब से स्थापित है ?

श्री बनारसी दास—यह सन् १९४६ ई० से है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस निवारण समिति से जो रुपया मरीजों को दिया जाता है उसका वितरण किस अधिकारी की तरफ से होता है ?

श्री बनारसी दास—इस अस्पताल के वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा वितरण किया जाता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या यह सत्य है कि इस रुपये का जो वितरण होता है वह किसी मेडिकल एथारिटी की तरफ से न होकर कोई एक ग्रानरेरी सज्जन हैं, उनकी तरफ से होता है?

श्री बनारसी दास—यह सही है परन्तु मैनपुरी में टी० बी० के लिये कोई ग्रानरेरी सर्जन नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या यह भी सत्य है कि जो प्रार्थनापत्र इसके लिये दिये जाते हैं उनके सैंक्शन कराने में मरीज़ों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है परन्तु जब ग्राप कहते हैं तो यह सही ही होगा।

*५०—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—[२१ दिसम्बर, १९५३ ई० के लिये प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ज़िला देवरिया में पंचायत मंत्रियों का बकाया वेतन

*५१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (ग्रनपस्थित)—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देवरिया जिले के कुछ ग्राम पंचायतों के मन्त्रियों का वेतन पिछले मार्च के महीने से नहीं दिया गया है?

श्री मोहन लाल गौतम—जिले के समस्त पंचायत मंत्रियों के वेतन मार्च, सन् १९५३ से जुलाई सन् १९५३ तक दिये जा चुके हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस ज़िले में काफी वेतन बकाया वेतन के सिलसिले में पिछली ग्रवधि का बाक़ी है?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन हो सकता है कि इस समय तक कुछ मंत्रियों के वेतन बकाया हों जब तक कि सरकार ने उनको वेतन यहाँ से नहीं दिया था ग्रौर पंचायतों को देना पड़ता था।

ग्रतारांकित प्रश्न

आगरा-अछनेरा-भरतपुर सड़क की दुरवस्था

१—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार को मालूम है कि ग्रागरा से ग्रछनेरा भरतपुर जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है? यदि हाँ, तो सरकार इस सड़क का पुनः निर्माण करने का विचार कब तक कर रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—ग्रागरा से ग्रछनेरा तक दो सड़कें जाती हैं, एक सीधी ग्रागर से ग्रछनेरा और दूसरी फतेहपुर सीकरी ग्रौर किरावली हो कर ग्रछनेरा। उसके ग्रागे भरतपुर तक केवल एक सड़क जाती है।

पहली सड़क जिला बोर्ड, ग्रागरा के ग्रधीन है ग्रौर ग्रच्छी दशा में नहीं है। दूसरी डामर की बनी हुई है ग्रौर सार्वजनिक निर्माण विभाग के ग्रधीन है। यह बिल्कुल ठीक दशा में है।

ग्रछनेरे से ग्रागे भरतपुर तक की सड़क में से ५ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग के ग्रधीन है ग्रौर बाक़ी जिला बोर्ड के ग्रधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५१ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

कुल मिला कर १२ १/२ मील से अधिक सड़क जिला बोर्ड के पास है। इसकी सन्तोष-जनक मरम्मत कराने में अनुमानतः एक लाख रुपये का व्यय होगा। बोर्ड इस व्यय को वहन करने में असमर्थ है और ऐसी दशा में उसको मिट्टी फैला कर तथा गट्टे भर करके ही ठीक रखने का यथा शक्ति प्रयत्न कर सकता है।

ज़िला बोर्ड देवरिया के मुलाजिमों के लिये अनाज की व्यवस्था

२-श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या देहात में काम करने वाले जिला बोर्ड, देवरिया के मुलाजिमों को कन्ट्रोल दर पर अनाज मिलने की व्यवस्था है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—जिला बोर्ड देवरिया के कर्मचारियों को अराशन क्षेत्रों में कन्ट्रोल दर पर गल्ला देने का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। हाँ जो कर्मचारी ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ ए० पी० स्कीम लागू है और जो इस योजना के अन्तर्गत साधारण जनता की भांति खाद्यान्न सहायता के अधिकारी हैं उन्हें ए० पी० स्कीम से कन्ट्रोल भाव पर अन्न दिया जाता है।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के मिलमालिकों द्वारा कामबन्दी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने भेजा है जो इस प्रकार है कि:—

"कानपुर स्वदेशी काटन मिल के मिल मालिकों के द्वारा कामबन्दी के कारण जिससे ११,२५० व्यक्ति बेकार हो गये हैं, उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति जिससे कानपुर की काटन मिल तथा अन्य मिलों के अलावा प्रदेश की अन्य मिलों में भी निकट भविष्य में हड़ताल होने की सम्भावना है, पर विचार करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।"

यह भविष्य में हड़ताल होने की सम्भावना वगैरह कोई निश्चित बात नहीं है लेकिन पहला भाग जो यह है कि ११,२५० व्यक्ति बेकार हो गये हैं जिससे गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुई हो यह महत्व की बात मालूम होती है। इसलिये कोई निश्चित बात परिणाम में होगी इस सम्बन्ध में आप क्या समझते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है? इसके बारे में आप प्रकाश डालें तब मैं फैसला दूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, कानपुर स्वदेशी काटन मिल में आज कुछ दिनों से हड़ताल चल रही है जिसमें ८,४५० परमानेंट, १,६०० सब्सटीट्यूट और १३०० टेम्पोरेरी मजदूर काम करते थे। मिल मालिकों ने बीच में कुछ शिफ्ट की बदली करने के लिये कहा जो गैर कानूनी थी.......

श्री अध्यक्ष—आप तो मैरिट्स पर बोलने लगे। आप यह बतायें कि गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई यह आप कह रहे हैं। वहाँ हड़ताल है यह तो स्पष्ट बात है इस गम्भीर परिस्थिति से निश्चित खतरा आपको क्या मालूम होता है, यह बतलायें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वहाँ की हालत यह है कि मजदूरों में काफी एक्साइटमेंट है। कुछ पेपर्स से यह मालूम हुआ कि हिन्द मजदूर सभा के प्रधान मंत्री और आई० एन० टी० यू० सी० के सभापति ने लिखा है कि अगर्चे मामले को जल्दी सुलझाने के लिये पंचायत अदालत को नहीं दिया गया तो तमाम मजदूरों में हड़ताल होने की सम्भावना हो जायगी। यह जिम्मेदार आदमी हैं इसलिये उनके कहने का हमें ख्याल करना होगा। अगर्चे कोई चीज़ जल्दी से जल्दी न कर दी गई तो प्रान्त भर में हड़ताल की बात आ सकती है। इसलिये हम चाहेंगे कि इसकी इजाज़त दी जाय और इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी, इसकी निश्चितता के सम्बन्ध में जो बातें उन्होंने कहीं अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहें तो बता दें अगर आपको कुछ मालूमात हों।

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—यह जो जनाब ने आखिरी बात इर्शाद फर्मायी उसके लिए तो मैं इस वक्त तैयार नहीं हूं। अगर किसी और वक्त के लिए मुझे हुक्म होगा तो मैं कोई स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो आपका इरादा इस विषय में स्टेटमेंट देने का है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो कब देंगे?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—कल सुबह दे दूंगा। बाकी वैसे जो मोशन है यह तो बिलकुल आउट आफ आर्डर है। इसमें अर्जेंसी ही नहीं है। एक बात जो हड़ताल की है यह तो बहुत दिनों से चल रही है। जिस दिन सिटिंग शुरू हुई उससे पहले भी चल रही थी। उस दिन एडजर्नमेंट मोशन नहीं आया। रूल्स में मौजूद है, हुज़ूरवाला, मुलाहज़ा फरमा लें, इसी पर है कि जिस दिन हाउस की बैठक शुरू हुई हो उससे पहले अगर कोई वाकया हो जाय और उस दिन एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया गया है तो बाद में उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)—मुझे माननीय वित्त मंत्री की बात सुन कर ताज्जुब हुआ। एक तरफ तो वह आपसे आज्ञा मांगते हैं कि कल इस गम्भीर विषय पर स्टेटमेंट देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। माननीय जगन्नाथ मल्ल ने यह बतलाया कि जिस छटनी से यह हड़ताल हो रही है उससे कोई गम्भीर परिस्थिति पहले नहीं थी, लेकिन कानपुर की तमाम मिलें बन्द हो जायं फिर वित्त मंत्री को लाठी चार्ज करना पड़े तो उससे ऐसा हो सकता है कि सारे प्रदेश की मिलें बन्द हो जायं, शुगर मिलें बन्द हो जायं। इसलिये यह परिस्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कल के लिये आप इसको मुल्तवी कर दें और रिजेक्ट न करें।

श्री अयध्क्ष—मैं मुल्तवी तो नहीं कर सकता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस तरह से एक निश्चित प्रश्न है जिसकी वजह से सदन का काम रोका जा सकता है। निश्चित तो नहीं है। शायद इसकी निश्चितता उस वक्तव्य के बाद हो जो सरकार देना चाहती है और कोई बात उसके बाद भी ऐसी अस्पष्ट रह जाय जिसे साफ करना आवश्यक हो तब उसका अन्दाज़ा माननीय सदस्य लगा सकेंगे। लेकिन चूंकि यह निश्चित नहीं है इसलिए मैं इसको अनियमित करार देता हूं। यह इसलिए भी आवश्यक नहीं मालूम होता है क्योंकि मैं समझता हूं कि जो प्रस्तावक महोदय हैं उनका भी इरादा इतना ही मालूम होता है कि गवर्नमेंट से कुछ मालूमात इस सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हों और इस प्रश्न पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाश डाला जाय। इसी उद्देश्य से शायद यह प्रस्ताव इस शक्ल में आया है और निश्चित शक्ल में नहीं आया है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—एक तरफ तो माननीय वित्त मंत्री की इस बात पर कि वह इसकी अहमियत को मानते हैं और कल स्टेटमेंट देंगे और दूसरी तरफ इसके अस्वीकार हो जाने पर हम विरोध स्वरूप पांच मिनट का वाक आउट करते हैं।

(इसके पश्चात् प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (द्वितीय कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संशोधन अधिनियम, १९५२ की धारा ४६ (२) के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा ४६ (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दी गयी उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (कठिनाइयों को दूर करने के) आज्ञा, १९५३, तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (द्वितीय कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५३ जो म्युनिसिपल (ए) विभाग की विज्ञप्तियों संख्या एल०बी० ४७१५/११ ए०, ८३१/४८, दिनांक २४ जुलाई, १९५३ ई० तथा संख्या एल०बी० ९२६४/११ए०,८३१-४८, दिनांक २६ अक्तूबर, १९५३ ई० के अधीन क्रमशः दिनांक २८ जुलाई, १९५३ ई० और २७ अक्तूबर, १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित की गयी थी सदन की मेज़ पर रखता हूं।

कार्यसूची के क्रम पर आपत्ति

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (ज़िला टेहरी-गढ़वाल)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। आज की कार्यसूची में माननीय राजस्व मंत्री के नाम संख्या ३ और ४ पर दो प्रस्ताव रखे हुए हैं। उनके बारे में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव कल की कार्यसूची में संख्या ११ और १५ पर थे और उसके अनुसार राजस्व मंत्री उन प्रस्तावों को सदन के सामने केवल विचार के लिये रख रहे थे प्रस्ताव ११ में इस प्रकार से था।

११—राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश इन्कम्वर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

और प्रस्ताव संख्या १५ में भी इस प्रकार था —

१५—राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

लेकिन आज यह सूची संख्या ११ और १५ के बजाय ३ और ४ पर लायी गयी है। पहली आपत्ति जो मैं आपके सामने पेश करता हूं वह इस प्रकार है कि इस तरह से कार्यसूची में यकायक परिवर्तन कर देने से विरोधीदल के लिये बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनको तैयारी के लिये समय नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से बिना डिसकशन के किसी विधेयक को प्रवर समिति में भेजना किस प्रकार ठीक हो सकता है, यह आप ही देख लें। यह आपके ऊपर ही निर्भर है।

श्री अध्यक्ष—जब यह प्रस्ताव आयेगा तो डिसकशन होकर ही प्रवर समिति के पास भेजा जायगा। इस प्रकार से डिसकशन में कोई अड़चन पैदा नहीं होती।

जहां तक आपका यह कहना है कि कार्यसूची में इसका नंबर बदल दिया गया है और उसके लिये आपको काफी नोटिस नहीं मिला है, आपका यह एतराज काफी महत्व रखता है। मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि इसको बजाय आज के कल ले लें तो अधिक ठीक क्योंकर न होगा और आइन्दा पहले से नोटिस दे दिया करें कि कौनसा विधेयक पहले लिया जायगा, तभी यह संभव हो सकेगा कि माननीय सदस्य उसके लिये तैयार होकर आयें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मुझे आपके सुझाव में कोई आपत्ति नहीं है। इसको कल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—ये दोनों प्रस्ताव कल लिये जायेंगे और कल इन पर बहस होगी।

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि कल मैं इस अमेंडमेंट के विरोध में बोल रहा था और यह बता रहा था कि धारा ६ के अन्त में यह दिया हुआ है कि—

"The college concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry".

यानी कालेज और यूनिवर्सिटी के अधिकार इस बिल में दिये हुये हैं और उनको सरकार ने छीना नहीं है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह अमेंडमेंट पेश किया है इस बिल को पढ़ने की तकलीफ भी गवारा नहीं की। जो बात कि वह अमेंडमेंट के जरिये से चाहते हैं वह तो उसमें पहले से ही दी हुई है। जब हमारे विरोधी दल के नेता लोग जो इस सदन में आते हैं, बिल को पढ़ने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते और उसे पढ़ने की भी हिम्मत नहीं करते तो भगवान ही उनका मालिक है।

नं० २ में दिया हुआ है —

"after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the college thereon, require the University, or the college to take such action as it may direct."

यहां "इट" (it) शब्द जो आया है वह कालेज और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के लिये ही आया है जो इस बिल के अन्दर मौजूद है। यहां पर यूनिवर्सिटी और कालेजों के आधिकारि-वर्ग को पूरा अधिकार है। इस बिल को जरा पढ़ने की आवश्यकता है और इस पर ठंढे दिल से सोचने और विचारने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट का कहीं तिल मात्र भी इशारा नहीं है कि वह किसी को दबाना चाहती है या यूनिवर्सिटी के अधिकारों को छीनना चाहती है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में आने वाले नौजवान ही देश के भावी नागरिक हैं और देश के रक्षक हैं। हम उनके अधिकारों को नहीं दबाना चाहते हैं। हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी के अधिकर को छीनना नहीं चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरे स्टेट के लिये है सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिये ही नहीं है। और यूनिवर्सिटी भी स्टेट के अन्दर ही आती है। वह भी इस स्टेट के अन्दर ही इनवेस्ट है, इससे बाहर नहीं है। मेरे लायक दोस्त जो अभी वाक आउट कर गये थे, मुझे अफसोस है कि मेरी पहली कही हुयी बातें वे लोग नहीं सुन सके। अगर वे यहां मौजूद रहते तो मेरी बातों को अवश्य सुनते लेकिन मुझे खुशी है कि अब वे लौट आये। ये सब राजनीतिक चालें हैं।.......:

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवनारायण—बहुत अच्छा। हमारे लायक दोस्त उपाध्याय जी यहां बैठे हुए हैं। कल उन्होंने एक बात कही थी कि सुबह अस्पताल देख लिया कीजिये। मैं तो अस्पताल का मुआयना कर आया था तब प्रश्न पूछा। लेकिन हमारे विरोधी दल के दोस्त बिल को पढ़ने की भी तकलीफ गवारा नहीं करते। मैं श्री त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि वे डिप्टी लीडर की पोजीशन रखते हैं इसलिए उनको प्रिपेयर होकर आना चाहिये। उनसे यह आशा की जाती है....

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

†१५ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जो बात गुजर चुकी उसका जिक्र करना ठीक नहीं है।

श्री शिवनारायण--मैं महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी से कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट उन्होंने पेश किया है, नं० १ मान लेने पर उसके लाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सरकार किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहती है। इसमें दिया हुआ है--

"The Executive Council or the Management of the College shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the direction given and report to the State Government."

तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहती है बल्कि वह यूनिवर्सिटी की दिक्कतों को हल करना चाहती है। आप लोग बिल को जरा ठीक से पढ़ने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के समस्त मेम्बरों को बतला देना चाहता हूं कि यह जो आगरा यूनिवर्सिटी बिल है उसको सरकार ने क्यों संशोधित किया है। कालेजों के अन्दर इनडिसिप्लिन अनुचित तरीके से बढ़ गयी थी और इस बात को विरोधी दल ने स्वीकार किया है। उसके अन्दर अनुचित और अनधिकार चेष्टा की बढ़ती को रोकने के लिये ताकि इनडिसिप्लिन की वजह से गड़बड़ी न हो यह बिल लाया गया है। सरकार यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है बल्कि स्टेट की यह प्राइमरी ड्यूटी है कि जहां पर किसी तरह की गड़बड़ी मालूम पड़े उसको वह ठीक से संभाले। विरोधी दल ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वहां पर इनडिसिप्लिन बढ़ गयी है, ठीक ढंग से काम नहीं होता है, हिसाब किताब में भी गड़बड़ी रहती है। जब विरोधी दल की तरफ से तथा औरों की तरफ से भी इस तरह की शिकायत सरकार के पास पहुंची तो उसने बहुत सोच समझ कर ही यह बिल पेश किया है। अगर गवर्नमेंट डंडे से काम लेना चाहती तो वह एक लमहे में एक रेजोल्युशन लाती और उसको माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने पेश कर वोटिंग के जरिये पास करा लेती। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने सब को मौका दिया, अपने मेम्बरों को मौका दिया और विरोधी दल के मेम्बरों को भी मौका दिया और यह कई महीने से चल रहा है। मुझे दुख है कि श्री नारायण दत्त जी तिवारी यहां मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इस बिल के ऊपर काफी प्रकाश डाला था। आज वह यहां होते तो शायद यह अमेंडमेंट न पेश हुआ होता। मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि वह फिर अपनी बात पर विचार करें। मदन जी भी यहां मौजूद हैं....

श्री अध्यक्ष--आप यहां पर ऐसी घरेलू बातें न करें।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन वही माननीय सदस्य लोग बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपया उनके भाषण में रोड़े न अटकावें।

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड़ा अटकाना ही तो उनका काम है। तो मैं यह कह रहा था कि राइट्स और ड्यूटीज दो चीजें दुनियां में होती हैं। हमेशा ड्यूटीज फर्स्ट और राइट्स आफ्टरवर्डस होता है। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है। आजकल लोग राइट्स के लिये दौड़ रहे हैं ड्यूटी कोई अंजाम करना नहीं चाहता। तो मैं इन दोनों सज्जनों से जिनके अमेंडमेंट्स हैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ड्यूटी समझ कर वे अपने अमेंडमेंट्स को वापस ले लें क्योंकि इससे सदन का समय बच जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--श्रीमन्, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के नत्थी (ख) में ७ वें आइटम पर जहां से अंग्रेजी

का आरम्भ होता है वहां (४) के बजाय (३) होना चाहिये क्योंकि ऊपर यह कहा गया कि मूल अधिनियम के खंड ४ की नयी धारा ६ में उपधारा (३) के स्थान पर नयी उपधारा रखी जाय। तो वह भी (३) ही होगी (४) नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष--श्री रामनारायण जी आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो इसको (३) होना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के ऊपर बोलने के पहले मैं माननीय शिवनारायण जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह मुझे और हमारे दल के और विधान सभा के सभी सदस्यों को मालूम है कि वे अध्यापन का काम करते रहे हैं और उसके लिये शायद डिग्री भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि यह सभा भवन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां उनकी सलाह की जरूरत हो या न हो वह देते रहें। इसमें मैं समझता हूं कि सदन का स्तर नीचे गिरता है और माननीय शिवनारायण जी को सदन के स्तर के लिहाज से ऐसी बात नहीं करनी चाहिये।

दूसरी बात माननीय शिवनाथ जी काटजू ने कही कि जो मैंने संशोधन पेश किया है उसमें और मूल अधिनियम की उपधारा तीन में कोई फर्क नहीं है। तो यह दलील माननीय काटजू की मेरे ही पक्ष में जाती है। अगर वह कहते हैं कि इसके प्राविजन में और मेरे संशोधन में कोई फर्क नहीं है तो फिर इस संशोधन को मान लेने में क्या एतराज है। माननीय बालेन्दु शाह ने काफी फर्क माननीय काटजू साहब को बतलाया। मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि बिल में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह रखा गया है कि यह स्टेट गवर्नमेंट जितने वक्त में चाहे एन्क्वायरी कराने का हुक्म दे सकती है। लेकिन इसमें इस काम को करने के लिये रीजनेबिल टाइम रहना चाहिये। उस रीजनेबिल टाइम को निर्णय करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है और रीजनेबिल टाइम का प्राविजन अगर किसी कानून में रहता है तो उसकी बुनियाद पर आगे यूनिवर्सिटी को मौका मिलता है कि वह कोर्ट्स में जा सकती है और रीजनेबिल टाइम के लिये मांग कर सकती है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय बालेन्दुशाह जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसकी कमी को काफी पूरा कर दिया है और उनके संशोधन से स्थिति और भी साफ हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है कि गवर्नमेंट इस तरह से अधिकार अपने हाथ में ले कि कोई कालेज अफीलियेटेड जो यूनिवर्सिटी के मातहत हो या उनसे सम्बन्ध रखता है उनसे न छूट जाय और इन्क्वायरी हो जाय और उसकी कार्यवाही सन्तोषजनक न हो तो उसका हाथ रहना जरूरी है। इसमें एक कमी और रह गयी थी उसको श्री बालेन्दुशाह जी ने पूरा कर दिया है। इससे अधिक ऐसी स्थिति में मुझे नहीं कहना है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पूरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री शिवनारायण--मैं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अगर वैधानिक कोई हो तो बताइयेगा।

श्री शिवनारायण--श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं अध्यापक हूं और मैंने कोचिंग की बात कही। श्रीमान्, आज चेयर पर हैं और कल डिप्टी स्पीकर चेयर पर थे। अगर मैंने कोई इस प्रकार की कोचिंग की बात कही होती तो वह मुझे टोक देते और वहीं पर रोक देते। मैंने हमेशा चेयर का आर्डर ओबे करने की कोशिश की है और मैंने कभी भी सदन के नियम और मर्यादा के विरुद्ध कभी कोई बात कहने की चेष्टा नहीं की।

श्री अध्यक्ष--आप, श्री रामनारायण जी, इसको साफ कर दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैंने यह कहा कि आप अध्यापक हैं और वह हर समय भूल जाते हैं कि माननीय विधान सभा को कोचिंग इंस्टीट्यूट समझकर बात कहना शुरू कर देते हैं और अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं चाहे उनको सलाह की आवश्यकता हो या न हो।

श्री अध्यक्ष--तो आपने इसको मजाक के तौर पर कहा।

श्री शिवनारायण--श्रीमन्, वह मजाक के तौर पर नहीं कहा गया।

श्री अध्यक्ष--(श्री शिवनारायण से) आप इसको मजाक ही में लीजिये कि मजाक में उन्होंने कहा।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--जो संशोधन त्रिपाठी जी के द्वारा आया है उसका मैं विरोध करता हूं। उसका कारण यह है कि यदि वह संशोधन मान लिया जाय तो इस जांच में और उस कार्यवाही में इतना विलम्ब होगा कि उसका पूरा महत्व ही खत्म हो जायगा। अपने संशोधन में त्रिपाठी जी ने कहा है कि सरकार उस वक्त तक कोई कार्यवाही न करे जब तक कि सीनेट और एक्जिक्युटिव कौंसिल की राय उसके पास न आजाय। सीनेट की मीटिंग साल भर में एक दफा होती है और अगर उसके निर्णय पर यह कार्यवाही रोक दी जाय तो जैसा मैंने कहा उसका कुल महत्व ही खत्म हो जायगा। जहां तक कालेज का सम्बन्ध है वह उस पुराने ऐक्ट में मौजूद था और इसमें भी कालेज के ऊपर इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित था। सिर्फ पुराने ऐक्ट में ऐसा समझा गया कि ऐसी एक कमी रह गयी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि: ("as it may direct, of the university and its building and of any affiliated college or hostel) लेकिन बाद में 'कालेज' इस में जोड़ दिया गया है और इसमें यह संशोधन रख दिया गया है कि जहां तक इन्क्वायरी का संबन्ध है वह तो कालेज और यूनिवर्सिटी दोनों से सम्बन्ध रखता है लेकिन जहां कार्यवाही पर अमल करने की बात थी वहां कालेज छूट गया था। इस वजह से उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें कालेज लगा दिया गया है। तो इसमें कोई बात नहीं की गयी है और पहले जिस प्रकार से रखा गया था और जिस तरह से ऐक्ट में था उसी प्रकार से अब भी इस बिल में रखा गया है। इससे अधिक और कुछ इसमें नहीं रखा गया है कि यह सरकार अपने अधिकार बढ़ाना चाहती है। हां, यह एक ऐसा विवादग्रस्त प्रश्न है कि सरकार को यह अधिकार देना चाहिये या नहीं। तो इस पर तो मेरा ख्याल है कि दो रायें हो सकती हैं लेकिन मैं इस विवाद में इस अवसर पर जाना नहीं चाहता। पुराने ऐक्ट में यह धारा थी और उसमें कुछ सन्देह उत्पन्न होता था, उसी को स्पष्ट करने के लिये यह "कालेज" शब्द लगाया गया है और प्रयत्न किया गया है कि आइन्दा देरी न हो। अभी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही की गयी तो उसमें करीब २ साल से ज्यादा का समय लग गया और अब तक भी सरकार को यह अवसर नहीं मिला कि वह जो कार्यवाही वहाँ करना मुनासिब समझे कर सके। तो इन और कार्यवाहियों में देर न हो और जो वांछनीय कार्यवाही हो वह जल्द हो जाय इसलिये इसमें यह धारा रखी गयी है।

जहाँ तक श्री बालेन्दुशाह जी के संशोधन का सम्बन्ध है वह तो मेरी समझ से इससे बिलकुल ही असंगत है। उन का कहना यह है कि श्री रामनारायण जी के संशोधन में ही उन के संशोधन को जोड़ दिया जाय। उनका कहना यह है कि उस समय तक कोई कार्यवाही न हो जब तक सीनेट और एक्जिक्युटिव अपना यह निर्णय न कर ले कि हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है। अगर ऐसा कर दिया जाय तो आप देखेंगे कि यह धारा बिल्कुल बेमानी हो जाती है। १ और २ धाराओं के खण्डों में इस बात का जिक्र है कि इन अवसरों पर सरकार कार्यवाही कर सकती है और उसके बाद चौथी में अगर यह हो कि सरकार कोई कार्यवाही न करे

जब तक सीनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल कार्यवाही करने से इनकार न कर दे, तो इन धाराओं का आपस में कोई जोड़ नहीं बैठता। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका जोड़ना अप्रासंगिक होगा और इसलिये मैं इसकी मुखालिफ़त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नई धारा ६ में उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः--

"(3) Where the Executive Council or the Management of the College does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished or representation made by the Senate or Executive Council or Management of the College, as the case may be, issue such direction as it may think fit, and the Executive Council or the management of the College shall comply with such directions."

मैं इस संशोधन को लिये लेता हूं और अगर यह स्वीकृत हुआ तो दूसरा संशोधन जो श्री बालेन्दु शाह का है उस को भी ले लूंगा। लेकिन अगर यह गिर गया तो दूसरा भी स्वयं गिर जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ८ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--धारा ८ की उपधारा (१) के सम्बन्ध में सेलेक्ट कमेटी की तरफ से जो आया है यह रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन उस से सम्बन्धित नहीं है, यह उसका कोई संशोधन नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल में मूल अधिनियम की धारा ८ संशोधित की गई है और उस धारा को इस अमेंडिंग बिल ने टच किया है और उसकी दूसरी उपधारा वह निकालना चाहते हैं तो जब धारा ८ अंडर कंसिडरेशन है तो उस हालत में मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है वह उपधारा (१) का है और इसलिये मेरा यह संशोधन नियमित है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे पेश करने की मुझे अनुमति देंगे क्योंकि मैंने कोई नई धारा नहीं जोड़ी है जिसको कि टच न किया गया हो।

श्री अध्यक्ष--माननीय शिक्षा मन्त्री, क्या आप को कोई आपत्ति है?

श्री हरगोविंद सिंह--मुझे आपत्ति है इसलिये कि ८ (१) इस विधेयक का कोई हिस्सा नहीं है इसलिये उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वह इस विधेयक का कोई भाग नहीं है, इस विधेयक का भाग केवल ८ (२) है।

श्री अध्यक्ष--तो यह इसका, स्कोप जिसको कहते हैं, यानी परिधि उसको बढ़ाता है, इस विधेयक के स्कोप को बढ़ाता है इसलिये मैं इसे पेश करने की यहाँ इजाजत नहीं देता हूं और आगे का भी ऐसा ही है। दोनों ऐसे ही हैं। इसलिये अब मैं खण्ड ५ ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ९ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst persons whose names are submitted by the Executive Council in accordance with sub-sections (2) and (3).

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vancancy is due to occur in the office of the Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names not exeeding three in number of persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either sumbit the same names or make any additions or alterations in them so, however, that the names so submitted do not exceed three in number.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) does not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall out of the names so proposed elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs.2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs.2,00 per month.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting his resignation to the Chancellor not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved.

(6) No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for reappointment.

(7) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying in the dutis of the Vice Chancellor and shall at the sametime call upon the Executive Council to forward its recommendations in accordance with sub-section (2) and (3).

(9) Until the Chancellor has made arrangements under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor."

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खण्ड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९ की उप-धारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council out of a penal of names submitted by a committee consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council and (*c*) a person chosen by the U. P. Public Service Commission.

(2) The Chancellor shall endorse the choice of the Executive committee for the post of Vice-Chancellorship.

(3) The Chancellor may after giving specific reasons refer back the matter to the Executive Council for reconsideration but the choice of the Executive shall be final."

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बिल्कुल ही साफ है। अमेंडिंग बिल में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार चांसलर को दिया गया है और यह भी एक बहुत महत्व का शिक्षा से सबन्धित प्रश्न है कि चांसलर ही वाइसचाँसलर को नियुक्त करे या एक्जीक्यूटिव कौंसिल करे। मेरी राय यह है कि युनिवर्सिटी की आटोनामी को ख्याल में रखते हुये और सता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को मानते हुये यह आवश्यक है कि चांसलर जो कि आमतौर पर अब तक और अमेंडिंग बिल में भी गवर्नर ही हुआ करता है उसी को जो यह अख्तियार है वह न रहे एक असफल प्रयत्न मैंने अवश्य किया एक संशोधन के जरिये से इसके लिये लेकिन उसमें मुझे कामयाबी नहीं हुई। अब चांसलर द्वारा वाइसचांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुझे विशेष आपत्ति इसलिये है कि एक तो जितने हमारे प्रदेश में युनिवर्सिटी ऐक्ट बने हुये हैं वह विदेशी शासन के जमाने में बने हैं। उस वक्त विदेशी शासन तो यह चाहता ही था कि हर तरह से हर प्रकार की शक्ति इसके हाथ में रहे और साथ ही साथ शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुये कि शिक्षा में अगर कोई राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है तो विदेशी शासन की तो मौत ही हो सकती है तो इसके कारण से उन्होंने यह मुनासिब समझा कि गवर्नर ही वाइसचांसलर को नियुक्त करे। लेकिन मुझे आशा थी कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जायगा और एक ऐसा मौका उपस्थित भी हुआ हमारेसामने जब कि एक विधेयक आगरा युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में लाया गया और मुझे यह खुशी भी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी खुद ही ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे तो अवश्य ही उनके ऐसा विद्वान जो एजूकेशन को भी अच्छी तरह से समझता है वह तो अवश्य ही कोई ऐसी नीति अपनायेंगे। लेकिन मुझे निराशा हुई और ऐसी हालत में भी निराशा हुई कि मैंने देखा कि जब से हमारे देश में कांग्रेसी शासन हुआ उस वक्त से जितने भी अप्वाइंटमेंट्स गवर्नर्स के हुये या तो उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो या तो केंद्रीय केबिनट के मंत्री की हैसियत से असफल रहे या उनको केन्द्रीय केबिनट में जगह नहीं दी जा सकी और उनको कहीं न कहीं जगह प्रोवाइड करने के लिये गवर्नर बना दिया और इत्तफ़ाक से मेरा ख्याल है कि ९० फीसदी व्यक्ति ऐसे हैं जोकि काँग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं।

राज्यपाल के व्यक्तित्व के विरुद्ध भाषण करने पर वैधानिक आपत्ति

शिक्षा मंत्री, (श्री हरगोविंद सिंह)--प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि इस भवन में गवर्नर के प्रति कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष--किसी गवर्नर के प्रति व्यक्तिगत या विशिष्ट गवर्नर के प्रति संकेत कर के बात नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस की, उनके नियुक्ति नीति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

श्री हरगोविंद सिंह--कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में तो कहा जा सकता है लेकिन गवर्नर के व्यक्तित्व के खिलाफ भवन में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—व्यक्तित्व के खिलाफ तो अभी कुछ नहीं कहा गया।

श्री हरगोविंद सिंह—नहीं, उन्होंने यह कहा कि कोई गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में असफल हो गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में जगह नहीं मिली हो तो ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह एक गवर्नर के लिये लागू नहीं होता, सभी गवर्नरों के लिये कह रहे हैं। इसलिये वह ऐसा कह सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी को चोट पहुंची और यह तो मैं समझता हूं कि उन्होंने "चोर की दाढ़ी में तिनका" वाली कहावत चरितार्थ की है।

श्री अध्यक्ष—आप यह शब्द वापस लें। आप "चोर" शब्द का प्रयोग शिक्षा मंत्री के लिये कर रहे हैं। तो यह आप ने जानबूझ कर एक अब्यूज की तरह प्रयोग किया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अच्छी बात है, मैं वापस लेता हूं।

मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही कि जितने भी गवर्नर अप्वाइंट हुये वह या तो केन्द्रीय कैबिनेट में असफल रहे या उनको वहाँ जगह नहीं मिली। उदाहरण के लिये.....

श्री अध्यक्ष—मैं उदाहरण देने की इजाजत नहीं दूंगा, आम तौर से कहें तो बात दूसरी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप को आपत्ति नहीं होगी। उदाहरण तौर पर मैं सर महाराज सिंह का नाम लेना चाहता हूं। वह एमीनेंट एजूकेशनिस्ट थे।

श्री अध्यक्ष —चाहे कोई हों, मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

खंड ६ (क्रमागत)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—तो ऐसी परिस्थिति में और भी आवश्यक हो जाता है कि जब कि कांग्रेसी शासन की यह नीति हो गयी कि एक व्यक्ति जिसको कहीं कैबिनेट में जगह नहीं मिली वह प्रान्त का गवर्नर ही नहीं बल्कि जितनी भी युनिवर्सिटीज हों उनका चाँसलर भी हो, तो यह आपत्तिजनक बात है और इसको कोई व्यक्ति बरदाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इसमें एक मूलभूत सिद्धान्त है। गवर्नर कोई भी हो वही वाइस-चाँसलर की नियुक्ति करे, यह नामुनासिब बात है। ऐसी परिस्थिति किसी भी प्रान्त में कभी न कभी उठ सकती है कि कोई भी गवर्नर जो किसी युनिवर्सिटी का चांसलर हो और किसी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो वह अपने अधिकारों से बाहर जा कर किसी पार्टी का साथ दे और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाय और यह यूनिवर्सिटी आटोनोमी के खिलाफ भी है। इसलिये आवश्यक है कि एग्जिक्युटिव कौंसिल जिसकी सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी चलाने की है उसको मौक़ा दिया जाय। लेकिन यहाँ मैंने यह नहीं कहा कि सिर्फ एग्जिक्युटिव कौंसिल ही करेगी बल्कि चांसलर को भी अधिकार है और उपधारा (३) में जैसा कि मैंने कहा है गवर्नर योंही कह कर के कि यह व्यक्ति नाकिस है या जो पेनल आपने दिया वह नाकिस है, उसमें से किसी को भी वाइसचांसलर नहीं बनाया जा सकता, टाल नहीं सकता। उसको कोई स्पेसिफिक् रीजन्स देकर ही उस मामले को रेफर करना होगा। बात साफ है कि सिर्फ एक आदमी को मैं नहीं चाहता कि एग्जिक्युटिव कौंसिल भेजे, बल्कि पेनल होगा जो कि कुछ खास आदमियों का होगा जिसमें कोई पक्षपात या अयोग्यता की बात न हो। इसलिये मैंने अपने संशोधन में एक कमेटी की बात कही है।

"(*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council and (c) a person chosen by the U. P. Public Service Commission."

यह तीन आदमी एक पैनल तैयार करेंगे और उसमें चांसलर को अधिकार होगा। तो बिलकुल

विरोध भी मैंने नहीं किया और काफी मैंने इस बात की गुंजायश कर दी है कि कोई इस सम्बन्ध में न रह जाय। युनिवर्सिटी की आटोनामी का खयाल रखते हुये चान्सलर को एक्जिक्युटिव कौंसिल के ऊपर अधिकार देना ही नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री के लिये यह एक सुअवसर है कि वे इस अमेंडमेंट को मान कर के एक इन्कलाबी क़दम उठायें जो और प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के लिये एक नमूना हो। यह ख्याल कर के कि यह संशोधन विरोधी दल की तरफ से आया है, काँग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है और ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने भी इसको प्रपोज़ नहीं किया है, इसलिए इसको नामंजूर नहीं कर देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार कर के इस क्रान्तिकारी क़दम का श्रेय लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने उपस्थित किया है मैं इसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि यदि उनका यह संशोधन मान लिया जाय तो जिस अभिप्राय से इस बिल को इस भवन में रखा गया है, वही ख़त्म हो जाता है। शुरू में जब यह बिल हमारे सामने आया था तब माननीय शिक्षा मंत्री ने तथा अन्य महानुभावों ने यह बात साफ कही थी कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि आगरा युनिवर्सिटी के अन्दर कुछ ऐसी कमियाँ पैदा हो गयी हैं और कुछ इस तरह की पार्टीबाजी पैदा हो गयी है जिस की वजह से जो वहाँ का शिक्षा का स्तर तथा वहाँ का प्रवन्ध है वह दिन पर दिन गिरता जा रहा है और उसके सुधार के लिये यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे कायदे बनाये जायं जिनसे जो वहां कमियाँ और पार्टीबाजी पैदा हो गयी है वह ख़त्म हो जाय। तो यदि वाइस-चांसलर के अप्वाइंटमेंट का अधिकार, जैसा कि त्रिपाठी जी कहते हैं, बजाय चांसलर के एक्जिक्युटिव को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह पार्टीबाजी बजाय इसके कि ख़त्म हो और ज्यादा बढ़ जायगी। त्रिपाठी जी ने इसमें शक नहीं कि यह भी कहा है कि चान्सलर अप्वाइंट करे मगर वे यह चाहते हैं कि फाइनल च्वाइस एक्जिक्युटिव की हो। इससे चान्सलर के लिये यह आवश्यक होना कि एक्जिक्युटिव जिसको कहे उसको वह डिटो कर दे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार चान्सलर को कोई असल पावर नहीं दी गयी है। सिवाय स्टौम्पिंग जितनी युनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ हैं यदि उनका विधान देखा जाय तो शायद कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अन्दर एक्जिक्युटिव को यह पावर दी गयी हो। कुछ ऐसी युनिवर्सिटीज़ तो हैं कि जहाँ कोर्ट्स से वाइस चाँसलर का चुनाव होता है। लेकिन ऐसी शायद ही कोई युनिवर्सिटी हो जहाँ कि एक्जीक्युटिव की फायनल च्वायस हो वाइस-चान्सलर के चुने जाने में। अलावा इसके जो भी हमारे प्रदेश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं और जिन्होंने अपनी भिन्न-भिन्न रायें दी हैं उन सब की यही राय है कि वाइस-चांसलर का अप्वाइंटमेंट चान्सलर को ही करना चाहिये और वह एक्जिक्यूटिव की ऐडवाइस पर होना चाहिये। राधाकृष्णन कमीशन जो इस सम्बन्ध में काफी डिटेल में गया है उसने भी इस मामले पर ग़ौर किया कि वाइस-चान्सलर की नियुक्ति किस प्रकार हो। उसने स्पष्ट कहा है कि वाइस-चान्सलर का अप्वाइंटमेंट एक्जिक्युटिव की ऐडवाइस पर चांसलर को करना चाहिये। केवल इतना अन्तर है कि उसने सिर्फ यह कहा है कि एक ही आदमी की च्वाइस एक्जिक्युटिव भेजे और चांसलर को यह अधिकार हो कि वह यदि चाहे तो उस च्वाइस को वापस कर दें और एक्जिक्युटिव उस पर दुबारा ग़ौर कर ले। लेकिन एक्जिक्युटिव के हाथ में अप्वाइंटमेंट उन्होंने नहीं दिया। इस बिल में अधिक से अधिक तीन च्वाइस दी गयी हैं। अमेंडमेंट में कहा गया है कि एक कमेटी बनायी जाय और उस कमेटी के अन्दर तीन आदमी हों। एक चांसलर का नामिनी हो, एक एक्जीक्युटिव का हो, और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का हो।

श्री त्रिपाठी जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उसमें घसीटा है इसलिए मैं समझता हूं कि यह कमेटी भी एक हाच पाच कमेटी बन जायेगी। इन सब चीजों को देखते हुए यदि यह आवश्यक मान लिया जाय कि वाइस-चांसलर जहां तक सम्भव हो सके पार्टी बाजी से अलग हो उसकी सिक्योरिटी आफ टेन्योर किसी ऐसी बाडी के हाथ में न हो, जिसमें उसका सारा समय मेम्बरों को ही डील करने में और उनको अपने साथ रखने में व्यतीत हो, अगर यह ध्येय

[श्री नवलकिशोर]

है, तो श्री त्रिपाठी जी भी इस से सहमत होंगे कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक्जीक्युटिव के हाथ में एक तरफ की पावर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सारी ताकत एक्जीक्युटिव के हाथ में दे दी जायगी तो उसके अन्दर भी पार्टीज बनेंगी। इन बातों को सोचते हुए और पिछली कमीशन्स की रिपोर्ट्स जो हमारे और आपके सामने मौजूद हैं, उनकी सिफारिशों की रोशनी में जो मौजूदा प्रोविजन्स इस बिल के अन्दर हैं वह अत्यन्त उचित हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, आगरा युनिवर्सिटी बिल की धारा ४ जो हमारे सामने है, वह वाइस-चांसलर की नियुक्ति से सम्बन्ध रखती है। वाइस-चान्सलर की नियुक्ति किस प्रकार हो और उसे कौन करे इस सम्बन्ध में केवल दो ही विचार हो सकते हैं। एक विचार जो सरकार ने अपने विधेयक द्वारा सदन के सामने रखा है, उसके अनुसार वाइस-चान्सलर की नियुक्ति चान्सलर द्वारा की जाय। जो कुछ भी शब्द उसमें हैं बहरहाल उसका सूक्ष्म नतीजा यह निकलता है कि वाइस-चान्सलर की नियुक्ति चान्सलर करे। इसके अतिरिक्त जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने सदन के सामने रखा है, उसमें यह भेद है कि वाइस-चान्सलर की नियुक्ति (एप्वाइन्टमेंट) चान्सलर करे किन्तु एक ऐसे योग्य व्यक्ति को तलाश उन्होंने चान्सलर के हाथ में नहीं छोड़ी है, बल्कि उनका सुझाव यह है कि एक पैनेल बने, यानी एक सब कमेटी बनें जिसमें कि एक परसन नामिनेटेड बाई दि चान्सलर हो और एक व्यक्ति ऐसा हो, जो कि इमिनेंट एजुकेशनिस्ट हो और तीसरा व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त हो। वह तीन व्यक्ति एक पैनेल चान्सलर के पास भेज, दें और फिर चान्सलर उनमें से एक व्यक्ति को वाइस चांसलर के लिए नियुक्त करें। मुझे दुख है कि त्रिपाठी जी के संशोधन से कुछ साफ मतलब नहीं जाहिर हो रहा है। हालांकि त्रिपाठी जी के संशोधन में सब बातें स्पष्ट रूप से लिखी गयी हैं किन्तु दूसरे और तीसरे खण्ड को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्जीक्युटिव कमेटी को अधिक अधिकार दिये हैं। दूसरी धारा में यह लिखा है कि--

"The Chancellor shall endorse the choice of the Executive Committee."

तो यह मैं नहीं समझ पाया कि एक्जीक्युटिव कमेटी की च्वाइस कहां आती है। जहां तक मैं त्रिपाठी जी के संशोधन को समझ पाया, वह यह है कि च्वाइस तीन आदमियों का पैनल करेगा।

"The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council out of a penal of names submitted by a Committee consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor." . . . .

जहां तक त्रिपाठी जी का संशोधन है, पहले मैं उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ था, किन्तु अब दुबारा उसको पढ़ने के बाद और त्रिपाठी जी की बात सुनने के बाद मुझे यह लगता है कि दिल्ली युनिवर्सिटी के फारमूला में उन्होंने काफी परिवर्तन कर दिया है। मेरी आशा यही थी कि त्रिपाठी जी दिल्ली युनिवर्सिटी के फारमूला को पेश करेंगे और मैं उम्मीद करता था कि सरकार उसको स्वीकार कर लेगी। बहरहाल कुछ भी हो वायस चांसलर की नियुक्ति दो ही संस्था कर सकती हैं। या तो युनिवर्सिटी करे या फिर चांसलर खुद करे। सरकार ने चांसलर को यह अधिकार दे रखा है। यह कहना बेकार है कि चांसलर को अधिकार देने का मतलब यही हुआ कि सरकार ने अपने हाथ में अख्तियार ले रखा है। चांसलर के अधिकार बहुत ही सीमित हैं और यह भी सही है कि एक चांसलर चन्द सालों के लिए ही रहेगा और चन्द सालों के बाद दूसरा चांसलर गवर्नर की हैसियत से आता रहेगा। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह कोई एक फिक्स्ड पालिसी है या जिस प्रकार से युनिवर्सिटी का काम चल रहा है, उसी पालिसी को सक्सीडिंग दूसरा चांसलर चला सके।

श्री नवल किशोर जी ने कहा कि यदि त्रिपाठी जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो बिल का पूरा अभिप्राय ही खत्म हो जायगा। मैं इस बारे में उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। आखिर बिल का मुख्य अभिप्राय यही है कि सरकार आगरा यूनिवर्सिटी के काम को हर तरह से अपने हाथ में ले ले। यदि यूनिवर्सिटी का मुख्य आदमी वाइस-चांसलर ऐसा व्यक्ति हो जाय जो सरकार की हर बात में हां में हां न लगाये, तो श्री नवल किशोर जी ने सही कहा कि बिल का पूरा अभिप्राय दूर हो जायगा। एक वाइस चांसलर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह गवर्नमेंट के नियुक्त किये हुए चांसलर की तरह से हर विषय में गवर्नमेंट की हां में हां मिलाता रहेगा। इस बात का यदि कोई सबूत चाहे तो मैं पेश भी कर सकता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की किसी एक यूनिवर्सिटी में ऐसा पाया जाता है कि जहां वाइस चांसलर को गवर्नमेंट के एक मंत्री महोदय नियुक्त करते हैं। वह किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की देख-भाल करते हैं। और किस तरह से वह यूनिवर्सिटी के लिये सरकार से लड़ते हैं और गड़बड़ी के वक्त वह यूनिवर्सिटी के कम्पाउन्ड में रहते हैं या गैर हाजिर पाये जाते हैं। यह बातें सभी को मालूम हैं। इस-लिये यह अति आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सरकार की खिलाफत न करें, किन्तु जब मौका आये, तो सरकार के साथ अपनी यूनिवर्सिटी के लिये लड़ने के लिये भी तैयार रहें। ऐसा न हो कि वाइस-चांसलर केवल नाम मात्र का एक पुरुष हो जो सरकार के साथ स्वाभाविक रूप से हां में हां मिलाता रहे या सरकार के साथ लड़ने की हिम्मत न रखे।

माननीय नवल किशोर जी ने राधाकृष्णन कमीशन का भी जिक्र किया और बतलाया कि उनकी सिफारिश यह थी कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति आन दी एडवाइस आफ एक्जी-क्युटिव कौंसिल हो। नवल किशोर जी को याद होगा कि इसमें साथ ही साथ यह भी आशा की गयी थी कि चूंकि एजुकेशन एक स्पेशल सब्जेक्ट है। मैं मंत्री महोदय के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूं लेकिन मनुष्य में कमजोरियां पायी जाती हैं। अगर किसी आदमी को किसी विभाग का जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो वह अपने आप को उसका एक स्पेशलिस्ट समझने लगता है। हमारे मन्त्री महोदय तो एक एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिये यह नहीं लगता है। किन्तु यह अच्छा हो कि शिक्षा से जिनका ताल्लुक रहा है और जो अपना पूरा जीवन एजुकेशन में ही काटते हैं उनको इस बारे में अधिक अधिकार दिया जाय। सरकार यदि अपने हाथ में वाइस-चांसलर की नियुक्ति रखती है, तो यह भी स्वाभाविक है कि उसकी नियुक्ति के समय सरकार को एजुकेशन के अलावा और विषयों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि किन और बातों का सरकार को ध्यान रखना पड़ता है, यह सब को मालूम है।

अध्यक्ष महोदय, नवल किशोर जी ने यह भी कहा कि जो सुझाव माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है, जिसके अनुसार तीन व्यक्तियों का पैनेल वाइस-चांसलर की नियुक्ति करेगा, वह हाच पाच है। हाच पाच है, किन्तु मुझे विश्वास है कि हाच पाच होने के बावजूद भी ये तीन व्यक्ति, एक चांसलर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, एक एक्जीक्युटिव कौंसिल द्वारा चुना हुआ व्यक्ति और एक पी० एस० सी० द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, उपयुक्त लोग होंगे। चांसलर आदि से आशा की जा सकती है कि ये उचित व्यक्ति को ही नियुक्त करने की सिफारिश करेंगे।

अटानोमी का सवाल हमेशा चलता रहेगा। चाहे आगरा युनिवर्सिटी बिल इसी रूप में पास क्यों न हो जाय, किन्तु मुझे विश्वास है कि अटानोमी में जो सरकार दखल दे रही है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वाइस-चांसलर की नियुक्ति में भी जो युनिवर्सिटी की अटानोमी में दखल दिया जा रहा है, इसका परिणाम शायद हमारे मंत्री महोदय को भुगतना न पड़े, किन्तु भविष्य में किसी को भुगतना जरूर पड़ेगा। इस सब का नतीजा यह होगा कि सरकार के सामने एक के बाद एक परेशानी आती जायगी। साथ ही साथ युनिवर्सिटी के प्रशासन में घपला ही बढ़ता जायगा। जब तक युनिवर्सिटी का हर एक शिष्य और मुलाजिम यह न समझे कि हमारा सब से पहले सम्बन्ध वाइस-चांसलर और युनिवर्सिटी से है और उसके

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

बाद सरकार से है, तब तक यह होना स्वाभाविक है कि युनिवर्सिटी और एफ़िलिएटेड कालेज के कर्मचारी युनिवर्सिटी को ठुकरा कर सीधे सरकार के पास आयें। यह भी एक दुःख की बात है कि सरकार के पास पहुंच करने के लिये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में घरेलू नेता हैं जिनके खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। यह देश का दुर्भाग्य है कि जिम्मेदारी वाले नेता और गैर जिम्मेदारी वाले नेता इन सब की शक्ल और भेष एक सा है। यह ठीक है कि आज बहुत से लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं जैसा कि इस सदन के सभी सदस्यों से आशा की जाती है, किन्तु इसके बावजूद भी आज हमारी रूलिंग पार्टी है उसके और भी हैंगर्स आन हैं वे भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमारे जिले भर में फैले हुए जो नेता हैं, उनके खिलाफ मैं इस लिये विशेष आवाज़ उठाता हूं कि उन्हीं के कारण आज सरकारी कर्मचारियों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। वे अगर उनकी सिफारिश ठुकरा दें, तो फिर मन्त्री महोदय के पास वे सिफारिश पहुंचाते हैं और मंत्री महोदय के पास जब बार-बार इस प्रकार की चीजें आती हैं तो वे बेचारे कुछ अधिक बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको भी दो-तीन साल आगे देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर उनका अगला चुनाव निर्भर है। हालांकि ये सब बातें यहां कुछ असंगत सी हैं, लेकिन यदि सरकार सारी जिम्मेदारी ले और सब काम चलाने की कोशिश करे तो यह गलत बात है। सरकार का कर्त्तव्य है कि सभी संस्थाओं को सही रास्ते पर डाल दे, सिर्फ उन पर रोक लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले।

मैंने यह बात हमेशा कही कि आगरा युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक हो गयी थी कि सरकार अपने हाथ में अधिक से अधिक अधिकार ले, किन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि किसी और के अधिकार भी वह छीन ले। मैं मानता हूं कि युनिवर्सिटी और एफ़िलियेटेड कालेजेज़ पर सरकार को पूरा अधिकार रखना चाहिए किन्तु यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता कि वे किसी के ऊपर आक्षेप लगाकर उसको भविष्य के लिये अयोग्य ठहरा दें, और उसके पूरे अधिकारों को छीन लें। जो उत्तर पहले संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने दिया है, वह मेरी गलती या मूर्खता की वजह से मेरी समझ में नहीं आया लेकिन उनकी तरफ जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि वह उसको समझ गये हैं। वे दरअसल समझ गये होंगे।

इतने शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति सरकार द्वारा होना एक अनुचित बात होगी क्योंकि यह एक स्पेशलाइज्ड विषय है जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये पूरा जीवन काटना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वह हर एक विषय पर यह न समझें कि उनका डिपार्टमेंट या वे स्वयं हर बात की जानकारी रखते हैं। मैं यह मानता हूं कि उनका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन यह एजुकेशन का विषय है। फिर हर एक दिन का काम उनके सामने नहीं आयेगा। उनके सामने तो बड़े-बड़े मसले ही पहुंच पायेंगे। इसलिये कहीं ऐसा न हो कि अधिकार ले लेने से, उन के पास समय न होने से या सेक्रेटरी के पास समय न होने से, आन दी स्पाट जो लोग हैं वे भी वहां पर होने वाले घपले को रोकने में असमर्थ हो जायं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे त्रिपाठी जी ने भवन के समक्ष रक्खा है, मैं उसका विरोध करता हूं। त्रिपाठी जी का संशोधन यह है कि वाइस-चांसलर जो नियुक्त किया जाय उसके लिये पहले एक कमेटी बनायी जाय। वह कमेटी कुछ नाम एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने भेजे, और एक्जीक्युटिव कौंसिल उन नामों में से छांट कर चांसलर के पास भेजे। उसमें यह भी कहा गया है कि इस कमेटी में एक प्रतिनिधि चांसलर का हो, दूसरा प्रतिनिधि एक्जीक्युटिव कौंसिल का हो, तथा तीसरा प्रतिनिधि पब्लिक सर्विस कमीशन का हो। वास्तव में यह चीज़ एक्जीक्युटिव कौंसिल के ही अधिकार में होगी, कि वाइस चांसलर की नियुक्ति किन-किन आदमियों में से की जाय और जो एक्जीक्युटिव कौंसिल नाम छांटेगी, चांसलर उन नामों में से एक को चुनेगा। फिर जब कि एक्जीक्युटिव कौंसिल वर्तअली वाइस-चांसलर को चुनने का अधिकार रखती है, तो फिर वह अपना प्रतिनिधि किसी दूसरी कमेटी में भेजे, यह बात समझ में नहीं आती है। किसी संस्था का प्रतिनिधि

किसी दूसरी कमेटी में भी भेजा जाता है जब कि उसके हाथ में अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार से जब चांसलर उसके पास आये हुए तीन नामों में से किसी एक को चुनेगा, तो उसके प्रतिनिधि का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि कानूनी दृष्टि से नियुक्ति चांसलर के ही हाथ में होगी। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के तीसरे सदस्य का ताल्लुक है, वह बेकार सी चीज है।

इसके अतिरिक्त त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है, उसके १, २, ३ खंड हैं, जो एक दूसरे से कन्ट्राडिक्ट करते हैं। त्रिपाठी जी ने लिखा है—

"The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council."

लेकिन दूसरे ही खंड में वे लिखते हैं—

"The Chancellor shall endorse the choice of the Executive Committee for the post of Vice-Chancellorship."

जहां तक इलेक्शन का सवाल है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल इलेक्ट करेगी और जब किसी का निर्वाचन होता है, तो वह चीज फाइनल मान ली जाती है।

जब एलेक्शन हो जाता है, तब चांसलर उस डिसिजन पर अपनी मुहर लगाता है। फिर उसे इन्डोर्स करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। आपने कहा है—

"The Chancellor may after giving specific reasons refer back the matter to the Executive Council for reconsideration but the choice of the Executive shall be final."

यहां आपने लिखा है कि चांसलर उन्हीं नामों में से लेगा। जहां तक एलेक्शन और चांसलर के मुहर लगाने का सवाल है, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो संशोधन है, वह ठीक नहीं है और यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। जहां तक इसका सवाल है, कि कमेटी कुछ नाम पेनल के रूप में एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने रखेगी, अगर यह मान लिया जायगा तो मैं समझता हूं कि यह सिस्टम बड़ा पेचीदा हो जायगा। एक तरफ एक्जीक्युटिव कौंसिल कुछ नाम चांसलर के सामने भेजेगी और फिर एक्जीक्युटिव कौंसिल उन नामों पर विचार करेगी और कमेटी उसके सामने नहीं है तो यह प्रोसीजर बड़ा पेचीदा हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह न्याय के अनुसार नहीं मालूम पड़ता है। इस लिये यह जो संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

जहां तक हमारे मित्र शाह साहब ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार वाइस चांसलर की नियुक्ति अनुचित तरीके से करने जा रही है, मैं तो यह समझता हूं कि यह विधेयक जिसमें कि सिलेक्ट कमेटी ने संशोधन पेश किया है, उसके पास होने के बाद अब किसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार वाइस चांसलर की नियुक्ति अपनी तरफ से करने जा रही है। अब तो पूरा अधिकार एक्जीक्युटिव कौंसिल को ही हो गया है कि वह जो नाम चांसलर के सामने भेजेगी, चांसलर उन्हीं नामों में से किसी सज्जन की नियुक्ति कर सकता है। अगर चांसलर तीन नामों के आने के बाद समझता है कि कोई नाम ठीक नहीं है, तो वह फिर एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने उन नामों को रिकन्सीडरेशन के लिये भेजेगा। फिर भी अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल उन्हीं तीन नामों को भेजती है, और कुछ संशोधन करने के बाद, कुछ घटाने-बढ़ाने के बाद दूसरे नाम भेजती है, तो जो नाम एक्जीक्युटिव कौंसिल भेजेगी, चांसलर उन्हीं में से किसी को चुन सकता है। वह किसी चौथे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो एक तरह से यहां युनिवर्सिटी की आटोनामी का सरकार उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि यहां पर संशोधन के बाद तो युनिवर्सिटी क आटोनामस होने का रेस्पेक्ट किया जाता है। उसको मान्यता प्रदान की जाती है। इन शब्दों के साथ मैं श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है। दो नक्शे हमारे सामने हैं। एक तो विधेयक में वाइस-चांसलर को चुनने का जो तरीका बतलाया गया है, और दूसरा वह तरीका जो संशोधन में रखा गया है। विधेयक के अन्दर चांसलर को अख्तियार दिया गया है कि वे केवल तीन नामों में से जो एक्जीक्युटिव कौंसिल उनको भेजे, उनमें से एक को वाइस-चांसलर चुन ले। एक्जीक्युटिव कौंसिल को तीन नाम अपने चुनने पड़ेंगे। अगर तीन नामों के अतिरिक्त चौथा नाम नहीं है तो एक्जीक्युटिव कौंसिल तीनों को चांसलर के पास भेज देगी। अगर तीन नाम से ज्यादा नाम हैं तो एक्जीक्यु-टिव कौंसिल अपने सामने रखे गये, नामों में से सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये तीन नाम चुनेगी और उन नामों को चांसलर के पास भेज देगी। और उनमें से चांसलर किसी को वाइस-चांसलर नियुक्त कर देगा। जो संशोधन श्री त्रिपाठी जी ने रखा है, उसमें वाइस-चांसलर को चुनने का अधिकार चांसलर को नहीं दिया गया है, बल्कि एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने सेलेक्शन कमेटी जो नाम तजवीज करेगी, उन नामों में से एक्जीक्युटिव कौंसिल एक नाम चुनेगी और उन्हें वाइस-चांसलर नियुक्त करेगी। इस संशोधन में कहा गया है कि सेलेक्शन कमेटी के पेनल में इन तीन व्यक्तियों के नाम होंगे। एक चाँसलर जिनको चुने, एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल जिनको नियुक्त करे और तीसरा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको मुकर्रर करे। जहाँ तक पब्लिक सर्विस कमीशन का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल में वाइस-चाँसलर की नियुक्ति से पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक दूसरे काम के लिये नियुक्त होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार के आदमी होते हैं, यह लाजिमी नहीं है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेषज्ञ हों और इसके उपयुक्त हो कि वे वाइस चाँसलर की नामजदगी कर सकें। तो एक मेरा विरोध इस सेलेक्शन कमेटी में किस प्रकार के लोग रखे जायं उसके ऊपर है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जहाँ तक एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर वाइस-चाँसलर की नियुक्ति को छोड़ने का प्रश्न है उसपर काफी वाद विवाद हो चका है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न प्रयाग विश्वविद्यालय के अन्दर भी था और मूथम कमेटी के सामने भी था। मूथम कमेटी ने भी इस पर विचार किया और मूथम कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि वाइस चाँसलर की नियुक्ति एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिये। इसलिए कि वाइस चाँसलर एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी के शासन का पूरा भार है और उसकी नियुक्ति अगर उन्हीं लोगों पर छोड़ी जाय जो उसके नीचे काम करते हैं, टीचर्स इत्यादि पर, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसके कारण वाइस चाँसलर के हाथ कमजोर हो जायेंगे। श्रीमन्, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर टीचर्स और ऐसे व्यक्ति जिनका सम्बन्ध प्रायः शिक्षा से रहता है उनकी संख्या ज्यादा होती है। देखा यह गया है कि जहाँतक एटेंडेंस का सम्बन्ध है प्रायः टीचर्स ही का वहाँ बहुमत रहता है। ऐसी स्थिति में एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर अंतिम फैसला वाइस चाँसलर की नियुक्ति का रखना कहाँ तक उचित है यह जैसा मैंने निवेदन किया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके सम्बन्ध में मूथम कमेटी की जो राय है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मूथम कमेटी रिपोर्ट के पृष्ठ १५४ पर कहा गया है :—

"We think that the present system suffers from three main defects. In the first place it is said, and we think with justification, that only the nominee of the majority group in the Executive Council stand any chance of election, for it is only their names which will be submitted to the Court. Secondly, the electorate consists largely of teachers of the University (who, although they are a minority on paper, constitute the majority of those present at meetings of the Court) and we think it far from satisfactory that a Vice-Chancellor should largely owe his appointment to the votes of those over whom he is the academic and administrative head."

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर आखिरी फैसला छोड़ना मुनासिब नहीं है और इस संशोधन में जो यह कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर इस फैसले का निर्णय किया जाय वह उचित नहीं प्रतीत होता ।

दूसरे श्रीमन्, एक प्रश्न और भी उठता है और वह यह कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने कितने नामों का पैनेल यह कमेटी भेजेगी । संशोधन में यह सिर्फ कहा गया है कि एक सेलेक्शन कमेटी बनेगी और वह सलेक्शन कमेटी नाम भेजेगी । कितने नाम भेजेगी यह माननीय रामनारायण जी ने अपने संशोधन में स्पष्ट नहीं किया है। वह ३ नाम भेजेगी या ४ नाम भेजेगी या ५ नाम भेजेगी इसकी संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। यह बड़ी भारी त्रुटि है। ३, ४, या ५ नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने आयेंगे फिर वहाँ पर खींचातानी का प्रश्न उठेगा और फिर जब एक्जिक्यूटिव कौंसिल वाइस चाँसलर को चुनेगी तो वह बहुमत से चुनेगी वहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट का सवाल नहीं उठेगा । फिर वही बात उठेगी जो कि आजकल सामने है और जिसके बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा में काफी कमजोरी आगयी है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में पार्टी बन्दी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ग्रूप है। हो सकता है माइनारिटी का ग्रुप हो, और हो सकता है मेजारिटी का ग्रुप हो। तो जब नामों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है तो फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने जब नाम आयेंगे तो वह किस प्रकार से उन नामों में से चुनेगी । इससे फिर झगड़ा उत्पन्न हो सकता है जो कि आजकल सामने है। तो यह भी एक बड़ा भारी महत्व का प्रश्न है।

इसके बाद मेरा यह निवेदन है कि जो नक्शा हमारे सामने विधेयक में रखा गया है वह भले ही १६ आने पूरा न हो या जो संशोधन में रूप रखा गया है उससे बहुत ज्यादा यह नक्शा सुन्दर न हो। उसके अन्दर एक्जिक्यूटिव कौंसिल तीन नाम भेजेगी । उसमें चाँसलर को अधिकार है कि वह उपयुक्त आदमी को चुने। यह जाहिर है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में सब प्रकार के लोग होते हैं। अगर वहाँ पर दलबंदी है तो दोनों दल अगर चुन लें और ३ आदमियों का नाम भेजा गया हो तो फिर उसमें सभी प्रकार के लोग आ जायेंगे । अगर मेजारिटी ग्रूप हो तो वह दो को चुन लेंगे और एक माइनारिटी का होगा । इसमें चान्सलर को यह अधिकार हो जायगा कि वह तीन व्यक्तियों में से किसी एक उपयुक्त आदमी को चुन ले। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने तीन से अधिक नाम हैं तो वहाँ पर उसके लिये एक बहुत ही मुनासिब तरीका रखा गया है जिसके द्वारा मेजारिटी और माइनारिटी ग्रुप के नुमाइन्दे और उनके प्रतिनिधि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा पैनाल में आ जायेंगे उन नामों में से जो कि तीन नाम पैनाल के लिये चाँसलर के सामने जायेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ दलबन्दी का और मेजारिटी और माइनारिटी की खींचातानी का प्रश्न है, वह प्रश्न हल हो जाता है और चाँसलर को फिर यह मौका मिलगा कि तीन में से किसी मुनासिब आदमी को वह नियुक्त कर दे ।

अब श्रीमन्, एक और गम्भीर प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है कि चाँसलर के हाथ में वाइस-चाँसलर के चुनाव का अन्तिम निर्णय देना कहाँ तक मुनासिब है ?

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रस्तावित संशोधन में यह कहा गया है कि वाइस चाँसलर के चुनाव में "the choice of the Executive shall be final" यानी एक्जीक्यूकिव को ही यह अंतिम अधिकार होगा। मूथम कमेटी ने कई सुझावों पर गौर किया और किसी भी सुझाव में उसने यह नहीं कहा कि अन्तिम फैसला एक्जीक्यूटिव कौंसिल का होना चाहिये । उसने अपने निर्णय के बाद जो सुझाव रखा उस

[श्री शिवनाथ काटजू]

में कहा गया है कि यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकमत हो और वह एकमत से एक नाम चुने तब भी उसका निर्णय आखिरी नहीं होगा, वह नाम कोर्ट के सामने जायगा और वहाँ यदि दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जायगा तो वह चाँसलर के पास भेजा जायगा और वह उसे स्वीकार करेगा। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने एक नाम न हो और वहाँ एक सेलेक्ट कमेटी बने जिस में २ एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रतिनिधि हों और एक एकेडेमिक कौंसिल का और वह नामों का पेनल चाँसलर के पास भेजे और चांसलर उनमें से एक नाम चुने। मेरा निवेदन है कि प्रथम कमेटी ने जिस ने कई सुझावों पर गौर किया था उसने सोच विचार के जो अपना निर्णय रखा उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का फैसला आखिरी होना चाहिये बल्कि उसके विरोध में कमेटी की रिपोर्ट में जो कहा गया है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। रहा चाँसलर के चुनने का प्रश्न, यह भी अपने स्थान पर काफी गम्भीर और महत्वपूर्ण है।

श्रीमन्, आज चाँसलर प्रांत के गवर्नर ही होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है जो बहुत ही वैधानिक है कि जब चाँसलर काम करते हैं तो वह अपनी राय से करते हैं या मंत्रिमंडल की राय से करते हैं। सन् ३५ के ऐक्ट में गवर्नर कुछ फैसले अपनी व्यक्तिगत राय से करते थे और कुछ मंत्रिमंडल की सलाह से करते थे। आज हमारे विधान में यह भेद नहीं है और गवर्नर यदि चाँसलर भी हैं तो वह गवर्नर ही रहते हैं और वह अपने व्यक्तित्व को दो रूपों में विभाजित नहीं कर सकते, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हर काम करने पर बाध्य होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही मंत्रिमंडल की ही होती है, हालांकि उसका स्पष्टीकरण नहीं है परन्तु प्रश्न यह होता है कि यदि चाँसलर उस पैनल के नामों में से एक को चुनेगा तो वह स्वतंत्र रूप से चुनेगा या कि वह मंत्रिमंडल की सलाह से वह कार्य करेगा। मेरे विचार में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे काम में मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य होना चाहिये ताकि उसकी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की हो और मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी इस सदन को है और उसके अन्दर है। फिर ज्यादा उलझनें उपस्थित नहीं हो सकतीं। वाइस चाँसलर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब यह स्पष्ट हो गया कि हमारे विश्वविद्यालयों के बहुत से झगड़े और बहुत सी शिकायतें जो कि प्रगट हो रही हैं उनका मुख्य कारण वाइस चाँसलर के चुनाव के झगड़े हैं। उन्हीं झगड़ों के कारण वह संकट उपस्थित होता है जिससे कुछ अंश में हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण आज इतना दूषित दिखता है।

वाइस चाँसलर के चुनाव के लिये कई सुझाव हमारे सामने रखे गये। कई सुझाव मुख्तलिफ कमेटियों के सामने आये और इस प्रश्न के ऊपर बहुत गम्भीरता से ध्यान दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक में जो सुझाव रखा गया और जो मार्ग निर्दिष्ट किया गया वह परिस्थित को देखते हुए सबसे सुन्दर है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं हो सकता। यदि होवे तो मैं अपने विरोधी दल के मित्रों से कहूंगा कि वह बतायें और मुझे विश्वास है कि सरकार उसको स्वीकार करेगी लेकिन उन्होंने जो रूप यहाँ अपने संशोधन में रखा है उसके अन्दर बड़ी शिथिलता है और उससे बजाय बेहतरी के, बजाय संकट के दूर होने के, यह सम्भावना है कि वह संकट और ज्यादा प्रबलता से हमारे सामने आ जाय। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो सुझाव हमारे सामने है वह आजकल की परिस्थिति को देखते हुए इतने सोच-विचार और इतने निर्णय के बाद रखा गया है। उससे सुन्दर अगर कोई दिखे और उनकी समझ में आये तो वह सदन के सामने रखें। किन्तु आज हमारे सामने इससे अधिक सुन्दर और कोई नहीं है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको दलबन्दी की नजर से देखा जाय यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा की उन्नति का प्रश्न है। उनको सुधारने का प्रश्न है और हमारे जो नवयुवक हैं उनके भविष्य को संवारने का प्रश्न है। आज यदि सरकारी

कुर्सियों पर काँग्रेस है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि यह विधेयक भी उन्होंने यह समझकर बनाया है कि वे हमेशा, हर परिस्थिति में वहीं बैठे रहेंगे। यह विधेयक तो रहेगा और यह विधेयक तो अगर जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि खुदा न ख्वास्ता हमारे विरोधी दल के मित्र भी यहाँ कभी बहुमत में आ गये तो उनके लिये भी रहेगा मेरे ख्याल में यह काफी सुन्दर सुझाव है और वे इसको इतनी जल्दी पलट नहीं सकेंगे जितनी जल्दी कि आज वह उतावलेपन में इसको पलटने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और बहुत वाद-विवाद के बाद तथा काफी सोच-समझ कर यह मार्ग हमारे सामने रखा गया है और हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, इससे बेहतर सुझाव हमारे सामने नहीं है। मैं अपने मित्रों से यह आशा करूंगा कि वे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह आगरा यूनिवर्सिटी में जो कुछ बुराइयाँ पैदा हुई जो भी सब कठिनाइयाँ आज सरकार को झेलनी पड़ रही हैं और जो भी दिक्कतें सामने आयीं वह हर तरफ से यह माना गया कि इसकी वजह जो थी वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल थी। उसमें कुछ लोग ऐसे आ गये थे, कुछ ऐसे प्रतिबन्ध नहीं थे जिन के कारण बहुत सी गुटबंदियाँ रोकी जा सकती थीं। इन पार्टी पोलिटिक्स की वजह से, गुटबंदियों की वजह से शिक्षा का स्तर भी नीचे गिरने लगा और बहुत सी ठिनाइयाँ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और सरकार के सामने उपस्थित हुई जिनके लिए यह विधेयक उपस्थित हुआ और उसके अध्ययन करने से यह साफ है कि खंड १३ में जितनी बुराइयाँ दूर करने के लिये संशोधन आये हुए हैं वह काफी हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई मतलब अब नहीं पाया जा सकता है कि उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल में किसी तरह की धांधली हो सके। इस खंड १३ के रहते हुए भी आप एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर विश्वास न करे तो मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। यह एक ऐसा अविश्वास है जिस को दूर करना ही हमारे लिये लाभदायक है।

श्रीमन्, अब यदि माननीय राम नारायण जी के संशोधन पर ध्यान दिया जाय तो इसमें कोई बुराई नहीं है जिसमें लोगों को कोई आपत्ति हो। इनके संशोधन से यह स्पष्ट है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को ही अधिकार नहीं है बल्कि एक पेनल ऐसा बनाया जाय जिस में चाँसलर द्वारा नामिनेटेड व्यक्ति हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का एक आदमी हो और एक एमिनेंट एजूकेशनिस्ट हो जोकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल से चुना हो। अब इस पेनल द्वारा जो नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने आते हैं उनमें किसी तरह की आशंका नहीं उत्पन्न हो सकती है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल में किसी तरह की धांधली हो सकती है। बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका एक्जीक्यूटिव कौंसिल के फार्मेशन को सुधारने के लिये क्लाज १३ काफी है। मेरे दोस्त का मतलब यह था कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर चेक रखने के लिये एक पेनल ऐसा बनाया जाय और उस में ऐसे व्यक्ति हों और उनकी क्वालिफिकेशंस ऐसी हों जिनकी वजह से कोई भी धांधली करने की गुन्जाइश न हो सके। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की आटोनोमी पर ध्यान रखते हुए सरकार को यह न भूलना चाहिये कि आप हस्तक्षेप करें लेकिन अकारण न करें। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो नाम आते हैं और जो कि माननीय राम नारायण जी के संशोधन के उपखंड (३) से प्रत्यक्ष है कि यदि "दि चवाइस आफ दि एक्जीक्यूटिव कौंसिल शैल बी फाइनल" श्रीमन् इसमें आपत्ति कहाँ हो सकती है? और अगर यह मान लिया जाय कि चाँसलर को ही अख्तियार दिया जायगा कि वह वाइस चाँसलर की नियुक्ति करे तो उसका परिणाम यह होगा, जैसा कि प्रदेश की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में देखा जा सकता है, वाइस चाँसलर महोदय में न तो इतना साहस है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अधिकारों का संरक्षण कर सकें और इस हद तक भी जा सकते हैं कि जबकि गोली और हत्याकाँड हो तो वह कम्पाउन्ड में भी नहीं दिखायी देते हैं। तो कैसे सरकार पर इतना भरोसा किया जाय? मैं सरकार

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

की नीयत पर हमला नहीं करता। लेकिन श्रीमन् से यह मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि भविष्य में कोई बदनियत सरकार भी हो सकती है। इसलिए अगर यह जिम्मेदारी से उधर का पक्ष लेने के लिये तैयार हैं तो वह भले ही ले लें लेकिन विरोधी दल इस गलती को मानने के लिये तैयार नहीं है। अगर चाँसलर को पूर्ण अधिकार वाइस चाँसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये जाते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि सरकार का हस्तक्षेप इस क़दर बढ़ता जायगा कि चाँसलर बहुत से स्थानों पर विवश हो जायगा और बहुत जगहों पर यह नहीं चाहेगा कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाय जो इस प्रदेश, देश और शिष्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हों। इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिये तैयार हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय काटजू जी ने कहा कि वाइस चाँसलर की नियुक्ति का जो प्रश्न है वह एक बड़ा महत्व का प्रश्न आज हमारे सामने है और इसमें न तो को पार्टी का प्रश्न है और न इस बात का ख्याल है कि किसका आदमी वहाँ रखा जाय या कौन हो। सब लोग इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि वाइस चाँसलर किसी यूनिवर्सिटी का सबसे योग्य व्यक्ति होना चाहिये चाहे वह किसी पार्टी को बिलाँग करता हो। वह देश का एक ऐसा आदमी होना चाहिये जिसके नाम से ही यूनिवर्सिटी चल सकती हो। तो इस बात की कोशिश की गयी कि कौन सा तरीका हो सकता है कि जिस से हम अच्छे से अच्छा वाइस चाँसलर किसी यूनिवर्सिटी के लिये नियुक्त कर सकें जिसमें किसी पार्टी का भी प्रश्न न रहे और न यह रहे कि फलां-फलाँ की गवर्नमेंट थी और उन्हीं का आदमी वहाँ चला गया है। आज तक आगरा युनिवर्सिटी में यह होता था कि सिनेट के लोग ही एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बहुमत रखते थे और उन्हीं के नुमाइन्दे चुन करके एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आते थे। इस प्रकार आगरा यूनिवर्सिटी में वाइस चाँसलर के अप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में जो पार्टी पोलिटिक्स चला करती थी उसी को दूर करने के उद्देश्य से यह बिल हमारे सामने आया है। कोशिश इस बात की की गयी और हमने भी सिलेक्ट कमेटी में अपने सुझाव दिये कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय कि जिससे हम सब से योग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का वाइस चाँसलर नियुक्त कर सकें।

जो प्रश्न माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने आज सदन के सामने उठाया है वह विचार करने लायक प्रश्न है। हमें आशा थी और इसीलिए हमने इस प्रश्न को सदन में उठाया कि शायद इस सदन में कोई और रास्ता निकल जाय और हमारे माननीय सदस्य कोई ऐसी सलाह सरकार को दे सकें कि यह रास्ता वाइस चाँसलर की नियुक्ति का सबसे अच्छा होगा। पर हमें दुख है कि वे कोई नया रास्ता न बता सके। इसलिये हमारी समझ में यह आता है कि जो रास्ता हम बता रहे हैं वह ठीक है। आज हमारे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर के एलेक्शन का भी एक तरीका है। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर का चुनाव होता है वह रास्ता भी हमारे सामने है। हमारे प्रांत के अन्दर जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर का चुनाव होता है वह तरीका भी हमारे सामने है। लेकिन जो संशोधन हमने रखा है उससे उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी अच्छी सहूलियत होती है और वह यह है कि जहाँ पर २१ आदमी एक वाइस चाँसलर का चुनाव करेंगे, तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि २१ एक्जीक्युटिव कौंसिल के मेम्बरों में से कोई किसी के लिये प्रस्ताव एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखे। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने आप को आफर करें कि हम आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर होना चाहते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जो आदमी इस बात की अर्जी दे कि मैं आगरा यूनिवर्सिटी का वाइस चाँसलर होना चाहता हूं और उसके लिये वह

मेम्बरों में कनवेसिंग करे और तोड़फोड़ करे उसको सब से पहले हटा देना चाहिये और उसको यूनिवर्सिटी का वाइस चाँसलर नहीं होना चाहिये। उसके बाद अगर सारे मेम्बर एक्जीक्यूटिव कांउसिल के जो कि अलग-अलग दलों के होंगे, अलग-अलग सिनेट के छांटे हुए होंगे, कोई गवर्नमेंट का नुमाइन्दा होगा और कोई और लोग होंगे उनकी तादाद २१ होगी उनमें इस बात की भी दिक्कत हो जायगी कि किस आदमी का नाम प्रपोज़ किया जाय और भेजा जाय। उसमें यह भी खतरा है मान लीजिये कि किसी ऐसे बड़े आदमी का नाम प्रपोज़ किया गया जिसको कि यह उम्मीद हो कि हो सकता है उसका नाम चाँसलर साहब के यहाँ से रेजेक्ट हो जायगा। इसलिए वह तैयार न हो। तो श्रीमन्, मेरे इस संशोधन करने का मतलब यह है कि पहले से ही बड़े-बड़े आदमी उनके नाम छांटने के लिये नियुक्त पर दिये जायं जोकि अपने देश के अच्छे से अच्छे आदमी को छांटे और वह वाइस चाँसलर नियुक्त किया जाय। उन छांटने वालों को यह अवसर भी मिल सकता है और वे उन्हें एप्रोच भी कर सकते हैं कि वे छांटने वाले हैं। मिसाल के लिये मान लीजिये कि उस कमेटी के सामने यह बात आयी कि आचार्य नरेन्द्रदेव आगरा यूनिवर्सिटी के लिये सबसे अच्छे आदमी होंगे या और भी ऐसे आदमी हो सकते हैं तो उनके पास कमेटी के लोग जा भी सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी का वाइस चाँसलर बनाना चाहते हैं। लेकिन जो २१ आदमियों की एक्जीक्यूटिव कौंसिल होगी उसके लिये ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए एक्जीक्यूटिव कौंसिल को इन तीन सलाहकारों से नामों के छांटने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

अभी माननीय काटजू जी ने कहा कि वह कमेटी कितने नाम पेश करेगी या कितनी लम्बी लिस्ट बनेगी फिर वहाँ से तीन आदमियों की कमेटी के छांटने में और भी दिक्कत होगी क्योंकि उसमें बाहर के लोग होंगे। एक चाँसलर साहब का भी नुमाइन्दा होगा, एक हमारे देश का बहुत बड़ा विद्वान् होगा और एक कमीशन का भी मेम्बर होगा। मैं तो यह कहता हूं कि वे तीन ही लोग ऐसे हैं जिन पर हमें भरोसा है कि वे विद्वान् से विद्वान आदमी को यूनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर की नियुक्ति के लिये और अप्रूवल के लिये भेजेंगे। इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

एक सदस्य---यह आपने स्पष्ट नहीं किया कि कितने नाम भेजे जायेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं तो यही चाहूंगा कि एक ही नाम भेजा जाय। लेकिन चूंकि उन २१ आदमियों में अलग-अलग दल के लोग होंगे इसलिये दिक्कत हो जायगी और वहां वोटिंग भी हो जायगी। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि एक ही नाम हो और अगर २ या ३ भी भेजेंगे तो वे यह कह कर भेजेंगे कि हम एक को तो बनाना चाहते हैं और एक्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी का नाम ड्राप भी कर दिया जाय तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिये। उन महानुभावों से भी हम कह सकते हैं और समझा सकते हैं और उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यह नहीं चाहेंगे कि उनका नाम ऊपर भेजा जाय और फिर वहां से हटा दिया जाय इसलिये वे अपने नाम भी वापिस ले सकते हैं।

इसलिये श्रीमन्, वाइस चान्सलर की नियुक्ति एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर कि यूनिवर्सिटी का सारा दारोमदार है। जैसे कि हमारे आचार्य नरेन्द्र देव जी जिस युनिवर्सिटी में गये उस युनिवर्सिटी का नाम हो गया। हर युनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि वे हमारे यहाँ वाइस चान्सलर रहें। इसी तरह से हमारे और भी महानुभाव जहां जिस युनिवर्सिटी में जाते हैं वहां उनसे उस यूनिवर्सिटी की शान रहती है और उनकी स्वयं भी शान होती है। इसलिये यह एक ऐसा पद है जो कि इस राज्य के बच्चों को शिक्षा देने में सहायक होता है। जब किसी विश्वविद्यालय में देखते हैं कि अच्छा वाइस चांसलर है तो फिर हम नहीं देखते कि वह क्या कानून है, किसकी पावर्स हैं और वह कैसी कमेटी है बल्कि हम तो यह देखना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ऐसा हो कि वह ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल को साथ लेकर यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह से चला सके। अगर तीन आदमियों की यह कमेटी अच्छे आदमी को

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भेजेगी तो मुझे पक्का विश्वास है अध्यक्ष महोदय, कि जिस किस्म के लोग इस कमेटी में होंगे वह उसको एप्रूव करके चांसलर के पास भेजेंगे और उसे वह मंजूर करेंगे। मुझे तो इस बात की आशा है कि जिस नाम को कमेटी छांटे उसी को एक्जीक्यूटिव कौंसिल कंफर्म करे और चांसलर साहब मजबूर होकर उसी आदमी को मंजूर करें। ऐसी कोई व्यवस्था हम निकाल सकें तो मैं समझता हूं कि वह वाइस चांसलर के अप्वाइमेंट में रखी जाय। क्योंकि हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर की जगह पर किसी अच्छे आदमी को लिया जाय। यों तो संशोधन हुआ ही करते हैं और आगे भी हो सकते हैं अगर जरूरत समझी जावे तो।

जो तरीका आज प्रचलित है वह बनारस में है, हमारे यहां भी है। अब हम चाहते हैं कि नई चीज को भी देख लिया जाय अगर इससे अच्छा काम हो तो इसको जारी रखा जाय। अगर देखें कि इसमें कुछ खराबी है तो इसको बन्द कर दिया जाय और दूसरी जगह की यूनिवर्सिटीज के तरीकों को देखा जाय। वैसे तो बड़ी बड़ी कमेटियों ने भी अपने मत दिये हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हम इस बत का दावा तो नहीं करते हैं कि हमारी बात ही सब से ज्यादा ठीक है बल्कि हमारा उद्देश्य तो यह है कि वाइस चांसलर कोई अच्छा आदमी होना चाहिये जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह से चला सके जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। इसी उद्देश्य को ले कर हम इस चीज को यहां लाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह समझें कि यह सुझाव ठीक है तो वह इसे स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——यह प्रश्न बड़े महत्व का है और अभी केवल ३-४ आदमी ही बोले हैं। इसलिये प्रश्न अभी उपस्थित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष——६, ७ आदमी बोल चुके हैं लेकिन मैं पहले श्री मलखान सिंह को अवसर देता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)——अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे भाई श्री शिवनाथ काटजू ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो आजकल का चांसलर है वह हमारी सरकार का नुमायन्दा है और जो सरकार उससे कहेगी वह उसी नाम को स्वीकार करेगा। इस बात को उन्होंने अपने उदार हृदय से स्वीकार कर लिया है। अब जो कुछ दिक्कत आज आ रही है और युनिवर्सिटीज में आज कल झगड़े रोजाना चल रहे हैं उसकी तह पर तो आप पहुंच ही गये होंगे। मैंने तो उन लोगों से भी बातचीत की है जो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते हैं। जहां पर युनिवर्सिटीज के अन्दर पार्टीबाजी का सवाल आ जाता है और जहां यह सवाल आता है कि हमारी ताकत स्टूडेंट के जरिये बढ़ जाय वहां पर यह झगड़े आने शुरू हो जाते हैं और म इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस थोड़े से जमाने में यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों में उछृंखलता आगई है उसका कारण यह है कि रूलिंग पार्टी ने इस बात की कोशिश की और इस बात को बुरी नजर से देखा कि अगर कोई विद्यार्थी दूसरी पार्टी के हैं तो उनका महत्व कैसे बढ़ गया। यह नहीं होना चाहिये था और इस बात की कोशिश की गई..........

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——अध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट से बाहर जा रहे हैं।

श्री मलखान सिंह——मैं प्वाइंट से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थियों की यूनियन के संगठन वगैरह के प्रश्न को लेकर यह सवाल उठाया

गया तो यह सब केवल इसलिये उठाया गया कि रूलिंग पार्टी ने देखा कि इस वक्त उनकी गाड़ी एक दल दल में फंसीजा रही है हममें से कौन ऐसे भाई हैं। जो नहीं जानते कि जब विदेशी गवर्नमेंट यहां पर थी उस वक्त भी युनिवर्सिटियां थीं और विद्यार्थी हर तरह से हम लोगों के कहने पर उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की पगड़ियां उछालते थे लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि वहां पर जाकर विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया हो या गोलियां चलाई हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि हमारे लायक़ दोस्त जो बातें कह रहे हैं उनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन ही पर बोलें तो अच्छा है।

श्री मलखान सिंह--मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि वाइस चांसलर का अप्वाइंटमेंट बड़े महत्व का है और इसे मेरे भाई श्री शिवनाथ काटजू ने भी मान लिया है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--गोली और लाठी चार्ज की बात तो १८ तारीख को कहियेगा। उसके लिये तो दिन मुक़र्रर हो गया है। इस समय तो बिल की बात कहिये।

श्री मलखान सिंह--मैं इसी अमेंडमेंट पर बोल रहा हूं। जो यह कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है, मैं इसको भी मानने के लिये नहीं तैयार हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट का बिल पेश है उसके अनुसार भी अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक आदमी का ही नाम भेजे तो आप मजबूर नहीं कर सकते कि वह तीन ही आदमियों का नाम भेजे और उसको चांसलर साहब को मंजूर करना पड़ेगा। इसलिये इस संशोधन में एक्जी-क्यूटिव कौंसिल को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। साथ ही यह भी मेरे भाई उपाध्यक्ष जी ने साफ कर दिया कि जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल २१ आदमियों की बनायी गयी है तो उसमें भी इस बात का पूरे तौर से ध्यान रखा गया है कि कोई पार्टी उसमें ज्यादा महत्व की न हो जाय। पार्टीबन्दी से बिलकुल अलाहिदा रख कर ही एक्जीक्युटिव कौंसिल को चुनने का क़ानून बनाया गया है। तो उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर आप विश्वास न करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। हमने इस बात पर अपना नोट भी दिया है। तो इस बात को समझ लेना चाहिये कि वाइस चांसलर की जो पोस्ट है वह बहुत महत्व की है। जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने बताया कि आप एक्जीक्युटिव कौंसिल को यह अधिकार देते हैं कि वह नाम भेजे तो आपको एक सुगम रास्ता यह बताया जा रहा है कि एक सब कमेटी बनाई जावे और फिर अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल ने तीन नाम भेजे और वह अगर उनसे यह पूछती फिरे कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं तो मैं समझता हूं कि यह एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बेइज्जती है और अगर आप यह चाहते हैं कि एक्जीक्यू-टिव कौंसिल नाम चुन कर भेजे और उन्होंने इन्कार कर दिया कि हम नहीं होना चाहते तो फिर दिक्क़त आयेगी कि आपके सामने फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल नाम भेजे। तो उसके लिये एक सुगम रास्ता आप को यह बताया गया कि एक चान्सलर साहब का नुमायन्दा, एक एक्जी-क्युटिव कौंसिल का नुमायन्दा और एक पी० एस० सी० का नुमाइन्दा, ये तीन आदमी रखे जायें इस बात के लिये कि ये लोगों से जा कर राय लें कि आया इस काम के लिये आप तैयार हैं या नहीं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे विद्वान पड़े हुए हैं जिनका पार्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन वह भी नहीं चाहेंगे और कंपेरीजन में आने के लिये अपना नाम खुशी से नहीं देंगे। अगर आप उनसे कहें कि आप अपना नाम चांसलर की पसंदगी के लिये दे दें तो वह आपकी बात से साफ इंकार कर देंगे और ठोकर मार देंगे। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न

[श्री मलखान सिंह]

का वही सुगम रास्ता है जो श्री राम नारायण जी ने सजेस्ट किया है और वह यह कि आप एक सब-कमेटी बना दें जो नाम छांटे और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखे और फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक नाम चांसलर के पास भेजे। इसमें बहुमत का कोई सवाल नहीं है, इसलिये मेरी राय यह है कि राम नारायण जी का जो संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं श्री व्रजविहारी मिश्र के प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे संशोधन में दिलचस्पी ली। मैं कोई शिक्षा का ऐक्सपर्ट होने का दावा तो नहीं करता लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय यूनिवर्सिटीज के सम्बध में है कि इसमें बड़े बड़े ऐक्सपर्ट्स की राय में भी मतभेद है। माननीय काटजू साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी का हवाला दिया लेकिन वह यह भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि राधाकृष्णन् कमीशन की राय इससे बिलकुल उलटी है। जब बड़े बड़े विद्वानों में इसमें मतभेद है तो मैंने जो राय दी है मुझे वही उचित जान पड़ती है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये। यह बात कही जाती है कि आगरा युनिवर्सिटी में पार्टीबाजी थी इसलिये सरकार को इतने अधिकार लेने पड़े। लेकिन उस पार्टी बंदी को खत्म करने का केवल यही एक रास्ता तो है नहीं कि वाइस चांसलर की नियुक्ति चांसलर करे। इस बिल में सरकार ने बहुत से ऐसे साधन उपस्थित किये हैं जिनमें इस बात की कोशिश की गयी है कि पार्टीबाजी खत्म हो जैसे कि सीनेट और ऐक्जीक्यूटिव के अधिकार तथा ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के पर्सनल का नये तरीक़े से बनाया जाना। मैं यह समझता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बात को मानते हैं कि वर्त-मान ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में अब कोई पार्टीबाजी न होगी, इसलिये कि उन्होंने उसको बनाया है और इसलिये उन्होंने यह मुनासिब समझा कि उनके ज्यादा अधिकार रहें। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक ओर तो उसको ज्यादा अधिकार दिये जाते हैं, पर्सोनल ऐसे रखे जाते हैं कि पार्टीबाजी न हो और दूसरी तरफ उन पर्सोनल्स पर अविश्वास किया जाता है।

दूसरी बात यह है जो मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो विद्यार्थियों का झगड़ा हुआ उसमें दो वाइस चांसलरों ने क़दम उठाये। उनमें एक तो इलाहाबाद के वाइस चांसलर थे जो कि कोर्ट से एलेक्ट होते हैं और दूसरे लखनऊ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिनको चांसलर नियुक्त करता है। दोनों जगह विद्यार्थियों की मांगें एक थीं लेकिन इलाहाबाद का मसला शांति पूर्ण ढंग से तय हो गया लेकिन लखनऊ युनिवर्सिटी में जहां के वाइस चांसलर पर चांसलर का ज्यादा असर था कितनी गड़बड़ी हो गयी और अन्त में बात वही हुई लेकिन यहां वाइस चांसलर को चांसलर के सामने घुटन टेकने पड़े। जिस समय यह झगड़ा चल रहा था तो प्रेस में यह रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई कि वह लापता हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कोर्ट से एलेक्टेड हैं इसलिये वे अपने को इंडिपेंडेंट फील करते हैं लेकिन यहां चूंकि चांसलर का असर था इसलिये इस क़िस्म की गड़बड़ी हुई। इस सम्बन्ध में उनकी काफी बेइज्जती भी हुई। और सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि समस्या का हल जो लखनऊ युनिवर्सिटी में हुआ वह बहुत नामुनासिब है। इसके उदाहरण सब के सामने हैं।

एक तरफ यह कहा जाता है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ऐसी हो जिसमें चेक और बैलेंस लगा हो और कुछ साहब कहते हैं कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल को पूरा अधिकार होना चाहिये। मैं थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ऐसे पर्सोनल बनाने के बाव-जूद भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है और अपना संशोधन पेश किया

है कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में ऐसे लोग हों, जिनमें एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइन्दा हो, एक चान्सलर का नुमाइन्दा हो और एक एक्जीक्युटिव कौंसिल का नुमायन्दा हो और इन तीनों की एक सब कमेटी बने। माननीय काटजू साहब तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इस योग्य ही नहीं समझते कि उससे इस मसले में सलाह ली जाय। वे कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। सभी इस बात को जानते हैं कि शिक्षा विभाग के जितने एप्वाइंटमेंट होते हैं वे सब पब्लिक सर्विस कमीशन के ही जरिये होते हैं। एक तरह से काटजू साहब का कहना भी ठीक ही है क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी तथा गवर्नमेंट ने भी अक्सर कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो हमें केवल सलाह देने के लिये है, अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसकी सलाह मानें या न मानें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि तीन तीन, चार चार साल तक टेम्पोरेरी आदमी रखे जाते हैं और जब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से प्रोटेस्ट भेजा जाता है तो यही कहा जाता है कि कमीशन केवल हमें सलाह देने के लिये है। अगर माननीय काटजू साहब की धारणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी जैसी ही है तब उनका कहना ठीक ही है। जब विरोधी दल की तरफ से कोई बात कही जाती है तब तो यह कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यू०पी० सरकार के मातहत नहीं है, उसके ऊपर सरकार का कोई असर नहीं है, वह बिलकुल इंडिपेंडेंट है और बेकार के लिये विरोधी दल की तरफ से उसकी नुक्ताचीनी की जाती है। एक तरफ तो माननीय काटजू साहब उसको इनएफिशिएंट समझते हैं और दूसरी तरफ उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो इस किस्म की जो बातें कही जाती हैं वे मेरी समझ में नहीं आतीं। यह तो एक पेचीदा सवाल है ही। ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में सिर्फ तीन प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर्स की नुमाइन्दगी करेंगे। इसमें चांसलर को काफी अधि- कार दिये गये हैं। सीनेट को अधिकार दिया गया है और सिनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के आपसी कंट्रोल का कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है। तो ऐसी सूरत में सिनेट का नुमाइन्दा, चांसलर का नुमाइन्दा वाइस-चांसलर और साथ ही साथ तीन प्रिंसिपल्स हैं। टीचर्स का एक भी नुमाइन्दा नहीं है। तो फिर ऐसी एक्जीक्यूचिव कौंसिल से डरने की क्या बात है? जो संशोधन मैंने पेश किया है और जो सुझाव मैंने दिया है उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कोई आदमी आगरा युनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो जाय। क्योंकि आगरा युनिवर्सिटी अपने किस्म की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक निराली यूनिवर्सिटी है, वहां का वाइस चांस- लर योग्य से योग्य व्यक्ति होना चाहिये। लखनऊ युनिवर्सिटी के उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है उस पर सदन को विचार करना चाहिये और उसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मदन मोहन जी का बड़ा आभारी हूं कि इस संशोधन पर बोलते हुये उन्होंने निहायत सुथरी और स्वच्छ स्पीच दी। इस बात का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया कि सरकार के ऊपर या जिन लोगों का हाथ इस विधेयक के बनाने में था उनके ऊपर कोई छींटा डालें या उनकी नियत पर हमला करें। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह ठीक ही कहा कि भवन का प्रत्येक सदस्य इसको स्वीकार करेगा कि किसी विश्व- विद्यालय के उपकुलपति का पद इतना ऊंचा है कि हम सब को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम वहां ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति सम्भव कर सकें जो हर चीज से ऊपर उठ कर केवल एक बात से प्रभावित हो कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का भला हो और अच्छी शिक्षा दी जाय और कुरी- तियां वहां प्रवेश न करने पावें। इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रश्न बड़ा जटिल है। जितनी रिपोर्टें या जितने कमीशन्स या जितने शिक्षा से सम्बन्धित लोग हैं, जो शिक्षा में ऊंचा स्थान रखते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं सभों ने अपने अपने मत इस बारे में समय समय पर दिये हैं और कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जो युक्ति या जो नियम उन्होंने उपकुलपति के निर्वा- चन का रखा है वह इतना अच्छा है कि उसमें किसी तरह से इस बात की सभावना नहीं है कि कुरीतियां आ जायं। हम भी इस बात का दावा नहीं करते कि जो हमने इस विधेयक में निर्वाचन की विधि रखी है वह पूर्णतया इतनी ठीक है कि उसमें कोई ग़लती नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस बात का विश्वास ज़रूर दिलाता हूं कि जितने सुझाव इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न रिपोर्टों में

[श्री हरगोविंद सिंह]

या समय समय पर जितने सुझाव दिये गये उन सबको देख कर के ही और सब के मन्थन के बाद ही यह निर्वाचन की विधि इस विधेयक में रखी गयी है। उसमें बालेन्दु शाह जी को यह दिखलाई पड़ता है कि सरकार अपना अधिकार जमा रही है। रामनारायण जी यह कहते हैं कि यह क्रान्तिकारी नहीं है और अगर उनका सुझाव मान लिया जाय तो वह बड़ा भारी क्रान्तिकारी सुझाव है और हम एक बड़ा भारी पग उठावेंगे। खैर, यह तो आप के सामने जो युक्तियां दी गयी हैं उनको एक एक ले करके मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं जो अन्य सदस्यों ने कही हैं लेकिन जो बातें उठाई गई हैं उन्हीं की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा।

पहला आक्षेप तो यह किया गया कि उसमें सरकार अपना अधिकार लेना चाहती है हस्पक्षेप के लिये, उस यूनिवर्सिटी पर क़ब्ज़ा करने के लिये। पहली बात तो उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि आगरा युनिवर्सिटी पर कोई क़ब्ज़ा करने जाय तो कम से कम आगरा युनिवर्सिटी की निस्बत यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी कहीं बड़ी भारी इमारत है और उस पर कब्जा किया जा सकता है। आगरा युनिवर्सिटी के बारे में तो एक सज्जन ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा कि अगर आगरा में आप जाकर पूछें कि युनिवर्सिटी कहां है तो आपको कोई भी नहीं बता सकेगा कि युनिवर्सिटी फलां जगह है। यह दूसरी बात है कि कोई यह कह दे कि रजिस्ट्रार का आफिस तो है लेकिन यह आगरा यूनिवर्सिटी है यह कोई नहीं बता सकता। तो उस पर कोई क़ब्ज़ा करने की बात तो है नहीं लेकिन सचमुच देखना यह है कि क्या सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि जो भी आगरा युनिवर्सिटी का रूप है उस पर अपना अधिकार जमावे। अगर सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया होता तो सीधे सीधे इस विधेयक में यह धारा होती कि आगरा युनिवर्सिटी का उपकुलपति चांसलर द्वारा मनोनीत कर दिया जायगा लेकिन यह नहीं लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि हिन्दुस्तान में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें किसी में भी निर्वाचन में मनोनीत करने की ऐसी विधि नहीं रखी गयी है। बाम्बे युनिवर्सिटी में आज भी यही है कि वहां का उपकुलपति वहां के चांसलर द्वारा नामिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो अगर सचमुच सरकार की यह नीयत होती कि हम इस प्रकार का क़ब्ज़ा कर लें तो हमारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं थी कि यहां इस प्रकार की धारा रख दी जाती। और इसके पहले क्या नियम था उपकुलपति के चुनाव का इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके पूर्व आगरा युनिवर्सिटी के उपकुलपति के चुनाव का नियम यह था कि :—

"The Vice-Chancellor shall be elected by the senate from among three persons, each recommended by a majority of the members of the Executive Council present at the meeting, subject to the confirmation of the Chancellor."

अब इसमें नियम यह है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल ३ आदमियों का नाम सीनेट के पास भेजे। सीनेट अपना चुनाव करके उन तीन आदमियों का नाम चांसलर के पास भेजे। चांसलर इस बात के लिए बाध्य नहीं था कि वह उन में से ही किसी को चुने। इस कानून में जो इसके पहले था, उसमें कुलपति किसी को भी उन तीन आदमियों को छोड़कर किसी को नियुक्त कर सकता था। उसमें उसके ऊपर कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी, कि जो इस प्रकार से चुने हुए व्यक्ति आवें, उनमें से वह मंजूर करे। यह कानून स्पष्ट है। तो अगर यह नीयत होती तो इस प्रकार से उसका भी रखा जा सकता था, लेकिन यह नहीं रखा गया। क्या रखा गया है और क्यों रखा गया है, इसके ऊपर आप विचार करें। किस कारण से यह रखा गया है वह कारण यह है कि वहां पर एक कार्यकारिणी है जिसकी बाबत सभी लोग यह जानते हैं और सहमत हैं कि उसमें पार्टी बन्दी होती है, शायद वहां पर न हो। जो हमारी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे, और जिन्होंने अपना डिसेन्टिंग नोट भी दिया है, उन्होंने भी यह कहा है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल का जो संगठन विधेयक में रखा गया है, वह संगठन ऐसा है कि जिसमें पार्टी बन्दी की सम्भावना कम है। वह तो कहते हैं कि वहां पर दलबन्दी नहीं होगी,

और मेरी आशा भी यही है कि नहीं होगी। इसलिए यह संगठन रखा गया है। एक्जीक्युटिव कौंसिल ३ आदमियों का नाम अधिक से अधिक देगी, और जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल से १० नाम आते हैं, और उन पर कार्यकारिणी के सभी सदस्य सहमत हैं तो वह नाम अगर चांसलर के पास आते हैं तो कुलपति मजबूर हैं गवर्नमेंट चाहे या न चाहे। वह इसके लिए मजबूर है कि उसमें से वाइसचांसलर नियुक्त होगा। लेकिन अगर ३ आदमी या ४ आदमी या ५ आदमी नामजद होते हैं तो उस अवस्था में इसमें यह रखा गया है कि सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट से वह उन तीन आदमियों का चुनाव करके वहां भेज दें और उन ३ आदमियों से ही चांसलर एक आदमी को नियुक्त कर देगा। इस विधेयक में यह चीज रखी गयी है। उसमें जो यह आक्षेप किया जा रहा है कि कार्यकारिणी पर हम विश्वास नहीं करते यह बिलकुल निर्मूल और गलत है बल्कि जो संशोधन किया गया है, उसमें इस बात को भूल रहे हैं कि उसका उस कार्यकारिणी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उस सन्देह की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसकी त्रुटि हमारे काटजू साहब ने बतायी और मैं उसकी ओर जाना नहीं चाहता हूं कि ३ आदमियों का चुनाव हो। एक तो चांसलर महोदय एक आदमी नामजद करें, एक आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन नामजद करे और एक को एक्जीक्युटिव कौंसिल नामजद करे और यह ३ आदमी मिलकर अपनी ओर से एक या एक से अधिक, जितने नाम वह चाहें, एक्जीक्युटिव के पास भेजें और एक्जीक्युटिव मजबूर है कि वह उन्हीं नामों में से किसी एक की सिफारिश करे। अब आप समझें कि उन ३ में से एक्जीक्युटिव का नुमाइन्दा केवल एक ही होता है, तो इस तरह से आपके संशोधन के अनुसार एक्जीक्युटिव कौंसिल पर अविश्वास है क्योंकि आप उनमें से केवल एक की नामजदगी उसको देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार पर आक्षेप करते हैं कि हम वाइस चांसलर अपनी इच्छा का आदमी या जिसको हम चाहते हैं, रखना चाहते हैं। अगर हमारी यह प्रवृत्ति होती तो वह तो हमारे लिये और भी सुविधाजनक बात होती, उसमें चांसलर का एक व्यक्ति होता, जो चांसलर द्वारा कमेटी में भेजा जाता, लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीज विश्वविद्यालय की दृष्टि से हितकर नहीं है कि इस तरह से एक आदमी वाइस चांसलर बनाकर विश्वविद्यालय में ५ वर्ष के लिए रखा जाय, एक्जीक्युटिव का उसके साथ कोई सहयोग न हो और न उसकी नियुक्ति में एक्जीक्युटिव का कोई हाथ हो, इस तरह की चीज युनिवर्सिटी के लिए हितकर न होगी। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि इसमें एक्जीक्युटिव पर अविश्वास है। हम यहां तो एक्जीक्युटिव को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वह एकमत होकर एक आदमी को भेजे, यह तो संकेत हमने मूथम कमेटी से लिया है। यह तो निश्चय ही है कि एक्जीक्युटिव कमेटी से जो ३ आदमी आयेंगे, उनमें से जो भी नामजद होगा, उसके साथ एक्जीक्युटिव होगी। हम चाहते हैं कि कोई दलबन्दी की बात न हो और वहां कोई राजनैतिक दलबन्दी न होना चाहिए।

मैं विश्वास करता हूं कि चाहे उसको कम वोट मिले हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर ऐसी कोई सम्भावना न होगी, कि रोजमर्रा के काम में कोई पार्टीबन्दी रह जाय। इसलिए जो सुझाव इस विधेयक में वाइस चांसलर की नियुक्ति का रखा है उसमें एक्जीक्युटिव पर पूर्णतया विश्वास है और जो संशोधन है उसके अनुसार पूर्णतया अविश्वास है और इसीलिए उसमें यह भी सम्भव हो सकता है कि जो भी वाइस चांसलर हो उसको एक्जीक्युटिव का कोई सहयोग कभी प्राप्त न हो, इसलिए कि उसकी नियुक्ति में उसका बिल्कुल हाथ न होगा वह ३, ४, ५, ६, ७ या १, २ जिसका भी नाम रख देंगे, उसी दायरे में एक्जीक्युटिव कौंसिल उनके नाम की सिफारिश कर सकती है, तो यह त्रुटि उस में है। जो त्रुटि बतायी गयी है, वह यह है कि ३ आदमी होंगे, तो वह लोगों से मिलकर, बड़े बड़े आदमियों से कुछ तय कर लेंगे। मैं सहमत हूं कि आज जो वातावरण हमारे विश्वविद्यालयों में फैल गया है, इस पद को ले कर के, जिस प्रकार से लोग आज दौड़ते हैं और सच बात यह है कि आज वाइस चांसलर अगर एक चुन लिया जाय तो कल ही से दूसरे वाइस चांसलर के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, तीन वर्ष के बाद किस प्रकार से दूसरा कौन वाइस चांसलर होगा उसके चुनाव का आरम्भ उसी रोज से हो जाता है और हर एक प्रकार से-अधिक उसमें मैं नहीं

[श्री हरगोविंद सिंह]

जाना चाहता--यह हमारे लिए भवन के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए किसी के लिए कोई गौरव की बात नहीं है कि हम वह सब बातें यहां खोल करके आपके सम्मुख रखें, लेकिन आप सब इसको जानते हैं। तो आज की दशा यह है। ऐसी अवस्था में कहा जाता है और मैं जानता हूं कि आज बहुत अच्छे लोग, जो बड़े लोग हैं, जो सचमुच में हमारे विश्वविद्यालयों की सेवा कर सकते हैं, जिस पर कि कोई विश्वविद्यालय गर्व कर सकता है, वह इस प्रकार से दौड़ करके अपनी नियुक्ति वहां नहीं करा सकते हैं। तो यह उसमें कहा गया है कि यदि यह तीन आदमियों की कमेटी बनती है तो इसमें यह होगा कि वह लोगों के पास जा करके उनसे अनुनय विनय कर करके उनको इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वह वाइस चांसलर का पद स्वीकार कर लें।

यहां कहा गया है कि विधेयक में जो सुझाव रखा गया है, उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता हूं कि इस बात की पूर्णतया उसमें गुंजाइश है, कहीं भी उसमें रोक नहीं लगायी गयी है। अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल, कार्यकारिणी, दो या तीन या चार या पांच की एक समिति अपनी बना लेती है, कि वह लोगों से मिल करके, उनसे अनुनय विनय करके, जो बड़े लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए गौरव के हो सकते हैं उनसे अगर जाकर के कहे तो इसमें कहाँ कोई मनाही है कि ऐसा वह नहीं कर सकती। यह तो हो ही सकता है। तो अगर आप एक्जीक्युटिव को यह अख्तियार दें तो मैं समझता हूं कि वह एक्जीक्युटिव के लिए विश्वविद्यालय के लिए, सबके लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा बनिस्बत इसके कि तीन आदमी जिनमें एक्जीक्युटिव का केवल एक आदमी है, वे ऐसे लोगों के पास जायं, क्योंकि अगर वे उसे विश्वास दिला सकते हैं, आश्वासन दिला सकते हैं कि आप चुन लिये जायेंगे, तो वह तो एक ही एक्जीक्युटिव का आदमी उन तीन आदमियों में रहेगा। सम्भव है कि एक्जीक्युटिव माने या न माने। तो विधेयक में जो सुझाव यह रखा गया है उसमें इस बात की गुंजाइश है कि अगर इस प्रकार से एक्जीक्युटिव के लोग चाहें, तो वह एक समिति बना सकते हैं और एक आदमी को अपने में से चुन करके उससे कह सकते हैं कि आप इन से बात कर लीजिये और अगर यह स्वीकार कर लेते हैं, इस पद को तो यह हमें सहर्ष स्वीकार होगा। तो इसकी कोई मनाही नहीं है। दूसरा आक्षेप जो किया गया है, वह यह कहा गया है कि इस सुझाव के जरिये जो विधेयक में है, अगर कोई वाइस चांसलर चुना जाता है, तो सम्भव है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल में उसको फर्स्ट प्रिफरेंस के वोट मेजारिटी के न मिले हों। यह हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ न कुछ फर्स्ट प्रिफरेंस के वोट उसको मिलेंगे ही। लेकिन आपके सुझाव में तो चूंकि एक दूसरी कमेटी होगी, जो कि उनके सामने नाम रख देती है, तो उसमें यह कैसे होगा। जब आप चुनाव के दायरे को सीमित कर देते हैं, वह अपने आदमी को नहीं रख सकते, आप कह देते हैं कि इन दो आदमियों में से आप चुनिये और मेजारिटी से भी चुन सकते हैं, तो इसमें दलबन्दी का वह खतरा है जिसको कि हम बचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल में विभाजन हुआ, आपने दो या तीन नाम रख दिये, तीनों आदमियों पर वोटिंग हुआ। यदि २१ हैं, एक को ९ मिले, एक को ४ मिले, एक को ६ मिले, तो हमेशा के लिए एक विभाजन हो जा सकता है। लेकिन इस विधेयक का सुझाव यह है कि अगर कोई ग्रुपबन्दी हुई भी तो हर एक ग्रूप इस बात का प्रयत्न करेगा कि हम अच्छे से अच्छे आदमी का नाम भेजें। क्योंकि वह यह तो समझता ही है कि चांसलर के ऊपर यह मजबूरी नहीं है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिला हो, वह ही नियुक्त हो। वह किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो नियुक्ति का आधार यह नहीं होगा कि किसको कितना वोट मिला है, बल्कि यह होगा कि इनमें से सबसे योग्य कौन है। इसलिए हर एक इस बात की कोशिश करेगा कि हमारा नामिनी सब से सुयोग्य हो। इसीलिए यह सुझाव आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

एक बात और कह दूं। इसमें आटोनामी की बात कही गयी। आटोनामी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं लेकिन बालेन्दु शाह जी ने वह बात कही और बार बार कही जाती है। मैं तो समझता था कि बार बार इस तरह से आक्षेप न किया जायगा कि जहां जरूरत हो भी, न

भी जरूरत हो, वहां भी यह किया जाय, लेकिन आप स्वयं बताइये, मैं आपके सम्मुख यह रखता हूं कि जो धारा आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट में अभी तक थी और उसके बजाय जो धारा रखी जा रही है, यदि वह इस भवन से पास हो गयी, तो दोनों को तराजू के दो पलड़ों में रखने पर देखा जाय तो उस वक्त आपका क्या ख्याल होगा कि इसमें आटोनामी संरक्षित है या उसमें थी। आटोनोमी की निस्बत इतना मैं प्रकट कर दूं कि मैं ऐसी आटोनामी का पोषक नहीं हूं और मैं समझता हूं कि मेरा यह दृष्टिकोण ठीक है कि किसी को भ्रष्टाचार करने का स्वाधिकार हो ऐसा आटोनोमी का कभी अर्थ नहीं हो सकता। आटोनोमी, स्वतंत्रता, केवल साधन हो सकती है लेकिन वह साध्य नहीं है। यह नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर युनिवर्सिटी को रुपया दे और वहां भ्रष्टाचार का भंडार खुला हो आटोनोमी के नाम पर। मैं यह अर्थ कभी नहीं समझता, इसको मानता भी नहीं और यदि सम्भव होगा तो कभी मानूंगा भी नहीं और मैं आप से भी अनुरोध करता हूं कि आपको भी यह अर्थ नहीं मानना चाहिए। हम आटोनामी केवल इस बात की देते हैं कि आप हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दीजिये, आप ऊंचे उठिये, आप अपने व्यवहार से हमारे विद्यार्थियों पर यह प्रभाव डालिये कि वह भी आगे जाकर, सुयोग्य नागरिक हों। लेकिन अगर कोई यह कहे कि हम इन शिक्षा संस्थाओं को जिनसे कि हम प्रकाश चाहते हैं, जिन पर हम आंख लगाये हुए हैं कि हमारे भविष्य भारत का निर्माण इन्हीं से होगा, उनको आप स्वतंत्रता दीजिये भ्रष्टाचार की तो मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए और एक स्वतंत्र देश में तो कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। तो यह कहना कि इसमें आटोनामी ठंढी हो रही है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मजबूरी है, न अपने को मैंने कभी शिक्षा का विशेषज्ञ कहा और न ऐसा दावा ही करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि किस किताब में बालेन्दु शाह जी ने आटोनोमी की यह परिभाषा पढ़ी है। वह किताब मैं उनसे देखना चाहूंगा।

तो मैंने कहा कि बार बार उसका प्रश्न ले आ करके यह कहना कि आटोनामी कुंठित हो रही है, वाइस चांसलर का चुनाव कैसे हो, यह उचित नहीं है। मूथम कमेटी ने एक ही रास्ता बताया है। वे हाई कोर्ट के जज हैं। और लोगों ने भी रास्ता बताया है। उसमें हम एक रास्ता बता रहे हैं, तो आटोनोमी कैसे कुंठित हो गयी। अगर हम वही रास्ता मान लें, जो अभी तक था, तो आटोनोमी कुंठि[illegible]गी। तो मेरा ख्याल यह है कि जब एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बोल रहे हैं और जब हमारे हाथ में यह अधिकार हो कि हम इन विश्वविद्यालयों का भविष्य बना सकते हों, और हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हों, तो हमको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। खैर, मुझे इसका पता नहीं है कि और लोगों के दिलों में क्या है, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि डिमाक्रैसी के लिए मैं यह बड़ी घातक चीज समझता हूं कि हम कोई कानून इस तरह से बनायें, कि हम ही हमेशा यहां रहेंगे। अगर डिमोक्रैसी में यह चीज हो जाय, कि एक ही दल शासनारूढ़ रहेगा, तो फिर वह डिमोक्रैसी नहीं रह जायगी। आप ही बतलाइये कि इसमें कौन से अधिकार हमारे हाथ में रहेंगे। हम सम्पूर्ण अधिकार एक्जीक्युटिव कौंसिल को देना चाहते हैं, क्योंकि उस वाइस चांसलर को उस एक्जीक्युटिव कौंसिल के साथ मिल करके काम करना है। जैसा मैंने पहले कहा मैंने यह दावा नहीं किया कि हमारा यह सुझाव बिलकुल ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह बिलकुल ही एबसोल्यूट है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज तक जितनी विधियां हैं, उनमें सबसे अच्छी यह है। और जिस तरह आप यह चाहते हैं कि हम आपके सुझाव को थोड़े दिन तक देखें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस सुझाव को थोड़े दिन तक चला करके देखिये कि इसका क्या फल होता है और फिर हमको आपको इस बात का अवसर होगा कि हम इसको बदल सकें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९ की उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council out of a penal of names

[श्री उपाध्यक्ष]

submitted by a Committee consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council and (*c*) a person chosen by the U. P. Public Service Commission.

(2) The Chancellor shall endorse the choice of the Executive Committee for the post of Vice-Chancellorship.

(3) The Chancellor may after giving specific reasons refer back the matter to the Executive Council for reconsideration but the choice of the Executive shall be final."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१६

विपक्ष में—११८।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस मसले पर न्यूट्रल रहे।

(कुछ ठहर कर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उपधारा (४) रख दी जाय तथा प्रस्तावित उपधारा (४) तथा अनुवर्ती उपधाराओं को तदनुसार पुनरांकित कर दिया जाय—

"The Executive Council in case of vacnacy caused by death, resignation of discipliaction, will have the power to appoint a temporary Vice-Chancellor till the nary time one is chosen permanently; but this period of temporary post, shall not exceed six months in any case."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन मौजूदा विधेयक की धारा ६ की उपधारा (८) के स्थान पर है, जो इस प्रकार है कि !—

"Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying on the duties of the Vice-Chancellor and shall at the same time call upon the Executive Counicl to forward its recommendations in accordance with sub-section (2) and (3).

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन में ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। इसमें बुनियादी फैक्ट इतना ही है कि टेम्पोरेरी पोस्ट की वैकेन्सी के लिए चांसलर को अख्तियार दिया है और मैंने एक्जीक्युटिव कौंसिल को अख्तियार दिया है। इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद मेरे पहले संशोधन पर हो चुका है। इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन पर सदन विचार करेगा।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं उनके विरोध का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उपधारा (४) रख दी जाय तथा प्रस्तावित उपधारा (४) तथा अनुवर्ती उपधाराओं को तदनुसार पुनरांकित कर दिया जाय--

"The Executive Council in case of vacancy caused by death, resignation or disciplinary action, will have the power to appoint a temporary Vice-Chancellor till the time one is chosen permanently; but this period of temporary post, shall not exeecd six months in any case."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

"खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) की पंक्ति १ में संख्या "२,०००" के स्थान पर "१,०००" रख दी जाय।"

खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की जिस उपधारा में मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है--

"The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs.2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs.200 per month".

इस संशोधन से मेरा मतलब है कि वाइस चांसलर का जो वेतन है, वह दो हजार के बजाय एक हजार हो। इस संशोधन को पेश करते समय मैं यह बतला देना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी न हो कि मैं वाइस चांसलर के महत्वपूर्ण पद के लिए यह नामुनासिब नहीं समझता कि उनका दो हजार रुपये वेतन हो। मैं तो उन व्यक्तियों में हूं और हमारी पार्टी के प्रधान लोगों ने हमेशा यह कहा है कि जैसे और देशों में शिक्षा विभाग के लोगों की काफी इज्जत होती है, और तनख्वाहों में काफी फर्क है उसी तरह से हम भी यह चाहते हैं कि युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ज्यादा से ज्यादा वेतन दिया जाय। लेकिन हमारे देश की जो आर्थिक दशा है, वह इस किस्म के वेतन की इजाजत नहीं देती। इस संशोधन से फायदा उठाते हुए, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी पार्टी की एक नीति है और हम तो यह चाहते हैं कि देश में किसी भी पद का एक हजार से ज्यादा वेतन न हो। यहाँ तक कि प्रेसिडेंड को भी एक हजार से ज्यादा वेतन न मिले। तो जब हम एक हजार का संशोधन रखते हैं तो उस समय हम युनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर को और प्रेसिडेंट को समकक्ष कहने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में दो हजार का वेतन हम नामुनासिब समझते हैं। एक तरफ तो हमारी आर्थिक हालत ऐसी है और दूसरी तरफ सरकार भी हमेशा यही कहती है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा में विशेष सुधार नहीं हो सकता और युनिवर्सिटीज की तरफ से हमेशा रुपये की माँग सरकार के पास आती है जिसको सरकार हमेशा ही पूरा करने में असमर्थ होती है। तो ऐसी परिस्थिति में दो हजार रुपये तनख्वाह देना मैं मुनासिब नहीं समझता। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक वाइस चांसलर की मिसाल मौजूद है आचार्य नरेन्द्र देव जी की। जिस समय वह लखनऊ युनिवर्सिटी में थे, तो उनको जो वेतन मिलता था उसमें से करीब एक हजार के छोड़ कर बाकी सारे का सारा या तो विद्यार्थियों को दे देते थे या सार्वजनिक कार्यों में लगाते थे। यही दशा अब बनारस में भी है और अपने वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों में बाँट देते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह--वह तो पार्टी को देते हैं और यहाँ आपने लड़कों को दिया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--पार्टी को देने की बात तो माननीय शिक्षा मन्त्री को ज्यादा मालूम होगी।

श्री हरगोविंद सिंह--यह नहीं हुआ कि युनिवर्सिटी से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। युनिवर्सिटी से उतना ही लिया। उसको किस तरह से बाँटा यह दूसरी बात है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह मैं मानता हूं कि उन्होंने सेलरी में कोई कट नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह ज्यादा मुनासिब समझा कि उस रुपये का उपयोग हो।

श्री हरगोविंद सिंह--आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। मैंने केवल यह कहा कि आपके कहने से मालूम यह होता है कि आचार्य जी ने युनिवर्सिटी से पूरी तनख्वाह ली। उसका एक हजार खुद लिया या दूसरों को दिया यह आप ज्यादा जान सकते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितना रुपया लिया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--वह रुपया लेकर देते थे या वहाँ से कट जाता था इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो शिक्षा मन्त्री जी भी जानते हैं कि वह रुपया गरीब विद्यार्थियों की फीस में लगाते थे। ऐसे विद्यार्थी जिनको युनिवर्सिटी से फ्रीशिप नहीं मिली या जो स्वयं फीस नहीं दे सकते उनको उन्होंने मदद की। उनको देख कर वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह ने भी अपनी तनख्वाहों में कमी की और उससे एक गरीब विद्यार्थियों का फन्ड कायम हुआ। वह लखनऊ में भी है और अब बनारस में भी है।

ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि २ हजार के बजाय अगर एक हजार रख दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसके साथ ही साथ वाइस चांसलर इस प्रकार से एक आदर्श भी उपस्थित कर सकता है कि देश की गरीबी की हालत में कम से कम वेतन लिया जाय। जैसा कि माननीय मन्त्री जी को भी ज्ञात है गाँधी जी तो इस बात पर बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि ६ पैसा रोज हमारे देश की औसत आमदनी है। अब देखिये कि कहाँ ६ पैसा और कहाँ २ हजार रुपया। इतना अधिक रुपया मुनासिब नहीं मालूम होता। यदि हमारा संशोधन मान लिया गया तो दूसरों के लिए यह एक अच्छी मिसाल पेश करेगा। डीन्स भी अपनी सेलरीज में कट कर देंगे और इससे गरीब विद्यार्थियों का फायदा होगा। ऐसी सूरतों में मैं चाहूंगा कि मेरा संशोधन मंजूर कर लिया जाय। नीचे यह भी लिखा गया है कि २०० रुपाय महीना उनको अलाउन्स दिया जाय या फरनिश्ड बंगला दिया जाय। इस प्रकार रहने की व्यवस्था हो गयी। ऐसी हालत में १ हजार रुपया नाकाफी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह समस्या इस सदन में अक्सर आ जाया करती है। हर साल बजट के समय, सप्लीमेंटरी बजट के समय या जब मंत्रियों के वेतन का सवाल आता है, तो यह बात हमारे सामने आती है। हमारे देश में सन् १९३९ से सन् ५३ में चीजों के दाम इतने बढ़ गये हैं कि रुपये की कीमत रुपया में तीन या चार आना के करीब रह गयी है। इस प्रकार से आजकल जो २ हजार रुपया है, वह ५०० रुपया के ही बराबर रह गया है। इसलिये मेरा विचार है कि उसमें ज्यादा काट छांट करने की गुंजाइश नहीं है। यों तो आदर्शवादी बहुत से लोग हैं जो संसार के सामने अपने आदर्श रखते हैं। उनको आप कुछ भी दीजिये लेकिन वह दान कर देंगे, लेकिन आजकल के वातावरण में हर व्यक्ति को उसके पद का उपयुक्त वेतन मिलना चाहिए। हाँ, कोई समय आये, जब सब धान पाँच पंसेरी बिकने लग जायं, वह तो दूसरी बात है, इस समय वे परिस्थितियाँ यहां नहीं हैं। आज भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जजेज को तथा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों को दो हजार रुपये से ज्यादा या इसके लगभग तनख्वाह मिलती है। ऐसी स्थिति में वाइस चाँसलर का पद ऐसा नहीं है कि उसके वेतन में कुछ काँट छांट की जाय। हमारे प्रान्त में यों तो ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं हैं, लेकिन फिर जो दो तीन विश्वविद्यालय हैं उनमें से केवल एक ही का प्रश्न इस समय हमारे सामने है। इस तरह से अगर हम दो चार सौ रुपया काट भी लेते हैं, तो कोई खास बचत होने वाली नहीं है और न देश की गरीबी की

समस्या ही हल हो सकती है। आपको यह जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस आदमी को आप वाइस चाँसलर बनायें उसके बारे में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके भी गृहस्थी हो सकती है, उसके भी बाल बच्चे हो सकते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वह वाइस चाँसलर बनकर रोज बीबी से झगड़ा मोल ले? इससे न तो विश्वविद्यालय का ही लाभ होगा और न हमारे विद्यार्थियों का ही कल्याण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो इसमें दो हजार रुपया वेतन और २०० रुपया हाउस अलाउन्स रखा गया है, वह ज्यों का त्यों रहने दिया जाय। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवल किशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन श्री त्रिपाठी जी ने रखा है, उससे मैं सिद्धान्ततः सहमत हूं, लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए जैसा कि मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है, मैंने एक वाया मीडिया अख्तियार किया है। मेरा जो संशोधन है वह बीच का है, और वह यह है कि वाइस चाँसलर की तनख्वाह १,५०० रुपये होनी चाहिए। एक हजार और दो हजार के बीच मैंने वाया मीडिया निकालने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन जो पेश किया है वह यह है ---

श्री उपाध्यक्ष---इस वक्त आपका संशोधन नहीं लिया जा रहा है।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी संशोधन में यह संशोधन पेश किया है कि वाइस चाँसलर की तनख्वाह १,५०० रुपये होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---इसके ऊपर आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं लेकिन आपका संशोधन इस वक्त नहीं लिया गया है।

श्री नवलकिशोर---तो श्रीमन्, जब मेरा संशोधन आयेगा तभी मैं बोलूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी के पिछले भाषण को सुन कर मुझे दुख हुआ। मुझे हार्दिक दुख हुआ कि मैंने अनजान में किसी प्रकार माननीय शिक्षा मन्त्री जी की नीयत के ऊपर किसी प्रकार की बात की है। यही दिखलाने के लिए कि मुझे माननीय शिक्षा मन्त्री जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, और मैं उनका मान करता हूं उनकी तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो यही था कि मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करूं और मेरा विचार यही था कि दरअसल एक हजार रुपया बहुत होता है और वाइस चाँसलर का वेतन एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन काटजू साहब ने अभी जो अपना वक्तव्य दिया है, उसको सुनने के बाद मुझे अपने विचार में परिवर्तन करना पड़ा और मैं समझता हूं कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है, दर असल वह उचित नहीं है, और दो हजार रुपये ही वेतन रहना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दो हजार रुपये के लिए इतना अनुमोदन होने के बाद मेरा यह विरोध कहाँ तक इस समय मजबूत रहेगा, यह देखना है। यहाँ तो दो हजार रुपये की रकम में कई संशोधन पेश हुये हैं। एक संशोधन में तो १,५०० रुपये के लिए कहा गया है, दूसरे में, १,२०० रुपये के लिए कहा गया है और तीसरे में १,००० रुपये के लिए कहा गया है। और एक जो सब से नीचा संशोधन मेरे भाई श्री श्रीचन्द का है, वह तो ७५० रुपये का ही है। तो दरअसल अगर देखा जाय तो यह सब संशोधन एक ही बात के द्योतक हैं और एक ही बात की तरफ हमें ले जाते हैं कि आया हमें इतनी ऊंची तनख्वाह जितनी कि इसमें हमारे वाइस चाँसलर के लिए रखी जा रही है, यानी दो

[श्री बलवन्त सिंह]

हजार रुपये, इतनी रखनी चाहिए या हमें तनख्वाह ऐसी रखनी चाहिए जैसा कि हमारे देश का स्तर है। मैं यह मानता हूं, जैसा कि अभी हमारे भाई काटजू साहब ने कहा है कि दो हजार रुपया कुछ बहुत अधिक नहीं है, और तीन हजार रुपया भी कुछ बहुत अधिक नहीं है। मगर देखना यह है कि जिस परिस्थिति में हमारा देश है, जैसी हालत हमारे यहाँ के लोगों की है, हम उसी बात और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ इतने आदमी मुकर्रर करें कि उनकी तनख्वाह भी ऐसी ही रहे। इस समय अगर हम किसी आदमी को ज्यादा बड़ी तनख्वाह दे देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आदमी या वह पद बहुत बड़ा है।

अभी आपके सामने हमारे मुख्य मन्त्री जी या प्रान्त के दूसरे मन्त्रीगण की तनख्वाह १२ सौ रुपये रखी गयी थी। क्या कोई कह सकता है कि हमारे मन्त्रीगण जितना भी रुपया लेते हैं, सूबे के अन्दर जिनको बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं उनसे कुछ स्तर में नीचे हैं या वे उनसे कुछ काम कम करते हैं। यह बात नहीं है, बल्कि जहाँ तक उनका सूबे के अन्दर मान है, वह भी किसी से कम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी किसी से कम नहीं है और वे जितना काम करते हैं, मैं यह समझता हूं कि जिनके आन्तरिक जीवन से मुझे जानकारी है, मैं यह मानता हूं कि बहुत अधिक काम वह करते हैं। और अगर कोई यह कहने लगे कि जो उनको तनख्वाह दी जाती है, उसमें क्या वह अपने जीवन निर्वाह को पूरा कर लेते हैं तो यह बात भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है हमारे देश की जैसी स्थिति है उसकी तरफ भी आप देखिए। जिन टैक्स पेयर्स से आप धन लेते हैं, जिनके पैसों से इस प्रान्त का कारोबार चल रहा है क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे सकते हैं? तो जब आप इधर दृष्टि डालते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि आप ऐसे देश में ऐसे समय में रह रहेहैं जहाँ हम बड़ी बड़ी तनख्वाहों को बरदाश्त नहीं कर सकते। अब सवाल यह पैदा होता है कि साहब अपने यहाँ हाई पेड सरवेंट्स अब तक हैं। मैं यह मानता हूं और मैं चाहता हूं कि उनकी भी तनख्वाहें यदि हो सके तो कम कर दी जायं, परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कॉंस्टीटय़ूशन की डिफीकल्टीज हमारे मार्ग में हैं कि हम उनकी तनख्वाहों को इस समय कम नहीं कर सकते हैं मगर जिनकी हम कर सकते हैं, और जो कानून हम इस समय बना रहे हैं, उसमें भी यदि हम उसी पुरानी व्यवस्था को रखें, और उसी तरह से बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें, तो यह किसी तरह से भी जायज नहीं है।

हम जानते हैं कि हमारे प्रान्त में ऐसे बहुत से काम हैं, जिनमें हमें रुपये की आवश्यकता है। अभी सुबह ही बातचीत हो रही थी। सवालात पूछे गये थे कि साहब यहाँ मेडिकल फेसिलिटीज बढ़ाते क्यों नहीं हैं तो यही कहा गया था कि हमारे प्रदेश की ऐसी हालत नहीं है। ऐसे समय जो स्कूल्स और कालेजेज हैं और दूसरी जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी की चीजें हैं, जैसे लोगों के लिए औषधियों का प्रबन्ध करना, डाक्टरों का प्रबन्ध करना, अगर हम उनको नहीं कर सकते तो फिर एक व्यक्ति विशेष को इतनी तनख्वाह देना कितना न्याय संगत होगा, यह समझा जा सकता है। और जब जनता के पास हमारी दोनों चीजें जायंगी, सुबह की और इस समय की तो वह क्या कहेंगे, कि एक ही साँस में हम कहते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है और दूसरी ही साँस में हम इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों को रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह न देने के माने यह नहीं हैं कि उसकी जिम्मेदारी कम है या उसका पद किसी तरह से कम है, या वह इतना काबिल आदमी नहीं है कि उसको हजार या दो हजार तनख्वाह दी जा सके। मैं तो यह कहता हूं कि आपको कहीं न कहीं शुरूआत करनी पड़ेगी। आपने मिनिस्टरों से शुरूआत की और आपको अब शुरूआत करनी पड़ेगी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशनों से। वह एक ऐसा स्थान है जिन स्थानों पर आपको आदर्श रखना पड़ेगा। आपके मिनिस्टरों ने और आपके एम० एल० एज० ने कुछ आदर्श देश के सामने रखा है। अब हमें उसी आदर्श को आपकी जो शिक्षा संस्थायें हैं उनमें भी रखना पड़ेगा।

कौन नहीं जानता कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, उनका आदर्श नीचे गिरता जा रहा है। उनमें आपको तपस्वी और त्यागी आदमी रखने पड़ेंगे जो ऊंची तनख्वाह नहीं ले सकें। वह

आदर्श हम नीची तनख्वाहों में भी ला सकते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि इन सारी बातों को सोचते हुए और अपने देश की दशा को सोचते हुए और अपने आदर्श को सोचते हुए हमको अपने यहाँ बड़ी तनख्वाह नहीं रखनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि जितनी एक मिनिस्टर की तनख्वाह है उससे ज्यादा तनख्वाह किसी की न रखी जाय। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि जितनी तनख्वाह एक मिनिस्टर को मिलती है, उससे ज्यादा किसी को न दी जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर इतनी उतावली से काम नहीं लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--अभी मैं एक आदमी को और अवसर देता हूं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फर नगर)--मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें चार संशोधन इस सम्बन्ध में हैं, अगर उनको भी साथ में ले लिया जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में और भी संशोधन हैं, तो उन पर बोलने का अवसर मिल जायगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज त्रिपाठी जी द्वारा जो इस बिल से सम्बन्धित संशोधन प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी पार्टी के बुनियादी उसूल से सम्बन्धित है। जब मैंने इस संशोधन के बाद इस बिल के सम्बन्ध में एक के बाद दूसरे संशोधनों को देखा, तो मालूम हुआ कि त्रिपाठी जी के संशोधन के साथ साथ हमारी अधिकार वाली पार्टी के साथियों ने भी कुछ संशोधन इस प्रकार के रखे हैं। जब मैंने श्रीचन्द्र जी के संशोधन को देखा, तो उसमें उन्होंने ७५० और ७५ की बात कही है वह एक बुनियादी बात है। उसको देखकर मैं खुश हुआ क्योंकि हमारे विचारों के साथ साथ दूसरी पार्टी के लोग भी बढ़ते चले आ रहे हैं। जब श्री बालेन्दुशाह जी इस सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो मेरे दिल में कुछ घबराहट हुई और मैंने सोचा कि आया श्री त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करेंगे या विरोध। लेकिन उन्होंने वही किया उनको जैसा करना चाहिए था। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई।

तनख्वाहों के बारे में जब हम विचार करेंगे, तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि हम किस देश में हैं और हमारे देश की परिस्थिति क्या है और इस विषम परिस्थिति में हम इतनी तनख्वाह दे सकते हैं या नहीं। हमारी पार्टी का यह उद्देश्य है कि किसी को भी एक हजार से ज्यादा तनख्वाह न दी जाय और कम से कम नीचे के लोगों को १०० रुपये से कम तनख्वाह न दी जाय। यह हमारी पार्टी का बुनियादी उसूल है। श्री त्रिपाठी जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है वह उचित ही है और मैं इसी सम्बन्ध में देश की आज की आर्थिक जो स्थिति है उसकी ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सदन के सम्मानित साथी जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आज देश दो भागों में बंटा हुआ है। एक तरफ़ तो पूंजीवादी तबक़ा है और दूसरी ओर शोषित तबक़ा। यदि हम दोनों की आय और वेतन का विवेचन करें तो हम देखेंगे कि एक ओर तो दो हजार, ४ हजार, ६ हजार और दस हजार तक लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं जैसा कि आज की सरकार में है। लेकिन जब हम दूसरी ओर गरीबों की दुनिया में बैठकर देखते हैं और उनकी ओर ध्यान देते हैं तो हमें मालूम होता है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो खेतों से दाने बीन कर अपना पेट भरते हैं, ऐसे लोग हैं जो गोबर से दाने निकाल कर खाते हैं और दिन काटते हैं। इसी सरकार में ३० रुपया माहवार से लेकर ५ रुपया माहवार तक के छोटे मुलाजिम हैं। अगर हम इन दोनों प्रकार के लोगों की तुलना करें......

श्री उपाध्यक्ष---सदन में सहारा लेकर खड़े होना मुनासिब नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल---मैं यह कह रहा था कि २,००० रुपये का वेतन बहुत अधिक है। आज एक अध्यापक ३० रुपया माहवार पर काम करता है और एक चौकीदार केवल ५ रुपया माहवार पर। अगर हम २,००० रुपये पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ६६ रु० १० आ० ८ पा० प्रति दिन हम उनको दें, जब कि हम उनके २०० रुपये, जो हाउस एलाउन्स के हैं उन को छोड़ देते हैं। यह हम उनको उनके वेतन के रूप में देना चाहते हैं। हमें दूसरी तरफ़ यह भी देखना चाहिये कि जो ५ रुपये का मुलाज़िम है अगर हिसाब लगावें तो उसको ४ पैसा रोज मिलता है, इसके मानी यह होते हैं कि उसके मुक़ाबले में हम वाइस-चांसलर को १ हजार गुने से भी ज्यादा देना चाहते हैं। इसी तरह से जो मास्टर ३० रुपया पाता है तो उसकी आमदनी का भी अन्तर एक हजार गुने से अधिक ही आता है। जब तक हम अपने समाज से यह अन्तर नहीं मिटाते हैं तब तक हम समाज में किसी प्रकार की सुव्यवस्था की आशा नहीं कर सकते और इसके कारण से जो कुछ भी विफलतायें हमारे सामने आती हैं वह आती रहेंगी और आज की सरकार को उसका मुक़ाबला करते रहना पड़ेगा। यही कारण है कि आज हर जगह अध्यापकों में और दूसरे लोगों में असन्तोष है, क्योंकि जब वह इस अन्तर को देखते हैं और समझते हैं कि उनसे कम काम करने वाला उनसे ज्यादा वेतन पाता है, जब एक मजदूर देखता है कि दिन भर मरने के बाद वह ८ आने पाता है तो उसके अन्दर एक डाह, द्वेष और होड़ सी पैदा होती है और जो कुछ इस सरकार के युग में हो रहा है वह हम सब देख रहे हैं।

वाइस-चांसलर के वेतन के संबंध में जो यह बिल है जिसको आप कानून की शक्ल देना चाहते हैं। वाइस चान्सलर एक आईना होता है जिसमें भावी विद्यार्थी अपनी शकल देखते हैं और उन पर अपने गुरु की और कुलपति की छाप होती है। जो विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे उन पर वहां के वाइस-चांसलर की छाप होगी। इसका प्रमाण है कि हमारे आचार्य नरेन्द्र देव जी लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे तो उनको देख कर यहां के विद्यार्थियों ने अपने सारे जीवन को एक ढंग से अनुशासित किया था और उन्होंने उनके आदर्श पर चलना कबूल किया था परन्तु उनके चले जाने के बाद हालांकि बनारस में उनका स्वागत हुआ लेकिन लखनऊ में जो दुर्दिन आये, गोलीकांड हुये अनुशासनहीनता फैली वह सब आपने देखी। मैं इसलिये नहीं कहता कि आचार्य जी का सम्बन्ध हमारी पार्टी से है। एक व्यक्तित्व होता है वाइस-चांसलर का, जो आईना होता है, जिसमें वद्यार्थी अपनी शकल देखते हैं और उसके अनुरूप अपने को बनाने की कोशिश करते हैं। जब कि एक विद्यार्थी फटे कपड़ों में पढ़ने आता है और वह अपने वाइस चांसलर को २ हजार वेतन लेते हुये पाता है और मोटरों में घूमते देखते हैं तो उसमें एक रोष, डाह और ईर्ष्या की भावना पैदा होती है और उसके दिल में ऐसे लोगों के खिलाफ एक विद्रोह की भावना जागृत होती है जिसको लेकर वह बाहर आता है। अगर वह एक हज़ार तनख्वाह पाते हैं और अपनी सारी जरूरियात को उस एक हजार के अन्दर ही सीमित रखते हैं तो फिर वहां का विद्यार्थी भी उसे देख कर यह समझेगा कि हमें भी आगे चल कर अपने को इसी सीमा तक महदूद रखना पड़ेगा। तो मैं आप के जरिये माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस १ हजार वाले और २ हज़ार वाले झगड़े को गौर से देखें और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत यह जो संशोधन है इस पर विचार करें। विचार करने के बाद वह देखेंगे कि इस विचार करने के बाद वह देखें कि एक हजार वाले संशोधन को मान लेने के बाद उनको फिर इसी तरह के अन्य कानूनों की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा और फिर वह धीरे-धीरे इस स्टेट में एक ऐसी व्यवस्था कायम करने में सरकार को मदद दे सकेंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि यह संशोधन शिक्षा मन्त्री जी स्वीकार कर लें जिससे कि इस देश के लिये एक बहुत ही कल्याणकारी रास्ता निकल सके।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर नवल किशोर जी चाहें तो अब वह अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री नवलकिशोर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करते हुये अपना संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ६ के उपखण्ड (४) की पंक्ति १ में अंक "Rs 2000" के स्थान पर अंक "Rs 1500" रख दिया जाय। जैसा श्रीमन्, मने शुरू में निवेदन किया, मैं भी यह चाहता था कि मैं भी त्रिपाठी जी के संशोधन से सहमत होता। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है कि वाइसचांसलर युनिर्वासिटी का सब से बड़ा एक्जीक्यूटिव हेड होता है और जब युनिर्वासिटी में हम देखते हैं कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स की तनख्वाह एक हजार से ऊपर १२ सौ साढ़े बारह सौ तक है तब यह मुनासिब है कि वाइस-चांसलर की तनख्वाह कम से कम उनसे कुछ अधिक होनी चाहिये। इसीलिये मैंने बीच का यह वाया मीडिया निकाला कि न एक हजार हो न दो हजार हो बल्कि १५ सौ रुपये हो और यह आशा भी मुझे है कि शायद माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस वाया मीडिया को स्वीकार कर लें।

श्रीमन् इसके विरोध में माननीय काटजू साहब ने कुछ दलीलें पेश कीं। उन्होंने मिसालें दी, हाई कोर्ट के जजेज की, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की और उन्होंने यह भी बताया कि सन् १९३९ से १९४५ तक रुपये की क़ीमत में काफी कमी हो गई है। ये वास्तविक बातें हैं और हम सभी इनको जानते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ यदि उन्होंने यह देखा होता कि इस देश का जो आर्थिक ढांचा है वह आर्थिक ढांचा इतनी ज्यादा तनख्वाहों को बर्दास्त नहीं कर सकता। जब कभी इस भवन में यह प्रश्न उठा तो हमेशा ही यह दलीलें दी गयीं कि हिन्दुस्तान के और सूबों में यह तनख्वाह है, सेंटर में यह तनख्वाह है और म समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि लखनऊ युनिर्वासिटी, इलाहाबाद युनिर्वासिटी, बनारस युनिर्वासिटी या और भी जितनी युनिर्वासिटियां हमारे सूबे में हैं या हिन्दुस्तान के अन्य कोनों में हैं उन सब में तनख्वाह दो हजार या उससे अधिक है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि तनख्वाहें और जगह ज्यादा हैं। लेकिन आज इस भवन के सामने आगरा युनिर्वासिटी का बिल पेश है और इसके वाइस चांसलर को अब तक कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब तक यह पद आनरेरी पद हुआ करता था और मैं समझता हूं कि अब तक जो वाइस चांसलर हुये थे वे काफी योग्य थे और इस क़िस्म की दलील कि कम तनख्वाह होने से अच्छे लोग नहीं मिलते हैं या उनकी मानमर्यादा में कमी होती है ऐसी बात मैं नहीं मानता। जैसा कि एक भाई ने अभी कहा कि हमारे मंत्रियों का भी एक एक्जाम्पुल हमारे सामने है। तो मैं यह उनसे कहूंगा कि केवल वेतन ही किसी पद का मापदण्ड नहीं है। काटजू साहब ने कहा कि कुल चार पांच वाइस चांसलर हमारे यहां हैं और यदि आप ने ५, ५ सौ रुपये कम कर भी दिये तो इससे अपने प्रदेश की कोई ग़रीबी दूर नहीं होगी, तो श्रीमन्, जब हमने यह संशोधन रखा था तो इस ख्याल से नहीं रखा था कि इससे हमारे प्रदेश के आर्थिक ढांचे में एक बड़ी तब्दीली हो जायगी। लेकिन एक बात मैं चाहता था कि आजकल का जो सामाजिक वातावरण है उसमें जो मनी वैल्यू तथा योग्यता पर ज्यादा इम्फेसिस दिया जाता है बजाय इसके सर्विस के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस दिया जाय। कोई भी साहब वाइस चांसलर के पद पर इसलिये आयें क्योंकि उनको अधिक सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। न कि इसलिये कि उनको अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी और ज्यादा उनके ठाट-बाट या शान-शौकत हो जायगी। तो हमें अपने देश म एक ट्रेंड पैदा करना है, एक साइकालोजी पैदा करनी है। यह कोई सवाल नहीं है कि इतना रुपया सरकार को बच जाय या युनिर्वासिटी को बच जाय क्योंकि कहीं न कहीं तो हमको यह शुरू करना ही पड़ेगा।

तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस छोटे संशोधन को कि वाइस चांसलर की तनख्वाह १५०० रुपया होगी, मान लिया जाय। कम से कम इससे यह चीज़ पैदा होगी और लोग समझेंगे कि हम उस दिशा की तरफ चलना चाहते हैं जहां कि तनख्वाहें कम हों और विशेष तौर से जब कि अध्यापकों की आम तौर से तनख्वाहें इतनी कम हैं, वाइस चांसलर की इतनी अधिक तनख्वाह में समझता हूं कि नहीं होनी चाहिये बल्कि सिर्फ १५०० रुपया होनी चाहिये, यह भी किसी मानी में कम नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं?

श्री देवकीनन्दन विभव--जी हां, उसी सिलसिले में कहना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष--पहले संशोधन पेश हो जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव--आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खण्ड ६ में प्रस्तावित नई धारा ६ की उपधारा (४) की पंक्ति १ में शब्द "२००० रुपये" के स्थान पर शब्द "१२०० रुपये" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारी सोशलिस्ट पार्टी के जो डिप्टी लीडर साहब हैं त्रिपाठी जी और उनके एक दूसरे साथी ने यह रखा कि चूंकि यह हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि किसी को वेतन एक हजार से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिये इसलिये हम यह संशोधन उपस्थित करते हैं, तो कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न को एक पार्टी लाइन का रंग दे कर उन्होंने उन लोगों की पोजीशन को कुछ कठिन कर दिया जो कि इसमें कम वेतन रखना चाहते हैं। वास्तव में बात यह है कि हमारे देश के ऐडमिनिस्ट्रेशन का व्यय कम किया जाय यह केवल पी० एस० पी० का ही सिद्धांत नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का न केवल निश्चय किया है बल्कि इसमें क्रियात्मक कार्य भी किया है। आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में मिनिस्टर्स को वेतन ३,००० रु० दिया जाता था।

एक सदस्य--५००० रुपया दिया जाता था।

श्री देवकीनन्दन विभव--यह तो उससे पहले की बात है। खैर, उसका अगर मूल्यांकन किया जाय तो क़रीब-क़रीब २०,००० रुपया आज के मूल्य में होता है लेकिन उसके बाद जो ३००० रु० उसका मूल्य हुआ वह १२,००० हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय और दूसरे मन्त्रियों ने यह उदाहरण रखा कि उन्होंने १२०० रुपया महीना ही स्वीकार किया जब कि ३००० का १२००० मूल्यांकन करते हुये यह रक़म उसका केवल १० प्रतिशत होती है। तो कांग्रेस पार्टी का विशेष ध्यान इस ओर है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कम हो और उसका आदर्श भी उन्होंने उपस्थित किया है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश के ऐडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट कम नहीं हुई। हमें जो विरासत में एक ऐडमिनिस्ट्रेशन मिला उसकी जहां कोई खूबी भी हो सकती हैं उसके साथ एक यह बदनसीबी भी है कि उसकी कास्ट, उसका दृष्टिकोण एक भिन्न है, एक भिन्न शासन पद्धति में उसका निर्माण हुआ था। उस समय निर्माण हुआ था जब कि एक कमिश्नर का वेतन ३००० रुपये से ५००० रुपये तक नियत किया गया था। जब कि हमारे देश के एक अध्यापक को १५ रुपया वेतन कठिनाई से दिया जाता था। तो आज जो यह बड़े वेतन और छोटे वेतन में डिस्पैरिटी है उसको कम करना केवल पी० एस० पी० का कार्य नहीं है, कांग्रेस का भी कार्य है।

कांग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में यह नियत किया था कि कम से कम वेतन जहां ५० रुपया होना चाहिये, वहां पांच सौ रुपया से अधिक वेतन नहीं होना चाहिये यानी दसगुने से ज्यादा डिस्पैरिटी वेतन में नहीं होना चाहिये। उस चीज को देखते हुये जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं,इसमें सन्देह नहीं कि आज जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वेतनों का कम करना कितने ही कारणों से बड़ा कठिन है, लेकिन आखिर हमें इस ओर क़दम उठाना पड़ेगा। देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में हमें क़दम उठाना पड़ेगा और कहीं न कहीं उसका प्रारम्भ करना पड़ेगा। मेरे खयाल में शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें हमें इस आदर्श के लिये विशेष स्थान है। आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति में, प्राचीन भारत में जहां बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आते थे वहां वे अपनी सेवाओं के मूल्यांकन धन से नहीं करते थे। उनको पूज्यनीय मान कर उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव समाज रखता था उससे उनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता था। उसी तरह आज

भी वाइस चांसलर का पद ऐसा है जो धन से नहीं नापा जा सकता है । यदि हमको एक प्रदेश में मुख्य मंत्री के पद के लिये योग्य से योग्य व्यक्ति कम वेतन पर मिल सकता है, तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि वाइस चान्सलर के पद के लिय कम वेतन पर हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा। मेरा खयाल है कि मिलना चाहिये और अवश्य मिलना चाहिये। विशेष तौर से शिक्षा के क्षत्र में जहां कि वाइस चांसलर हमारे युवकों के लिये, हमारे विद्यार्थियों के लिये, आदर्श होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि वाइस चान्सलर चमकती हुई मोटरों में घूमे। जिन के दिल में साधारण जीवन व्यतीत करने का आदर्श नहीं है, मेरा ख्याल यह है कि वे विद्यार्थियों के लिये कोई उपयुक्त उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकते।

यह जो कहा जाता है कि हमें उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे, इसपर मैंने बड़ी गम्भीरता से सोचा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मेरा ख्याल यह है कि आज देश में पैसे के दृष्टिकोण का बाहुल्य है, तब भी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा और देश की सेवा करने के लिये अवश्य आगे आयेंगे। मेरा ख्याल यह है कि इसको प्रारम्भ करने के लिये शिक्षा का क्षेत्र सब से उपयुक्त क्षेत्र है। उसमें यदि हम दो हजार के स्थान पर वेतन १२ सौ कर दें तो मेरा ख्याल यह है कि कोई उसमें हानि नहीं होगी। यह कठिनाई है कि दूसरी युनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर को अधिकतर दो हजार से कम वेतन नहीं मिलता है। यह कठिनाई आगरा युनिवर्सिटी के साथ है और आगरा युनिवर्सिटी वह युनिवर्सिटी है जिसके अन्तर्गत ६६ कालेजेज हैं जिनमें कोई-कोई बड़े महान् कालेजेज़ हैं जिनका इतिहास सौ वर्ष से भी पुराना है। ऐसी बड़ी युनिवर्सिटी के लिये मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। लेकिन इस ओर जब हम निगाह डालते हैं तो यह देखते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर को दो हजार रुपया मिलता है और आगरा युनिवर्सिटी के वाइसचांसलर को सिर्फ १२ सौ रुपया ही नियत किया गया है तो यह एक हीनता की भावना मनी मार्केट में मालूम होती है। परन्तु मेरा ख्याल यह है कि इस पर भी आगरा युनिवर्सिटी एक आदर्श उपस्थित करेगी और वह न केवल अपने लिये बल्कि दूसरी युनिवर्सिटियों के लिये भी, अगर वह कम वेतन नियत करे। इस वक्त जो डिस्पैरिटी अध्यापकों और दूसरे उच्च पदस्थ अधिकारियों में है, शासन अधिकारियों और दूसरे लोगों के बीच में है उसे कम किया जाय और इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि मान-नीय मंत्री जी इस विषय पर जरा गम्भीरता से विचार करें और यदि सम्भव हो सके, अगर कोई बहुत बड़ी व्यावहारिक कठिनाइयां न हों, तो मैं चाहता हूं कि वे इसे स्वीकार कर लें।

हमारे भाई श्री नवल किशोर जी ने अभी १५०० रुपया रखा और हमारे पी० एस० पी० के भाई ने १००० रुपया रखा। हमारे पी० एस० पी० के भाई तो मजबूर हैं चूंकि एक हजार रुपया उनकी पार्टी का मैनडेट है इसलिये वे एक हजार से ज्यादा कह ही नहीं सकते हैं। उनकी बात तो सिर्फ एक मेकेनिकल फार्म में है और वह कोई मस्तिष्क की बात नहीं है। तो केवल हर जगह तोते की तरह रिपीट कर देना है कि एक हजार रुपया होना चाहिये। मगर जहां तक प्रगतिशीलता की बात है मैं अपने पी० एस० पी० के भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्रगति शीलता केवल उनके क्षेत्र में ही सीमित नहीं है। कम वेतन ही प्रगतिशीलता है तो हमारे सदस्यों में भी है बल्कि हमारे एक सदस्य तो उनसे भी ज्यादा प्रगतिशील होने का दावा करते हैं और वे केवल साढ़े सात सौ रुपया ही नियत करते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि १२०० रुपया जो कि हमारे यहां मिनिस्टर की तनख्वाह नियत है जिसे कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नियत किया है वह हमारा एक दृष्टिविन्दु होना चाहिये और हमको धीरे-धीरे जितने भी उच्च पदाधिकारियों की तनख्वाहें हैं उन्हें १२०० पर ही नियत करना चाहिये। मेरा केवल यही निवेदन है। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखण्ड (४) की पंक्ति १ में

[श्री श्रीचन्द]

"Rs. 2,000" के स्थान पर "Rs. 750" और पंक्ति ३ में "Rs. 200" के स्थान पर "Rs. 75" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन से पहले जो ३ संशोधन रखे जा चुके हैं वे तीनों नियम विरुद्ध हैं। उन सब से तो मैं नियमित यही समझता हूं कि अधिनियम में जो २,००० रु० वेतन और २०० रुपया किराया मकान रखा गया है वही उचित है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि वैधानिक रूप से १० प्रतिशत मकान का किराया रखा जाता है उसके लिहाज से तीनों संशोधन नियम विरुद्ध हो जाते हैं। अब रहा यह कि विधेयक में जो कुछ लिखा हुआ है और जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है, इसमें किस लिये मैं यह चाहता हूं, यह मैं आप के सामने बतला देना चाहता हूं। इस समय हमारे देश की जो स्थिति है उसी के अनुसार हमें चलना है। इससे पहले कल परसों भी मेरा एक संशोधन इसी आशय का था। मैं तो यह समझता हूं कि केवल यह दो संशोधन ही इस अधिनियम में ऐसे थे जो हमको बड़े ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं।

हम देखते हैं कि चारों ओर ऐसे ही विचारों की धूम मची हुयी है। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि पदों की शान का ध्यान रखा जाय। मैं उसको इस प्रकार से मानता हूं कि हमारे कुछ विचार अंग्रेजों के समय के ऐसे हैं कि वह अभी तक हमारे दिल के अन्दर घर किये हुये हैं। यही कारण हैं कि पदों की शान का ध्यान रखते हुए हम इन्हीं विचारों पर आते हैं कि पदों के अनुसार वेतन दिया जाय।

श्रीमान् जी, यदि पदों का ध्यान रखा जायगा तो हमारे देश की दशा बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगी जैसी कि विदेशी हुकूमत के समय में थी। अब हमें इसको बदलना है। गांधी जी ने बतलाया है कि सेवा भाव रखें और गरीबों की सहायता करें। हमें अपने को बलिदान देना है। इसका अर्थ यह है कि अपने ऐश, हित, आराम, खाने-पीने और रहन-सहन के मामलों में हम कुछ कष्ट भी सहकर दूसरे प्रकार से रहें तो अच्छा है। हम यह समझते हैं कि दो-तीन हजार रुपये पाने वाले जो सज्जन हैं उनका ध्यान अपने इन छोटे भाइयों की ओर नहीं है। आपके सामने जो चपरासी खड़े हैं उनको ४०, ५० रुपये माहवार वेतन मिलता है। कोई अवसर हुआ तो मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि अपने छोटे भाइयों का वेतन १०० रुपये से कम न हो और अधिक से अधिक ५०० रुपये हो।

मैं आप से साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यदि यह प्रस्ताव आप मान लें और अपने पद और इज्जत का जो एक गलत अर्थ लगाया जाता है, ध्यान न दें तो आज आपकी जनता हो जाय और कांग्रेस गवर्नमेंट पर जो उंगलियां उठती हैं वह न उठें। मैं प्रतिदिन देख रहा हूं ऐसी बातें वह बन्द हो जाय। कांग्रेस गवर्नमेंट से उनकी बहुत ज्यादा सहानुभूति है। उनकी दशा यही है जैसे किसी का इकलौता बेटा कुटेव में पड़ गया हो और वह छुड़ाने में विवश हो। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हम थोड़े में भी अपनी गुजर कर सकते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि एक मनुष्य जिसे २, ३ हजार रुपया मिले वह क्यों उन हमारे छोटे भाइयों को नहीं देखता जिनको ४०, ५० रुपये मासिक वेतन मिलता है। वह भी हमारे साथी हैं, वह भी अपनी गुजर अपने बच्चों का पेट काटकर करते हैं।

इस समय हमारे डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज भी हैं क्या उनकी पोजीशन किसी भी दशा में कुछ कम है। मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर की पोजीशन से किसी भी दशा में उनकी पोजीशन कम नहीं है। फिर उनको किस तरह से ७५० रुपये माहवार दिये जा रहे हैं। इसलिये जो मैंने रखा है वह कम नहीं है किसी एक कुटुम्ब के गुजारे के लिये और अच्छे प्रकार से रहने के लिये प्रायः यह कहा जाता है कि महंगाई

के कारण यह वेतन बढ़ाये जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि महंगाई है। लेकिन छोटे आदमियों की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया। उनके लिये भी तो महंगाई है।

श्रीमान् जी, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा और मैं समझता भी हूं कि मुझे जल्दी ही खत्म करना चाहिये लेकिन जो आवश्यक बातें हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिये मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। यह आवश्यक है कि महंगाई है लेकिन वेतनों में इतना अन्तर होना उचित नहीं है मैं समझता हूं कि यह जो हमारे छोटे भाई हैं क्या उनको खाने के लिये, कपड़े के लिये तथा मकान के लिये कुछ आवश्यकता नहीं है। गर्मी सर्दी क्या उनको नहीं लगती है। उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिये। अपने प्रस्ताव को ध्यान में रखकर यदि हम यह करें कि कम से कम वेतन हो तो ठीक है। यह बात जरूर है कि कुछ जगह ऐसी हैं जिनका वेतन कम करने में हम विवश हैं। वैधानिक रूप से तथा समझौते से हमने यह निश्चय कर लिया और यदि हम उनको कम करेंगे या तोड़ेंगे तो हमारी विदेशों में बदनामी होगी क्योंकि हमारी साख जाती है इसलिये जहां हम उच्च वेतनिकों का वेतन कम नहीं कर सकते तो भी हमें यह विश्वास है कि बड़े वेतन पाने वाले अधिक से अधिक तीन चार साल में अपने आप ही रिटायर हो जायंगे। लेकिन यदि हम यह एक नयी परिपाटी चलायें, कई-कई हजार वेतन आरम्भ कर दें तो यह और भी बुरी बात होगी। यह उदाहरण हमारे मंत्रियों ने जनता के सामने रख दिया है कि पहले जो वेतन अधिक था और गत वर्ष से कुल १२०० रखे हैं और आगे भी मैं समझता हूं कि यही प्रयत्न है कि कम से कम वेतन लिया जाय। यदि इसी प्रकार से वेतन बढ़ता रहा तो रुपया कहां से आयेगा। पहले ही जनता के सामने एक बड़ा संकट दिखायी देता है, टैक्सेशन की भरमार है, आबपाशी डयोढ़ी कर दी गयी है। मैं समझता हूं कि यह परमावश्यक है कि जनता के हित के लिये जैसे पंच वर्षीय योजना में काम हो रहा है तो उसके लिये रुपये की आवश्यकता है। फिर भी जहां तक हो सके हमें टैक्सेशन को कम करना चाहिये। और यह तब कम हो सकता है जब कि हम अपना व्यय कम करें। अब मैं इस पर अधिक न बोलते हुये इसको समाप्त करता हूं क्योंकि मेरे कुछ भाई उतावले से दिखायी दे रहे हैं। इसलिये मैं अंतिम बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप मेरे संशोधन को मान लें तो अपने देश के अन्दर एक प्रेम की लहर दौड़ जायगी और मैं तो यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक वर्ष या दो वर्षों में इसी प्रकार की बातें करनी होंगी। इसलिये अच्छा हो कि पहले से ही प्रारम्भ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे अभी एक सूचना मिली है। एक माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल एक प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। इसलिये इस विषय पर थोड़ी देर के लिये बहस स्थगित होगी।

विधान सभा की बैठक का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज विधान सभा का अधिवेशन ५ बजे के बाद उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कांटीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर चले और पारित होने तक समय विधान सभा के अधिवेशन का बढ़ा दिया जाय।

इस उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर को समाप्त होती है और कुछ परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक है कि इसकी अवधि और बढ़ा दी जाय। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और बिल्कुल नानकंट्रोवर्शल है और यह इसी से जाहिर हो जायगा कि इस विधेयक के ऊपर अभी तक कोई संशोधन नहीं आया है। इसलिये मेरी आपके द्वारा भवन से यह प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय राधाकृष्ण जी का यह प्रस्ताव स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आज विधान सभा का अधिवेशन ५ बजे के बाद उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर चले और पारित होने तक समय विधान सभा के अधिवेशन का बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने वेतन को कम करने के बारे में रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की गरीबी को देखते हुये जो वेतन रखा गया है। वह बहुत ज्यादा है लेकिन आज-कल कालेजेज में प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटीज में हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स के जो वेतन हैं उनको देखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि कि वाइस चांसलर का भी वेतन वही हो जो सजेस्ट किया गया है और उसमें कोई कमी न की जाय। आज जो थर्ड रेट कालेजेज हैं उनके प्रिंसिपल्स को ८:६ सौ रुपया तनख्वाह मिलती हैं और दूसरे कालेजेज में १२ सौ, १३ सौ रुपया वेतन मिलता है। आगरा कालेज के प्रिंसिपल को ही ले लीजिये उसको १२ सौ रुपये तनख्वाह मिलती है और २०० रुपया अलाउन्स का मिलता है। इस प्रकार उसको १४ सौ रुपया मिलता है। इसको खते हुए वाइसचांसलर का वेतन ज्यादा नहीं है। जब तक आपके कालेजेज में और यूनिवर्सिटीज में ये लम्बे चौड़े वेतन हैं तब तक वाइसचांसलर का वेतन भी यही रखना होगा। यह तो नहीं कहा जा सकता कि किसको वाइसचांसलर चुना जायगा लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जो भी वाइसचांसलर होगा वह देश के उच्च कोटि के विद्वानों में से होगा। इसलिये ऐसे आदमी को २ हजार से कम दिया जाना उचित न होगा। इतना वेतन उसके लिये अधिक नहीं है। हमारे साथियों ने आचार्य नरेन्द्र देव जी का उदाहरण दिया। वे जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने हमेशा २ हजार रुपया तनख्वाह ली, और अब भी जब कि वे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हैं २२ सौ रुपया तनख्वाह ले रहे ह। यह हो सकता है कि उन्होंने बहुत सा रुपया उसमें से विद्यार्थियों को बांट दिया हो लेकिन उन्होंने तनख्वाह पूरी ली। मैं उन पर किसी भी प्रकार से कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, हम उनका आदर करते हैं, वे हमारे आदरणीय नेता हैं। अतः इन सब बातों को देखते हुए हमको यह वेतन कम नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कोई वेतन नहीं मिलता था। लेकिन जो दशा पहले थी और जो अब होने वाली है उसमें बहुत अन्तर है। यद्यपि वाइस चांसलर का पद वहां पर अभी तक आनरेरी ही था लेकिन वहां पर वाइस चांसलर वही होता था जो कि वहां के कालेज में प्रिंसिपल या प्रोफेसर होता था और उसको उस पद का वेतन मिलता था। आज भी जो वहां के वाइस चांसलर श्री महाजन हैं उनको भी करीब १ हजार रुपया वेतन मिलता रहा है। इन सब बातों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि जो २ हजार वेतन रखा गया है वह अधिक नहीं है, उचित है और भविष्य में जब यूनिवर्सिटी और कालेजेज के टीचर्स के वेतन कम कर दिये जायं तभी यह संभव हो सकता है कि वाइस चांसलर का वेतन कम किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला आजमगढ़)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वेतन कम करने का सवाल है, सिद्धांततः इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम

सब इस बात से सहमत हैं चाहे हम लोग इधर बैठे हों या उधर बैठे हों कि हिन्दुस्तान में अब जो वेतन निश्चित हो, वह हमारे देश की आर्थिक अवस्था को देखते हुये रखा जाय। तो इस समय जो तीन चार संशोधन आये हैं उनमें से मैं श्री देवकीनन्दन विभव जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि १२०० रुपये का जो एक स्टैन्डर्ड हमारे मिनिस्टरों ने रखा है उसी पर हमको अपना मापदंड बनाना चाहिये और इसी पर आधारित होना चाहिये। ये जो हमारे लोक प्रतिनिधि मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने जो अपना वेतन निर्धारित किया है वे किसी बात में किसी से कम योग्य नहीं हैं, न सेवा में, न कार्य भार में, और न प्रतिष्ठा में। अगर किसी तरह से भी आप विचार करें तो वे सब किसी से कम नहीं ठहरते। इसलिये उन लोगों ने जो १२०० रु० का स्टैन्डर्ड बनाया है अब आगे के लिये सारा वेतन इसी को केन्द्र मान कर, इसी को आधार मान कर निश्चित होना चाहिये। यह तो जहां तक वेतन के सम्बन्ध में निर्धारण का प्रश्न है मेरा अपना मत है।

इसके सिवा एक बात की तरफ विशेष तौर से मुझे इस हाउस का ध्यान दिलाना है। अभी हमारे देवरिया के एक माननीय सदस्य श्री रामेश्वर जी ने एक ऐसी बात कही, मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी बात कही या अन्जान में ही उनके मुंह से ऐसी बात निकल गयी जो मर्यादा की दृष्टि से कोई अच्छी या ऊंची बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में कहा कि वाइसचांसलर एक दर्पण होता है जिसमें लड़के अपनी तसवीर देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आचार्य नरेन्द्र देव जी यहां के वाइसचांसलर थे तब तक यहां की हालत कितनी अच्छी थी और उनके यहां से चले जाने के बाद कैसी हो गयी और इस समय आचार्य नरेन्द्र देव जी हिन्दू यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर हैं तो वहां की हालत कितनी अच्छी है और उनके चले जाने के बाद कैसी हालत हो जायगी। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया लेकिन उनका अभिप्राय किससे था इसको सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि उनका भाषण स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी के समक्ष भी पेश किया जाय तो वे इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि इस भाषण को कभी भी पसन्द नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपने भाषण का स्तर ऐसा ऊंचा रखना चाहिये कि जिसमें व्यक्तिगत आक्षेप या अपमान की बात न आने पावे। अपना भाषण करते हुए जो उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण यहां पर प्रस्तुत किया है उससे एक को तो उन्होंने ऊंचा स्थान दिया और दूसरे को स्वभावतः बहुत नीचे स्थान पर गिरा दिया है। मैं यहां पर नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भावना उचित नहीं है। हमें दो बड़ों के बीच में इस प्रकार नहीं पड़ना चाहिये, 'को बड़ छोट कहत अपराधू।' यह मैं सोचता हूं जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी के समक्ष यह बात आवे तो वे उसे कभी पसन्द नहीं करेंगे। यह कहा जाता है कि आचार्य जुगल किशोर जी की वजह से यहां की यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी हुयी लेकिन मेरा कहना तो यह है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। उन पर जैसा रंग चढ़ा दीजिये चढ़ जायगा। मेरा तो कहना यह है कि लड़कों के खिलाफ जो बात कही जाती है वह गलत है, बल्कि उन बच्चों के पीछे तो लाल टोपी बोल रही थी, उनके पीछे पार्टीज काम कर रही थीं, बच्चे नहीं काम कर रहे थे। यों कहा जाय तो आचार्य नरेन्द्र देव जी के सम्बन्ध में . . .

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपा करके संशोधन पर ही बोलें।

श्री व्रजभूषण मिश्र--मैंने तो पहले ही कहा था कि जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उसी का मैं उत्तर दे देना चाहता हूं। हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी आयुर्वेदिक कालेज के सिलसिले में कुछ आंदोलन उठे, सरकार द्वारा एक लाख से कुछ अधिक रुपया आयुर्वेद विभाग को दिया गया। उसे अन्य मदों में खर्च कर दिया गया। इस पर आंदोलन उठा। अनशन भी हुए जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी हैं किन्तु हमारी कांग्रेस सरकार ने उसका शमन किया। उसे दबाया। हमारी सरकार जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है उसे दबाती है। हम

[श्री व्रजभूषण मिश्र]
सबको मर्यादा के अन्दर ही बात करनी चाहिये। जो १२०० रुपये का संशोधन रखा गया है, मैं इन शब्दों के साथ उसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं माननीय श्रीचन्द जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करूं पर मुझे खतरा है कि अगर मैं रामनारायण जी से कहूं कि उनके पक्ष में वे अपने संशोधन को वापस ले लें तो मुझे खतरा है कि माननीय श्रीचन्द जी आखिर म अपने संशोधन को वापस ले लें तो हमारा कार्य अधूरा रह जायगा। इसलिये मैं जो संशोधन रामनारायण जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर की जो पोजीशन है वह किसी तरह से भी इस देश का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उससे कम नहीं है। हमतो उनकी इतनी इज्जत करना चाहते हैं कि जो तनख्वाह हमारे राष्ट्रपति को मिलती हो और जो हमारे राज्यपाल को मिलती हो वही तनख्वाह हमारे वाइसचांसलर को भी मिले। इसीलिये सिद्धांततः हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि किसी की भी तनख्वाह १ हजार से अधिक नहीं होनी चाहिये और किसी की भी तनख्वाह सौ रुपये से कम न हो। और इसीलिये उसको सबसे अधिक तनख्वाह देने की बात रखी गयी है मुझे यह सुनकर दुख हुआ जब कि माननीय काटजू साहब ने यह कहा कि साहब अगर तनख्वाह इस तरह से की जायगी तो सारे धान एक पसेरी के हो जायेंगे। मैं तो माननीय काटजू साहब से यह आशा करता था कि वह इलाहाबाद के अमरूदों का भाव बतायेंगे लेकिन आज तो वह धान का भाव बताने लग। जहां तक माननीय विभव जी का सवाल है वह तो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी हैं क्योंकि हमने एक हजार रखा और उन्होंने दो सौ रुपये अधिक रखा इसलिये वे प्रोग्रेसिव हो गये। नवलकिशोर जी ने १५ सौ रुपये रखा वे उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गये और सरकार ने २ हजार रुपया रखा तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गयी। और माननीय विभव जी त-इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वह आज सुबह प्रश्न पूछकर चावल बो कर धान पैदा करना चाहते थे। हमने एक हजार रख दिया हम बिलकुल प्रोग्रेसिव नहीं हैं लेकिन वह दो सौ रुपया बढ़वाकर प्रोग्रेसिव हो गये यह बात समझ में नहीं आई।

आज तनख्वाह का मसला एक बाजारी भाव हो गया कोई साढ़े सात सौ कहता है कोई १२ सौ कहता है और कोई १५ सौ कहता है। किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। एक सिद्धांत होना चाहिये। जैसे करांची रिजोल्यूशन कांग्रेस का था फंडामेंटल राइट्स तय करते वक्त यह तय हुआ था कि किसी की तनख्वाह ५ सौ रुपये से ज्यादा न हो। हमारी पार्टी ने एक सिद्धांत की बात कही है कि किसी की तनख्वाह एक हजार से ज्यादा न हो और किसी की तनख्वाह सौ रुपये से कम न हो। यह सिद्धांत की बात है लेकिन यह १२ सौ और १५ सौ हो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जैसा रखा है वही कुछ सिद्धांत पर है कि और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की तनख्वाह २ हजार रखी गयी है इसलिये आगरा यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर की तनख्वाह भी दो हजार रखी गयी है। यह एक सिद्धान्त की बात हो सकती है जब तक कोई और बात तय न हो और हो सकता है कि वह उस वक्त तक ठीक हो लेकिन हम समझते हैं कि आज हमें एक नमूना देश के सामने रखना है। जो विद्या के केन्द्र हैं, जो शिक्षा के इंस्टीट्यूशन्स के हेड्स हैं उनकी तनख्वाह अगर हम एक हजार रुपया सिद्धान्ततः रख लेंगे तो मैं समझता हूं इससे कोई बहुत बड़ी कि खराबी होनेवाली नहीं है। माननीय विभव जी ने कहा था और ठीक ही कहा था कि यह रुपये की बात नहीं है कि रुपया कम होने से कोई वाइस चांसलर नहीं टिक सकता। मैं कहता हूं कि अगर न भी तनख्वाह दी जाय तो भी वाइसचांसलर रहेगा, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो जहां तक रुपये का सवाल

हैं वह बात नहीं है। हां उनको जितना खर्चा है वह मिलना ही चाहिये। अगर वह नहीं मिलता है तो फिर वह दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। हम समझते हैं यह ठीक नहीं है कि जिनको हम इतने बड़े पद पर रख रहे हैं उनके लिये कोई व्यवस्था न की जाय। इसलिये उनके लिये तनख्वाह भी उतनी रखनी चाहिये जिससे वे अपनी गुजर कर सकें और मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक हजार रुपया स्वीकार कर ले। मैं यह चाहता हूं कि इस मसले पर कुछ समय और मिले और और सदस्य भी अपना विचार लोगों के सामने रखें। जो हमारा प्रस्ताव १००० रुपये के लिये रखा गया है उसको स्वीकार करना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—अब ५ बज गये हैं तो आइटम नम्बर ७ लिया जायगा।

*उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक विवादास्पद नहीं है क्योंकि अब भी भारत सरकार और इस प्रांत की सरकार के पास काफी मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है। उसके लिये स्टोरेज का रखना जरूरी है। इस अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर १९५३ ई० को खत्म होने जा रही है इसलिये इस विधेयक के द्वारा इस अवधि को एक साल के लिये और बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त हमारे पास २,४६,२३७ टन अनाज भारत सरकार और इस सरकार का है। इसलिये स्टोरेज की जरूरत है और इस अधिकार की जरूरत है कि आवश्यकता पड़ने पर इन स्टोरेज का रिक्वीजीशन किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के सामने पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल हमारे सामने रखा है उसके उद्देश्य में उन्होंने हमको यह नहीं बताया कि जो राशनिंग की व्यवस्था हमारे प्रांत में है उसके लिये उनको किस शहर के अन्दर कितने मकानों की जरूरत है और कहां-कहां पर गोदाम रिक्वीजीशन करने पड़े और क्या हालत इस राशनिंग विभाग की हमारे प्रांत में है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वह हमको यह सब बतला सकें और इन सब बातों के बिना हम इस बिल पर कैसे विचार कर सकते हैं और कैसे एक साल की मियाद बढ़ा सकते हैं। वह चाहते हैं कि थोड़े समय में ही यह सब काम हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी-ऐसी मिसालें हैं और ऐसी खबरें हमारे पास आयी हैं कि मकान ले लिया गया राशनिंग गोदाम के लिये लेकिन वहां पर आजकल सिनेमा चल रहे हैं। अगर हमको यह पता चले कि जो मकान राशनिंग के लिये रिक्वीजीशन किये गये हैं गल्ला उनमें रखा गया है या नहीं रखा गया है तो कुछ बात समझ में आ सकती है। गाजियाबाद की एक मिसाल है कि एक गोदाम वहां पर राशनिंग के लिये लिया गया लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने वहां पर जाकर देखा कि सिनेमा चल रहा है। अगर सिनेमा चलाना भी राशनिंग विभाग में आजाता है तो तब बात दूसरी है। इसलिये हम चाहते हैं कि जहां पर राशनिंग की जरूरत है वहां के बारे में हमको यह मौका मिले कि हम सब बातें जानें। अभी हम अपने पहाड़ी इलाके से आ रहे हैं। हमारे यहां लोग इतने गरीब हैं कि वे लोग बाजार से गेहूं नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हमारे यहां गोदाम खाली पड़े हुये हैं। हमारे यहां बाजरे की खपत ज्यादा है क्योंकि वह गरीब लोग हैं कोर्स ग्रेन ही वह खरीद सकते हैं। हमारे इलाके से और भाई भी यहां पर आये हैं वह सब जानते हैं कि बाजरा ही ऐसा है जो गरीब लोग खरीद सकते हैं लेकिन उसका भी पूरा प्रबन्ध नहीं है। नाम के लिये थोड़ा सा वहां पर गेहूं रख दिया जाता है पर उसको वहां पर लोग खरीद नहीं सकते हैं

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

तो राशनिंग के लिये जो गोदाम लिये जा रहे हैं और जिन जिलों को राशन की जरूरत है वहाँ राशन पहुंचता ही नहीं है तो फिर गोदाम लेने की सरकार को जरूरत क्या है। अगर गेहूं का सवाल है या और थोड़ी सी चीजें रखने का सवाल है तो सरकार के पास जितने पहले के गोदाम हैं उन्हीं में यह चीजें रखी जायं। इसलिये अगर सरकार हमें बता दे कि किस किस जिले में उसके पास कितने-कितने गोदाम हैं और उन में क्या-क्या भरा हुआ है और आगे कितने की उसको आवश्यकता है तो हम कुछ निश्चित कर सकें। जहाँ अब राशन नहीं है वहाँ गोदामों की अब क्या जरूरत है। पूर्वी जिलों में व पहाड़ी जिलों में जहाँ पर राशन की व्यवस्था अभी चल रही है वहाँ जरूर उनकी जरूरत है लेकिन जब वहाँ अनाज पहुंचता ही नहीं है तो फिर गोदाम ही हो कर क्या करेंगे। अगर सरकार हमें यह इन्फारमेशन दे दे तो हम इस बिल के खण्डों पर विचार कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि अब इस रिक्वीजीशन के क़ानून की क्या आवश्कता है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, अभी सरकार की ओर से जो बिल पेश किया गया है उसके उद्देश्य से तो मैं सहमत हूं कि सरकार को अपना ग़ल्ला रखने के लिये ऐसी इमारतों की जरूरत है और सरकार इसकी मियाद जो एक साल के लिये बढ़ाना चाहती है वह ठीक है लेकिन मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि यह गोदाम जो लोगों ने बनाये हैं और जिस तरह से आज सरकार उनको अपने काम में ला रही है वह ठीक है लेकिन जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि कुछ लोगों ने कंट्रोल का सामान लेकर इमारतें बना ली हैं जो सिनेमा के लिये बनाई हैं अभी वह सरकार के अधिकार में हैं और बहुत से ऐसे हैं कि इस नाम से बनवा कर किसी तरह से छुड़ा लिये हैं और उनमें सिनेमा चला रहे हैं जिस पर लोगों को आपत्ति है। गोदाम की बात तो दूसरी है लेकिन हमारे पास इस तरह की एक रिपोर्ट आनी चाहिये कि कहाँ-कहाँ इस तरह की कितनी इमारतें बनी हैं और उनमें क्या-क्या भरा हुआ है और कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है.......

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमान् जी, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और कुछ क्षण बाद कोरम होने पर सदन की कार्यवाही फिर आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्रशाह--मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब वह भवन में अधिक बैठना चाहते हों तो वह इसका प्रबन्ध कर लिया करें कि उस तरफ़ के सदस्य यहाँ बैठे रहा करें।

मैं उस वक्त यह अर्ज़ कर रहा था कि मैं इस बिल के उद्देश्य से तो सहमत हूं लेकिन यह बताना चहता हूं कि इसके अन्दर जो बहुत से लोगों ने सिनेमा की इमारतें बना ली हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि जब गोदाम हट जायगा तो सिनेमा बन जायगा, तो ऐसे लोगों पर सरकार कंट्रोल रखे और ऐसी इमारतों को सिनेमा घरों में परिवर्तित न होने दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा बिल है वह इतना आवश्यक है कि सरकार ने कंट्रोल कर के और ग़ल्ला बचा कर के जब भुखमरी का हल्ला चारों तरफ मचा हुआ था तो उसने चरी, चना, गेहूं, जौ आदि इकट्ठा कर के उन जगहों पर भेजा। बंगाल का जो अकाल हुआ उसमें ६ महीने के अन्दर ५० लाख आदमी मर गये लेकिन हमारे यहाँ ४ साल तक सूखा पड़ा और हमारी सरकार ने ४ साल तक यहाँ के लोगों को खिलाया। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाय ताकि हम सबको छुट्टी मिल जाय।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, उपाध्याय जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो विवरण मांगा है जहाँ तक कि तमाम शहरों में जहाँ पर स्टोर्स हैं उनकी बात कही है, उसके देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टोर्स की जब तक आवश्यकता होती है तभी तक वे रखे जाते हैं और जैसे ही आवश्यकता खत्म होती है उसको छोड़ दिया जाता है। लिहाजा उसका विवरण तफ़सील के साथ देना तो इस सदन का समय नष्ट करना होगा लेकिन जहाँ तक पहाड़ों का ज़िक्र उपाध्याय जी ने किया तो पहाड़ों का तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। बाजरा नहीं वहाँ तो गेहूं भेजा जाता है। आपने इसका ज़िक्र किया कि जो स्टोर्स हैं उनको सिनेमा हाउसेज़ के अन्दर तब्दील कर दिया गया है तो इसका तो इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि कोई स्टोर रहा हो पहले, बाद में गवर्नमेंट ने उस को लीज़ कर दिया हो जब कि उसकी आवश्यकता खत्म हो गई हो और उसको सिनेमा घर बना दिया गया हो। तो जैसा कि वीरेन्द्र शाह जी ने कहा है कि एक अलग विधेयक उसके लिये लाकर इसकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जहाँ तक उसके उद्देश्य का संबंध है, इस की परिधि का सवाल है, आप ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक इसकी आवश्यकता का सवाल है, जहाँ राशनिंग है वहाँ आवश्यकता नहीं है कि स्टोर्स रखे जायें बल्कि जहाँ पर उत्पादन होता है, जहाँ बड़ी-बड़ी मंडियाँ होती हैं वहाँ पर भी स्टोर्स होते हैं जैसे हापुड़ में मंडी है, खत्तियाँ हैं वहाँ पर स्टोर्स की आवश्यकता होती है। तो इस वक्त जहाँ तक इस कानून के प्रयोग का सवाल है वह कम से कम किया गया है। ज्यादातर समझौते से ही स्टोर्स को सरकार ने लिया है लेकिन जहाँ समझौते से भी स्टोर्स का मिलना नामुमकिन हो गया है वहीं पर इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त ४९ खत्तियाँ और १,२७१ गोडाउन्स हैं। इनके अन्दर १९,६८३ टन की एकोमोडेशन है। इसके अलावा समझौते से इस साल के अन्दर १,०३१ खत्तियाँ और ३१८७ गोडाउन्स लिये गये हैं जिसमें कि ३,९९,१८२ टन अनाज रखा जा सकता है और रिक्वीजीशन में तो केवल १७० खत्तियाँ और २९९ गोडाउन्स हैं जिनके अन्दर केवल १,१४,७३८ टन अनाज रखा जा सकता है और एकोमोडेशन की दृष्टि से जितना मौजूदा अनाज पास में है कम से कम उसके दुगुने से ज्यादा एकोमोडेशन का प्रबन्ध करना पड़ता है। तो राशनिंग की व्यवस्था काफी जगह पर कम हो गई है लेकिन चूंकि फिर भी दो ढाई लाख टन के क़रीब अनाज और आगे आ सकता है इसीलिये इस विधेयक की आवश्यकता है और यह सदन के सामने इसीलिये उपस्थित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज़िशन (कंटीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट १९४७, जो सन् १९४९ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट द्वारा संशोधित तथा जारी रहा, ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक प्रचलित रहेगा और प्रचलित समझा जायगा तथा उसकी समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के आदेश उसी प्रकार लागू होंगे मानों उस समय यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (ऐक्ट) से रद्द किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ का जारी रखा जाना। यू० पी० ऐक्ट सं० ४, १९४९ ई०।

स्पष्टीकरण—सन् १९४८ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट के निर्देश (reference) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ और उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ का निर्देश भी है।

उ० प्र० अधिनियम सं० ३१ १९५१ ई०।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०

यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ ई०।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को और आगे जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५३।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट १९४७ को ३१ दिसम्बर, १९५३ तक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा जारी रखा गया था और उक्त ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५४ तक जारी रखने की व्यवस्था करनी है।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष-नाम और प्रारम्भ।

१-- (१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रिएम्बिल, शीर्षक तथा खंड १ इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधयक, १९५३ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ दिसम्बर, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

कबाल टाउन्स को दिये गये कोयला चूर के आंकड़ों की सूची

(आँकड़े वैगनों में)

क्रम सं०	नगर			सन् १९५१ ई०	सन् १९५२ ई०
१	कानपुर	..	..	२२०३*	११२०*
२	इलाहाबाद	..	..	७१६	५८३
३	बनारस	..	..	५४९	२६१
४	आगरा	..	..	९५८	४५३
५	लखनऊ	..	..	१०२३	७५३

नोट—*कानपुर जिले में सन् १९५१ और १९५२ में भट्ठा मालिक संघ, कानपुर को ब्लाक परमिट दिया गया था। अतः नगर तथा ग्रामीण-क्षेत्रों में स्थित भट्ठे वालों को कितना-कितना कोयला दिया गया, बताना सम्भव नहीं है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०२ एल० ए०—१९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकरशुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसादनौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

मुखीराम भारतीय, श्री
मुन्दरलाल, श्री
मुरुजूराम, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

नव निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ-ग्रहण की—

१—श्री सहदेव सिंह।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—२—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

चीनी मिलों के नल-कूपों से सिंचाई का सुझाव

*३—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को यह आदेश देगी कि वे अपने नलकूपों से मिलों के बन्द हो जाने के बाद नज़दीक के किसानों को पानी दें?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

*४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मिलों के नजदीक गर्मी के मौसम में ५०० एकड़ तक फसल को पानी मिल सकता है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बहुत ही कम मिलों के पास ऐसे नलकूप हैं जिनके द्वारा गर्मी के मौसम में ५०० एकड़ तक फस्ल को पानी मिल सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि मिलों के द्वारा सिंचाई का काम लिया जाय?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कई चीजें हैं जिनके ऊपर गौर करना पड़ेगा, वह सोचा जा रहा है। मसलन आफ़ सीजन में बिजली कैसे मिलेगी, फिर उसके लिये जो नहरें बनेंगी उनका खर्च क्या होगा, कैसे होगा, इन सब बातों को सोचा जा रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३ व ४—श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को मालूम है कि चीनी मिलों में आफ-सीजन में भी बिजली चलती है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--वह बिजली जो है अगर आफ-सीजन में चलती है उसका भी दाम लगेगा ही। वह क्या होगा, कैसे होगा इन सब बातों के ऊपर सोचा जा रहा है।

*५--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित) [२४ दिसम्बर, १६५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकार की खादी उपयोग विषयक नीति

*६--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १६५२-५३ में सरकारी कामों के लिये सरकार ने कितनी खादी खरीदी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--वित्तीय वर्ष १६५२-५३ में सरकार ने लगभग ७,७५,०४० रुपये की खादी ख़रीदी।

*७--श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)--देवरिया जिले में सरकारी कामों के लिये कितनी खादी ख़रीदी गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--देवरिया जिले में वित्तीय वर्ष १६५२-५३ में सरकारी कामों के लिये लगभग, २,०७३ रुपये की खादी ख़रीदी गई।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार ने सरकारी कामों के लिये खादी ख़रीदने की नीति अपना ली है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो सके।

श्री ब्रज विहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री महोदय अन्य जिलों के बारे में बतला सकते हैं कि कितनी खादी किस जिले में खरीदी गयी?

श्री अध्यक्ष--यह आपने प्रश्न पूछा ही नहीं है। देवरिया जिले के बारे में प्रश्न है। उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सब जिलों की लिस्ट दें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि सरकारी कर्मचारी खादी अनिवार्य रूप से पहनें?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया गया है कि वे लोग पहनें ही। यह तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर है, पहनें तो अच्छा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)-- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो खादी सरकार ने ख़रीदी है वह किन कामों में लायी गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी--उसमें खादी की बनी हुई चीजें जैसे तौलिया, बेड शीट्स और धोतियाँ हैं।

नोट--तारांकित प्रश्न ६ व ७--श्री ब्रजविहारी मिश्र ने पूछे।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खादी ख़रीदने के लिये कौन सा सिद्धांत बनाया गया है?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं है। आप सोच कर फिर प्रश्न पूछें।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि अभी जो आप ने फरमाया है कि गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि सब लोग खादी पहनें, उसका इज़हार गवर्नमेंट मुलाज़िमान ने किस प्रकार किया है?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये धोतियाँ किस के लिये ख़रीदी गयी हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—धोतियाँ पहनने के लिये ही ख़रीदी जाती हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खादी कहाँ कहाँ से ख़रीदी गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—खादी गाँधी आश्रम, मेरठ और दोहरी घाट से ख़रीदी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खादी जो ख़रीदी गयी है वह लखनऊ शहर में खरीदी गयी है या दूसरे शहरों में भी खरीदी गयी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसका जवाब दिया जा चुका है कि कहाँ से खरीदी गयी है। लखनऊ शहर का सवाल नहीं है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार इस प्रकार का कोई अधिनियम बनाने का विचार कर रही है कि ५ सौ या ५ सौ से ऊपर वेतन पाने वाले सभी लोग प्रदेश के अन्दर केवल खादी का ही प्रयोग करें और मिल के कपड़े न पहनें?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस वक्त ऐसा कोई सवाल ज़ेरग़ौर नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकारी कर्मचारियों में चपरासियों को जो वर्दियाँ दी जाती हैं वे खादी की दी जायंगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह पहले ही बताया जा चुका है कि जहाँ तक मुमकिन होगा खादी का इस्तेमाल होगा।

पुराने नारटाट का निर्यात

*८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पुराने नारटाट को प्रदेश के बाहर भेजने पर किसी क़िस्म का नियन्त्रण लगाया गया है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—नहीं लगाया गया है।

*९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हाँ, तो क्या केवल बनारस सिवपुर के किसी एक ही व्यापारी को इसे बाहर भेजने की अनुमति दी गयी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री रामस्वरूप—(जिला मिर्जापुर)—[२५ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*११—श्री रामस्वरूप—[१४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं) [२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१५—श्री व्रजभूषण मिश्र—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किये गये।]

*१६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८—श्री बाबूनन्दन—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किय गया।]

*२०—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिल नैनीताल)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिय स्थगित किया गया।]

हाथरस का कुटीर उद्योग ट्यूशनल क्लास

*२१—श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में जो ट्यूशनल क्लास कुटीर उद्योग विभाग की ओर से चलता है उस पर मासिक कितना व्यय होता है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस क्लास पर लगभग ५०० रुपया मासिक व्यय होता है।

*२२—श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले छः महीनों में उसके शिक्षार्थियों की औसत उपस्थिति क्या रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस क्लास में जनवरी, १९५३ से जून, १९५३ तक ४ विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति रही।

*२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार उक्त शिक्षा के उत्थान के लिये बिजली देने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—(अ) जी हाँ।

(ब) जितना जल्द सम्भव हो सके।

कुटीर उद्योग की वस्तुओं की विक्री

*२४—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश के कुटीर उद्योग-धन्धों को जीवित करने के लिये मार्केटिंग (marketing) को विशद्रूप में पुनः संगठित करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई हुयी चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिये राजकीय यू०पी० हेन्डीक्रफ्टस लगभग ३० वर्षों से प्रयत्न कर रहा है। एक ऐक्सपोर्ट ट्रेड डिवीजन भी खोला गया है जिसके द्वारा विदेशों में माल बेचने का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। कुटीर उद्योग की वस्तुओं के स्तर को ऊंचा करने के लिये क्वालिटी मार्किंग योजना भी चालू की गयी है। इसके अतिरिक्त करघे के बने हुये कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय करघा वस्त्रोत्पादन संघ द्वारा स्वीकृत योजना कार्यान्वित की जा रही है।

समय-समय पर इन योजनाओं में आवश्यकतानुसार सुधार किया जाता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स से कितना माल विक्रय किया गया और क्या माननीय मंत्री जी उसे संतोषप्रद समझते हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—दस लाख से ऊपर का माल बेचा गया और सन्तोष तो कभी बिक्री से होता नहीं। जितना ज्यादा बेचा जाय उतना ही अच्छा है और उसकी कोशिश भी होनी चाहिये।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट के लिये जो उन्होंने एक्सपोर्ट ट्रेड डिवीज़न खोला है उससे कितना माल एक्सपोर्ट किया गया?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—ढाई लाख से ऊपर पिछले साल में हुआ और इस छः महीने में एक लाख ३५ हजार का बेचा गया है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या वे केन्द्रीय सरकार से मार्केटिंग के लिये विशेष सहायता प्राप्त करने के लिये कोई उद्योग कर रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स लास में रन कर रहा है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जहां तक कामर्शल आपरेशन का ताल्लुक है वह लास पर नहीं रन कर रहा है।

श्री श्रीचन्द—(जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश म मैकेनिकल कुटीर उद्योग धंधे कौन कौन से आरम्भ किये गये?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यहां पर हाल में मैकेनिक के सिलसिले में इंजीनियरिंग के बहुत से छोटे छोटे कारखाने खुले हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी उन मैकेनिकल उद्योग धंधों के नाम बताने की कृपा करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैंने जैसा बतलाया कि उसमें इंजीनियरिंग वर्क्स वही हैं जैसे इंजन बनता है, एग्रीकल्चरल इम्पीमेन्ट्स बनते हैं या और इसी किस्म की चीजें बनती हैं जिनका कि मशीनियरी में इस्तेमाल होता है। यही सब मैकेनिकल धंधे खुले हैं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यू० पी० हैन्डीक्रैफट्स में कितना रुपया अबतक इनवेस्ट किया जा चुका है और उससे कितनी आमदनी और मुनाफा हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इस वक्त मेरे पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो बाद में इकट्ठा किये जायंगे।

*२५-२७---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)--[स्थानान्तरित किये गये।]

*२८-२९---श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ और राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में राजकीय चर्म विद्यालयों का आय-व्यय

*३०---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ और राबर्ट्स गंज, जिला मिर्जापुर में राजकीय चर्म विद्यालय हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां।

*३१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---यदि हां, तो उनका वार्षिक व्यय और आय अलग-अलग क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---दोहरीघाट विद्यालय का १९५०-५१,१९५१-५२ और १९५२-५३ का व्योरा इस प्रकार है---

	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
	रु०	रु०	रु०
व्यय	२,५३७	१,१६०	१,४३३
आय	५०	१११	५३

राबर्ट्सगंज विद्यालय का १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ का व्यय और आय का व्योरा इस प्रकार है---

	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
	रु०	रु०	रु०
व्यय	५,१४९	४,८९३	७,१९१
आय	२,२६०	१,२८९	१,५६७

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या उद्योग मंत्री जी कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में और राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में सन् १९५१-५२ में सहायता कम करने के क्या कारण हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---यह जो खर्चा दिखलाया गया है यह आर्डर के ऊपर मुनहसर है। राबर्ट्स गंज में ज्यादा आर्डर पहुंचे, इसलिये वहां उसके कार्मशियल आपरेशन में ज्यादा खर्चा हो गया और इसीलिये आमदनी भी ज्यादा है। दोहरी घाट में कम आर्डर आये, इसलिये कम आमदनी दिखलायी गयी। लेकिन अगर कार्मशियल आपरेशन का एफेक्टिव खर्चा निकाल दिया जाय तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। वैसे तो वहां जो स्कूल चलते हैं उनमें खर्चा बराबर होता ही है लेकिन कार्मशियल आपरेशन के आर्डर आने पर खर्चा कम और ज्यादा होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि दोहरीघाट में दो वर्षों से काम बिल्कुल बन्द है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—काम बिल्कुल बन्द तो नहीं है। इसमें १९५२–५३ के आंकड़े भी मौजूद हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट विद्यालय में सम्प्रति कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—वहां पर इस वक्त जो सिखाने वाले हैं उनकी तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन सन् १९५२—५३ में जो वहां खर्चा हुआ है वह ८१५ रुपया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१–५२ में दोनों चर्म विद्यालयों में वार्षिक आय कम क्यों हुयी और ५२–५३ में क्यों बढ़ गयी।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—वह तो मैंने पहले कहा कि वार्षिक आय जो बढ़ी है वह आर्डर के ऊपर है। दोहरी घाट का विद्यालय चूंकि सेल्फ सफीशेन्सी के बेसिस पर चलता है लिहाजा वहां बाहर के आर्डर लिये गये और राबर्ट्सगंज में आर्डर ज्यादा आगये, इसलिये वहां बढ़ गई।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज चर्म विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—१९५२–५३ में वहां ९ थे।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह बतलाने की कृपा की जायगी कि वहां कितने रुपये का काम तैयार हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कितने रुपये का काम तैयार हुआ यह तो इसमें है कि १९५२—५३ में ७,१९१ रुपया लगा और १,५३७ रुपये की आय हुयी।

श्री राम स्वरूप—क्या यह सही है कि राबर्ट्सगंज चर्म विद्यालय के शिक्षार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, वहां पर कोई वजीफा नहीं दिया जाता है बल्कि जो वह काम करते हैं उसकी उनको मजदूरी दी जाती ह।

श्री राम स्वरूप—पिछले वर्ष उनको दी गयी थी लेकिन इस वर्ष नहीं दी गयी।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, उनको मजदूरी दी जाती है, कोई वजीफा नहीं दिया जाता।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के कर्मचारियों को मजदूरी किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैंने जो मजदूरी की बात कही तो कर्मचारियों के लिये नहीं, बल्कि जो लोग वहां काम करते हैं उनको पहले वजीफा दिया जाता है फिर वह जैसा काम सीख जाते हैं उस हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है।

*३२-३३—श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[१४ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३४—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

विलीन रामपुर राज्य के राजकीय मुद्रणालय का उपयोग

*३५—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विलीन रामपुर राज्य के राजकीय मुद्रणालय का सरकार ने किस रूप में उपयोग करना निश्चय किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*३६—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस मुद्रणालय का भवन माल विभाग को स्थानान्तरित हो चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि कब तक यह प्रश्न विचाराधीन रहेगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जल्द से जल्द, जितना मुमकिन होगा। इसका फैसला हो जायगा।

*३७—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[२२ दिसम्बर, १९५३ ई० के लिए प्र० सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

*३९—श्री राम भजन (जिला खीरी)—[१४ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

राबर्ट्सगंज सीमेंट फैक्टरी पर अनुमान से अधिक व्यय

*४०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राबर्ट्स गंज सीमेंट फैक्टरी का प्रारम्भिक तथा वर्तमान तखमीना क्या है? और इसमें वृद्धि किन-किन मदों के कारण हुयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी राबर्ट्स गंज का प्रारम्भिक तखमीना लगभग तीन करोड़ रुपये का था। वर्तमान तखमीना चार करोड़ पैंतालिस लाख रुपये का है। प्रारंभिक तखमीने में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुयी है :—

(१) प्रारंभिक तखमीना सन् १९४९-५० में बनाया गया था। उस समय से अब तक वस्तुओं के मूल्य तथा मजदूरी की दर में काफी वृद्धि हुयी है।

(२) प्रारंभिक तखमीने में इमारतों का तथा कुछ अन्य मदों का तखमीना कम था।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५—३६—श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी ने पूछे।

(३) सन् १९५१ ई० में योजना के परामर्शदाता की मृत्यु हो गयी। वे योजना से सम्बन्धित नक्शे भी बनाते थे। नये परामर्शदाता की नियुक्ति तथा नक्शों की नई व्यवस्था करने के अतिरिक्त व्यय करना पड़ा और इस कारण योजना में देरी होने से भी establishment वगैरह में कुछ अधिक व्यय हुआ।

(४) वर्तमान तखमीने में कुछ नये काम शामिल हैं, जिनको प्रारंभिक तखमीना बनाते समय करने का इरादा नहीं था।

*४१—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त फैक्ट्री में सीमेंट कब तक तैयार होना प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—आशा की जाती है कि जून-जुलाई, १९५४ से सीमेंट बनना प्रारंभ हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम किन-किन मदों में और कितनी-कितनी खर्च हुयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह जो मदों में खर्चा पड़ा वह इस प्रकार है—

प्लान्ट और मशीनियरी में १ करोड़ ५२ लाख रखा गया उसमें १ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च हुआ। स्पेअर पार्ट्स वगैरह के लिये ७ लाख रखा गया था, जिसमें १२ लाख खर्च हुआ। रोप वे के लिये १० लाख रखा गया था जिसमें २० लाख खर्चा हुआ। इरेक्शन आफ मशीनरी में १५ लाख रखा गया था लेकिन २५ लाख खर्च हुआ। फ्रेट और इन्श्योरेंस में २० लाख रखा गया था लेकिन ३१ लाख खर्च हुआ। वाटर सप्लाई में ७ लाख रखा गया था लेकिन १३ लाख खर्च हुआ। इसके अलावा जो कम तखमीना किया गया था वह यह है कि रेलवे साइडिंग में ३ लाख रखा गया था यह कम था ५ लाख होना चाहिये था। इसी सूरत से इस्टेब्लिशमेंट में ३ लाख रखा गया था लेकिन वह ९ लाख होना चाहिये था, बिल्डिंग में ६० लाख रखा गया था लेकिन अब जब नयी बिल्डिंग तैयार की गयी है उसकी वजह से एक करोड़ २ लाख रुपया खर्च हुआ है। सड़कों के लिये ५ लाख रखा गया था लेकिन ९ लाख खर्च हुआ क्योंकि साढ़े तीन लाख में बाहर की भी सड़क बनी। सेवेज और ड्रेनेज में ५० हज़ार रुपया रखा गया था लेकिन ४ लाख खर्च हुआ। जो नया खर्चा पड़ा उसमें नये कंसल्टेन्ट के मुकर्रर करने में ३ लाख ६ हज़ार रुपया और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का जो नया खर्चा हुआ है उसमें २ लाख रुपया खर्च हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन में ४ लाख खर्च हुआ। पहले क्वेरी मैनुअल लेबर से होने वाला था उसमें पारशल मैकैनाइजेशन हुआ उसकी वजह से १९ लाख खर्च हुआ। वर्कशाप में १५ हजार और डिस्पेंसरी में २० हजार रुपया खर्च हुआ। इस तरह से यह सब खर्चे बढ़ गये हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—प्रश्न संख्या ४० के उत्तर नम्बर ३ में यह लिखा है कि योजना के परामर्शदाता की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण फिर दूसरे योजना परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी, तो क्या पहले परामर्शदाता ने मरने से पहले पूरी योजना बनायी थी या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उन्होंने एक साइट चुनी थी, कुछ और काम किया था और हमारा उनका कन्ट्रेक्ट यह था कि उनको हम माहवार कुछ रुपया दिया करते थे। इस तरह उनको ३३ इंसटालमेंट्स दिये गये। उसके बाद वह मर गये और वह सब रुपया जाया गया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि जो हमारे पहले कंसलटेन्ट थे शेरियर साहब, उनको दो लाख रुपया सालाना दिया जाता था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी नहीं, कुल उस हिसाब से उनको देना था और बाद में ३ लाख ६ हजार रुपया कुल दिया गया था ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि जितने साल वह रहे उन्होंने कोई भी नक्शा तैयार नहीं किया और एक दिन सीढ़ी से गिर कर वह मर गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई भी नक्शा नहीं तैयार किया । उन्होंने कुछ काम किया था ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जो तखमीना उन्होंने बताया है उसके ऐतबार से हर मद में खर्च ज्यादा हुआ ? तो यह गलत तखमीना देने का और खर्च ज्यादा करने का कौन जिम्मेदार है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जैसा कि जवाब में कहा गया है, बहुत सा खर्च तो इस वजह से बढ़ा कि चीजों के दाम में फर्क हो गया। सन् ४९ में योजना बनी थी और वह ५२--५३ तक चल रही है। तो इस वजह से इस बीच में बहुत सी चीजों के दाम बढ़ गये। दूसरे यह बात भी हुई जैसा कि मैंने क्वेरी का बतलाया। उस वक्त यह था कि हाथ से सामान निकाला जायगा, अब उसका मैकेनाइजेशन किया। यह नया काम हुआ। तो इन सब वजहों से तखमीना बढ़ गया। इसकी किसी एक आदमी पर जिम्मेदारी नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके उनके नाम बतायेगी जिन लोगों ने यह तखमीना बनाया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--उन सब के नाम तो बता नहीं सकता लेकिन पहले जो हमारे कंसल्टेन्ट थे वे शैरियर थे और बाद में श्री थूली से राय ली गयी थी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि शैरियर साहब की राय के मुताबिक ही मुजफ्फ़रनगर की फैक्टरी बनी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसमें बहुत कुछ अदला-बदली हुयी ।

राजा वीरेन्द्र शाह--अभी मंत्री जी ने यह बताया कि जून, जुलाई, १९५४ में यह फैक्टरी चलेगी तो क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि अब तक फैक्टरी में कितना काम तैयार हो चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--बहुत ज्यादा काम हो चुका है। सिर्फ कुछ मशीनरी, वाटर वर्क्स और सिविल इंजीनियरिंग का काम बाकी रह गया है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रेजी-डेंशियल क्वार्टर्स में कितनी सीमेंट लगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

*४२--श्री नारायण दत्त तिवारी--[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किया गया ।]

बस्ती में चर्म-उद्योग केंद्र

*४३--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती में जो तीसी रेशा उत्पादन केन्द्र आग लगने से जल गया था और बाद को बन्द कर दिया गया, उस स्थान पर क्या कोई दूसरा कुटीर उद्योग केन्द्र खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--बस्ती की रेशा योजना को बन्द कर देने के बाद वहां पर एक रेशे का शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोला गया । परन्तु इसको भी सफलता प्राप्त न होने के कारण बन्द कर दिया गया । इस समय इस स्थान पर एक चर्म कला उद्योग शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र चल रहा है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें कितने शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं और वहां कितने मास्टर्स हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शिक्षालय स्थायी है या अस्थायी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह इस पर मुनहसर है कि वहां के लोग इसमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं । अगर वहां और विद्यार्थी मिलते रहे तो वह चलता ही रहेगा ।

*४४-४६--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[१४ जनवरी, १९५४ के लिय स्थगित किया गया ।]

रतनपुरा, जिला बलिया में सहकारी बीज गोदाम को अति वृष्टि से क्षति

२--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत रतनपुरा सरकारी बीज गोदाम अतिवृष्टि के कारण गिर पड़ा है ?

सहकारिता उप-मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--जी नहीं । यहां एक सहकारी बीज गोदाम है जो अति वृष्टि के कारण गिर पड़ा ।

३--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि इस बीज गोदाम में सरकारी बीज, खाद आदि वस्तुयें रखी गई थीं ? यदि हां, तो कीमत में कितने की क्षति हुयी ?

श्री मंगला प्रसाद--इसमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट रतनपुरा का जिपसम रखा हुआ था और सहकारी यूनियन रतनपुरा का अमोनियम सल्फेट, सीमेंट और अमोनियम फास्फेट रक्खा हुआ था । कुल क्षति २,८५६ रुपये १० आ० ९ पा० की हुयी थी ।

इलाहाबाद म्युनिसिपिल बोर्ड द्वारा टोल टैक्स लगाये जाने के तथा कानपुर में श्री राजाराम शास्त्री तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री कल्याणचन्द मोहले साहब का है और वह इस कारण है कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा टोल टैक्स लगाये जाने का इरादा उनको मालूम होता है । ऐसी उनको शंका है । उसी के आधार पर विचार करने के लिए यह काम रोको प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि वह निश्चित नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

दूसरा, कानपुर लक्ष्मीरतन काटन मिल्स के फाटक के ऊपर श्री राजाराम शास्त्री और कुछ अन्य सज्जनों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके सम्बन्ध में है और श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने दिया है। यह महत्व का भी हो सकता है निश्चित भी हो सकता है और आवश्यक भी हो सकता है, लेकिन आज ही चूंकि गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि वह कानपुर के एक मिल के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देगी किसी समय में, तो उसके पहले मैं समझता हूं कि उसके ऊपर मैं निर्णय न दूं। मैं यह जरूर गवर्नमेंट से आशा करूंगा कि अपने वक्तव्य में केवल उसी मिल की जिस की चर्चा कल थी, उसी के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण न दे बल्कि उसी के साथ-साथ इस पूरे प्रश्न के ऊपर अगर थोड़ा वक्तव्य दे दे तो कल जिस वक्त मैं इस कामरोको प्रस्ताव के ऊपर विचार करूंगा और निर्णय दूंगा उस वक्त मुझे यह स्पष्ट हो जायगा कि इसके लिए इजाजत देना उचित है या नहीं। मैं इसे केवल कल के लिए स्थगित करता हूं।

१९५३–५४ के अनुपूरक प्राक्कलन एवं उत्तर प्रदेश विनियोग अनुपूरक विधेयक, १९५३ के कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के वास्ते १९५३–५४ के अनुपूरक प्राक्कलन के प्रस्थापन के लिए २१ दिसम्बर, १९५३ की तिथि नियुक्त की है। मैंने इस पर वाद-विवाद तथा मतदान के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया है:—

सामान्य वादविवाद	..	..	२३ दिसम्बर, १९५३
मतदान	..	..	२४ दिसम्बर, १९५३

इसके अतिरिक्त २४ दिसम्बर, १९५३ को अनुपूरक प्राक्कलन पर मतदान समाप्त हो जाने के उपरान्त उनसे सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विनियोग अनुपूरक विधेयक, १९५३ के पुरःस्थापन, विचार तथा पारण की मदें भी ली जायंगी।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने पर आपत्ति

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह जो दो विधेयक राजस्व मन्त्री की तरफ से प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये आये हैं वह पहले दिन भी जब असेम्बली बैठी थी, वह उस दिन चढ़े थे और कल भी वह विधेयक रखे गये थे। इसके पहले हम को कोई सूचना नहीं मिली। कल मालूम हुआ कि यह विधेयक विवाद के लिए आ रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में हमारी कठिनाई यह है कि सरकार का यह फर्ज है कि सप्ताह के पहले दिन पूरे हफ्ते का कार्यक्रम बतावे। सरकार ने जो एजेन्डा रखा था, उससे सम्बन्धित चेंज की बात नहीं कही, तो हमने यह समझा कि वही कार्यक्रम विधेयकों का होगा। यह सही है कि ३ दिन पहले हम को तैयार रहना चाहिए, लेकिन यह थ्योरेटिकल तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक दिन या आधे दिन का नोटिस देकर विधेयक पास किया जाय, इसमें कठिनाई है। आपसे निवेदन है कि भविष्य में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आप सरकार को हिदायत दें कि कोई कार्यक्रम अगर परिवर्तित करना हो, तो उसके २, ३ दिन पहले हमको बता दिया करें।

श्री अध्यक्ष---जहाँ तक हाउस के सामने राजस्व मन्त्री जी के विधेयकों का सम्बन्ध है, यह प्रश्न कल भी सामने आया था, तो कल मैंने सदन की अनुमति से आज का दिन मुकर्रर किया था। सदन को पूरा अधिकार है कि चाहे वह किसी प्रश्न को ले या समाप्त कर दें। इस पूरे सदन को अगर आक्षेप होता तो मैं उस पर विचार करता। आम तौर पर ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन जो बात कल कही गयी, उसको मैंने मंजूर किया और फिर उसको आज के लिए रख दिया। किसी को ऐतराज नहीं हुआ और यह आक्षेप इनके लिए लागू नहीं होता। आगे के लिए जो सुझाव है, मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि कुछ अधिक समय दिया जाय। लेकिन ऐसा भी करना आवश्यक होता है जब कि यह सदन यह समझे कि शीघ्र ही यह काम किया जाय। चाहे सरकार उसको चाहे या न चाहे। सदन को यह पूरा अधिकार रहेगा कि वह थोड़े समय में भी किसी विषय पर विचार करने के लिए ले लेवे लेकिन साधारण रीति से यह आवश्यक होना चाहिए कि समय इस से अधिक मिले, जब कि कोई परिवर्तन किया जाय। सप्ताह के प्रारम्भ में, जो कार्य-क्रम सप्ताह के लिए निश्चित हो, उसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा हो जाय, तो यह उचित होगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह) ---श्री अध्यक्ष महोदय, पेशतर इसके कि मैं अपना प्रस्ताव पेश करूं १, २ शब्द आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। जो आपत्ति हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने उठायी है, उसके विषय में कल तय हो चुका था। आपकी आज्ञा भी मुझे शिरोधार्य है, लेकिन एक बात विचार करने की है, और वह यह है कि यह दोनों विधेयक जो आज एजेन्डा पर चढ़े हुए हैं, वह कल विचार करने के लिए चढ़े हुए थे। परन्तु अब बजाय विचार करने के प्रवर समिति के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। तो प्रवर समिति के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। अगर सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव होता कि अभी इस पर विचार कर लिया जाय तो बेशक मैं यह समझता कि त्रिपाठी जी का जो ऐतराज़ है, उसमें वजन है लेकिन बजाय विचार करने के, वह तो इसलिए चढ़ा हुआ है कि उसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। प्रवर समिति के स्टेज पर तो सिद्धान्त पर ही बहस हो सकती है।

[श्री चरण सिंह]

११—वसी नकवी
१२—रामस्वरूप गुप्त
१३—राधामोहन सिंह
१४—पुत्तू लाल
१५—नवल किशोर
१६—भगवान सहाय
१७—अब्दुल रऊफ़ खां
१८—राधाकृष्ण अग्रवाल
१९—रामलखन
२०—द्वारका प्रसाद मौर्य ।

मैं यह लिस्ट आप के पास भिजवाये देता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह जो प्रवर समिति के नाम पढ़े गये हैं, उनके बारे में कोई परामर्श हम लोगों से नहीं लिया गया जैसा कि हमेशा होता है ।

श्री अध्यक्ष—परामर्श भी हो जाय, तब भी सदन को अधिकार है और वह नामों में परिवर्तन कर सकता है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इस में रखा गया है । मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता हूं । इसलिए इसमें से मेरा नाम हटा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—तो आप और किसी का नाम रखना चाहते हैं, कोई सुझाव है ?

श्री चरण सिंह—अपने स्थान पर श्री मदन मोहन जी, जिसका नाम रखना चाहें वह मुझे मंजूर होगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—श्री गेंदा सिंह का नाम रख लिया जाय ।

श्री चरण सिंह—मुझे कोई एतराज नहीं है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—प्रवर समिति के नामों के बारे में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, तरीका यह रहा है कि गवर्नमेंट अपोजीशन पार्टियों से पूछ लेती है कि वह किस के नाम रखना चाहते हैं, दूसरे एजेंडा में भी लिखा है कि नाम बाद में दे दिये जायेंगे । इसलिए अगर सरकार बाद ही में नाम दे तो ठीक होगा ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र शाह जी अपनी पार्टी की ओर से जो नाम चाहें, वह रख लें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि जब तक पार्टी तय न कर ले कि उस के कौन सदस्य कमेटी में जाना चाहते हैं, तब तक हम कैसे किसी का नाम इस समय दे सकते हैं ? इसलिए नामों का मामला बाद में ही तय हो तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब प्रस्ताव सामने आ चुका है, और इसके अलावा सदस्यों को अधिकार है कि जो नाम चाहें वापस ले लें और जो जोड़ना चाहें वह जोड़ने का प्रस्ताव करें।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री उम्मेद सिंह का नाम भी इसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री चरण सिंह—श्री उम्मेद सिंह का नाम तो लिस्ट में सबसे पहले है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें श्री मलखान सिंह का नाम जोड़ दिया जाय ।

श्री चरण सिंह—उनका नाम भी इस में पहले से मौजूद है।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, नामों के विषय में काफ़ी आपत्ति हो रही है, ऐसा मालूम होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसके बारे में फिर से प्रस्ताव रख सकते हैं जब कि यह तय कर लिया जाय कि कौन कौन से नाम रखे जायेंगे। तब तक इसके आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स के बारे में सामान्य वाद-विवाद हो जाय, क्योंकि प्रवर समिति से लौटने के बाद फिर आपत्ति होगी कि इस पर ज्यादा बहस अब नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी कुछ इसके उद्देश्य और कारण पर तब तक प्रकाश डालें, और जरा देर हम उसको सोच लें, उसके बाद नाम रख देंगे।

श्री अध्यक्ष—सामान्य वाद-विवाद के लिए तो रखा ही गया है। आप सामान्य वाद-विवाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप तो उसके लिए खड़े ही नहीं होते हैं।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी शुरू करें और कुछ इसके कारण और उद्देश्य पर प्रकाश डालें, उसके बाद फिर हम भी निवेदन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अच्छा आप बैठिये। नाम के बारे में आपका ख्याल है कि उसमें आपत्ति है। मैं नाम आप को सुना दूं। आपने सुना नहीं है इसलिए मालूम हो रहा है कि सबके नाम नहीं रखे गये हैं लेकिन ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब जहाँ तक इसके सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं उसके लिए आपको समय देता हूं। माननीय मन्त्री जी को तो मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वह बोलें, लेकिन यदि वह बोलना चाहें, तो स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं केवल दो मिनट चाहता हूं। एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ में स्टेच्यूट बुक का एक अंग बना था। उसका उद्देश्य यह था कि जो इकानोमिक डेप्रिशियेशन सारी दुनिया भर में छा गया था और जिसका असर हमारे देश पर भी हुआ था, उसके फलस्वरूप कर्जे का बोझ किसानों पर, जमींदारों पर और और भी पेशे करने वाले जो लोग थे और ऋणी थे, उन पर बढ़ गया क्योंकि चीजों के भाव बहुत कम हो गये। जायदाद की भी कीमत गिरने लगी। तो इस उद्देश्य से सन् ३३-३४ और ३५ में दूसरे मुल्कों और हमारे मुल्क के और सूबों में भी सूद कम करने के अधिनियम या और दूसरी तजवीजें सोची गयीं मकरूज या ऋणी को राहत और आराम पहुंचाने की। तो इस तरह के हमारे यहाँ गालिबन तीन ऐक्ट्स बने हैं, एक तो ऐग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट, एक एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट और एक डेट रिडम्प्शन ऐक्ट और एक दो और शायद छोटे मोटे ऐक्ट्स बने हैं। तो इस एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट का विशेष उद्देश्य यह था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनकी जायदाद सारी नीलाम न हो जाय और उनके कर्जे का बोझ कम हो। इस ऐक्ट के मातहत कोई डेढ़ हजार के करीब मुकदमे जेरे तजवीज हैं। वह तय नहीं हो पाये हैं। गवर्नमेंट ने कई साल से उनको रोका भी हुआ है, स्टे आर्डर जारी हुए हैं। इसलिए भी वह तय नहीं हो पाये हैं। जमींदारी खत्म हो चुकी है, तो जो स्कीम इस ऐक्ट की है, उस स्कीम में अब संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी जमींदारी के महफूज रखने का या बचाने का कोई सवाल अब है नहीं। एक तो यह कारण है कि यह बिल लाना पड़ा और दूसरा यह कि डेट रिडम्प्शन ऐक्ट जमींदारों के कर्जे को कम करने के उद्देश्य को यह हमारे यहाँ का विधान मण्डल कुछ महीने हुए स्वीकार कर चुका है। तो उस डेट रिडम्प्शन ऐक्ट के मातहत जमींदारों के कर्जे बाज बाज सूरतों में तो १/५ रह जायेंगे, किसी किसी सूरत में २/५ रह जायेंगे। गरज यह है कि बहुत कम रह जायेंगे। तो इसलिए भी एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के मातहत ही पुराने मुकदमों को तय कराना ठीक नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

जमींदारी उन्मूलन होने की वजह से और डेट रिडम्प्शन ऐक्ट के बन जाने की वजह से इस एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में कान्सिक्वेंशल संशोधन उसके नतीजे के तौर पर होना चाहिए। उसमें जो लिक्विडेशन की कार्यवाही है, वह एक बहुत पेचीदा कार्यवाही है। तो उसके लिए भी अब जरूरत नहीं है। उसको भी सरल करने की आवश्यकता है। यह दो-तीन मोटे-मोटे कुछ इसके उद्देश्य हैं और इस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है। हो सकता है कि इसकी तफसील में किन्हीं दोस्तों को कुछ कहना हो, इसी ख्याल से यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है और उसके लिए मैंने प्रस्ताव पेश किया है। जहाँ तक इसके सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल नानकन्ट्रावर्शियल है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। और मैं समझता हूं कोई बहुत अनुचित नहीं होगा कि मैं आपके जरिये सदन से दरख्वास्त करूं कि जितना थोड़ से थोड़ा बोला जाय, जितना कम वक्त खर्च करें, उतना मुनासिब है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में जो थोड़ी सी बातें बतायीं, उस से तो अब एसा हमको भी लगता है कि इस समय इस ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता है, मगर मैं एक पहलू और रखना चाहता हूं, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी की खिदमत में कि क्या अब यह ऐक्ट एक दम से हटा ही लिया जाय तो काम नहीं चल सकता? जरा इस पर भी विचार करें, क्योंकि अब जमींदारी डेट रिडम्प्शन ऐक्ट बन गया। जमींदारों के ऊपर जो कर्जे थे, उन कर्जों को किन किन तरीकों को रख कर जो वह चार्ट बने हैं, उनका भी हिसाब लगाया जायगा और उनको जितना भी कम्पेंसेशन (मुआविजा) और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) ग्रांट मिलनी है, उनके पूरे चार्ट बने हुए हैं कि कम्पेंसेशन ८ गुना मिल जायगा और २० गुना तक रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मिलेगी। तो हमारी समझ में नहीं आता कि फिर एक नये ऐक्ट को इम्प्रूव करके या अमेंडमेंट (संशोधन) करके फिर से अलग रखने की क्या आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि अगर और बारीकी से इस पर विचार किया जाय तो माल मन्त्री जी का कहना सही हो, लेकिन जब से मैंने इस विधेयक को देखा है, तब से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि अगर इसको नहीं रखें, तो हमारी क्या कठिनाई है? आज करीब दो घंटे से हम लाइब्रेरी में खोज रहे हैं कि कोई लिटरेचर मिले इस सम्बन्ध में, क्योंकि यह अपरिचित प्रश्न ही है, लेकिन कोई साहित्य नहीं मिला। डेट रिडम्पशन ऐक्ट की कापी भी नहीं मिल सकी, जिससे आँकड़े भी हम नहीं निकाल सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सही है कि जमींदारों के ऊपर पहले जितने कर्जे थे, उनका हिसाब कायदे से लगाने के लिए सन् ३४ में यह ऐक्ट हुआ और सन् ३६ से लागू है। करीब १७ वर्ष से कई मामले पड़े हुए ह। माल मन्त्री जी ने बतलाया कि डेढ़ हजार ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिनका कायदे से विचार ठीक तरह से हुआ नहीं है। तो मेरा डर यह है कि १७ वर्षों से जिस ऐक्ट के मुताबिक चल करके डेढ़ हजार केसेज पड़े हुए हैं जिनका फैसला नहीं हो पाया कि किस कर्जदार को कितना देना है, कितना पावना है अगर फिर उसका एक सेपरेट (अलग) ऐक्ट लगा करके बना दिया जाय, तो फिर वही दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मन्त्री जी इसको वापस लेने की भी बात सोचें और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्दर जो जमींदारों के कर्जे घटाने की गुंजाइश है, उसमें जो फारमूला दिया हुआ है, उसके मुताबिक स्पीडी वर्क (शीघ्र कार्यवाही) के लिए एक ट्रिब्युनल (निर्णायक मण्डल) नियुक्त कर दें और उसके मुताबिक जितना भी हिसाब-किताब हो उसको कर लें और उसके बाद जितने भी देने पावने हैं उनको ठीक-ठीक तरह दिला दें।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरीके से आसानी हो सकती है और जो पुराने १७ वर्ष के मामले पड़े हुए हैं, जिन कानूनी पेचीदगियों के कारण न्याय नहीं मिल पाया है, हो सकता है कि उसमें भी आसानी हो, क्योंकि जब यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जायगा, तो उसमें जो इसके प्रावीजन्स हैं और जो एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं के फ्रेमवर्क में हम संशोधन दे सकते हैं। मै इसलिए माननीय मन्त्री जी से यह उम्मीद करूंगा कि जब वह डेमाक्रेसी की बात करते हैं तो हम ऐसे कानूनी जंगल लादने की कोशिश न करें और इसको जितना सीधा, हलका हो सके बनायें और जितनी

इसमें तात्कालिक न्याय पाने की गुंजाइश हो सके, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें, तब मैं समझता हूं कि इसमें सबका कल्याण होगा। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी धाराएं तो जब आयेंगी और सिलेक्ट कमेटी से होकर जब यह आयेगा तो जो संशोधन देने होंगे, वह देंगे, मगर हम देखते हैं कि इन दोनों कानूनों के बनने के बाद यह एनकम्बर्ड इस्टेट्स अमेंडमेंट बिल जो पेश है, इस बिल को अस्तित्व में न भी रख करके हम अपना काम चला सकते हैं और जल्दी से चला सकते हैं जिससे आसानी से न्याय पाने की गुंजाइश हो सके।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन के सामने अभी सरकार की ओर से बिल पेश हुआ है, उसके उद्देश्यों से मैं सहमत हूं। मैं यह समझता हूं कि जब जमींदारों की जायदाद ली गयी और जिस तरीके से सरकार ने मुआविजे में कमी करके उस जायदाद का पैसा दिया, उसको देखते हुए यह जरूरी है कि यह ऐक्ट आवे और इस सम्बन्ध में जो अड़चनें पड़ी हुई हैं, उनको दूर किया जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बिल में यह भी गौर करना चाहिए कि जहाँ एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के जरिये जो कर्जा लोगों के ऊपर था, उसके देने के लिए गौर किया गया है और मैं यह मानता हूं कि जिसका रुपया कोई ले उसका रुपया देना चाहिए, वहाँ साथ ही साथ सबको यह भी मानना चाहिए कि अगर वह काफी तादाद में रुपया उस देने वाले को मिल चुका है, उसका प्रिंसिपल मिल चुका है, तो सूद में कमी कर दी जाय या वह खत्म कर दिया जाय, तो कोई बेजा बात नहीं होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बिल के द्वारा यह रखा है कि अब चूंकि जायदाद रही नहीं, इसलिए कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट से किस्तें अदा की जायं। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट इसलिए होता है कि उससे लोगों को बसाया जाय। यदि उससे कर्जे की अदायगी होगी तो उसके कोई माने नहीं रहते। इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस चीज को सिद्धान्त के रूप में निकाल दें। यदि कम्पेंसेशन से रुपया दिया जाय तो ठीक है। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का रुपया बसाने के लिए है, उससे किसी की किस्त अदा करना या सिक्योर या इनसिक्योर डेट को अदा करना कहाँ तक उचित होगा? इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति इसके ऊपर विचार करेगी और उसको पास करेगी।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस विधेयक के सिद्धान्तों का प्रश्न है, उनके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक माननीय राजनारायण जी ने सदन के समक्ष यह फरमाया कि अच्छा यह होता कि यह विधेयक न लिया जाता, हम बहुत आसानी से यह कह सकते हैं कि हम जमींदारों को कोई आपत्ति न होती अगर माननीय मन्त्री जी उसको साल या दो साल न लाते। श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि पुनर्वासन अनुदान या प्रतिकर जो दिया जा रहा है, अगर उसमें से भी कमी होती है तो ठीक नहीं है। मैं यह मानता हूं कि बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में इस तरह का कोई सेक्शन है जिससे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट और कम्पेंसेशन में से वे काट सकते हैं, परन्तु इसमें थोड़ी सी आपत्ति जो मुझे है, वह मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि विधेयक में वे कम्पेंसेशन में इन्टेरिम कम्पेंसेशन भी इन्क्लूड कर रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में कहीं भी कम्पेंसेशन की परिभाषा नहीं की गयी है। यह माननीय मन्त्री जी की बुद्धिमानी थी कि 'कम्पेंसेशन आफिसर' 'कम्पेंसेशन कमिश्नर' की परिभाषाएं तो हैं, लेकिन 'कम्पेंसेशन' की कोई परिभाषा आज तक नहीं पायी जाती है। तो उस कम्पेंसेशन में इन्टेरिम कम्पेंसेशन को भी शुमार करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। माननीय मन्त्री जी यदि इस पर ध्यान दें, तो बहुत अच्छा होगा और जो बहुत सी इसमें खराबियाँ हैं उनको हम संशोधन द्वारा दूर कर सकते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल को जल्द से जल्द पास होना चाहिए।

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, माननीय राज नारायण जी का जो उद्देश्य है कि कानून सीधे से सीधा हो और मुकदमेबाजी जहाँ तक कम हो सके, वह अच्छा है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और मेरी भी कोशिश यही थी कि कोई तरमीम पेश करने की जरूरत ही पेश न आये, बल्कि जो डेट रिडम्प्शन ऐक्ट बन चुका है, वही काफी है, लेकिन गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकार ने राय दी है कि इस ऐक्ट में ही तरमीम करना ठीक होगा वरना बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जायंगी। इसलिए पुराने ऐक्ट में संशोधन करना ही मुनासिब समझा गया। अगर माननीय राज नारायण जी पुराने ऐक्ट की धाराओं को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसकी ५९ धाराओं में से २० धारायें बिल्कुल डिलीट कर दी गयी हैं। जो बाकी धारायें बची हैं, उनमें से भी आधी से ज्यादा धाराओं के सब-सेक्शन्स और सब-क्लाजेज निकल गये हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय राज नारायण जी को अब कोई शिकायत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसके यह सदस्य होंगे :——

१—— श्री	उम्मेद सिंह	११—— श्री	वसी नकवी
२—— ,,	भगुनाथ चतुर्वेदी	१२—— ,,	रामस्वरूप गुप्त
३—— ,,	कमला सिंह	१३—— ,,	राधामोहन सिंह
४—— ,,	शिवनाथ काटजू	१४—— ,,	पुत्तू लाल
५—— ,,	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	१५—— ,,	नवल किशोर
६—— ,,	मलखान सिंह	१६—— ,,	भगवान सहाय
७—— ,,	अवधेश प्रताप सिंह	१७—— ,,	अब्दुल रऊफ खां
८—— ,,	गेंदा सिंह	१८—— ,,	राधाकृष्ण अग्रवाल
९—— ,,	बलवंत सिंह	१९—— ,,	राम लखन
१०—— ,,	रामलखन मिश्र	२०—— ,,	द्वारका प्रसाद मौर्य

* उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

प्रवर समिति के जो मेम्बरान होंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं——

१—— श्री	जगनाथप्रसाद रावत	११—— श्री	जगन्नाथ प्रसाद
२—— ,,	जगमोहन सिंह नेगी	१२—— ,,	निरंजन सिंह
३—— ,,	चतुर्भुज शर्मा	१३—— ,,	सुरेश प्रकाश सिंह
४—— ,,	रामसनेही भारतीय	१४—— ,,	रामहेत सिंह
५—— ,,	श्रीपति सहाय	१५—— ,,	काशी प्रसाद पाण्डेय
६—— ,,	भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)	१६—— ,,	राम सहाय
७—— ,,	रामेश्वर प्रसाद	१७—— ,,	सुल्तान आलम खां
८—— ,,	बाबू नन्दन	१८—— ,,	विश्राम राय
९—— ,,	शिवकुमार शर्मा	१९—— ,,	गेंदा सिंह
१०—— ,,	सत्यनारायण दत्त	२०—— ,,	लुत्फ अली खां

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिए मैंने प्रस्ताव पेश किया है, यूं तो वह बहुत छोटा सा विधेयक है, लेकिन एक दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका असर हमारी आगे आने वाली अर्थ व्यवस्था यानी इकोनोमी पर और आगे आने वाली पीढ़ी के सुख-दुख पर बहुत कुछ पड़ने वाला है।

यह तो निर्विवाद सी बात है कि भूमि किसी भी देश की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होती है। भूमि यदि खराब हो जाय, किन्हीं हमारी गलतियों की वजह से, तो हमारा मुल्क गरीब हो जायगा। दुनिया में दो ही बड़े मुल्क हैं चीन और भारतवर्ष, जहाँ कुछ लोगों के हिसाब से लाखों वर्षों से और सभी लोगों की सम्मति से हजारों वर्षों से बराबर खेती होती आ रही है और बावजूद इन्टेंसिव कल्टीवेशन के इन दोनों देशों की भूमि में इतनी खराबी, इतना इरोजन नहीं हुआ है, अपेक्षतया उन मुल्कों के जहाँ की आबादी नयी है या जहाँ कुछ दिनों से खेती शुरू हुई है और जो न्यू कन्ट्रीज कहलाते हैं।

हमारे पूर्वजों ने भूमि की बड़ी हिफाजत की और उनके खेती करने के ढंग भी करीब करीब निर्दोष ही थे और अच्छे प्रकार से वह खेती करना जानते थे। इसलिए हजारों वर्षों से खेती करने के बावजूद हमारे मुल्क की उर्वरा शक्ति उतनी नष्ट नहीं हुई, जितनी और मुल्कों की हो चुकी है। मस्लन आज अमरीका में बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका है। वहाँ १५ वर्षों से गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान है कि भूमि का इरोजन किस तरह से रोका जाय। वहाँ का सारा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसी तरफ लगा हुआ है कि इरोजन किस प्रकार से रोका जाय, यदि मैं यह कहूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जिस तरह से हमारे यहाँ ऐग्रीकल्चर स्कूल्स और कालेजेज खोल रखे हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर तथा ऐग्रीकल्चर इन्स्पेक्टर्स वगैरा की सिस्टम है, वहाँ पर इस तरह से काम नहीं होता है। उनके यहाँ दूसरा ही ढंग है। वहाँ पर युनिवर्सिटीज की तरफ से ऐग्रीकल्चरल इन्स्टीटयूशन्स हैं या प्राइवेट लोगों की तरफ से हैं। गवर्नमेंट का काम तो रिसर्च करने का, मश्विरा देने का, प्राइस कन्ट्रोल करने का तथा इरोजन रोकने का है। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि अमरीका में काफी इस सिलसिले में साहित्य निकल रहा है। कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि जब कि २-४ अच्छी अच्छी किताबें विद्वानों की तरफ से अमरीका में इरोजन के सिलसिले में नहीं निकलती हों।

हमारे देश में जैसा मैंने अर्ज किया कि जमीन का कटाव उतना नहीं है जितना दूसरी जगह हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ भी यह दुष्परिणाम शुरू हो चुका है और इधर उधर बढ़ता जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड में, आगरा, मथुरा, इटावा, प्रतापगढ़, राय बरेली, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि इलाकों में और कुछ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जमीन कटती जा रही है और दिनों दिन खराब होती जा रही हैं। यमुना, चम्बल, सई और गोमती यह नदियाँ जमीन को बहुत काटती रहती हैं। गंगा और घाघरा नदियों में बाढ़ तो जरूर आ जाती है और घाघरा में तो अक्सर आती है, राप्ती में भी आती है, लेकिन इरोजन नहीं होता है। वह अपना कोर्स बदलती हैं, लेकिन जमीन का कटाव नहीं होता है।

जमीन का कटाव तो सई नदी के चारों तरफ जो कि एक बहुत छोटी सी नदी है, राय बरेली से प्रतापगढ़, जौनपुर वगैरह होती हुई गोमती में गिरती है, बहुत ज्यादा है। तो इस कटाव को रोकना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आज जितनी आबादी है, उसको देखते हुए हमारे सूबे में जमीन बहुत कम है। यों तो देश भर में ही कम है लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जमीन एक शख्स के हिस्से में जितनी आती है, वह सबसे कम है। .६४ एकड़ जमीन एक आदमी के हिस्से में हमारे उत्तर प्रदेश में आती है। तो जमीन तो पैदा की नहीं जा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट जमीन बढ़ा नहीं सकती है। हाँ, इतना काम कोई गवर्नमेंट या व्यक्ति जरूर कर सकता है कि जमीन का सदुपयोग करें और उसकी पैदावार को बढ़ायें। तो पैदावार को बढ़ाने की बात भी तभी होगी, जब कि जमीन कायम रहे और उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाय।

[श्री चरण सिंह]

आज सूरत यह है कि हमारे यहाँ कोई २० लाख एकड़ जमीन बिल्कुल कट चुकी है, जो कि खेती के नाकाबिल हो चुकी है। यह विशेषज्ञों का अनुमान है और ६० लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जितनी पैदावार उसमें पहले होती थी, या होनी चाहिए उसकी २५ से ५० फीसदी तक ही आज उसमें पैदावार होती है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया इस रकबे का विस्तार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आवश्यकता यह है कि भूमि का कंजरवेशन हो। भूमि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो भूमि की रक्षा को मैं देश की रक्षा के बाद एक तरीके से दूसरे नम्बर पर ही रखता हूं। देश की रक्षा तो सबसे जरूरी चीज है लेकिन लाँग टर्म प्वाइन्ट आफ व्यू से जो स्वायल का कन्जरवेशन है, वह भी बड़ा महत्व रखता है। हो सकता है कि मैं प्रिजुडिस्ट हूं थोड़ा सा, लेकिन मेरी अपनी राय यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सारे राष्ट्र और सब देशवासियों को इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी अप्रैल के महीने में महकमा खेती के जितने विशेषज्ञ थे, इस मसले के और महकमा जंगलात के जो अफसरान थे और एक दो और राज कर्मचारियों को बुला कर यहाँ एक कान्फ्रेंस की गयी थी, जो बराबर दो दो, तीन तीन दिन तक रही और उसके कुछ रेकमेंडेशन्स हुए। उन रेकमेंडेशन्स को हिन्दी और अंग्रेजी में एक पैम्फलेट की शक्ल में छपवा दिया गया था और जितने विधान मण्डल के सदस्य हैं सबके पास एक-एक कापी भेजी गयी थी और राज कर्मचारियों के पास भी भेजी गयी थी और दरख्वास्त यह की गयी कि जिन सज्जन को उन रेकमेंडेशन्स के बारे में मशविरा देना हो, वे मशविरा दें। महीने भर की मियाद के बाद जब देखा गया तो बहुत कम सज्जनों के मशविरे आये। मुझे इस बात का अफसोस है। इससे यह जाहिर होता है कि हमारे दोस्तों का ध्यान इधर बहुत कम गया। प्रेस में भी आर्टिकिल्स निकाले गये थे लेकिन किसी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया या आये तो बहुत कम आये। हो सकता है कि इस बिल के पेश करने के बाद कुछ लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट हो। तो उन रेकमेंडेशन के आधार पर इस बिल की रचना हुई। हमारे देश में बम्बई, ईस्ट पंजाब और मद्रास, इन तीनों में स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट्स हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी यह सिफारिश की है अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में कि स्वायल कंजरवेशन के मेजर्स लिये जायं और हर प्रदेश में इसके लिये कवानीन बनाये जायं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इतना गम्भीर विषय है कि प्लानिंग कमीशन ने इस पर बहुत ही जोर दिया है और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं, उन्होंने जो लिखा है, एक ही पैराग्राफ है, पढ़ कर सुना दूं

"The Planning Commission have also impressed upon the necessity of enacting suitable legislation for soil conservation by the States which should provide for :—

(i) Power to execute improvements on the farmer's fields and allocation of the costs of these improvements between the farmers and the State.

(ii) Power to restrict usage practices in certain areas which may be declared "protection areas" i. e. areas in which restriction of such practices is necessary for protection of much larger areas from erosion, silting and desication.

किसानों की खेती के लिये उन्नति के काम किये जायेंगे जिसका कुछ खर्चा किसान भी बरदाश्त करेंगे और हो सकता है गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सा बटाये।

दूसरी बात यह कि जिन इलाकों को प्रोटेक्शन एरिया करार दिया जायगा वहां किसानों को मजबूर किया जायगा कि वह बताये हुये तरीके से ही काम करें जिससे जमीन का कटाव और जमीन की जो खराबी बढ़ती जाती है, उसको रोका जा सके।

अब यह जो जमीन के कटाव होते हैं वे दो ही कारणों से होते हैं। एक जल से दूसरे वायु से। इसका कारण यह होता है कि या तो जरूरत से ज्यादा दरख्त काट दिये जाते हैं या चरागाह नष्ट कर दिये जाते हैं अथवा किसानों का जो खेती करने का तरीका होता है वह खराब होता है। इसी को रोकने के लिये यह बिल पेश किया गया है। हर जगह तो नहीं जहां गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी वहां इसको अमल में लाएगी। उसके लिये गवर्नमेंट पहले डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन कमेटी बनायेगी जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और उसके मेम्बर डेवलपमेंट आफिसर, नहर के ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिवीजनल फारेस्ट आफीसर (जहां वे होंगे), डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफीसर तथा एक आफीसर ऐसा होगा जिसको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन आफीसर कहेगी। यह कमेटी अपनी सिफारिश स्टेट कंजरवेशन बोर्ड के पास भेजेगी और तब स्टेट कंजरवेशन बोर्ड प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज करके आज्ञा देगी कि उसके बारे में प्लान तैयार किया जाय। जब प्लान बन कर तैयार हो जायगा तो वह विशेषज्ञों से एक्जामिन करा कर पब्लिक के एतराज के लिये प्रकाशित कर दिया जायगा। पब्लिक अथवा और किसी जरिये से जो भी एतराज आयेंगे उनकी रोशनी में हम प्लान को छोड़ भी सकते हैं, उसको उसी प्रकार ऐडाप्ट भी कर सकते हैं या उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। उसके अन्दर क्या क्या काम होंगे वह तो शिड्यूल में गिना दिये गये हैं। उसमें मोटी मोटी ४ बातें हैं लेकिन इन मोटी मदों के नीचे क्या आइटम्स होंगे वे तफसील से शिड्यूल में गिना दिये गये हैं जिनको यहाँ दुहराने की जरूरत नहीं है।

अब सिर्फ एक ही बात और कह देना चाहता हूं। वह यह कि हमारे प्रदेश में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है। सन् ४८ में जो बाढ़ आयी उसने ४१ लाख आदमियों की जिन्दगी पर असर डाला और ३५ लाख एकड़ रकबे को डिवेस्टेट किया। इस बार जो बाढ़ आयी उससे भी मैं समझता हूं इससे कम नुकसान न हुआ होगा बल्कि किसी किसी इलाके में उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बाढ़ को रोकने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जा सकता है तो वह यही जमीन के कंजरवेशन का है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि टैक्नीकल सब-कमेटी ने बाढ आने का सबसे बड़ा कारण बरसात बताया ही है लेकिन उसके अलावा कुछ सब्सीडियरी काजेज भी हैं जैसे अगर वहां दरख्तों की कमी है, वैजीटेशन की कमी है तो पानी बजाय जमीन में समाने के और धीरे-धीरे नदी तक पहुंचने के बहुत कम समय में ही रिवर बैड में पहुंच जाता है और इसीलिये बाढ़ आ जाती है। दूसरा कारण उन्होंने बतलाया है फाल्टी एग्रीकल्चरल प्रोसेस। मसलन नदी के किनारे जो स्लोप है अगर दूसरी तरफ पैरेलेल स्लोप है और किसान अपने खेतों को जोतता है तो उसमें जमीन भी कटेगी और पानी की रफ्तार जो है वह तेज होगी लेकिन अगर एक्रास स्लोप है और किसान उसके खिलाफ खेत जोतता है तो जमीन नहीं कटेगी और बाढ आने में कमी होगी। और इसी तरह की कुछ बातें उन्होंने बतलायी हैं। तीसरा कारण उन्होंने सिल्टिंग आफ स्वायल बतलाया है यानी नदी के तल में मिट्टी कट कर जमा हो जाती है तो उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। तो इस तरह से ये भी फाल्टी एग्रीकल्चरल प्रोसेस हैं जिनमें जंगल झाड़ी आदि भी शामिल हैं। चौथा कारण उन्होंने फाल्टी एलाइनमेंट यानी रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज को बतलाया। सड़कें जो हैं या रेल की पटरियां हैं, रेल की लाइनें हैं या कहीं कहीं जहां नहर हैं उनकी वजह से भी बाढ़ आती है। अगर नदी में पानी ज्यादा बढ़ जाता है और सड़कें जरा ऊंची हुई या कलवर्ट कम चौड़ा है तो उससे भी पानी रुकता है और इस तरह से उस तरफ के गांवों को डुबा देता है। ये जो चार कारण बतलाये गये हैं इनमें फाल्टी एग्रीकल्चरल प्रोसेस और सिल्टिंग आफ स्वायल को रोकने से बाढ़ में बहुत कमी हो जायगी। जो शेड्यूल इस बिल का है उसमें दिया हुआ है। शीट इरोजन, विंड इरोजन, गुली ऐंड रेविन फारमेशन, २. वाटर लागिंग ऐंड इमपेडेड ड्रेनेज, ३. इनक्रीजिंग दि प्रोडक्टिवटी आफ भूड़ एरियाज, ४. रिक्लेमेशन आफ ऊसर लैंड्स ऐंड प्रिवेंशन आफ ऊसर फारमेशन। तो इन सब कारणों को मिटाने में यह ऐक्ट सहायक होगा। आपका ज्यादा समय लेने का मेरा मंशा नहीं था लेकिन मैं फिर

[श्री चरण सिंह]

दोहरा देना चाहता हूं कि यह बाढ़ जो आती है वह ज्यादा वर्षा होने की वजह से आती है जिस वर्षा को कोई रोक ही नहीं सकता।

इसी तरह से जो चार कारण बतलाये गये हैं मुझे आशा है कि उनको दूर करने में यह बिल सहायक होगा। अगरचे यह लांग टर्म की बात भले ही हो, दो चार दस साल में न हो लेकिन मैं समझता हूं कि अगले तीस चालीस साल में उस शिद्दत को कम किया जा सकता है और इस बाढ़ की मुसीबत कम की जा सकती है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन जहां तक एफ़ारेस्टेशन आदि की बातें हैं उनका किसी पोलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है। एक दफा जो पालिसी बनायी जाय वह आगे आने वाली गवर्नमेंट तीस चालीस साल तक बर्ते जो भी गवर्नमेंट हो उसे इस बात की बराबर कोशिश करनी चाहिये कि बाढ़ में कमी हो। आज का जो मौजूदा जेनरेशन है उसका एक तरह से ऋण अपने देश के ऊपर है। हमें चाहिये कि आने वाले लोगों के लिये रास्ता ठीक कर दें। बल्कि हो सके तो बेहतर अवस्था में उसको छोड़ें खास तौर से जब कि हमारी आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले तीस सालों में हमारी आबादी पूरे देश की ४० फीसदी बढ़ी है और उसी हिसाब से हमारे प्रदेश की भी आबादी बढ़ी है। तो आबादी तो बढ़ेगी ही। उस बढ़ाव को रोकने का सवाल हमारे सामने इस समय है भी और अगर उपाय भी किया जाय तो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो आबादी तो बढ़ रही है और जमीन हम बढ़ा नहीं सकते हैं। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि जितनी जमीन जहां है उसकी रक्षा करें, उसका सदुपयोग करें। तो इस दिशा में यह स्वायल कंजरवेशन बिल एक बहुत बड़ा कदम है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को माननीय सदस्यों की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा उपस्थित किये गये इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही यह प्रस्ताव भी करता हूं कि यह विधेयक तीन महीने के लिये जनमत के लिये घुमा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के उद्देश्यों और मंशा का संबंध है, सदन का हर एक सदस्य इससे पूर्ण रूप से सहमत है क्योंकि यह भूमि संरक्षण का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हमारे देश के अलावा अन्य देशों में इस पर बहुत प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं। चीन और अमेरिका की बाबत तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने खुद ही बतलाया। देर ही सही लेकिन हमारी प्रादेशिक सरकार का ध्यान अब इस तरफ आया है और इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि उन्होंने इस संबंध में जो कुछ साहित्य था उसको तमाम विधान मंडल के सदस्यों के पास भेजा और उसके अलावा सरकारी गजट में भी इस बिल को प्रकाशित किया गया, लेख वगैरः भी अखबारों में निकले लेकिन उसका रिस्पांस बहुत ही कम हुआ और उससे माननीय मंत्री जी को भी दुख हुआ क्योंकि वह चाहते थे कि लोगों की सलाह जो हो उसकी रोशनी में अगर यह विधेयक उपस्थित किया जाता तो अच्छा होता। तो इसलिये मैंने जो संशोधन इस समय रखा है वह और भी मजबूत हो जाता है। माननीय राजस्व मंत्री जी की दलीलें सुनकर कि उसको जनमत के लिये भेजना जरूरी है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि और देशों में इसके लिये बहुत सा साहित्य है। इसके विशेषज्ञ भी हैं। वे लोग इसमें खोज करते रहे हैं। पत्र-पत्रिकायें निकलती हैं। हमारे देश में इसकी कमी है। लेकिन जब हमने इस विधेयक पर दृष्टिपात किया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विधान मंडल के सदस्यों ने और जनता ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यही नहीं, माननीय राजस्व मंत्री जी के कानूनी सलाहकारों ने भी इस बिल को ड्राफ्ट करने में सावधानी नहीं बरती और इसमें ऐसी ऐसी चीजें छोड़ दी गई हैं जिनकी वजह से यह बिल बहुत ही अधूरा रह गया है। पहले तो इस बिल के जरिये से अध्यक्ष महोदय प्रान्तीय सरकार यह चाहती है कि एक प्रादेशिक स्तर पर भूमि संरक्षण बोर्ड कायम किया जाय। मुझे ड्राफ्टिंग से ऐसा पता चलता है कि बहुत जल्दी में ड्राफ्टिंग की गई है। उसका

कांस्टीट्यूशन इस प्रकार है। उसमें कृषि मंत्री होंगे और उनके अलावा इस प्रादेशिक सरकार के दो और मंत्री होंगे। तीन विधान सभा के सदस्य होंगे और दो विधान परिषद के सदस्य होंगे और फिर और तीन सरकार द्वारा नामजद सदस्य होंगे। मैं समझता हूं यह कांस्टीट्यूशन ऐसा है जिसपर फिर से विचार करना चाहिये। यह विषय ऐसा नहीं है जो कृषि मंत्री या अन्य मंत्रियों तक ही संबंधित है। इस विषय के विशेषज्ञों का इसमें स्थान होना चाहिये था। कृषि मंत्री के साथ ही और मंत्रियों को रखने की इसमें क्या आवश्यकता पड़ी ? इस मंडल के तीन मंत्रियों के उपस्थित रहने से क्या यह आशा की जा सकती है कि वे इस विषय के विशेषज्ञ होंगे ? मैं समझता हूं यह कमी है जो जरूरी है जिसको दूर होना चाहिये और इस बोर्ड को फिर से बनाना चाहिये। जिला भूमि संरक्षण समिति का संगठन अगर आप देखेंगे तो उसमें माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा कि हमारे प्रदेश में योजनाओं में ब्यूरोक्रेसी के लोग ज्यादा होते हैं और इस तरह से दूसरे मुल्कों में नहीं होता। लेकिन इस विधेयक में भी जब हम जिला समिति की तरफ देखते हैं तो उसमें यही लिखा है कि एक कलेक्टर, नहरों के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिला विकास विभाग के आफिसर इंचार्ज, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर और जिला भूमि संरक्षण अधिकारी उसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, इतने लोग तो थे ही। एक ऐसे जिला भूमि संरक्षण अधिकारी की और कल्पना की गयी है। मैं तो यह समझता हूं कि यह काम अगर विकास योजना के अंतर्गत कर दिया जाता तो कम से कम एक और मशीनरी कायम करने की और एक अफसर बढाने की जरूरत नहीं थी। इसमें एक चीज यह की गयी है कि नानआफिशियल एसोसियेशन की बात नहीं की गयी है। ५,७ आदमी जो सरकारी कर्मचारी हैं वह उसमें रहेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का दृष्टिकोण क्या होता है। सरकार का और विरोधी दल का यह प्रयत्न रहा है कि उनका वह दृष्टिकोण बदले, लेकिन वह आज तक बदला नहीं है। हो सकता है कि प्रादेशिक समितियां कुछ लोगों का वहां पर नामजदगी के जरिये से रखें लेकिन समिति का नानआफिशियल एसोसियेशन जो है वह खत्म हुआ। इसके बारे में राजस्व मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। यह इस बिल में डिफेक्ट रह गया है, बल्कि प्लानिंग कमीशन इसके लिये सलाह दे। इन सरकारी कर्मचारियों को इतनी वाइड पावर दी गयी है कि जिसका कुछ कहना नहीं है। मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इसमें भूमि संरक्षण आफिसर को इतना अधिकार दिया गया है कि जो कहीं पर ट्रैक्टर चले तो वह उसको बता सकता है कि तुम ६ इंच नीचे चलाओ, बन्दी का निर्माण करा सकता है, कम्पोस्ट तैयार करा सकता है और भी इसी तरह के काम वह करा सकता है क्योंकि यह सब साधन भूमि की उपज बढ़ाने के लिये कहे गये हैं। इतने वाइड अधिकार नहीं देने चाहिये थे क्योंकि इससे फिर रिश्वत का बाजार गर्म होगा और भ्रष्टाचार फैलेगा।

इसके साथ ही मुझे खर्चे के बारे में भी आपत्ति है। माननीय मंत्री जी तो खुद के लिये यश लेना चाहते हैं लेकिन इसका खर्चा उनके मत्थे जायगा जिनको लाभार्थी कहा गया है। उनको यह अधिकार दिया गया है कि सारे लोग जिनको इससे लाभ होगा यह खर्चा उनसे वसूल किया जायगा। चकबन्दी का बिल जब यहां पर पेश था तब भी हमने कहा था कि यह खर्चा उनसे वसूल न किया जाय। यदि वहां पर पम्पिंग सेट लगाये जायं या नालियां बनवाई जायं या तालाब गहरे किये जायं उन सबके लिये खर्चा सरकार को करना चाहिये। अगर उनसे वसूल किया जायगा तो उनको इससे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। कोई कर्मचारी यहां कह सकते हैं कि पेड़ लगाओ और गवर्नमेंट गार्डन से पौधे खरीदो और साधारण गांवों से लोग न लें। यह एक ऐसा व्यापक प्रश्न है जिस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। मैं यह मानता हूं कि उन के पास समय बहुत कम रहा है और मंत्रिमंडल भर में अगर मैं किसी एक व्यक्ति के परिश्रम से प्रभावित हुआ हूं तो वह हमारे राजस्व मंत्री ही हैं। इस समय मुमकिन है कि उनको पूरी परिस्थिति का ज्ञान न हुआ हो और जल्दी में यह बिल आ गया हो लेकिन हम माननीय राजस्व मंत्री जी के हाथ और मजबूत करना चाहते हैं। हमारे पास जो साहित्य आता है वह इतना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अधिक होता है कि हमारे लिये उसको पढ़ना ह्यूमेनली इम्पासिबिल होता है। हां, अगर किसी स्पेशल चिट्ठी के साथ हमारे पास कोई लिटरेचर जाता तो शायद हमारे बहुत से माननीय सदस्य उसको पढ़ लेते। एक तो महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस विधान सभा के सामने अब यह लाइमलाइट में आ जाता है और यह स्वाभाविक है कि मेम्बरान इस पर गौर करें और हो सकता है कि सरकार की ओर से यह आपत्ति पेश हो कि इसमें देर हो जायगी। लेकिन जब इतनी वर्षों की देर हो गई और जब ७,८ साल इस सरकार को होने आये इतनी देर हो गई तो ३ महीने की कौन सी बात है? इस पर हम बजट सेशन के बाद गौर कर सकते हैं। इसमें तमाम बातों पर गौर नहीं हो पाया है, केवल ३,४ सेक्शन बना दिये गये हैं और नियमों में व्यापक अधिकार रख लिये गये हैं। उन्होंने बिल में यह व्यवस्था रखी है कि नियम बनाकर लागू कर दिये जायेंगे लेकिन विधान सभा की बैठक के सामने वह नहीं आवेंगे।

जमींदारी अबालिशन और दूसरे बिलों के वक्त तो यह बात रखी गई थी कि जो नियम बनाये जायेंगे वह लागू कर दिये जायेंगे और सेशन होने पर उनकी स्वीकृति ले ली जायगी। नियमों में इतनी बड़ी व्यवस्था करना और उनको विधान सभा के सामने न लाना मुनासिब नहीं है। साथ ही माननीय राजस्व मंत्री का कथन है कि इसमें ज्यादा समय न लिया जाय। जब बिल के प्रिंसिपिल्स में इतनी आशंकायें हैं तो उनको देखते हुये यह एक एकलिप्स सा हो जाता है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आज खाद्य की समस्या है और वर्तमान सरकार उसको ठीक तौर से सुलझा नहीं पा रही है। अगर ठीक से प्लानिंग किया जाता तो अरबों रुपयों का गल्ला जो विदेशों से आया है वह हमें लाना न पड़ता और यह एक ऐसी घटना है कि जो दस पांच साल ही में पैदा हुई है। पहले हमें अनाज कभी बाहर से नहीं लाना पड़ा था।

एक सदस्य--आबादी जो बढ़ी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आबादी बढ़ने की बात कही जाती है तो यह चकबन्दी का कानून या इम्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट या जमींदारी एबालिशन ऐक्ट आप की बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोक सकता, सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। अगर सरकार चाहती है कि आबादी का बढ़ना रोका जाय तो मेरा सुझाव है कि वह तमाम बजट में ज्यादा से ज्यादा कमी कर के रुपया इस काम के लिये निकाले और ऐसे क्लिनिक खोले और आबादी को रोकने की कोशिश करे।

लेकिन सरकार हर अपनी अयोग्यता का एक बहाना ढूंढ लेती है कि आबादी बढ़ गयी है, जैसे कि साधारण लोग कह देते हैं कि यह तो ईश्वर प्रदत्त चीज है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन सरकार तो हर बात के लिए जिम्मेदार होती है और ज्यादा से ज्यादा रुपया आप लगावें, करोड़ों की संख्या में खर्च करके इसके रोकने का उपाय करें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकार ने तो एक आध जगह लखनऊ में, एक आध जगह कानपुर में और ऐसे ही एक आध और जगह कुछ डाक्टर्स रख दिये और समझ लिया कि पर्याप्त योजना हो गयी, आबादी के रोकने की। इसके लिए तो जितने भी जोर शोर से, और ज्यादा कानून बनाये जाते हैं और ज्यादा रुपया लगाकर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किया जाता है, उतना ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी कह दिया करते हैं और और भी माननीय मन्त्री लोग कहा करते हैं कि आबादी का बढ़ना तो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के बढ़ाने से रुक सकता है, तो उसके बारे में तो हम कहते कहते थक गये लेकिन हमारा सुझाव कभी माना नहीं गया और हर बिल जो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ाने के रास्ते में आगे बढ़ सकता है, वह ठुकरा दिया जाता है। तो इस सूरत में मैं इस विषय में बहुत आगे नहीं जाना चाहता। इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके तीन महीने के लिए यह जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाय और उसके बाद फिर उसे विधान सभा के सामने रखा जाय। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री जी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--श्रीमन्, मैं अपने राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु उनके भाषण में एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिखाया गया, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ पूर्वी जिलों और कुछ पश्चिम के जिलों के नाम गिनाये हैं, जिसमें कि यह संकट भूमि का उपस्थित हो रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश की सब से बड़ी समस्या जो है वह पहाड़ के नीचे के जिलों की है। देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और नैनीताल जिलों में बाढ़ की वजह से या जंगल कटने की वजह से भूमि का क्षरण जारी रहता है तो प्रान्त के अन्य जिलों की समस्या और अधिक विकट हो सकती है। इस कारण हमें उन जिलों में सब से पहले भूमि संरक्षण का प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पहाड़ के नीचे अवस्थित हैं।

मैं अपने सहारनपुर जिले की समस्या थोड़े में रखना चाहता हूं। सहारनपुर जिले में गंगा और यमुना के ऊपर शिवालिक की पहाड़ी विद्यमान है। ५ हजार फुट ऊंचे पहाड़ से ८ या १० नदियां निकलती हैं और वह आमतौर पर बरसात में ही चलती हैं। उस शिवालिक पहाड़ के निचले हिस्से में जंगल विद्यमान हैं और पिछले ४०, ५० वर्षों से वह जंगल निरन्तर कट रहे हैं। उनके कटने का परिणाम यह है कि जो नदियां निकलती हैं, उनके पानी के साथ भूमि का कटाव होता जा रहा है और लगातार बाढ़ें बढ़ रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार नदियां, रानीपुर, पथरी, रतमऊ और सैलानी, इन चार नदियों का पाट दिन पर दिन चौड़ा होता जा रहा है। मेरे ही पड़ोस में एक बड़ा इलाका है, जिसको कि धार का इलाका कहते हैं और जो कि ज्वालापुर, रुड़की, भगवानपुर मुजफ्फराबाद और फ़ैजाबाद कई परगनों में उपस्थित हैं। सहारनपुर जिले का करीब आधा भाग है।

आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि सहारनपुर जिला बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उसमें इन बाढ़ों की वजह से और भूमि संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण जो जमीन वहां है वह दिन प्रति दिन कटती जा रही है और मेरा ख्याल है कि वहां की हालत ऐसी खराब होती जा रही है कि अगर यही हाल रहा तो आज अगर वहां कुओं में थोड़ा बहुत पानी निकलता भी है, तो आगे चलकर कुओं का पानी और नीचे चला जायगा। आज भी अगर वहां पर एक कुआं बनाना होता है, तो दस बारह हजार रुपया लगता है और बड़े लोग जो कि सम्पन्न हैं वह तो अपने कुओं से पानी का फायदा उठा लेते हैं लेकिन धार के हरिजनों को केवल इसलिए कि पानी नहीं मिलता है चार-चार और पांच-पांच मील तक पानी के लिए जाना पड़ता है।

तो मैं सदन के सामने यह समस्या इस रूप में पेश करना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाने की और जमीन की रक्षा करने की आवश्यकता है तो पहले उन जिलों में इसका प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पहाड़ के नीचे हैं और जिनमें यह प्रबन्ध यदि नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी उसका संकट हो सकता है।

सहारनपुर जिले के बहुत बड़े भाग में एक सैलानी नदी बहती है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जरा विधेयक के ऊपर आ जायं और उसके उसूलों पर भी कुछ बोलें।

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। सैलानी नदी शिवालिक पहाड़ से निकलती है और सारे सहारनपुर को पार करती हुई मुजफ्फरनगर में जाती है। सैलानी नदी आज से २० वर्ष पहले तो इतनी छोटी थी लेकिन अब इतनी बढ़ गयी है कि उससे न केवल सहारनपुर के बीसियों गांवों को बल्कि मुजफ्फरनगर जिले के गांवों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है और वह उनको डुबा रही है।

श्री अध्यक्ष--मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सहारनपुर जिले को क्या इस विधेयक से अलग कर दिया गया है?

श्री चरण सिंह--इसमें सभी की बात हो सकती है। मैं सहारनपुर जिले का नाम दोहराना भूल गया था।

श्री दीनदयालु शास्त्री---मैं सहारनपुर जिले और पहाड़ी जिलों की बात दोहराना चाहता था। आशा है कि सदन इस पर विचार करेगा और ध्यान देगा।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे, राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को ३ महीने के लिए जनमत में डाल दिया जाय, उसका विरोध करना पड़ रहा है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि हमारी जो भूमि है, वह कुछ दैविक आपत्तियों के कारण और कुछ हमारी भूलों के कारण कम हो रही है और कट रही है। दूसरी ओर हमारा जन-समाज जो है, वह केवल समाज की और जनता की भूलों के कारण बढ़ता जा रहा है और बड़ी आवश्यकता थी कि हम अपनी भूमि का संरक्षण करें और इस बात का प्रयत्न करें कि जितनी भी भूमि हम प्राप्त करा सकें वह जनता को प्राप्त करायें। इसी आशय को ले करके राजस्व मन्त्री ने इस विधान सभा के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

दूसरे देशों में, अमरीका को लीजिये, और दूसरे देशों को लीजिये, उन्होंने तो पहले ही इसी प्रकार के ऐक्ट्स बना रखे हैं और वह अधिक से अधिक रुपया भूमि-संरक्षण पर व्यय करते हैं, हालांकि उनके यहां जन-समाज कम है और भूमि अधिक है, लेकिन तब भी वे भूमि संरक्षण पर काफी ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में इस प्रकार का कोई अधिनियम नहीं बना, हालांकि इस प्रकार की जरूरत थी। हम तो चाहते थे कि इस प्रकार का विधेयक बहुत पहले विधान सभा के सामने आता लेकिन वह देर से आया, लेकिन खैर, "देर आयद दुरुस्त आयद।" तब भी ठीक है। मुझे ताज्जुब है कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि यह बहुत पहले आना चाहिए था और बहुत देर से आया। दूसरी तरफ यह कोशिश की जा रही है कि इस विधेयक को टाल दिया जाय और फिर जनमत में डाल दिया जाय। यह तो गजट में भी प्रकाशित हो चुका है और जनमत के सामने आ चुका है। रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि इसके बावजूद भी समाज ने इसकी अवहेलना की और बहुत कम ध्यान दिया और बातें भी ऐसी हैं कि यह इतना गहन प्रश्न है कि केवल विशेषज्ञ ही इस पर विचार कर सकते हैं और विचार करते हैं। आम जनता को कोई ज्यादा रुचि ऐसे विधेयकों से नहीं हो सकती और हमने राजस्व मन्त्री जी से कहा कि हमारा तो जन-समाज इतना भूला हुआ है कि हमारा काश्तकार खुद इस प्रकार के तरीके अख्तियार करता है कि जिससे भूमि का संरक्षण होने के बजाय भूमि घटती है। इसलिए इस विधेयक को जनमत में भेज देने से और ढील देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो अब व्यवस्था हुई है, दो ढाई महीने में वही व्यवस्था रहेगी और राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो इसमें त्रुटियां बतलायीं तो उसके लिए भी मौका है। इसी लिए यह प्रवर समिति में लाया जा रहा है। जब वह वहां जायगा, विशेषज्ञ विचार करेंगे और जो इसको स्टडी करेंगे, इस विषय की जो त्रुटियां हैं, उनको दूर कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक हम पारित करें और स्टैटच्यूट बुक पर ले आयें, ताकि हमारी भूमि का संरक्षण हो सके। इसके अधिनियम बनने के बावजूद भी अगर कमियां रहेंगी, तो जब व्यवहार रूप में यह विधेयक आयेगा, तो रफ्ता रफ्ता वह दूर होती जायंगी। हमारा जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना, उसमें बहुत सी भूलें रहीं और व्यवहार में लाने के बाद वह दूर करने की कोशिश करते हैं और संशोधन विधेयक लाते हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसी बात रहेगी तो उसके अनुसार संशोधन प्रस्तुत हो जायेंगे।

इसलिये मैं माननीय रामनारायण जी का जो प्रस्ताव है उसका घोर विरोध करता हूं और विधान सभा से आप के द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को, जो कि एक बड़ा महत्व का विधेयक है और बहुत छोटा सा विधेयक है, जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणत करें और माननीय रामनारायण जी का जो प्रस्ताव है उसका रद्द करें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से माननीय माल मन्त्री को इस विधेयक के लाने के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस बात पर ताज्जुब प्रकट करता हूं कि माननीय रामनारायण जी ने जो जनमत के लिए इसे भेजने का प्रस्ताव किया है वह किस युक्ति से किया है। जनमत के लिए कोई विधेयक या कोई बात उन अवसरों पर भेजी जाती है, जब कि कोई खास मतभेद हुआ करता है, दो रायें हुआ करती हैं या

दो के अलावा और कई रायें हुआ करती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जब मैं देखता हूं कि सदन का प्रत्येक व्यक्ति यहां तक कि विरोधी दल के लोग भी, माननीय राम नारायण जी भी इसको जनमत के लिए भजने के साथ साथ यह कहते हैं कि यह बड़ा सुन्दर है, इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसका पास होना जरूरी है, तो फिर जनमत के लिए क्या बात रह जाती है।

जहां तक इसकी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, वह माननीय मन्त्री जी ने सदन के समक्ष रख दिया है। मैं स्वयं अध्यक्ष महोदय उस जिले से आता हूं जो इस रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित है। सई की भयंकर कटान और भयंकर बाढ़ों का दृश्य जिसने देखा है, वह इस बात को सदन में कहेगा कि यह विधेयक जल्द से जल्द पास किया जाय। फैजाबाद में रहने वाले लोग जहां कि सरयू और घाघरा का प्रभाव होता है, उन्हें कटान और बाढ़ का बहुत ज्यादा अनुभव हो सकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक जनमत के लिए न भेजा जाय। जहां तक जनमत का सम्बन्ध है, जनमत तो इसके साथ है ही। जब सदन का हर एक व्यक्ति कहता है कि इसकी आवश्यकता है तो जनमत तो इसके साथ है ही। इसके साथ साथ जैसा केशव जी ने कहा कि यह तो एक्सपर्ट्स के जानने की बात है। यह तो एक्सपर्ट्स ही बतावेंगे कि किस तरह से यह विधेयक लागू किया जाय।

एक बात बहुत ज्यादा कही गयी और वह खर्चे के विषय में कही गयी है कि इस विधेयक में लाभार्थियों से खर्चा लेने की बात कही गयी है। जिनको प्रैक्टिकल अनुभव है उन्हें मालूम है कि आज काश्तकार सैकड़ों दरख्वास्तें ले करके आता है और यह प्रार्थना करता है कि उनके तालाबों का पानी निकलवा दिया जाय या इस प्रकार के बांधों के बनाने का आदेश दिया जाय जिस से उसकी अड़चनें दूर हों। इसके लिए यह श्रमदान भी देने के लिए तैयार होता है। साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़े, तो पैसा भी देने के लिये तैयार ही है। केवल वह काश्तकार या गांव का रहने वाला यह चाहता है कि शासन की तरफ से उन कठिनाइयों को दूर कर दिया जाय जो कि स्थानीय लोग पैदा करते हैं और जिन को काश्तकार स्वयं हल नहीं कर सकता है। तो आज यह देश की मांग है, गांव के आदमी चाहते हैं, किसान चाहते हैं और जिनके पास खेत हैं वे चाहते हैं। इसलिए इसको जनमत के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़े जोरदार शब्दों में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जनमत के लिए इस प्रस्ताव के रखने के विचार को न तो समझ पा रहा हूं, और न मैं समझने की आवश्यकता समझता हूं, इसलिए इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी के बाद मैं समझता हूं कि यह दूसरा सब से ज्यादा उपयुक्त बिल हमारे सामने आया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--और कोई नहीं ?

श्री बलवन्त सिंह--हां, और लोगों के लिए जैसा हमारे बालेन्दु शाह जी फरमा रहे हैं यह हो सकता है कि एन्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट बहुत उपयुक्त हो। मगर किसान के नाते मैं यह कह सकता हूं कि चकबन्दी का सब से ज्यादा उपयुक्त बिल इस भवन में पास हुआ और उसके बाद उसी महत्व का या यों कहिये कि यह ज्यादा महत्व का बिल अब हमारे सामने है।

अभी जैसा कि श्री दीन दयालु शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे कुछ जिलों की ओर जो कि तराई में हैं ध्यान कम दिया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल जो हमारे सामने है, यह किसी खास पहाड़ या तराई या और नीचे के जिलों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सारे प्रान्त के लिए है। मैं तो यह मानता हूं कि अगर हम उन हालात को देखें, जो किसी भी छोटे से छोटे गांव में या किसी इलाके में होते हैं तो हमें यह पता लगेगा कि यह बिल कितना उपयोगी है। एक छोटा सा नाला किसी गांव में खेती के बीच में बहता है, आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मिट्टी कट कर नाले में चली जाती है और खेत में छोटी-छोटी नालियां बन जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों खेत इस तरह से खराब होते चले जाते हैं और हम आप यह सोचते भी नहीं कि इसका क्या प्रबन्ध होगा। इसी प्रकार से देहात के खेतों के आस पास या

[श्री बलवन्त सिंह]

खेतों के बीच में जो पुराने तालाब होते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मिट्टी पट जाती है और वे सिल्टअप हो जाते हैं। इस प्रकार से तमाम के तमाम खेत खराब रहते हैं और बाज-बाज दफा तो ऐसा होता है कि एक-एक और दो-दो फसलें भी नहीं बोयी जाती हैं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि केवल नदियों की वजह से ही इस बिल का आना जरूरी नहीं है बल्कि बाढ़ की वजह से भी जरूरी है और मैं तो यह समझता हूं कि जो भूमि हमारे देश में खेती के काम में आ रही है उसको बनाने के लिए इस बिल की बहुत पहले से आवश्यकता थी।

अब रही बात यह कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या कुछ दिनों के लिए मुल्तवी कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल ही अवांछनीय है बल्कि इसे फौरन पास होना चाहिए और जो एन्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट वगैरह हैं, उनको चाहे दस या पांच महीने के लिए पोस्पोन भी कर दिया जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है। चूंकि यह बिल बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए इसे फौरन ही पास किया जाना चाहिए और इसमें इस बात का भी प्रयत्न किया जाय कि सेलेक्ट कमेटी में अधिक से अधिक सुझाव जो मेम्बर चाहें दें, चाहे वे सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर हों या न हों और उनके रास्ते में कोई रुकावट की बात न हो। मैं यह मानता हूं कि इसमें दो चार बातें ऐसी हैं कि जिनका दुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है और इसी बात के लिए ये सेलेक्ट कमेटी रखी गयी है।

मैं यह उचित समझता हूं कि जिले के स्तर पर जो कमेटी रखी गयी है, मेरे ख्याल से वह प्लानिंग कमेटी से सम्बधिन्त होनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि किन्हीं जिलों में वहां के प्लानिंग आफिसर पूरा न कर सकें, तो वहां पर दूसरे आफिसर को रखने की जरूरत पड़ेगी, परन्तु ज्यादातर जिलों में प्लानिंग आफिसर ही इस काम को अन्जाम दे सकेंगे। इस लिए ऐसे जिलों में कोई आफिसर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मेरा सुझाव यह भी है कि जिले के स्तर पर प्लानिंग कमेटी के रूप में ही इस को रखा जाय और इस ऐक्ट के जरिये से उनके जो कार-बार होंगे, वह विस्तृत हो जायेंगे। जिले के स्तर पर जो कमेटी रखी गयी है, मैंने उसमें कुछ ऐसा देखा है कि सिर्फ आफिशियल ही रखे गये हैं मगर मेरा सुझाव यह है कि उसमें नान-आफिशियल भी रखे जायं। क्योंकि इस में चन्द बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें कि नान-आफिशियल्स की राय लेनी जरूरी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो खर्चे की बात रखी, वह भी काबिले गौर है। मैं यह समझता हूं कि बहुत से काम इसमें इतने बड़े और इतनी ज्यादा लागत के होंगे जिनको कि शायद लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे इस लिये इसमें जो आर्थिक नियम बनें उनमें ऐसा प्राविजन रहे और रूल्स इस हाउस के सामने भी आने चाहिये। इस में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसानों से या ऐसे लोगों से जिनको कि खेती या जमीन में लाभ होगा, उनसे कितना लिया जाय और कितना परसेन्टेज गवर्नमेंट दे। क्योंकि इस लिए जरूरत है कि मान लीजिये कि एक नदी काटती चली जाती है और उस से किसी एक आदमी के खेत को लाभ हो जाता है। अगर कहीं ऐसी बात सोचेंगे कि वह भूमि का रुपया जो नदी के बहाव के बचाने के लिए किसी आदमी से लिया जायगा, तो उसकी मिकदार इतनी संख्या में होगी कि वह अपनी सारी की सारी जमीन बेचकर भी न दे सकेगा। जमीन का कटाव रोकना एक मामूली किसान या बड़े किसान के वश की बात नहीं है। यह काम तो गवर्नमेंटल बेसिस पर ही हो सकते हैं और गवर्नमेंट ही इन कामों को कर सकती है। इसलिए मैं यह बात राजस्व मन्त्री जी के सामने रखूंगा कि जिस समय खर्चे का विचार किया जाय, तो इस ढंग से रूल्स बनाये जायं कि एक किसान से उतना ही रुपया लिया जाय, जितना कि वह देने के योग्य हो यानी जितनी कि उसकी सामर्थ हो। मैं समझता हूं कि यही दो तीन बातें हैं जिनको सेलेक्ट कमेटी में जो सज्जन हैं, उनको विचार करना चाहिए और इस ऐक्ट को ऐसे ढंग से बनाया जाय जो हमारे प्रान्त के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके और ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने इस विधेयक के संबंध में जनमत संग्रह के लिए जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री राम नरेश शुक्ल ने यह कहा कि विशेषज्ञों की राय से ही यह बिल इस सदन में पेश हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के बाहर कोई विशेषज्ञ है ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष--श्री राम नारायण त्रिपाठी जी से यह कह देना चाहता हूं कि वह मेरे पास अपना संशोधन भेज दें और तिथि भी निश्चित करके भेज दें संशोधन में कि यह विधेयक कब तक जनमत से वापस आजाय क्योंकि वह नियम के अनुसार जरूरी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--गवर्नमेंट के सलाहकारों के अतिरिक्त सदन के बाहर भी बहुत से अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ हैं। जनमत संग्रह करने के लिए त्रिपाठी जी ने इसी लिये कहा है कि सदन के बाहर जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय भी मिल सके। मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे साथी श्री केशव गुप्त जी ने बतलाया कि जनमत की राय लेने में बहुत देर होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने माल मन्त्रित्व काल में नागर क्षेत्र जमींदारी बिल विनाश पेश किया था, जो आज भी प्रवर समिति के सामने है। मैं समझता हूं कि साल भर गुजर जायगा लेकिन वह बिल आने वाला नहीं है। माननीय कृषि मन्त्री जी चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय। पहले भी माननीय मन्त्री जी ने भाषण दिया था कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय, जिस से नगर में बसने वाले किसानों की परेशानी और दिक्कत दूर हो सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जनमत के माने यह नहीं हैं कि बिल में देर न हो और जल्दी से बिल सदन में पेश हो जाय।

भूमि संरक्षण मण्डल एवं जिला भूमि संरक्षण समिति का निर्वाचन भी बहुत जनतंत्र विरोधी है। भूमि संरक्षण मण्डल में केवल सरकारी भावों को व्यक्त करने वाले ही सदस्य रहेंगे। ऐसे सदस्य नहीं रहेंगे, जो अनुचित बातों का विरोध करें। इसी प्रकार जिला भूमि संरक्षण समिति का चुनाव होगा। जिसमें केवल नौकरशाही के अलावा और कोई न होगा।

दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि गांवों में, छोटे-छोटे कस्बों में जहां पर कि ग्राम-समाज की स्थापना हुई है, उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं गांवों में देखता हूं और हमारे इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य ऐसे होंगे जो गांवों में रहते हैं और देखते हैं कि सरकारी अधिकारी जनता की राय के विरुद्ध किस कदर काम करते हैं। यह भूमि संरक्षण समिति जो जिले में बनायी गयी है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इसमें जन-प्रतिनिधियों का खयाल नहीं किया गया तो जनता का हित नहीं हो सकेगा और यह बिल अवश्य ही नुकसान देने वाला होगा, जैसा कि पिछली बार माननीय कृषि मन्त्री जी ने गलत इन्दराज ठीक करने के लिए बिल पेश किया और उसका असर आजमगढ़ की जनता पर जो पड़ा उसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। इस बिल का जो उद्देश्य है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इसके सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन बिल के उद्देश्य की पूर्ति के सम्बन्ध में जो रास्ता माननीय कृषि मन्त्री जी ने अख्यितार किया है, उससे नुकसान होने की सम्भावना विशेष है खास कर गांव समाज के जन-प्रतिनिधियों के अभाव में। इसमें जो १२(२) में रखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के लेने के सम्बन्ध में एतराज है तो वह ३० दिन के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि गांवों में अदालतों के जरिये जो समन पहुंचते हैं, उनको तो बड़े आदमी दो चार पैसे देकर वापस कर दिया करते हैं। यदि गांव समाज का कोई अधिकारी उस कमेटी में नहीं रहता है या कोई छोटी-छोटी कमेटियां नहीं बनायी जाती हैं जिनमें गांव के लोगों के प्रतिनिधि हों, तो मेरा खयाल है कि ३० दिन का जो समय दिया गया है, उसका उस खेत के मालिक को पता भी नहीं चलेगा और वह जमीन सरकार अपने कब्जे में कर लेगी।

[श्री रामसुन्दर पान्डेय]

योजना के निष्पादन में भी ऐसी त्रुटियां हैं, जिनसे मेरा खयाल है कि झगड़ा और बढ़ेगा। योजना के निष्पादन क बारे में १९ में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें विघ्न डालगा, तो वह सजा पायेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी होता है कि समन न मिला, उसको कोई सूचना न मिली और खेत पर जब सरकार की ओर से आदमी कब्जा करने जायं, तो उसको पता चले और एतराज करे तो जेलखाने जाना होगा। यह सब से बड़ी आपत्ति की बात है। दफा २० में जो ५ तक पैराग्राफ हैं, उनमें भी इस तरह की त्रुटियां हैं जिनकी वजह से गांव समाज को, गरीब लोगों को नुकसान होगा। इस बिल को देखने से यह साफ जाहिर होता है कि गांव समाज के लोगों के हक की रक्षा नहीं हो सकेगी। जब तक जनमत संग्रह नहीं किया जायगा तब तक मेरा ख्याल है कि यह सदन अगर इस बिल को पास कर देगा तो भी इस से बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को होने वाला है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से श्री राम नारायण त्रिपाठी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री शिवनारायण--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--एक भाषण और हो जाने के बाद में इस प्रस्ताव को लूंगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी तकरीर नहीं करूंगा। यह जो जनमत के लिए भेजने का प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करता हूं। यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। संसार की जनसंख्या १९०१ में ७३ करोड़ थी, जो सन् ५१ में १ अरब ३० करोड़ हो गयी। इसके अलावा रेगिस्तान भारत में ही नहीं, तीन और कान्टिनेंट्स में बढ़ रहे हैं। आस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में रेगिस्तान बढ़ रहा है। हमारे प्रान्त में भी राजस्थान का रेगिस्तान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हर जिले में कमोबेश इसी तरह की समस्यायें हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने बहुत मौके से इस योजना को सदन के सामने रक्खा। जहाँ तक इस विधेयक के उद्देश्य का ताल्लुक है, मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक बहुत ही जरूरी है। हमारे लिये ही नहीं, बल्कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी यह एक आवश्यक चीज है कि हम अपने देश की रक्षा करें, उसकी भूमि की रक्षा करें। हमारी आबादी बढ़ रही है, जिसके बारे में श्री राम नारायण जी ने कहा कि उसके लिए मुनासिब कोशिश नहीं की जा रही है कि जिस से आबादी कम हो। मेरा ख्याल है कि इसके लिए उनके पास भी कोई ज्यादा मुनासिब तरीका नहीं होगा कि जिसके द्वारा आबादी को कम किया जा सके। आबादी बढ़ेगी और जितनी हमारी जमीन है, वही रहेगी, उसके ज्यादा बढ़ने की सम्भावना नहीं है, अतः यह कोशिश बहुत ही जरूरी हो जाती है कि उस भूमि की रक्षा हो और हम उस भूमि के उत्पादन को बढ़ा सकें। यह विधेयक इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर रखा गया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यह विधेयक बहुत जरूरी है और इसको जनमत के लिए भेजने की बिलकुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देर होगी। यह प्रवर समिति के सामने तो जायगा ही, फिर इस सदन के सामने भी विचार के लिए आयेगा, तब उस पर गौर किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर स्वदेशी काटन मिल के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला! मुझको सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि कानपुर की काटन मिल की बाबत जो यहां कल गुफ्तगू थी, उसके बारे में मैंने यह अर्ज किया था कि गवर्नमेंट की जानिब से आज उसके मुताल्लिक एक बयान दे दिया

जायगा और यह बयान आज इस हाउस में क्वेश्चन होने के बाद हो सकता था, लेकिन मैंने इस बात का इन्तजार किया कि होम मिनिस्टर साहब खुद आने वाले थे, और मैं समझता था कि वे उस वक्त तक आ जायेंगे इस लिए मैंने वह नहीं दिया। चूंकि वे अभी तक नहीं आये हैं। इसके अलावा अभी ऐडजर्नमेंट मोशन की निस्बत फरमाया गया है कि वह कल होगा तो उसके साथ ही साथ इसके मुताल्लिक भी गवर्नमेंट कुछ कह देगी। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह मामला आज के बजाय कल क्वेश्चन के बाद फौरन ले लिया जाय तो बेहतर होगा, उस वक्त होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद होंगे। उन्हीं के जरिये से सब बातों की बाबत स्टेटमेंट हो जायगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई एतराज न होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें एतराज की बात तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूं कि वह वक्तव्य जो होगा, वह कामरोको प्रस्ताव पर मेरे फैसले के पेश्तर होगा। दूसरी बात यह है कि कामरोको प्रस्ताव के बारे में मैंने इसी लिए अभी फैसला नहीं दिया है कि वक्तव्य हो जाय और उससे एक बात का निश्चय कर सकूं, उसका महत्व तो मैंने मान लिया है। अर्जेंसी भी मान ली है और निश्चितता भी मान ली है लेकिन मैं सरकारी वक्तव्य से यह जानना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी जो की गयी है, वह मामूली इन्तजामी मामलात से ताल्लुक रखती है या गवर्नमेंट की नीति से। अगर मामूली इन्तजाम का मामला है तो ऐसे के लिए कामरोको प्रस्ताव जैसा कि अभी तक इस सदन में निश्चय हुआ है उस रीति के अनुसार कि मामूली इन्तजाम से सम्बन्ध रखने वाली चीजों के लिए कामरोको प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की नीति से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है तो सदन यह अवश्य चाहेगा कि उसके ऊपर कुछ वाद-विवाद हो और ऐसी अवस्था में इजाजत दी जा सकती है कि कामरोको प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया जाय तथा उसके ऊपर वाद-विवाद हो। तो इस विषय पर भी गवर्नमेंट को प्रकाश डालना चाहिए और विरोधी पार्टी को भी यह बतलाना पड़ेगा कि मामूली इन्तजामी मामलात से यह मामला परे है। इस कारण वक्तव्य के बाद ही कामरोको प्रस्ताव पर निश्चय किया जायगा कि यह वैध है या अवैध है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कल जो वक्तव्य होगा उसका इस ऐजर्नमेंट मोशन से क्या कोई सम्बन्ध नहीं होगा? वह तो दूसरे विषय पर ही कामरोको प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--वह दूसरा प्रश्न है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा विरोध यह है कि कल जो वक्तव्य होगा, वह एकांगी होगा। गवर्नमेंट के उस वक्तव्य को मद्देनजर रखते हुए अगर श्रीमान ऐजर्नमेंट मोशन (कार्य-स्थगन प्रस्ताव) पर अपना फैसला देंगे, तब तो कोई ऐजर्नमेंट मोशन कभी आ ही नहीं सकेगा।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि जब कोई बात स्पष्ट नहीं होती, तब वक्तव्य का होना जरूरी होता है और कल जो ऐजर्नमेंट मोशन आया था, उसे मैंने मान लिया था कि यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। श्री राम नारायण त्रिपाठी ने मुझसे मेरे कमरे में भी बातचीत की और उनसे भी मैंने यही कहा कि यह निश्चित नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि हमें भी तो कम से कम कुछ कहने दीजिये। जब गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया जाय, तो हमें भी बोलने का मौका दिया जाय। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मामूली इन्तजाम में गिरफ्तारी हुई है, यही बात अखबारों में पढ़ने को मुझे मिली है और उसी बेसिस पर कल इस प्रश्न के ऊपर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि यह मामला नीति से सम्बन्ध रखता है या मामूली इन्तजामी मामले से सम्बन्ध रखता है। यदि यह मामला मामूली इन्तजाम के परे का है तो कामरोको

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव पेश करने को स्वीकार करना चाहिए। फिर सदन को अधिकार रह जाता है कि सदन इजाजत दे कि इस पर बहस हो या न हो।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

(क्रमागत)

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने यह संशोधन पेश किया है कि यह विधेयक जनमत जानने के लिए तीन मास के वास्ते भेज दिया जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनको जैसा स्वयं स्वीकार है, यह विवादास्पद विषय नहीं है। कन्ट्रोवर्शल भी नहीं है। इसमें प्रायः सभी लोग एकमत हैं। जो विधेयक पब्लिक ओपिनियन के लिए सरकुलेट किये जाते हैं, वे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तीव्र मतभेद हो या तीव्र मतभेद होने की सम्भावना हो। यह ऐसा विषय है जिसमें ऐसी आशंका होने की सम्भावना नहीं है, तो इसलिए मुझे उनके प्रस्ताव के मानने में उलझन हो रही है।

दूसरी बात यह है कि मैं तो कुछ कुछ मानने ही वाला था, लेकिन जितने और भी माननीय सदस्य खड़े हुए उन सबने त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध किया। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मैंने त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार किया तो वह एक तरह से सदन के बहुत से सदस्यों की बात को टालना होगा। मैं अब भी इस बात के लिए तैयार हूं कि सदन जैसा चाहे तय कर दे, चाहे सेलेक्ट कमेटी में भेज दे और चाहे जनमत जानने के लिए भेज दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं है।

उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कन्जरवेशन कमेटी की बात कही कि उसमें पापुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज का असोसियेशन नहीं है। वे लोग इसमें शरीक नहीं किये गये हैं। यह बात ठीक है। इसमें जैसी तजवीज है, उसमें कोई चुने हुए लोग नहीं हैं। लेकिन अगर सेलेक्ट कमेटी ऐसा जरूरी समझे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सकता है कि जिस इलाके में कन्जरवेशन का काम हो, वहाँ के जो विधान सभा के सदस्य हैं वे इसमें ले लिये जायं। उसमें मुझे विशेष आग्रह नहीं है कि इस तरह न हो, उस तरह हो। राम सुन्दर जी पाण्डेय ने यह कहा था कि इसमें गाँव सभा के लोग शरीक नहीं किये गये हैं। तो वे कैसे शरीक किये जायेंगे, मैं उनसे पूछता हूं? एक तहसील में कई सौ गाँव सभायें होंगी, तो उनके कई सौ आदमी कैसे इस कमेटी में शरीक किये जायेंगे? यही नहीं, एक एक तहसील ही नहीं, जैसे ट्रांस-राप्ती एरिया को हम लेते हैं तो गोरखपुर और बस्ती के सारे इलाके को लेना होगा। वह रीजन होगा। कन्जरवेशन की दृष्टि से एक ही रीजन में दो दो तीन तीन जिले पड़ सकते हैं और उनमें सैकड़ों गाँव सभायें हो जायंगी। तो किस तरह से उनको लिया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। फिर यह डिस्ट्रिक्ट स्वायल कन्जरवेशन कमेटी तो एक प्लान बनाने वाली चीज है। टेक्निकल नालेज की उसमें आवश्यकता है, विशेषज्ञों की उसमें आवश्यकता है। हाँ, यह सब ठीक है, लेकिन अमल करने के लिए और उसको समझने के लिए जनता के प्रतिनिधि उसमें आने चाहिए। वह किस प्रकार से उसमें आ सकते हैं, इसकी कोई तरकीब अगर सेलेक्ट कमेटी निकाल सके, तो मुझे उस तरकीब के स्वीकार करने में खुशी होगी।

हेडक्वार्टर के स्वायल कन्जरवेशन बोर्ड में ३ आदमी तो असेम्बली से आयेंगे, २ आदमी कौंसिल से आयेंगे और तीन आदमियों को स्टेट नामिनेट करेगी। इस प्रकार से यह ८ आदमी ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर के न हों। सभी विशेषज्ञ रखे जा सकते हैं। अगर विशेषज्ञ बाहर का मिलता है, तो उनको आप रख सकते हैं। वह लोग असेम्बली के ही हों यह लाजिमी नहीं है। यह तो एक तरह से नान-एक्सपर्ट की कमेटी है। यह जो नान-आफिशियल

प्वाइन्ट आफ व्यू होगा, उसकी नुमाइन्दगी करेंगे, इस वजह से इस बोर्ड में रखे गये हैं। राम सुन्दर पाण्डेय जी ने कहा कि जिस तरह से किसानों का हक दिलाने के लिए लैण्ड रिफार्म सप्लीमेंटरी कानून बनाया गया था और उस से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इससे भी हो जायगा। मुझे यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आजमगढ़ के किसानों का इस से बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या मैं यह समझूं कि वह जो बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि इस ऐक्ट में दरख्वास्त करने के लिए कुछ मियाद बढ़ा दी जाय, तो क्या उससे किसानों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य था? आपकी तो यह कोशिश थी और सत्याग्रह भी इसीलिए किया जा रहा था कि सरकार ने और मियाद नहीं बढ़ायी। दरख्वास्त लेने के लिए मियाद बढ़ाने की बाबत कोशिश थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मियाद बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा, तब यह सत्याग्रह किया गया। तो क्या यह सच है कि म्याद बढ़ाने की दरख्वास्त देने से किसानों का नुक़सान होता? नहीं, मैं जानता हूं कि वे खुद जानते हैं कि किसानों को उससे लाभ हुआ। मगर गवर्नमेंट की ओर से काम अच्छे होते जाते हैं तो और कहा क्या जाय? तब यही कह दिया जाता है कि उसके अमल में नुक़सान हुआ। यह इस सरकार की बदकिस्मती है कि वह सब काम लोगों के लाभ के ही करती है और जब ऐसा है तो उनको एक मौका मिसरिप्रिजेन्ट करने का ही रह जाता है और दूसरा मिसरिप्रिजेन्टेशन इसके बाद देखिये। दफा १६ में लिखा है कि धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिये यह वैध होगा कि वह ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें। वही अंग्रेजी में यह है कि, "It shall be lawful for the District Soil Conservation Officer and his subordinates and workmen authorised by him in this behalf to......

(a) enter upon, survey, and take levels of any land in the area to which the plan applies".

कौन ज़मीन पर क़ब्जा लेने की बात है, किसानों की जमीन छीनने का प्रश्न कहां है? परन्तु यह हिम्मत श्री रामसुन्दर पांडेय की ही है कि वह इतने पढ़े लिखे आदमियों के सामने इसके ऐसे अर्थ कर सकते हैं। यह हिम्मत की बात है कि इस तरह से अर्थ का अनर्थ कोई कर सके। यह तो वही बात है कि रोटी को कह दिया जाय कि यह जहर है तो वह भी जहर हो जाय। इसके अलावा मुझे खुशी है कि इसके विषय में और कोई खास बात नहीं कही गई है और आम तौर पर इसका स्वागत किया गया है और जैसा कि श्री त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया कि इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है और न होना ही चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं और सदन पर छोड़ता हूं कि वह चाहे तो इसे प्रवर समिति में भेजे या अगर चाहे तो पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)——श्रीमान् जी, मंत्री जी ने जो कहा कि आजमगढ़ के किसानों को नुक़सान होने की बात मैंने कही उसके बारे में मुझे कहना है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो यह कहा......

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)——मंत्री जी के भाषण के बाद अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य केवल अपनी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय——तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माल मंत्री जी के सभासचिव का विचार सुनने के बाद मुझे अवसर दिया।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

मैंने यह कहा था कि जिला भूमि संरक्षण समिति जो बनेगी उसमें नौकरशाही की बू है और इस कमेटी में जब तक जन-प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तब तक जनता को नुक़सान होगा। इसी अभिप्राय से मैंने कहा था। गलत इन्द्राज प्रस्तुत करने वाले विधेयक की प्रवर समिति एवं रूल में मैंने जोरदार शब्दों में कहा था कि जन-प्रतिनिधि की राय भी अधिकारी लें। लेकिन माल मंत्री जी ने उसका विरोध किया और पूरा अधिकार जिलाधीशों एवं मजिस्ट्रेटों को दिया जिससे आजमगढ़ में नुक़सान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १६५३ को जनमत के लिये घुमाया जाय जिसकी अन्तिम तिथि १५ मार्च, १६५४ होगी।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १६५३ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और उस प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य हों--

राजस्व मंत्री के साथ

१--श्री जगन प्रसाद रावत
२--श्री जगमोहन सिंह नेगी
३--श्री चतुर्भुज शर्मा
४--श्री रामसनेही भारतीय
५--श्री श्रीपति सहाय
६--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
७--श्री रामेश्वर प्रसाद
८--श्री बाबूनन्दन
९--श्री शिवकुमार शर्मा
१०--श्री सत्यनारायण दत्त
११--श्री जगन्नाथ प्रसाद
१२--श्री निरंजन सिंह
१३--श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१४--श्री रामहेत सिंह
१५--श्री काशी प्रसाद पाण्डेय
१६--श्री रामसहाय
१७--श्री सुल्तान आलम खां
१८--श्री विश्राम राय
१९--श्री लुत्फ अली खां
२०--श्री गेंदा सिंह

श्री चरण सिंह--श्री गेंदा सिंह जी का जो नाम है मैं चाहता हूं कि उसको हटा करके उनकी जगह श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का नाम रख दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि गेंदासिंह जी की भी राय बहुत कीमती होती है। तो अगर किसी एक कांग्रेस पार्टी वाले का नाम कम करके ये दोनों नाम रख लें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। उपयोगिता के लिये यह मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री चरण सिंह--मुझे स्वीकार है। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर इस कोशिश में रहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल की जो बातें हों उन्हें मान लिया जाय, उसी तरह से मैं भी यही कोशिश करूंगा कि उनकी बात मान ली जाय। चौधरी लुत्फ अली खां के बजाय त्रिपाठी जी का नाम रख दिया जाय और गेंदा सिंह जी का नाम रहने दिया जाय क्योंकि जिस इरादे से दाढ़ी रखी गई है वह तो उनका पूरा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--तो श्री लुत्फ़ अली खां के बजाय श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

† खण्ड ६ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर फिर वादविवाद जारी रहेगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, माननीय शिवनारायण जी बोलने के लिए खड़े थे, इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं समझता हूं माननीय शिवनारायण जी को बोलना चाहिये था न कि शिक्षा मंत्री जी को क्योंकि यह बड़ा ही इम्पार्टेंट मसला है और इस पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये।

(तत्पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने श्री शिवनारायण का नाम पुकारा)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---(श्री शिवनारायण के खड़े होने पर), प्वाइंट आफ आर्डर सर, स्पीकर महोदय ने जब शिक्षा मंत्री जी का नाम एनाउंस कर दिया तो शिवनारायण जी का क्वेश्चन राइज नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---बात यह है कि मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि एक माननीय सदस्य खड़े थे, वह बोलना चाहते थे, इस वजह से कोई दूसरे सदस्य खड़े नहीं हुए, इसलिए मैंने यह कर दिया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे खड़े होने की कीमत की। मैं कल से तैयार था इसके ऊपर बोलने के लिए जो कि वाइस-चांसलर के वेतन के ऊपर यह डिस्कशन हो रहा था। हाउस के अन्दर किसी ने कहा कि १५ सौ रख दिया जाय किसी ने कहा कि ७ १/२ सौ रख दिया जाय, लेकिन मैंने हिसाब लगाया है जो इन अर्थशास्त्रियों को बताना चाहता हूं कि आज जो आमदनी की रेट है वह जरा हिसाब सुनें। २०००×३/१६ करने पर ३७५ रु० का औसत आता है। और जो २०० रु० का वेतन हाउस एलाउंस रखा है उसका औसत ३६ रु० है। कुल मिला कर ४११ रु० की औसत इनकम मामूली रेट पर हो रही है जो रेट सन् १९४६ में था। आज इनकी तनख्वाह १ हजार भी कुछ नहीं और न दो हजार। तो हमें डिगनिटी आफ दि वाइस-चांसलर को मद्देनजर रखना है।

आज समाज में अध्यापक समाज के और शिक्षा संस्थाओं के स्तर को सबसे ऊंचा होना चाहिये। संसार-गुरु भारत रहा है और यह जो वाइस चांसलर का दर्जा है यह उन ऋषियों का स्थान है, मामूली आदमियों का नहीं है। हमने गुरु द्रोणाचार्य को उसी स्थान पर बैठाया था। तो मैं सम्मानित सदस्यों से और मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आज जो यह बिल रखा गया है वाइस-चांसलर के वेतन के सिलसिले में तो इसमें उनका वेतन कम नहीं रखा गया है। न कम है, न ज्यादा है; दोनों बात मैं कहता हूं। मार्केट रेट से उसकी कीमत सिर्फ ४११ रुपया है। कल करांची प्रस्ताव का जिक्र किया गया। पूज्य बापू का चित्र हमारे सामने है। करांची प्रस्ताव आज विलीन नहीं किया गया। जब वहां मिनिस्टर की तनख्वाह ५०० रु० रखी गयी थी तो ठीक रखी गयी थी। आज भी हमारे मिनिस्टर उससे कम पा रहे हैं। इसी रेट पर, जैसा कि हमारे लायक दोस्त काटजू साहब ने कहा रुपये की कीमत पहले से ४ आने और ३ आने है। आखिर में जिन्होंने ७५० रुपया रखी थी उनके हिसाब से १४६ रु० सिर्फ वाइस-चांसलर की तनख्वाह होती है। तो मैं इन सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन्होंने २,००० से नीचे भी देखने की कोशिश की है और माननीय त्रिपाठी जी से भी

---

* १४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

† १६ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री शिवनारायण]

जो आज कहते हैं कि समाज का स्तर हम ऊंचा उठाना चाहते हैं आप तो ऊंचे को नीचा लाना चाहते हैं। हम इस विचारधारा को टालरेट नहीं कर सकते। किसी को पामाल कर देना, गरीब कर देना बहुत आसान है लेकिन ऊंचा उठाना मुश्किल है। किसी मकान को गिराने में एक घंटा लगेगा, लेकिन उसको बनाने में बहुत समय लगेगा। आज वाइस-चांसलर की डिगनिटी का क्वेश्चन है, उसकी प्रेस्टीज का क्वेश्चन है जब कि हमारे लेक्चरार्स को १२००, १४०० रुपया तनख्वाह मिलती है तो अगर वाइस-चांसलर को उनसे कम पर रखें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं एक शब्द इस सदन में कहना चाहता हूं जिसके लिए मैं माफ किया जाऊं कि जब हम बाहर जाते हैं जिनकी शिक्षा कम है या जिनकी योग्यता बहुत कम है तो जो दशा हमारी होती है उन बड़े बड़ों के सामने वह कोई छिपी बात नहीं है। (हंसी)। चाहे मदनमोहन जी हों या कोई हों, यह कोई हंसने की बात नहीं है। यह बुरी बात है।

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, यह बतला देना चाहता हूं कि जो सरकार ने रखा है २,००० रु० यह कुछ ज्यादा नहीं है यह जो कि लाल टोपी वाले उस ब्रिटिश रेजीम की दुहाई देना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा हुआ था कि हमने उनसे कम रखा और हम अपनी डिगनिटी का ख्याल रख रहे हैं।

कल कहा गया कि हमारे मिनिस्टर १,२०० पाते हैं। मैं कहता हूं कि वे रुपये पर नहीं आये हैं। वह पब्लिक सर्वेन्ट हैं, पब्लिक की सेवा की गरज से आये हैं। वह १,२०० क्या १२,००० वकालत से कमा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह वाइस-चांसलर मिनिस्टरी की कैटेगरी का आदमी नहीं है, असेम्बली की कैटेगरी का आदमी नहीं है। उसे तो एक संस्था के नौकर की हैसियत से, आगरा यूनिवर्सिटी में एक पेड सर्वेंट की हैसियत से हम रखने जा रहे हैं।

कल यह भी कहा गया कि उनका संरक्षण कौन करे। पब्लिक सर्विस कमीशन से एक मेम्बर रखना चाहिये। हमने तो एग्जिक्युटिव कौंसिल को रखा, उसको पूरी अथारिटी दे दी। सिर्फ गवर्नर उनको रिकमेंड कर देंगे। अगर एग्जिक्युटिव कौंसिल से एक नाम भेजा गया।

एक सदस्य---वह तो कल पास हो गया।

श्री शिवनारायण---सो तो वह हो गया। तो यह जो पे रखी गयी है यह बहुत ठीक रखी गयी है। आज मध्यम वर्ग जो शिक्षा संस्थाओं में खास तौर से काम कर रहे हैं उनको शिकायत है कि उनको वेतन कम मिल रहा है और जितने एजूकेशनिस्ट्स हैं उन सबको शिकायत है और अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो मालूम होगा कि शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की क्या हालत है।

दूसरी बात यह है कि जो वाइस-चांसलर होगा वह किताबें नहीं लिख सकेगा, वह एग्जामिनर नहीं होगा। हमारे प्रोफेसर जो १२ सौ रुपया पाते हैं वे एग्जामिनर होते हैं, किताबें लिखते हैं। लेकिन वाइस-चांसलर के ऊपर यह प्रतिबन्ध रहेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने अमेंडमेंट दिये हैं उनको उन्हें वापस ले लेना चाहिये और जो सरकार का प्रस्ताव है उसको मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और जिन लोगों ने संशोधन दिये हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में जो श्री रामनारायण जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले इस सदन में काफी वादविवाद हो चुका होगा और इसके पूर्व ही जब माननीय मंत्रीगण के वेतन के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा चल रही थी तब भी बहुत सी सैद्धान्तिक बातें कही गयी थीं। आज मुझे अपने मित्र शिवनारायण जी को भी सुनने का जो थोड़े में मौका मिला, उन्होंने भी अपने उद्गार व्यक्त किये। कुछ मानों में तो माननीय शिवनारायण जी ने बहुत ही सही भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है। जहां तक शिवनारायण जी की यह भावना है कि उपकुलपति की डिगनिटी मेन्टेन (मर्यादा सुरक्षित) होनी चाहिये मैं समझता हूं कि शिवनारायण जी की उसी भावना का यह भी अर्थ है कि एक अध्यापक की भी डिगनिटी मेन्टेन होनी चाहिये। शिवनारायण जी जो अपने मधुर स्वर में कुछ कह रहे हैं वह यही कह रहे हैं कि हां, अध्यापकों की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिये।

श्रीमन्, मैं आज माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस सदन के, मैं समझता हूं कि, अधिकांश सम्मानित सदस्य हमारे विचार के साथ होंगे। और मुझे बड़ी खुशी है श्रीमन्, जब कि मैं अपने बगल में कांग्रेस पार्टी के चीफ ह्विप श्री मंगला प्रसाद जी को बैठा हुआ देखता हूं। ये भी शायद हमारे विचार के प्रतीक हों। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा सुन्दर संशोधन है और यह संशोधन उस समय आया है जब कि अपने देश की एक स्टेट में मंत्रियों की तनख्वाह विरोधी दल के एक संशोधन के मुताबिक पांच सौ रुपया रह गयी है। मैं सम्मानित सदस्यों से यह पहले ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे यह न समझें कि केवल विरोध के लिये मैं विरोध कर रहा हूं। पहले मैं अपने उद्गार रखना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि आप अपने देश की गरीबी को देखें। शिवनारायण जी तो चले गये, शायद हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता था कि जब वे यह कहते हैं कि वाइस-चांसलर विद्यादान करने वाले हैं, उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित होना चाहिये और उनकी तुलना पुराने महर्षियों और ऋषियों से करते हैं, तो मैं उनकी सेवा में यह विनम्र निवेदन करूंगा कि वे महर्षि और ऋषि भी क्या कभी इस तरह से धन ले करके विद्यादान करते थे। बराबर हमारे यहां कहा गया है :——

> सरस्वति के भंडार में बड़ी अपूरब बात,
> ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटि जात।

यह विद्यादान एक ऐसा दान है कि जिसके पास यह है उसको स्वतः दान करना चाहिये।

एक और बात माननीय शिवनारायण जी ने कही। श्रीमन्, मैं उसको सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एक वाइस-चांसलर विद्याविद्विशारद होगा, मगर वाइस-चांसलर की डिगनिटी से उस पर किसी पुस्तक के न लिखने देने का बन्धन लगा करके मेन्टेन करना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं तो यह समझूंगा कि अगर किसी वाइस-चांसलर के लिये यह क्लाज होगा तो अपने देश में ऐसे विद्याविद्विशारद हैं जो ऐसी वाइस-चांसलरी को ठोकर मार देंगे। वहां केवल तनख्वाह ले करके बने रहें इसको हर्गिज वे पसन्द नहीं करेंगे जब कि उनको किसी कानून की धारा से बांध दिया जाय कि वे कोई पुस्तक न लिख सकें। मैं ऐसे वाइस-चांसलर और उपकुलपतियों को जानता हूं कि वे श्रीमन्, अपनी लेखनी को कभी रोक नहीं सकते। उस लेखनी से जो जलप्रवाह की सी विचार-धारा निकलती है उसे मैं श्रेयस्कर समझूंगा बजाय १५०० या २००० रुपये तनख्वाह लेकर किसी उपकुलपति के पद पर बने रहने से। इसलिये अगर विधान की किसी लाइन में भी कहीं इस तरह की चर्चा हो तो मैं चाहूंगा कि जरा उस पर भी हमारे मित्र विचार कर लें।

श्री शिवनारायण---श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई वाइस-चांसलर किताबें लिखे या एग्जामिनर बने। यह बिलो डिगनिटी की बात होगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह नहीं समझता कि इसमें क्या बिलो डिगनिटी (मर्यादा को नीचे गिराने) की बात हो जायगी अगर वे एग्जामिनर हो जायं। मैंने इस सम्बन्ध में श्री मंगला प्रसाद जी से भी समझने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी श्री शिवनारायण जी के विचार का दबी जबान से समर्थन किया। मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं तथा इस सदन में जितने सम्मानित सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे सोचें कि स्कूली कोर्स की पुस्तकें लिख करके उससे धन उपार्जन करना, वह एक दूसरी बात है और अन्य पुस्तकों को लिख करके अपने विचार प्रवाहित करना यह एक दूसरी बात है। इसको भी जरा शिवनारायण जी देखें और किसी भी प्राचीन ऋषि महर्षि की चर्चा करें तो मैं उनके सामने नतमस्तक हूंगा और बाहर भी जितने उनके समर्थक हैं उनके सामने भी नतमस्तक होने के लिये तैयार हूं। मैंने जितने भी उदाहरण देखे किसी में मुझे यह नहीं मिला कि तनख्वाह ले करके विद्यादान की गई हो। बुद्ध भगवान की मिसाल हमारे सामने है। क्या हमारे पातंजलि शास्त्री तनख्वाह लेकर के और वेतन ले करके इतने बड़े पंडित हुये। इसलिये जहां तक किसी की डिगनिटी के मेन्टेन होने का सवाल है उसके लिये तो एक ट्रेडिशन (परम्परा) है कि किसी एक व्यक्ति को इतना ऊंचा रख दिया जाय कि समाज के लोग बराबर समझते रहें कि वह बहुत प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हो गया है और दूसरे व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकते। इस मनोवृत्ति को सुरक्षित रखने की बात इस विधेयक के द्वारा यहां की जा रही है। सरकार के लिये आवश्यक है कि अपने देश की आमदनी को देखे और दूसरे देशों की आमदनी को भी देख कर फिर इसे इम्प्लीमेंट (कार्यान्वित) करे। दुनिया के और मुल्कों को सामने रखते हुये, उनकी आमदनी में और अपने मुल्क की आमदनी में सैकड़ों और हजारों गुने का फर्क है इसलिये इस चीज को सामने रखते हुये अगर हम अपने यहां के वाइस चांसलर का दूसरे मुल्कों के वाइस-चांसलरों से मुकाबला करेंगे तो यह अनुचित होगा। इस तरह के आंकड़े इस सदन में कई बार प्रस्तुत किये जा चुके हैं और उनको मद्दे नजर रखते हुये, दृष्टिगत रखते हुये माननीय मंत्री जी विधेयक बनाया करेंगे।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप हजारों गुने का फर्क बतला रहे हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, चूंकि माननीय माल मंत्री जी फिर जानने के लिये लालायित हो गये हैं, इसलिये मुझे उनकी खिदमत में कुछ निवेदन करना ही पड़ेगा। चाहे वे अमरीका को देखें, चाहे वह इंगलैंड को देखें, चाहे वह रूस को देखें, आज हिन्दुस्तान में पर कैपिटा कैपिटल (एक मजदूर पर लगी पूंजी) केवल १५० है जब कि अमरीका में ७,००० है। यह कितना बड़ा फर्क है। अगर मुझे ब्लेक बोर्ड लेकर के समझाना हो तो मैं माननीय माल मंत्री को अच्छी तरह से समझा सकता हूं कि यह फर्क हजारों में ही जाता है। श्रीमान्, माननीय मंत्री जी यह देखें कि इस तरह से इंगलैण्ड का पर कैपिटा कैपिटल ४,००० के करीब हो चुका है। मगर उनकी समझ में यह बात नहीं आती है। आखिर इन आंकड़ों के फर्क से कितना अंतर हो जाता है। एक हजार का फर्क नहीं है बल्कि कई हजारों का फर्क हो जाता है। मगर हमारे माननीय माल मंत्री जी ज्यादा बिजी (कार्यरत) रहते हैं जैसे कि रामनारायण जी ने कहा कि हमारे माननीय मंत्री जी अपने काम की तैयारी में ज्यादातर बिजी रहते हैं। वह दुनिया में क्या हो रहा है इसको समझने की परवाह नहीं करते हैं। वह तो इस बात में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन आदि कैसे हो। जहां तक हो सकता है वह वर्तमान ढांचे में कोशिश करते रहते हैं, सरक पायें या न पायें।

श्रीमन्, आपके जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के सम्बन्ध में काफी प्रगतिशील कदम उठाना चाहिये और वह कहा भी करते हैं वह उठाना चाहते हैं और उन्हीं के जरिये यह विधेयक उपस्थित हुआ है। यहां यह कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील कदम वाइस-चांसलर की तनख्वाह २,००० रुपये माहवार रख कर नहीं उठाया जा सकता है। प्रगतिशील कदम तो उसे ही कहा जायगा जो बराबरी और समानता की तरफ उठाया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इस खाई को पाटने का काम करेंगे तभी हमारा प्रगतिशील कदम कहा जायगा।

वाइस-चांसलर की डिगनिटी के नाम पर गलत स्लोगन (नारा) उठाकर और गलत नारे लेकर यह कह देना कि वाइस-चांसलर की डिगनिटी सुरक्षित नहीं रह सकती अगर उसको २,००० रु० माहवार तनख्वाह न दी जाय, मैं तो इसको अनर्गल और व्यर्थ का प्रलाप समझता हूं। श्रीमन्, यहां के लोग जानते हैं कि आज भी ऐसे वाइस-चांसलर मौजूद हैं, जैसे आचार्य नरेन्द्र देव जी, जिनको तनख्वाह २,००० या २,४०० रुपये मासिक मिलती है लेकिन उन्होंने घोषित कर दिया है कि वह अपने वेतन का एक तिहाई प्रगतिशील विद्यार्थियों के स्कालरशिप के लिये देते रहेंगे। इसके माने यह हैं कि वह यह समझते हैं कि आज वह जितना वेतन ले रहे हैं उससे कम में भी उनका काम चल सकता है और वह विद्यादान दे सकते हैं और डिगनिटी भी मेन्टेन कर सकते हैं।

मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। आँकड़े की ब
क्योंकि हमारे माल मंत्री जी को बड़ी उत्सुकता और कौतूहल
समझा......

श्री चरण सिंह——कौतूहल तो होता ही जब कि आपने ह

श्री राजनारायण——मैं अर्ज करना चाहता हूं कि
खर्च नहीं करना चाहिये बल्कि हम इसके तत्व को ग्रहण करें। माननीय श्री रामनारायण जी ने जो एक हजार रुपये मासिक का संशोधन रखा है वह ठीक है। श्री नवल किशोर और श्री देवकी नन्दन विभव ने, जो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं १२०० और १५०० रुपये रखा है और श्री श्रीचन्द जी ने ७५० रुपये ही रखा है वह भी शायद कांग्रेस पार्टी के ही मेम्बर हैं। कानों में आवाज आ रही है कि इससे तो वही अच्छा है। कभी-कभी अल्ट्रालेपिटिज्म (अतिशय वाग्वादिता) हो जाता है तो वह भी रिएक्शनरी स्टैप (प्रतिगामी कदम) में चला जाता है। कोई अगर इस तरह से कोशिश करेगा तो उसकी भी हम मुखालिफत करेंगे। हम तो ठीक न्याय चाहते हैं। श्रीमान् जी, इसके औचित्य को सामने रखते हुए रामनारायण जी ने एक हजार रुपये का संशोधन रखा है। श्रीमन्, इसको आप स्वयं समझते हैं कि यह इसी समय प्रस्तुत नहीं किया गया है लेकिन पहले भी किया जा चुका है। चीफ मिनिस्टर की भी एक डिगनिटी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी एक डिगनिटी है, वाइस-चांसलर की भी एक डिगनिटी है और इनकी डिगनिटी को भी सामने रखते हुये हमने एक हजार रखा है क्योंकि यह इतना गरीब मुल्क है कि इससे ज्यादा किसी भी पद की डिगनिटी मेंटेन करने के लिये हम नहीं दे सकते। उस डिगनिटी को मेन्टेन करने के लिये कितना सुन्दर और कितना बढ़िया संशोधन हमारे मित्र रामनारायण जी ने प्रस्तुत किया।

मैं इतना कहने के बाद पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अध्यापकों के अन्दर इस सैलरी के सवाल को लेकर आज एक आपसी विद्वेष की भावना बढ़ रही है जो उनके अन्दर छोटे और बड़े का सवाल पैदा कर रही है। वह भी मैं सामने

[श्री राजनारायण]

रखता हूं जो डिसिप्लिन का नाम लेते हैं, अनुशासन का नाम लेते हैं। विद्यार्थियों में, श्रीमन्, अगर आप चाहें कि अनुशासन रहे तो उसके लिये जरूरी है कि अध्यापकों में अनुशासन हो, उनमें भी वह साम्य पैदा हो, उनमें भी परस्पर प्रेम पैदा हो क्योंकि मुझे निजी अनुभव है और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहेंगे तो उनकी ख़िदमत में पेश करूंगा और वह भी जानते होंगे कि बहुत से ऐसे कालेजेज़ हैं जहां अध्यापकों के परस्पर द्वेष के कारण विद्यार्थियों में भी दो दल बन जाया करते हैं। आज माननीय कमलापति जी यहां पर नहीं हैं उन्हें मालूम होगा कि बनारस में सैयद रज़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज वहां के विद्यार्थियों में भी दो दल हो गये हैं। य सब बातें क्यों हो रही हैं? इसकी अगर कोई तह में जाय तो वह केवल यह नहीं कह सकता कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति में, प्रोफेसर्स की नियुक्ति में, अध्यापकों की नियुक्ति में अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो अनुशासन नहीं रहेगा। मैं इस बात को क़तई नहीं मानता और इसकी सख्त मुख़ालिफ़त करता हूं और इतनी दूर तक मुख़ालिफ़त करने के लिये तैयार हूं कि कल श्रीमन्, तीसरे पहर शायद आप ही इस पद पर आसीन रहें जब कि लखनऊ के विद्यार्थियों के बारे में बहस होने वाली है। मेरा अपना पक्का विश्वास है कि अगर तमाम पहलू को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो यह भी हमारे लिये एक संकेत होगा। इसलिये, श्रीमान् मैं इशारे के लिये माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज भी सारे सूबे में शिक्षा के क्षेत्र में जो खराबियां हैं, जो परस्पर विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही है उस सबकी बुनियाद में एक आर्थिक व्यवस्था भी है। इस आर्थिक व्यवस्था को अगर वह मद्देनजर रखें तो वह किसी भी वाइस चांसलर की डिगनिटी मेनटेन करने के लिये दो हज़ार वेतन देने की ओर क़दम नहीं बढ़ायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आज अपने मुल्क की हालत देखते हुये माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को सहर्ष स्वीकार करें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ है इसलिये मैं समझता हूं कि प्रश्न उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसमें चार संशोधन साथ-साथ आये हैं। मैं तो यह समझता था कि यदि माननीय शिक्षा मंत्री सबका समाधान कर दें तो उत्तर देने के लिये चार व्यक्तियों को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहें तो कुछ कहें नहीं तो मैं रामनारायण जी को बोलने के लिये कहूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—— शिक्षा मंत्री जी को बोलने दीजिये। मुमकिन है कि उनके सदुपदेश का हमारे ऊपर कुछ असर पड़े।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)——श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कल ही से इस संशोधन पर इस भवन में वाद विवाद हो रहा है। दोनों ओर से युक्तियां भी दी गईं। मैं अपने को इस माने में असमर्थ पाता हूं कि उसमें से किसी युक्ति का खंडन करूं। निस्संदेह यह तो सत्य है कि देश की आर्थिक दशा ऐसी है जिसमें हम बड़े लम्बे वेतन नहीं दे सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं, ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनको आपको सामने रखना होगा। मैं स्वयं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह नहीं मानते कि किसी पद का मापदंड उसके वेतन से किया जा सकता है। यह बात मैं समझता हूं कि यदि किसी पद को कोई सुशोभित करता है तो उससे पद का मान बढ़ता है न कि व्यक्ति का मान

बढ़ता है। यदि इस धारणा से हम अपने पदों का वेतन रखते हैं तो उसके लिये यह जरूर कहा जायगा कि वह हमारे देश की आर्थिक हालत से मेल नहीं खाता। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भी इस विषय पर बड़ा वादविवाद हुआ था वहां भी लोगों में बहुत मतभेद था लेकिन यदि आप देखें तो जो डिसेंटिंग नोट दिया गया है उसमें इस बात पर कोई मतभेद जाहिर नहीं किया गया है। जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उनके साथी भी वहां थे लेकिन उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट में यह नहीं लिखा कि वाइस-चांसलर की तनख्वाह २ हजार से कम कर दी जाय। अब मैं भवन के सामने वह परिस्थितियां रखना चाहता हूं जिनके कारण २ हजार रुपया रखा गया था। हमारे यहां जितने भी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति हैं उनको २ हजार रुपया ही दिया जाता है। मैं इसको बड़ा भारी त्याग नहीं समझता कि कोई वाइस-चांसलर की तनख्वाह दो हजार रुपया लेकर दान कर दे। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह यह समझता है कि उस पद की तनख्वाह दो हजार रुपया ज्यादा है। अगर वह दो हजार न लेकर ५०० रुपया या एक हजार रुपया लेता तो यह माना जा सकता था। इसलिये इसका हवाला देकर माननीय राजनारायण जी ने जो युक्ति रखी उसमें कोई वजन नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रान्त में जितने विश्वविद्यालय हैं, हमारे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं, उन सब स्थानों से हमने यह जानने की कोशिश की कि वहां के उपकुलपतियों की कितनी तनख्वाह है। जहां तक मुझे मालूम हो सका मुझे मालूम हुआ है कि कहीं भी उनकी तनख्वाह दो हजार रुपया से कम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आगरा यूनीवर्सिटी, जो कि सब विश्वविद्यालयों से बड़ी है, उसके उपकुलपति का वेतन अगर कम रखा जाता है तो जब कभी वह उपकुलपतियों की सभा में जायगा तो अपने मन में वह अभाव अनुभव कर सकता है। यद्यपि मैं इस मापदंड को सही नहीं मानता फिर भी उसके ऊपर यह असर हो सकता है कि मेरी तनख्वाह कम क्यों रखी गयी है। अगर आप सब की तनख्वाह कम कर सकें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन अगर सब जगह दो हजार रुपया है और एक विश्वविद्यालय में कम हो तो वह जरा ठीक चीज नहीं मालूम होती है। उस सिलसिले में मंत्रियों की बातें या और लोगों की बातें ले आना मेरी समझ में कुछ विषयान्तर होगा लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जैसा कि यहां कहा गया है कि अगर हमारे मुख्य मंत्री १,२०० रु० लेते हैं तो हर एक आदमी १,२०० रु० ले सकता है, मैं समझता हूं कि यह युक्ति इसमें नहीं लग सकती है। यह युक्ति तभी लग सकती है जब आप यह समझ लें और यह मान लें कि हमारे मुख्य मंत्री केवल १,२०० रुपये तनख्वाह के लिये ही यहां काम करते हैं। आप अपने मुख्य मंत्री ऐसे या आचार्य नरेन्द्रदेव जी ऐसे आदमियों को इस प्रान्त के अन्दर अंगुलियों के ऊपर गिन लें तो मालूम हो जायगा कि ऐसे आदमी मिलने बहुत मुश्किल हैं। शिक्षा संस्थाओं में या शिक्षा क्षेत्र में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो केवल सेवा भाव से ही काम करना चाहते हैं और वेतन के लिये काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में यह स्थिति होती तो न यह आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट ले आने की आवश्यकता होती, न इस विधेयक का नाम लेकर रोना ही शुरू होता। तो इसीलिये मैं यह समझता हूं कि यदि आप यहां तनख्वाह को कम करते हैं तो आगरा यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को नीचे स्तर का समझते हैं। क्योंकि अपेक्षाकृत और लोगों के सामने गो कि उसका कार्य ज्यादा है वह सबसे कम तनख्वाह पायेगा। जितने विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं उनके पास बड़े बड़े कालेज हैं जैसे इलाहाबाद को ले लें, लखनऊ को ले लें, बनारस को ले लें, वहां के जो उपकुलपति हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़े-बड़े कालेज हैं लेकिन आगरा विश्व-विद्यालय के उपकुलपति के पास ६६ कालेज हैं। इसीलिये यह रखा गया है कि वहां

[श्री हरगोविन्द सिंह]

का उपकुलपति होल टाइम होगा जिसमें वह इसके लिये अपना समय दे सके। हां, वह हंसने की बात तो नहीं थी जो श्री शिवनारायण जी ने कही। एक प्रोफेसर को आप ले लीजिये, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप ले लीजिये जो १,२०० रु० तनख्वाह पाता है, नूथम कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रोफेसर की तनख्वाह बढ़ा कर १,५०० रु० कर देना चाहिये। मान लीजिये कि जो १२०० रु० पाता है वह पेपर सेटर होता है, एग्जामिनर होता है, उसकी किताबें कोर्स में होती हैं लेकिन एक वाइस-चांसलर जो है उसके ओहदे के लिये यह आवश्यक है कि वह एग्जामिनर न हो, वह पेपर सेटर न हो, वह ऐसी किताबें न लिखे जो वहां के कोर्स में प्रेसक्राइब्ड हों। तो इस प्रकार उसकी आमदनी इस दिशा में जरूर बन्द हो जायगी। आज अगर कोई यूनीवर्सिटी का प्रोफेसर है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी चार पांच हजार से कम न हो। इन सब से वाइस-चांसलर वंचित होगा। आप और हम सभी जानते हैं कि अपेक्षाकृत जब आप इलाहाबाद यूनीवर्सिटी का नाम लेते हैं, जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो उसके सामने आगरा यूनीवर्सिटी एक नीचे स्तर की यूनीवर्सिटी समझी जाती है। तो हम यह चाहते हैं कि उसका स्तर ऊंचा हो, वह जरा और बढ़े और बढ़ कर जो हमारी और यूनिवर्सिटीज हैं उनके समान स्तर पर आवे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा कि आप औरों की तनख्वाह तो वही दो हजार रुपये रखें और इनकी तनख्वाह कम करके १,५००, १,२००, १,००० या ७०० रु० रखें। यह युक्ति होते हुये भी कि हम तनख्वाह इतनी नहीं दे सकते हैं लेकिन आगरा यूनीवर्सिटी का उपकुलपति एक होता है जिसकी तनख्वाह आप १,५०० के बजाय १,००० भी कर दें तो आप क्या बचाते हैं। १ साल में केवल १२,००० रुपये का सवाल है। लेकिन जब और यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर्स की तनख्वाह दो हजार रुपये ही रहती है तो यह जरा असंगत सा मालूम होता है कि उसकी तनख्वाह कम की जाय। तो इसमें एक नियम के अनुकूल चीज की जा रही है। यह इस भाव से नहीं किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान के लोगों की आमदनी अब बहुत बढ़ गई है इसलिये उनको दो हजार रुपये दिये जायं। इसलिये यह जो प्रस्ताव लाये जाते हैं वे इन प्रश्नों से कम सम्बन्धित हैं और इन कारणों से जो मैंने दिये हैं मैं समझता हूं कि जो दो हजार की तनख्वाह हमने रखी है वह ठीक है और इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो पूरी आशा थी कि जब विरोधी दल और सरकारी दल दोनों की तरफ के माननीय सदस्य इस पर जोर दे रहे थे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ कारण दिये। वे सदन के सामने पहले भी आ चुके हैं। मैं संक्षेप में तीन चार बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह कहना कि हमारे संशोधन से वाइस-चांसलर की डिगनिटी पर असर पड़ता है ठीक नहीं है। हमारा यह मंशा नहीं है। कल भी मैंने इस संशोधन को पेश करते हुये पहले ही कहा था कि वाइस-चांसलर का इतना बड़ा पद है कि उसकी तनख्वाह के बारे में कोई संशोधन उपस्थित करना एक नाजुक विषय है और यह गलतफहमी हो सकती है कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी वाइस-चांसलर को और अन्य लोगों से नीचे स्तर पर देखा जाता है। लेकिन कल भी मैंने साफ साफ कहा था कि हमारी पार्टी का जो एक हजार का संशोधन है वह हमारी पार्टी की मौलिक नीति पर आधारित है। हमने स्पष्ट कहा है कि अगर कभी हिन्दुस्तान में सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हुई तो हम अपने प्रेसीडेंट का वेतन एक हजार से ज्यादा नहीं रखेंगे। हम वाइस-चांसलर को बाइज्जत अपने यूनियन के प्रेसीडेंट के पद के समान आसीन करते हैं। कतई मंशा नहीं है कि किसी वाइस-चांसलर के पद को खत्म किया जाय।

कल कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने भारतीय परम्परा की बात कही थी। माननीय विरोधी दल के नेता ने भारतीय परम्परा के बारे में निवेदन किया था। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय परम्परा तो विरोधी पक्ष के साथ है सरकारी पक्ष के साथ नहीं है। आमतौर पर समाजवादी लोग पदार्थवादी (मैटीरियलिस्ट) कहे जाते हैं तो पदार्थवादियों की तरफ से तनख्वाह कम करने का प्रस्ताव हो और परमार्थवादियों की तरफ से तनख्वाह ज्यादा करने की मांग पेश की जाय यह समझ में नहीं आता। हमारी यह कतई मंशा नहीं है कि वाइस-चांसलर की जो डिगनिटी है उसको हम नीचे स्तर पर लावें। कल माननीय ब्रजभूषण जी ने दुखी होकर कहा था और मैं उन भावनाओं की कद्र करता हूं कि जब मैंने वेतन के सम्बन्ध में माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी की तारीफ की तो उन्होंने यह समझा कि मैंने आजकल उनके अतिरिक्त जितने वाइस-चांसलर्स और यूनिवर्सिटियों के हैं उनकी निन्दा की। कतई नहीं। मैंने किसी वाइसचांसलर की तुलना नहीं की। लेकिन जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा की जाती है और प्रशंसा मैंने इसीलिये की कि उन्होंने दूसरों के लिये एक आदर्श उपस्थित किया। तो हमारा मतलब यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होंगे वह जानबूझकर यदि १ हजार रुपये पर काम करते हैं तो हमारे मंत्री या जो और बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनपर प्रभाव पड़ेगा। आज आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा जो आइडियोलॉज हैं या माननीय मंत्रियों की तनख्वाहें हैं उनमें कटौती की मांग की गई है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि यह जो लम्बा भेद है कम तनख्वाह पाने वालों का और सब से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों का वह कम किया जाय। तो एक मौका था कि एक नमूना पेश करते जिससे कि देश के लोगों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता। मैं भारतीय परम्परा के बारे में कह रहा था कि हमारे यहां पहले यह व्यवस्था थी कि हमारे यहां वेतन गुरु लोग नहीं लिया करते थे। वह वेतन लेना अपना छोटापन समझते थे। कणाद आदि का नाम इसी कारण से चला आता है कि वह खेतों से कण-कण चुन कर अपना निर्वाह किया करते थे लेकिन किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते थे। इसी वजह से भारत संसार का गुरू बन गया था लेकिन आज कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि जितने ठाट-बाट से रहा जाय, जितनी ज्यादा तनख्वाह ली जाय उतना ही अच्छा है और उतना ही मनुष्य का स्तर ऊंचा उठता है और उसकी महत्ता पर असर पड़ता है। इसी आधार पर विदेशों में जितने हमारे राजदूत भेजे गये हैं उनको तनख्वाह दी गयी है। महात्मा गांधी ने यह बतलाया था कि सादे ढंग से रहना चाहिये और वह स्वयं उसी पोशाक में बादशाह से मिलने गये और कोई परिवर्तन नहीं किया। इस बात को कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने क्या उसूल देश के सामने रखा। लेकिन आज उस सिद्धान्त को भुलाया जा रहा है।

मुदलियर कमेटी रिपोर्ट में यह हो सकता है कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग का ध्यान नहीं किया गया हो तो उस आधार पर कुछ तनख्वाह प्रोफेसर की जरूर बढ़नी चाहिये लेकिन १५०० तनख्वाह कर देना आजकल भारत की दशा को देखते हुये उचित नहीं मालूम होता है। अभी कहा गया है कि वाइस-चांसलर कोर्स की किताब नहीं लिख सकते हैं। वाइस-चान्सलर की योग्यता इतनी होती है कि वह कोई न कोई किताब कोर्स की अवश्य लिख सकते हैं और उससे उनको बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गयी जिससे मैं यह समझूं कि मेरा प्रस्ताव वापस लेना जरूरी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि २,००० रुपया बहुत ज्यादा है और वह फिर इस पर विचार करें। मैं अपने संशोधन को फिर प्रेस करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में संख्या "2,000" के स्थान पर "1,000" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१९

विपक्ष में--१३९)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) की पंक्ति २ में "Rs. 2,000" के स्थान पर "Rs. 750" और पंक्ति ४ में "Rs. 200" के स्थान पर "Rs. 75" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८

विपक्ष में--१३५)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में नयी धारा ९ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ में शब्द "shall" तथा शब्द "be" के बीच में शब्द "ordinarily" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक में यह कहा गया है कि "No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the Office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for re-appointment." यहां पर इस धारा में उपकुलपति को ५ वर्ष का स्थान दिया गया है और उसको फिर पुनर्नियुक्ति के लिये बिल्कुल डिबार कर दिया गया है। जैसा कि मूथम कमेटी में भी यह कहा गया है कि साधारणतया पुनर्नियुक्ति होना स्वाभाविक नहीं है लेकिन उस कमेटी में भी यह एक्सेप्शन दिया गया है कि कहीं कहीं किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दूसरे वक्त का मौका मिलना भी आवश्यक हो जाता है। यहां पर सिर्फ यह शब्द "आर्डिनरिली" जोड़ने से, इस धारा में जो कि एक मैंडेटरी प्राविजन बन गया है, उसमें इस छोटे से शब्द के जोड़ने से एक किस्म का बहुत सुन्दर सा रूप आ जायगा। आर्डिनरिली शब्द के जोड़ने से जो इसका मैंडेटरी प्राविज़न है कि उस व्यक्ति को फिर दूसरी बार वाइस-चांसलर होने का मौका नहीं दिया जायगा, उसे कम से कम ऐसी परिस्थितियों में जब कि विशेष परिस्थितियां आ खड़ी होंगी, फिर से रखे जाने का अवसर रहेगा। स्वभावतः आज हम देखते हैं कि इस राज्य में किसी व्यक्ति को भी एक्सटेंशन चाहे वह योग्य हो या न हो अगर गवर्नमेंट के यहां तक उसकी पहुंच होती है तो उसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर हम इस आर्डिनरिली शब्द के जोड़ने से यह अर्थ लाना चाहते हैं जिसको कि मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय स्वीकृत करेंगे और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मूथम कमेटी में भी यह प्राविजन दिया गया है। एक स्थान पर यह कहा गया है कि पुनर्नियुक्ति के लिये विशेष परिस्थितियों में मौका दिया जाना चाहिये यहां पर हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक मंत्री ५ वर्ष के लिये रहे लेकिन जब कानून इतना सख्त बना दिया जाता है तो वह दोबारा नहीं आ सकता। वाइस-चांसलर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर किसी विश्वविद्यालय का पूर्ण उत्तरदायित्व है और साधारणतया वह ५ वर्ष के लिये चुना जायगा। कभी कभी विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति आती है जहां

पर उसके विकास के लिये किसी वाइस-चांसलर को एक टर्न और दो टर्न भी दिये जाने का मौका दिया जा सकता है। हमने पहले भी देखा है कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डाक्टर गंगानाथ झा रहे हैं। वह तीन बार वाइस-चांसलर नियुक्त हुये और उन्हीं के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कायम हुआ। इसी तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्दर भी सर आशुतोष मुकरजी दो तीन बार मुकर्रर हुये और उनके प्रयत्न से कलकत्ता विश्वविद्यालय ने देश में ही नहीं बल्कि कुछ परिस्थिति में बाहर के देशों में भी एक ख्याति प्राप्त की है। इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी यू० पी० में अपना रेपुटेशन कायम रखा है और ब्रिटिश रेजीम में भी वहां के लड़के प्रत्येक कम्पटीशन में अच्छी परिस्थिति में निकलते थे। उसी प्रकार से आज यह सबको मालूम है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी जिस किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं वहां की परिस्थिति सुधर जाती है और जहां बिगड़ी हुई परिस्थिति होती है वह उनकी वजह से एक नया रूप धारण कर लेती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा समय आ जायगा जब यह महसूस होगा कि वाइस-चांसलर को ५ वर्ष से भी अधिक समय दिया जाय। लेकिन जब हम उसका मैंडेटरी प्राविजन बना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति ५ वर्ष के बाद एलेक्शन सीक नहीं कर सकता है तो हम उस कानून को बदल नहीं सकेंगे। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में भी कोई आदमी होता है और उसकी उम्र पूरी हो जाती है, सरविस पूरी हो जाती है तो साधारणतया उसको भी मौका नहीं मिलना चाहिये लेकिन जिस प्रकार गवर्नमेंट यह समझती है उसके द्वारा उनको काम आगे बढ़ाना है तो कानूनी प्रतिबन्ध न होने के कारण उनको भी मौका दिया जा सकता है। उसी प्रकार से यहां भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। हम जो संशोधन दे रहे हैं उससे गवर्नमेंट के हाथ ही मजबूत होंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो अगर वह समझ लेगी कि किसी व्यक्ति का रहना विशेष उपयोगी है। विश्वविद्यालयों में नयी नयी योजनायें प्रारम्भ कर दी जाती हैं और अगर किसी वाइस-चांसलर का एक वर्ष रह गया है और नयी योजना प्रारम्भ कर दी गयी है और गवर्नमेंट चाहती है कि उस योजना को सफल बनाने के लिये उसी वाइस-चांसलर का रहना आवश्यक है तो उस समय यह शब्द "आर्डिनरिली" उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इसलिये यह शब्द रहना बहुत आवश्यक है।

श्री हरगोविन्द सिंह—पांच दफा वही बात दोहरा कर कही जाती है यह मेरी समझ में में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य एक बात को बार बार न कहें।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार तो नहीं कह रहा हूं केवल इसलिये कह रहा हूं कि प्रायः जितने संशोधन रखे गये हैं वे इसलिये नहीं स्वीकृत होते हैं कि दूसरी पार्टी की ओर से रखे गये हैं। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है, इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का जो कि अभी सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है विरोध करता हूं। यह जो शब्द 'आर्डिनरिली' रखा गया है यह जजेज को बड़ी परेशानी में डालता है। शब्द ऐसा होना चाहिये जिसका अर्थ अच्छी तरह से निकाला जा सके। 'आर्डिनरी' शब्द सीधा परन्तु बड़ा खतरनाक है। अगर इस को मान लिया जाय तो जिस सब-सेक्शन को यह संशोधित करता है वह खत्म हो जाता है। अमेंडमेंट जो हो वह सेक्शन के अन्तर्गत होना चाहिये। सब-सेक्शन में यह दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वाइस-चांसलर के पद पर अप्वाइन्ट नहीं किया जायगा जो किसी सब्सटेंटिव पोस्ट पर रह चुका हो। 'आर्डिनरिली' शब्द के माने यह होते हैं कि वह हो भी सकता है। सब-सेक्शन यह कहता है कि एप्वाइन्ट न करो और इधर आप यह डिस्क्रेशन दे रहे हैं कि तबियत हो तो एप्वाइन्ट करो और तबियत न हो तो न करो। सब-सेक्शन में डिस्क्रेशन नहीं दिया गया है और आप डिस्क्रेशन देना चाहते हैं। इसलिये आप सब-सेक्शन को ही खत्म कर रहे हैं।

[श्री नौरंग लाल]
ऐसी दशा में जो सब-सेक्शन है उसके विरोध में आपका संशोधन जाता है और इसलिये वह असंगत है ।

दूसरी बात यह है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि एक ही काबिल आदमी इस प्रदेश में निकलेगा जो वाइस-चांसलर हो सकेगा । मैं तो यह सोचता हूं कि जिस देश के अन्दर एक काम के लिये एक ही आदमी उपयुक्त हो, वह देश बेकार है । आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भविष्य में इस काम के लिये एक आदमी इस काबिल निकलेगा जो आगरा युनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर हो सकेगा । हम तो यह कहते हैं कि एक दफा एक आदमी हो, दूसरी दफा दूसरा हो और तीसरी दफा तीसरा हो । यह छोटी सी भावना आप दिल में ले करके क्यों यह सोचते हैं कि एक ही आदमी मिलेगा । जो सब-सेक्शन रखा गया है वह ठीक रखा गया है और इस विचार से रखा गया है कि ऐसा न हो कि कोई वाइसचांसलर फिर अपनी पार्टी जमा ले। इन सब बातों को सोच करके यह सब-सेक्शन रखा गया है और आवश्यकता होने पर यह तब्दील भी किया जा सकता है । लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यही जरूरी है कि इस सब-सेक्शन को कायम रखा जाय कोई डिस्क्रीशनरी पावर न दी जाय । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी—गढ़वाल)——उपाध्यक्ष महोदय, कल आपकी कृपा दृष्टि से मुझे इस सदन में अपना शोक प्रकट करने का अवसर मिला था । आज फिर आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, किन्तु आज शोक के स्थान में मुझे हार्दिक हर्ष प्रकट करना है । मुझे खुशी हुई जब मने माननीय शिक्षा मंत्री को गुलूबन्द लपेटे हुये यहां बैठे देखा। इससे मैं यह समझा कि कल का व्यर्थ क्रोध उन्होंने आज त्याग दिया है ।

मैं यह नहीं समझ पाया कि यह उपधारा किस सिद्धांत के अनुसार इस विधेयक में रखी गयी है । पहले ऐक्ट में वाइसचांसलर की अवधि तीन साल की थी । इस विधेयक में उसको तीन साल से बढ़ा कर पांच साल तक कर दिया गया है, यानी हमारी वर्तमान सरकार यह समझती है कि तीन साल का समय काफी नहीं है और एक नये वाइसचांसलर को कम से कम पांच साल का अवसर देना आवश्यक है जिससे वह अपना असर उस यूनिर्वासिटी के ऊपर डाल सके और अपनी काबलियत का कोई नमूना पेश कर सके । यह जो दो साल सरकार ने बढाया है यह बहुत उचित किया, किन्तु अभी उसका प्रश्न विशेषकर सामने नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति की अवधि पांच साल से अधिक नहीं हो सकती ? जो उपधारा इस समय हमारे सामने है उसका तात्पर्य यही निकलता है कि एक व्यक्ति वाइसचांसलर के पद को केवल पांच साल के लिये ही ग्रहण कर सकता है । यह किस सिद्धांत के अनुसार है या किस विचारधारा के अनुसार है जिससे कि सरकार इस निश्चय पर आई है कि पांच साल से अधिक किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना ही काबिल साबित क्यों न हुआ हो, चाहे उसने उस यूनिवर्सिटी में कितनी ही तरक्की क्यों न की हो, मौका नहीं मिलेगा और उसके ऊपर कलंक लगाकर उसे यूनिर्वासिटी का वाइस-चांसलर होना मना कर दिया जायगा । मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति बहुत हों और वह दिन बुरा होगा जैसा कि नौरंग लाल जी ने कहा, जबकि सरकार या देश के सामने आगरा युनिवर्सिटी की वाइसचांसलरशिप के लिये एक ही व्यक्ति हो । यह हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हमारे देश में एक से एक बड़े व्यक्ति ऐसे पदों को ग्रहण करने के लिये आते रहें । परन्तु यह उस प्रश्न का उत्तर नहीं कि एक समय एक व्यक्ति को तलाश करने के पश्चात्, उसे पांच साल का अवसर देने के पश्चात् और जबकि वह उस पांच साल के अवसर में अपनी काबलियत दिखाता है, जब कि वह व्यक्ति स्वस्थ है और काम करने के काबिल है और काम करने की इच्छा रखता है, उसके ऊपर सरकार किसी किस्म का प्रतिबन्ध उसको दोबारा नियुक्त होने में लगाये । अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा विचार है एक वाइस-चांसलर का प्रभाव उस युनिर्वासिटी में केवल ५ साल ही तक नहीं केवल १० साल तक ही नहीं बल्कि उसका प्रभाव युनिर्वासिटी में उसके देहान्त के पश्चात् भी रहता है । यह बात हमारे

माननीय मंत्री महोदय भी मानेंगे कि आज यदि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को हम मदनमोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारें तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। पूजनीय मालवीय जी का प्रभाव आज भी उस यूनिवर्सिटी में उतना ही है जितना कि उनके जीवन में था। इस उदाहरण से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कहना कि एक व्यक्ति को एक यूनिवर्सिटी का वाइसचांसलर केवल पांच साल तक ही रहना चाहिये और उसके पश्चात् किसी और को वहां वाइसचांसलर होने का मौका दिया जाय, यह कोई बहस नहीं है। साथ ही साथ यहां जब हम देखते हैं कि इस विधेयक द्वारा वाइसचांसलर की नियुक्ति के संबंध में काफी परिवर्तन कर दिया गया है और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर बहुत प्रतिबन्ध डाला गया है और एक्जीक्यूटिव के पर्सनल में भी बहुत अदल बदल किया गया है, तो मैं नहीं समझ पाता कि किस तरह कोई वाइसचांसलर एग्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा नियुक्त हो जायगा और यदि यह संभव हो तो उसके पांच साल पद ग्रहण करने के पश्चात् उसके दोबारा नियुक्त होने के रास्ते में सरकार क्यों बाधा डाल रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सबको मालूम है और श्री नौरंगलाल जी की बहुत सबको खटकती है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक मौका देना उचित नहीं है। हम जानते हैं, जैसाकि मैंने शुरू में कहा कि बहुत से महामान्य व्यक्ति भारतवर्ष में पाये जा सकते हैं किन्तु यह मानना पड़ेगा कि हमारे वर्तमान वाइस प्रेसीडेंट साहब सरीखे, या डाक्टर अमरनाथ झा सरीखे या श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी सरीखे जहां भी जायेंगे वहां के लोग हमेशा यह चाहेंगे कि वे हमेशा यथाशक्ति वाइस चांसलर बने रहें। हालांकि मैं नौरंगलाल जी से इस बात में सहमत हूं कि जो इस संबंध में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया है उसके शब्द बहुत स्पष्ट नहीं हैं। मेरी इच्छा शुरू में श्री बासुदेव प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करने की थी लेकिन पार्टी पोलीटिक्स की वजह से वह पेश नहीं हो सका। इसलिये मैं श्री गंगाधर मैठाणी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में और अधिक कहना अनावश्यक है। मैं इस संबंध में केवल यह कह देना चाहता हूं कि जिस समय सिलेक्ट कमेटी में यह चर्चा हो रही थी मैं वहां उपस्थित था और मैंने इस प्रश्न को उठाया भी था और इस पर काफी चर्चा हुई थी। इतना मैं और कह देना चाहता हूं जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के सामने कहा है कि फलां चीज का जिक्र नोट आफ डिसेंट में नहीं है इसलिये यह समझा जाना चाहिये कि इसको कमेटी ने यूनानिमस पास किया है। जैसा कि हमारा अनुभव है और शिक्षा मंत्री जी का भी अनुभव है कि नोट आफ डिसेंट न देने के माने यह नहीं हैं कि उससे सब लोग सहमत हैं। बहुत से लोग लिहाज की वजह से चुप हो जाते हैं।

अन्त में प्रार्थना करूंगा कि यह प्रतिबन्ध अनावश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ५ वर्ष से ज्यादा समय देना ठीक नहीं है तो हमारी नई एक्जीक्यूटिव कौंसिल इस व्यक्ति का नाम ही नहीं भेजेगी। जब आपने एक तरफ यह चीज बना दी है तो फिर यह रिडेंडेंट सा क्लाज बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको डिलीट करने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और श्री बालेन्दुशाह जी के भाषण को आज सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कल जो वाइसचांसलर के निर्वाचन की विधि इस विधेयक में दी हुई है उस पर उनको बड़ी आपत्ति थी कि सरकार अपना आदमी रखना चाहती है इसलिये यह निर्वाचन की विधि रखी गई है। कल उन्होंने मेरे भाषण के बाद हमारे पक्ष में वोट दिया होता तब तो मैं समझता कि मेरे कहने के बाद कि सरकार की कोई इसमें छिपी नीति नहीं है, ऐसी बात यदि होती तो मुझे ताज्जुब न होता। लेकिन आपने वोट भी वैसे ही दिया जिसमें आपको सरकार की छिपी नीति दिख रही थी कि वह अपनी मर्जी का वाइस-चांसलर चाहती है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में मंत्री जी कुछ कह रहे हैं इसलिये मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कल मैंने जो कहा था उसका आज उल्टा मतलब लगाया जा रहा है । कल जो मैंने निर्वाचन के संबंध में निवेदन किया था उसका स्पष्टीकरण यह है कि............

श्री रामनारायण त्रिपाठी---प्वाइन्ट आफ़ आर्डर। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, दो सदस्य एक साथ नहीं खड़े रह सकते।

श्री हरगोविन्द सिंह---किसने उनको बोलने का मौका दिया? मैं तो वैठा नहीं और उपाध्यक्ष जी ने भी आज्ञा नहीं दी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं स्पष्टीकरण के लिये मौका चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---क्या स्पष्टीकरण आवश्यक है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---तो कहिये।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जिक्र किया कि कल जब वाइसचांसलर की नियुक्ति का जिक्र यहां चल रहा था तो मैंने सरकार के संशोधन का विरोध किया था। यह बात सही है, किन्तु अंतिम नतीजा यही हुआ कि सरकार ने जो पेश किया था वही पास हुआ। तो आज मुझे उसी के मुताबिक अपना भाषण देना है। यह नहीं कि मैं लकीर का फ़कीर बना रहूं और अपने विचारों का गुलाम बना रहूं।

श्री हरगोविन्द सिंह---बात यह है कि बिगड़ी हुई बात किसी तरह से बनती नहीं। आपने एक्सप्लेनेशन अपना यह दिया कि वह पास हो गया। तो आपका तो यह आक्षेप था कि जो विधेयक में विधि रखी गयी है उसमें सरकार का एक छिपा हुआ हाथ है। अपने आदमी को यहां रखने के लिये सरकार ने ऐसा रखा, यह आपका आक्षेप था। तो इसलिये अगर सरकार अपना ही आदमी रखना चाहती है तब तो आपको इसका विरोध करना चाहिये था। उसमें "आर्डिनरीली" न रखते वर्ना सरकार एक दफा निर्णय करेगी और फिर दूसरी दफा उसको बना देगी। तो मुझे ताज्जुब यही हुआ कि जब बालेंदुशाह जी ने कहा कि जो संशोधन आया वह उसका विरोध करेंगे। लेकिन वह आज यह कहने लगे कि कानून में इसकी गुंजाइश होनी चाहिये कि अगर वह चाहें तो पांच वर्ष के बाद भी शासनारूढ़ कर दें। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं कहा कि तीन वर्ष के बजाय पांच वर्ष कर दिया गया। दूसरे मैंने स्वयं कल कहा था कि अभी तक जिस दिन वाइस-चांसलर चुन लिया जाता है उसी रोज से दूसरे वाइसचांसलर के चुनाव की तैयारी होने लगती है ताकि वह वाइसचांसलर जान जाय कि उसे पांच वर्ष ही रहना है और फिर नहीं होना है इसलिये उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट न रहे और पार्टीबन्दी न करे कि जिसमें फिर वह पांच वर्ष के बाद चुना जा सके इसको ऐसा नहीं रखा गया और बहुत सी कमेटियों ने भी यही रिपोर्ट दी कि एक दफा वाइस-चांसलर चुन लिया जाने के बाद राधाकृष्णन कमीशन ने भी यही रेकमेंड किया है उसको दूसरी दफा नियुक्ति का अवसर नहीं होना चाहिये। इसीलिये उसमें यह रखा गया है। यह भी इस बात का बड़ा भारी सबूत है और अगर बालेंदुशाह जी इससे संतुष्ट न हुये हों तो वह देख लें कि यह भी इस बात का सबूत है कि सरकार अपना कोई आदमी वहां थोपना नहीं चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नौरंग लाल जी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है। वे काबिल वकील हैं अगर वे इस भाषा को ठीक ढंग से पढ़ते कि "नो परसन" के बाद "शैल आर्डिनरीली बी एलिजिबिल" है तो इसका साफ अर्थ समझते। इस क्लाज का जब इंटर-

प्रिटेशन करें तो उसका साफ अर्थ है कि 'इन वेरी एक्सट्रा आर्डिनरी सरकमस्टैंसेज'। वैसे तो इस सिद्धांत को मानता हूं कि कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायगा लेकिन मेरे बार-बार कहने का मतलब यही है कि 'इन वेरी एक्सट्रा आर्डिनरी सरकमस्टैंसेज'। अगर वहां पर यह जोड़ दिया जायगा तो कानून का एक अच्छा रूप हो जायगा और इसे रखने में भी कौन सी आपत्ति है क्योंकि जैसा अभी विधेयक में रखा गया है उसकी नियुक्ति के लिये एक ऐसी तिकड़मबाजी का रूप दिया गया है कि एक सेलेक्शन कमेटी होगी और वह नाम चांसलर के पास जायेंगे। तो वहां तो काफी मौका रहेगा इस बात को देखने का कि आया इस व्यक्ति की नियुक्ति युनिवर्सिटी के हित में है या अहित में है या वहां की पार्टीबाजी बढती है या घटती है इस बात का काफी अवसर मिलेगा। तो ऐसा रखने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये और अगर यह कहा जाय कि किसी ऐसे पद पर ५ वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिये तो ऐसे पदों पर तो मिनिस्टर लोग भी हैं, उनके लिये भी ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इस बात को आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वे भी बदल दिये जायं तो काम अच्छा चलेगा। इसलिये मेरे ख्याल में अगर ऐसा प्रावीजन कर दिया जाय और इस क्लाज को मेंडेटरी न बनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा लूपहोल होगा तो किसी की नियुक्ति फिर हो तो सकेगी। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में नयी धारा ९ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ में शब्द 'shall' तथा शब्द 'be' के बीच में शब्द 'ordinarily' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(श्री गेंदा सिंह का संशोधन उपस्थित करने के लिये श्री गंगाधर मैठाणी के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—मेरे ख्याल से आपको कोई लिखित अधिकार तो नहीं दिया गया है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, यहां की परम्परा ऐसी ही है कि यह मान लिया जाता है कि उनको लिखित आज्ञा दे दी गयी है। इसके बारे में आपकी ही व्यवस्था मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास उसकी सूचना भेज दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां, ऐसा कर दिया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में धारा ९ की उपधारा (९) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'Current' के स्थान पर शब्द 'Routine' रख दिया जाय तथा उक्त उपधारा के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—

"but he shall not preside at the meetings of the University authorities."

उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम में भी यह था—

"Until such arrangements have been made, the Registrar shall carry on the current duties of the Vice Chancellor....."

जहां तक यूनिवर्सिटीज का संबंध है रजिस्ट्रार और वाइस-चांसलर का काम बिलकुल अलग-अलग है लेकिन दोनों के काम महत्वपूर्ण अवश्य हैं लेकिन जहां कुछ आवश्यक परिस्थितियां हो जायं वहां पर रजिस्ट्रार को वाइस-चांसलर के पूरे अधिकार दिये जाना स्वाभाविक नहीं है। इसलिये जो शब्द नीचे दिये गये हैं उनको जोड़ देना बहुत आवश्यक है। आगरा विश्वविद्यालय का पुराना जो ऐक्ट है उसमें भी यह शब्द रखे हुये थे—

[श्री गंगाधर मैठाणी]

तथ्य यह है कि रजिस्ट्रार कागजात को रखता है, यूनिवर्सिटी के रिकार्ड को रखता है, ऐसी स्थिति में वह प्रीसाइड करे यह सुन्दर न होगा और न उसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेंसी ही रहेगी। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी का काम बन्द न हो इसलिये रजिस्ट्रार को रोटीन वर्क के चालू रखने के अधिकार दे दिये जायं लेकिन अगर किसी की नियुक्ति का सवाल हो या कोई की मीटिंग आदि हो और उसमें प्रेसाइड करने का सवाल हो, तो उसको ऐसे अधिकार नहीं मिलने चाहिये। जो शब्द बाद को जोड़े जा रहे हैं वे पहले कानून में भी थे, उनको अगर फिर जोड़ दिया जायगा तो बहुत सुन्दर होगा। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है उससे रोज के काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी और काम बराबर चलता रहेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के दो अंश हैं। एक तो यह है कि "current" के स्थान पर "routine" कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा। यह तो ठीक है कि रजिस्ट्रार वाइसचांसलर के अबसेंस में सब रोटीन ड्यूटी कर लेगा और वह ऐसा करता ही है। तो इस वजह से इसका तो मुझे विरोध है। दूसरी बात जो है अगर वे चाहते हैं तो हम इसको मान भी सकते हैं कि रजिस्ट्रार, वाइस-चांसलर की नियुक्ति जब तक न हो जाय तब तक, यूनिवर्सिटी की किसी मीटिंग में प्रेसाइड न करे, आर्डिनरिली वह करता भी नहीं है क्योंकि एक तो इस तरह की कोई मीटिंग एक्जीक्यूटिव की या सिनेट की होती भी नहीं है और अगर होती भी है तो उसमें के सब लोग मिलकर उसी में से अपना चेयरमैन चुन लेते हैं। अगर वे चाहते हैं तो पहले पार्ट को विदड्रा कर लें, मैं दूसरे पार्ट को मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को पहला हिस्सा स्वीकार है?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, दूसरा हिस्सा स्वीकार है।

श्री गंगाधर मैठाणी---तो मैं अपने संशोधन का पहला हिस्सा वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का पहला हिस्सा वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में धारा ९ की उपधारा (९) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय--

"but he Shall not preside at the meetings of the University authorities."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७, ८, ९ और १०

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १० का संशोधन।

७---मूल अधिनियम की धारा १० में---

(१) उपधारा (२) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (५) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

(३) उपधारा (६) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ११ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में शब्द "fixed by the Executive Council" के स्थान पर शब्द "prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "menial" के स्थान पर शब्द "inferior" रख दिया जाय और शब्द "Regulations" के पहिले शब्द "the Ordinances" जोड़ दिये जायं।

(३) उपधारा (४) में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १२ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १३ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के मद (iv) में शब्द "the Board of Inspection" के स्थान पर शब्द "the Finance Committee" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—खंड ७, ८, ९ और १० में कोई भी संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड ७, ८, ९ और १० इस विधेयक के अंश माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १४ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"*The Senate*:—

14. (1) Subject to the provisions of the Statutes, the Senate shall consist of the following members so, however, that—

(*a*) the total number of members excluding the ex-officio and life members shall not exceed 125 ; and

(*b*) the number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of other members ;

Class I. *Life Members*—

(i) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the University or to the cause of learning ;

Provided that their number in the Senate shall not at any time be more than four.

(ii) Persons who have made donations of Rs.20,000 or more to and the purposes of the University.

(iii) All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term.

Class II. *Ex-officio Members*—

(i) the Chancellor ;

(ii) the Minister of Education in the Government of Uttar Pradesh ;

(iii) the Vice-Chancellor ;

(iv) the Director of Education, the Director of Industries, the Director of Agriculture, and the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh ;

(v) the Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh ;

(vi) the members of the Executive Council of the University.

Class III.

Representatives not exceeding ten, as may be determined in accordance with the Statutes, of persons who have made donations of sums of Rs.2,500 or more but less than Rs.20,000.

Class IV.

Representatives, not exceeding five, of industries, commerce, agriculture, learned bodies and the professions.

Class V.

Seven persons who are members of the Uttar Pradesh Legislature, out of whom five shall be membes of the Legislative Assembly and two shall be members of the Legislative Council.

Class VI.

Twenty representatives of the Registered Graduates to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University or an affiliated college and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years.

Provided that no Registered Graduate shall be entitled to vote at an election unless his name has been on the Register for at least one year prior to the date appointed for the return of voting papers.

Class VII.

Such number, as may be prescribed by the Statutes, of representatives of the Academic Staff and of the Managements of the affiliated colleges consisting of the following categories :—

(i) Teachers of the University ;

(ii) Principals of affiliated colleges of class A ;

(iii) Principals of affiliated colleges of class B ;

(iv) Teachers of affiliated colleges of class A ;

(v) Teachers of affiliated colleges of Caiss B ;

(vi) Representatives, not exceeding ten, of the Managements of affiliated colleges, other than those maintained exclusively by Government, of whom not less than one-half shall be representatives of colleges of class A.

For the purpose of this clause affiliated colleges shall be classified by the Statutes as Colleges of class A or class B according to the amount of advanced instruction imparted in them.

Class VIII.—Nominees of the Chancellor not exceeding ten.

(2) Subject to the provisions of Section 36 the term of members other than members belonging to classes I and II shall be five years.

(3) The manner of selection of members of classes III, IV, VI, and VII shall be determined by the Statutes.

(4) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an *ex-offcio* or life member who has absented himself from three consecutive annual meetings of the Senate without sufficient cause."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (b) की दूसरी पंक्ति के शब्द "exceed" के स्थान पर "be less than one half" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उपधारा का जिक्र है वह इस प्रकार है—

"The number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of the other members."

यह तो उपस्थित विधेयक की धारा (b) है।

मेरे संशोधन के बाद उसका यह रूप होगा—

"(*b*) the number of members who may be in the service of the University or and affiliated college shall at no time be less than one-half........."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि इस १२५ में से जो ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज की सर्विस में है या अफीलियेटेड कालेजेज की सर्विस में हैं उनकी संख्या आधे से कम न हो। उसके माने यह हैं कि १२५ के आधे ६२ होते हैं यानी ६३ से कम कभी न हों जो धारा में है उससे यह भी हो सकता है कि निश्चित संख्या न होने पर या और कोई प्रतिबन्ध न होने पर वह बहुत कम भी हो सकते हैं। खास तौर पर जब अभी यह पता नहीं है कि सिनेट का कांस्टीट्यूशन किस तरह का हो। तो ऐसी दशा में इस विधेयक में इस धारा का अनिश्चित सा छोड़ देना मुनासिब नहीं मालूम होता और इसी सिद्धांत के मातहत मेरा यह संशोधन है। इसके साथ ही उनका रिप्रेजेंटेशन होने के माने यह है कि वे अपनी यूनिवर्सिटी का प्रबन्ध खुद ज्यादा करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल नामुनासिब बात है कि यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग वहां के लोगों से ज्यादा हों। अपने घर में प्रधानता दूसरों की दूसरे शब्दों में यह चीज हो जाती है। मैं इसलिये भी यह मुनासिब नहीं समझता हूं कि अपने आप प्रबन्ध करना अटानामी का प्रथम उसूल है। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी यह कहें कि इसमें पार्टीबाजी हो जाने की संभावना है और बाहर के लोग जो वाइस-चांसलर की तरफ से चुने चुनाये हैं उनकी वोटिंग में अगर जरूरत हो तो हार जायं। तो उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब इस किस्म का मौका आया है और जब-जब डिसेण्ट्रलाइजेशन के संबंध में हमारी तरफ से कोई संशोधन उपस्थित हुआ है तो हमने सदैव यह कहा है कि अपना प्रबन्ध खुद करना चाहिये। इसी मूलभूत सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं और यह दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस ने ६० साल तक लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन आज हमारे यहाँ अपना राज्य है हम अपनी यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों को रखें यह नामुनासिब बात है। हो सकता है कि वहां के लोगों को रखने में कुछ गड़बड़ियां

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हों लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं या गलती करते हैं तो भी उनको गलती करने का अधिकार है। गलतियां हर तरफ होती हैं। आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल है। उसका इस बात का दावा है कि वह जनता की चुनी हुई है अगरचे हम कभी इस दावे को नहीं मानते और इसलिये नहीं मानते कि वोटों की संख्या उस दावे के विपरीत पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कांग्रेस मिनिस्ट्री को उसके फुल टर्म काम करने की पूरी सुविधा देना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। प्रजातंत्र में जब एक मरतबा एक बाडी कांस्टीट्यूट हो गई तो उसको पूरा मौका अच्छा काम करने या गलत काम करने का दिया जाना चाहिये। यह फूलप्रूफ कभी नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इंग्लैण्ड की डिमोक्रेसी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसका सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। लेकिन हमारी सरकार इसके विरुद्ध है। सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को स्वायत्त शासन देती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को स्वायत्त शासन देती है लेकिन सब की बागडोर अपने हाथ में रखती है। एक पंचायत के डाइरेक्टर जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को निकाल सकते हैं। हमने इन बातों को बारबार कहा है कि जो आदमी वोट देता है उसको ही पावर आफ रिकाल का हक मिलना चाहिये। गलती करने का अख्तियार प्रजातंत्र में होता है। और गलती से ही तरीका सीखा जाता है और इसका मूलभूत सिद्धांत भी यही है लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से डरती रहती है। वह यह समझती है कि आगरा यूनिवर्सिटी के सीनेट में जिसमें वायस-चांसलर, डीन आफ फैकेल्टी रहेंगे और सरकार के आदमी उसमें रहेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा संख्या बढ़ जायगी तो कोई गड़बड़ न होने पायेगी। सरकार इन लोगों पर अविश्वास करती है। मैं तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये यह मुनासिब समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें और आगरा यूनिवर्सिटी में अपने घर में गैरों का रोब जमने का काम न करें।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--श्री त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसका अभिप्राय यह है कि सिनेट में यूनिवर्सिटी के अन्दर के वे लोग जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उनकी संख्या आधे से कम न होने पावे। श्रीमन्, यह एक बड़े महत्त्व का विषय है और मेरा अपना अनुमान है कि त्रिपाठी जी ने स्वयं इसकी इम्प्लीकेशन्स को समझा नहीं है। विश्वविद्यालय में अध्यापकों की यह मांग रही है कि यूनिवर्सिटी के शासन में और यूनिवर्सिटी की देखभाल में सारी जिम्मेदारी और अधिकार उन्हीं के हाथ में छोड़ दिये जायं। सीनेट यूनिवर्सिटी की मुख्य संस्था है। प्रश्न यह है कि यूनिवर्सिटी की सीनेट में उन्हीं लोगों का बहुमत हो जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं या बाहर के लोगों का भी यूनिवर्सिटी के शासन में हाथ हो। यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं उनका यह कहना है कि बाहर के लोग और वे लोग जो कर्मचारी नहीं हैं उनका यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं है वे वहां की बात ज्यादा नहीं समझते हैं। इस वजह से वे कर्मचारी स्वयं यूनिवर्सिटी के शासन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसलिये सीनेट के अन्दर या एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अन्दर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिये।

जहां यूनिवर्सिटी की शिक्षा की नीति का प्रश्न है वह एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा होता है। यूनिवर्सिटी के शासन की सारी जिम्मेदारी सीनेट पर होती है। अगर शिक्षक वर्ग जो कि यूनिवर्सिटी का कर्मचारिवर्ग है यह समझता है कि यूनिवर्सिटी के चलाने की सारी जिम्मेदारी और उसके चलाने का सारा भार उनके ही ऊपर है तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भूल है। यूनिवर्सिटी के शासन की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों के ऊपर ही नहीं है बल्कि समाज और प्रांत के रहने वाले लोगों से भी उसका बहुत संबंध है। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी निकलते हैं जो कि रजिस्टर्ड स्नातक होते हैं वे यूनिवर्सिटी के काम से काफी दिलचस्पी रखते हैं और उनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी के शासन की जिम्मेदारी डाली जा सकती है

और कोई वजह नहीं है कि यूनिवर्सिटी के शासन में ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी नहीं हैं या शिक्षा से काफी दिलचस्पी रखते हैं उनका भी संबंध रहे। वे भी उसी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और उनको भी उससे बाहर न रखा जाय।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बहुधा यह देखा गया है कि लगभग आधे सीनेट में या यूनिवर्सिटी कोर्ट में उसके इन्टर्नल सदस्य होते हैं। प्रोफेसर वगैरह और दूसरे कर्मचारीगण जो कि वेतन पाते हैं और वह लोग जो यूनिवर्सिटी के अध्यापक नहीं हैं कोर्ट के मेम्बर हैं या सीनेट के मेम्बर हैं वह समयाभाव से या दूसरे कारणवश मीटिंगों में नहीं पहुंच पाते हैं और उसका फल यह होता है कि वही लोग बहुमत में पहुंच जाते हैं और भाग लेते हैं। अकसर इन्क्वायरी कमेटीज की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऐसा होना मुनासिब नहीं है और विश्वविद्यालय के शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये कोर्ट या सीनेट में एक्सटर्नल मेम्बर्स का बहुमत रहे जिससे जहां तक शासन का संबंध है, यूनिवर्सिटी को ठीक से चलाने का संबंध है उसमें वह लोग भी अच्छी तरह से हिस्सा ले सकते हैं।

इसके अलावा एक बात और है और वह यह कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने विषय को जानने वाले होते हैं और अपने सब्जेक्ट की ही उनको पूर्ण रूप से जानकारी होती है लेकिन ऐसा भी होता है कि वह अपने विषय में ऐसे डूबे रहते हैं कि जितनी सांसारिक बातें होती हैं उनमें उन की रुचि ज्यादा नहीं होती। इसलिये यह लाजमी नहीं है कि जो प्रोफेसर हो वह अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। जहां तक वाइसचांसलर की नियुक्ति का संबंध है यह प्रश्न कई कमेटियों के सामने आया कि वाइसचांसलर प्रोफेसर होने चाहिये। वहां यही कहा गया कि वाइसचांसलर की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने की ही नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय को अच्छी तरह से चलाने की भी है और इसीलिये उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की योग्यता भी होनी चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि यह सारी योग्यता शिक्षक में हो हो, इसी तरह से सीनेट की सारी जिम्मेदारी है, हिसाब किताब की जिम्मेदारी है, रुपया मुनासिब तौर से खर्च होता है या नहीं, यूनिवर्सिटी की नीति को देखना है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चलाई जाय। तो यह लाजमी नहीं है कि अध्यापकगण ही इसके ज्ञाता और जानकार बनें और बाहर वालों से इसका संबंध न हो। मेरे ख्याल से बाहर वाले जो विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं और जिनको राजन लिफ और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त है वह भी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो अपने विषय के ही क्षेत्र में रहते हैं, और उन को रहना ही चाहिये क्योंकि प्रोफेसरों का एक प्रकार से दृष्टिकोण ही यह रहता है और वह अपने विषय में इतना लीन रहते हैं कि यह अक्सर स्वाभाविक सा हो जाता है कि वे और बातों पर अच्छी तरह से दृष्टिपात नहीं कर पाते। तो इन सब बातों को देखते हुए श्री त्रिपाठी जी ने जो कहा है कि बाहर वाले लोग सीनेट में आ जायंगे, और उससे यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा यह बिलकुल गलत है और उनका यह लांछन कि सरकार अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है युक्तिसंगत नहीं है। उसमें सरकार का क्या सवाल है? प्रश्न तो यह है कि आप रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के प्रतिनिधि कितने रखेंगे और प्रोफेसर्स के कितने रखेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कितने रखेंगे। बाहर वाले भी अगर होंगे तो वह सरकार के कोई खास प्रेमी नहीं होंगे। जिनको कि सरकार अपने इशारों पर चलायेगी। वही नहीं रहेंगे बल्कि वे लोग होंगे जो उस दायरे में नहीं हैं और शिक्षक नहीं हैं बल्कि जो उन विश्वविद्यालयों में पढ़े हुये हैं, वहां से निकले हुये हैं और शिक्षा में उनको विशेष रुचि है। तो इस प्रकार के संकुचित संशोधन से यूनिवर्सिटी का कोई विशेष लाभ नहीं है और जो विधेयक में रखा गया है वह बहुत ही मुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, काटजू जी ने इतने अच्छे संशोधन के विरोध में जो उत्तर प्रस्तुत किया, उनके तर्क को सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं क्योंकि यदि और कोई सम्मानित सदस्य इस तरह के तर्क प्रस्तुत किये होते तो हमको इतना आश्चर्य न होता।

[श्री राजनारायण]

इनको मैं बहुत दिन से जानता हूं और कभी-कभी ऐसा भी मौका मिला है कि कुछ प्रगतिशील काम में भी उन्होंने हाथ बटाया है। मगर जब इस सदन में मैं देखता हूं कि सरकारी पक्ष से जो भी विधेयक आये उसका येन केन प्रकारेण समर्थन करना और स्वागत करना ही उन्होंने अपना तरीका बना लिया है तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं इस दुख को प्रगट करते हुये उनसे निवेदन करता हूं कि जरा स्वस्थ शरीर उनका है तो स्वस्थ मस्तिष्क से काम लिया करें और हर समय एक बौद्धिक परतंत्रता की झलक न दिखाया करें। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं और एक कांक्रीट (वास्तविक) बात रखना चाहता हूं। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होते हैं हम भी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हो सकते हैं किसी युनिवर्सिटी के, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां की युनिवर्सिटी के बारे में अधिकांश रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स नहीं जानते। अगर यह ख्याल है कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो जायं और वहां अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें तो वहां की यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में वह ज्यादा कुशल हो जायेंगे तो यह तर्क तो उन्हीं को शोभा देता है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी से बी० ए० की डिग्री ले लेने के बाद भी और उनके द्वारा चुने जाने के बाद भी जो लोग चुनकर के जाते हैं वे केवल वहां पर जाकर के पार्टी पालिटिक्स ही करते हैं और जहां-जहां यूनिवर्सिटीज के प्रबन्ध में गड़बड़ी हुई है, आन्तरिक गड़बड़ी, श्रीमन्, वह शायद किसी कारणवश यहां न मानें मगर वह इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स से जब चुनाव का सवाल होता है तो मालूम होता है कि कोई असेम्बली का एलेक्शन भी मात हो जाय। इतनी गहरी कोशिश, इतनी गहरी कनवेंसिंग और इतना ज्यादा पैसा उस पर खर्च होता है कि उसको देखकर मैं तो कई बार आश्चर्यान्वित हो गया हूं। मालूम होता है वह नहीं हुये हैं, वह तो कहते हैं कि नहीं वह तो ज्यादा जानकारी वहां के बारे में करा सकते हैं बनिस्बत उन टीचरों के जो वहां पर टीचर हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि जो प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हों, चाहे वह उस यूनिवर्सिटी के हों, टीचर्स हों या बाहर के हों अगर वह वहां रहते हैं सिनेट में उनकी बुद्धि अकेले ही रह करके बहुत ज्यादा कारगर हो सकती है बनिस्बत १० के। इसलिये इस थोथी दलील को रख करके सदन के समय को नष्ट न किया जाय। इसको अच्छी तरह से विचार किया जाय कि जो माननीय मंत्री जी ने रखा था :—

"The number of members in the services of the University or affiliated......"

श्री शिवनाथ काटजू—मैं क्या यह समझूं कि आज हमारे सेक्रेटेरिएट के जो कर्मचारी हैं वे ज्यादा जनता के निकट हैं बनिस्बत राजनारायण जी के ?

श्री राजनारायण—इसका जवाब तो मैं रोज ही दिया करता हूं और माननीय शिवनाथ काटजू जी से कहा था कि जरा वह भी जनता के नजदीक आयें और फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वह यूनिवर्सिटी को भी जरा उसकी गहराई में जा करके, जरा बुनियादी तौर से, तह में पैठकर समझने की कोशिश करें। मैं आपको यह बाताऊंगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं अपने साथी रामनारायण जी से यही बातें कर रहा था। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एक वाइसचांसलर है, अगर हम सरकार के हाथ में ऐसा हक नहीं देना चाहते और एक वाइसचांसलर की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये जब हम करते हैं सरकार के द्वारा ही तो फिर उसी वाइसचांसलर को आगे रहने का मौका दें और वह सरकार की कृपा दृष्टि के लिये लालायित रहे और अपनी गति-विधि को अवसरवादिता में परिणत करे। हम उनसे कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया उनके तर्क में कुछ दम है। फिर हमने अपने साथियों के तर्क को सुना तो हमने कहा कि सरकार को अन्ततोगत्वा यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनी तब्दीली कर सकती है। अगर ३ वर्ष के समय को ५ वर्ष बना सकती है तो ५ वर्ष के समय को ७ वर्ष भी बना सकती है। तो अगर "आर्डिनरिली" शब्द भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं काटजू साहब से जानना चाहता हूं कि इसको ही पढ़ा होता।

"The number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of other members."

यह क्यों रखा गया ? इसलिये रखा गया कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स नियंत्रण करने में पटु होते हैं ? इसलिये रखा गया कि जो सरकार के द्वारा जितने और नामिनी होंगे या जो नियुक्त किये जायेंगे, एक्स आफिशियो होंगे वह ज्यादा पटु होते हैं ? अगर इस धारणा से, जिसको कि मैं भ्रम की धारणा समझता हूं, ऐसी धारणा के वशीभूत हो कर हमारे काटजू साहब ने इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था का समर्थन किया तो वह हमारे साथ हो लें। उन्होंने जो कुछ कहा उसके विरोध में अगर न जायं तो जब मौका आये तो हमारे साथ हाथ उठायें। म सही बात कहना चाहता हूं और अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोई बात रखी जाय तो वह इस बात को ध्यान में रखें कि हम भी देश को उठाना चाहते हैं। हम भी अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को एक नींव पर रखना चाहते हैं और आज तक सरकार की जो नीति रही है शिक्षा व्यवस्था में वह पूर्णतया असफल रही है और इतनी असफल रही है कि इस लखनऊ कांड के देखने के बाद भी हमारे माननीय काटजू साहब जब कहते हैं कि एक बाहर का आदमी आ कर के ज्यादा अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकता है, परिस्थितियों पर काबू पा सकता है तो हमें आश्चर्य होता है। बाहर का आदमी परिस्थितियों पर काबू पा भी सकता है और विषम परिस्थिति आने पर भाग करके कहीं और भी शरण ले सकता है और परिस्थिति को खराब भी कर सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के प्रभाव पर ये बातें असर करती हैं। तो जहां पर किसी का यह मापदंड हो, जहां यह नहीं जान सके कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स कहां चुन कर आयेंगे, वह किस तरीके से कार्य क्रम चलायेंगे तो वहां डेमाक्रैसी का सवाल आता है, चाहे वह इंडस्ट्रियल डेमाक्रैसी हो या एजुकेशनल डेमाक्रैसी हो, चाहे एजुकेशनल एटैनामी हो। तो जो एक सिद्धांत की बात है उसकी शरण में हम जाते हैं और उसी एटैनामी को ले करके उसी के अन्तर्गत हम व्यवस्था को करें और दूसरे की सम्मति भी लें।

क्या काटजू साहब यह बता सकते हैं कि १२५ मेम्बर सेनेट में रहेंगे जिनमें से ६३ वहां के टीचर्स रहें और ६२ बाहर के लोग रहें तो बाहर के ६२ लोग यदि कोई अच्छी बात रखेंगे तो महज इसलिये कि ६३ टीचर्स हैं वह सारे टीचर्स एक जगह कलेक्ट (एकत्र) हो जायंगे ? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई एक भी उदाहरण हमारे काटजू साहब देने के लिये तैयार हैं या माननीय शिक्षा मंत्री देने के लिये तैयार हैं ? इन बेचारे टीचरों को हर समय आज तक जिस तरह की सरकार की नीति है उसमें हर समय सरकार की कृपा दृष्टि पर पलना है। अगर उनके रहते हुये भी सरकार नहीं चाहे तो सरकार की हां में हां मिलाने के लिये बहुत से तैयार हो जायेंगे। एक भी उदाहरण, श्रीमन्, काटजू साहब इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते जिसमें कि तमाम के तमाम टीचर किसी एक पार्टिक्युलर इश्यू (खास पहलू) पर एक तरफ हो गये हों और तमाम के तमाम बाहरी मेम्बर किसी सिनेट या कौंसिल के एक तरफ हो गये हों। इसलिये ऐसा तर्क जो काटजू साहब ने प्रस्तुत किया वह मैं समझता हूं कि युक्तिसंगत नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब ऐसी बात नहीं है तो वहां की डिमाक्रैसी के नाम पर आंतरिक व्यवस्था को ठीक तरीके से रखने का उनके अन्दर भरोसा उत्पन्न होने के नाम पर हम क्यों एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि टीचर्स बाहरी मेम्बरों से कम न हों।

माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में केवल इतनी ही तो मांग की गयी है कि उस अफिलिएटेड कालेज के जितने टीचर्स हों उनकी संख्या बाहरी सदस्यों की संख्या से कम न हो। इतना ही इनका संशोधन है "शैल नाट बी लेस दैन"। तो इतना साधु संशोधन है और इस साधु संशोधन को भी हमारे काटजू साहब एक दूसरी बुद्धी से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है आप तार्किक हैं, आपके पास बुद्धि है। परन्तु आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिये। हर समय बुद्धि का दुरुपयोग ही क्यों आप सदन में करते हैं। इस लिये श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी जरा इस बात को गहराई से समझें। अगर वे एक आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने की क्षमता समझते हैं कि अध्यापकों में हो सकती ह तो इस ६३ और ६२ के फर्क से कोई वस्तुस्थिति में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसको व्यावहारिक दृष्टि से भी देखेंगे तो व्यावहारिक दृष्टि से भी कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता

[श्री राजनारायण]

है। मैं यहां तक कहता हूं कि अगर ६२ आदमी हैं तो वे ६२ आदमी, जो बाहर के रहेंगे, किसी इश्यू (बात) पर एक साथ जुट जायेंगे ऐसी भी संभावना नहीं है। किसी-किसी समय, किसी-कसी परिस्थिति में कहीं जाकर ऐसा मिलन हो सकता है, यह भी असंभव सी बात है। कभी ऐसा हुआ नहीं है। इतिहास इसका साक्षी नहीं है। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास साक्षी नहीं है, इसका मतलब मैं यह जानते हुये कहता हूं कि हिस्ट्री रिपीट तो करती है, लेकिन मार्च भी करती है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं इस बात की अपील करूंगा कि जब आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने में कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण से फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वहां की आटोनामी को सुरक्षित रखने के लिये श्री रामनारायण के संशोधन को माननीय मंत्री जी को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री हरिगोविन्द सिंह--काटजू साहब के विरोध के बाद कोई आवश्यकता अधिक बोलने की नहीं मालूम होती। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनरायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे हमारे संशोधन का विरोध कर सकें। उन्होंने काटजू जी की दलीलों का सहारा लिया जिनको हमारे नेता जी ने अच्छी तरह से काट दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के विचार में जो शंकायें और कल्पनायें उठ सकती हैं उन्हीं के संबंध में मुझे कहना है। आखिर इस आगरा युनिवर्सिटी विधेयक में सिनेट के क्या-क्या अख्तियारात हैं, इस पर गौर किया जाय। पहली बात काटजू साहब ने हिसाब-किताब के बारे में कही। इस युनिवर्सिटी बिल का जो खंड (१२) है उसकी धारा (c) में जो नई बनाई गयी है सिनेट का काम यह जरूर रखा गया है :

"(c) consider and pass resolutions of the annual report, the annual accounts and the financial estimates ;"

वह रिजोल्यूशन कर सकती है, पास कर सकती है और एस्टिमेट्स पर रिजोल्यूशन कर सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसी विधेयक में दूसरी जगह सरकार ने पूरा अधिकार ले लिया है और वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल या सिनेट को आदेश दे सकती है कि वह अपना हिसाब किताब सरकारी इंस्पेक्शन के लिये तैयार करे यदि उस हिसाब किताब की आडीटर्स के जरिये सरकार जांच कराये। उसके चेक के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल है, जोकि सिनेट से अलग है। अगरचे इस विधेयक के यह शब्द जरूर हैं--

"The Senate shall be the Supreme Governing Body of the University and shall have power to review the acts of the Executive Council (save whom the Council has acted in accordance with the powers conferred on it under this act, the Statutes, Ordinances, or the Regulations.)"

इसके मानी साफ हैं कि सिनेट के सुप्रीम गवरनिंग बाडी होने के बावजूद भी वह एग्जीक्यूटिव पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती है क्योंकि इस ऐक्ट में अलग से एग्जीक्यूटिव कौंसिल को भी पूरे अख्तियार कुछ मानों में दिये गये हैं। जहां तक सिनेट का सवाल है, ऐसा भी तो नहीं है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट की जगह पर सिनेट काम कर? वाइसचांसलर की नियुक्ति पर यह भी अधिकार सरकार ने ले लिया है सिनेट से और वह इस काबिल नहीं है कि वह वाइसचांसलर की नियुक्ति कर सके। हालांकि उसमें सरकार ने काफी मेम्बर रखे हैं जैसे ग्रेजुएट्स, वाइसचांसलर आफ दि अदर युनिवर्सिटीज, शिक्षा मंत्री जी स्वयं भी हैं और उसकी मदद के लिये डाइरेक्टर आफ़ एजुकेशन भी हैं, ऐसे-ऐसे विद्वानों के होते हुये भी वहां, उसे ऐसा काबिल नहीं समझा कि वह वाइसचांसलर की नियुक्ति करे। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के हाथ में बहुत कुछ दिया है लेकिन फिर भी फाइनल एथारिटी चांसलर को बनाया

है। तो इस किस्म से इस प्रांत के शिक्षा मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उनके कार्य पर विश्वास किया जाता है और दूसरी तरफ सरकार यह विश्वास नहीं करती कि वह सब काम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे विद्वान्, समझदार और पढ़े लिखे लोगों को भी अगर यह समझा जाय कि वे मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं आयेगा कि जब हिन्दुस्तान में सुधार हो सके। ऐसी गल्तियां तो मिनिस्ट्री भी करती हैं और अगर आज पावर आफ रिकाल होता जनता को, उपाध्यक्ष महोदय, उसको इस बात का अधिकार होता कि जो जिस कांस्टीचुएंसी से आया है, अगर रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल्स ऐक्ट में ऐसा प्राविजन होता कि उनको वापस बुला लिया जाय तो मैं समझता हूं कि आज ३८९ मेम्बरों में केवल दस पांच ही यहां रह जाते। लेकिन वह अधिकार तो नहीं है। गल्तियां की जाती हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग्स में ऐसी गलतियां भरी पड़ी हैं। जनता का लाखों करोड़ों रुपया पानी में इस तरह से बहा दिया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बतला सकता हूं कि ट्रैक्टरों के खरीदने की सरकार ने व्यवस्था की......

श्री उपाध्यक्ष—इतने डीटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसलिये मिसाल देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी निरुत्तर हो जायं। ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के संबंध में करीब १ करोड़ रुपये के ट्रैक्टर खरीद लिये गये। ४ साल के बाद सरकार को यह पता चला कि सिर्फ ४०, ४५ ट्रैक्टरों की जरूरत है, तो सरकार ने बड़ी उदारता से इन ट्रैक्टरों को अब तकावी पर देना शुरू किया है और तकावी पर लेने के लिये लोग ढूंढे जा रहे हैं। इस तरह से करोड़ों रुपया जनता का बरबाद हो गया। एक और मिसाल है उपाध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज सीमेंट फैक्ट्री की स्कीम चल रही है। वहां शेयरर साहब रोज-रोज स्कीमें बनाते थे और बदलते थे।

शिक्षा के संबंध में भी आप देखते हैं कि पहले तो यह हुआ कि जितनी ज्यादा से ज्यादा पापुलेरिटी जनता में प्राप्त कर ली जाय उतना ही अच्छा है। न मालूम कितने स्कूल खोल दिये गये उसके बाद रीआर्गेनाइजेशन स्कीम चली और उस पर फिर रीट्रेंचमेंट होने लगा। वहां भी अव्यवस्था का सवाल है।

श्री शिवनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त बिल पर बोल रहे हैं या गन फैक्टरी पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इतना अवश्य कहूंगा कि विषयान्तर हो रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं तो यह दलील दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी नाकाबिल होने पर भी मौजूद है। यह तो एक एनालौजी है। इसको मैं दुहराना नहीं चाहता। इसके माने यह नहीं हैं कि उन पर अविश्वास किया जाय। हमारा बस चलता तो हम करते। जनता भी बेकाबू है और हम भी बेकाबू हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे हम देखें कि सीनेट के क्या अधिकार हैं—

"In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may :—

(*a*) make statutes, amend and repeal them ;

(*b*) consider and cancel ordinances ;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report the annual accounts and the financial estimates ;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

यूनीवर्सिटी के हिसाब किताब में ट्रिपल कंट्रोल है। सरकार इसको सीधे कर सकती है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल की जिम्मेदारी हो और सीनेट भी जिम्मेदार हो। यूनिवर्सिटी आर्डीनेंस बना सकती है। स्टैच्यूट के बारे में दो तीन उद्धरण दे देना चाहता हूं। खंड २३ में धारा २६ जो नई बनाई जा रही है उसमें इस प्रकार है कि --

"(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges ;

(*e*) the conferment of honorary degrees ;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificated and other academic distinctions ;

(*g*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*h*) the Condition under which college and other institutions may be admitted to the priveleges of the university and be liable to the withdrawal of such priveleges."

उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार है नियम बनाने का। क्या यह आशा हो सकती है कि सब लोग मिल कर रिजोल्यूशन के जरिये से ब्लैक ऐंड ह्वाइट में भी गड़बड़ी करें। एफ० ए० के आदमी को एम० ए० की पढ़ाई का इन्तजाम कर दें। शिक्षा मंत्री जी हिसाब भी देख सकते हैं। हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अख्तियार देने चाहियें थे। वह पहले देख लेती। इसके बाद सरकार अपना हाथ डालती। यह सब अविश्वास की भावना है। चैक बैलेन्सेज पर माननीय मंत्री जी का कंट्रोल होना चाहिये था। अब आर्डिनेंस के बनाने का अधिकार है इसमें भी दो चार उद्धरण दे देना चाहता हूं।

"27-A. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinanes and for any other matter, including the giving of religious instruction, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances."

रिलीजन के बारे में वह क्या कर सकते थे? उसमें कालेजेज वगैरह के प्रिंसपल्स है वह क्या गड़बड़ी करेंगे? क्या किसी के रिलीजन के कन्वर्जन का रूल बना देंगे? वह तो सुव्यवस्था कायम करना चाहेंगे।

दूसरी उपधारा यह है कि --

"(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;"

स्टूडेन्ट्स के बारे में क्या करेंगे? क्या वह किसी को जो एफ० ए० पास नहीं है उसको बी० ए० में दाखिल कर लेंगे? मेरी समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मंत्री जी को क्या आशंका है।

"(*b*) the conditions under which students shall be admitted to degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates."

इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें सब लोग मिल कर कांसपिरेंसी करें और ऐसी व्यवस्था पैदा हो जाय।

"(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to examiners, tabulators, inspectors and other persons employed on the business of the University."

और भी यूनिवर्सिटी के नामिनी हैं। कोई एक्सट्राआर्डिनरी क़दम उठायेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी तो हैं ही।

"(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University."

टीचर्स आफ दि यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी यह जानते हैं कि उन्होंने खुद ही ऐसी व्यवस्था की है कि इस ऐक्ट में जो आगे चल कर आयेगी जिसमें उन्होंने रिव्यू की पावर्स ली हैं। इतनी स्वीपिंग पावर्स ली गयी हैं इस ऐक्ट में कि जो पुराने टीचर्स हैं उनका फिर सेलेक्शन कमेटी रिव्यू करेगी और उनमें से बहुत निकाले जायंगे। हो सकता है कि जिनको ज्यादा तनख्वाह मिल रही हो उनकी तनख्वाह भी कम की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जितनी धारायें पढ़ता हूं तो मालूम होता है कि एक ऐसा दोजख बना हुआ है जिसको माननीय शिक्षा मंत्री जी फ़रिश्ता बन कर सुधारने का सतत् प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे अविश्वास के वातावरण में कोई संस्था चल नहीं सकती है।

अब रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इसमें यह दिया हुआ है—

"28. (1) The authorities and the Boards of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(*a*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(*b*) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations; and

(*c*) providing for all other matters solely concerning such authorities and Boards as are not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances."

क्या गड़बड़ी हो सकती है; सीनेट क्या कर सकता है? अगर ये ६३ से ज्यादा आदमी सब के सब नालायक़ हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिनको चाहें उनको भेज दें या किसी ख़ास बिरादरी से भेज दिये जायं जिसको माननीय शिक्षा मंत्री ठीक समझते हों।

श्री हरगोविन्द सिंह—एक तरफ से पूरा बिल पढ़ जाइये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसका स्पष्टीकरण करना मेरा कर्त्तव्य था। माननीय शिक्षा मंत्री के आदेश पर तो मैं बैठ नहीं सकता जब तक आप कोई आदेश न दें। मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे फिर से इस पर गौर करें, इतने लोगों पर अविश्वास करना कि वे इतने तिकड़मबाज होंगे, इतने षड्यंत्र करेंगे कि जिससे

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

शिक्षा व्यवस्था उलट जायगी यह ठीक नहीं है। ग़लती हो सकती है और ग़लती करने का सिद्धान्त डेमोक्रेसी में माना जाना चाहिये। यह इतना आधारभूत सिद्धान्त है कि इस पर सरकार हमेशा क़दम उठाती रही है, हमेशा परेशानी उसको रही है कि सत्ता का केन्द्रीयकरण किया जाय। जब-जब ऐसे अवसर आते हैं तो आपने देखा होगा कि सरकार गांधी जी का नाम लेती है, जब चुनाव होंगे तो गांधी जी का नाम लिया जायगा और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने की बात कही जायगी। लेकिन जहां चुनाव खत्म हुआ कि सत्ता का केन्द्रीयकरण करने की सोची जाने लगती है। इतने डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, जिस सब्जेक्ट में देखिये उसी में एक्सपर्ट हैं। इतने अविश्वास का वायुमंडल कम से कम ऐसे क्षेत्र में जिसका सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से हो नहीं पैदा करना चाहिये। आखिर इस विधान सभा के बारे में शिक्षा के विशेषज्ञ लोग क्या राय क़ायम करेंगे? अगर यह धारा इसी सूरत में इस विधान सभा के माननीय सदस्य मान लेते हैं तो आप आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स और डीन आफ फैकल्टी आफ आर्ट्स पर ही नहीं बल्कि और भी यूनिवर्सिटी के लोगों पर अविश्वास करते हैं। एक आशंका हो सकती है। सरकार का रवैया बिगड़ गया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लिया, प्रताप कालेज को ले लिया, ज़रा सा मौक़ा मिला तो बलिया कालेज को भी ले लिया और वहां के लिये उनको एक ही आदमी मिला। उसके लिये आप लिखते हैं कि आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं, आपको यह कालेज बहुत अनुगृहीत है, लेकिन आप यहां न रह कर सतीश चन्द्र कालेज, बलिया में चले जाइये। यह कहां का न्याय है? एक ही आदमी प्रताप कालेज के लिये तो क़ाबिल नहीं है और बलिया के कालेज के लिये क़ाबिल हो जाता है। यह सरकार की व्यवस्था है। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और मैं समझता हूं कि इसके लिये सरकार के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिये अब मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस सम्बन्ध में मैं केवल आचार्य नरेन्द्र देव जी की राय बता देना चाहता हूं। उन्होंने ८० में से १० टीचर रक्खे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (b) की दूसरी पंक्ति के शब्द "exceed" के स्थान पर "be less than one half" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) वियेयक, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन को दो सूचनायें देना चाहता हूं—

१—१८ दिसम्बर, १९५३ को होने वाली विधान सभा की बैठक में प्रश्नोत्तर के बाद ही न्याय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

२—१८ दिसम्बर, १९५३ को होने वाली विधान सभा की बैठक में प्रश्नोत्तर के बाद ही वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वर्तमान कार्यसूची में

सम्मिलित मदों के उपरान्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित उक्त विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी मुखालिफत करने का अख्तियार तो हमको होगा ही?

श्री उपाध्यक्ष—जब वह प्रस्तुत होगा तब जैसा आप मुनासिब समझें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ दिसम्बर, १९५३।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०३ एल० ए०—१९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथदीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री

प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री,
बलदेवसिंह, आर्य
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
मह राज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिव रामराय, श्री
शिवबक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री

शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जुलाई, १९५३ में जिला झांसी में डाके की वारदातें

*१—श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बताएगी कि माह जुलाई, १९५३ में जिला झांसी के किन-किन ग्रामों में और किन-किन तारीखों में भयंकर डाके पड़े हैं?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मांगी गई सूचना नीचे दी हुई है—

ग्राम जहां डाका पड़ा		तारीख
१—कारीटोरन	..	१९–२० जुलाई, १९५३
२—डौंडिया	..	२१–२२ ,, ,,
३—तिलैया खुर्द	..	३०–३१ ,, ,,

श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार को सूचना मिली है कि तहसील कहरौली ग्राम लौंडी में ११९ रुपये की डकैती पड़ी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार को विदित है कि थाना पनवाड़ी के भूतपूर्व थानेदार वहां उन्हीं लोगों के यहां जाकर ठहरा करते थे और खाना खाया करते थे जिनके यहां डकैती पड़ी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी भी कोई सूचना नहीं है।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या यह सही है कि ग्राम मवैया, थाना हिंडोन, जिला झांसी में डकैती के बाद थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह स्वाभाविक बात है कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है तो उसकी मुझे कोई सूचना नहीं हो सकती।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या यह सही है कि इन समस्त डकैतियों के पूर्व ही एस० पी० झांसी को डाकू शंकरसिंह की उपस्थिति की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वहां के एस० पी० को इस बात की सूचना मिल चुकी थी।

थाना पनवाड़ी, जिला हमीरपुर के पुलिस अफसरों की गोली से मृत व्यक्तियों के नाम और पते

*२—श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार कृपा कर के बतायगी कि होली के अवसर पर थाना पनवाड़ी (हमीरपुर) के पुलिस अफसरों की गोली से ६ आदमियों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो उन मारे गये आदमियों के नाम और पते क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस की गोली से ६ आदमी मर गये। उनके नाम और पते नीचे दिये हैं :

१—धन सिंह पुत्र भुजबल लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

२—रामदयाल पुत्र भुजबल लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

३—टीकाराम पुत्र भुजबल लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

४—कुंवर लाल पुत्र मन्ती लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

५—दल्लू पुत्र मन्ती लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

६—भागीरथ पुजारी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मृत व्यक्तियों के परिवार के लोगों को कुछ पेंशन अथवा सहायता दी जायगी ? यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। इसका कोई इरादा नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि ये ६ आदमी जो पुलिस की गोली से मरे उसका क्या कारण था ? और पुलिस को क्यों गोली चलानी पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि इस सम्बन्ध में कई मर्तबा पिछले सेशन में जिक्र आया था और उसका पूरा कारण बतला दिया गया था। पुलिस वहां पर मामले की जांच करने के लिये गई थी और वहां एक मकान में रहने वाले लोगों के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में यह झगड़ा हुआ, जिसके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पूरा विवरण पिछले सेशन में बतलाया जा चुका है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलायगी कि पुलिस ने जो यह गोली चलायी वह किसकी आज्ञा से चलायी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सब-इन्सपेक्टर पुलिस के चार्ज में रहता है, उसकी आज्ञा से ही यह गोली चलायी गयी होगी। मैं इतना और बतला दूं कि अब वह सब-इन्सपेक्टर बरखास्त कर दिया गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब कहीं पर पुलिस वाले गोली चलाते हैं उसके बाद मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी होना आवश्यक है?

श्री अध्यक्ष—यह खुद आपको मालूम होना चाहिये।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिना ऊपर की आज्ञा के एक सब-इन्सपेक्टर गोली चला सकता है?

श्री अध्यक्ष—यह नियम का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार उस थानेदार के ऊपर मुकदमा चलाने का विचार रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई सामग्री नहीं थी कि मुकदमा चलाया जा सके, इसलिये विभागीय कार्यवाही की गयी।

जर्मनी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या

*३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जर्मनी में कितने भारतीय छात्र ऐसे हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता मिल रही है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—एक भी नहीं।

*४—श्री नेकराम शर्मा—क्या अलीगढ़ से भी कोई छात्र जर्मनी गया है?

डाक्टर सीताराम—सरकार ने किसी को नहीं भेजा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने विद्यार्थी इस वक्त जर्मनी में हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)— इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिला अलीगढ़ के डी० एम० मिस्टर मित्तल की लड़की इस समय जर्मनी में है और उसको कुछ रुपया सरकार की तरफ से मिलता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—हो सकता है कि कुछ रुपया दिया जाता हो। आपने प्रश्न पूछा था कि क्या सहायता दी जाती है, तो ऐसी कोई छात्रा नहीं है जिसको सहायता दी जाती हो।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इस छात्रा को रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है कि कुछ रुपया दिया गया है, कितना दिया गया है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह छात्रा किस कार्य के लिये जर्मनी भेजी गयी है और क्या अध्ययन कर रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना चाहता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार विधान सभा के सदस्यों को भी जर्मनी पढ़न के लिये भेज सकती है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

हथियार रखने के लिये निर्धारित योग्यतायें

*५---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायगी कि भिन्न-भिन्न हथियारों के रखने के लिए कौन-कौन सी योग्यतायें निर्धारित की गई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रश्न के उत्तर के लिये कृपया यू० पी० आर्म्स रूल्स, १९३५ ई० के नियम १२६ तथा नियम १३२ देखिये।

राजा वीरेन्द्र शाह-(जिला जालौन)--- क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हथियार का लाइसेंस लेने के लिये किसी पोलिटिकल पार्टी की सिफारिश की भी जरूरत पड़ती है?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह आक्षेप है।

रायबरेली में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय

*६---श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में गत ३ साल के भीतर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने मामले पुलिस विभाग में पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५४-४५५ पर)

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में भ्रष्टाचार दूर करने के क्या-क्या साधन हैं?

श्री अध्यक्ष---आपका सवाल कुछ केसेज के बारे में है यह उससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या मंत्री महोदय बतायंगे कि रायबरेली जिले में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कौन-कौन उपाय किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो और सब जिलों में किये जाते हैं वही किये गये और उसका परिणाम यह हुआ कि २२ को सजा हो चुकी है जिनकी सूची दी हुई है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या यह सत्य है कि कहीं के एस० पी० भी भ्रष्टाचार के बढाने में हिस्सा ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---इसका आप स्वयं ही उत्तर दे लें तो अच्छा है।

समाचार-पत्रों व प्रेस मजदूरों के बीच चले हुये एडजुडिकेशन आर्डर की वापसी

*७---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ समचार पत्रों व उनके प्रेस मजदूरों के बीच चले हुये Adjudication Order के मामले को सरकार ने अभी हाल ही में अपनी आज्ञा द्वारा **कोर्ट से वापस ले लिया? अगर हां, तो क्यों?**

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रेस कमीशन की नियुक्ति की है, जो समाचार पत्रों की वर्तमान व भविष्य की व्यवस्था पर विस्तृत जांच करेगी। चूंकि विवादास्पद विषय इस जांच से संबंधित थे, राज्य सरकार ने Adjudication Order वापस ले लेना उचित समझा।

प्रेस मजदूरों के लिये मालवीय कमेटी व निम्बकर कमेटी की सिफारिशों पर कार्यवाही

*८--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि यू० पी० के प्रेस मजदूरों के लिये केशवदेव मालवीय उपसमिति ने निम्बकर कमेटी की जो सिफारिशें की थीं, उन्हें लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मालवीय कमेटी व निम्बकर कमेटी की सिफारिशों पर अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेस कमीशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उनकी रिपोर्ट आने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

कानपुर के विश्वमित्र प्रेस के कर्मचारियों के पक्ष में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर कार्यवाही

*९--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि कानपुर के विश्वमित्र प्रेस के कर्मचारियों के पक्ष में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया था, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। वह पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा चुका है।

चरित्र गठन के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकें

*१०--श्री नरेंद्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि चरित्र गठन के लिये भी स्कूलों में कोई पाठ्य पुस्तक प्रेसक्राइब की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--चरित्र गठन के लिये पाठ्य पुस्तकें तो निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पुस्तकों में पाठ रखे जाते हैं।

*११--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (अनुपस्थित)--यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी पुस्तकें प्रेसक्राइब करने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

हाथरस मिल मजदूरों की गिरफ्तारी के वारंट

*१२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस मिल मजदूरों के गिरफ्तारी वारन्ट किस सिलसिले में जारी हुये हैं और अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हाथरस के रामचन्द्र स्पिनिंग मिल के मजदूर अपनी बकाया मजदूरी की अदायगी के संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हीरालाल वर्मन के मकान पर गये। समझौता न होने पर मजदूर आवेश में उनके मकान पर चढ़ गये और मार पीट करने लगे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर शांति स्थापित की और एक मुकदमा धारा १४७/४५२/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया। इसी सिलसिले में भागे ये तथोक्त अपराधी मजदूरों के विरुद्ध वारन्ट गिरफ्तारी जारी किये गये थे किन्तु आवश्यक सबूत तथा श्री वर्मन की उदासीनता के कारण आगे कार्यवाही नहीं की गयी। इस संबंध में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मजदूर बताये गये हैं उनकी पिछले ६ महीने की मजदूरी अभी बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मजदूरी बाकी है।

देहातों में पुलिस के गश्तों की चेकिंग

*१३---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के जो गश्त देहातों में होते हैं उनको चक करने के लिये कौन अधिकारी नियत है? क्या उनकी रिपोर्ट जिला सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को मिलती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---देहातों में पुलिस के गश्तों की चेकिंग सर्किल अफसर, इन्सपेक्टर तथा सब-इन्सपेक्टर द्वारा समय-समय पर होती है तथा इसकी सूचना जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को रहती है।

*१४---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस अलीगढ़ के यहां कम्प्लेंट बक्स में गत वर्ष कितने पत्र प्राप्त हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कम्प्लेंट बक्स से निकाले गये पत्रों का कोई अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता है परन्तु गत वर्ष में डाक तथा कम्प्लेन्ट बक्स द्वारा ३३१६ शिकायतों के पत्र प्राप्त हुये तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सरकिल इन्सपेक्टर गश्त का चेकिंग करते हैं वह उस के लिये हफ्ते में या महीने में कितनी बार जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके कोई बंधे हुये नियम नहीं हैं क्योंकि उनके होने से सरप्राइज चेकिंग नहीं हो सकेगी, एस० पी० जैसे समय-समय पर नियम बनाते हैं उन्हीं के अनुसार चेकिंग होती रहती है।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको गश्तों को चेक करने के लिये जिले में कोई क्षेत्र बांटे गये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जिस की जितनी दूर तक हद होती है उसी हद के अन्दर गश्त करते हैं।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो गश्त हुये और उनकी चेकिंग में जो शिकायतें मिलीं उन पर कोई कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सकड़ों गश्तें हुई होंगी और उनकी रिपोर्ट जरूर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास की गई होगी और उन्होंने जरूर कार्यवाही की होगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास उन सारी कार्यवाहियों की सूची तो आती नहीं।

थाना बछरावां के अन्तर्गत ताले बन्द खेरा में डकैती

*१५---श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायत आई है कि थाना बछरावां के अन्तर्गत ताले बन्द खेरा में एक तेली के यहां अभी कुछ ही दिन हुये डकैती पड़ी थी जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१६---श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या यह सही है कि १८ जुलाई, सन् १९५३ को उसी तेली के यहां पुनः डकैती पड़ी जिसमें कई व्यक्ति बन्दूक से घायल हुये ? क्या सरकार बतायगी कि इस संबंध में किन व्यक्तियों के चालान किये गये।?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१८ जूलाई सन् १९५३ को श्री राजा राम तेली के यहां एक डकैती की घटना हुई जिसमें दो व्यक्ति बन्दूक से घायल हुये। इस संबंध में राम प्रसाद, कालीदीन, किशोरी, रघुबीरसिंह, रामस्वरूप, पूरन मासी, प्रभू, छंगा, रामनरेश सिंह, इमाम-बक्स और दुरजन का चालान हुआ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---जब कि माननीय मंत्री महोदय को ६-८-५३ को उसी घटना की इत्तिला उस क्षेत्र के रामेश्वर प्रसाद एम० एल० ए० के द्वारा दी गई थी तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिल्कुल सही है और मैं श्री रामेश्वर प्रसाद जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर श्री रामेश्वर प्रसाद जी मुझको कोई इत्तिला दे दें तो उसी से कोई डकैती नहीं पड़ जाती। इसमें यह कहा गया है कि डकैती नहीं पड़ी, मैंने यह नहीं कहा कि रामेश्वर प्रसाद जी ने सूचना नहीं दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि श्री रामेश्वर प्रसाद जी जो कि वहां के एम० एल० ए० हैं उन्होंने इत्तिला गृह मंत्री को दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने गृह मंत्री से यह कहा कि उन को यह खबर मिली है कि डकैती पड़ी।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि माननीय सदस्य ने जो उस क्षेत्र के एम० एल० ए० हैं उन्होंने शिकायत की और उस शिकायत के बाद क्या माननीय मंत्री जी ने कोई इन्क्वायरी करायी कि वाकई वहां डकैती पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, इन्क्वायरी कराई गई।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह इन्क्वायरी किसके द्वारा करायी गई थी और क्या नतीजा हुआ ?

श्री अध्यक्ष---नतीजा तो आपको मालूम हो गया। किसके द्वारा इन्क्वायरी कराई गई इसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी देंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डी० वाई० एस० पी० ने इन्क्वायरी की।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या यह सही है कि इसी घटना के छिपाने के कारण तुरन्त ही १५ दिन के अन्दर दूसरी डकैती उसके यहाँ हुई ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री गेंदासिंह (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें एस० पी० के भी विरुद्ध शिकायत थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एस० पी० ने डाका डाला या डलवाया।

श्री गेंदासिंह---एस० पी० के विरुद्ध यह शिकायत कि डकैती पड़ते हुये भी एस० पी० ने उसको डकैती नहीं दर्ज की, इस तरह की शिकायत क्या उसमें की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डकैती का दर्ज करना या न करना यह एस० पी० का काम नहीं है।

जौनपुर जिले में डकैतियां

*१७---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के त्येक थाने के अन्तर्गत मार्च, सन् १९५३ से जलाई, सन् १९५३ तक कितने डाके पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मार्च, १९५३ से जुलाई, १९५३ तक जौनपुर जिले में कुल चार डाके पड़े एक रामपुर थाने में, दूसरा मड़ियाहू थाने में, तीसरा सराय ख्वाजा में तथा चौथा केराकत में।

*१८---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृा पकरेगी कि उपर्युक्त डाकों में कितने मर्द, औरत तथा बच्चों की हत्या हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल एक मनुष्य की हत्या हुई।

*१९---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन डाकों से संबंधित डकैत पकड़े तथा मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रत्येक डाके से संबंधित डकैत पकड़े गये। कोई डकैत मारा नहीं गया।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक थाने के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों के घर डाका पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किन किन व्यक्तियों के घर डाका पड़ा उनका सबका नाम तो मेरे पास नहीं है जो लोग पकड़े गये उनके नाम मेरे पास हैं।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो पकड़े गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द----रामपुर वाली डकैती में खिलावन, बंस राज और जगरदेव शुक्ल पकड़ गय। मड़ियाहू वाली डकैती में बालकेश्वर दुबे, ननकू, कुदई, मूलचन्द, शारदागुसाईं और विशेश्वर चमार पकड़े गये। सराय ख्वाजा वाली डकैती में झूरी अहीर, जीतू चमार, जीवन खटिक, खिलावन चमार, चन्द्रबली पाठक, रामसुन्दर सिंह पकड़े गये और केराकत वाली में चन्द्रबली पाठक, राम नरेश सिंह और रामसरनधर पकड़े गये।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक डाके में कितने धन तथा जन की क्षति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका पूरा व्यौरा मेरे पास नहीं है।

रस्तोगी विद्यालय, फर्रुखाबाद में एक विद्यार्थी के प्रति निष्कासन आज्ञा रद्द करने की सूचना

*२०---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि श्री रस्तोगी विद्यालय, फर्रुखाबाद के बारहवीं कक्षा के किसी विद्यार्थी को अक्टूबर, सन् १९५२ में दी गयी निष्कासन आज्ञा को हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने "रिट" प्रार्थना पर कई मास हुये रद्द कर दिया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह---जी हां।

*२१—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि निष्कासन आज्ञा रद्द करने की सूचना प्रदेश के सब विद्यालयों को दे दी गयी है? यदि नहीं तो क्या सरकार अब सूचना भेजने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह— जी नहीं। सूचना समस्त सम्बन्धित लोगों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी गई है। विद्यालयों को सूचना जिला निरीक्षकों की ओर से ही भेजी जाती है।

कांधला (मुजफ्फरनगर) की पाठशाला के निर्माणार्थ सरकारी अनुदान

*२२—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसने कितना रुपया काँधला (मुजफ्फरनगर) की पाठशाला को बनवाने के लिये दिया?

डाक्टर सीताराम—१६,६००० रुपया।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब-कब और कितना-कितना दिया गया?

डाक्टर सीताराम—काँधला नगर में दो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। पहला नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसको सन् १९४६–४७ में ४,०००, १९४८–४९ में २,०००, १९५०–५१ में २,००० रुपया दिया गया और दूसरा इंटरमीडियेट कालिज है—हिन्दू इंटर कालेज काँधला। उसको १९४६–४७ में २,०००, १९४८–४९ में ४,४०० रुपये और १९४९–५० में १,००० रुपया और १९५०–५१ में १,५०० रुपया दिया गया। इस प्रकार १६,९०० रुपया दोनों पाठशालाओं को दिया गया।

श्री दीनबन्धु हाई स्कूल, कानपुर की मान्यता

*२३—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के श्री दीनबन्धु हाई स्कूल को जब जिला विद्यालय निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स) ने १७ जुलाई, सन् १९५१ में मान्यता प्रदान की तो उस समय उसके पास कितना कोष था और क्या कोई विद्यालय की रजिस्टर्ड कमेटी भी है?

डाक्टर सीताराम—मैनेजर ने २,००० रु० दिखाये थे। वार्षिक आय और व्यय प्रत्येक ११,२५० रु० था।

कोई अलग रजिस्टर्ड प्रबन्धकारिणी समिति न थी वरन् उसका सम्बन्ध शिक्षा सुधार समिति नेमषारायण से था जो रजिस्टर्ड समिति है। मान्यता के समय स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति को रजिस्टर्ड कराने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह स्कूल कब खुला?

डाक्टर सीताराम—इस स्कूल के खुलने की तो सूचना नहीं है लेकिन जहाँ तक इसके आवेदन-पत्र का सम्बन्ध है वह उन लोगों ने सन् १९५१ में दिया था।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि यह स्कूल जून, १९५१ में खुला और जुलाई, १९५१ में मान्यता प्रदान कर दी गयी?

डाक्टर सीताराम—उसकी सूचना नहीं है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार को यह पता है कि जब मान्यता प्रदान की गयी तब एक दर्जे से लगा कर दसवें दर्जे तक कुल ४९ लड़के थे ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना भी नहीं है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मान्यता देने के जो नियम हैं क्या सरकार उसमें कुछ छूट भी दे दिया करती है ?

डाक्टर सीताराम--नहीं, ऐसी बात तो नहीं है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार को यह पता है कि यह स्कूल जिस वक्त खुला था उस वक्त कृष्ण मन्दिर में इसका साइन बोर्ड था, उसके बाद फजलगंज नेता जी स्कूल के साथ चला गया, उसके बाद प्रेमनगर में चला गया और आज गाँधी चौक पर इसका साइन बोर्ड टंगा हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार को यह पता है कि इस स्कूल म जो लड़के पढ़ते हैं उनके फार्म म डर्न उद्योगशाला के द्वारा भेजे जाते हैं और इस प्रकार की शिकायत डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के पास लड़कों ने भेजी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन इस स्कूल की मान्यता छीन ली गयी है।

श्री माडल उद्योगशाला, कानपुर की मान्यता प्राप्ति

*२४--**श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की श्री माडल उद्योगशाला को जब जुलाई सन् १९५१ में मान्यता प्रदान की गयी तो उस समय विद्यालय का कितना कोष था और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर के आदेशानुसार जो निरीक्षण हुआ उसकी रिपोर्ट क्या थी और सरकार न इस उद्योगशाला को मान्यता प्रदान करने में क्या-क्या सुविधायें दीं और किन-किन शर्तों में ढिलाई की गई क्या उसे अब हायर सेकेंडरी की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है ?

डाक्टर सीताराम--मैनेजर ने १,२०० रु० का कोष दिखाया था और १३,३०० रु० आय और १३,२९० रु० व्यय भी दिखाये थे।

ऐसा कोई निरीक्षण नहीं हुआ अतः रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

न तो कोई विशेष सुविधाएं ही दी गई और न शर्तों के पालन में ढिलाई ही की गई।

जी हाँ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस वक्त इसको मान्यता प्रदान की गयी उस वक्त न तो इसके पास १५ हजार रुपये कोष में थे, न इसके पास बिल्डिंग थी, न कोई ट्रेंड टीचर्स ?

डाक्टर सीताराम--नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, इस स्कूल के पास छै में से दो ट्रन्ड टीचर्स थे।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---क्या सरकार को यह पता है कि इस स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिये अथारिटीज़ ने बगैर रिकगनिशन कमेटी को भेजे हुये स्पेशल पावर्स से यह तय करते हुये कि १५ हजार रुपये उन दिनों में जमा कर लिये जांय, उसको मान्यता प्रदान की?

डाक्टर सीताराम---इसकी तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहाँ तक रिकगनिशन का सवाल है वह रिकगनिशन बोर्ड के सामने जरूर जाता है और उसी की आज्ञा के मुताबिक रिकगनिशन दिया जाता है।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कूल के पास कोई अपनी निजी इमारत है।

डाक्टर सीताराम---जी हाँ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (ज़िला गोरखपुर)---क्या सरकार को यह विदित है कि इस स्कूल को जब मान्यता प्रदान की गयी उस समय इंटरमीडियेट बोर्ड और रिकगनिशन कमेटी दोनों ही स्थापित नहीं हुये थे?

श्री हरगोविंद सिंह---शायद ऐसा हुआ हो।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---सरकार ने जो अभी जवाब दिया कि इस स्कूल के पास अपनी निजी बिल्डिंग है, क्या यह जवाब सही है या ग़लत?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, सही मानकर ही उत्तर होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि इस स्कूल का साइन बोर्ड कानपुर के अलग अलग मुहल्लों में फिरता रहा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बिल्डिंग का नम्बर क्या है और कहाँ पर सिचुएटेड है?

डाक्टर सीताराम---यह स्कूल कानपुर से चार मील दूर स्थित है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा प्रसार की योजना के अनुसार मान्यता प्रदान करने के नियम अभी कठिन हैं?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, यह तो आपने आम सवाल पूछा।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि इसकी जो बिल्डिंग है वह किस मुहल्ले में है?

डाक्टर सीताराम---अभी मैंने बतलाया कि वह जगह कानपुर से चार मील दूर है जहाँ पर शरणार्थी और कुछ मजदूर वर्ग के आदमी रहते हैं। तो इसका सवाल नहीं उठता कि वह कहाँ है।

प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा कुख्यात डाकू मेंहदी की मृत्यु

*२५---श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)---क्या यह सच है कि जुलाई माह में प्रतापगढ़ की पुलिस का कुख्यात डाकू मेंहदी से मुकाबला हुआ और उसमें मेंहदी मारा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हाँ।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि डाकू मेंहदी के मारे जाने के बाद जरायम की हालत प्रतापगढ़ और उसके आस पास के जिलों में अच्छी हो गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हाँ, मेरी सूचना तो यही है।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन बहादुर पुलिस के सिपाहियों को सरकार कुछ इनाम देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार तो इस विचार को कार्यान्वित भी कर चुकी है। मेरे विचार से जब वहाँ इनाम बांटे गये थे उस समय वहाँ पर रामनरेश शुक्ल जी भी मौजूद थे।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कभी ऐसे डाकुओं के नाम पर भी इनाम बाँट देती है जो कि जिन्दा होते हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह तो केवल मजाक है।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या मेंहदी के मारे जाने के बारे में कोई जांच हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मारे जाने के बाद क्या जाँच होगी, यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई।

श्री दलबहादुर सिंह--क्या यह सच है कि लोगों को यह शक है कि मेंहदी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर मारा गया और मेंहदी को मशहूर कर दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिन लोगों के मन में शक है उनके दिमाग़ के सही होने कि बाबत भी शक किया जा सकता है।

श्री सीताराम शुक्ला (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके बतलायगी कि उस डाकू मेंहदी को मारने वाले सब-इन्सपेक्टर और सिपाहियों के क्या नाम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो आफिसर इन्चार्ज था उसका नाम सुखबीर सिंह है। सबके नाम तो मैं नहीं बतला सकता हूं।

डाक्टर मुकर्जी के निधन सम्बन्धी शोक सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबन्ध

*२६--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने डा० मुकर्जी के निधन पर २३ जून को पूरे उत्तर प्रदेश में शोक सभाओं को रोकने के लिए दफा १४४ के प्रयोग करने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- जी नहीं। बल्कि सरकार ने जून २४ को वायरलेस द्वारा कानपुर के सिवाय समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया कि वे अपने जिले में १४४ दफा लागू होने के बावजूद डाक्टर मुकर्जी के निधन पर शोक सभायें करने तथा जुलूस निकालने की आज्ञा दे दें।

*२७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में शोक सभा पर रोक लगाने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जम्मू प्रजा परिषद् आन्दोलन के कारण कानपुर शहर का वातावरण काफी दूषित हो गया था। १४४ दफा लागू होने से शहर में शान्ति भंग नहीं हुई। डाक्टर मुकर्जी के निधन की सूचना मिलने पर भारतीय जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय सदस्यों ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि डाक्टर मुकर्जी को जहर दिया गया और उन्होंने बलपूर्वक दूकानें बन्द कराने की कोशिश की जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो गई। ऐसी हालत में आम सभायें करने तथा जुलूस निकालने से शान्ति भंग होने की काफी आशंका थी। ऐसी परिस्थिति में जिलाधीश ने आम शोक सभा करने के लिये आज्ञा नहीं दी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार को पहले से मालूम था कि कानपुर में अशान्ति होने वाली है और इसी कारण से कानपुर को वायरलेस नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को यह तो नहीं मालूम था कि अशान्ति होने वाली है लेकिन यह मालूम था कि वहाँ दफा १४४ लग चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी थी कि यहाँ पर अशान्ति हो जाने की आशंका है इसीलिये सरकार ने उनकी डिस्प्रकेशन के मामले में दखल देना उचित नहीं समझा।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बतलायेंगे कि कान र की राजनैतिक पार्टियों, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, ने कलेक्टर से यह कहा था कि शान्ति भंग होने ी कोई आशंका नहीं थी लेकिन फिर भी कलेक्टर ने आज्ञा नहीं दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, लेकिन कांग्रेस कमेटी की तरफ से तो शान्ति भंग होने की आशंका नहीं थी इसलिये कलेक्टर ने यही मुनासिब समझा कि इस किस्म की आज्ञा न दी जाय।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या जिन जिलों में शोक सभा करने की अनुमति दी गई तो क्या वहाँ शान्ति भंग हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—मीटिंग पर रोक लगाने के लिये फूलबाग में कितनी पुलिस लगाई गई थी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि वह इस समय इतनी डिटेल बता नहीं सकेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—किन लोगों से शान्ति भंग होने की आशंका थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लोगों की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि उत्तर में कह दिया गया है भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ था जिसके कारण जिला मजिस्ट्रेट को आशंका हुई थी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या फूलबाग के आसपास किसी पत्रकार के प्रति अभद्र व्यवहार किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कई महीने की घटना हो गई है, मैं बिना सूचना के इसका उत्तर नहीं दे सकता।

देवरिया ज़िले में जेल और हवालात के निरीक्षक

*२८---श्री गेंदासिंह---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया ज़िले में जेल और हवालात के निरीक्षक कौन कौन से व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---देवरिया में जेल नहीं है और हवालातों के लिये निरीक्षक नहीं नियुक्त किये जाते हैं। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह---देवरिया ज़िले में कैदी जेलों में रहते हैं या और किसी स्थान में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जेलों में ही रहते थे और मैं उनको सूचना दे सकता हूं कि वह जिला किसी जिले से पीछे नहीं रहेगा, वहाँ भी जेल तैयार हो गयी है।

श्री गेंदा सिंह---इस समय देवरिया के क़ैदी कहाँ रहते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गोरखपुर में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है।

श्री गेंदा सिंह--- क्या यह सच है कि देवरिया जिले के कुछ लोग निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दे सकता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जेल का उद्घाटन किन के कर कमलों से होगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गेंदा सिंह---क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री जी को याद दिलाते हुये कि पं० सरजू प्रसाद जेल के निरीक्षक नियुक्त हुये हैं और उनकी नियुक्ति में हवालात का भी जिक्र है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- मुझे ठीक याद नहीं लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो ठीक ही होगा।

देवरिया जिले के कसया क्षेत्र में कत्ल, डकैतियां तथा चोरियां

*२९---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के अन्दर देवरिया जिले के कसया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कितने कत्ल, डकैतियाँ तथा चोरियां हुई हैं?

*३०--- क्या सरकार कृपया बतायगी कि उपर्युक्त थाने द्वारा इन वारदातों के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आवश्यक सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५६ पर)

श्री रामसुभग वर्मा--- क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहले साल कितने क़त्ल और डकैतियाँ हुयी थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५३ का सवाल है और १९५२ के आँकड़े मेरे पास नहीं हैं?

थानेदारों को घोड़े रखने का आदेश

*३१—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पुलिस विभाग का कोई नियम या आदेश ऐसा है कि सब-इन्सपेक्टर व थानेदार घोड़े रक्खा करें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस विभाग में ऐसा कोई नियम या आदेश नहीं है जिसके फलस्वरूप घोड़ा रखना इन लोगों के लिए अनिवार्य हो।

*३२—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रतापगढ़ में कितने थानेदारों के पास घोड़े हैं, और कितने के पास नहीं हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रतापगढ़ जिले में कुल ७ थानेदारों के पास घोड़े हैं और ४ के पास नहीं हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि पुलिस के थानेदारों के लिये घोड़ा रखना अनिवार्य हो जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैं सोच रहा हूं लेकिन आर्थिक दिक्कत ऐसी है कि मैं कह नहीं सकता कि यह विचार कब तक और कैसे कार्यान्वित होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार घोड़ा रखने वाले थानेदारों को कुछ घोड़ा अलाउन्स देती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैदानी क्षेत्रों के देहाती क्षेत्रों में ४५ रुपये माहवार, नगरों में ५० रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में ५५ रुपया माहवार देते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—पर्वतीय क्षेत्र से माननीय मंत्री का आशय हिमालय से है या विन्ध्याचल से है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हिमालय वाले क्षेत्र से।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि घोड़ा रखने वाले थानदारों के लिये सरकारी आदेश है कि चौकीदार महीने में ३ दिन जाकर घास छोले?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार कोई गलत आदेश कभी नहीं देती।

आज़मगढ़ जिला बोर्ड के लिए सरकारी सहायता

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड के शिक्षा विभाग के लिए सरकारी सहायता सन् १९४५ से सन् १९५२ तक अलग अलग वर्षों में कितनी कितनी दी गयी है?

डाक्टर सीताराम—आज़मगढ़ जिला बोर्ड को शिक्षा विभाग के लिये १९४५ से १९५२ तक निम्नलिखित अनुदान दिया गया है:—

वर्ष		सहायता	
१९४५–४६	..	२,६०,७२०	रु०
१९४६–४७	..	३,३०,५२०	,,
१९४७–४८	..	३,६६,०४७	,,
१९४८–४९	..	५,०६,१००	,,
१९४९–५०	..	४,०८,१२२	,,
१९५०–५१	..	५,१३,८१९	,,
१९५१–५२	..	८,५४,२६२	,,
१९५२–५३	..	८,४९,१८२	,,

श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को १९४८–४९ के मुकाबिले ४९–५० में १,००,९७८ रुपये कम देने का क्या कारण था?

डाक्टर सीताराम——१९४८–४९ में रुपया इसलिये कम दिया गया कि पिछले साल जितना रुपया था उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सब खर्च नहीं किया था। इसलिये यह आदेश दिया गया कि उस रुपये को वह अगले साल में काम में ले लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२ के मुकाबिले में १९५२–५३ में ५,१०० रुपये कम देने का क्या कारण था?

श्री हरगोविंद सिंह——वही कारण है कि पहले वर्ष का रुपया काफी बच गया था।

श्री रामसुदर पाण्डेय——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को १९४९ से ५३ तक कितना रुपया ज्यादा दिया गया है?

डाक्टर सीताराम——इसके लिये सूचना की जरूरत है।

पुलिस मालखानों में हथियारों की संख्या तथा उनका वितरण

*३४——**श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)**——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश के पुलिस मालखानों में कुल कितने हथियार पाये और कितने जब्त हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——उत्तर प्रदेश के पुलिस मालखानों में सन् १९५० और सन् १९५१ में क्रमशः ३५२१ और ३२९७ हथियार आये तथा १९८४ और ११३७ हथियार जब्त हुये।

*३५——**श्री भगवान सहाय**——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब्त शुदा हथियारों का क्या किया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——काम लायक जब्त शुदा हथियारों का कुछ भाग लाइसेंसदारों के हाथ बेच दिया जाता है तथा शेष सरकार की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रक्खा जाता है। जो काम लायक नहीं होते उन्हें या तो नष्ट कर दिया जाता है या आर्डिनेंस डिपो भेज दिया जाता है।

*३६——**श्री भगवान सहाय**——क्या सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट आयी है कि जिसमें यह हथियार डकैतों को दिये गये या डकैतियों में इस्तेमाल हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी हां, ऐसी एक रिपोर्ट आई है।

श्री भगवान सहाय——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट कहां से आयी है और उसमें किन-किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह रिपोर्ट रायबरेली से आयी है। वहां की एक डकैती में एक आदमी गिरफ्तार हुआ और जांच से यह मालूम पड़ा कि वह कानपुर के मालखाने की एक देसी पिस्तौल ले गया था।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के मालखाने के इंचार्ज के खिलाफ इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस सिलसिले में एक हेड कांस्टेबिल और दो कांस्टेबिल की जिम्मेदारी पायी गयी, जो जेल में है।

श्री भगवान सहाय--क्या इस इन्क्वायरी में मालखाना इंचार्ज की कोई जिम्मेदारी नहीं पायी गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं पायी गयी।

गोंडा जिले के कामरेड केशवराम शुक्ल की हत्या पर सरकारी कार्यवाही

*३८--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि गोंडा जिले के क्रांतिकारी नेता कामरेड केशवराम शुक्ल को सोते समय रात में कुछ आदमियों ने गत १६ फरवरी, १९५२ को देवीपाटन (गोंडा) में गोली से मार डाला था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*३८--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि हत्यारों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस मामले की जांच प्रारम्भ में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई परन्तु कुछ पता न चल सका। तत्पश्चात् यह मामला सी० आई० डी० को दिया गया परन्तु अभियुक्तों का पता लगाने में सफलता प्राप्त न हो सकी।

*३९--श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि इस विषय में कामरेड जोगेश चन्द्र चटर्जी और कामरेड झारखंडेराय की ओर से एक मेमोरेंडम मुख्य मंत्री की सेवा में दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। इस संबंध में जो कार्यवाही की गई, उसका उल्लेख प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर में किया जा चुका है।

फैजाबाद जिले में बिछैला के निकट पुलिस चौकी की आवश्यकता

*४०--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि फैजाबाद जिले के आसापरा, बन्दीपुर, बिछैला तथा तिघरा में फसल कटने, चोरी, डाके आदि की कार्यवाहियां अधिकतर हुआ करती हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, इन इलाकों में अपराधों की संख्या आस-पास के अन्य इलाकों की संख्या से अपेक्षाकृत अधिक नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि वहां अपराध खुल्लमखुल्ला हो रहे हैं और लोग अपराधियों के डर से रिपोर्ट नहीं करते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी सूचना मुझको नहीं है कि लोग किस वजह से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

*४१--श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या यह सत्य है कि टोंस नदी को पार कर वहां पहुंचने के लिये सुगम रास्ता न होने के कारण जिला के अधिकारी तथा जलालपुर थाने के अधिकारी को प्रायः वहां पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*४२--श्री राम नारायण त्रिपाठी--ऐसी परिस्थिति में क्या गृह मंत्री बिछेला के पास एक पुलिस चौकी कायम कराने की व्यवस्था करके इस क्षेत्र को उस चौकी के मातहत रखने का विचार रखते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन ग्रामों को पुलिस शासन के निमित्त आजमगढ़ जिले में सम्मिलित करने का सुझाव विचाराधीन है। यदि ऐसा न हुआ तो इस इलाके में एक पुलिस चौकी कायम करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जब वहां अपराधों की संख्या ज्यादा नहीं है तो सरकार वहां पुलिस चौकी क्यों कायम करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसलिये कि अगर किसी वक्त इत्तफाक से वहां जरायम बढ़ भी जाय तो उनकी रोक की जा सके और इस वजह से कि बरसात में वहां आदमी नहीं पहुंच पाते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उस क्षेत्र को पुलिस कामों के लिये आजमगढ़ में मिलाने अथवा वहां पुलिस चौकी कायम करने का अंतिम फैसला कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं कोशिश कर रहा हूं कि शीघ्र हो लेकिन कब तक होगा यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार इंटेलीजेंशिया डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जांच कराने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं जानता कि किस जुर्म की तरफ माननीय सदस्य का इशारा है दूसरे इंटेलीजेंशिया विभाग भी अभी तक कोई कायम नहीं हुआ है।

भटनी शुगर मिल (देवरिया) के चलाने की योजना

*४३--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भटनी शुगर मिल जो देवरिया में है लगभग ६ साल से बन्द है ? क्या सरकार के पास उसको चलाने के लिये कोई योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९४८-४९ की पेराई की ऋतु के पश्चात् से मिल बन्द है। नहीं।

श्री गेंदासिंह--कितने मजदूर बेकार हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके बारे में मैं कुछ नहीं बतला सकता हूं।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस मिल को दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। मिल के बन्द होने का कारण यह है कि मिल के प्रोप्राइटर्स में आपस में हगरी मुकदमेबाजी है, इस वजह से उसका काम चल नहीं रहा है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के ऊपर सरकार के इनकम टैक्स का कितना रुपया बाकी है? और क्या यह मिल किसी कस्टोडियन के चार्ज में है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके बारे में मैं ठीक नहीं बतला सकता हूं कि कितना रुपया बाकी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इस मिल को अपने कब्जे में लेकर अपने अथराइज्ड कंट्रोलर द्वारा इस मिल को चलाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसके लिये भी विचार किया गया लेकिन उस मिल की मशीनों वगैरह की हालत इतनी खराब है कि जांच करने पर मालूम हुआ कि उसका लेना ठीक नहीं है और उसे लेने के लिये कोई तैयार नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—तो क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो बकाया इस मिल के ऊपर है उसमें मिल को नीलाम करा दिया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अगर और कोई उपाय नहीं हुआ तो इसके सिवा दूसरा कोई चारा समझ में नहीं आता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह मिल कई बार नीलाम पर चढ़ी और उसकी तारीख आने पर बार बार टाल दी जाती है, नोटिस देने के बाद?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता कि क्यों टाल दी जाती है और कब कब तारीख टली।

नैनीताल तराई में चोरी और डकैतियां

*४४—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गत तीन महीने में नैनीताल तराई में कितने डाके पड़े और कितने गांव लूटे गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई नहीं।

*४५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या यह सत्य है कि जब से तराई में सरकार द्वारा पश्चिम पंजाब के जरायम पेशा लोग बसाये गये हैं तब से उक्त तराई में डाकों तथा लूटमारी की संख्या बढ़ी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शुरू में इन अपराधों में कुछ वृद्धि जरूर हुई मगर अब वे घट रहे हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन अपराधियों को हमारे प्रान्त से हटाने की भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन लोगों ने अपराध किया है उनमें कुछ ऐसे हैं जो इस सूबे में बस कर शांति के साथ रह जायेंगे लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शांति साथ नहीं बसेंगे तो उनको हटाना भी होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि पंजाब से आने वाले इन जरायम पेशा लोगों की संख्या कितनी है और उनको कितनी जमीन दी गयी है तथा उनके गुजारे का क्या प्रबन्ध किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न ऐसा है कि उनको कितनी जमीन इत्यादि दी गयी है, उसको सूचना तो इस वक्त मेरे पास है भी नहीं। संख्या उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही हजार है। इतना ही मैं इस वक्त कह सकता हूं।

परीक्षा केन्द्रों में नकल के कारण कतिपय केन्द्रों का तोड़ा जाना

*४६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि बहुतेरे परीक्षा केन्द्रों के प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण छात्रों में नकल कर के परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार ऐसे परीक्षा केन्द्रों के तोड़ने के लिये प्रश्न पर विचार कर रही है, जिनके बारे में ऐसी शिकायतें मिली हैं?

डाक्टर सीताराम—माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने आठ केन्द्र तोड़ दिये हैं और अन्य केन्द्रों के संबंध में उचित कार्यवाही की है तथा कुछ केन्द्रों के विषय में वे जांच कर रहे हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी उन परीक्षा केन्द्रों के नाम बतला सकते हैं जिनके संबंध में शिकायतें आयी हैं।

डाक्टर सीताराम—इस साल २६ केन्द्रों के संबंध में शिकायतें आयी हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इतने नाम बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी उन परीक्षा केन्द्रों के नाम बतला सकते हैं जिनको तोड़ दिया गया है?

डाक्टर सीताराम—सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, नजीबाबाद, बिजनौर, तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली, चहारवती हायर सेकेंडरी स्कूल, अन्दोला आगरा, राजाशंकर सहाय हायर सेकेंडरी स्कूल, उन्नाव, जयनारायण हायर सेकेंडरी स्कूल, बनारस, बी० एन० इंटर मीडियेट कालेज, मझौली राज, देवरिया, बसंत हायर सेकेंडरी स्कूल, मिर्जापुर, म्युनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, जूही, कानपुर।

श्री बाबूनन्दन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण छात्रों में नकल करने की वृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिये सरकार क्या सोच रही है?

डाक्टर सीताराम—कुछ परीक्षा केन्द्र तोड़ दिये गये हैं जैसा अभी बतलाया है और कुछ प्रबन्धकों के सम्बन्ध में जाँच हो रही है तथा विचार हो रहा है कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या नकल करने की और नम्बर बढ़वाने की प्रवृत्ति यूनिवर्सिटी के छात्रों में भी पाई जाती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा हो सकता है।

आगरा जिले में हरिजनों को मकान तथा कुएं बनवाने के लिये सहायता

*४८—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष हरिजनों के लिए मकान तथा पानी के कुएं बनवाने

के लिए कितना रुपया आगरा जिला को प्रदान किया गया तथा जिला अधिकारियों द्वारा यह रुपया किस प्रकार व्यय किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में आगरा जिला में ४,००० रु० मकानों के लिए तथा ८,००० रु० पानी पीने के कुएं के हेतु धन स्वीकृत हुआ था।

मकानों की मरम्मत हेतु नाला नूरी दरवाजा, आगरा नगर के ४९ हरिजनों को २,००० रु० दे दिया गया। शेष २,००० रु० ग्राम धनौली के २४ निवासियों को मकान निर्माण करने के हेतु वितरित किया गया।

कुंओं की मरम्मत के लिये ८,००० रु० स्वीकृत धन १७ हरिजनों को स्वीकृत किया गया।

*४९--श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में हरिजनों के रहने के लिये कितने मकानों का निर्माण आगरा जिले में किया गया और कहाँ कहाँ ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वित्तीय वर्ष १९५०-५१ में कोई अनुदान नहीं दिया गया।

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के लिए सदस्य महोदय कृपया उपरोक्त प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर को देखें।

*५०--श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष जिला प्लानिंग आफीसर, आगरा के पास कितने हरिजनों ने कुआं खुदवाने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे और कुल कितने कुयें बनवाये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में लगभग ५० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

कुंओं की मरम्मत के लिये १७ हरिजनों को धन स्वीकृत किया गया।

जिला फर्रुखाबाद में डकैतियों तथा कत्लों की संख्या

*५१--श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो वर्षों में जिला फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष कितने कत्ल तथा डकैतियाँ हुईं ? उनमें कितनों की जाँच तथा मुकदमें में पुलिस सफल हुई तथा कितने मुकदमें अभी चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माँगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५७ पर)

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में कत्ल और डकैतियां अधिक होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो इसका ठीक कारण मैं नहीं बता सकता।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--१९५१ से ५२ में कत्ल के चालान कम किये गये इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५१ की अपेक्षा सन् १९५२ में चालान कत्ल के भी और डकैती के भी अधिक हुए।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--सन् १९५१ में कत्ल के मुकदमें कम कामयाब हुये इसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट्स ठिकाने से नहीं हुई होगी या काफी सबूत नहीं मिल सकता होगा।

जिला गढ़वाल में शिल्पकार कालोनियों में पानी का अभाव

*५२--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल के पौड़ी, लैन्सडाउन, चमोली तहसीलों में शिल्पकारों के खेती करने को कुन्दीनगर, गरीबनगर, कस्वीनगर, बुशनगर, बमेला, आदि ग्रामों में जगह मिली हुई है?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ। किन्तु जिला गढ़वाल में बुशनगर नाम का कोई गाँव नहीं है।

*५३--श्री खुशीराम--क्या यह सही है कि उपर्युक्त शिल्पकार कालोनियों में कुन्दीनगर, कस्वीनगर वगैरह में पीने का पानी १ मील या डेढ़ मील से लाया जाता है?

डाक्टर सीताराम--कस्वीनगर में पीने का पानी एक फर्लांग की दूरी पर है। गरीबनगर में भी पीने का पानी एक मील की दूरी पर है। कुन्दीनगर में पानी नयार नदी से लाया जाता है जो एक मील की दूरी पर है। बमेला गाँव में अभी कोई आबादी नहीं है।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गरीबनगर या कुन्दीनगर में मील डेढ़ मील से पानी आता है इसके लिये कोई सुविधा देने का प्रबन्ध सरकार करेगी?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये सरकार ने इस साल १२ हजार ५ सौ रुपया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को दिया है और गाँव वालों को चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर से सम्बन्ध रखें और उनको आवेदन-पत्र दें। वे कुछ कार्यवाही करेंगे।

गढ़वाल जिले में पुलिस के खिलाफ़ शिकायतें

*५४--श्री खुशीराम--विधान सभा की बैठक दिनाँक २७ मार्च, सन् १९५३ ई० के सवाल नं० ३८, ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें पुलिस की घूसखोरी, मारपीट व बलात्कार की जिलाधीश के पास हुई उन पर कोई जाँच की गयी? यदि हाँ, तो यह शिकायतें कहाँ तक सही थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हाँ, घूसखोरी और मारपीट की शिकायतें किसी हद तक सही पाई गईं।

टेहरी-गढ़वाल विद्या प्रसार ट्रस्ट को सहायता

*५५--श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह टिहरी-गढ़वाल विद्या प्रसार ट्रस्ट को, जिसके लिए टिहरी-

---

नोट--प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने पर प्रश्न ५४--८८ सदन में नहीं लिये गये।

गढ़वाल स्टेट विधान सभा (Constituent Assembly) ने स्टेट से प्राप्त (assests) से २० लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी, कब तक देने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---टेहरी-गढ़वाल विधान सभा के प्रस्तावानुसार २० लाख रुपये का ट्रस्ट राज्य के धनकोष में से ही बनना था। राज्य के इस प्रदेश में विलीन होने के बाद जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि ऐसी सम्भावना नहीं है कि राज्य में प्राप्त धनराशि में से राज्य की देनदारी (liabilities) निकालने पर कोई बचत होगी । राज्य की सम्पत्ति (assests) की काफी धनराशि ऋण तथा अग्रिम धन (advances) के रूप में बाहर है जिसका वसूल होना संदेहात्मक है। लेकिन शिक्षा विभाग टेहरी में शिक्षा प्रसार के सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध कर ही रहा है और करता रहेगा ।

१८५७ के आंदोलन को कुचलने वालों के स्मारकों को हटाने पर विचार

*५६---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार प्रदेश में ऐसे स्मारकों को हटाने पर विचार करेगी जो उन लोगों की स्मृति में स्थापित किये गये थे जिन्होंने सन् १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दोलन को कुचलने में विशेष प्रयत्न किया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजापुर, जिला बांदा में तुलसी-स्मारक का निर्माण

*५७---श्री देवकी नन्दन विभव--- क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेशीय साहित्य सम्मेलन के उस प्रस्ताव की ओर गया है जिसमें राजापुर, जिला बाँदा में महाकवि तुलसीदास जी के स्मारक बनाने की माँग की गई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---राजापुर में तुलसी-स्मारक का संरक्षण करने के लिये सरकार को स्वयं ही बड़ी चिन्ता है और इस कार्य के निर्माण के लिये १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में २०,००० रु० का अनुदान दिया गया है।

जौनपुर में अपराध निरोधक समिति

*५८---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर में अपराध निरोधक समिति कायम की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की जिला कमेटी कुछ साल पूर्व स्थापित की गई थी परन्तु कार्य सुचारुरूप से न चलाने की वजह से वह मई सन् १९५२ ई० में भंग कर दी गई थी और अब वहाँ ऐसी कमेटी नहीं है ।

*५९---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---यदि हाँ, तो उस समिति में कितने और कौन कौन लोग मेम्बर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सवाल नहीं उठता।

*६०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जौनपुर में बन्दियों के लिए कोई आश्रम (प्रिजनर्स होम) कायम किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी नहीं।

कानपुर में पिस्तौल के लाइसेंस

*६१—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के जिलाधीश ने जनवरी, १९५३ ई० में किन किन लोगों को रिवाल्वर या पिस्तौल के लाइसेंस दिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ५७ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये। नामों की सूची लम्बी है। सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*६२—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में किन किन लोगों को पिस्तौल या रिवाल्वर के लाइसेंस जनवरी, १९५३ ई० में वापस करने की आज्ञा दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री पुत्तन लाल शुक्ला को पिस्तौल का लाइसेंस वापस करने की आज्ञा दी गयी।

*६३—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार कानपुर के उन लोगों के नाम बताने की कृपा करेगी जिन्होंने सन् १९५१-५२ और जनवरी १९५३ ई० में रिवाल्वर या पिस्तौल का लाइसेंस प्राप्त करने की दरख्वास्त दी थी पर वह स्वीकृत नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल क्रमशः ७९, १५२ और २९ व्यक्तियों की दरख्वास्तें अस्वीकार कर दी गईं। नामों की सूचियाँ लम्बी हैं। सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

मिर्जापुर जिले में हरिजन छात्रावास की आवश्यकता

*६४—श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में एक हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु कुछ रुपया मंजूर हुआ था और जिसका शिलान्यास मुख्य मंत्री ने किया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हाँ।

*६५—श्री राम स्वरूप—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह अभी तक अधूरा पड़ा है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हाँ।

*६६-६८—श्री बाबूनन्दन—[स्थानान्तरित किये गये।]

थाना छाता, जिला मथुरा में कत्ल के मामले

*६९—श्री राम हेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मथुरा जिला के छाता थाने में सन् १९४६ के बाद कितने कत्ल के केस हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१२।

जूनियर हाईस्कूल मुक्तेश्वर (नैनीताल) को मान्यता

*७०—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह जूनियर हाई स्कूल मुक्तेश्वर को कितनी आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष देती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में २६७६ रु० अनुपालन अनुदान तथा ३६० रु० मंहगाई अनुदान दिया गया ।

*७१—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार के पास जूनियर हाई स्कूल मुक्तेश्वर (नैनीताल जिला) को हायर सेकेन्ड्री स्कूल की मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र आया है ? अगर हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हाँ, इस संस्था को वाँछनीय मान्यता प्रदान कर दी गई है ।

*७२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में हायर सेकेंड्री स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हैं यदि हाँ तो क्या और क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं ।

अलीगढ़ में बन्दूक, रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंसों का वितरण

*७३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५२ तथा १९५३ में कितने व्यक्तियों को बन्दूक रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस जिलाधीश द्वारा दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला अलीगढ़ में सन् १९५२ में बन्दूक के २३३ और रिवाल्वर पिस्तौल के ४३ लाइसेंस दिये गये तथा १९५३ में बन्दूक के २१९ और रिवाल्वर, पिस्तौल के ५० लाइसेंस प्रदान किये गये ।

*७४—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कुछ हिस्ट्रीशीटर (History Sheeters) तथा सजायाफ्ता भी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ । केवल ६ ऐसे व्यक्ति हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल एम० एल० ए० द्वारा पडरौना मिल के मैनेजमेन्ट के खिलाफ शिकायत

*७५—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि डी० एम० देवरिया के पास कुछ समय पहिले श्री जगन्नाथ मल्ल एम० एल० ए० ने यह शिकायत लिखकर भेजी है कि पडरौना मिल के मैनेजमेंट ने यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन किया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, श्री जगन्नाथ मल्ल, एम० एल० ए० देवरिया ने इस प्रकार की शिकायतें जिलाधीश देवरिया के पास भेजी थी जिलाधीश देवरिया ने इस मामले में जाँच करके श्री जगन्नाथ मल्ल को उत्तर दे दिया है ।

ग्राम आदमपुर, जिला आजमगढ़ में डकैती

*७६—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदमपुर थाना घोसी जिला आजमगढ़ में २८ व २९ अप्रैल की दरम्यानी रात को कोई डकैती पड़ी थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मारपीट की एक घटना अवश्य हुई थी । इस घटना के संबंध में जो मुकदमा श्री रामदास ने अदालत में दायर किया था वह खारिज हो गया ।

सरकारी हायर सेकण्डरी स्कूल अमरोहा में साइन्स क्लासेज़ की आवश्यकता

*७७--श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार के पास अमरोहा जिला मुरादाबाद की जनता के कोई प्रार्थना-पत्र गत दो वर्षों में इस आशय के आये हैं कि अमरोहा सरकारी हाई स्कूल में ग्यारहवाँ और बारहवाँ दर्जा साइन्स में खोल दिया जाय?

श्री हरगोविंद सिंह--जी हाँ।

गाजियाबाद थाने के अन्तर्गत कत्ल तथा मोटर एक्सीडेण्ट

*७८--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद थाने में मई, जून, जुलाई, सन् ५३ के तीन महीने में कितने कत्ल हुये और कितनी मृत्यु मोटरों के एक्सीडेन्ट से हुईं?

*७९--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोषियों को दंड देने के लिये पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माँगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५८ पर)

भीषण वर्षा के कारण घाटमपुर जिला कानपुर के हरिजनों को क्षति

*८०--श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले के घाटमपुर कस्बे में वर्षा में पानी रुक जाने के कारण गरीब हरिजन श्रमजीवियों के घर पानी में घिर गये हैं और उनके निकलने, बैठने तथा पशुओं को बाँधने आदि में बड़ी परेशानी होती है?

श्री हरगोविंद सिंह--गत अगस्त मास के अंतिम सप्ताह में भीषण वर्षा के कारण घाटमपुर ग्राम के हरिजनों के ७ मकानों को आँशिक क्षति पहुंची किन्तु कोई भी हरिजन गृहहीन नहीं हुआ। आबादी के बाहर तालाब में बाढ़ आने के कारण आबादी के कुछ भाग के अन्दर पानी घुस गया और दो तीन बार गलियों में पानी दिन रात भरा रहा किन्तु किसी घर या पशु गृह में पानी नहीं गया और न पानी इतना गहरा था कि ग्रामीणों को या पशुओं को आबादी के बाहर जाने से रोक सके।

*८१--श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी जिससे कि वर्षा में वहाँ पानी न रुका करे?

श्री हरगोविंद सिंह--जी हाँ।

*८२--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या इन श्रमजीवी लोगों को जिनके घर इस वर्षा में गिरे हैं गृह निर्माण के लिये सरकार कुछ सहायता दे सकेगी?

श्री हरगोविंद सिंह--जी हाँ।

बेरोजगारी दूर करने के लिये शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता

*८३--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पढ़े लिखे नवयुवकों की बढ़ती हुई बेकारी को देखते हुये वह शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करने जा रही है?

श्री हर गोविन्द सिंह---शिक्षा पद्धति में परिवर्तन पढ़े लिखे नवयुवकों की बढ़ती हुई बेकारी की समस्या का केवल एक अंग है। फिर भी हमारे नवयुवक अधिकाधिक स्वावलम्बी, आत्म निर्भर एवं स्वाध्याय के उपरान्त उपयोगी नागरिक हो सकें इस दृष्टि से उत्तर माध्यमिक शिक्षा सुधार समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

होम साइन्स कालेज में ट्रेनिंग के लिये बालिकाओं के प्रार्थना-पत्र

*८४--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होम साइन्स कालेज में ट्रेनिंग के लिये बालिकाओं के प्रार्थना-पत्र आये नहीं थे या सरकार की तरफ से लिये ही नहीं गये?

श्री हरगोविंद सिंह---प्रार्थना-पत्र आये थे।

स्कूल निरीक्षिका तथा निरीक्षक के वेतन तथा अन्य सरकारी कार्यों में अंतर

*८५---श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल निरीक्षिका तथा स्कूल निरीक्षक की तनख्वाह और अन्य सरकारी सुविधाओं में कुछ अन्तर रखा गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हरगोविंद सिंह---जी नहीं, कोई अंतर नहीं रक्खा गया है।

*८६---श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी है कि स्कूल निरीक्षक के बंगले पर फोन दिया गया है और स्कूल निरीक्षिका के बंगले पर नहीं? यदि ऐसा है तो क्यों?

श्री हरगोविंद सिंह---किसी भी स्कूल निरीक्षक या स्कूल निरीक्षिका के बंगले पर सरकारी टेलीफोन नहीं दिया गया है।

बस्ती ज़िले के हरिजनों के कुओं की सूची

*८७---श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा कर के बस्ती जिला के अन्तर्गत जितने हरिजन कुयें मार्च ५२ से मार्च ५३ तक बने हैं उनकी सूची तहसीलवार देने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविंद सिंह---बस्ती ज़िले में मार्च १९५२ से मार्च १९५३ तक १५ नये हरिजन कुयें बने तथा १० पुराने कुओं की मरम्मत हुई। उनकी तहसीलवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ---४५९ पर)

कला अध्यापकों के वेतन पर निर्णय

*८८---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश के कला अध्यापकों के वेतन क्रम के विषय में, जो सन् १९५० से सरकार के विचाराधीन था क्या निश्चय किया है?

श्री हरगोविंद सिंह---अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

बुलंद शहर जिले की शिक्षण संस्था को सहायता

१---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस शिक्षण संस्था को कितनी-कितनी वार्षिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है?

श्री हरगोविंद सिंह—तीन तालिकायें सदस्य महोदय की मेज़ पर रख दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६०-४६२ पर)

गाज़ीपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमें

२—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाज़ीपुर ज़िले में पुलिस कर्मचारियों पर कितने मुक़दमें अदालतों में चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६ ।

उन्नाव जिले में बांगरमऊ थाने के अंतर्गत डकैती

३—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में थाना बाँगरमऊ के अन्तर्गत माह जुलाई, सन् ५३ ई० में कितनी डकैतियाँ पड़ीं और उनमें से प्रत्येक में कितने कत्ल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माह जुलाई, सन १९५३ में बाँगरमऊ थाने के अन्तर्गत कोई डकैती नहीं पड़ी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

थाना कन्धरापुर, ज़िला आज़मगढ़ में १०७/११७ के मुक़दमे

४—श्री उमाशंकर (जिला आज़मगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़ में कितने मुक़दमें १०७/११७ ताजीरात हिन्द के चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२८ ।

शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के पास सरकारी गाड़ियां

५—श्री गेंदा सिंह—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के पास कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, कब से हैं और जब से उनके पास हैं वे कितने मील चली हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह—(१)—एक जीपकार ता० १-१०-१९५१ से है। ५,६६२ मील चली है।

(२) शिक्षा प्रसार विभाग की एक स्टेशन वैगन ता० ५-८-५१ से है। यह २१,३२८ मील चली है।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के झगड़े के सम्बन्ध में गृह मन्त्री का वक्तव्य

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अक्टूबर सन् १९५३ के शुरू में जब देश की कपड़े की मिलों में तयार माल की बिक्री कम हो जाने की वजह से उनके यहां स्टाक बहुत जमा हो गया था कानपुर के कपड़े की कुछ मिलों ने भी सरकार से इस बात की इजाज़त चाही कि तीन पाली चलाने वाली मिलें सिर्फ दो पाली चलायें। इनमें स्वदेशी काटन मिल भी थी। इस बात की जांच हो ही रही थी कि भारत सरकार ने कपड़े की मिलों की हालत सुधारने

के लिये कुछ सहूलियतें दीं। इनसे कानपुर की भी अप्रत्यक्ष रूप से हालत कुछ संभल गयी, लेकिन स्वदेशी काटन मिल में विशेष फर्क नहीं हुआ। इस मिल के मालिकों ने अपने माल की तैयारी कम करने और खर्चा घटाने की गरज से मजदूरों की छटनी करके तीन पालियों के बदले दो पाली करने की मांग जारी रखी। चूंकि मौजूदा हालत में इस तरह छटनी की इजाज़त देना मुनासिब नहीं समझा गया, इसलिये इस बात की जांच शुरू की गयी कि मुस्तकिल मजदूरों की छटनी के बिना यह मिल किस तरह चलायी जा सकती है। कई तरह के सुझावों को देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि मुस्तकिल मजदूरों की छटनी तभी बच सकती है जब मिल हफ्ते के सब दिनों में काम करे और मजदूरों का एक हिस्सा बारी-बारी अपनी हफ्तेवार छुट्टी मनाता रहे। इसका मतलब यह था कि पुरानी तीन पालियों के बदले मजदूरों की दो पूरी पालियां चलायी जायं और एक तीसरी छोटी पाली बनायी जाय जिसमें ११४ मजदूर काम करें। इस योजना के अनुसार इतवार को भी मिल चलाने की बात थी। लागू करने से पहले इस योजना की मोटी-मोटी बातें मिल के प्रमुख मजदूरों और उनके नेताओं को लेबर कमिश्नर ने बताई और उनसे जो बातचीत हुयी उससे सरकार को यह यक़ीन हुआ कि इस नयी योजना का कोई विरोध नहीं किया जायगा, लेकिन १६ नवम्बर को जब इस योजना के मुताबिक मिल में काम शुरू होने को था तब कुछ लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया और मजदूरों को नये तरीके से काम पर जाने से रोका गया। इससे मिल पर कुछ गड़बड़ी भी पैदा हुयी लेकिन सरकार की ओर से मुनासिब इन्तज़ाम किया गया और उसको बढ़ने नहीं दिया गया।

उसी वक्त से इस मिल में काम रुका हुआ है। मजदूर पुराने तरीके से काम करने के लिये जाना चाहते हैं और मिल मालिक उस तरह से उनको काम पर लेने के लिये तैयार नहीं हैं। १६ नवम्बर के बाद से मिल के फाटक अपने वक्त पर खोले जाते हैं लेकिन मजदूरों के न आने की वजह से. फिर बन्द कर दिये जाते हैं। इसी बीच में कुछ यूनियनों ने लेबर एपिलेट ट्रिब्युनल के सामने यह दरख्वास्त भी दी है कि नयी पालियों की योजना गैरक़ानूनी है और उसे रद्द करके पुराने ही तरीके से मिल चलाने के लिये हुक्म होना चाहिये। ट्रिब्युनल ने भी इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है।

यह झगड़ा शुरू होते ही सरकार की ओर से इसको तय कराने की कोशिश की गयी और अब भी की जा रही है। लेबर कमिश्नर ने कई बार दोनों तरफ के लोगों को बुलाकर उनसे बात चीत की और कई सुझाव इस झगड़े को हल करने के लिये उनके सामने रखे लेकिन कोई सुझाव सर्वमान्य नहीं हो सका। मैं भी इस झगड़े को हल करने के लिये खुद कानपुर गया और वहां लम्बे अरसे तक दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की। मैंने भी मसले को तय करने का एक सुझाव अपनी ओर से रखा लेकिन अन्त में यह कोशिश भी नाकामयाब रही। फिर भी सरकार की ओर से झगड़े को तय करने की कोशिश जारी है और इस वक्त भी कई सुझाव दोनों ओर के लोगों के सामने हैं, जिन पर वे लोग गौर कर रहे हैं। सरकार अब भी यह समझती है कि स्वदेशी काटन मिल का यह झगड़ा ऐसा नहीं है कि जो आपसी समझौते से तय न हो सके। सरकार को यह उम्मीद है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की दिक्कतों को समझेंगे और इस तरह झगड़े को तय कर सकेंगे। इस बात की आशा है कि दो चार दिन में यह मामला सुलझ जायगा। मुझे कानपुर से जो समाचार अभी आध घंटे पहले मिला है उसके आधार पर ऐसा कहता हूं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सदन में ऐसी बातें न कही जायं, जिनसे कटुता बढ़े, और इस प्रश्न का जिसके साथ लगभग दस हजार व्यक्तियों की जीविका सम्बद्ध है सुलझाव और जटिल हो जाय। इस सिलसिले में कानपुर की और दूसरी मिलों में कोई गड़बड़ी नहीं हुयी है और उनका काम बराबर ठीक चलता रहा है। सरकार के सामने कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिससे यह समझा जाय की कानपुर की दूसरी मिलों में निकट भविष्य में हड़ताल होने की सम्भावना है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके अलावा दूसरा मामला लक्ष्मी रतन काटन मिल्स का है और उसका लेबर से भी कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो केवल सुरक्षा ही से सम्बन्ध रखता है और कानपुर जिला मैजिस्ट्रेट की जो विज्ञप्ति निकली है उसने इस मामले पर काफी प्रकाश डाल दिया है। "कुछ दिन पहले हिन्द मजदूर सभा, (प्रजा सोशलिस्ट) ने २५ से २७ दिसम्बर तक होने वाले अपने प्रस्तावित वार्षिक सम्मेलन के सम्बन्ध में लाउड स्पीकर से घोषणा करने की अनुमति प्राप्त की थी। आज १६-१२-५३ अपराह्न में लक्ष्मी रतन काटन मिल के पास जहां निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करके एक अवैध सभा करने का विचार था। जिस समय घोषणा की जा रही थी लाउड स्पीकर लगाये हुये तांगे के पीछे हिन्द मजदूर सभा के लगभग २०० समर्थकों का एक जुलूस चल रहा था। पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर ने जिन के अधीन पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी भी थी इस अवैध जलूस के संगठनकर्ताओं तथा समर्थकों से तितरबितर होने के लिये कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और विरोधी रुख अपनाया और पुलिस वालों पर ईंट फेंकना आरम्भ कर दिया। घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस तुरन्त पहुंच गयी और कुछ प्रमुख उपद्रवी गिरफ्तार कर लिये गये, जिन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने यह गैरक़ानूनी काम किया। जो लोग अब तक गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से श्री राजाराम शास्त्री एम०एल०सी०, श्री विमल मेहरोत्रा सम्मिलित हैं और स्थिति काबू में है।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि कानपुर में पूर्ण शांति है और कहीं भी इसकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुयी है।

कानपुर में श्री राजाराम शास्त्री तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---पहले वक्तव्य के सम्बन्ध में तो कोई चर्चा नहीं होगी। उसके अलावा मैं श्री मदन मोहन उपाध्याय से पूछना चाहता हूं और वह बतलावें कि कामरोको प्रस्ताव के विषय में मामूली इंतजाम के अलावा कुछ सरकार का इसमें हाथ है या नहीं, अगर सरकार का हाथ है तब तो विचार हो सकता है लेकिन अगर मामूली इन्तजाम की ही बात होगी तो कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है, ऐसा नियम है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय गृह मंत्री जी के बयान को सुन कर बड़ा दुख हुआ। मैंने जो कामरोको प्रस्ताव रखा था वह इसलिये रखा था कि मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी से कानपुर की परिस्थिति बिगड़ने की पूरी-पूरी सम्भावना है और वह कुछ हद तक बिगड़ भी चुकी है। मैं स्वदेशी काटन मिल की चर्चा न करूंगा लेकिन वहां के मामले को लेकर सारे भारतवर्ष में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि हिन्द मजदूर सभा ने भी अपनी आल इंडिया कान्फ्रेंस, कानपुर में २५,२६,२७ को करना तय किया है जिसके चेयरमैन राजाराम शास्त्री हैं और जनरल सेक्रेटरी विमल मेह-रोत्रा हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि आपने कोई परामर्श गवर्नमेंट से किया या जिलाधीश के हुक्म पर ही बहस कर रहे हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---परामर्श तो अभी हमने अपने लोगों से ही किया है।

श्री अध्यक्ष---आप यह बतायें कि उसमें (गिरफ्तारी में) गवर्नमेंट का हाथ कैसे है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--जी हां, मैं यही बता रहा हूं। यह तो ठीक ही है कि जहां तक साधारण ला ऐन्ड आर्डर का सवाल है उस पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह इस तरह की साधारण बात नहीं है। कोई नहीं चाहता था कि किसी तरह का घपला हो और इस लिये पहले तो डुग्गी से ऐलान करने की इजाजत मांगी गयी और उसकी इजाजत भी राजाराम जी शास्त्री को ४ से ८ बजे तक एलान करने की मिल गयी लेकिन जब वह मिल के पास एलान करने जाना चाहते थे तो हिन्द मजदूर के दफ्तर में जा कर कहा गया कि अगर एलान करने कोई आयेगा तो हम उनको मारेंगे इस पर श्री राजाराम शास्त्री ने डी०एम० को एक पत्र लिखा कि हम हिन्द मजदूर कांफ्रेंस के सम्बन्ध में ऐलान करने जा रहे हैं और लेबर अफसर साहब कह रहे हैं कि झगड़ा होगा और इसी लिये वहां पुलिस का इन्तजाम काफी कर दिया गया ताकि कोई घपला न हो। जब वहां पर तांगा लेकर लोग एलान करने पहुंचे तो लक्ष्मी रतन मिल के लोगों ने उनके तांगे पर हमला किया, घोड़ा खोल दिया और तांगा हटा दिया और सामान भी फेंक दिया इसके बाद उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें कहां आती है। अभी तक तो नहीं आयी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं वही बतला रहा हूं। जब राजाराम शास्त्री जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मदद मांगी थी और पुलिस भेजने को कहा था तो पहले तो पुलिस का इंतजाम नहीं किया जब राजाराम जी को पता चला कि ऐसा वाकया हो रहा है तो वह वहां जाते हैं और लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब राजा राम शास्त्री लौटते हैं, उस वक्त वहां जो भीड़ थी वह दूसरी शिफ्ट वाले लोग थे जिनको कि एलान कर रहे थे। जब राजाराम जी थाने की तरफ रिपोर्ट करने के लिये गये तो कुछ लोग उनके पीछे लग गये।

श्री अध्यक्ष--मैं अब इससे ज्यादा आपको लैटीच्युड नहीं दे सकता हूं आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप कृपा करके बैठिये। मैं बतला दूं।

मैं यह चाह रहा था कि अगर वहां राजाराम शास्त्री जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलते हैं और उससे मदद मांगते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ करता है तो वह लोकल मामला है और साधारण ला ऐन्ड आर्डर का सवाल है। कोई गवर्नमेंट की नीति का सवाल उसमें नहीं आता। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की कोई नीति का सवाल या ऐसी कोई चीज अगर आप नहीं बतायेंगे..................

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं उसी को समझा रहा था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यहां पर सब लोग काफी समझदार हैं कोई और प्रचार करने का यह स्थान नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--हिन्द मजदूर सभा की जो कांफ्रेंस कानपुर में होने जा रही है इस स्वदेशी काटन मिल के झगड़े का हल करने का भी सवाल उसमें है और इसी हिन्द मजदूर सभा की कांफ्रेंस को कामयाब न होने देने की गरज से सरकार ने यह नीति अख्तियार की है कि अगर कहीं इसके प्रयत्नों से स्वदेशी काटन मिल का झगड़ा सुलझ जाता है तो उनका प्रभाव खत्म हो जायगा और इसीलिये उसके स्वागत कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी आदि को गिरफ्तार कर लिया जाय ताकि यह कांफ्रेंस होने ही न पाये। हर राजनैतिक पार्टी अपनी-अपनी कोशिश करती है। उन्होंने यह कोशिश की है कि अगर कहीं हिन्द मजदूर सभा के जरिये इसका फैसला हो गया तो कानपुर के मजदूर सब उनके खिलाफ हो जायेंगे इसलिए सरकार इसमें आयी है।

श्री अध्यक्ष—आपके पास कोई इसका प्रमाण है कि सरकार का कोई इस तरह का हुक्म गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—इस तरह के हुक्म तो अन्दरूनी हुआ करते हैं। यह सबको मालूम नहीं हो पाते ।

श्री अध्यक्ष—मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यहां से कोई ऐसा डाइरेक्टिव तो नहीं गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अगर हमको डाइरेक्शन देना होता तो हम कांफ्रेंस को ही बैन कर देते ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं आपको बता दूं यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम है। इसके लिये कामरोको प्रस्ताव नहीं हो सकता है। इसके लिये मैं आपको एक पुरानी रूलिंग पार्लियामेंट की भी बता देना चाहता हूं और वह यह है :—"An adjournment motion was sought to be moved to discuss the arrest and detention of Mr. Sarat Chandra Bose under the orders of the Government of India. The Government objected on the ground that the order was passed in the ordinary administration of the Law but the President, holding the motion in order, observed:

I do not think this a case which can be said to be covered by the doctrine relating to ordinary administration of law. A question like this is analogous to cases which have been dealt with by this House on an adjournment motion relating to persons arrested under Regulation 3 of 1818. The phrase, "ordinary administration of Law", I might explain to the House, refers to cases where a person is arrested or detained under an ordinary process of law, for instance, by a magistrate or any other similar authority. Here what is complained of is an act of the Government of India itself." गवर्नमेंट की वहां प्रत्यक्ष आज्ञा थी इस कारण वहां मोशन इन आर्डर करार दिया गया था। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट कोई आर्डर देता है और आर्डनरी कोर्स आफ ला में अरेस्ट वगैरह होते हैं तो उसको आर्डिनरी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स समझा जाता है। गवर्नमेंट कहीं भी बीच में यहां आई नहीं है और न उसने हिदायत दी है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट का इस से कोई सम्बन्ध है और इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। मैं इजाजत नहीं देता हूं कि इसको अनुमति के लिये आप पेश कर सकें ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, कुछ जानकारी आप से करना चाहता हूं। जैसे कहीं का कोई लोकल मजिस्ट्रेट है, वह कोई अवैध आर्डर दे देता है जिससे नागरिकता का हनन होता है और सरकार की जानकारी में वह चीज होते हुये भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के उस अवैध आर्डर का सरकार की नीति से सम्बन्ध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये पहले आपको सरकार के पास जाना चाहिये था और आप को बताना चाहिये था कि उस कांफ्रेंस का महत्व क्या है और दफा १४४ के होते हुये भी मांग करनी थी कि मीटिंग की इजाजत दी जाय। इसका मैंने इशारा भी किया था कि इस प्रकार आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी। हालांकि यह मेरा काम नहीं है कि कोई उपदेश दूं लेकिन मैंने आपको यह इसलिये बतलाया कि आप यद्यपि इस तरह का कामरोको प्रस्ताव लाते हैं परन्तु आपको मालूम नहीं होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कौन से होते हैं, इसलिये मैंने आपके लिये यह स्पष्टीकरण दिया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्तमंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६३-४७९ पर)

*उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं तजवीज करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)—कल मैंने अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन किया था कि सरकार का यह कर्तव्य होता है कि पूरे हफ्ते का प्रोग्राम बना दें और इस सम्बन्ध में जब राजस्व मंत्री के दो विधेयक प्रस्तुत हुये थे उस समय मैंने आपत्ति उठाई थी और आपने हुक्म दिया था कि कोई विशेष परिस्थिति हो जाय तो सदन को अख्तियार होगा कि वह उस सम्बन्ध में प्रस्ताव ला करके कोई विधेयक सरकार सामने ले आवे, लेकिन माननीय न्याय मंत्री की ओर से कोई इस किस्म का प्रस्ताव आया नहीं। उनके प्रस्ताव की गैर हाजिरी में मैं आपसे विरोधी दल के हकों की रक्षा के हेतु प्रार्थना करता हूं कि चूंकि ऐसा प्रस्ताव नहीं है और इसका नोटिस कल शाम को विधान सभा खत्म होते वक्त दिया गया था और इसमें ८ विभिन्न क़ानूनों में संशोधन होना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आज रिसेस के बाद लखनऊ फायरिंग के सम्बन्ध में वाद-विवाद में हमको हिस्सा लेना है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि कौन सी विशेष परिस्थिति है जिस में उनको इजाजत दी जाय। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पेश करने की आज्ञा न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप १९ वां नियम देखें। इसमें दिया हुआ है: "The Government may arrange the order of business in such manner as it thinks fit."

[सरकार जिस प्रकार उचित समझे कार्य के क्रम की व्यवस्था कर सकती है।]

मुझे इस विषय में कोई अधिकार नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को आदेश दूं कि वह अपना आर्डर आफ बिजनेस किस प्रकार रखे। लेकिन मैंने एक सुझाव की तरह एक सलाह दी थी कि सहूलियत के लिये यह अच्छा होगा कि हफ्ते के शुरुआत में सरकार यह बता दिया करे कि प्रोग्राम क्या है और उसमें अगर परिवर्तन करना हो और कोई बिल चल रहा हो तो बदलाव की सूचना दो तीन रोज पहले अगर दे दें तो अच्छा हो। यह मेरा सुझाव है। लेकिन नियम में यह दिया हुआ है कि अगर सरकार परिवर्तन करना चाहे और एक रोज पेश्तर अगर वह बता देती है तो वह कर सकती है। नियम इस प्रकार है —"If any change is considered necessary, the Government will, as far as possible, inform the House of it a day before, it is made."

[यदि कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाय तो ऐसा करने के एक दिन पूर्व सरकार को यथासम्भव इसकी सूचना देगी।]

अब मेरा हस्तक्षेप उसमें हो नहीं सकता। मैं इतना जरूर विचार करता हूं कि अगर बार-बार एक ही हफ्ते के अन्दर परिवर्तन होता है और उसमें एक दो रोज की

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

गुंजायश सूचना देने में कर दी जाती है तो किसी को एतराज नहीं हो सकता है। यह मैंने सुझाव दिया था। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनके कार्यक्रम के बारे में क्या विचार है?

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)---यह जितने भी विधेयक हैं, यह पहले लेकिन अजेंडा पेपर पर आ गये थे। असल में हम लोगों का ख्याल था, जो ख्याल गलत साबित हुआ कि चार दिन के भीतर यानी १७ तक यह आगरा यूनिवर्सिटी बिल यहां पूरा हो जायगा और इसमें चार दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। यह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी से हो करके आया है और इसके वादविवाद में किसी तरह से चार दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाद तरतीबवार और बिल ले लिये जायेंगे, जो कि अजेंडा पेपर में थे। मगर वह बिल उतने समय के भीतर नहीं हो सका, इस कारण और यह लेने पड़े। मगर हमें कोई असुविधा यहां करनी नहीं है। अगर रामनारायण जी समझते हैं कि इस बिल के इस वक्त लेने में कोई कठिनाई है, तो मैं समझता हूं कि यह रोका जाय और रोका जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज नहीं अगले हफ्ते हो जाय। मगर पूरा प्रोग्राम हफ्ते भर का तो अजेंडा पेपर पर दिया गया था और उसमें परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन इसलिये किया गया चूंकि आगरा यूनिवर्सिटी बिल के पूरा करने के लिये जो हमने अवधि रखी थी, उसके भीतर वह पूरा नहीं हो सका। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि यह आज रोका जा सकता है। इसका मोशन हो गया और इसकी कार्यवाही आगे किसी दूसरे दिन हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष---सोमवार को ले लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त---जब आप चाहें, तब ले लें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---सोमवार के लिये मुझे भी कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी अगर समझें तो ऐसा कर दिया जाय।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त---मैं आशा करता हूं कि सोमवार को आगरा यूनिवर्सिटी बिल समाप्त हो जायगा और मंगल को इसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मंगल को हो सकता है।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त---उसके समाप्त होते ही इसे ले लिया जाय।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

*खण्ड ११ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार जारी रहेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (१) के सेनेट के मेम्बरों के (class 1) के उपभाग (iii) को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय:---

"Representatives from any Universities not exceeding 10 of persons who have held the office of the Vice-Chancellor in the University for one complete term."

* १७ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, यह सेनेट जो है वह १२५ व्यक्तियों की होगी और इसका एक खास अंग जो है, काफ़ी बड़ी तादाद जो वाइस चाँसलर साहब के आफिस में एक वर्ष तक रहे होंगे, उनके लिये हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट कोई ऐसा नहीं है जिस अमेंडमेंट में किसी नीति और किसी और तरह की बात की गुंजायश हो जिसकी वजह से कोई खास दिक्क़त खड़ी हो सके। इस संशोधन का केवल अर्थ यह है कि इन लोगों की संख्या निर्धारित कर दी जाय। बजाय इसके कि जितने लोग आफिस होल्ड करते हों उन सब को सेनेट का मेम्बर माना जाय, उनमें से केवल दस को ही सेनेट का मेम्बर माना जाय।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ और बातें न कह कर केवल यह कहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी पुनः इस प्रश्न पर विचार करेंगे और इस संख्या को निर्धारित करेंगे जैसा इस संशोधन में दस व्यक्तियों के लिये सीमित कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है। यह इस कारण कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह १० वाइस चान्सलर कहाँ से आयेंगे।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त पीठासीन हुए।)

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इसमें लिख दिया है कि यह कोई मजबूरी नहीं है कि १० वाइस चान्सलर खोजे ही जायं। मैं माननीय मंत्री जी को इस परेशानी में नहीं छोड़ना चाहता कि वे चिराग़ लेकर १० वाइस चान्सलर को ढूंढने जायं बल्कि इसमें तो लिखा हुआ है "not exceeding 10" से ज्यादा न हो जायं। अगर कम हो गये तो कोई दिक्क़त नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी को केवल इतनी ही दिक्क़त थी तो अब वह दिक्क़त दूर हो गई है और अब वे कोई और दूसरी दिक्क़त न उठा कर, मैं समझता हूं, इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविंद सिंह—अब तो श्री गेंदा सिंह जी को सन्तोष होना चाहिये क्योंकि वह तो पहले से ही इसमें मौजूद है: "All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term".

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो कहा उसे मैं समझने में असमर्थ रहा। माननीय शिक्षा मंत्री जी का पहले यह कहना था कि इस संशोधन को इस लिये स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि दस वाइस चान्सलर्स ढूंढने पड़ेंगे, सिनेट के मेम्बर बनाने के लिये। उसके बाद मैंने यह निवेदन किया किया १० वाइस चान्सलर्स को ढूंढने की मजबूरी नहीं है इसमें तो लिखा हुआ है "not exceeding 10" १० मेम्बरों तक इसको सीमित कर दिया जाय और फिर इन शब्दों से मैंने शिक्षा मंत्री जी से यह दरख्वास्त की थी कि अब उन्हें इस संशोधन के मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। लेकिन फिर उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसे मैं समझ भी नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा। इसलिये मैं फिर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वही बात जो पहले उन्होंने कही थी कि १० वाइसचाँसलर्स को ढूंढने की दिक्क़त उनको पड़ेगी, अब भी है तो वह तो दिक्क़त रफा हो गई, हमारी सफ़ाई देने के बाद। इस लिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लेने में उन्हें कोई दिक्क़त नहीं होनी चाहिये। यों तो उनको अधिकार है कि वह जैसा सलूक इस अमेंडमेंट के साथ चाहें कर सकते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह—जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह संशोधन यह है कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी
"Representatives from any Universities not exceeding 10 of persons who have held the office of the Vice-Chancellor in the University for one complete term"

[श्री हरगोविन्द सिंह]

जो एक कम्पलीट टर्म तक वाइस चाँसलर रहा हो तो वह जैसा मैंने पहले कहा कि यह मुझे मंजूर नहीं है कि हम दुनिया भर की कुल युनिवर्सिटीज में घूमते फिरें इसलिये कि हमें १० रिप्रिजेन्टेटिव मिल जायं। एक बात और श्री गेंदा सिंह जी ने कही कि दस की आवश्यकता नहीं है उससे कम मेम्बरों से भी काम चल सकता है। उसके लिये मैंने तो कहा कि इसका प्रबन्ध पहले ही से इस विधेयक में कर दिया गया है कि आगरा युनिवर्सिटी के जितने भी पुराने वाइस चाँसलर्स हों सब सिनेट के मेम्बर रहेंगे। इसलिये जैसा कि मैंने पहले कहा यह संशोधन मुझे मंजूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (i) के सेनेट के मेम्बरों के class (i) के उपभाग (iii) को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जायः--

"Representatives from any Universities not exceeding 10 of persons who have held the office of the Vice-Chancellor in the University for one complete term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ११ के सीनेट के मेम्बरों के class (ii) के उपभाग (iv) में से 'Director of Education' निकाल दिया जाय।

जहाँ तक सिनेट के निर्माण का सम्बन्ध है वहाँ अलग-अलग क्लासेज के लोग दिये गये हैं। उनमें से एक्स आफ़ीशियो और लाइफ़ मेम्बर्स हैं और कुल संख्या १२५ निर्धारित की गई है। ऐक्स आफ़ीशियो में चाँसलर, मिनिस्टर आफ़ एजूकेशन, वाइस चाँसलर चौथे नम्बर में है। डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन, डाइरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज, डाइरेक्टर आफ़ एग्रीकल्चर इत्यादि। लेकिन इसी विधेयक के अन्दर एक धारा है जिसके अनुसार हाई स्कूल और इंटर की क्लासेज अलहदा की जा रही हैं तो डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन का रहना बहुत आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधे गवर्नमेंट से होता है। जैसा कि अभी कहा गया है आटोनामी के अन्दर गवर्नमेंट अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है और डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन को रखना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और वह इस तरह सरकार के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमान् जी, मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये बतला देना चाहता हूं कि यू० पी० की कुल युनिवर्सिटीज में डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन सीनेट का मेम्बर है। इसलिये उनको निकालने का यह प्रश्न नहीं होना चाहिये और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न पर फिर से विचार करें। अगर डाइरेक्टर साहब आफ एजूकेशन उस सीनेट में नहीं रहे तो कोई उसकी शोभा बहुत नहीं बिगड़ती है और यह दलील मेरी समझ में नहीं आई कि सभी सीनेटों में वे हैं। यदि ऐसा ही है तब तो और भी लोग रख लिये जावें और उससे सीनेट की शोभा बढ़ेगी। इसमें कुछ और डाइरेक्टर साहबान का भी जिक्र है कि कृषि और स्वास्थ्य विभागों के डाइरेक्टर साहबान भी रहेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर साहब का न रहना मैं इसलिये चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री तो उसमें रहेंगे ही। इसलिये यह कि एक स्थान डाइरेक्टर साहेब भी घेरे रहें, यह कोई बहुत जरूरी नहीं मालूम पड़ता। आखिर गवर्नमेंट का खर्चा होता है डायरेक्टर साहब के आने जाने में। उनको टी० ए० देना पड़ता है और कोई जरूरी नहीं है

क्योंकि शिक्षा संचालक हर युनिवर्सिटी की सीनेट का मेम्बर होता है, इसलिये आगरा युनिवर्सिटी की सीनेट का मेम्बर उसको न करके हम एक जगह का अनुभव करना चाहते हैं और देखें कि क्या उनके बिना आगरा यूनिवर्सिटी का काम खटकने लगता है। मुझे कोई ऐसी योग्यता मालूम होती कि उसके बिना यूनिवर्सिटी के चलने में दिक्क़त होगी और उसको योग्यता से हमें लाभ उठाना चाहिये तो मैं इस विधेयक का विरोध न करता और यहाँ पर अपना संशोधन कभी न लाता। मैं तो शिक्षा संचालक के नाम पर कह रहा हूं कि उनको नहीं रहना चाहिये। उनके ज्ञान का लाभ तो आज सारा हमारा प्रांत उठा ही रहा है और सारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ उठा रही हैं और इस लाभ से अगर आगरा युनिवर्सिटी को वंचित रखा जाय तो क्या हर्ज होगा, इसको देखा जाय और इसकी तुलना एक साल दो साल में और यूनिवर्सिटीज़ से की जाय जहाँ पर शिक्षा संचालक मेम्बर हों। फिर यहाँ शिक्षा मंत्री जी रहेंगे, वे देखें कि क्या आगरा यूनिवर्सिटी का काम और यूनिवर्सिटीज़ के मुक़ाबले में पिछड़ गया। यदि पिछड़ गया तो उनको कानून में संशोधन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और हम लोग भी इस बात को महसूस करेंगे कि शिक्षा संचालक के बिना यूनिवर्सिटी के काम में बड़ा हर्ज हो गया।

शिक्षा संचालक जी के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे इतनी जानकारी जरूर है जैसा कि आज मैंने सदन में उनके सम्बन्ध में सुना कि किसी स्कूल की बिल्डिंग के बारे में सवाल हो रहा था तो सिर्फ यह बतलाया गया कि कानपुर में जहाँ पर शरणार्थी रहते हैं वहाँ स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन यह नहीं बतलाया जा सका कि कौन से मोहल्ले में बिल्डिंग है। कानपुर में शरणार्थी तो बहुत सी जगह रहते हैं। आज शिक्षा मंत्री जी द्वारा हमारे सवालों के कुछ जवाब आये हैं। मैंने जो पूछा था वह तो नहीं बतलाया गया लेकिन हाँ कुछ जवाब उन्होंने जरूर दिया जिसके लिये मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने पूछा था कि उनके पास कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं और उनका किस तरह से उपयोग होता है.........

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मुझे आपत्ति है। यहाँ पर शिक्षा संचालक के सवाल और जवाब से क्या मतलब है, क्यों भवन का समय खराब किया जा रहा है?

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो शिक्षा मंत्री जी का विरोध कर रहा हूं कि उनको इस सिनेट में न रखा जाय और इस सम्बन्ध में कुछ मसाला सदन में न दे पाऊं तो यह मेरी मूर्खता होगी, ऐसा मैं समझता हूं। यदि शिक्षा मंत्री जी मुझे समझा दें कि उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहिये जिसके विषय में मेरा संशोधन है। मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सीनेट में न रखा जाय। ऐसे व्यक्ति को सीनेट में रखने से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इसके लिये मैं शिक्षा मंत्री जी को राज़ी करना चाहता हूं और उसके लिये कुछ दलीलें देना चाहता हूं। अगर वे उनको सुनने से गुरेज करते हैं तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है लेकिन मैं उनकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूं। मेरी सख्त शिकायत है उनके खिलाफ़।

श्री हरगोविन्द सिंह—आपको जो शिकायत होगी वह तो किसी शिक्षा संचालक से होगी, उनके पद से नहीं होगी। इसमें जो भी शिक्षा संचालक होगा वही मेम्बर होगा। किसी व्यक्ति विशेष से इसका सम्बन्ध नहीं है, यही मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उस व्यक्ति के ऊपर बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता। मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं। वर्तमान शिक्षा संचालक के ज़माने में सारे प्रांत में जो शिक्षा की दुर्गति हुई है उसकी जिम्मेदारी उन पर डाले बिना नहीं छोड़ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो भविष्य का सवाल है। वर्तमान शिक्षा संचालक सदा नहीं रहेंगे। लेकिन यह सदा रहने वाला है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीनेट में रहने के एक आदमी के बारे में मेरे कुछ अनुभव हैं, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसे शिक्षा संचालक महोदय को किसी

[श्री गेंदासिंह]

भी सीनेट में न रहने दिया जाय। अगर कोई और योग्य शिक्षा संचालक आ जाय तो उस वक्त मैं सदन से यह कहने के लिये तैयार हो सकता हूं कि इनको रहने दिया जाय। दूसरी बात जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसमें जब बड़े-बड़े और शिक्षा विशारद हैं तब केवल शिक्षा संचालक के उसमें न रहने से सीनेट की कुछ भी शोभा न घट जायगी। उसके काम में कोई नुक्सान न होगा। हाँ हुकूमत को थोड़ी बचत हो जायगी। सरकार जो उनको दैनिक भत्ते आदि में देती है, उस खर्चे की बचत हो सकती है। फिर माननीय शिक्षा मंत्री तशरीफ रखते हैं और वे आगे भी रहेंगे तथा बहुत से विद्वान् लोग और भी उस सीनेट में हैं। इन सब बातों को देखते हुये मुझे शिक्षा संचालक महोदय की वहाँ पर कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती। मेरा तो खयाल है कि किसी भी शिक्षा संचालक की आवश्यकता नहीं हो सकती। बहुत सी यूनि-वर्सिटीज में जिनमें शिक्षा संचालक थे उनमें माननीय शिक्षा मंत्री जी के शब्दों में पुलिस की जरूरत पड़ी, वहाँ के विद्यार्थियों के लिये पुलिस की जरूरत पड़ी। इन कारणों से मैं यह कहने के लिये माफी चाहूंगा कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते। इस-लिये डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन को सीनेट में नहीं रहने देना चाहिये। मैं उन सब बातों को बता कर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सदन के अधिकांश सदस्यों को इन सब बातों की जानकारी है इसलिये माननीय मिनिस्टर साहब से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे अपनी मौजूदगी पर विश्वास करें। उनके न रहने से आगरा यूनिवर्सिटी का कोई काम ख़राब न होगा। अगर वे आवश्यकता ही समझें तो किसी को भी नोमीनेट कर सकते हैं या बाद में संशोधन ला सकते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता। आशा है माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश के पास इतना बड़ा काम है कि उनको दूसरे कामों के लिये अधिक समय नहीं है। हमारे प्रदेश में ५१ जिले हैं जिनके कालेजेज़ और स्कूल्स का काम उनको देखना होता है। उसके साथ ही साथ शिक्षा की अनेक नई-नई योजनायें होती हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उनको सीनेट में रख दिया जायगा तो उन सरकारी योजनाओं पर उसका असर होगा। अगर उनको सीनेट में न रखा गया तो वे उन योजनाओं पर ज्यादा समय लगा सकते हैं। इसी लिये हमें उनके रखे जाने में ज्यादा आपत्ति है। हमारा सुझाव है कि उनको ऐसे वैसे कामों से न लादा जाय। शिक्षा मंत्री महोदय कोई आल्टरनेटिव रखें तो उनको माना भी जा सकता है। लेकिन जब शिक्षा मन्त्री महोदय खुद उसमें होंगे तो फिर डाइरेक्टर साहब के रहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती। डाइरेक्टर साहब के पास खुद का इतना लम्बा चौड़ा काम है। आप सभी जानते हैं कि ५१ जिलों में इतने स्कूल और कालेजेज़ हैं, शिक्षा प्रसार का काम है, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं तो जब इतना लम्बा चौड़ा काम राज्य का उनके पास पहले ही से है तो फिर सीनेट में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। क्योंकि जहाँ सीनेट के अन्दर १२५ मेम्बर हैं, इसके अलावा और भी बहुत से एक्स आफिसिओ मेम्बर होंगे, काफ़ी लम्बी चौड़ी कमेटी होगी और आगरे में या जहाँ भी उसकी मीटिंग होगी यहाँ से आने जाने में भी उनका बहुत सा समय बर्बाद हो जायगा और उसके साथ ही साथ हमारे शिक्षा विभाग का काम सुचारु रूप से नहीं चल पायेगा। आज भी जब डाइरेक्टर साहब का आफिस इलाहाबाद में है और वे यहाँ रहते हैं तो इसमें बहुत आपत्ति होती है कि हमारे यहाँ के शिक्षा विभाग का काम बहुत ख़राब है। खुद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है और डाइरेक्टर महोदय भी इसको जानते होंगे। इसलिये इस बात को सोचा गया कि उनको सीनेट से रिलीव कर दिया जाय जिससे वे अपना काम अच्छी तरह से कर सकें जिस काम के लिये कि वे रखे गये हैं। इससे एक लाभ यह होगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का काम बहुत

हल्का हो जायगा, कम्पलेंट भी कम होंगे तथा इतने क्वेश्चन्स भी असेम्बली में नहीं होने पायेंगे। इसलिये मेरा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर सोचें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें। सीनेट में ऐसे सदस्यों को जाना चाहिये जो वहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकें। वहाँ बहुत से सदस्य ऐसे भी जाते हैं जो वहाँ की बातों को अच्छी तरह समझ भी नहीं पाते हैं, फिर ऐसे सदस्यों के वहाँ जाने से क्या लाभ है। इसलिये सारी बातों को सोच समझ कर ही वहाँ सदस्यों को भेजना चाहिये। दूसरा प्रश्न यह है कि जब खुद माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय वहाँ होंगे तो शिक्षा संचालक की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हरगोविंद सिंह—इसमें कोई अधिक दलील की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही इसकी मुखालिफत कर चुका हूं। भला एक यूनिवर्सिटी की सीनेट में प्रान्त का शिक्षा संचालक न रहे यह बात कम से कम मेरी तुच्छ बुद्धि में तो नहीं आती। हाँ, श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने कल यहाँ बोलते हुये यह कहा था कि जब उनकी सरकार होगी तो वे ऐसे सब विधेयकों को जला देंगे। इसी तरह से मैं यह समझता हूं कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट में शिक्षा संचालक सिनेट में नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में सीनेट के मेम्बरों के Class (II) के उपभाग (IV) में से "Director of Education" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

> खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (i) के सेनेट के सदस्यों के लिये निश्चित Class VII के उपभाग (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय:

"Provided that representation of (*i*) to (*v*) shall not be less than 40 in the Senate."

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा का मैंने जिक्र किया है और जैसा कि यह प्रोविजन रखा है वह इस प्रकार है:

"Class VII—Such number, as may be prescribed by the Statutes, of representatives of the Academic Staff and of the Managements of the affiliated colleges consisting of the following categories :—

(*i*) Teachers of the University ;
(*ii*) Principals of affiliated colleges of class A ;
(*iii*) Principals of affiliated colleges of class B ;
(*iv*) Teachers of affiliated colleges of class A ;
(*v*) Teachers of affiliated colleges of class B ;

यह नं० १ से ५ तक इस प्रकार है। तो मैं चाहता हूं कि १२५ जो मेम्बर सिनेट के हैं उनमें कम से कम इस कैटिगरीज के ४० आदमियों से कम न हों, इस क़िस्म का प्राविजन अन्त में जोड़ दिया जाय। कल इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन उपस्थित किया था और इस बात की कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटीज के टीचर्स डीन्स और वाइस चान्सलर वग़ैरह की संख्या १२५ के आधे से कम नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो कुछ भी दलीलें विरोधी दल की तरफ से दी गयी थीं उनका जवाब देने की तो शिक्षा मंत्री जी में हिम्मत नहीं थी और या वह जवाब देना चाहते थे उसको देने में भय था और इस कारण हमें घोर निराशा हुई। कल हमारा वह पहला प्रयत्न तो निष्फल गया, लेकिन आज यह

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]
दूसरा प्रयत्न है कि उनकी संख्या ४० से अधिक न हो। उस वक्त तो माननीय शिक्षा मन्त्री यह दलीलें दे सकते थे कि बाक़ी लोगों का अगर प्रभुत्व न होगा तो हो सकता है कि जो यूनि-वर्सिटी का हिसाब किताब बने या शिक्षा कोर्स के सम्बन्ध में या अन्य एलाउन्सेज आदि के सम्बन्ध में जितनी आर्डिनेन्सेज और रेगुलेशंस वग़ैरह बनें उनमें गड़बड़ी हो। लेकिन आज तो मैं १२५ में से ४० यानी यह चाहता हूं कि उनका रिप्रेजेंटेशन एक तिहाई से कम न हो। अब शिक्षा मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में क्या कहना है यह मैं सुनना चाहता हूं।

श्री हरगोबिन्द सिंह--मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये बतला देना चाहता हूं कि जो स्कीम इसकी है और जो स्टैट्यूट इसका बन रहा है उसमें क़रीब ६५ आदमी ऐसे होंगे जो उन शिक्षालयों से सम्बन्धित होंगे। अगर वह ४० ही चाहते हैं तो मुझे मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है वैसे अगर उनका इसरार ही हो तो मुझे ४० भी मान लेने में कोई एतराज़ नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, जब कल ६३ की संख्या चाहते थे तो उनको स्वीकार नहीं था लेकिन आज जब ४० चाहते हैं तो वे ६५ देने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि यह वादा कहाँ से पूरा होगा, कहीं बतावें कि स्टेट्यूट में कहाँ पर है कि उनकी संख्या ६५ हो जायगी। मैं अपने संशोधन को वापस ले लेना मुनासिब समझूंगा अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि यह संख्या कैसे पूरी होगी?

श्री हरगोबिन्द सिंह--कल ऐसा प्रश्न नहीं था, कल जो संशोधन था वह शायद यह था कि कभी भी उनकी संख्या आधे से कम न हो। वह नहीं मानी गयी थी कि हमारे बिल में जो प्राविजन था वह यह था कि आधे से बढ़ने न पावे। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सिनेट में ६५ आदमी ऐसे होंगे जिनका सम्बन्ध इन संस्थाओं से होगा। तो अगर आपको हमारी बात पर विश्वास हो तो आप उसको वापिस कर लीजिये। अगर आप विश्वास न करते हों तो मझे दुःख नहीं है। मैं इसको भी मान सकता हूं कि ४० रहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात सुन कर प्रसन्नता हुई। अविश्वास की तो कोई बात नहीं है। अविश्वास का प्रश्न एक दिन पहले भी आया था तो उनको एक नाराजी हुई थी जब मैंने यह कहा था कि मुझको उनकी सरकार पर अविश्वास है। सरकार पर अविश्वास के यह माने नहीं हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर मेरा अविश्वास है। अगर हम सरकार के ऊपर अपना कोई विरोध प्रकट करते हैं या अविश्वास प्रकट करते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति का निजी तौर पर प्रश्न नहीं उठता और शिक्षा मन्त्री जी की तो हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिये इस संशोधन को वापस लेता हूं और शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह उस पर ध्यान देंगे कि ऐसे लोगों की संख्या ६५ हो जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा "i" में सीनेट के मेम्बरों के लिये प्रस्तावित Class VIII में शब्द "ten" के बजाय शब्द "five" कर दिया जाय।

सीनेट के मेम्बरों के लिये जो धारा ८ है उसके नीचे यह लिखा हुआ है कि "nominees of the chancellor not exceeding ten" तो मैं इस दस के बजाय पाँच चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक जब पास हुआ था उस वक्त भी इसके बारे में ऐसा संशोधन आया था जिसमें मैंने इस बात की कोशिश की थी कि सरकारी लोगों का जितना प्रभाव सिनेट से कम हो उतना अच्छा है। इस संशोधन में यह कहा गया है कि १० के बजाय ५ नामज़द

कर दिये जायं। १२५ आदमी सीनेट में हैं उसमें माननीय शिक्षा मंत्री के कहने के मुताबिक़ कालेज और दूसरी जगह से ६५ संख्या हो जायगी इसके अलावा ग्रेजुएट्स हैं, आगरा युनिवर्सिटी के जितन वाइसचाँसलर हैं उनका ध्यान रखा है। जब १० की जगह ५ कर दिया जायगा तो वहाँ पर भी दूसरे लोगों को स्थान मिल जायगा। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुविधा होगी। हमारी आपत्ति यह है कि चाँसलर क द्वारा जो नामज़द हों वह कम से कम हों ताकि और लोगों को अवसर मिले।

श्री हरगोविन्द सिंह—उस हालत में यह नहीं होगा कि वहाँ पर टीचर ६५ हो जायं क्योंकि पहले यह रखा गया है कि उनकी संख्या क़रीब-क़रीब बराबर रहे। यह जो नामि-नेशन चान्सलर के ज़रिये से होगा आप विश्वास मानिये कि यह कोई सरकारी अहलकार नहीं होंगे यह ऐसे लोग होंगे कि जिनको चाँसलर यूनिवर्सिटी में लाना चाहते हैं और दूसरे तरीक़े से नहीं आ सकते हैं। वह काबिल आदमी होंगे। इसलिये यह १० की संख्या ही ठीक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (I) में सीनेट के मेम्बरों के लिये प्रस्तावित Class VIII में शब्द "Ten" के बजाय शब्द "Five" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "Five" के स्थान पर शब्द "Three" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब यह है कि यह लोग जो एक्सआफ़िशियो हैं उनकी अवधि सीनेट आदि का कार्यकाल ५ वर्ष का रखा गया है, ५ साल की लम्बी अवधि होती है, मैं चाहता हूं कि ५ साल के बजाय ३ साल रखा जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो पहली बार जो स्टेच्यूट में कोई ग़लती होगई होगी या सीनेट में कोई खराबी हो गई होगी तो वह जल्द ही ३ साल के बाद सुधारी जा सकती है और इस तरह से हमारे हाथ ५ साल के लिये बंध जाते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—दलील तो इसमें कोई नहीं है लेकिन चूंकि इस बिल में यह रखा गया है कि विश्वविद्यालय की तमाम अथारिटीज की अवधि या कार्यकाल ५ साल का होगा इसलिये इसमें भी ५ साल का समय रख दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "five" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ११ में धारा १४ की उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that wherever the practicable system of proportional representation by means of single transferable vote shall be prescribed for the selection."

खण्ड १४ की उपधारा (३) इस प्रकार है—

"(3) The manner of selection of members of classes III, IV, V, VI, and VII shall be determined by the Statutes."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो चुनाव का तरीक़ा है वह साफ़ नहीं है और इसी बिल में कहीं-कहीं यह व्यवस्था भी की गयी है कि चुनाव सिंगिल ट्रांसफ़रेबिल वोट से होगा। परन्तु यहाँ पर यह चीज साफ़ नहीं होती है, अगर यह चीज साफ़ हो जाय तो अच्छा है। इसलिये, अगर यह जोड़ दिया जाय कि चुनाव सिंगिल ट्रान्सफ़रेबिल वोट से होगा। इस सिस्टम के बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो बहुमत में नहीं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि अल्पमत के लोग भी अगर योग्यता रखते हों तो वे बहुमत से ठुकराये न जायं। बिल में और जगह भी इस तरीके को रखा गया है इसलिये यह कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि स्टेच्यूट में सब जगह सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का सिस्टम रखा गया है। अगर आपने यहाँ यह रख भी दिया तो उसके रखने से कोई खास मतलब नहीं निकलता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--तो क्या आपको यह स्वीकार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्टेच्यूट की बात करते हैं अगर ऐक्ट में भी इसका प्राविजन हो जाय तो अच्छा है और मैं पुनः माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा क्योंकि अभी तक हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ शिक्षा मन्त्री जी के इस विधेयक में कि कोई हमारा भी संशोधन या सुझाव स्वीकार हुआ हो सिवाय एक के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैं चाहता हूं कि नंबर २ भी मंजूर कर लिया जाय तो इसमें कोई खास एतराज उनको नहीं होना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें एक दिक्क़त हो जायगी। स्टेच्यूट जो बनेगा उसमें यह प्रोवाइड कर दिया जायगा कि सभी सेलेक्शन सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होगा तो उनके लिये यह लाजिमी होगा कि वह ऐसा करायें। अगर यह ऐक्ट में रख दिया जायगा तो उनको यह अधिकार हो जायगा और वे यह कह देंगे कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट प्रैक्टिकेबिल नहीं है। इसलिये स्टेच्यूट में ही इसका रहना अधिक अच्छा रहेगा और उसमें हम यह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रख देने से दूसरे के हाथ में चला जायगा और वह कह देंगे कि प्रैक्टिकेबिल नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, जो इनका संशोधन है उसमें मैं एक संशोधन करना चाहता हूं कि यह प्रैक्टिकेबिल शब्द हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--वह तो अब खत्म हो चुका है। अब यह उसमें नहीं आ सकता।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अभी खत्म तो नहीं हुआ लेकिन यदि आप समझते हैं कि खत्म हो गया तो बात दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में धारा १४ की उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Provided that wherever practicable the system of proportional representation by means of single transferable vote shall be prescribed for the selection."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (४) में शब्द "Chancellor" के स्थान पर शब्द "senate" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विश्वविद्यालय की सिनेट एक महत्वपूर्ण सभा होती है और जैसे कि दो क़िस्म के मेम्बरों के लिये एक्स आफिशियो और ल.इफ मेम्बर्स को छोड़ कर लिखा गया है, अगर उसे ऐसा लिखें कि चाँसलर के स्थान पर सिनेट को यह अधिकार दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह ज्यादा उपयुक्त मालूम पड़ेगा, जहाँ पर चाँसलर डिक्लेयर करेंगे कि यह सीट वेकेंट हो गई है वहाँ पर अगर उसके बजाय सिनेट ही इसको डिक्लेयर करती है तो उस सभा के सदस्यों का मान बढ़ता है और वह एक शोभाजनक बात होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—बहुत छोटा सा मसला है। तीन मीटिंग्स में जो न आये उसका स्थान चाँसलर रिक्त घोषित कर दे। सिनेट साल में एक दफा ही बैठेगी। तो उसमें यह सब मसले पेश होंगे यह जरा ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये चाँसलर ही का रहना वहां ठीक है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, शिक्षा मन्त्री जी को बहुत ध्यान से मैंने सुना। उन्होंने यह ज़रूर कोशिश की है कि जो यह बहस है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाय। मगर जब साल भर में वह खुद ही कहते हैं कि सिनेट की बैठक एक बार होती है और सीनेट की तीन मीटिंग्स में अगर कोई नहीं आयेगा तब वह चाँसलर को अधिकार देने जा रहे हैं कि वह उस स्थान को रिक्त घोषित कर दे। तो यह तो मैं समझता हूं कि खुद उन्हीं का जो तर्क है उससे उसका समर्थन नहीं होता है। अगर बजाय चाँसलर के सिनेट घोषित कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस तरह से चार मीटिंग्स हुईं। तीन में अगर कोई नहीं आता है तो चौथी मीटिंग में जा कर उसका नाम रिक्त घोषित किया जा सकेगा और फिर पाँचवीं में दूसरा आ सकेगा। लेकिन अगर तीन मीटिंग के बाद चाँसलर डिक्लेयर कर देता है तो चौथी मीटिंग में ही दूसरा आ सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वही मैं निवेदन कर रहा था। माननीय मंत्री जी जो तर्क दे रहे हैं वह माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में ही जा रहा है। माननीय मन्त्री जी तर्क देते हैं कुछ, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है कुछ और पहले से और उसी की भाषा में जब जाते हैं तो उलझ जाते हैं। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जरा अपने तर्क पर भी ख़याल करें। तीन लगातार मीटिंगों में यदि नहीं आयेगा तो वह कहते हैं कि चाँसलर उसकी सीट को रिक्त घोषित करे और संशोधन यह कहता है कि चाँसलर न करे बल्कि सिनेट करे। सिनेट एक ज्यादा डेमोक्रेटिक बाडी है और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वहाँ आता है, तमाम चीजों को वह समझती है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सीनेट की साल में एक मीटिंग होती है इसलिये तीन साल में तीन मीटिंग होंगी और चौथी मीटिंग में वह सीट को वैकेंट डिक्लेयर (खाली घोषित) करेंगे और पाँचवें साल में दूसरा जो एलेक्ट हो कर आयेगा वह बैठेगा। तो जहाँ तक इसकी व्यवहारिकता का सवाल है, अगर वह यह कहते कि तीन मीटिंगें नहीं होंगी और एक ही मीटिंग के लिये कहते तो मैं समझता कि उनका तर्क ठीक है लेकिन तीन साल तक जब कुछ नहीं होगा और तीन साल बीत जाते हैं और फिर केवल एक साल के लिये चाँसलर को यह अधिकार देने जा रहे हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये अगर सिनेट को यह अधिकार दे दें तो वह ज्यादा उचित होगा। यह सब जितनी पेशबन्दियाँ लग रही हैं वह सारी की सारी एक मकसद को सामने रख करके ली जा रही हैं और वह मकसद, चाहे उसकी सफाई हम कितनी दें, चाहे उसकी सफाई माननीय शिक्षा मंत्री कितनी दें, मगर सब के सामने यही है "पावर"। जिस व्यक्ति को जिस ढंग पर सरकार चाहे रखे या निकाले। फिर

[श्री नारायण]
भी डिमाक्रेसी का नाम लें और नाम लेते हुए भी सरकार अपनी मनोवृत्ति को कार्यान्वित करा पावें यह सारी की सारी कोशिश है। सिनेट को यह पावर देने से ही डिमाक्रेसी की ज्यादा दूर तक रक्षा हो सकती है। उनका कहना यह है कि केवल एक साल जा करके उस रिक्त स्थान पर कोई व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा। तो वह नियुक्त किया गया व्यक्ति एक साल में कौन सा ऐसा काम चला सकेगा?

श्री हरगोविंद सिंह--आपका संशोधन अगर मान लिया जाय तो उस पाँच वर्ष के अन्दर कोई दूसरा फिर नहीं आवेगा। तीन साल तक तीन सिटिंग्स में कोई नहीं आया तो सिनेट को आपने अख्तियार दिया कि रिक्त स्थान घोषित करे। तो चौथी मीटिंग में उस स्थान को रिक्त होने का निश्चय होगा और पाँच वर्ष का उसका टर्म है सिनेट का तो दूसरा कोई रिक्त स्थान पर आ ही नहीं सकता। मेरा अर्थमेटिक तो अच्छा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं आपका अर्थमेटिक मुझसे भी खराब है। इसलिये इसमें रखा गया है कि चाँसलर को अख्तियार होगा कि वह रिक्त घोषित कर दे, जिससे चौथी मीटिंग में दूसरा मेम्बर आ जाय उसके स्थान पर एलेक्ट हो कर।

श्री राजनारायण--फिर मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि तीन मीटिंग्स में जब वह नहीं आता है तो चौथी मीटिंग के अवसर पर उसका स्थान रिक्त होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--चौथी सिनेट जब आवेगी तो वह कहेगी कि रीजनेबिल काज नहीं था इस लिए इनका स्थान रिक्त समझा जाय। तो चौथी सिनेट की मीटिंग में तो रिक्त होगा और पांचवीं तक एलेक्शन नहीं हो सकेगा।

श्री राजनारायण--अब माननीय मन्त्री जी प्रयत्न करने लगे हैं तो उनके समझने का प्रयत्न कामयाब होगा। वह यह कह रहे हैं कि तीन मीटिंग्स में नहीं आया, चौथी मीटिंग में बैठक होते समय तक वह क्यों नहीं आ पाये हैं उनसे सफिशियेंट काज (उचित कारण) पूछ लिया जायगा कि आपके न आने का समुचित आधार है या नहीं। यह सब चौथी बैठक ही में रख देंगे और चौथी ही में रख देने के बाद अगर सीनेट अच्छी तरह से समझती है, कि इनकी अनुपस्थिति का कारण उचित है, ठोस है, तो वह उनको मानेगी और अगर उनकी अनुपस्थिति का कारण उचित नहीं है, ठोस नहीं है, तो वह उनको रिक्त घोषित करेगी। चौथी मीटिंग में ही वही सिनेट आगे वाली जो बैठक सिनेट की हो, उसके लिए नये मेम्बरों को नियुक्त करे। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि वाइस-चांसलर उस स्थान को रिक्त घोषित कर दें। हमारे कहने का मतलब यह है कि सीनेट रिक्त करे और सीनेट ही रिक्त स्थान की पूर्ति को आप्शन से करे।

श्री हरगोविन्द सिंह--ज़रा समझने की कोशिश कीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री नेता विरोधी दल की स्पीच में जो इण्टरवेंशन करते हैं, वह नियमावली की किस धारा के अनुसार है?

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपकी राय से सहमत हूं।

श्री राजनारायण--मैं आपसे यह चाहता हूं कि अब तो समय नहीं है। इस सम्बन्ध में जो डिसकशन है, वह मैं माननीय मन्त्री जी से समझ लूंगा। और समझ लेने के बाद फिर इस पर विचार हो।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मन्त्री जी को दूसरे भाषण का मौका है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने में जो वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसमें मेरा इरादा उन विवरणों का ब्योरेवार देने का नहीं है, कि जिन्हें प्रत्येक माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि अखबार का हर एक पढ़ने वाला व्यक्ति जानता है। ३० अक्तूबर से लेकर २ नवम्बर तक लखनऊ में जो घटनाएं घटीं उन्हीं की पृष्ठभूमि में देना चाहता हूं। हमारे सामने वस्तुस्थिति का पूर्ण चित्र उसी दशा में आ सकता है जब हम उस पृष्ठभूमि में इन घटनाओं पर विचार करें, जो एक के बाद एक घटती गयीं।

लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यूनियनों के विधान के प्रश्न की ओर विद्यार्थियों और उनसे सम्बन्धित तथा उनसे रुचि रखने वाले अन्य लोगों का ध्यान गत जनवरी से ही लगा था। यह विषय मुख्यतः विश्वविद्यालय जीवन के एक विशेष पहलू से सम्बन्धित था और सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का हमारा विचार भी नहीं था। गत अगस्त तक कोई विशेष घटना नहीं घटी। मैं यहां इलाहाबाद से सम्बन्धित विवरणों का उल्लेख न करके केवल लखनऊ की घटनाओं को ही लूंगा क्योंकि उन्हीं के ऊपर लोगों का विशेष रूप से ध्यान है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर। स्पीकर महोदय, यहां वाद-विवाद हो रहा है, पुलिस की कार्यवाहियों पर जो कि विद्यार्थियों पर हुई। हम यह जानना चाहते हैं कि युनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है और उसके अन्दर की जो बातें हुई हैं, उनकी इस सदन में चर्चा हो रही है, तो क्या हम लोगों को इस बात का अधिकार होगा कि एक्जीक्युटिव कौंसिल, वाइस चांसलर और युनिवर्सिटी के अन्दर की जितनी बातें हुई हैं, उनके ऊपर हम बहस कर सकेंगे। उस दिन जब इस सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव आया था तब आपने यह कहा था कि चूंकि युनिवर्सिटी आटोनामस है, इसलिए यह मैटर यहां डिसकस नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपकी रूलिंग इस प्वाइण्ट पर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं उसका फैसला दे देता हूं कि युनिवर्सिटी के अन्तरंग मामलों पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन यह हो सकता है कि कोई वक्तव्य देते हुए सिलसिला बांधने के लिए कि जहां से पुलिस का सम्बन्ध शुरू हुआ, उसकी चर्चा हो सकती है। उसके पूर्व रूपरेखा बताने के लिए जो इवेन्ट्स हुए हैं, जिन के अन्तरंग कोई चीज हुई है, उसके ऊपर चर्चा न होकर बल्कि जो चीज आप सब लोगों को मालूम है उसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं, अन्तरंग बातों के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य यह देखेंगे कि युनिवर्सिटी के अन्दर की जितनी बातें हैं, उनकी मेरिट्स पर मैंने एक लफ्ज नहीं कहा है और न मेरा कहने का विचार है। मैं कह रहा था--

लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रबन्धक समिति ने, जिसका ऐसे मामलों में निर्णय अन्तिम समझा जाता है, यूनियन के सम्बन्ध में एक विधान स्वीकार किया जिसको विद्यार्थियों के एक वर्ग ने पसन्द नहीं किया। २६ अगस्त को यूनियन भवन में ४ विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल आरम्भ की और बाद में कुछ और विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हुए। उपकुलपति ने यह देखकर कि इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय का कार्य चलना असम्भव है, २९ अगस्त को अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया। ४ सितम्बर को विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल बन्द कर दी, किन्तु उप कुलपति का यह स्पष्ट आदेश होते हुए भी कि यूनियन भवन, विश्वविद्यालय अधिकारियों को सौंप दिया जाय, उसे १४ सितम्बर को खाली किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों द्वारा विशेष रूप से प्रार्थना किये जाने पर उन्होंने ५ अक्तूबर को अंशतः

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

विश्वविद्यालय को फिर खोल दिया और २१ अक्तूबर को सम्पूर्ण कार्य विधिवत् होने लगा। इसके बाद घटनायें तीव्र गति से घटीं। दो व्यक्तियों ने पुनः भूख हड़ताल शुरू कर दी। मैंने व्यक्ति शब्द का प्रयोग जान बूझकर किया है। इन व्यक्तियों में से एक तो विजय कुमार थे जो किसी भी दशा में नियमित विद्यार्थी नहीं कहे जा सकते। वे बिहार के प्रजा सोशलिस्ट दल के एक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने को विद्यार्थी बनाने के लिए केवल एक दिन पहले अपना दाखिला फ्रेंच कक्षा में करा लिया था। उप कुलपति १४ विद्यार्थियों को जिनमें दो भूख हड़ताल करने वाले भी थे विश्वविद्यालय से निकालने के लिए विवश हो गये, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वविद्यालय के काम में बाधक था। इसके जवाब में उपद्रवी विद्यार्थियों ने, जिनमें निकाले गये विद्यार्थी भी शामिल थे यूनियन भवन के द्वार को तोड़ दिया और उसमें भूख हड़तालियों को बैठा दिया। परिस्थिति को पूर्णतया काबू से बाहर होते देखकर और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति, कार्यालय, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के लिए खतरा उपस्थित होने के कारण उप कुलपति ने सरकार को २८ अक्तूबर को विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के हेतु लिखा।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यूनियन के संविधान से सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था और न उसमें हस्तक्षेप करने की उसकी कोई इच्छा ही थी, यदि मामले को वैधानिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया जाता, किन्तु विद्यार्थियों के ऐसे एक वर्ग ने जिसकी संख्या यद्यपि थोड़ी थी, फिर भी उसके राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ़ थे अपने व्यवहार से शुरू से ही यह प्रगट कर दिया कि वह वैधानिक तरीकों को अपनाने अथवा विश्वविद्यालय के भीतर ही अपनी कार्यवाहियों को सीमित रखने का कोई इरादा नहीं रखते।

२९ अगस्त को सैकड़ों विद्यार्थी जलूस बनाकर दारुलशफा पहुंचे और वहां उपद्रव करने लगे। अनेक माननीय सदस्यों को इस घटना का स्मरण होगा। इसी प्रकार के और भी अनेक जुलूस निकाले गये, जिनका एक आम नारा था--"लखनऊ में तीन चोर, गुप्ता, मुंशी, जुगल किशोर"। २ सितम्बर को शहर भर में एक हड़ताल करायी गयी, यहां तक कि खाने पीने तथा दवाओं की दूकानों को भी दुकान वालों को डरा धमका कर जबरदस्ती बन्द कराया गया। २३ अक्तूबर को कुछ विद्यार्थियों ने, जिनमें सी० बी० त्रिपाठी और रोबिन मित्रा प्रमुख थे, खुले आम यह धमकी दी कि यदि उन्हें यूनियन भवन वापस नहीं किया गया तो उस पर जबरन कब्जा कर लिया जायगा। जैसा कि हम सबको मालूम है उन्होंने २४ अक्तूबर को अपनी धमकी पूरी की। इसी तारीख को हजरतगंज में भाषण देते हुए एक विद्यार्थी ने यह धमकी दी कि यदि उनके नेताओं की गिरफ्तारी की गयी तो विद्यार्थी उनकी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को मारने में नहीं हिचकेंगे। २८ अक्तूबर को विश्वविद्यालय की एक्जीक्युटिव कौंसिल के सदस्यों के निवास स्थानों पर भूख हड़तालें की गयीं। कुछ विद्यार्थी वाइस चांसलर लाज के वार्डन के मकान पर गये और खुले आम उनको धमकी दी।

यह हिंसा, उपद्रव तथा व्यवस्था की अवज्ञा के उन कृत्यों का एक संक्षिप्त विवरण है जो विचाराधीन घटनाओं के पूर्व किये गये थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे कार्यों के पीछे एक लम्बा इतिहास होता है। केवल कुछ ही महीने पहले विद्यार्थियों की एक भीड़ ने हजरतगंज के एक फल वाले की दूकान पर हमला किया था और उसकी चीजें सड़क पर फेंक दी थीं। सिनेमा मालिकों के साथ अक्सर उनके झगड़े होते रहे हैं और साइकिल चलाने वालों के लिए यातायात सम्बन्धी नियमों का वे बिलकुल पालन नहीं करते। इस प्रकार की घटनायें शिक्षा के अन्य बड़े केन्द्रों में घट चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों में यह भावना भर दी गयी थी कि विद्यार्थी वर्ग कानून से परे हैं और सामान्य नागरिक जीवन में वे बिना रोक टोक हस्तक्षेप कर सकते हैं और यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे अपना भी लिया है।

अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कार्यवाही को अन्ततः कहीं न कहीं और किसी न किसी दिन तो रोकना ही थी। कोई भी स्वतंत्र देश अनुशासनहीनता के वातावरण में प्रगति नहीं कर सकता। जनतंत्र के प्रत्येक वर्ग को कानून के प्रति निष्ठा रखनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, तो अन्ततोगत्वा इसके लिए कोई उपाय होना ही चाहिए।

अतएव लखनऊ के जिलाधीश ने ३० अक्तूबर को दफा १४४ लागू कर दी और उसी दिन संध्या समय सिटी मैजिस्ट्रेट और पुलिस के सीनियर सुपरिन्टेंडेंट एक पुलिस दल लेकर यूनियन भवन को खाली करवाने तथा वहां से भूख हड़ताल करने वालों को हटाने के लिए गये। किन्तु इसके लिए उनके सभी शांतिपूर्ण प्रयत्न विफल रहे। दो घंटे तक समझाने बुझाने के असफल प्रयत्न के बाद उन्हें यूनियन भवन में विवश होकर बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ा। भूख हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों की बलरामपुर अस्पताल के सुपरिन्टेंडेंट ने जांच करके यह घोषित किया कि वे हटाये जा सकते हैं। तब उन्हें जेल अस्पताल पहुंचाया गया। यह कोई सरल कार्य न था, क्योंकि इसमें पुलिस वालों को लगभग १००० नौजवानों की भीड़ का सामना करना पड़ा जो उन पर मिट्टी और ईंट पत्थरों की वर्षा कर रहे थे। इसमें चार सीनियर अफसर इन्चार्जों और बहुत से कांस्टेबलों को चोटें आयीं। जिन थोड़े से विद्यार्थियों ने पुलिस को उनके कर्तव्य पालन में हठपूर्वक विरोध किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

३१ तारीख को प्रातःकाल नगर के विद्यार्थियों की एक बड़ी भीड़ ने विधान सभा के सामने उपद्रवपूर्ण प्रदर्शन किये। दफा १४४ के अधीन दिये गये आदेश की यह प्रत्यक्ष अवज्ञा थी, किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी दशा में जब यूनियन भवन पर अधिकार किये हुए पुलिस की छोटी टुकड़ी पर दोतरफा आक्रमण करने के उद्देश्य से वहां पर पहले से एकत्र छात्रों के साथ मिलने के इरादे से भीड़ ने विश्वविद्यालय की ओर बढ़ना शुरू किया तो इस स्थिति की अवहेलना न की जा सकी। अतएव भीड़ को मंकी ब्रिज पर रोकने का प्रयास किया गया और घोर संघर्ष के बीच जिसमें पुलिस के अनेक सदस्यों को जिनमें सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस भी शामिल थे, ईंटबाजी से चोट आयी, लाठी चार्ज करना पड़ा और एक से अधिक बार अश्रुगैस का प्रयोग करना पड़ा। इस समय लगभग २ बजे अपराह्न में छात्रों के एक दल ने सेन्ट्रल टेलीफोन एक्सचेंज के पास टेलीफोन के तारों को काटना शुरू कर दिया। अन्य तारों के अतिरिक्त दिल्ली से लखनऊ को मिलाने वाली ट्रंक लाइन भी काट डाली गयी और उक्त विभाग के टेक्नीशियनों को काटे गये तारों की मरम्मत करने से रोका गया। एक मैजिस्ट्रेट के अधीन पुलिस दल की एक टुकड़ी जब वहां पहुंची तब उसे घेर लिया गया और उस पर बुरी तरह ईंटें बरसाये गये। मंकी ब्रिज की ओर से आने वाले विद्यार्थियों का भीड़ प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी ऐसी स्थिति में पुलिस पर भीड़ हावी न होने पाये, इस उद्देश्य से चेतावनी देने के बाद मैजिस्ट्रेट को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुए और एक व्यक्ति जो संभवतः रिक्शा चलाने वाला था, मारा गया। ज्योंही भीड़ तितर बितर हो गयी, गोली चलाना रोक दिया गया।

प्रमुख टेलीफोन लाइनों का काटा जाना तोड़-फोड़ का एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि ये कार्य एक साथ ही कई स्थानों पर किसी योजनानुसार शुरू किये गये थे, जिस से किसी भी स्थान पर ध्यान देना पुलिस के लिए कठिन हो गया। जहां जहां पुलिस का किसी भीड़ से सामना हुआ, जनता को पुलिस का विरोध करने के लिए इस प्रकार सामने ला दिया गया कि पुलिस को गोली चलाना पड़े और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जिसका बाद में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाय। दिन भर रोडवेज, बसों, टेलीफोन जंक्शन के बक्सों और पोस्ट आफिसों का जलाया जाना और टेलीफोन के तारों का काटा जाना जारी रहा। एक फायर इंजन का हौज पाइप भी जला दिया गया और इस प्रकार इंजन को कुछ समय के लिए बेकार कर दिया गया। बिजली के बल्ब तोड़े गये और बिजली के तार आदि काट दिये गये। इसके फलस्वरूप नगर के एक बड़े भाग में घंटों तक पूर्ण अंधेरा छाया रहा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सायंकाल हिंसा के लिए उतारू एक भीड़ ने नजीराबाद कचहरी सड़क के चौराहे पर पुलिस की एक छोटी टुकड़ी को घेर लिया। एक सब-इन्स्पेक्टर जो उनकी रक्षा के लिए दौड़ा, उसी को घेर लिया गया। जोर शोर के साथ ईंटबाजी होती रही और पुलिस दल के प्रायः हर एक सदस्य को चोट आयी। सब इन्स्पेक्टर टांग में चोट लग जाने के कारण जमीन पर गिर गया और भीड़ उसको मार डालने और उसके रिवाल्वर को छीन लेने के लिए उसकी तरफ टूट पड़ी। अन्य कोई उपाय न पाकर सब-इन्स्पेक्टर ने अपनी रक्षा के लिए दो गोली चलायी, जिसमें एक आदमी को गोली लगी। यह व्यक्ति श्री गयंदर मेडिकल कालेज के एक छात्र थे जिनकी बाद में चोट के कारण मृत्यु हो गयी।

प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कार घेर ली गयी तथा उन्हें एक मित्र के घर में शरण लेनी पड़ी जिन्हें भीड़ को डराने के लिए, जो निश्चय ही उन्हें मार डालने के इरादे से उनका पीछा कर रही थी, अपनी बन्दूक हवा में चलानी पड़ी। लगभग १० बजे दिन को पांच हजार व्यक्तियों की एक भीड़ ने एक पुलिस टुकड़ी पर ईंट पत्थरों से आक्रमण किया। लाठी चार्ज का कोई फल न हुआ, क्योंकि भीड़ में कुछ व्यक्ति भी लाठियां लिये हुए थे। बार बार चेतावनी का कोई परिणाम न देखकर पुलिस टुकड़ी के साथ जो मैजिस्ट्रेट थे, उन्हें गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। जिससे भीड़ टुकड़ी पर हावी न हो जाय। इस गोली से एक व्यक्ति मारा गया।

नगर की परिस्थिति बिगड़ती देखकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चार दिन लम्बा कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसमें प्रति दिन दो घंटे की छूट थी। छूट के घंटों में सम्पत्ति नष्ट करने की छुटपुट घटनायें होती रहीं पर अन्ततः इस कदम ने परिस्थिति को सामान्य दशा में लौटाने में सहायता की। कर्फ्यू ५ दिसम्बर को उठा लिया गया और दिवाली शान्तिपूर्ण मनायी गयी, यद्यपि एक अत्यन्त शोकजनक घटना यह हुई कि उसी सन्ध्या को ५ बजे मेडिकल कालेज के छात्र श्री गयन्दर की मृत्यु हो गयी।

लखनऊ के छात्रों द्वारा किये गये उपद्रवों की देखा देखी प्रदेश के अनेक अन्य भागों में भी छात्रों द्वारा कानून की अवहेलना करने की घटनायें हुईं। टेलीफोन सम्बन्ध, रेलवे स्टेशन, रोडवेज के वाहन तथा भवन, सड़कों की बत्तियां तथा रेलवे ट्रेन आदि के रूप में सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रतापगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, कानपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, राय बरेली, उन्नाव, गाजीपुर, जौनपुर, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ, पीलीभीत तथा फर्रुखाबाद जिलों में प्रयत्न किये गये। इन तथा अन्य स्थानों में छात्रों ने हड़तालें संगठित कीं तथा काफी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप किया। कुछ स्थानों में सिनेमा गृहों पर भी आक्रमण किये गये। फतेहपुर जिले में रेलवे सम्पत्ति की क्षति काफी गम्भीर थी। इन सब स्थानों में स्थानीय अधिकारियों ने सामान्य परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए तथा उन कथित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए जो उच्छृंखल विनाश के उत्तरदायी थे, उपयुक्त कदम उठाये। प्रतापगढ़ के जिले में छात्रों ने एक पुलिस टुकड़ी पर ईंट पत्थरों से आक्रमण किया तथा पी० डब्लू० डी० इन्स्पेक्शन हाउस तथा डाकखाने को क्षति पहुंचायी। पुलिस को केवल आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी जिससे एक छात्र को चोट आयी। प्रदेश के शेष भागों में उपद्रव १४ नवम्बर तक जारी रहे, जिसके उपरान्त छात्र सम्बन्धी किसी घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इन विनाशपूर्ण कांडों के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति को काफी क्षति पहुंची।

पिछले दिन प्रश्न के उत्तर में मैंने कुछ विवरण दिया था। उस दिन माननीय सदस्यों ने यह ख्वाहिश की थी कि लखनऊ का यदि अलग विवरण बतलाया जा सके तो अच्छा है। लखनऊ शहर में पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ का ३८,८७१ रुपये का नुकसान हुआ जिसमें टेलीफोन विभाग का ३७,२६० और टेलीग्राफ का ९५० रु० है, पोस्टल डिपार्टमेंट का ६६१ रुपया है। रोडवेज का ४८,२५० रुपया, फायर ब्रिगेड का ६,००० रुपया, पब्लिसिटी वैन का ८,००० रुपया। इस

प्रकार सरकारी नुकसान १,०१,१२१ रुपया हुआ। म्युनिसिपल बोर्ड का ८,१२३ रुपये का नुकसान हुआ। बिजली कम्पनी का १८,६५० रुपये का नुकसान हुआ। कुल २६,७७३ रुपये का नुकसान हुआ। इस प्रकार से कुल जोड़ मिलाकर १,२७,८९४ रुपये का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त फतेहपुर तथा रायबरेली के दो जिलों को छोड़कर शेष जिलों के पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ का नुकसान २,३२८ रुपये हुआ, रोडवेज का ९,४२४९० का नुकसान हुआ और रेलवे का १,८०० रुपये का हुआ। इसके अलावा दूसरी सम्पत्ति का ५,२१२ रुपये का नुकसान हुआ। इस तरह से कुल १८,७६४ रुपये का नुकसान हुआ और ६,५३६ रुपये का नुकसान प्राइवेट प्रापर्टी का हुआ, जिसमें आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के नुकसान का ब्योरा हमारे पास नहीं है। सब जोड़कर इस प्रकार है। सरकारी नुकसान १,१९,८८५ रुपया और गैर सरकारी ३३,३०९ इस तरह से कुल जोड़ १,५३,१९४ रुपये हुआ।

उन घटनाओं की ओर जिन्हें व्यक्तिगत कहा जा सकता है, मैंने इंगित न करने की चेष्टा की है। उदाहरण रूप में पहली नवम्बर को विश्वविद्यालय क्षेत्र में कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा मुझ गरीब के पुतले जलाये गये। जिसके उपरान्त एक नकली मुकद्दमा हुआ जिसमें हम सबको फांसी द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया। ९ नवम्बर को श्री चन्द्रभानु गुप्त जो विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष भी हैं, अध्यापकों तथा कुछ छात्रों द्वारा जो स्पष्टतः तथाकथित कार्यसमिति के सदस्य थे छात्रों के समक्ष भाषण देने के लिए आमंत्रित किये गये। परन्तु न केवल सभा में उपद्रव ही किये गये वरन् उनकी कार पर आक्रमण भी किया गया और उन्हें भीड़ द्वारा घेर लेने का भी प्रयत्न किया गया।

उपद्रव १० नवम्बर को अन्ततः समाप्त हुए, जब छात्रों ने स्ट्राइक बन्द करने का निर्णय किया।

मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि गोली चलाने का वर्णन जो एक से अधिक बार करनी पड़ी थी, श्री राजेश्वर प्रसाद अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर आधारित है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इन घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये थे। श्री राजेश्वर प्रसाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भार ग्रहण करने एटा ज रहे थे। कभी कभी जुडीशियल जांच कहलाने वाली चीज की मांग की जाती है। इस संज्ञा की जैसा माननीय सदस्यों को अवश्य ज्ञात होगा कानून में कहीं पर कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, तथा इसका कोई भी अर्थ हो सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जुडीशियल कार्यवाहियां उन कार्यवाहियों को कहते हैं जिनमें कि शहादत सौगन्ध पर ली जाती है या कानूनन ली जाय। यथा "In which Evidence is and may be taken legally on oath".

श्री राजेश्वर प्रसाद उस समय मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे जब वे उपरोक्त जांच कर रहे थे तथा प्रत्येक साक्ष्य का साथ लेकर बयान ले रहे थे। इस प्रकार कानून के अनुसार जो कार्यवाहियां उनके समक्ष थीं, वे 'जुडीशियल कार्यवाहियां' थीं तथा उनकी जांच जुडीशियल जांच थी। यह कहना न्यायसंगत नहीं है, कि किसी जांच का परिणाम केवल इस कारण दोषपूर्ण है कि वह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी है जिसका नाम मैजिस्ट्रेट केडर पर चढ़ा हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें किसी भी ऐसी रिपोर्ट से सन्तोष न होगा जो उनके मत को व्यक्त नहीं करती। जस्टिस मुकर्जी ने कलकत्ते की कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी है, उसकी जो आलोचना की गयी है वह हम जानते हैं।

मैंने जो यथार्थ वर्णन दिया है यदि आपकी अनुमति से मैं दो खास बातों की ओर तवज्जह न दिलाऊं तो वह अपूर्ण रह जायगा। पुलिस तथा सरकार पर एक छात्र आन्दोलन से व्यवहार करने में आवश्यक कड़ाई का आरोप लगाया गया है। छात्र आन्दोलन का शब्द गलत संज्ञा है। विश्वविद्यालय में छात्रों तथा सरकार अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों के बीच में लड़ाई के शब्द में बात करना निरर्थक है। छात्र हमारे ही कुटुम्बों के हैं। उन पर हमारी आशायें

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

केन्द्रित हैं। हमें उनकी जन्मजात हार्दिक उदारता, उनके साहस तथा देशभक्ति पर भरोसा है। पर हमें उनसे एक शिकायत है। वे अपनी परिपूर्ण उच्चता तक उठने का प्रयत्न नहीं करते और अपने विवेक के विरुद्ध इस प्रकार के कार्य में फंस जाते हैं जो उनके तथा उनके देश के सर्वाधिक हित के नीचे है तथा उस चारित्रिक स्तर (good conduct) के नीचे है, जिसकी एक सज्जन तथा एक भारतीय होने के नाते उनसे आशा की जाती है।

यह हमारी उनसे शिकायत है कि वे अपने को विवेकहीन राजनीतिक समूहों द्वारा एक उपास्त्र के रूप में इस्तेमाल किये जाने देते हैं जो प्रत्येक क्षुद्र शिकायत का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए छात्र आन्दोलन के रूप में बढ़ा देते हैं। हमारे युवकों को अत्यन्त शीघ्र शासनों, कानून निर्माताओं, मैजिस्ट्रेटों, उच्च पुलिस अधिकारियों तथा महान् सेनापतियों के गहन उत्तरदायित्व को वहन करना होगा। वे अपने हृदय से पूछें कि क्या कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन, कानूनी तौर से नियुक्त किये गये अधिकारियों की अवहेलना तथा सार्वजनिक मार्ग पर भद्दे कार्य करना ही उस दिन की सर्वोत्तम तैयारी है?

कदापि नहीं, हम एक छात्र आन्दोलन का मुकाबिला नहीं कर रहे थे। स्वार्थी राजनीतिक दल जान बूझ कर प्रश्नों को ढाकने के मंतव्य से इसी शब्द का व्यवहार करने पर तुले हैं। कुछ समय से छात्र संगठनों पर अधिकार जमाने के, छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करने के तथा राजनीतिक आन्दोलन में छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के निरंतर प्रयत्न किये गये हैं। स्पष्ट कारण यह है कि छात्रों के सम्बन्ध में जो भी बात होती है, वह स्वभावतः जनता की सहानुभूति पा जाती है। प्रजा सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट दल इस खेल के निकट प्रतिद्वन्द्वी हैं। जैसा साधारणतया होता है इस दौड़ में अन्त में प्रजा सोशलिस्ट दल हार जाता है। यह पार्टी प्रजातंत्र तथा अहिंसा में विश्वास करती है पर अपनी इस इच्छा के कारण कि वह कम्युनिस्ट से कम घोरपंथी न समझे जायं, इसके सदस्य बहुधा ऐसी बातें कहते हैं और करते हैं जो उनके धर्म की आधारशिला के नितान्त विरुद्ध है। कम्युनिस्ट इस बात से परिचित हैं और ये इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। लखनऊ में यही हुआ। दो भूख हड़ताली प्रजा सोशलिस्ट दल के थे और तथा कथित कार्य समिति के कुछ सदस्य भी यही लोग थे पर वास्तविक नेतृत्व सदैव कम्युनिस्टों के हाथ में ही था। अपने सब कामों के बावजूद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हाल में स्थापित छात्र कन्वेंशन में प्रमुख स्थानों को प्राप्त करने में असफल रही जिनमें अधिकांश कम्युनिस्टों को मिल गये। पर पी० एस० पी० के नेतागणों ने छात्रों का अनुशासन विध्वंस करने में जो कुछ कर सकते थे कर दिया है। मैं विरोधी दल के माननीय नेता से पूछता हूं, कितनी बार आप तथा आपके मित्रों ने विश्वविद्यालय की परिधि में छात्र सभा में भाषण देने के पूर्व उपकुलपति की अनुमति ली जो एक ऐसी परम्परा है जिसका राष्ट्रपति को भी पालन करना पड़ता है।

मैं यह नहीं कहता कि कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय अथवा जिला शाखा ने इस उपद्रव को भड़काने के लिए यथार्थ में एक प्रस्ताव पास किया। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। स्टूडेंट्स फेडरेशन उन्हीं का संगठन है और जहां भी छात्रों में कोई उपद्रव भड़काया जा सकता है, वह सदैव अग्रणी रहता है। ये प्रारम्भ से ही अगुवा बन बैठे। कई अनुमानतः शुभेच्छक सज्जनों ने पुलिस की बुराई में समाचारपत्रों में वक्तव्य दिये पर उन्होंने जिन शक्तियों से पुलिस का सामना था, उनके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या विद्यार्थियों और इन हिंसात्मक कार्यों के प्रति आंख मूंदने वालों या इनमें भाग लेने वालों ने कभी यह सोचा कि महत्वपूर्ण ट्रंक लाइनों उदाहरणार्थ लखनऊ, दिल्ली ट्रंक लाइन को काट देने का क्या परिणाम होगा? टेलीफोन के बक्सों को तोड़ने का अर्थ यह था कि किसी बीमार बच्चे को देखने के लिए डाक्टर भी न बुलाया जा सके। जिन बसों को नष्ट किया गया उनकी जगह दूसरी बसों को लाने के लिए धन कहां से आयेगा? बिजली के तारों को काटने का क्या यह अर्थ न था कि चोर डाकू शहर

में मनमानी लूट पाट करें ? आग बुझाने वाली मशीनों को क्षति पहुंचाने के बारे में क्या कहूं ? ऐसे काम तो युद्ध क्षेत्र में सेनायें भी नहीं करतीं। आग बुझाने की मशीन को बेकार कर देने से तो सम्पूर्ण नगर जल कर राख हो सकता था। डाकखाने को जलाने और रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट करने से किसकी हानि हुई ? फिर भी सरकार और सरकार के कर्मचारियों को इसलिए बदनाम किया जाता है कि उन्होंने थोड़ा बल प्रयोग करके उन हानिकर कार्यों को करने वालों को शीघ्र नियन्त्रण में ला दिया। विद्यार्थियों को कुछ चोटें भी आयीं। जांच से ऐसा मालूम हुआ है, कि उनमें कुछ छात्रायें भी थीं।

श्री गयंदर की मृत्यु से भी हम सब संतप्त हैं। वह एक होनहार युवक थे, किन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उनकी मृत्यु पर आंसू बहाने वालों में से अधिकांश ने बनावटी आंसू बहाये हैं। उनके लिए वे इसलिए चीख-पुकार करते हैं कि इसमें उनका राजनीतिक लाभ है। अन्य दो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई उनकी जानों की भी कीमत थी उनके घरवालों के लिए, उनके सम्बन्धियों के लिए, किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उनके नाम का प्रचार की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं दिखायी पड़ता है।

कुछ समय पूर्व कलकत्ता की सड़कों पर लगभग एक सप्ताह तक तोड़ने-फोड़ने के जो उपद्रव हुए थे, उनके विषय में माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा ही होगा। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें हाथ था। क्या कलकत्ते की घटनाओं के समान ही लखनऊ की घटनायें नहीं हैं और उनके पीछे उन्हीं का छिपा हुआ एवं जघन्य हाथ नहीं झलकता ? जो तोड़-फोड़ के कार्य किये गये उनमें से बहुतों के लिए तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अधिकांश माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे कि लकड़ी में टेलीफोन किस चीज का क्या असर हो सकता है। इसका कहां से सम्बन्ध है। उनको तो वही जान सकता है जो सिग्नलिंग के विषय को अच्छी तरह से जानता हो। यह ज्ञान कहां से आया। मैं किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराता लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर यह कैसे हुआ ? कि उपद्रव के दिनों में एक साथ ही बहुत से प्रमुख कम्युनिस्ट नेता लखनऊ आ गये ? लखनऊ में ही काफी कम्युनिस्ट्स हैं फिर क्या बात है कि सर्वश्री रुस्तम सैटीन, सुनील दास गुप्ता और पी० सी० जोशी एकदम से आ धमके। मैं इसके सन्तोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किन्तु मेरा प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता।

मैं फिर कहता हूं कि विद्यार्थियों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, परन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि अब समय आ गया, जबकि उन व्यक्तियों की कुचालों को रोका जाय जो प्रजातंत्र अथवा भारतीय जीवनादर्श में विश्वास नहीं रखते। हम उनकी चालों को समझते हैं और हम विद्यार्थियों को उनके हिंसात्मक नाटक के लिए साधन नहीं बनने देंगे। ये लोग चाहते हैं कि सर्वसाधारण में कानून के प्रति अवज्ञा की भावना पैदा हो, जनता का मस्तिष्क अस्थिर हो जाय और उनका यह विश्वास भंग हो जाय कि यह सरकार उनके जानमाल की रक्षा कर सकती है। हम जानते हैं कि वे एक के बाद दूसरा आन्दोलन खड़ा करते रहेंगे लेकिन उन्हें सावधान कर देना चाहता हूं कि उनकी चालें नहीं चलेंगी। जो लोग हमारे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित करना चाहेंगे, हम उनको कुचल देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब जो भाषण भवन में हों, उनके लिए समय का नियंत्रण कर दिया जाय। उसके लिए मेरा प्रस्ताव यह है कि नेता विरोधी दल को ४५ मिनट और और पार्टी के नेताओं को आध घंटा और बाकी सदस्यों के लिए १५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्यायक्ष—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय विरोधी दल के नेता को तो बोलने दिया जाय। तब उसके बाद जो भी समय का निर्णय किया जायगा वह ठीक रहेगा। वैसे हम आशा करते हैं कि माननीय विरोधी दल के नेता ज्यादा समय नहीं

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

लगायेंगे, लेकिन उनका समय निश्चित कर देना हमारी शान के प्रतिकूल है जब हमने मन्त्री महोदय के भाषण के लिए कोई समय नहीं निर्धारित किया। उनके भाषण के बाद हमें समय नियंत्रण के लिए सोचना चाहिए।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि विरोधी दल के नेता को २० मिनट दिया जाय, क्योंकि सदन के और सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय विरोधी दल के नेता महोदय को आध घंटा और अन्य सदस्यों के लिए १० मिनट तथा प्रधान मन्त्री को भी ३० मिनट दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मेरा सुझाव है कि विरोधी दल के नेता को २० मिनट तथा बाकी सदस्यों को १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---मैं तो यह निवेदन करता हूं कि आप कोई निर्णय न लें। थोड़ी देर बाद इस पर कोई निश्चय करें।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---मैं भी काटजू साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह सब के हित में होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं और प्रश्न पूछने वाले भी बहुत लोग थे और उन सब की इच्छा के कारण ही यह मौका दिया गया है और कुछ थोड़ा समय भी बढ़ा दिया गया है। अभी ३ घंटा १० मिनट का समय बाकी है। तो ऐसे अवसर पर समय निर्धारित करना उचित होगा। वक्तव्य सुनने के बाद मैं यह समय निर्धारित करता हूं कि विरोधी दल के नेता के लिए आधा घंटा काफी होगा और बाकी लोग जो नेता अपने दलों के हैं, उनके लिए १५ मिनट और बाकी सब लोगों के लिए १० मिनट का समय देना उचित होगा। इसमें प्रायः बहुत लोगों को बोलने का अवसर मिल जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री के भाषण को सुनने के बाद मैं समझता था कि काफी समय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कुछ निजी ढंग पर मेरे ऊपर भी आक्षेप लगाया है। मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं इसलिए नहीं कि मुझे कुछ कहना है, बल्कि मैं तमाम सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं वह वस्तुस्थिति इसलिए नहीं रखना चाहता हूं कि मैं एक विरोधी पार्टी का नेता हूं और उस हैसियत से रखूं, बल्कि आज अपने देश में जो विषम परिस्थिति पैदा हो चुकी है, उस परिस्थिति को आगे फिर सुलझाने के लिए मैं कुछ निवेदन करूंगा।

माननीय गृह मन्त्री ने इस सदन में अभी तक जितनी बातें कही हैं मैं समझता हूं कि उनको गलत खबरें मिली हैं और उन गलत खबरों के आधार पर उन्होंने यह वक्तव्य दे डाला है। मैं यह समझता हूं कि अगर वे गलत बातों के आधार पर वक्तव्य दिया करेंगे तो वे न्याय नहीं कर पायेंगे।

विजयकुमार के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह बिहार पी० एस० पी० के सदस्य हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि वे काशी विद्यापीठ के शास्त्री हैं और लखनऊ युनिवर्सिटी के एम० ए० हैं और इस समय लखनऊ युनिवर्सिटी में फ्रेंच पढ़ते हैं। बिहार की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रीमन्, मैं थोड़ी बहुत जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो भूख हड़ताली सदस्यों के बारे में माननीय गृह मन्त्री के पास यह खबर पहुंची कि वह पी० एस० पी० के थे। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि विजय कुमार तो यंग सोशलिस्ट

लीग के सदस्य हैं और अखिलानन्द स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य हैं। पता नहीं कि इस प्रकार की खबरें किस प्रकार से गृह मन्त्री जी के पास पहुंचा करती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी ने लखनऊ युनिवर्सिटी के आन्दोलन के सम्बन्ध में जो बातें कहीं उस सम्बन्ध में थोड़ी बहुत बातें मैं भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि सन् १९२८ ई० से जो यूनियन का विधान बना हुआ है, उस यूनियन विधान की ६४वीं धारा में यह स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि उस विधान में संशोधन तब हो जब विद्यार्थियों की जनरल बाडी से राय ले ली जाय। इसलिए आगे मैं यह निवेदन करूंगा कि जो विद्यार्थियों की मांगे थीं, वे मेरी दृष्टि में जायज और बिलकुल सही मागें थीं। विद्यार्थी इतना जानना चाहते थे कि उनको जो अधिकार प्राप्त हैं, २८ ई० के विधान के अनुसार वह उनको अधिकार जनतन्त्र कहने वाली सरकार के द्वारा न तोड़ा जाय, उसके जो सम्बन्धित पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा न तोड़ा जाय। श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री जी ने अपनी बातों में यह कोशिश की कि जो कुछ भी इस लखनऊ में घटना घटी, उसका सारा दोष विद्यार्थी समुदाय पर डाला जाय या ऐसे लोगों पर जाय जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया है।

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय गृह मन्त्री जी ने मेरे बारे में भी एक बात कही कि मैंने युनिवर्सिटी क्षेत्र में जाकर भाषण दिये थे और मैंने कब-कब अधिकारियों से आदेश प्राप्त किये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बारे में भी मन्त्री जी की गलतफहमी है। जहां तक मुझे याद है लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां के विद्यार्थियों में जाकर मैंने आज तक कोई भाषण नहीं किया, हां, एक बार ३ तारीख को जब कि तमाम अधिकारी मालूम नहीं कहां जा कर बैठे थे, उस समय मैंने विद्यार्थियों में जाकर शान्तिमय वातावरण बनाने के लिये अपील की थी, मुझे जब कि उससे पहले मालूम हुआ था कि विद्यार्थीगण एकत्र हैं और कुछ फैसला लेने वाले हैं, तब मैंने भाषण किया था और मैंने उनको बताया था कि आज उनका महत्व देश में बहुत अधिक है, इसलिए उनको इस शानदार मुल्क में एक शानदार कदम एक शानदार ढंग से उठाना चाहिए। मैं ने उन से यह भी निवेदन किया था कि उनको अपनी न्यायोचित मांगों को पूर्ण कराने के लिए संगठित रहना चाहिए, केवल इतना ही मैंने उनसे कहा था।

इसके बाद मैं एक बात की सफाई और दूंगा दो मिनट में। मन्त्री जी ने पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी की होड़ की बात कही थी कि उन दोनों में होड़ रहती है और पी० एस० पी० हार जाती है। पी० एस० पी० के बारे में उनका इतना कहना सत्य ही है, लेकिन उनसे इतना निवेदन करूंगा कि पी० एस० पी० यदि किसी से होड़ लेती है, तो वह होड़ लेती है डेमाक्रेसी के लिए, जनतन्त्र के लिए, ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए वह होड़ लेती है, वह होड़ लेती है सच्चाई को प्रतिष्ठित करने के लिए। फिर चाहे उस के सामने कांग्रेस पार्टी आये या कम्युनिस्ट पार्टी आये, इसकी उसकी कोई चिन्ता नहीं रहती। लेकिन जहां तक लखनऊ युनिवर्सिटी क्षेत्र में हुई छात्र आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी ऐसी धारणायें गलत आधार पर बनी हुई हैं। जहां तक मुझे याद है जिस तथाकथित एलेक्शन कमेटी की वह बात करते हैं उसमें ७ सदस्य तो स्टूडेंट फेडरेशन के थे और ३ यंग सोशलिस्ट लीग के थे और किसी पार्टी के नहीं थे। फिर उनका ऐसा कहना कहां तक उचित है इस पर सदन विचार करे। आगे माननीय गुप्त जी को याद होगा और मालूम होगा और मैं इस बात को सफाई के सथा कहूंगा कि जितनी घटनायें घटीं वे किसी दलगत राजनीतिक भेदभाव के कारण नहीं हुईं, बल्कि हम तो ईमानदारी और सच्चाई को सामने रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार की गलत नीति के कारण, गलत हस्तक्षेप के कारण यह सब हुआ और इसका सबूत एक-एक करके मैं देने को तैयार हूं। यहां पर तमाम बातें कही गयीं और कहा गया कि ऐसे-ऐसे कांड हुए, १ लाख ५३ हजार १९४ रुपये का नुकसान हुआ। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सरकार चाहती थी कि पुलिस बर्बर होकर, निरंकुश होकर निहत्थे विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार करे, गोली चलाये, अश्रु गैस बार-बार छोड़े और ऐसे पुलिस अधिकारियों को मंत्रिगण माला पहनायें और इस तरह के लोगों पर पुष्पवर्षा करें?

[श्री राजनारायण]

मैं तो कहता हूं कि इस तरह की चीज को भविष्य में नहीं रोका गया तो इससे भी खराब वातावरण पैदा हो सकता है और इससे भी खराब प्रभाव और मुश्किल परिस्थिति हमारे यहां पैदा हो सकती है। केवल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से ही नहीं बल्कि खद्दर पहने हुए प्रजासोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री त्रिलोकी सिंह से भी उस समय तक जब तक कि उनको पहचाना नहीं गया ऐसा व्यवहार किया गया कि उनके भी चोट लगी। हमें इस समय वस्तुस्थिति पर जाना चाहिए और ठंढे दिल से जाना चाहिये। वस्तुस्थिति क्या है, मैं एक-एक करके माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या यह बातें गलत हैं कि तीन स्थानों पर श्रीमन्, गोलियां चलीं और एक भी जगह जो जख्मी हुये उनको पुलिस ने नहीं उठाया। साधारण नियम है कि जिनको गोली लगे, जिनको चोट लगे उनको पुलिस उठावे। मगर क्या माननीय मंत्री जी इसको बतायेंगे कि जो गोली से घायल हुये उनको किसी पुलिस अधिकारी ने उठाकर अस्पताल में पहुंचाया? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां भी जलूस पर गोलियां चलीं यह अब साबित हो गया है कि पुलिस गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गयी जैसे कोई बदमाश किसी को गोली मारता है, निशाना मारता है और मारने के बाद लुकने की कोशिश करता है उसी तरह यहां की पुलिस ने कोशिश की है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है जब मैं यह देखता हूं कि हमारे ऐसे सम्मानित प्रतिष्ठित, विद्या बुद्धिसम्पन्न गृहमंत्री के पास भी गलत खबरें पहुंच सकती हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्वेश्चन आनसर के समय भी बहुत सी बातें हमने कही हैं और माननीय मंत्री जी का ख्याल है कि लड़कियों के ऊपर चोटें नहीं पड़ीं, लड़कियां घायल नहीं हुईं, पुलिस ने पत्थर नहीं फेंके, पुलिस ने ट्रक में पत्थर नहीं इकट्ठा किये। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से चाहता हूं कि ये तमाम फोटो जरा आप भी देख लें और हमारे सम्मानित मंत्रीगण भी देख लें, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जरा इनका अवलोकन कर लें। इससे क्या मालूम पड़ता है? आप देखें कि पुलिस ईंट और पत्थर लिये खड़ी है और उस पत्थर को देखकर आप बता सकते हैं कि वह किस निशाने पर मारने के लिये खड़ी है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हमारी बहनों के लिये कहा जाता है, छात्राओं के लिये कहा जाता है, गलत बयान किया जाता है कि छात्राओं पर चोटें नहीं पड़ीं, यह क्या है (फोटो प्रस्तुत करके) यह जो साड़ी पहने युनिवर्सिटी की पढ़ने वाली एक बहन है क्या उस पर चोट नहीं पड़ी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मुझे मालूम हुआ कि छात्राओं को भी चोटें लगीं और जिसका जिक्र मैंने अपने बयान में कर दिया था।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के पास शायद बाद में फिर खबरें आयीं और मालूम हुआ कि उनकी पुलिस की क्या कारगुजारी है। मुझे यह निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि माननीय मंत्री जी अपनी गलत धारणाओं को फिर बदलें। (फोटो प्रस्तुत करके) यह माननीय मंत्री जी की पुलिस है जो झोलों में ईंट और पत्थर के टुकड़े भर-भर कर ले जा रही है और जरा माननीय मंत्री जी देख लें कि ये पुलिस के कर्मचारी ईंटें चलाते हैं और फिर भाग जाते हैं। मैं जरा निवेदन करूंगा कि ये जरा पत्रकारों को भी मिल जायं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस पुलिस के काम के लिये हमारे गृह मंत्री जी विद्यार्थियों के ऊपर दोष मढ़ते हैं? क्या किसी भी मुल्क में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक भी उदाहरण वे इसका बता सकेंगे कि जिसमें एक भी जगह यूनिवर्सिटी के प्रबंध में पुलिस का इतना ज्यादा हस्तक्षेप हुआ हो। श्रीमन्, मैं भी किसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूं। १९४२ के जमाने में वकालत का मेरा दूसरा साल काशी विश्वविद्यालय में था। आदरणीय मदनमोहन जी मालवीय विद्यमान थे। १२ अगस्त,

को जब कि गवर्नमेंट की सेना विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर रही थी मालवीय जी ने कहा था कि 'आई विल बी दी फर्स्ट मैन टु लाई डाउन आन दी गेट' मगर मैं किसी पुलिस के कर्मचारी को यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं आने दूंगा। मगर श्रीमन्, मैं आज देखता हूं कि वे हमारे विद्यामंदिर जिनको कि हम कहते हैं कि यहां हम विद्यादान करते हैं, ज्ञान देते हैं जिससे कि समाज की रचना हो, समाज का परिवर्तन हो, उसका आधार दृढ़ हो, उस विद्यामंदिर में पुलिस द्वारा यह नंगा नृत्य कराया जाता है, यह बर्बरता अख्तियार की जाती है और तिस पर हमारे गृह मंत्री जी उन पुलिस के कर्मचारियों पर परदा डाल रहे हैं और ऐसा भाषण सदन में देते हैं कि जिससे सारा का सारा दोष विद्यार्थियों के ऊपर चला जाय। श्रीमन्, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य जरा इन बातों पर ध्यान दें। कितने आदमी घायल हुये और कितने आदमियों को चोटें आयीं, अगर मेडिकल कालेज की रिपोर्ट को देखा जाय और बलरामपुर अस्पताल की इंट्रीज को देखा जाय, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कितनों को गोली से चोट लगी, कितनों को ईंटों से चोट लगी और कितनों को लाठी से चोट लगी। माननीय मंत्री जी ने उन बातों को क्यों नहीं बताया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि क्या माननीय गृहमंत्री जी आज इसका औचित्य साबित कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अनशनकारी जिस यूनियन बिल्डिंग में थे, ३० तारीख को ९ बजे रात जब कि विद्यार्थी भी जाग रहे थे, क्यों एक हजार के करीब पुलिस ने जाकर चारों तरफ से यूनियन बिल्डिंग को घेर लिया ? श्रीमन् सरकार की ओर से कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी यूनियन बिल्डिंग पर विद्यार्थियों ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया। क्या युनिवर्सिटी के विधान में वाइस चांसलर महोदय को अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि यदि विद्यार्थी गलत काम करें, तो वे उनको दंडित कर सकते हैं ? लेकिन पुलिस के सुपुर्द कर देना कहां का औचित्य है ? माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी यूनियन बिल्डिंग का ताला खोल कर विद्यार्थी उसके अन्दर प्रवेश कर गये। दो ही तो अनशनकारी थे। उनकी सेवा सुश्रुषा में दस पांच विद्यार्थी रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वहां पुलिस का दल पहुंचा तब वहां मुश्किल से १५ या २० विद्यार्थी थे जो कि उन अनशनकारियों की सेवा सुश्रुषा कर रहे थे। आज हमारे माननीय गृह मंत्री बड़े उदार बन गये। जो विद्यार्थी मरने वाले थे यदि उनका हटाना आवश्यक था तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को यूनियन बिल्डिंग को घेरने की क्या आवश्यकता थी ? क्या इसका औचित्य है ? अगर इसका औचित्य है, तो वह दो, तीन या चार बजे रात में गये होते जब कि विद्यार्थी सोये होते और तब जहां चाहते वहां उनको ले जा करके दूध पिलवाते। आज माननीय मंत्री जी के राग में ऐसी उदारता मालूम होती है कि वे किसी को मरने देना नहीं चाहते हैं।

मैं श्रीमन्, एक-एक करके आपसे निवेदन करूंगा और यदि कुछ थोड़ा समय ज्यादा हो जाय तो आप श्रीमन् देने की कृपा करेंगे क्योंकि यह विषय बड़ा गहन है। क्या तीन बार लाठी का प्रहार नहीं हुआ ? क्या पैरों कुचला नहीं गया ? ईंटों से मारा नहीं गया ? क्या शहर में बारबार गोली नहीं चलाई गयी, जिससे ११ आदमी जख्मी हुये जिन में से तीन आदमी अस्पताल में जा कर मर गये ? आज इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? क्या जिला अधिकारियों पर या जिलाधीश पर है ? मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी पुलिस मंत्री पर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, इसकी जिम्मेदारी सारी कैबिनेट पर है।

अगर मेडिकल कॉलेज और बलरामपुर अस्पाताल के रजिस्टर को देखा जाय, तो माननीय गृह मंत्री जी मेरी बात से इन्कार नहीं करेंगे और मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में कम से कम इतने योग्य डाक्टर जरूर रहते होंगे जो रजिस्टर रखते होंगे। यदि किसी देश के अस्पतालों में ऐसा कुप्रबन्ध हो कि रजिस्टर न रखे जाते हों, कोई इंट्री न की जाती हो कि कहां किस चोट से कोई आदमी घायल हुआ पीछे चोट लगी, आगे चोट लगी, गले में चोट लगी, हाथ में चोट लगी या कहां लगी, तो उस देश में दिन-दहाड़े आग लग जायगी। यदि माननीय मंत्री जी उन रजिस्टरों को न देखें तो, मैं

[श्री राजनारायण]

स्वयं उन रजिस्टारों से छांट कर बतला सकता हूं कि किसको कहां गोली की चोट लगी और कहां ईंट की चोट लगी। ३१-१०-५३ को जो गोली नील गेट पर चली उसमें इनको चोट लगी, श्री अवध बिहारी, कर्मचारी एस० डी० ओ० तार, श्री सुरेश तिवारी, कर्मचारी डिविज़नल इंजीनियर, टेलीफोन, श्री सच्चिदानन्द त्रिवेदी, विद्यार्थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक और अज्ञात व्यक्ति हैं जिनकी इंट्री अस्पताल में है, पांचवें हैं बाबू राम तिवारी जो अभी तक शायद अस्पताल में पड़े हुये हैं। श्री सुरेश तिवारी, श्री सच्चिदानन्द त्रिवेदी और तीसरा एक अज्ञात व्यक्ति बलरामपुर अस्पताल में दाखिल हुये और श्री अवध बिहारी और बाबूराम तिवारी मेडिकल कालेज में दाखिल हुये। इनको गोली की चोट लगी है और ऐसे समय में गोली की चोट लगी है कि साधारण से साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति देखकर कह सकता है कि जब वे पीछे लौट रहे थे तब उनके ऊपर गोली चलायी गयी थी। ऐसी दशा में भी माननीय मंत्री जी को यह साहस हो सकता है कि इस सदन में आकर कहें कि विद्यार्थियों ने गड़बड़ी मचाई और इससे पुलिस वाले प्रभावित हुये। पुलिस के लिये मर्यादा सीमित है कि वह किस ढंग से काम करे। इसके लिये बहुत से कोड बने हुये हैं। यदि कोई डाकू भी मारा जाता है तो उसकी भी इंक्वायरी होती है। लेकिन जब इस तरह से निहत्थे नागरिकों पर गोली चली, लाठी चली तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसकी इंक्वायरी एक मैजिस्ट्रेट ने कर दी, वह भी ठीक है। उनके टेक्निकल टर्म में वह भी जुडिशल इन्क्वायरी कही जा सकती है। लेकिन हम जो मांग करते हैं वह एक बहुत लम्बी मांग है जिसमें कि हाई कोर्ट के जज हों और वे आकर के इन्क्वायरी करें।

फिर मैं श्रीमन्, पूछना चाहता हूं कि ३१-१०-५३ को अमीनाबाद में गोलीकांड हुआ। जगदीश लाल गयन्दर की बात है। अगर आप श्रीमन्, हमारे साथ चलें तो आंसू आ जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी ले जाकर वहां साबित करने के लिये तैयार हूं। माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चाहे जो भी रूप धारण करें लेकिन जब वह बाहर चलेंगे तो वह भी बगैर दो बूंद आंसू गिराये नहीं रहेंगे। वह बेचारा साइकिल ले करके खड़ा हुआ था और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने निशाना लगाकर उसे गोली मार दी। कहा यह जाता है कि वह रिवाल्वर छीनने जा रहा था। जब हम देखते हैं कि इस सदन में एक सत्य पर परदा डालने के लिये इस तरह की बातें होती हैं तो हमारे हृदय की ज्वाला भड़क उठती है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——यह किसने कहा इस सदन में कि श्री गयन्दर रिवाल्वर छीनने जा रहे थे?

श्री अध्यक्ष——मैं भी यही सोच रहा था कि आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसी बात कही नहीं गयी।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, अखबारों में बयान है। मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि श्री गयन्दर की मृत्यु के सम्बन्ध में क्वेश्चन और आनसर्स देख लिये जायं। अगर माननीय मंत्री जी ने यह बात नहीं कही है और वे पुलिस पर मैजिस्ट्रेट द्वारा की गयी रिपोर्ट पर यक़ीन करते हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर यहां अपना बयान देते हैं तो मैं श्रीमन्, क्षमा मांग सकता हूं। यह कोई बहुत बड़ा ऐसा अपराध नहीं है। मैं श्रीमन् आप से कहना चाहता हूं कि इस पर क्लैपिंग न की जाय, इस पर आंसू गिराये जायं, नहीं तो इस आदरणीय सदन का अपमान होगा। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लाटूश रोड पर १-११-५३ को घटना हुयी। पांच आदमियों को इसमें चोटें लगीं। ३ बलरामपुर अस्पताल भेजे गये और २ की वहीं मरहम पट्टी हुई। इनमें श्री काशी राम अग्रवाल की मृत्यु अस्पताल में हुई। बाकी दो श्री चेलादास और पुत्तन लाल थे। श्री चेलादास तो ठाकुरदास स्कूल के

विद्यार्थी हैं और श्री पुत्तनलाल लखनऊ के एक दूध व्यापारी। श्री हनीफ और वाहिद अली हैं जो क्रमशः मछली मोहाल और घसियारी मंडी लखनऊ के रहने वाले हैं। इसी तरह से श्रीमन्, मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा लड़कियों के बारे में भी देखें जिनको कि चोटें लगीं। उनके नाम भी मुझे मालूम हैं। कुमारी सरन मेहरोत्रा, सुदर्शन पाल, कुमारी सायला हुसैनी, दामिनी शाह और जयकिशोरी जो कि मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में भेजी गईं। मैं समझता हूं कि हमारे कोई भी इस सम्मानित सदन के सदस्य अगर बिना मेडिकल कालेज का रजिस्टर देखे हुये मेरे इस बयान का खंडन करेंगे तो यह उनका दुःसाहस होगा। इस पर श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतना जोर जुल्म हुआ उसके बाद भी हमारे पुलिस मंत्री यह कहने का कैसे साहस करते हैं कि पुलिस की ओर से बर्बरता नहीं हुई और पुलिस की ओर से अमानवीय पाशविक कार्य नहीं किये गये। श्रीमन्, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना जमाना देखा है वे कोई एक भी ऐसा उदाहरण बतायें कि इस देश में साठ घंटे का करफ्यू आर्डर ब्रिटिश साम्राज्यशाही हुकूमत में भी कभी लगा हो। श्रीमन्, जहां तक मुझे याद है कि लखनऊ में पहले कभी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। एक लखनऊ के बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा कि लखनऊ में कयामत के दिन आये हुये हैं। तो फिर श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि ३ तारीख को पुलिस ने घर में घुस-घुस कर लोगों को मारा उसका क्या कारण था? इसके अलावा मैरिस मार्केट के तमाम खटिकों को पकड़ा गया। क्या पुलिस मंत्री बतला सकते हैं कि उनको क्यों पकड़ा गया? उनका क्या अपराध था? उनका क्या दोष था? फिर एक तपेदिक के रोग में परेशान श्री कुंवर बहादुर को पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं तो आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे पकड़ ले जाते हैं। फिर बराती हलवाई की जबरदस्ती लेकर दस सेर पूड़ियां खा गये। और जब वह अपने पैसे मांगता है तो पैसे न देने का बहाना बनाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद वहां गोलियां चलती हैं। तो फिर कैसे माननीय मंत्री जी कुकर्म करने वाली पुलिस के पुलिस मंत्री बने हुये हैं, मुझे शर्म है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी का शिष्य हूं और मैं उनको प्रोफेसर कह कर सम्बोधित करता हूं। पुलिस के इन कुकर्मों को तथा बर्बता को देखते हुये श्रीमान् सम्पूर्णानन्द जी को कभी भी पुलिस मंत्री का पद न लेना चाहिये।

श्रीमन्, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की घटना के समय श्री राजाराम शास्त्री काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर वहां मौजूद थे और श्री सम्पूर्णानन्द जी यदि उनपर यकीन करते हैं तो मैं चाहता हूं यदि श्री राजाराम जी के बयान लिये जायें तो ज्ञात होगा कि किस बर्बरता से पुलिस वालों ने गेट में घुस-घुस कर उनके कमरे के दरवाजे तोड़ कर उन्हें बाहर घसीटा और फिर पकड़-पकड़ कर उनको जेल में बन्द कर दिया गया और फिर पांच दिन जेल में रख कर उनको छोड़ दिया गया। इस प्रकार पुलिस बर्बरता पूर्वक विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कर रही थी।

श्री राम नरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, क्या यह 'बर्बरता शब्द' पार्लियामेंटरी है?

श्री अध्यक्ष—बर्बरता शब्द किसी व्यक्ति के लिये प्रयोग में नहीं लाया गया इसलिये वह अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आठ फायर सर्विस यूनिट्स इस लखनऊ शहर में नहीं हैं। जिस शहर में आठ फायर सर्विस हों उस शहर में तीन-तीन दिन तक सड़कों पर लारियां जलती रहें, तीन तीन दिन तक बसें जलती रहीं। आज माननीय मंत्री जी के साथ मैं भी इस बात से सहमत हूं और जो वह कहते हैं कि सरकारी सम्पत्ति का इतना बड़ा नुकसान हुआ न होना चाहिये तो मैं भी सरकारी सम्पत्ति को बचाना चाहता हूं। सरकारी सम्पत्ति का यदि कोई नाश करता है

[श्री राजनारायण]

तो मेरे दिल पर ठेस लगती है तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को सोचें और महसूस करें कि तीन तीन दिन तक इस तरह से दारुलशफा के सामने वाली सड़क पर लारी जलती रही, इसी तरह हजरतगंज पर भी एक लारी जलती रही, जहां से १०० गज की दूरी पर फायर सर्विस का दफ्तर था यदि वे बचाना चाहते तो बचा सकते थे। आखिर किस दिन के लिये यह फायर सर्विस रखा गया है। श्रीमन् शहर में जो नुकसान हुआ, अगर मुझसे कहा जाय तो मैं ईमानदारी के साथ कहूंगा कि जो दो एेंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, एक पुलिस और दूसरे गुण्डे ये आज शहर में बढ़ गये हैं जिनकी वजह से यह सारा नुक्सान हुआ है। पुलिस वाले जानबूझ कर बसों को जलता हुआ देखते हुये भी वहां नहीं गये, इसी तरह से शहर के गुण्डों ने तार के बक्सों को जलाना शुरू किया यह दोनों एलीमेंट एेंटी-सोशल एलीमेंट्स हमारे यहां पैदा हो गये हैं। किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की और किस तरह से यदि किसी रिक्शे वाले को पुलिस वालों ने १० दिन पहले पकड़ा था तो वह भी उसमें शामिल होगया। इस तरह से जो एेंटी सोशल एलीमेंट गवर्नमेंट बनाये हुये हैं फिर उसकी देखरेख कौन करेगा? यह हुकूमत करेगी, विरोधी पार्टी करेगी या प्रजा सोशलिस्टपार्टी करेगी? श्रीमन् अभी जरा और लीजिये। मंदिर में पूजा करने के लिये एक विद्यार्थी गया हुआ था जिसका नाम त्रिलोकी नाथ नागर है। श्रीमन्, वह मंदिर में अपनी मां बहिन के साथ पूजा कर रहा था। पुलिस के लोग मंदिर से उसे घसीट लाये उसकी मां को चोट पड़ी है और उसके भी चोट लगी है। मैंने इसी लिये नाम बतला दिया है ताकि माननीय मंत्री जी यदि चाहें तो उसे बुलाकर पूछ भी सकें। इसके बाद श्रीमन्, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इन बेचारे प्रेस रिपोर्टर्स पर भी आफत आई। श्री अखिलेश जी जो स्वतंत्र भारत के हैं क्या उनका पास ले कर पुलिस ने नहीं फाड़ दिया? क्या उनके चोट नहीं लगी? जब उन्होंने कहा कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं तो पुलिस वालों ने कहा कि चल चल हमने बहुत देखा है रिपोर्टर। जहां तक मुझे मालूम हुआ है श्री गिरधारी लाल जी के पी० ए० को पुलिस ने रोका और जब उन्होंने यह कहा कि मैं पी० ए० हूं तो पुलिस ने कहा कि यह *[...] पिये हुये है। इस तरह की पुलिस है। श्रीमन् मैंने घटना का वर्णन किया है। अब मैं श्रीमन् आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि [...]

*श्री मंदाकिनी प्रसाद श्रीवास्तव, पी० के० टंडन तथा लक्ष्मीकांत तिवारी, इन लोगों के क्या चोटें नहीं आई? क्या ये घायल नहीं हुये?

अन्त में मैं अपनी मांगें पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन में पुलिस ने जो बर्बरता की है उसके प्रति सरकार उपेक्षापूर्ण नीति न अख्तियार करे और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसकी जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये जिसमें हाईकोर्ट के जज हों। इस विद्यार्थी आंदोलन में जो घायल हुये हैं, जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई है उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिये। जो सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई है उसकी क्षतिपूर्ति स्थानीय पुलिस अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से की जाय। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सरकारी मंत्री, उपमंत्री तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के पदाधिकारी न रहें। इसके अलावा अब भी हमारे चांसलर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बने रहने के लोभ का संवरण न करें।

---

*श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि राज्यपाल को बीच में नहीं लाना चाहिये क्योंकि क़ानून तो आप बनाते हैं। क़ानून बनाते समय आप जो चाहें करें।

श्री राजनारायण--मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसका ख्याल करें। अपने एक दोस्त की चन्द पंक्तियां पढ़कर मैं बैठ जाता हूं। वे इस प्रकार हैं--

"जो तालीम में भी गरज़ को मिला दें,
इशारों की टक्साल अपनी बना दें।
निहत्थे जवानों पै गोली चलाकर,
जो जम्हूरियत का जनाज़ा उठा दें।
और इंसानियत को यहां तक गिरा दें,
कि महिलाओं पर लात जूते चला दें।
वतन पर हुकूमत के लायक नहीं हैं,
जो जन्नत निशां को जहन्नुम बना दें।"

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि घटना के पश्चात् चतुर होना आसान है। लखनऊ में और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो घपला हुआ और जो हाल ही में यहां दुर्घटना हुई उनसे यदि हम चाहें तो कुछ का सबक सीख सकते हैं। भूल की खोज किसी एक स्थान में करना मूर्खता होगी और न यह अब की जा सकती है। लेकिन दोषी का आम जनता के बीच में ज़िक्र करना यानी अपनी पब्लीसिटी करना हिम्मत का काम है। मगर जहां तक हो सके हमें आज यह देखना है कि दोषी इस सम्बन्ध में कौन हो सकता है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में केवल तीन ही दोषी ठहराये जा सकते हैं। या तो विद्यार्थी वर्ग दोषी हो सकता है, या फिर विश्वविद्यालय के अधिकारी दोषी ठहराये जा सकते हैं या फिर हमारी सरकार दोषी ठहरायी जा सकती है। विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के अधिकारी या सरकार इन तीनों में से ही किसी न किसी का किसी हद तक दोष हो सकता है। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि मैं दुर्घटना का विवरण दूं। माननीय गृह मन्त्री महोदय ने विस्ताररूप से और श्री राजनारायण सिंह जी ने एक नाटकीय रूप से घटनाओं का विवरण कर ही दिया है। मैं विवरण के सम्बन्ध में इतना ही कह कर सन्तुष्ट हूंगा कि बावजूद विपरीत स्पष्टीकरण के यह सबको मालूम है कि यहां घपला हुआ। यह भी सबको मालूम है कि विद्यार्थियों ने अपनी मांगें कीं, उनकी पूर्ति के लिए विद्यार्थियों ने अनशन किया। यह भी सबको मालूम है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के हाते से बलपूर्वक हटाये गये। यह भी सब को मालूम है कि विद्यार्थियों के ऊपर गोलियों की, लाठियों की और राजनारायण सिंह द्वारा पेश किये प्रमाणों से ईंटों वर्षा की गयी। और इस सदन के सब दलों को यह मानना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की इस चेष्टा का नाजायज लाभ यहां के राजनीतिक दलों ने उठाया। लखनऊ के विभिन्न राजनैतिक दलों ने और लखनऊ शहर के गुन्डों ने विद्यार्थियों की इस चेष्टा का अनुचित लाभ उठा कर राजनीतिक हितों की पूर्ति का प्रयत्न किया। यह भी हम सब को मालूम है कि सरकार और मेडीकल कालेज की पोलिटिक्स और बेहूदा दलबन्दी के कारण संभवतः एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गयी। और अन्त में हम सबको यह भी ज्ञात है और विशेषकर समाचार पत्रों द्वारा हमको यह कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय में इस प्रकार की चहल पहल थी तो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय अपनी अनुपस्थिति का बहाना किये हुए थे। विवरण में अधिक न जाकर मैं आपकी आज्ञा से यह चाहूंगा कि जो दुर्घटनायें हुईं। हम उनके कारणों को खोजें कि जो घटनायें हुईं, वें क्यों हुईं और जिन कारणों से ये घटनायें हुईं, उनको खोजकर इधर और उधर के लोग, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण सचेत होकर ऐसा प्रयत्न करें कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न होने पायें। जहां यह सवाल है कि ये घटनायें क्यों हुईं, इसका उत्तर देना सरल नहीं है और न यही सरल है कि किसी को यह कह दिया जाय कि यह उसका,

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

दोष है। मैं इस सम्बन्ध में यही कहूंगा कि दोष सबका है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का दोष है और सरकार का भी उतना ही दोष है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि "Irresponsibility in youth may be condoned but indiscipline cannot be excused." [युवकों में अनुत्तरदायित्व क्षमा किया जा सकता है, किन्तु अनुशासनहीनता क्षमा नहीं की जा सकती।] जब तक विद्यार्थी अपनी मांग के लिए लड़ता है मैं मानता हूं कि उनकी उचित लड़ाई है। किन्तु विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए था कि उनके चांसलर के पास वैधानिक अधिकार हैं जिसके अनुसार वे उनके यूनियन के विधान को परिवर्तित कर सकते थे। यदि वे चांसलर महोदय द्वारा परिवर्तित विधान से सन्तुष्ट नहीं थे तो वे उनके सामने विधिवत् वैधानिक ढंग से अपनी मांगें पहुंचाते। जहां तक विश्व-विद्यालय के अधिकारियों का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक लखनऊ युनिवर्सिटी के अधिकारियों का सवाल है, लखनऊ युनिवर्सिटी के सब कार्य हमारे एक गुप्त मन्त्री के गुप्त इशारों के अनुसार होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की भूल, उनकी गलती सरकार की ही भूल समझनी पड़ेगी। फिर भी विश्वविद्यालय के अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे यह याद रखें "Respect cannot be enforced it has to be inspired." (सम्मान बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके भाव लोगों में प्रेरित किये जाने चाहिये) और इस सम्बन्ध में सरकार को भी यह याद रखना है कि यदि विश्वविद्यालय के उच्च पद पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को वह नियुक्त करती है जिसके लिए किसी कारण वह उचित हो या अनुचित विद्यार्थियों के बीच उतना मान नहीं है तो वह अपना काम निपुणता से कभी नहीं कर पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, फिर जहां तक हमारी इस जनप्रिय सरकार का प्रश्न है, मेरे लिए यह गुस्ताखी होगी, यदि मैं उनको कोई आदेश दूं, लेकिन मेरा विचार है कि इस सरकार को अभी भी केवल एक ही सबक सीखना है। सब से पहला सबक वही था, किन्तु जहां तक मैं देख पाया सरकार इस सबक को अभी तक नहीं सीख पायी। इस बहुमत के अहंकार को दूर करना पड़ेगा। आज जो यहां बहुमत देख रहे हैं वह काल्पनिक वस्तु है और इस बहुमत के अहंकार को दूर करें। सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए :—

"Competency cannot go hand in hand with favouritism, nepotism and reward for services rendered."

(क्षमता, पक्षपात, नातेदारों की प्रीति और पुरस्कृत सेवाओं के साथ-साथ नहीं चल सकती।)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यार्थी-गण हमसे किसी पृथक् समाज के अंग नहीं हैं। वे हमारे सम्बन्धी हैं, निकट सम्बन्धी हैं, हमारे आत्मज हैं, और हमारे ही अंश हैं। यदि सरकार को कोई ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप वह घटनायें हुईं, जो लखनऊ में हुईं तो यह याद रखना पड़ेगा कि वह कार्यवाही अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही बालकों के ऊपर करनी पड़ी। आज जो इस सरकार को चला रहे हैं, वे विद्यार्थियों से अलग नहीं हैं। बहुतों के बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और जो कुछ भी हुआ, या जो कुछ भी करना पड़ा, वह परिस्थिति को देखते हुए और उससे विवश होकर करना पड़ा। जो विवरण माननीय गृह मन्त्री ने इस सदन के सामने रखा है, उससे यह स्पष्ट है और उससे अधिक मतभेद की गुंजाइश भी नहीं है। कि जो कुछ भी किया गया वह मजबूरी के कारण किया गया और उसको करने में शुरू में बहुत हाथ रोकना पड़ा। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आ गयी, जब कि सरकार के सामने यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी जिम्मेदारी

को बर्तें और जो उसका फर्ज है उसको पूरा करे तो उसकी हालत में सरकार को आदेश देना पड़ा और ला ऐण्ड आर्डर रखने के लिए कार्यवाही करनी पड़ी। परन्तु इस तरह की जो घटनायें घटीं, उससे इस सदन के सभी दुखी हैं। अगर किसी की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु का शोक हम सबको है लेकिन हम परिस्थिति को भी नहीं भूल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के पीछे एक बड़ी भारी समस्या है और वह समस्या यह है कि हम उन लोगों का मुकाबला कैसे करें, जो राज्य का परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन बैलट बाक्स से नहीं बल्कि नवयुवकों के कंधों पर बन्दूकें रख कर। आज नवयुवक अगर भावुक हो जावें और दूसरों के कहने में आजावें, मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि बहुत थोड़े अंश में ही ऐसे नवयुवक विद्यार्थी हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं। यह बात मैंने अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक विश्वविद्यालय का पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ अंश में एक अध्यापक हूं और मैं जानता हूं कि ऐसे आंदोलन में बहुत थोड़े विद्यार्थी भाग लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी समाज को राजनीति के अन्दर डालना और उनका इस्तेमाल करना कहां तक उचित है? जिस वक्त मेरे मित्र श्री राजनारायण जी बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ऐसी स्थिति यदि इंग्लैण्ड में होती, चर्चिल गवर्नमेंट में यदि यही घटना होती, जो लखनऊ तथा प्रान्त के दूसरे स्थानों पर हुई, तो एटली वहां की पार्लियामेंट में क्या कहते। वे कदापि इस तरह की बात नहीं करते जो कि यहां श्री राज नारायण जी ने की। जहां पर ला ऐण्ड आर्डर का प्रश्न है वहां सभी को एक मत से रहना चाहिए। रूल्स आफ ला का जहां तक प्रश्न है, उसमें सभी की जिम्मेदारी है। जनता की यह मांग है कि शासन अच्छी तरह चले और जो शासन में गड़बड़ी करता है, उसकी रोक थाम की जाय।

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में जो घटना घटी, तार काटे, लारियां जलीं, टेलीफोन बाक्स जले और जनता की सम्पत्ति का जितना नुकसान हुआ उसको क्या सरकार चुपचाप देखती और कुछ कार्यवाही नहीं करती? और इसके पीछे क्या था? इसके पीछे वे शक्तियां काम कर रही थीं, जो सरकार और जनता के सामने प्रकट रूप में नहीं आ सकतीं, लेकिन वे यह समझती हैं कि इस तरह करने से सम्भव है कि यह राज्य खतम हो जाय, यहां विप्लव हो जाय और उसके बाद कोई दूसरी रूपरेखा बने जिससे शायद वे आगे आ सकें। क्या ऐसी स्थिति में माननीय राज नारायण जी को योग देना चाहिए? क्या वे चाहते हैं कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ जाय? क्या वे चाहते हैं कि हमारे देश में जो विधान है, वह समाप्त हो जाय? क्योंकि अगर वे इस सरकार से सन्तुष्ट नहीं, हैं तो उनको अधिकार है कि वे देश के सामने जावें और कहें कि यह सरकार निकम्मी है, और यदि देशवासी उनसे सहमत हों, तो वोट के द्वारा वे सरकार को पलट सकते हैं। पिछले म्युनिसिपल एलेक्शन ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव में वास्तव में सरकार बिलकुल निरपेक्ष है। जहां जनता सरकार के विरुद्ध थी, वहां कांग्रेस भी हार गयी। तो आज कोई यह नहीं कह सकता कि वोट से हम अपनी मांगों को पूरा नहीं कर सकते।

लेकिन जहां इस सिद्धान्त को भुलाया जायगा और उन शक्तियों का साथ दिया जायगा जो विधान के सिद्धान्त को ठुकराना चाहती हैं, तो उससे देश का हित नहीं होगा बल्कि अहित होगा। श्रीमन्, समय अधिक नहीं है, मैं थोड़े से शब्दों में कहूंगा कि आज हमारे देश की परिस्थिति और भी गम्भीर होती जाती है। हमारी सरहदों के पार घटायें उठ रही हैं और बहुत मुमकिन है कि साल या दो साल के अन्दर हमारे सामने एक बड़ी भीषण स्थिति उत्पन्न हो जाय। उसके लिए क्या देश तैयारी नहीं करेगा और उसके लिए क्या माननीय राज नारायण जी का कर्त्तव्य नहीं है कि वह देश के अन्दर शान्ति स्थापना के लिए योग दें और देश को शक्तिशाली बनायें जिस से देश अपनी रक्षा कर सके। क्या राजनारायण जी ने यह नहीं देखा कि यह जो घटनायें घटीं, उसके अन्दर कौन शक्तियां काम करती थीं। मैं संकेत के भाषा में कहूंगा कि हमारे पड़ोसी देशवासियों की ओर से आसमानी लहरें दौड़ने लगी थीं और उस वक्त यहां की गलियों का नाम ले लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। क्या राजनारायण जी यह चाहते हैं कि हमारी जितनी योजनायें हैं, हालां कि वह किसी एक पार्टी की नहीं हैं, बल्कि देश को मजबूत करने के लिए हैं, हमारा जो कुछ कार्यक्रम है, जो देश का भविष्य है, वह बजाय उज्ज्वल होने के अन्धकारमय हो जाय। श्रीमन्, इन घटनाओं को हम सब जानते हैं। हमारे विद्यार्थी गण

[श्री शिवनाथ काटजू]

हमारे भविष्य की आशायें हैं। आगे चलकर हमारे देश में जो कुछ बनेगा उनकी ही चेष्टाओं से बनेगा। जैसा कि गृह मन्त्री जी ने कहा कि वही हमारे जनरल होंगे, वही हमारे एडमिरल होंगे और देश की रक्षा करने वाले होंगे और उनके हाथों हो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का जीवन बजाय उच्च होने के जो कि भारतीय परम्पर के अनुकूल हो और सभ्यता का प्रतीक हो, वे उसके विपरीत जायं और अपनी परम्पराओं को भूल जायं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में रह कर वे भारत के योग्य नेता बनने की चेष्टा करें। जो कुछ यहां पर घटनायें घटीं मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर यह चिनगारी बढ़ जाती तो इस प्रान्त के अन्दर एक विप्लव का रूप अच्छी तरह से उठ जाता। हमारी सरकार ने जिस योग्यता और जिस धीरता से इस परिस्थिति का सामना किया उसके लिए देश और प्रान्त उनका ऋणी रहेगा। इन शब्दों के साथ जिन लोगों को इस घटना से दुख पहुंचा है और जो व्यक्ति मृत हुए हैं, मैं उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूं लेकिन साथ ही साथ पुनः यह निवेदन करता हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है, वह मजबूर होकर किया है और अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए किया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, गृहमन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर माननीय नेता, विरोधी दल और नेता संयुक्त दल के जो भाषण हुए, उससे हृदय के एक बुनियादी उसूल को ठेस लगी। लखनऊ में उपद्रव क्यों हुए और लखनऊ के उपद्रवों में किन का हाथ था और बातों को अलग जाने दीजिये लेकिन उस संविधान के अन्तर्गत चुने गये लोगों के मुंह से जब हम उस तरीके की बात सुनते हैं जिस तरीके से राजनारायण जी और संयुक्त दल के नेता बालेन्दुशाह जी से सुनी तो मेरी बुद्धि परेशानी में जरूर पड़ जाती है।

(इस समय ३ बज कर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

जिस जनतन्त्र और जिस संविधान के अधीन हम सब यहां चुन कर आये हैं उसमें कुछ बुनियादी बातें हैं और उनमें कुछ बुनियादी बातों की स्वतन्त्रता है, जिसमें हमें संगठन की भी स्वतन्त्रता है। संगठन की स्वतन्त्रता के सिलसिले में हमारे विद्यार्थियों में एक अजीब आन्दोलन चला और सवाल यह पैदा हुआ कि क्या विद्यार्थी विश्वविद्यालय में तभी भरती किये जायं कि जब वह यूनियन का मेम्बर होना स्वीकार कर लें। जब इस बुनियादी बात के विरुद्ध जो हमारे संविधान के अन्तर्गत मुमकिन नहीं है हमारे विद्यार्थियों ने नारा उठाया तो किन्हीं लोगों ने उन्हें मदद अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए दी। तो जाहिर है कि हमारे सामने एक ही रास्ता था कि आपकी अवैधानिक मांगें पूरी नहीं हो सकतीं। जब उनकी यह मांगें पूरी नहीं की गयीं, तब उसके पश्चात् भूख हड़ताल या दूसरी चीजों का सहारा लिया गया और एक आतंक फैलाकर मांगें पूरी करवाने की कोशिश की गयी। दूसरी ओर सरकार अपने को तभी कायम रख सकती है जब वह अपने बनाये हुए कानून को चला सके और उन लोगों को रोक सके, जिन्होंने संविधान की धाराओं के विरुद्ध आवाज उठायी है। कहा गया कि मंकी ब्रिज पर लाठी चलायी गयी और दूसरे कांड हुए; माननीय विरोधी दल के नेता ने फोटो भी दिखाये कि पुलिस कप्तान साहब किस लिए पत्थर बटोर रहे थे। सवाल यह होता है कि लाठी क्यों चलायी गयी? जब अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आगे न आओ और बार बार कहा जाता है, लेकिन अगर अपने देश के कानून की मर्यादा को न मान कर आगे बढ़ने की कोशिश करने वालों पर जब विरोधी दल के नेता का राज्य आयेगा तो शायद फूल की मालायें पहनायी जायंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आगे भी कभी पत्थर फेंकने की बात आयी थी? क्या पुलिस वालों ने पत्थर फेंके? और केवल उन्हीं दिनों क्यों पत्थर फेंके? पुलिस के सामने जरूर एक कड़वा काम था, लेकिन उसे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि देश में सरकार को चलाना है, जनतन्त्र को जिन्दा रखना है और जब तक हमारे दोस्तों के काबिल हाथों में राज्य पहुंचे और वह जनतन्त्र का गला घोंट न लें,

तब तक तो हमें जनतन्त्र की मर्यादा को कायम रखना ही पड़ेगा। मैं तो अब तक यह नहीं समझ सका कि विद्यार्थी आन्दोलन से सम्बन्ध किस चीज का है और कैसे क्या-क्या हुआ, कौन इसके पीछे था। माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य से मालूम हुआ कि उसके पीछे वह सत्ता चाहने वाले विरोधी दल के लोग हैं जिनके हृदय में देश की गद्दी पाने का लोभ है और वह भी वोट से नहीं बल्कि उपद्रव के द्वारा ही मिले तभी वह उस को पाने के लिए तैयार हैं, अन्यथा वह दूसरे देशों की सहायता और मदद से भी उसे पाने के लिए उत्सुक हैं। जो दल राजनैतिक सत्ता को पाने के लिए अपने देश, समाज और भारतीय संस्कृति और संविधान के विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, तो करे अगर ऐसी बात कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की तरफ से आती तो मैं कह सकता था कि आपका यह नारा आपके जैसा नहीं, क्योंकि आपके राज्य में एक दल एक नारा और एक झंडे की बात चलती है, इसलिए उनसे शिकायत नहीं, परन्तु जहां तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है, जब वह विद्यार्थियों के नाम पर सरकार की शिकायत करते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राज्य होगा, तो न एक दल, न एक नारा और न एक झण्डा और न एक पार्टी रहने वाली है। तो जब उनकी पार्टी एक नारा, एक दल एक झंडे की बात नहीं मानती है, तो विद्यार्थियों में एक संगठन एक यूनियन ऊपर से लाइकर विद्यार्थियों से गलत-सही बातें कह कर कैसे हाउस में वह उनके चैम्पियन बन कर बैठ सकते हैं। हममें से कोई इस सदन का सदस्य ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों से निरंकुशता और अनुशासन की अवहेलना की भावनाओं को बढ़ते देखने की इच्छा रखता हो।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए जब कभी हममें से किसी की भी बात का उल्टा असर उन कच्ची मिट्टी के पुतलों पर पड़े, जो आज भी कच्ची उम्र के विद्यार्थी है, जो अपने जीवन में ढल रहे हैं, अभी तपे नहीं हैं, अभी पके नहीं हैं, तब उनके मस्तिष्क पर नेता विरोधी दल की तरह की बातों का क्या असर पड़ेगा? मैं आपसे यह निश्चय कह सकता हूं कि जनहित और प्रजातन्त्रवाद के हित में उनकी भावनायें बनने वाली नहीं हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आज राज्य करती है, तो कल किसी दूसरी पार्टी का राज्य इस देश में हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के राज्य काल में यहां के विरोधी दल के नेता इस तरह की भावनाओं को प्रोत्साहन देंगे कि कानून को तोड़ना ही शक्ति की निशानी है, कानून के विरुद्ध चलना ही शक्ति की निशानी है तो मैं उनसे आज यह निश्चय कह सकता हूं कि उनको फिर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उनको इस बात का मुकाबिला इसलिए न करना पड़े, क्योंकि उनको आशा नहीं है कि उनकी पार्टी भी कभी राज्य कर सकेगी, तब तो बात दूसरी है। फिर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह हमारे बहुत सारे दोस्त भी समझते हैं कि कांग्रेस के बाद तो कोई ऐसा दल आवेगा, तो पी० एस० पी० के नाम से तो कम से कम पुकारा जाने वाला नहीं ही होगा। बहरहाल, उस हालत में तो हम जितनी भी गैरजिम्मेदारी की बात चाहें कह सकते हैं। अगर यह ख्याल है, तो हमारी सारी बुनियादी उसूलों की बातें गलत साबित हो जायंगी। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लखनऊ में हुए विद्यार्थी आन्दोलन के नाम पर एक गलत बात और एक गलत चीज को रखकर एक गलत ढंग से गलत आदमियों के जरिये सारे का सारा उपद्रव किया गया और सरकार ने उसमें जिस शक्ति तथा सद्बुद्धि से काम लिया, तो सरकार के लिए बजाय इसके कि उसकी बुराई की जाय हमें उसको मुबारकबाद देना चाहिए। यदि राज्य विद्रोहियों के हाथ में दे दिये जाने की बात हो तब तो सरकार सड़कों से पुलिस हटा ले, सारी व्यवस्था खत्म कर दे, बल्कि एक बार में यह सदन यह कर सकता है कि इस देश में, इस प्रदेश में अब राज्य रहना ही नहीं है, वह फाइनल स्टेज आ गयी है कि अब स्टेट 'विदर अवे' हो जाय और आज से सब आदमी अव्यवस्थित पर स्वतन्त्र हैं। पिछले दिनों में श्रीमन्, अनार्की के मुकाबिले में हमारे प्रदेश में, इस सरकार ने जिस शानदार तरीके से खड़े होकर देश की और देश हित की रक्षा की है, उसके लिए मैं उसे मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भाई जब कोई बात उठाया करें तब कम से कम प्रजातन्त्रवाद को, हमारे संविधान की धाराओं को भूलने की कोशिश न किया करें।

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी के वक्तव्य पर मैं आशा नहीं करता था कि माननीय विरोधी दल के नेता तथा संयुक्त दल के नेता इस प्रकार के विचार व्यक्त करेंगे। देश के अन्दर हिंसा या देश को बरबाद करने वाली प्रवृत्तियों या वाद-विवाद को इस प्रकार नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि हम सब लोगों की श्रद्धा इस संविधान के अन्दर है और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर जनतन्त्र का विकास हो तो हम सबको इस प्रकार की प्रवृत्तियों का दमन करना होगा। जनता के अन्दर विधान के प्रति, संविधान के प्रति, अहिंसात्मक प्रवृत्तियों के प्रति हमको श्रद्धा पैदा करनी होगी। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि जो कुछ भी लखनऊ के अन्दर हुआ या अन्य स्थानों पर हुआ, उनकी निन्दा करने के लिए एक भी शब्द मान्य विरोधी दल के नेता की जबान से नहीं निकले। इसका अर्थ यह होता है कि वह इन सब चीजों का समर्थन करते हैं। अपनी दलीलों के अन्दर आपने यह भी कहा कि जब वहां पर पुलिस की तरफ से इस प्रकार का व्यवहार हुआ हो तो क्या वहां पर मालाओं से उनका स्वागत किया जाता। तो क्या वह इस बात का समर्थन करते हैं कि इन हिंसा की प्रवृत्तियों को एक उत्तेजना दें और देश के अन्दर एक हिंसात्मक भावना पैदा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अन्दर एक ही प्रकार से शासन और शान्ति व्यवस्था चल सकती है। या तो आन्तरिक नियन्त्रण हो, नहीं तो फिर वाह्य नियन्त्रण आज लाना पड़ेगा। आज हमारे देश में ऐसा मालूम पड़ता है कि अंग्रेजी राज्य के समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां काम कर रही थीं, उनको हम आज फिर से दुहराना चाहते हैं। जब सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया गया था, उस वक्त कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री शंकरन नायर ने एक किताब लिखी थी "गांधी जी और अनार्की"। उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह देश के अन्दर एक कानून भंग करने की भावना घर कर जावेगी और फिर किसी के लिए भी यहां पर अपनी सरकार का चलाना नामुमकिन हो जायगा। गांधी जी ने कहा था, "मैं जानता हूं कि मैं आग के साथ खेल रहा हूं, लेकिन मुझको हिन्दुस्तान की आजादी के लिये यह ख़तरा मोल लेना पड़ेगा।" अंग्रेजी सत्ता के सामने कोई चारा नहीं था वहां पर क्योंकि वोट के बल पर सत्ता को नहीं बदला जा सकता था। गांधी जी चलते थे ब्रेक लगा कर, गांधी जी बराबर अहिंसा पर जोर देते थे। माननीय विरोधी दल के नेता कहते थे कि ६० घंटे तक कर्फ्यू लगाया, मैं कहता हूं कि आपको मुबारकबाद देना चाहिये क्योंकि अगर आप की यही प्रवृत्तियां रहीं तो जनता की शान्ति की रक्षा के लिये, जनता के धन और जन की रक्षा के लिये शायद १२० घंटा का भी कर्फ्यू लगाना पड़े। एक चौरा-चौरी की घटना हुई तो सारे का सारा आन्दोलन समाप्त कर दिया गया। यह था हिन्दुस्तान के नेतृत्व का बल। क्या आपके अन्दर यह साहस था कि आप इन हिन्सात्मक प्रवृत्तियों को अपने नैतिक बल के साथ रोक देते। अब आप तुलना करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में जनता की? क्या आपको मालूम नहीं है कि कम्युनिस्टों की स्ट्रेटेजी में, लेनिन के लेखों में, स्टैलिनिज्म के अन्दर उनका यह सिद्धान्त है कि अराजकता पैदा करो? उनका सिद्धांत है कि मजदूरों को, विद्यार्थियों को तुम अपना अड्डा बनाओ और अशान्ति पैदा करके, जनता के वोटों के द्वारा नहीं बल्कि हिंसा के द्वारा सरकार की मशीनरी पर क़ब्ज़ा करो।

मैं जानता हूं कि राजनारायण जी एक द्वंद्व के अन्दर पड़े हुये हैं। एक तरफ तो वे कम्युनिज्म का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ़ उनके महान् नेता जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आज रशा के अन्दर जनतंत्र-वाद नहीं अभिनायकतंत्र-वाद है, वहां पर नंगी तलवार का राज्य है। वह हिंसा की निन्दा करते हैं लेकिन उनको जनता से इस क़दर निराशा हो गई है कि वह निराशा के अन्दर राजनीतिक विवेक को भूल करके सत्ता को हाथ में लेने के लिये उतावले हो कर उन्हीं क़दमों पर चलना चाहते हैं जिनको कम्युनिस्ट अपना कर चल रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रवृत्तियां बड़ी ख़तरनाक़ हैं। एक तरफ तो यह कहना कि हम युनिवर्सिटियों के अन्दर एटोनामी करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व-विद्यालय की एटोनोमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एटोनामी के सबसे बड़े शत्रु ये राज-

नीतक दल हैं। स्वयं आपके नेता आचार्य कृपलानी ने अभी हाल में कहा "विद्यार्थियों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है।" उन्होंने दूसरे सेंटेंस के अन्दर कहा, 'क्योंकि वह तो मूर्ख हैं ही, यदि न होते तो विश्वविद्यालय में क्यों आते ?" मैं समझता हूं कि सत्य को जान करके विरोधी दल के लोग विद्यार्थियों को अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं।

कहा जाता है कि हम किस प्रकार के नियम बनायें जिसके अन्दर कोई मंत्री, कोई सरकार का व्यक्ति विश्वविद्यालय में न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के कौन से क़ानून के मातहत आप उसकी कोर्ट की स्दस्यता से एक मिनिस्टर को और दूसरे लोगों को हटाना चाहते हैं ? क्या यह वाक़यात नहीं है कि डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी हिन्दू महासभा के नेता कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे ? क्या आप नहीं जानते कि डाक्टर जयकर भी एक लिबरल पार्टी के नेता हैं ? हंसा मेहता हैं, सी० पी० रामास्वामी अय्यर और श्री मुदा-लियर हैं, आचार्य नरेन्द्र देव हैं। तो आपका असल मक़सद यह है कि आप चाहते हैं कि आप राजनीति का प्रवेश यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर करें। आप चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस के ऊपर तो इस सरकार की जिम्मेदारी है तो आप सिद्धांत की आड़ के अन्दर एक विरोधी राजनीति का वहां पर अड्डा बनाएं। क्या सन् १९३८ में आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर कोई वाइस चांसलर, कोई एग्ज़िक्युटिव का सदस्य, कोई मिनिस्टर न बने ? क्या सर राधा कृष्णन की रिपोर्ट के अन्दर इस प्रकार का कोई भी ज़िक्र है ? क्या किसी युनिवर्सिटी की एग्जिक्युटिव ने, क्या किसी वाइस-चांसलर्स के किसी भी मण्डल ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है ? आप परस्पर विरोधी बातें करते हैं। एक तरफ एटोनामी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार का सहारा लेते हैं। उसके अन्दर मंत्री न हो तो आप क्यों कोर्ट के सामने जाने से डरते हैं ?

मुझे तो बड़ा खेद हुआ श्री बालेन्दुशाह के शब्दों को सुन कर के जहां पर किसी उप-कुलपति का मान नहीं है, वहां पर वह क्यों रहें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रान्त में क्या इस देश में कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें एक छोटा सा अल्प-मत यदि किसी उप-कुलपति की टोपी उछलवाना चाहे तो न उछलवा सके। यहां पर आचार्य नरेन्द्रदेव उपकुलपति रहे। उनकी तरफ एक ऊंगली नहीं उठी। आगे चल कर जब आचार्य जुगुल किशोर पद ग्रहण करते हैं, तो उससे कौन सा आसमान गिरने वाला था, कौन सा राजनैतिक उद्देश्य था कि डिमांस्ट्रेशन किये जाते हैं। ब्रिटिश राज्य के अन्दर जब कि यह युनिवर्सिटीज़ ब्रिटिश सत्ता को कायम रखने के लिये क़ायम की गयी थीं, क्या हमने कभी उप-कुलपतियों या चान्सलर्स की एफीजीज़ निकाली थीं ? क्या हमने उस वक्त में इस प्रकार तोड़ फोड़ के काम किये थे ? हम भी विद्यार्थी थे। हम लोगों को गर्व है कि हम एक शानदार ढंग से, हिन्दु-स्तान की संस्कृति के मुताबिक और बुद्ध और महात्मा गांधी के आदर्शों के मुताबिक़ ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते थे। उस वक्त के आचार्य, उस वक्त की जनता और उस वक्त की सरकार हमारे शब्दों का यक़ीन करती थी। हम लोग अगर जेल जाते थे, तो हम उनको चुनौती दे कर के जाते थे। यह एक हमारा तरीक़ा था। एक तरफ आटोनामी का स्वांग था और दूसरी तरफ़ आपके शब्दों में डिमोक्रेसी का अर्थ यह होता है कि आप विद्यार्थियों को तोप का फाडर बनाना चाहते हैं। आप उतावले हो गये हैं। अगर डिमोक्रेसी के अन्दर आप चाहते हैं कि वे रेल्स के मानिन्द हों उनपर कोई इंजन चले और यह सर्विसेज़ बिलकुल राजनीति से ऊपर चलें, तो क्या आपके सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य उस इंफेक्शन को ले करके यहां जनता की सरकार का भार ग्रहण कर सकेंगे। जो कल तक एक यूनियन का सेक्रेटरी है, एक पार्टी का सदस्य है, क्या वह कभी चीफ़ सेक्रेटरी और हमारा एक विश्वासपात्र आफिसर बन सकेगा ? गम्भीरता के साथ सोचिये। हमको यह परम्परा क़ायम करनी होगी कि विद्यार्थी राजनीतिक शोषण के शिकार न हों। आज जो कुछ भी हुआ देश के लिये एक लज्जा की चीज़ है। मैं जानता हूं कि विद्यार्थी लोग गम्भीरता से सोचेंगे। विद्यार्थियों का खून किया गया है, विद्यार्थियों का शोषण किया गया है, जिनके नाम पर इस वक्त आंसू बहाये जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक सत्ता की लोलुपता को पूरा करने के लिये इन निहत्थे लोगों की हत्यायें की गयी हैं और इनका खून आप लोगों के सिर पर है जिन्होंने यह सब कराया।

[श्री बनारसी दास]
इसलिये मैं विद्यार्थियों से भी आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि आज आजादी खतरे क अन्दर है, जनता की आजादी खतरे के अन्दर है, इसलिये इस आजादी की रक्षा कीजिये और हम भी साहस के साथ विश्वविद्यालयों को और इस विद्या मंदिर को राजनीतिक कुचक्र का केन्द्र नहीं बनने देंगे। हम इस विद्या मंदिर को देश की प्रयोग-शाला बनायेंगे, जहां विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास होगा, अनुसंधान होगा और तमाम राष्ट्र को उनके अनुभव से लाभ हो, तटस्थता के साथ, निर्भीकता के साथ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन करने का मौक़ा होगा लेकिन किसी भी सत्तालोलुप व्यक्ति के लिये स्थान नहीं होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुना और उसके बाद अपने कुछ और भाइयों के भाषण सुने। मैं उनके भाषणों का तो कुछ जवाब देना नहीं चाहता, वह इसलिये कि वे आज इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं रखते थे। जहां तक इस प्रदेश का सवाल है आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो कुछ हुआ इस विद्यार्थी आन्दोलन को ले करके उसमें सरकार का कितना हाथ था, सरकार की कितनी ज़िम्मेदारी थी और पार्टीज़ की कितनी ज़िम्मेदारी थी उस पर भी हमें इस सदन के सामने विचार करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी गवर्नमेंट ने बिना जाने बूझे बिना अच्छी तरह इंक्वायरी करवाये, इस सारे उपद्रव का जो कुछ भी श्रेय था उसके लिये कम्युनिस्ट पार्टी को मार्टर बना दिया है और कहा कि विद्यार्थी आन्दोलन में जो कुछ हुआ वह कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कौन से कम्युनिस्ट आपने पकड़ डाले या कौन से पी० एस० पी० के मेम्बर आपने पकड़ डाले जब कि आप कहते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने ही इस आन्दोलन को चलाया। आज हमारे माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के सामने जो फैक्ट्स रखे उससे यह पता चलता है कि न तो इस सरकार का दोष, न पुलिस का दोष और न ही कांग्रेस पार्टी का दोष है।

विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला और जब वह युनिवर्सिटी वापस जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनसे खड़े हो कर कहा कि तुम युनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा सकते हो। विद्यार्थियों के पास न तो कोई डंडा था, न उनके पास कोई रिवाल्वर थे और न उनके पास कोई तोपें थीं। वह सिर्फ अपनी युनिवर्सिटी में जा रहे थे। उधर से पुलिस वालों ने उनका पत्थरों से सामना किया। उसके बाद श्रीमन्, पुलिस वालों ने लाठियों से मारा। एक लड़की के श्रीमन्, पुलिस वालों ने बाल खींचे। मैंने लड़की से पूछा तो उसने कहा कि पुलिस वालों ने उसके बाल खींचे। बाल खींचने के बाद श्रीमन्, यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर विद्यार्थियों के कोई जोश भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा हो तो श्रीमन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि रुक जाय। फिर भी लड़कों ने कोई लूटमार नहीं की और पुलिस वालों ने टीयरगैस डाली और बाद में गोली चलायी। वहां पर सिर्फ एक रिक्शे वाला मरता है और बाज दो चार और घायल हो जाते हैं। अगर वहां विद्यार्थी होते और वे पुलिस पर हमला करने वाले होते तो उनको भी चोट लगती लेकिन सिर्फ एक दो विद्यार्थियों के चोट लगी है। तो क्या किया विद्यार्थियों ने ? आज यह कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों ने बड़े बुरे नारे लगाये कि लखनऊ में तीन चोर, गुप्ता, मुंशी, जुगुल किशोर। आज यह दिखाया जा रहा है कि लड़के बड़े बेहूदा नारे लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लड़कों के जो प्रतिनिधि थे, यूनियन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जा कर के माननीय चन्द्रभानु गुप्ता जी से हमारे गवर्नर महोदय से और श्री जुगुल किशोर जी से माफ़ी मांगी और जो ऐसे नारे लगे थे उनको कंडेम किया। कोई भी पार्टी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकती है कि इस तरह से ग़लत नारे लगाये जायं हमारे नेताओं ने भी इसका खण्डन किया।

आज हमारे बनारसी दास जी कहते हैं कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि किसने इसे कंडेम नहीं किया। हम कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे कि कोई पार्टी इस तरह का

उपद्रव हमारे यहां करे। लेकिन यह क्या सबूत है कि सारे सूबे में उपद्रव करने का कार्य विद्यार्थियों का था। अगर वह पोस्टआफिस जलाना चाहते, अगर वह तार काटना चाहते, अगर वह सरकारी बिल्डिंग जलाना चाहते तो क्या युनिवर्सिटी में तारघर नहीं था, क्या युनिवर्सिटी में टेलीफ़ोन के तार नहीं थे, क्या युनिवर्सिटी में सरकारी बिल्डिंग्ज़ नहीं थीं। लेकिन वहां कोई टेलीफून नहीं काटा गया, कोई तार घर नहीं जलाया गया। बाज़ार में सारा उपद्रव तो गुन्डों ने किया। लेकिन इस पर यह कहना कि यह कम्युनिस्टों ने किया या सोशलिस्ट पार्टी ने किया यह सर्वथा अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह है कि जो स्टूडेन्ट्स जेनरेशन है, जो आज कल के नवयुवक हैं वे किसी भी हालत में कांग्रेस में शरीक होने के लिये तैयार नहीं हैं, वे किसी दूसरी तरफ ही जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के ज़रिये सदन को बतलाना चाहता हूं कि जब यह उपद्रव लखनऊ में हुये उस समय मैं लखनऊ में ही था। यदि मैं कोई बयान अखबारों में निकाल देता तो सभी लोग यही कहते कि लखनऊ में बैठे हुये आप उपद्रव करा रहे हैं। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां थे तो मैं इस बात को पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा शहर होते हुये और यहां पर सरकार का हेड होते हुये और मुख्य मंत्री के रहते हुये ६० घंटे तक इस शहर में कर्फ़्यू लगा रहे और बिलकुल हुकूमत खत्म हो जाये, पुलिस का ठीक तरह से प्रबन्ध न हो। कहीं-कहीं दो चार पुलिस वाले दिखाई दे जाते थे और उपद्रव भी कोई ऐसा नहीं था जिसमें ६० घंटे का कर्फ़्यू लगाया जाता यह बड़े शर्म की बात है। इसने सारे प्रान्त की हवा खराब कर दी। यदि यह बात ज़िले की होती तो बात दूसरी थी लेकिन जहां पर मुख्य मंत्री जी हों और सभी सरकारी बड़े-बड़े अफसर हों वहां इस तरह की घटना का होना शर्म की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि इस हालत को गवर्नमेंट के बड़े-बड़े अफसरों ने ठीक तरह से हैंडिल नहीं किया। कानपुर के अधिकारियों ने अपने यहां की हालत को ठीक तरह से हैंडिल किया इसलिये वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस-लिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि इस की सारी जिम्मेदारी सरकारी अफसरों पर है जो इस उपद्रव के लिये जिम्मेदार हैं। जहां तक नारों का सम्बन्ध है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या विद्यार्थियों ने इन भद्दे नारों के लिये माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी से माफी नहीं मांगी। इसके अलावा हम लोग भी इसको कन्डेम करते हैं और जो यह हिंसात्मक कार्यवाही की गयी उसको भी कन्डेम करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा अपना देश तरक्क़ी करे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है कोई कहता है कि इसमें पाकिस्तान वालों का हाथ है तो कोई कहता है कि यह जो मूवमेंट हुआ वह मास्को द्वारा स्पान्सर्ड था। तो मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों में कांग्रेसियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, जन संघियों के भी बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं तो जब सब बच्चों ने देखा कि लड़कों पर इस तरह के ज़ुल्म हो रहे हैं, लड़के मारे जा रहे हैं तो वह सब मिल कर इसके खिलाफ खड़े हुये और उन्होंने जलूस आदि निकाले।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय दारुलसफा के सामने बसें जल रही थीं लोग तार के खंभों को जला रहे थे तो उस समय उनको रोकने के लिये पुलिसवाले नहीं थे। मैं समझता हूं कि सरकार यह चाहती थी कि जो प्रापर्टी जलाई गयी है उसे न बुझाया जाय ताकि जो विद्यार्थी गोली से घायल हुये हैं तो यह सरकार दिखाये कि इस तरह का विद्यार्थियों ने उपद्रव किया है। इस तरह से तीन रोज़ तक आग जलती रही ताकि लोग यह समझें कि यह विद्यार्थियों के कारनामे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों ने बड़ा भारी उपद्रव हमारे इस प्रान्त में किया तो अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब मैं ५ बजे पब्लिक एकान्ट कमेटी खत्म करने के बाद बाहर पहुंचा तो देखता क्या हूं कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर आई० जी०, डी० आई० जी० एक पुलिस अफसर की अजीब शकल बना कर लाये उसको बिलकुल बहु-रूपिया बना रखा था, मैंने कहा कि यह किसी मिनिस्टर को दिखाने आये हैं कि किस तरह से विद्यार्थियों ने इस आफिसर को मारा है इसलिये उन्होंने गोली चलाई। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, परमात्मा शरण, एम० एल० सी० के नौकर को पुलिस पकड़ ले गई। जिसको १७५ मील पर छोड़ा जो कि तीन दिन के बाद मिला। श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कर्फ़्यू का

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

पास नहीं मिल पाया अस्पताल जाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसा कर्फ्यू पहले कभी देखा नहीं था। मैं एम० एल० ए० का पास लिये फिरता था। लोगों ने कहा कि आप लाल टोपी पहनते हो कहीं एक आध जगह पीट न दिये जाओ। श्री बेचन राम जी को पकड़ लिया गया और उनकी टोपी उतार ली। यह बात जरूर थी मैं इसको मानता हूं। लेकिन अपने विद्यार्थियों की इसकी जिम्मेदारी नहीं थी ऐसे खराब काम के लिये हम किसी को सपोर्ट यहीं कर सकते हैं। जो भी अहिंसात्मक तरीके से काम करेगा उसी का हम साथ देंगे और हम गुंडागिरी के काम में कभी भी सहायता नहीं देंगे और न साथ देंगे। आज गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से पेश आना चाहिये जिससे हमारे देश की भलाई हो। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो हमें तो उसका फल नहीं भुगतना होगा बल्कि उनको ही भुगतना होगा।

श्रीमती सईदजहां मखफ़ी शेरवानी (जिला एटा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस वक्त बिलकुल आजादाना और गैर जानिबदाराना खयालात आप के सामने रखना चाहती हूं। यह मामला मेरे लिये बड़ा ही कठिन है। एक तरफ तो ला एंड आर्डर का सवाल है और दूसरी तरफ मेरे सामने डिसिप्लिन का सवाल है। एक तरफ तो मेरे सामने मासूम बच्चे हैं और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है। इन दोनों को एक तराजू के एक पल्ले पर रखना हमारा अव्वलीन फर्ज है।

इस मामले में जो गड़बड़ी हुई है, मैं समझती हूं कि जितने हम लोग मेम्बर्स हैं शायद हम लोगों की कोताही के सबब से ही हुई है। हम लोग यहां पर ४३० या शायद ४३१ हैं क्या हम लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या हम अपने बच्चों को समझा नहीं सकते थे? जो जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है उसके हिस्सेदार हम भी हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी इस बुराई और कोताही की बराबर जिम्मेदारी है। ईमानदारी हमको मजबूर करती है कि हम भी इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा बंटायें।

मैंने कई दफा कोशिश भी की। उस वक्त मैं यहीं पर थी। जिस वक्त हमारे यहां यानी दारुलशफा में बच्चे आये तो उस वक्त मैं जाने लगी तो मेरे पड़ोस में चिरंजीलाल जी हैं, उन्होंने मुझ से मना किया कि आप न जाइये। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जरूर जाऊंगी। उस वक्त शेरवानी जी भी यहीं मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि आप इस वक्त बाहर न जायें लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जरूर जाऊंगी। मैंने बाहर जा कर बच्चों से पूछा कि आप की आखिर शिकायत क्या है? नारे लगाने से तो महज काम नहीं चल सकता है। नारों से अगर आपका अखलाक़ अच्छा होता, आपका कुछ भला होता तो मैं भी कहती कि आप एक नहीं बल्कि चार नारे और लगाइये। लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। इसलिये मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप लोग अपने मतालबात को रखिये और फिर अगर हम जिम्मेदारी न लें तो इल्जाम लगाइये। इसका जवाब किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया। इससे साफ़ जाहिर है कि उनमें उस वक्त भी डिसिप्लिन कायम था। अगर उनका डिसिप्लिन खत्म हो गया होता तो जाहिर था कि वह दस गालियां मुझको भी दे सकते थे, क्योंकि मैं उस वक्त गवर्नमेंट की एजेन्ट समझी जाती और बात भी यही थी मैंने गवर्नमेंट की पोजीशन को महफूज रखते हुये उन लोगों से बातें की थीं। लेकिन वह चीज मेरे सामने नहीं आई। इससे मेरे ऊपर बड़ा भारी असर हुआ। एक तरफ मेरे बच्चे हैं और एक तरफ हमारी जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है उसीलिये हम यहां पर जमा होते हैं। हम जनता की तरफ से जिम्मेदार हैं। इससे कहीं करोड़ों गुनी जिम्मे-दारी गवर्नमेंट की है। इसलिये कि उसको बच्चों में डिसिप्लिन भी क़ायम रखना है और दूसरी तरफ ला एंड आर्डर भी मुल्क में बराबर क़ायम रखना है।

मैं आप लोगों को यक़ीन दिलाना चाहती हूं कि गवर्नमेंट की हमदर्दी उन के लिये है। गवर्नमेंट और कहीं की नहीं है। गवर्नमेंट भी उन्हीं की है। हर बच्चा या स्टूडेंट गवर्नमेंट का ही बच्चा है। फिर जब ऐसी बात हो जाय तो क्या उसके दिलमें कुढ़न न होगी।

यक़ीनन बात यह है कि गवर्नमेंट ने उनके मतालबे पूरे किये यह इस बात का सबूत है। लेकिन कब जब कि इतना झगड़ा हो गया और इतनी अबतरी के बाद। क्या गवर्नमेंट पहले इन मतालबों को पूरा नहीं कर सकती थी, यक़ीनन कर सकती थी। लेकिन सही तौरसे इसको कंट्रोल नहीं कर पाये। इसकी वजह यह है और जहां तक मैंने इस मामले की बारीकी पर ग़ौर किया है वह यह है कि इसमें एक तीसरा ही फैक्टर है।

स्टूडेंट्स का जहां तक ताल्लुक़ है, ला ऐंड आर्डर का जहां तक ताल्लुक़ है जाहिर है, वह बराबर है। क़ानून के निफाज़ के लिये जो अख़्तियारात (अथारिटीज़) को दिये जाते हैं वह उनको उसकी नज़ाक़त को देख कर इस्तेमाल करती है।

अगर मुझ से मेरा बच्चा बदजन हो जाय, जैसे कि आजकल तरह तरह के तरीके चल रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, तो कोई-कोई और कुछ है, एक ही घर में एक बाप के अगर चार बच्चे हैं, वे चार तरफ जाते हैं, बड़ी-बड़ी शिकायतें उनसे हो जाती हैं तो क्या उनके लिए मैं पुलिस को घर में बुलाऊंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी वाइस चांसलर की थी। क्या वाइस चांसलर यह नहीं समझते थे कि वे किन बच्चों के साथ और कैसा बरताव कर रहे हैं और गवर्नमेंट को किस नाजुक पोजीशन में डाल रहे हैं। देश को जो हालत हो रही है, उसके अन्दर उनको अपना पूरा कन्ट्रोल कायम रखना चाहिए था और हर तरह से समझने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए थी और पुलिस को अन्दर नहीं बुलाना चाहिए था और पुलिस की इन्टर-फियरेंस के लिए गवर्नमेंट को खबर नहीं देनी चाहिए थी। जब यह मसला गवर्नमेंट के सामने आ गया तो यह गवर्नमेंट का फर्ज था कि वह पुलिस को हुक्म देती और वहां की हालत पर कन्ट्रोल करती। अगर वह ऐसा न करती तो अपना फर्ज अदा न करती। और इस तरह से उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती। अब देखना है कि इस चीज को कन्ट्रोल कौन करता है। गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट जाती है, वह भी यूनिवर्सिटी से भेजी जाती है। पढ़े लिखे बच्चों पर कन्ट्रोल करना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े आलिम होने की जरूरत नहीं बल्कि एक अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर होने की जरूरत है। मामूली ऐडमिनिस्ट्रेटर तो जाहिलों पर हुकूमत करते हैं लेकिन यहां पढ़े लिखों पर हुकूमत करने का सवाल है। हमारे देश की फ्यूचर की जो भी पालिसी होगी, उसके बनाने वाले ये बच्चे हैं, हमारे देश की आजादी को कायम रखने की जिम्मे-दारी इन्हीं बच्चों पर है। अगर वह उस नाजुक वक्त पर थोड़ा अच्छी तरह से काम लेते तो हम लोगों को इतनी दिक्कतें न उठानी पड़तीं। जो हमें पिछले चुनावों में उठानी पड़ीं।

मुझसे पूछा गया कि मैंने लड़कियों के साथ क्या किया। मैंने उनको जवाब यह दिया कि उस वक्त जब मैं आपके सामने आयी थी, तो आपने मुझको अपना नुमाइन्दा क्यों नहीं बनाया। अगर आपने ऐसा किया होता तो मैं गवर्नमेंट से जाकर कहती और आपका मामला गवर्नमेंट के सामने रखती और उसके बाद भी अगर गोलियों की नौबत आती तो पहले गोली मेरे लगती बाद को आपके। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसका नतीजा यह हुआ कि वे मेरे साथ आ गयीं। किसी अपोजीशन वाले ने मेरा विरोध नहीं किया और मैं हर जगह कामयाब हुई। इन सब बातों को देखते हुए मैं यही समझती हूं कि जो सही चीज है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मामला यह है कि जब कोई भड़क जाता है तो लोग उसे और भड़काते हैं गुन्डे इसकी ताक में रहते हैं और ऐसे मौके पर तरह-तरह की बातें पैदा हो जाती हैं और हर शख्स अपने माइन्ड का बैलेंस खो देता है, लेकिन जिम्मेदारी उसी शख्स की होती है, जिसके कन्ट्रोल में वह चीज होती है। यह खुद यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी, कि उसने गवर्नमेंट को इस तरह से मजबूर कर दिया कि उसको पुलिस के जरिये से इन्टरफियर करना पड़ा। अगर उनकी तरफ से कोई चीज न होती, तो कुछ भी न हुआ होता। यूनिवर्सिटी की अथारिटीज़ और वाइस चांसलर ने एक ऐसी नाजुक हालत पैदा कर दी और गवर्नमेंट को मुसीबत में डाल दिया। वह तो इन्टरनल मामला था, उसमें बाहर से दखल की क्या जरूरत थी। बच्चे अगर गलती करते हैं और माफी मांग लेते हैं तो उनको माफी दी जानी चाहिए। माफी मांगने के बाद सख्ती करना एक बेजा चीज है। अपने बच्चों के साथ और गुण्डों के साथ अलग-अलग तरह से बरताव

[श्रीमती सईद जहां मखफ़ी शेरवानी]

किया जाता है। गुन्डों को सुधारा जाता है और बच्चों को तो उनसे भी ज्यादा सुधारा जाता है और उनके साथ ज्यादा सख्ती की जाती है, लेकिन उनके साथ और गुन्डों के साथ अलग अलग तरह का बरताव किया जाता है। मेरी जो राय थी, उसको मैंने हाउस के सामने रख दिया और मैं समझती हूं कि इसमें गवर्नमेंट का दोष है, और न स्टूडेंट्स का, बच्चों से अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो उसको माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन जो दोष है, वह वाइस चांसलर का है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही गौर के साथ माननीय गृह मन्त्री जी का बयान सुना। जिस तरह विस्तार के साथ और छानबीन के बाद गम्भीरतापूर्वक और दृढ़ता के साथ बयान उन्होंने दिया उसके लिए हम उनको बधाई का पात्र समझते हैं। वास्तव में माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से मुझे तो बड़ी निराशा हुई। मुझे तो ऐसा लगा कि न तो उनके भाषण से इस समस्या पर कोई प्रकाश पड़ा, न उनके कारणों पर ही उन्होंने कोई प्रकाश डाला। मैं तो समझता हूं कि हमारे माननीय मित्र मदन मोहन उपाध्याय जी ने जो भाषण दिया, वे इस समस्या पर कहीं अधिक प्रकाश डाल सके उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, गुंडाइज्म से उन्हें अपने को अलग ही रखना चाहिए। और जो कुछ तोड़-फोड़ हुआ, या सरकारी और सार्वजनिक धन का नाश हुआ, उसकी उन्होंने निन्दा की। यह एक बहुत बड़ी देन है, जो उन्होंने इस समस्या के ऊपर विचार प्रकट किया है। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को चाहिए था कि वे इस बात को समझते कि जितनी शान्ति के साथ ऐसे व्यापक विद्रोह को और अशान्ति की भावना को इस सरकार ने शान्त कर दिया उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। यह सही बात है कि कोई भी सरकार गोली के बल पर काम नहीं कर सकती है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस बात को जितना हम समझते हैं, उतना शायद वे नहीं समझते। आज प्रजातन्त्र का युग है, यह सरकार जनता की ही बनायी हुई है। आज के युग में जिसके ऊपर जनता को विश्वास न हो, उस सरकार को जनता बाहर निकाल सकती है। इसके लिए इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों को इस आन्दोलन में लाया जाय या उनको आगे खड़ा किया जाय। माननीय नेता विरोधी दल ने दो-तीन बातें कहीं जिनकी तरफ मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात तो उन्होंने यह कही कि विश्वविद्यालय विद्या भवन हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने पुलिस की शिकायत की और उन्होंने यह भी कहा कि इस आन्दोलन के सिलसिले में बहुत से घरों में पुलिस घुस गयी और उन्होंने यह भी बतलाया कि चन्द आदमियों के चोटें भी लगीं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जैसा माननीय गृह मन्त्री जी ने बतलाया कि अगर विद्या भवन में विद्यार्थियों पर अत्याचार किया गया तो जरूर गलत है लेकिन विद्यार्थियों की आड़ में कोई पोलिटिकल गुट हो जाय जो पीछे से आक्रमण करे तो क्या उसको चुपचाप देखा जा सकता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को उलटें, तो आपको मालूम होगा कि जब हिन्दुस्तान पर बाहर से हमला हुआ तो दुश्मनों ने गायों की एक पंक्ति आगे खड़ी कर दी और हिन्दुस्तान को जीत लिया। तो हमें तो पिछले इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर विद्यार्थी भवन से कोई पार्टी हमला करे तो ऐसी हालत में क्या हम पीछे हट जायं? अगर हमारे विद्रोही इस स्थिति से लाभ उठाना चाहें, तो क्या हम थोड़े से विद्यार्थियों के लिए उनको इस बात का मौका दें कि वे अपनी गैर जिम्मेदारी से सरकार का चलना भी मुश्किल कर दें। अगर अमीनाबाद के घरों से जनता के ऊपर, राह चलने वालों के ऊपर हमला हो, तो क्या पुलिस का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उन घरों में जाकर अपराधियों को गिरफ्तार करे? या उनको शान्त करे? अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो यह आन्दोलन इतनी जल्दी कभी नहीं शान्त हो सकता था। इसलिए अगर हमें शान्ति कायम रखनी है, तो जनता के दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए वे जहां कहीं भी हों

वहां जाना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। और अगर ऐसे आन्दोलन को शान्त करने में किन्हीं आदमियों को चोट लग गयीं, तो उसके लिए हमें दुख है। ऐसा होता है, ऐसे समय में। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसलिए अगर दो एक निर्दोष आदमियों को गोली लग गयी तो इसके लिए हमें दुख है और हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको उचित समझता हो। लेकिन हमें देखना यह है कि इस समस्या की तह में क्या है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। माननीय गृह मन्त्री ने स्वयं कहा है कि हमारा लड़कों से कोई झगड़ा नहीं है वास्तव में लड़के हमारे जिगर के टुकड़े हैं उनसे हमारा क्या झगड़ा हो सकता है, लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। जिन लोगों को राज्य की सत्ता हथियाने के लिए जनता के पास जाना चाहिए वहां न जाकर वे लड़कों की आड़ में जाते हैं, और उनको उभाड़ते हैं वास्तव में यह झगड़ा है।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता और विरोधी पक्ष कोई भी झगड़ा खड़ा हो, उनको यहां उसका समर्थन करने का मसाला मिल जाता है। विरोधी पक्ष को अधिकार है कि वे सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज उठावें लेकिन उसकी एक सीमा होती है। हमारे जो भाई एलक्ट होकर आये हैं, उनको राष्ट्र के अन्दर शान्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां तक राष्ट्र का सवाल ह सब को एक मत हो कर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सब को एक मत हो कर काम करना चाहिए। अगर विरोधी पक्ष हमारी गलतियों को दिखायें, हम उसको शिर झुकाकर मानेंगे लेकिन जब कभी भी सरकार दृढ़ता के साथ निश्चित कदम उठावे, तो यह कहा जाय कि गवर्नमेंट ने गलती की।

जहां तक प्रश्न विश्वविद्यालय का है, उसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, और मुझे ऐसा विश्वास है कि वह प्रश्न बहुत आसानी के साथ बिला हल्ला गुल्ला मचाये और बिला इस तरह का आन्दोलन चलाये हल हो सकता था और हल हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे आन्दोलन से शिक्षा लेनी चाहिए विरोधी पक्ष को और ऐसी शक्तियों को जो विध्वंसकारी हैं प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, यह हमारे राष्ट्र के लिए एक गलत रास्ता होगा। इसलिए म समझता हूं कि हमें समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और सबक लेना चाहिए और चाहे कोई आन्दोलन हो चाहे लड़कों का हो, चाहे पटवारियों का हो, चाहे और तबके का हो, हमें ध्यान रखना चाहिए हमें उस आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जो आगे चल कर तमाम राष्ट्र की शक्ति को नष्ट कर दे।

श्री नेकराम शर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र विरोधी दल के नेता का भाषण और उसके पश्चात् माननीय उपाध्याय जी के भाषण को गौर से सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ लखनऊ में हुआ इसकी जिम्मेदारी वास्तव में विद्यार्थियों की नहीं है, न अधिकारियों की है, न हमारी सरकार की है, वह जिम्मेदारी है तो उन लोगों की है जो स्टूडेंट्स फ्रन्ट को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। उन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने भोले भाले विद्यार्थियों को भड़काया और जो विद्यार्थी अपनी मांगों के लिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन चला रहे थे उस आन्दोलन को भड़काने के लिए बाहर से लोग आये हुये थे जैसा कि गृह मन्त्री जी ने बताया। पी० सी० जोशी साहब कलकत्ते से आये, कलकत्ते से लोग आये, और प्रान्त के कोने-कोने से लोग आये, और आकर उन्होंने हमारे भोले भाले स्टूडेंट्स को गुमराह किया। उनको भड़काया और जब कभी समझौते की बातचीत होती थी, उस बातचीत को असफल होने में योग दिया।

अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में यह बात आयी थी कि हमारे स्टूडेंट्स नेताओं ने सदैव समझौते की बातचीत करने की कोशिश की, श्री त्रिपाठी जी ने हमारे गुप्त जी को विश्वविद्यालय में बुलाया और उनसे कहा कि आप भाषण दीजिये और उन्होंने वाइस चांसलर को भी एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे विद्यार्थी शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाना चाहते थे, लेकिन बाहरी शक्तियों ने जो विद्यार्थियों को एक्सप्लवायट करना चाहती थीं, जो लोग दूसरे फ़ण्ट में अपनी जगह न पाकर विद्यार्थी फ़्रण्ट को अपने राजनीतिक उसूलों की कामयाबी का

[श्री नेकराम शर्मा]

अखाड़ा बनाना चाहते थे और उनमें क्रान्ति की भावना भरना चाहते थे। उन्होंने आखिर विद्यार्थियों को गुमराह किया। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, कि जब यह आन्दोलन शुरू हुआ, तब वह एक बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग का था। विद्यार्थियों की एक छोटी सी मांग थी। वे कहते थे कि विधान में जो परिवर्तन किया गया है उस को वे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जो जनरल बाडी है, उससे पूछकर उसको नहीं बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब यह विधान लागू किया गया था उसके पूर्व विद्यार्थियों से राय ली गयी थी और यह भी स्पष्ट कह दिया गया था कि कोई भी विद्यार्थी अपने संशोधन चाहे तो भेज सकता है। उसके बाद यह हुआ कि यह विधान लागू किया गया और विद्यार्थियों ने यह कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि शान्तिपूर्ण तरीके से यह मामला तय हो जाय। वह आचार्य जी और गुप्ता जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय के लिए बहुत काम किया है और मांग-मांग कर विश्वविद्यालय के लिए रुपया इकट्ठा किया है और लाखों रुपयों की उसे ग्रांट सरकार से दिलाई है इन दोनों के खिलाफ कुछ नाराज अध्यापकों और राजनीतिक पार्टियों ने नारे लगवा दिये। भला छात्रों को गुप्ता जी या आचार्य जी से क्या दुश्मनी थी। आचार्य जी को तो अनशन के उपरान्त छात्रों ने हार पहनाये थे जो प्रेम का सबूत था, उनके पास जाना चाहते थे और मुंशी जी के पास जाना चाहते थे।

विद्यार्थियों ने जब जब बातों में समझौते का प्रयत्न किया, उसका उन बाहरी लोगों द्वारा बिरोध किया गया और गलत नारा लगाया गया। खासकर विद्यार्थियों के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने इन सब बातों तथा गलत नारों का बहुत विरोध किया। जो-जो गलत बातें हुईं, उनको विद्यार्थियों ने डिनाउन्स किया और इस तोड़ फोड़ को भी डिनाउन्स किया, लेकिन जो विद्यार्थियों को गलत रास्ते पर चला रहे थे, उनकी तरफ से उक्त गलत बातों के विरोध का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया और कोई उन बातों को डिनाउन्स करने की आवाज भी नहीं निकली। इससे सिद्ध है कि वे जो चाहते थे उसी प्रकार घटनायें हुईं यानी जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि विद्यार्थियों को मंकी ब्रिज पर रोका गया और वहां पर भागते हुए लड़कों पर गोलियां चलायी गयीं और पीठ पर लगीं पीठ पर लगने का मतलब यही है कि वह भाग रहे थे और मारे वह गये जिनका उस दंगे से सम्बन्ध नहीं था। विद्यार्थियों का समूह तो शान्तिपूर्ण ढंग से जाना चाहता था, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो गये थे, जो अशान्ति उत्पन्न करना चाहते थे। विद्यार्थियों का जलूस शान्तिपूर्ण ढंग से जा रहा था और जो अन्य गड़बड़ करने वाले वहां से भागे उनको पीछे से गोली लगी। उन लोगों की पालिसी यही थी कि मारो और भागो और जितना यहां पर तोड़-फोड़ और नुकसान का काम हुआ, उसमें आप देखिये कि एक व्यवस्थित ढंग से हुआ। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी अपना आन्दोलन चलाती है, उसी प्रकार से यह तार और बाक्सेज़ तोड़े गये। इन्हीं की कृपा से प्रान्त के अन्य हिस्सों में भी आन्दोलन फैला और प्रदेश के अन्य भागों में भी इसी व्यवस्थित तरीके पर आन्दोलन हुए। और तोड़ फोड़ हुई वह लोग यह जानते हैं कि विद्यार्थी भोले भाले हैं और उनकी पार्टी का अगर जोश बढ़ा दिया जायगा तो फिर उनका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। वे यह समझते हैं कि अगर सरकार को बदनाम करने के लिए विद्यार्थियों पर असर डाला जायगा तो जनता पर जल्दी असर पड़ सकता है। मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं और यह कह सकता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और न किसी ने भी तार या कोई नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही करने की कोशिश की होगी। वह तो एक सीधे साधे और भोले नागरिक बनना चाहते हैं और उन्होंने कभी इस तोड़फाड़ में भाग नहीं लिया।

यदि विद्यार्थी ऐसा काम करते, तो यूनिवर्सिटी में भी तो पोस्टआफिस और टेलीफोन थे, वहां पर क्यों उन्होंने उनको नहीं तोड़ा? लेकिन यह सब चीजें तो उन विद्यार्थियों को बदनाम करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए की गयीं और जिसमें सारी जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर ही लगायी गयी और उन के नाम पर जहां मौका मिला तोड़-फोड़ की गयी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने खुद देखा कि दारुलशफा में जो कमरे हैं वहां पर

जाकर लोगों को हिदायतें मिली थीं और मंत्रणा मिलती थी। मैंने बसों को जलते देखा और ऐसा काम करने वालों को उन्हीं कमरों में प्रोटेक्शन मिलता था। इसलिए एक एक बात की तमाम जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है, जो इसके पीछे थे। श्री बालेन्दु शाह ने कहा कि लड़कों को दोष दें, सरकार को दोष दें, या दूसरे लोगों को दोष दें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं तो साफ कहता हूं कि दोष उनका था जो छात्रों को चुपके-चुपके सलाह दे रहे थे।

हमारा एक विद्यार्थी मारा गया और लोग मारे गये, उस के लिए उस खून की जिम्मेदारी उन्हीं की है, जो उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते थे ऐसे कृत्य करने के लिए और उन्हें उकसाते थे। लाखों रुपये का सरकारी और गैर सरकारी नुकसान हुआ। इस की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है जो कलकत्ते और इलाहाबाद से और दूसरी जगहों से आकर यहां भड़काने के लिए जमा हुए थे। उन की तरफ से बाकायदा डिमान्स्ट्रेशन होते थे कि बम फेंको, आग लगाओ, तार काटो और तरह तरह से लालेसनेस क्रिएट करो। उन्होंने सोचा था कि अभी कांग्रेस म्युनिसिपल एलेक्शन में जगह जगह हार ही चुकी है, और यह वक्त परेशान करने और आन्दोलन चलाने का बहुत अच्छा है। यहां के विद्यार्थियों ने गुप्ता जी को बुलाया और उन्होंने वहां यूनिवर्सिटी में जा कर भाषण दिया और वहां के शान्तिप्रिय विद्यार्थियों ने उन की बात को माना और सुना और हमेशा शान्तिपूर्ण समझौते की बात की, लेकिन जो लोग बाहर से आये थे और दूसरे लोग जो मामले को भड़काना चाहते थे उन्होंने एतराज किया कि हम ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। परन्तु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़े धैर्य से काम किया और अन्त में शान्तिपूर्वक सब बात ढंग से तय हो गयी। बार बार विद्यार्थियों की तरफ से शान्तिमय तरीका अख्तियार करने की बात अखबारों में निकली। बड़े प्रेम से गुरू और विद्यार्थी वहां मिलते रहे और आपस में वहां फूल मालायें भी पहनायी गयीं। वहां इतनी मोहब्बत थी इतना आपस में प्रेम था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उस की जिम्मेदारी, इस खून की जिम्मेदारी, लाखों रुपये की सम्पत्ति के नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं राजनीतिक पंचमार्गियों पर है, जो हमेशा लालेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं। परन्तु मैं उन से कहूंगा कि इस वक्त एक ऐसा समय है जब कि हम एक नाजुक समय से गुजर रहे हैं, जब कि पाकिस्तान में अमरीका की बेसेज बनने की सम्भावना दिखायी देती है। ऐसे समय में तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का कर्त्तव्य हो जाता है कि सब मिलकर आने वाले खतरे का मुकाबिला करें और आपस के तमाम झगड़ों को सामने न आने दें, और इस तरह से रेल काण्ड और तारों का काटना आदि तोड़ फोड़ के कामों में न पड़ें। इस तरह की अनुशासनहीनता को चाहे समाजवादी सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। अगर हमें अपनी स्वतन्त्रता को मजबूत रखना है, और कायम रखना है, तो हमें शान्ति कायम रखनी होगी और कोई भी सरकार इस तरह की बातों को कभी बरदाश्त नहीं करेगी। मैं फिर एक बार कहूंगा कि विद्यार्थियों को चोटें लगीं, बहिनों के जो चोटें लगीं, जो एक विद्यार्थी का बलिदान हुआ उस के लिए सभी को बहुत दुख है और माननीय मन्त्री जी ने उस के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट की है।

अन्त में मैं एक बात और सदन को बतला दूं कि एक अनशनकारी अनशन कर रहा था, उस समय उस का पिता उस से मिलने के लिए आया लेकिन इन आन्दोलन के चलाने वालों ने उस को मिलने तक नहीं दिया। यह लोग तो चाहते थे कि अगर आपस में विद्यार्थियों में मेल होगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी। आखिर में मैं इतना और कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ, वह हुआ और विद्यार्थियों द्वारा गुड फेथ में हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे गलत आदमियों के हाथ में पड़कर हमारे विद्यार्थी गलत कदम न उठा सकें। सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह लालेसनेस न होने दे। सरकार ने जिस तरह से कर्फ्यू लगाया और कन्ट्रोल किया वह उस में सफल हुई और अन्त में नतीजा यह हुआ कि बाहर के लोगों की दाल नहीं गली और शान्तिमय तरीके से एक समझौता हो गया।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय छिड़ा हुआ है, वह इस प्रांत के लिये ही नहीं, देश के लिये ही नहीं, बल्कि संसार के लिये बड़ा

[श्री जोरावर वर्मा]

दुखपूर्ण है। जहां शिक्षा का अध्ययन होता है, शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां गुम्मेबाज़ी हो, ईंटे चलायी जाती हों और गोलियों की बौछार हो, यह सबके लिये बड़े दुख की बात है। विश्वविद्यालय जब दुबारा खुला तब शांतिपूर्ण ढंग से विश्वविद्यालय को चलाने की कोशिश की गयी। लेकिन विद्यार्थियों ने कई ऐसी बातें कीं कि जिससे मसला सुलझने के बजाय और उलझता ही गया। यह मालूम हुआ कि जब विद्यार्थी गुप्ता जी के यहां इनवाइट करने आये कि चलिये, मसले को जैसा आप कहेंगे हम मानेंगे और अगर आपने समझौते की ठीक बात की तो हम उनको मानेंगे। परन्तु जब वह वहां गये तो बजाय उनकी स्पीच को सुनने के जब वह चलने लगे तो उनकी कार के ऊपर आक्रमण किया गया और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों ने जो धोखा दिया वह अत्यन्त ही निन्दनीय है। उस व्यक्ति ने जिसने कि विश्वविद्यालय को इस स्टेट्स तक ला दिया और अपना बहुत सा समय उसके लिये दिया उसे जब उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ जो विश्वासघात का व्यवहार किया वह कभी भी क्षम्य नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों की जिम्मेदारी को यद्यपि उधर से बोलने वाले महानुभावों ने दूर किया लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को इन कृत्यों का जिम्मेदार समझता हूं क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय की बातें हैं। प्रांत के किसी भी विद्यालय की बात ली जाय विद्यार्थी जिस प्रकार से पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार और अध्यापकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं वह हमारी सरकार के लिये और हमारे देश के लिये बड़े भारी दुख की बात है। जिस विद्यार्थी को बुरे व्यवहार के कारण कोई अध्यापक या प्रिंसिपल एक्सपेल कर देता है या उसके खिलाफ ऐक्शन लेता है तो विद्यार्थी उसे गोली से मारने के लिये तैयार हो जाते हैं।

पिछले वर्षों में इस आदरणीय हाउस का प्रत्येक मेम्बर जानता होगा कि एक दो प्रिंसिपल और कई प्रोफेसरों पर विद्यार्थियों ने आक्रमण किया, उनके जीवन को खतरे में डाला। इस प्रकार से जब विद्यार्थियों की यह मेंटलिटी देखी तो यह हो सकता है कि जो खिलाफ पार्टी है जो शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिये लालायित हैं जिसकी लार बह रही है, उसने इस स्वर्ण अवसर को अपने हाथ में लिया और देखा कि विद्यार्थी जो अभी आपके हैं, उनको चाहे जिस दिशा में घुमाया जा सकता है, तो इसका एक अच्छा अवसर उन्होंने देखा और उनको भड़काया लेकिन उस समय पुलिस ने जो काम किया, जो ऐक्शन लिया उसे जस्ट और न्यायसंगत कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस ने एकाएक उस आटोनामस चहारदीवारी के अन्दर बिना किसी इजाजत के हमला नहीं किया होगा। उसको वहां के वाइस-चांसलर ने जब देखा कि अनुशासन उनके बस में नहीं रह गया है तब उन्होंने गवर्नमेंट को इनवाइट किया होगा और गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया होगा कि शांति को स्थापित करने के लिये, अनुशासन को कायम रखने के लिये जब कि ला और आर्डर बड़े खतरे में है तो पुलिस का ऐक्शन लेना आवश्यक है। जिस समय विद्यार्थियों ने दारुलशफा के सामने ही एक बस में आग लगायी और जब फायर ब्रिगेड उसको बुझाने के लिये आया तो फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारियों को मारा और भगा दिया। उन्होंने दारुलसफा पर भी हमला किया और वहां जितने गमले थे उनको तोड़ा फोड़ा। जब वहां के माननीय सदस्यों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनपर भी विद्यार्थियों ने हमला किया जिससे उनको अपने कमरों में वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार विद्यार्थियों का आचरण कोई पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं है, बल्कि इस प्रांत के लिये और इस देश के लिये एक बड़ा शोचनीय विषय है। हमारे विद्यार्थी जो कि हमारे भविष्य की आशायें हैं, जिनके हाथों में सारा भविष्य निर्भर करता है और राज्य की बागडोर जिनके हाथ में आनी है उनका आचरण अगर इस प्रकार है तो हमारा भविष्य फिर किस तरह से बन सकता है। जितनी पार्टियां हैं, उनको मैं यह सलाह दूंगा कि इस प्रकार की उच्छृंखलता लड़कों में लाना और उनके इस प्रकार के कार्य को प्रोत्साहन देना किसी भी पार्टी के लिये अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जब हमारे आदरणीय वाइस प्रेसीडेन्ट राधाकृष्णन जी आये

तब उन्होंने भी विद्यार्थियों के इस बुरे आचरण की निन्दा की और जब उन्होंने दिल्ली विश्व-विद्यालय में कनवोकेशन एड्रेस दिया तो बड़े दुःख के साथ उन्होंने इस बात को प्रगट किया।

"In recent weeks the lawless activities of the students in some parts of the country filled us with shame and sorrow and I have had occasion to refer to them and tell the students that by these acts of defiance of authorities, they do a national disservice and imperil the future of the country, that they are traitors to the past and enemies of the future."

इसलिये पार्टीबन्दी के बहाने विद्यार्थियों को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। जो उन्होंने काम किये हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इसलिये विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि भविष्य में वह कभी भी ऐसी पार्टी बन्दी की दलदल में न फंस कर के उनका जो कार्य है, शिक्षा प्राप्त करना और शांति स्थापन करना, उसमें वे बराबर लगे रहें और जो हमारा प्राचीन एक शिष्य और गुरु का नाता है उसी के भुलाये जाने के कारण ऐसा कार्य हुआ है इसलिये सरकार को और यूनिवर्सिटियों को जिस प्रकार का वातावरण शिक्षा संस्थाओं में फैल रहा है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि सब जगह जितनी शिक्षा संस्थायें हैं वहां के विद्यार्थियों ने अनुशासन-हीनता का परिचय दिया है और जो उनके गुरु हैं या उन से बड़े हैं उनका मान न करना वे अपना धर्म समझते हैं। विद्यार्थियों ने जो गुप्ता जी, आचार्य जुगुलकिशोर और मुंशी जी की ठठरी बना कर जलाई और उसको गोमती में तैरायी यह काम इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन विद्यार्थियों में नैतिकता बिलकुल ही नहीं रही। ऐसे कार्यों को कोई भी भला आदमी सराहनीय नहीं कह सकता है और न उनको इस जिम्मेदारी से बरी कर सकता है। इसलिये मैं अपने विद्यार्थियों को इस बात की सलाह दूंगा कि वे हमारे भविष्य की आशा हैं और देश का ही नहीं संसार का सारा भविष्य उनके ऊपर निर्भर है। इसलिये उनको शांति पूर्वक विद्या-अध्ययन करना चाहिये और कभी पार्टी पालिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिये।

सदन के समय में एक घंटे की वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--रखिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदन की यह इच्छा है कि ६ बजे तक हम बैठें और सर्व-सम्मति से यह स्वीकार हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र-आंदोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज माननीय गृहमंत्री जी ने इस विषय पर जो अपना वक्तव्य दिया है उसे मैं सुन नहीं सका, लेकिन उसकी जो बातें मुझे अपने अगल बगल बैठे हुये सदस्यों से मालूम हुयी हैं और जिस तरीके से और कांग्रेसी बेंच पर बैठे हुये माननीय सदस्यों ने व्याख्यान दिये हैं उससे मैं महसूस करता हूं कि आज सदन का इतना समय व्यर्थ ही जायगा। हम इतनी बड़ी अपने प्रदेश में हुई घटना का न पूरा विश्लेषण कर पायेंगे, न उसकी व्याख्या कर पायेंगे और न उस घटना के पूरे कारणों को ही समझ पायेंगे।

मैं देख रहा हूं कि सारी बहस आज फिर उसी एंटी-कम्युनिस्ट टिरेंड, कम्युनिस्ट विरोधी दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है, या जो दो मुख्य विरोधी पार्टियां हमारे प्रदेश में हैं उनकी मुखालिफत करके इस पूरी घटना के ऊपर राख डालने की कोशिश की

[श्री झारखंडे राय]

जा रही है। नतीजा यही होगा कि वही मंजोमजाई स्पीच, स्टीरियोटाइप स्पीचेज कि जो माननीय मंत्री जी ने की हैं, बस उसी का समर्थन करते जाओ, उसी प्रकार के व्याख्यान देते जाओ और कोई नतीजा नहीं निकलेगा और न हम इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े जनउभार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आंतरिक कारणों को समझ पायेंगे। इसलिए मैं अपील करूंगा इस बात की कि जैसे माननीया बेगम शेरवानी साहब ने निष्पक्ष भाव से इस घटना पर अपने विचार प्रगट किये हैं उसी तरह अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार प्रगट करें तभी हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सचमुच इतनी बड़ी जो चीज हुई जिसमें दो रायें नहीं हैं इतने बड़े तोड़-फोड़ के काम भी हुये, इसमें भी दो रायें नहीं हैं क्यों हुये, इसके पीछे कौन से कारण थे जिनसे प्रेरित होकर इतना बड़ा जन समुदाय एक दिन उमड़ गया। किसी एक राबिन मित्रा या के० आनन्द अथवा चन्द्रभाल त्रिपाठी के उभाड़ने पर ५ हजार लड़के उमड़ गये, मैं समझता हूं कि यह मानना सरकारी बेंचों के लिये अपने आप अपनी तौहीन कबूल करना है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां बैठे हुये थे जिनके हाथ में शासन की बागडोर थी, वे उन विद्यार्थियों पर कंट्रोल नहीं कर सके और उन्हीं के बराबर की हैसियत के दो चार लड़कों के कहने से इतना बड़ा विद्यार्थियों का समुदाय जिन्दगी और मौत के बीच में खेलने लगा क्या यह बात मानने लायक है?

मैं समझता हूं कि इतने अहम मसले को एक गलत दिशा में ले जाने का यह एक दुष्प्रयास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है कि कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें हाथ है, उसने तोड़ फोड़ किया है, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचारों को छिपाना नहीं जानती, अगर उसके कभी गलत विचार भी रहे हैं तब भी उसने उनको छिपाया नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा विद्यार्थियों के आंदोलन के साथ रही है और आगे भी रहेगी। कम्युनिस्ट पार्टी सूबे में उभड़ते हुये सभी जन आंदोलनों के साथ हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन जहां तक इन तोड़ फोड़ की घटनाओं का सम्बन्ध है हम समझते हैं कि यह जनता के गुस्से का एक इजहार था और इसकी सारी जिम्मेदारी आज की मौजूदा सरकार के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी न कम्युनिस्ट पार्टी पर है न सोशलिस्ट पार्टी पर और न विद्यार्थियों पर है बल्कि सरकार की जनविरोधी नीति के ऊपर है, उसकी दमन की कार्य-वाहियों के ऊपर है, उसके पुलिस ऐक्शन के ऊपर है जिसके प्रतिफलस्वरूप ये सारे कार्य किये गये हैं। मुझे आज लगता है कि हम सन् ४५ की असेम्बली में बैठे हुये हैं जब कि अंग्रेजों के जमाने में केवल यही दलील दी जाती थी कि हर बात के लिये कांग्रेस दोषी है, चोरी करे तो कांग्रेस, डाका डाले तो कांग्रेस, यहां तक कि जितने खुराफात सन् ३०-३२ और ४२ में हुये उनके लिये कांग्रेस ही दोषी ठहरायी जाती थी। उसी तरह से आज कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हो रहा है, बस कम्युनिस्ट और दूसरी विरोधी पार्टियों की तरफ से हो रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि माननीय गृहमंत्री जी समाजवाद के इतने प्रकांड विद्वान् हैं जिन्होंने समाजवाद विषय पर पुस्तकें लिखी हैं और जो आज भी अध्ययन करते रहते हैं वे इतने बड़े कांड को उसी तरह से टाल देना चाहते हैं विरोधी पार्टियों का नाम लेकर। इससे समस्या का हल नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें अनेक वर्गों से विद्यार्थी आते हैं, और उनके साथ अपने अपने वर्ग की भावनायें और कठिनाइयां भी आती हैं। जो व्यक्ति किसी शिक्षा संस्था में पढ़ने जाते हैं तो वे विद्यार्थी होते हैं और जब वे अपने घरों पर होते हैं तो नागरिक होते हैं इन दोनों परिस्थितियों में जो आर्थिक चपेट उनके ऊपर आ रही है, जो राजनीतिक कारण उनके ऊपर असर डाल रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं देश में, उसका उनके ऊपर असर पड़ रहा है।

आज एक विद्यार्थी अपने घर में जाता है तो उसे खाने को नहीं मिलता है। जब वह स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका बाप उसकी फीस नहीं दे पाता है। किताबों

के बहुत दाम बढ़ गये हैं। होस्टलों में जगह नहीं है। क्लासों में भी बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। भूखों रह करके वह पढ़ता है और जब वह घर जाता है तो घर की परेशानियां भी उसे तंग करती हैं। ऐसी स्थिति में उसका दिमाग बोझिल है, यह सारी परेशानियां आज के समाज के कारण हैं। इसलिये श्रीमन् मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों पर जो उनके वर्ग के या उनके अपने विद्यार्थी समुदाय की आर्थिक समस्यायें और इसके कारण हैं, उसके साथ ही साथ उनके बीच राजनीतिक घुसपैंठ भी की जा रही है। यूनिवर्सिटियों के अन्दर जो आज शासक वर्ग है उसकी तरफ से बिला सोचे समझे अपनी राजनीति चलाने की कोशिश की जाती है। अगर यह किया जायगा तो उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, उसका प्रतिवाद और उसका प्रतिरोध जरूर होगा। कम्युनिस्ट करें चाहें न करें, कम्युनिस्ट जहन्नुम में जायं मगर उसका प्रतिवाद जरूर होगा। यह अनिवार्य है। शिक्षा संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा बनाना हम तो समझते हैं कि उचित नहीं है लेकिन एक पार्टी, चूंकि वह सरकार की पार्टी है, चूंकि उसके हाथ में शासन की बागडोर है, वह उसको अखाड़ा बनावे और दूसरों से उम्मीद करे कि वे बैठे रहें, यह नामुमकिन बात है। हम समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत कल्पना है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर, क्या किसी पार्टी को जहन्नुम भेजना पार्लियामेंटरी भाषा है ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, यदि कोई खुद अपनी पार्टी को वहां भेजने की बात कहे।

श्री झारखण्डे राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कह रहा था कि आज हमारी यूनिवर्सिटियों में जो विद्यार्थियों की एकता तोड़ने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी यूनियन के विधान बदलने और नया बनाने के नाम पर जो कुचेष्टा की जा रही है आज यूनिवर्सिटियों की आटोनामी पर जो तरह तरह के क़ानून बनाकर हमला करने की कोशिश की जा रही है और आज पूरी शिक्षा प्रणाली में एक खास प्रकार की विचार धारा घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, हम समझते हैं कि इसका फल जो हुआ है वही अनिवार्य था। हम जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय एक खास तरह की अमरीकन जनवादी विचारधारा के पोषक हैं·······

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। राज्यपाल पर आप कोई टीका नहीं कर सकते।

श्री झारखंडे राय--खैर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं को आज एक खास तरीके से एक ऐसे टकसाल घर के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है कि उसमें एक एक किस्म के ही सिक्के बन कर निकलें। हम समझते हैं कि इसका नतीजा जो हुआ, जो कुफल हमारे सामने आया वही आगे भी आयेगा। इसलिये आज जो समस्यायें हैं, विद्यार्थी समुदाय की दुरावस्था के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं, जो शासक वर्ग की तरफ से जान अनजान में विद्यार्थियों के जीवन में राजनीतिक घुसपैंठ की जाती है, उसको रोका और संभाला जाय और उसके बाद शिक्षा संस्थाओं को राजनीति से बिलकुल ऊपर और परे रखा जाय। मैं इसका समर्थक हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--श्रीमन्, आज इस विषय पर जो सदन में वादविवाद हो रहा है उसका सम्बन्ध उन घटनाओं से है जिनके कारण हमारे प्रदेश के सभी व्यक्तियों को दुख हुआ शर्म भी महसूस हुयी तथा चेतावनी भी मिली। इस सम्बन्ध में माननीय गृहमंत्री जी ने अपना विवरण इस भवन के सामने रखा उसको तथा उसके उत्तर में जो माननीय नेता विरोधी दल के अपना आवेशपूर्ण तथा भावुक भाषण दिया उसको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। उनके क्रोकोडाइल टियर्स भी देखे जो कि उन्होंने नाटकीय ढंग से मृतकों तथा जख्मी विद्यार्थियों के ऊपर बहाये। परन्तु और साथियों की तरह मुझको उनके भाषण से निराशा तो नहीं हुयी, क्योंकि आज ही नहीं, मैं काफी समय से उनके इस तरह के भाषण सुनने का आदी हो चुका हूं। उन्होंने फरमाया कि इस शानदार मुल्क के अन्दर इसके

[श्री नवलकिशोर]

शानदार विद्यार्थियों ने एक शानदार कदम शानदार ढंग से उठाया तो यह कोई नया वाक्य नहीं था। मैं नहीं जानता कि उनका शान का स्टैंडर्ड क्या है ? यदि यही शान है तब यह शान उनको व उनकी पार्टी को ही मुबारक हो ? श्रीमन्, अगस्त के महीने में जब कौंसिल हाउस के सामने विद्यार्थियों ने अपना डिमान्स्ट्रेशन किया था और जब उनके सम्मुख के माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया था तो उस भाषण की समाप्ति बाद जब श्री राजनारायण जी ने उनको सम्बोधित किया तो उन्होंने ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया था जिससे विद्यार्थियों में काफी उत्तेजना पैदा हुई और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिला। उनके भाषण ने एक मानी में आग में घी का काम किया। उन्होंने उस दिन यहां तक कहा था कि यह जो कौंसिल हाउस का फाटक बन्द कर दिया गया है यह अनुचित बात है और क्या सरकार समझती है कि विद्यार्थी उन फाटकों को तोड़ कर अन्दर नहीं घुस सकते ? तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आज जो वह यह कहते हैं कि ये जो घटनाएं हुईं उनके करने में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं था।

जहां तक कि यूनियन के विधान की बात थी तो मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, हो सकता है कि उस पर मतभेद हो। जहां भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज कमीशन बने हों और उनकी इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राय हों, तो उसके सम्बन्ध में मैं अधिक न कह कर श्रीमन्, मैं यह मान लेता हूं कि यदि उससे किसी विद्यार्थी वर्ग में असन्तोष था तो उनको यह अधिकार था कि वे अपनी मांगें पेश कर सकते थे। वही हुआ भी और यदि उसकी अवहेलना की जाये तब उनको शान्तिप्रिय ढंग से अपनी बातें मनवाने के लिए आन्दोलन भी करने का अधिकार था परन्तु यदि शुरू से ही इसका विश्लेषण किया जाय और जहां तक इसको मैंने समझा है शुरू से ही इसके पीछे जो इमीडियेट काज़ था वह विधान नहीं था बल्कि उसमें दूसरी पार्टियों का हाथ था और लखनऊ में जो घटना घटी जहां सरकार का केन्द्र है, उसका सारा उत्तरदायित्व उन भाषणों पर था जो कुछ दिन पूर्व दिये गये थे। इसके अलावा जितने डिमासन्ट्रेशन हुये तथा उनमें जो नारे लगाये गये वे सब हिंसात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित कर रहे थे। उन डिमासन्ट्रेशनों में लोगों को गालियां दी गयीं ऐसे नारे लगाये गये जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के तीन चोर गुप्ता, मुंशी, जुगल किशोर। उसके बाद वे लोग कहते हैं " जुगलू जुगलू हाय हाय ", यह उनकी अश्लीलता का परिचायक था। बड़े यह शर्म की बात है कि श्री राजनारायण जी ने एक शब्द भी विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं कहा !

हमारे प्रान्त के पुलिस कर्मचारियों ने जो कदम उठाये मुमकिन है कि वह शानदार न हों और मैं यह दावा नहीं करता हूं कि हमारे प्रान्त की पुलिस कोई आदर्श पुलिस है लेकिन जो कदम विद्यार्थियों ने उठाया और जो गड़बड़ी उन्होंने की, और जिस हिंसात्मक प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया वह भी कोई शान की बात नहीं थी। मुझे दुःख है कि इस अनुशासन हीनता पर हमारे नेता विरोधी दल ने एक शब्द भी नहीं कहा। जगह जगह कांग्रेस टोपियां जलाई गईं, राष्ट्रीय पताकाएं जलाई गईं, तो इसके पीछे क्या था अगर अन्य दलों का हाथ नहीं था ! यह आन्दोलन यूनिवर्सिटी अथारिटीज़ के विरुद्ध था न कि सरकार या कांग्रेस संस्था के विरुद्ध ! राष्ट्रीय पताका कोई कांग्रेस की बपौती नहीं है, वह सारे देश व राष्ट्र की धरोहर है। हमारे भारतवर्ष की भावी आशायें उन्हीं विद्यार्थियों पर निर्भर हैं। सारे देश का उत्तरदायित्व व संचालन एक दिन उनके ही कंधों के ऊपर आयेगा, राष्ट्रीय पताका की रक्षा उनके हाथों में है लेकिन जब आज मैं यह देखता हूं कि उस राष्ट्रीय पताका को वही विद्यार्थी अपने पैरों से कुचलता है, वह उसको जलाता है तब मैं एक बारगी घोर अंधकार में डूब जाता हूं और सोचने को मजबूर होता हूं कि इस अभागे देश का भविष्य क्या होगा और यह विद्यार्थी वर्ग कहां जायगा ! यह कोई महत्व की बात नहीं है कि कौन पार्टी शासन करेगी। आज कांग्रेस है कल दूसरी पार्टी आ सकती है, लेकिन जहां तक देश का प्रश्न है. जहां तक राष्ट्र का प्रश्न है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आन्दोलन यूनीवर्सिटी

की अथारिटीज के खिलाफ था, ठीक था, लेकिन वह वहीं तक सीमित नहीं रहा और यहां तक बढ़ा कि गांधी टोपी तक की नौबत आ गई। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी को भी इसका स्वाद चखना पड़ा, मैं नहीं समझ पाया कि यह सब क्यों हुआ। आज विरोधी पार्टियां कुछ भी कहें लेकिन ४-५ साल पहिले तक यह गांधी टोपी हम सभी के लिये एक शोभा की चीज थी और यह बापू की एक देन थी। हो सकता है कि हम में कुछ कमियां आ गई हों और हम अब उन आदर्शों के पालन करने में शायद असमर्थ हों जो कि बापू ने हमें दिये थे। लेकिन जहां तक टोपी की मान मर्यादा का सवाल है तो वह मैं समझता हूं कि हर पार्टी के लिये उतना ही महत्व रखती है जितना महत्व हमारे लिये इसका है और उतना ही हमारे साथी माननीय राजनारायण जी के लिये भी है। मुझे फिर बड़ा दुःख है कि इस संबंध में भी हमारे विरोधी दल के माननीय नेता जी ने एक शब्द भी नहीं कहा!! हमारे माननीय अलगूराय जी शास्त्री जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि हमारे प्रान्त की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको घेर लिया गया और अगर वह एक मित्र के मकान में न घुस गये होते और वह मित्र हवा में फायर नहीं करते तो शास्त्री जी का उस दिन जीवित बचना मुश्किल था। इसके संबंध में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा।

हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी ने जो अपनी स्पीच अभी इस सदन में दी उसमें उन्होंने बड़ी खूबी के साथ यह बतलाया कि इस झगड़े में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई दलील नहीं दी कि उसी समय श्री पी० सी० जोशी, सुनीलदास और रुस्तम जी सब कम्यूनिस्ट क्यों लखनऊ में जमा हो गये। इसके सम्बन्ध में उनका कोई जवाब नहीं आया।

जहां तक विरोधी नेता की तरफ से जो मांगें पेश की गई हैं उनसे मैं समझता हूं कि उनका मन्शा और भी स्पष्ट हो जाता है। असली झगड़ा जो विद्यार्थियों का था वह तो यूनियन के कांस्टीट्यूशन के ऊपर था, लेकिन जो मांगें पेश की गई हैं उनमें बहुत सी नई बातें न जाने कहां की रख दी गई हैं? जैसे कि एक मांग है कि मंत्री तथा अन्य उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के पदाधिकारी न हों। इससे हम समझते हैं कि यह मांगें विद्यार्थियों की आड़ लेकर अपने स्वार्थ साधन के लिये रक्खी गयी हैं और इनके पीछे राजनीतिक दलों की चालें हैं।

गुप्ता जी की यूनीवर्सिटी में क्या स्थिति है इसको सभी जानते हैं। मैं भी यहां का विद्यार्थी रहा हूं। जहां तक मुझे मालूम है वह यह है कि इन्होंने इसकी बड़ी सेवा की है। कई बार माननीय गुप्ता जी की इच्छा भी हुई कि वह विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दें। लेकिन श्रद्धेय नरेन्द्रदेव आचार्य जी ने इनको विवश किया कि आपको यूनीवर्सिटी की सेवा करनी चाहिये और करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि निरी भावुकता में कोई बात कह देना ठीक नहीं है। वह दिन हमारे विश्वविद्यालय के लिये बड़ा ही दुखद होगा जब कि हमारे गुप्ता जी इसको छोड़ देंगे।

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि जो घटनायें हुई हैं वह बड़ी दुखद हैं। हमको इनसे सबक सीखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों का जो स्थान समाज में है उसको वह ग्रहण करें और उत्तम नागरिक बनें और उन तिनके के समान न हों जिनको जो भी हवा जिस भी दिशा से आये बहा ले जाये, बल्कि राष्ट्र के उच्च तम निर्माता बनें। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम और वह सभी इन बातों से सबक सीखेंगे और हमारी सरकार भी जो इन राजनीतिक पार्टियों की जो चालें हैं, साजिशें हैं, उनकी ओर से सजग होगी और उनके षडयंत्रों को दबाने में सफल होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रकार की आशा सरकारी दल की तरफ़ से करता था, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के सिलसिले में, वह मेरी आशा पूरी नहीं हुई। इस प्रश्न को एक ऐसे ढंग से उपस्थित किया गया जैसी किसी भी सरकार की नीति रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रश्न नहीं है कि टेलीफोन के तार क्यों काटे

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

गये, बसेज क्यों जलाई गई और न मैं विद्यार्थियों या अन्य लोगों ने जो ऐसे कार्य किये उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे तो यह कहना है कि लखनऊ में जो कुछ हुआ उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि वह प्रिप्लान्ड था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं थी। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी को यह मालूम है कि ३१ अक्टूबर को विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से इधर को आते हैं और मंकी ब्रिज पर रुकावट डाली जाती है। वे डालीगंज के लोहे के पुल से निकलते हैं। उस समय वहां पर ५ हजार के क़रीब विद्यार्थी थे तथा हज़ारों की संख्या में बांस और बल्लियां वहां पड़ी हुई थीं। अगर यह सब प्रिप्लान्ड होता तो वहां जो थाड़े से सिपाही थे लड़के उनको चीर कर फेंक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विद्यार्थियों का दल आगे बढ़ता गया। जब यह कौंसिल हाउस के सामने आया तो उनकी संख्या २० हजार के क़रीब हो गयी थी। २० हज़ार की संख्या पर काबू पाने के लिये लखनऊ में कहीं भी ऐसे साधन नहीं थे कि उनके ख़िलाफ वे कोई क़दम उठा सकते। वे उस वक्त कुछ भी कर सकते थे चाहे बाद में कुछ भी होता।

मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या गोली काण्ड के पहले कोई घटना घटी? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी भी घटनायें हुयी हैं वे सब गोली कांड के बाद की हैं या मंकी ब्रिज पर विद्यार्थियों के साथ जो संघर्ष हुआ उसके बाद की हैं। जब गोली कांड हुआ, मैं निजी तौर पर उसकी जानकारी रखता हूं कि उस समय विद्यार्थी उससे १ फर्लांग दूर एक मक़बरे में घिरे हुये थे। गोली जो चली वह हाईकोर्ट कंपाउण्ड और विद्यार्थियों की तरफ़ चली। और इस बात का सबूत है कि रिक्शेवाला हाईकोर्ट कंपाउण्ड की तरफ था न कि विद्यार्थियों की तरफ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सेन्ट्रल ऐक्सचेंज को जलाते हुये कितने विद्यार्थी पकड़े गये। वहां कितने विद्यार्थी थे जिनके कारण गोली चलानी पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस है कि श्री गयन्दर के बारे में माननीय मंत्री जी ने ऐसा भ्रमात्मक बयान दिया। कहा गया कि लोग उसकी पिस्टल छीनना चाहते थे। जहां तक मेरी जानकारी है वहाँ डेढ़ फर्लांग तक उस वक्त कोई उत्तेजना नहीं थी। जब श्री गयन्दर पर गोली चलायी गयी तो एक फर्लांग तक कोई भीड न थी। वहां के जो लोग गवाह हैं उनका कहना था कि उस वक्त वहां कोई उत्तेजना नहीं थी और ऐसी हालत में उस नवयुवक की हत्या कर दी गयी। इस पर भी यह कहा जाता है कि यह सुनिश्चित था। जब यूनिवर्सिटी कैम्पस में रात पुलिस गयी तो पिच्ड बैटिल हुई और पुलिस स्ट्राइकर्स को ले कर चली आई। लेकिन अगर ऐसा होता तो वहां उसी समय ईंट से ईंट बज सकती थी।

आज श्री बनारसी दास जी ने गांधी जी की याद दिलायी। गांधी जी को कौन नहीं मानता? लेकिन गांधी जी की सब से बड़ी खूबी यह थी कि वे अपनी भूल को स्वीकार कर लिया करते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के एक गृह मंत्री १४ तारीख़ को कहते हैं कि किसी लड़की को चोट नहीं लगी और..........

श्री अध्यक्ष---उन्होंने सदन से इसकी माफी तो मांग ली। इसके लिये उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं उस खेद प्रकट करने का स्वागत करता हूं। इसके लिये मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने १४ तारीख़ को यह एक वक्तव्य दिया, उसके बारे में जो ३१ अक्तूबर और १, २ नवम्बर को हुआ था। इस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों ने सरकार को डेढ़ महीने तक धोखे में रक्खा। इसी प्रकार से श्री गयन्दर की मृत्यु के बारे में तथा सेन्ट्रल ऐक्सचेंज के वाकये के बारे में भी उनको धोखे में रखा गया है। माननीय गृह मंत्री कई प्रकार से इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते थे। जुडीशियल इंक्वायरी करा सकते थे, सी० आई० डी० से भी इन्क्वायरी करा सकते थे। उन्होंने जो इस प्रकार से एक ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करायी यह बिलकुल ग़लत है।

आज मुझे आशा थी कि माननीय गृह मंत्री जी अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। पुलिस की ग़लती को जस्टिफाई करना उनके लिये यह एक शोभा की बात न थी। गांधी जी तो बड़ी-बड़ी भूलों को स्वीकार कर लिया करते थे। यही उनमें महत्व की बात थी। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने जो पुलिस वालों ने बयान दिया उसी को दुहरा दिया। मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हुआ कि लखनऊ के चन्द कर्मचारियों ने माननीय मुख्य मंत्री को और पूरी केबिनेट को धोखे में डाल दिया। यह बड़ा सख्त खतरा है। यह तो एक बड़ा सख्त खतरा है जिसको हम विधान सभा के सदस्यों को देखना चाहिये कि यह नौकरशाही आगे कौन सा रंग लाने वाली है। सख्त कौन सा दिन हिन्दुस्तान में आने वाला है इस बात की तरफ माननीय गृह मंत्री का ध्यान जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विद्यार्थियों का हाथ था या नहीं था यह सब तो बाद में होगा क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी जुडिशियल इन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज द्वारा तो नहीं करा रहे हैं लेकिन यह साबित हो गया कि जो तोड़ फोड़ हुये, जो ध्वंसात्मक आन्दोलन हुए उनमें इनका हाथ नहीं था, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं। ऐसी सूरत में लखनऊ यूनिवर्सिटी को एक प्रेस्टिज का प्रश्न बना लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन चांसलर के बारे में कहता हूं कि जब विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलने गया तो उन्होंने ये उद्गार प्रकट किये कि –"इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तो बिलकुल आत्मसमर्पण कर दिया।" इस बात को तो सारी दुनिया जानती है कि विद्यार्थी उच्छृंखल होते हैं, जैसा कि अभी बेगम साहिबा ने कहा, उससे उनका मंतव्य माननीय गृह मंत्री जी भी अच्छी तरह समझ गये होंगे लेकिन यह पुलिस तो एक सुनियोजित सरकार की थी। उसको इस तरह के खेल खेलने की क्या जरूरत थी? आज तो यहां की हालत इतनी बदतर हो गई है कि इसी सरकारी केबिनट के अन्दर का एक सुपरिटेंडेंट एक हजार रुपये लेकर जिसमें उसकी तथा उसके एक साथी की तनख्वाह थी शहर के अन्दर गया जिसे वहां छीन लिया गया। वह डर के मारे यहां कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कहता है तो उसकी नौकरी जाती है। अगर इस समय बच भी जायगा तो ४, ६ महीने बाद कोई न कोई बहाना निकाल कर उसे हटा दिया जायगा। तो जो हमारी सरकार है वह आज इस तरह खुला नृत्य कर रही है। सरकारी कर्मचारी ही, कैबिनेट के आदमी ही अपनी सरकार से इतना डरते हैं, यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जगदीश गयन्दर के मामले के सिलसिले में पुलिस ने एक आदमी से यह कहा कि तुम कह दो कि विद्यार्थियों की एक भीड़ बड़ी उत्तेजित थी जो सब-इंस्पेक्टर पर हमला कर रही थी। लेकिन उस शख्स ने इस तरह की कोई गवाही नहीं दी। अब सुनने में आया है कि उनके ऊपर एक चार्ज शीट लगा दिया गया है कि ये जेल डिपो पर हमला करने की योजना बना रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लालबाग का एक केस मुझे मालूम हुआ कि पुलिस एक पान वाले को पकड़ लायी, जिसे रेलवे-यार्ड के उधर ले जाया गया और उससे कहा गया कि तुम इस बात को कह दो कि हमने देखा कि ये आदमी बसों में आग लगा रहे थे। लेकिन उसने कहा कि इस आन्दोलन को देख कर मैं तो अपनी दूकान ही बन्द करके चला गया था। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज इतने दिन हो गये लेकिन सरकार ने इसको अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न बनाये रखा है। इलाहाबाद में भी इसी क़िस्म की बात थी, यानी विद्यार्थी यूनियन कांस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का हाथ हो। वहां की समस्या तो आसानी से सुलझ गयी लेकिन यहां के वाइस-चांसलर, चांसलर और ट्रेजरर ने इस विषय को सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उसका सबूत यह है कि जिस वक्त श्री चन्द्रभानु गुप्त ने विद्यार्थियों को बुला कर यह कहा कि तुम्हारी सब मांगें मंजूर हो जायंगी, एक मिनट के अन्दर ही उनकी सारी मांगें मंजूर हो गयीं और सारा विद्यार्थी आन्दोलन भी समाप्त हो गया। जब भी विद्यार्थियों के ऊपर इस बात का दोष लगाया जाता है तो चाहे विजय कुमार रहे हों या चन्द्रभाल त्रिपाठी उसके नेता रहे हों, मैं तो उन विद्यार्थियों के धैर्य की सराहना करता हूं कि जो चार महीने से हंगर

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

स्ट्राइक कर रहे थे फिर भी वे शान्त रहे। पुलिस जब भारतीय ललनाओं के केश खींचने लगी, अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस मौक़े पर द्रौपदी की कहानी याद आ जाती है, मुझे तो इन पुलिस वालों के ऊपर शर्म आती है जब कि इतने निहत्थे लोगों पर गोली चलायी ,उसके बाद विद्यार्थी उत्तेजित हो गये तो फिर इसमें आश्चर्य की बात ही क्या थी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एसी परिस्थिति में उन निहत्थे विद्यार्थियों क ऊपर गोली चलाना कोई जस्टिफिकेशन नहीं कहा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को अपनी ग़लती मान लेनी चाहिये और चन्द पुलिस अधिकारियों को ही तो बात है, जो अपराधी हों उनको सज़ा देनी चाहिये।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम अभी मेरे माननीय मित्र राम नारायण जी ने लिया है जिसमें उन्होंने कुछ यह कहा है कि मैंने विद्यार्थियों से इस प्रकार की बातें कहीं, मैं परसनल एक्सप्लैनेशन देना चाहता हूं कि जिस रूप में उन्होंने इस विषय को रखा उस रूप में मैंने विद्यार्थियों से कोई बातें नहीं कहीं। क्यों कि जब जब मुझसे विद्यार्थी मिलने आये तो मैंने कह दिया कि जो तुम्हारी उचित बातें हैं, जो तुम्हारे हित की बातें हैं, जो विश्वविद्यालय के हित की बाते हैं वह सदैव विश्वविद्यालय मानेगा और हर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य और शिक्षक गण जितने विश्वविद्यालय के हैं, मानेंगे, लेकिन जो विद्यार्थियों के हित में नहीं है, विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, उसे विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल, जहाँ तक मैं जानता हूं, कभी स्वीकार नहीं करेगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय राजनारायण जी और श्री झारखंडे राय की व्याख्या को सुना। इसमें संदेह नहीं है कि तीस अक्तूबर से दूसरी नवम्बर तक जो घटनायें लखनऊ नगर में घटी हैं वे सब एक दुःख की बात हैं। इस प्रकार की घटनायें घटित होना हमारे देश और समाज के लिये हित कर नहीं है। जहां तक इन घटनाओं से पीड़ित लोगों का सम्बन्ध है उनके प्रति सभी को सहानुभूति है और सभी को उसका अफसोस है लेकिन घटनाओं का कारण क्या रहा और इस हद तक इन मामलात को बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आयी इस पर हाउस में मतभेद है। माननीय राजनारायण जी ने अपनी स्पीच म शुरू से ही हर वाक्य में पुलिस का नाम लिया। कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं कही जिसमें पुलिस का नाम शामिल नहीं था। और यदि कहीं पुलिस को भूल भी गये तो उसके स्थान पर सरकार को शामिल कर लिया लेकिन उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे कोई सुनने वाला आदमी यह समझ सके कि यह एक बिलकुल आजादाना दिमाग़ और आजादाना ख्याल की बात कही जा सकती है। उनकी पक्षपात से भरी हुई बातों को सुनने के बाद यह जाहिर होता था कि वह एक खास पार्टी और किसी खास उद्देश्य से दिलचस्पी रखते हैं और उसके मातहत उनकी भाषा और उनका एक एक शब्द निकल रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस और विद्यार्थियों के संघर्ष का सम्बन्ध है मैं तो यह समझता हूं कि न पुलिस वाले ही कोई अलग चीज़ हैं और न विद्यार्थी ही और वह इसलिये कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी भी सन्तानें विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय में हैं। जो विद्यार्थी हैं उनमें से ही लोग आज पुलिस के अधिकारी हैं या भविष्य में भी उनमें से पुलिस के अधिकारी बनेंगे। यही नहीं, जिनको हम आज विद्यार्थी के रूप में देख रहे हैं भविष्य में उनमें से ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का स्थान ग्रहण करेंगे, अथवा माननीय गृह मंत्री जी का स्थान ग्रहण करेंगे। फिर मैं नहीं समझता कि किस तरह से हम आज पुलिस और विद्यार्थियों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? किस तरह से विद्यार्थियों को अपनी सरकार से अलग कर सकते हैं? फिर इस तरह की बात कहना जिससे विद्यार्थी बिलकुल हमसे अलग मालूम हों, पुलिस और विद्यार्थियों का कोई सम्बन्ध न हो, या सरकार का विद्यार्थियों का कोई सम्बन्ध न हो, कहां तक उचित हो सकता है। और यदि उनको अलग किया जाना है तो सिवाय इसके कि इसमें कोई खास उद्देश्य शामिल है, और कुछ नहीं। हम एक वर्ग को अपने हाथ में लेकर उनकी भावनाओं

को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिये उभार कर उसकी पूर्ति के लिये यह सब कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो लखनऊ का रहने वाला नहीं हूं, लखनऊ से बहुत दूर का रहने वाला व्यक्ति हूं और जो कुछ घटनायें घटीं उन सबको मैंने अखबारों में पढ़ा है, और लोगों के व्याख्यान सुने हैं और विरोधी दल के लोगों के भी व्याख्यान सुने हैं। झारखंडे जी की बात भी सुनी और सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि यह विद्यार्थियों का मामला केवल विद्यार्थियों का मामला बन कर ही नहीं रह गया है बल्कि एक राजनैतिक दंगल बन गया और राजनैतिक दंगल बनने के कारण ही इस मामूली बात ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। इसके फलस्वरूप १, २ नहीं बल्कि कई हत्यायें हुईं। श्री गयेन्द्र जैसे होनहार नवयुवक स्वर्गवासी हुये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनारायण जी ने अपने भाषण में यह कहा कि गयेन्द्र की मृत्यु पर कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया गया। शायद वह इस बात को भूल गये कि श्री गयेन्द्र जब अस्पताल में थे तो उनको देखने के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं गये थे। इससे बड़ी सहानुभूति और क्या हो सकती है।

जहां तक और जिम्मेदारी की बातें हैं माननीय राजनारायण जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि वह उन दिनों यहां पर मौजूद थे। माननीय उपाध्याय जी ने तो यह माना ही है कि वह यहां उपस्थित थे और श्री रामनारायण जी ने भी ऐसा जाहिर किया है कि उनको व्यक्तिगत तरीके से इन सब मामलों की जानकारी अच्छी तरह से है। मैं नहीं जानता कि इतनी चीजें उनके इल्म में जब हैं और यह सब लखनऊ में मौजूद थे तो फिर उन्होंने इन मामलों में कितनी जिम्मेदारी ली और वह इस बीच में सरकार के पास क्यों नहीं पहुंचे और सरकार को जाकर क्यों नहीं बताया कि इस तरह से गलती हो रही है और वह ऐक्शन नहीं होना चाहिये ! मैं समझता हूं कि सिवाय इसके इनका उद्देश्य कुछ नहीं है कि विद्यार्थी समुदाय के संघर्ष को राजनैतिक दंगल बना लें और उनको एक राजनैतिक खिलौना बना कर उनकी जान और माल के साथ खेलें। वह जनता की सम्पत्ति थी जिसके विनाश का हमारे गृह मंत्री महोदय ने विवरण दिया कि एक लाख ५३ हजार की हानि हुई वह हमारे समाज की ही हानि हुई है।

जहां तक झारखंडे राय जी की बात का सम्बन्ध है मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो वह आर्थिक विषमता को मिटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी छिपकर नहीं बल्कि सामने आकर काम करना चाहती है। उनका कहना यह है कि यह आर्थिक और सामाजिक विषमता का ही फल है जिसकी वजह से देश में आज मुसीबतें हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उस आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता और राजनैतिक विषमता को मिटाने के लिये दूसरी पार्टियां भी कटिबद्ध हैं। जिनको वह पूंजीपतियों की पार्टी कहते हैं उस पार्टी के अन्दर भी ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो इस मामले में उनसे कहीं आगे हैं। उनका भी रास्ता ऐसा है कि जिससे देश का हित होगा और देश के रहने वाले गरीबों को लाभ होगा। वह बतलावें कि आज विनोबा भावे जी के साथ कहां कहां गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिये घूमे हैं ? हमारे गांधीवादी भाई देहात देहात उस गरीबी को मिटाने के लिये आज घूमते हैं और उन गरीबों की हमदर्दी लेकर इस आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य करके समाज में जो विषमतायें हैं उनको मिटाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर मुझे अफसोस है और मैं अपने विद्यार्थी भाइयों से आशा करता हूं कि वे राजनैतिक झंझटों से दूर रह कर अपने देश को ऊपर उठाने की बात सोचें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि हमारे सदन में इस प्रकार के विषय पर विवाद की आवश्यकता हुई। आज क्या

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सदन में और क्या सदन के बाहर बहुत से रचनात्मक कार्यों को करना है जिसका जिक्र झारखंडे जी ने किया कि आर्थिक और दूसरे प्रश्नों को हमें हल करना है और उनमें हमारी सारी सामूहिक और व्यक्तिगत शक्ति का लगाना आज आवश्यक है। हम यह देखते हैं कि जब कोई इस किस्म की बातें होती हैं तो हमारा कार्यक्रम पिछड़ जाता है। हम उन बातों में, जिनसे देश बनता नहीं, फंस जाते हैं, इसलिये मुझे दुःख होता है। मुझे इस बात की वेदना है कि इन घटनाओं में श्री गयन्दर की और दूसरे दो गरीबों की मृत्यु हो गई। मैं नहीं जानता उनका कोई दोष था या नहीं, क्योंकि ऐसे अवसरों में सबसे बड़ी दुःख की बात यह होती है कि जो इस तरीक़े पर शिकार बनते हैं वह निरपराध होते हुये भी फंस जाते हैं। इसलिये उनके लिये सबको दुःख होता है। मुझे इसका भी अत्यन्त क्षोभ है कि इन घटनाओं से हमारे उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई, यहां के लोगों की हुई, यहां की सरकार की हुई और हम में से हर एक की हुई और इससे चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, सिवा शायद कम्युनिस्ट पार्टी के, इन बातों से कभी भी किसी को कोई अपने कार्य के करने में या अपने प्रोग्राम को सफल बनाने में सहायता नहीं मिल सकती है, चाहे क्षणिक सन्तोष किसी को भले ही हो जाय, पर यह सब चीजें हमारी बुनियाद को तोड़ती हैं। आखिर विरोधी दल के नेता जी ने डेमोक्रेसी का नाम कई बार लिया। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं यहां डेमोक्रेसी के नाम पर ही आये हैं। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी के पनपने के लिये इस बात की आवश्यकता है या नहीं कि हम सब कुछ मौलिक बातों को मानें और अहिंसा, शान्ति और अमन को क़ायम रखना अपना सबका कर्तव्य समझें? और बातों में हममें भेदभाव हो सकता है और चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो परन्तु उसके अनुसार कार्य करने का अवसर हमें तभी मिल सकता है जब कि हमारे समाज में शान्ति हो। अगर शान्ति अलग हो जाय तो हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। हमें अपनी नाजुक स्थिति को समझना चाहिये।

हमारे पड़ोस में देश हैं जिनके बारे में सुना जाता है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका से सैनिक सन्धि करने का उद्योग कर रहे हैं। हमें अभी आजाद हुये थोड़े से वर्ष ही हुये हैं। हमारे यहां धर्म सम्प्रदाय के तमाम भेदभाव हैं और उन सबके होते हुये भी हमें समझना है कि हमारी वास्तविक अवस्था क्या है और इसके साथ साथ करोड़ों आदमी दुखी हैं, करोड़ों नंगे हैं, रात दिन जाड़े में थरथराते हैं और हम उनके लिये अभी तक खाने पहिनने के लिये सामान मुहय्या नहीं कर पाये हैं। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम राजनीतिक शतरंज की चालों में पड़कर वास्तविक बुनियादी बातों को भूल जायं, यह हमारे लिये हितकर नहीं है।

मैं आप से कहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत दुःख हुआ कि हमारी इतनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान हुआ, गयन्दर जैसे नवयुवक और दो वह जिनका नाम भी हम नहीं जानते, चले गये। कई को चोटें लगीं, पुलिस वालों के भी लगीं औरों के भी लगीं। यह सब हुआ, तार काटे गये, कितने ही बल्ब टूटे। इस पर भी किसी को जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई। आखिर हमारा देश कैसे चल सकेगा, अगर इस तरीके पर हम लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति का ध्वंस करते जावें और हमारी जनता में उससे न तो कोई क्षोभ हो, न कोई उसके कारण यह प्रवृत्ति पैदा हो कि इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, नहीं करते तो हमारी चीज जाती है। मैं समझ सकता हूं कि नवयुवकों को कभी रोष आ जाय, मैं समझ सकता हूं कभी एक भला आदमी भी गलत काम कर जाय, परन्तु सारी जनता जो कि लाखों की तादाद में है, वह सब की सब अकर्मण्य हो जाय और उसके सामने सारी राष्ट्र की दौलत बरबाद हो, यह एक बड़ी चिन्ताजनक

बात है और इससे मुझे काफी धक्का लगा और सब से ज्यादा धक्का लगा मुझे इस बात से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नवयुवकों की बदनामी हुई। वे हमारे नौनिहाल हैं, हमारा भविष्य उन पर निर्भर है। आज यदि मैं अपनी तरफ से सेवा करने का उद्योग करता हूं तो इसी भरोसे पर कि कल को मेरे लड़के और मेरे भतीजे और सब नवयुवक जिनको कि मैं अपने लड़कों का साथी समझता हूं, वे जिस काम को मैं नहीं कर सकता उसे करके दिखायेंगे। मैं समझता हूं हमारे देश ने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया, मदनमोहन मालवीय जी हुए, मोती लाल जी हुए, परन्तु उस पीढ़ी से बढ़कर आज जवाहर लाल हैं जो कि आज सारे देश के, संसार में एक राष्ट्रीय नेता हैं और मैं चाहता हूं और मैं आशा करता हूं और यही हम लोगों के हौसले को बढ़ाने वाली बात है कि हमारे नवयुवकों में जवाहर लाल से भी बड़ा लाल निकले। इसी आशा से हम काम करते हैं। पर जब उनकी किसी तरह से गिरावट का मामला होता है, जब उनकी शान में बट्टा लगता है, तो हम समझते हैं कि आखिर हमारे जीवन का आदर्श क्या रह जाता है? हम किस चीज के लिए खड़े हैं? और मैं यह भी मानता हूं कि जो कुछ हुआ, उसमें मै अपनी कमी समझता हूं। मैं समझता हूं ठीक ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए थी। मुझमें यह योग्यता होनी चाहिए थी कि मैं नवयुवकों के दिल को अपने साथ रख सकता। अगर नहीं रख सकता तो उतनी कमी है। इसलिए मुझे हर तरह से उसका रंज है, उसका अफसोस है और उसकी लज्जा है। और आज मेरे सामने अगर कोई प्रश्न है, तो वह यह है कि हम क्या करें जिस से कि हमारे नवयुवकों के दिल फिर हौसले से भर जायं। जो भविष्य उनकी तरफ ताकता रहा है, वह उस भविष्य में इस सारे भारत को ऊंचा उठाने का काम कर सकें। हमें उसमें अपने मन को लगाना है और उसके लिए अपने तमाम कर्त्तव्यों को पूरा करना है और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ होता है, वह कुछ न कुछ सबक सिखाता है। भली बात हो चाहे बुरी बात हो, जितनी घटनायें हुईं, उनसे हम सब सबक सीखेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी इसमें कमियां रही हों, हमारी समझ में, हमारे सम्पर्क में, हमारे पारस्परिक विश्वास में, वह दूर हो जायं, क्योंकि नवयुवकों के ऊपर ही भरोसा है और अगर वह टूट जाय तो देश फिर स्वयं टूट जाता है।

परन्तु जहां तक इस विशेष घटना का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसको बेलाग तरीके पर देखा जाय, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ राजनीतिक एक्सप्लायटेशन या राजनीतिक प्रेरणा की और राजनीतिक दलबन्दी में फंस जाने की बात है और उससे उठने की जरूरत है। यहां पर झारखंडे राय जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ कोई किसी किस्म की राजनीतिक संस्था का सम्बन्ध न हो। मैं चाहता हूं कि वह स्टूडट्स फेडरेशन को तोड़ दें और स्टूडट्स फेडरेशन को तोड़ देंगे तो मालूम पड़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने संगठित रूप से विद्यार्थियों पर कब्जा करने का तरीका छोड़ दिया है। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव किया और सबसे इसबात की प्रार्थना की है कि जहांतक नव-युवकों का ताल्लुक है उनको राजनीतिक दलबन्दियों में न फंसाया जाय। कहा जाता है कि कांग्रेस राजनीतिक भावों से पूरित होकर बालकों में काम करती है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल निराधार और मिथ्या बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सभी मानते हैं कि कांग्रेस वालों की टोपी जलायी गयी, कांग्रेस का प्रतीक जलाया गया, कांग्रेस आज जैसी भी सत्ता को रखती है, परन्तु किसी दूसरे राजनीतिक दल की कभी टोपियां या कभी किसी की ध्वजा जलायी गयी? कहीं के नवयुवकों ने किसी दूसरे रंग की टोपी को जलाया? किसी के प्रतीक को जलाया? तो कौन फिर एक्सप्लायट करने की कोशिश कर रहा है? कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आज नरेन्द्रदेव जी काशी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हैं और वह सोशलिस्ट पार्टी के एक सर्वमान्य नेता हैं और हमारे हृदय में भी उनके लिए काफी श्रद्धा है और इससे पहले वे यहां भी हमारी इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर थे। आप तमाम विश्वविद्यालयों को देखिये। आपको कहां कांग्रेस के वाइस-चांसलर मिलते हैं? कहां कांग्रेस ने उद्योग किया है कि हम विश्वविद्यालयों पर कब्जा करें?

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कौन सी बात कांग्रेस ने की है ? मगर आचार्य जुगल किशोर के लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर होने ही से एक राजनीतिक वातावरण पैदा करने का ऐसा कुछ व्यक्तियों ने उद्योग किया जिस से वह कार्य ठीक न कर सकें और वह एक राजनीतिक भ्रान्ति में आ कर फंस जावें। इसलिए मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नवयुवकों में जाऊं और कांग्रेस वाले जायं, और गांधी जी का उद्देश्य और गांधी जी का जो आदर्श था वह उनके सामने रखें, मगर मैं नहीं चाहता कि वे कांग्रेस के बन्धन में पड़ें, वे किसी दल के बन्धन में पड़ें। वे सब से ऊंचे बनेंगे, कांग्रेस को भी ऊंचा बनायेंगे अगर वे राजनीतिक बन्धनों में न पड़कर अपना कर्त्तव्य पालन करेंगे। मैं चाहता हूं कि उनके हृदय का विकास हो, उनका मस्तिष्क सुसज्जित हो और उनकी आत्मा हर तरह से आगे आकर अपने प्रभाव को दिखलावे और वह इस भारत को बनावें। उनका किसी दलदल में फंसना हमारे लिए किसी तरह से हितकारी नहीं है।

पर विश्वविद्यालयों के लिए मैं आप से कहता हूं कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि जहां तक सम्भव हो, हम अलग रहें और आप को मालूम हो या न हो, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बार बार कहा कि यहां गवर्नमेंट आकर मदद करे, मगर हमने उससे अलग रहना ही ठीक समझा और मना किया। इसी तरह से यहां, आपको मालूम हो---मैं कोई लड़कों की यहां पर भर्त्सना करने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ वाकयात को कह रहा हूं---विश्व-विद्यालय के अन्दर बालकों ने जो किया उसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। लड़के बाहर आये। बाहर आकर उन्होंने हड़ताल करायी। यह कहना मेरी समझ में अत्युक्ति नहीं होगी कि दुकानदारों ने हड़ताल की, अपनी रोजी खोयी, नुकसान उठाया, इसलिए नहीं कि वह कोई इस बात को जानते थे कि यह ठीक है, बल्कि इसलिए कि लड़कों को नाराज करना नहीं चाहते थे। इसे आप डर की बात कहें या नहीं, लेकिन कुछ डर की मात्रा तो हो ही जाती है। लोगों ने हमसे कहा कि सरकार क्या अपने फर्ज को अदा नहीं कर सकती ? दुकानें बन्द कर दी गयीं, लोग रिक्शा और तांगे नहीं चला सकते और सरकार है कि मूक की तरह खड़ी रहती है, उसका क्या कर्त्तव्य है? परन्तु फिरभी हम खामोश रहे, हमने कुछ करना आवश्यक नहीं समझा, गोकि करना उचित होता और यह एक भावना हमारी थी कि हम शायद अपने कर्त्तव्य को नहीं कर रहे हैं। अगर सर्वमत से विद्यार्थी कुछ करना चाहें, तो कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुमत विद्यार्थियों का किसी काम को करना न चाहे, और कुछ थोड़े से विद्यार्थी सारे विद्यार्थियों के समाज को कोअर्स करना चाहें, यह बात उचित नहीं है, किसी संस्था के लिए उचित नहीं है और विद्यार्थियों के लिए भी उचित नहीं है। आप जानते हैं कि ५ तारीख से २१ तारीख तक लखनऊ युनिवर्सिटी में कोई दंगा नहीं हुआ। मगर २१ तारीख को जब हड़ताल हुई तब युनिवर्सिटी का वायुमंडल बिलकुल बदलने लगा। लड़कों की पढ़ायी की तरफ से हड़ताल की तरफ नजर जाने लगी और जो विद्या पढ़ रहे थे उन्होंने अपने कर्त्तव्य को छोड़कर इस आन्दोलन की तरफ जाना शुरू कर दिया। ऐसी अवस्था में फिर जैसा कि आपको माननीय गृह मन्त्री जी ने बतलाया बहुत सी बातें हुईं, तरह तरह के नारे लगाये गये। यह जो कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र रखना चाहिए, हमने तो वही किया। हमने तो यहां तक किया कि अमीनुद्दौला पार्क में लड़कों ने पब्लिक मीटिंग की, गवर्नमेंट की खूब भर्त्सना की मगर उस पर हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया, उस पर हम खामोश रहे। परन्तु जब २८ तारीख को वाइस-चांसलर का लेटर आया तब हमें कुछ करने के लिए विवश होना पड़ा। मैं आपको उस खत का कुछ हिस्सा सुना देना चाहता हूं, उसमें आखिर में यह है---

"As you will see the expelled students, who have constituted themselves into a Council of Action, have with a view to imposing their will upon the University authorities:

(*a*) systematically defied the discipline of the University ;

(*b*) held meetings in the University campus, organised demonstrations in defiance of the directives of the authrotities ;

(*c*) have, by criminal force, broken open the University building and unlawfully taken possession of the same, and have been in its occupation ;

(*d*) have been trying to create more tension among the students and incited them to violence ;

(*e*) have sent batches of students for starting hunger-strike before the houses of the members of the Executive Council, thus creating widespread panic ;

(*f*) have threatened to conduct a series of demonstrations which would disturb the normal life of the city ; and

(*g*) have been in contact with the students in other parts of the State fomenting an agitation so that their defiance may lead to a general movement of defiance among the students of the State.

The University property, building property and offices are at the mercy of this group and are in danger of being seriously damaged."

खैर, यह इस तरीके पर उन्होंने कहा कि आप इसमें कार्यवाही कीजिये, आप का फर्ज है। अब मैं आप से पूछता हूं कि क्या हमने मुदाखिलत की ? सवाल हमारे सामने यह था कि जिस गवर्नमेंट से मदद पाने का हर शख्स हकदार है, अगर उसका यह अन्देशा होता है कि नियम के अनुसार चलने में और जो उसका कर्त्तव्य है उसको पूरा करने में उसके ऊपर जब्र हो रहा है, और वह नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि हम युनिवर्सिटी को मदद नहीं देंगे ? जो गवर्नमेंट हर एक को, और ऐसे आदमियों को जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तमाम बुराइयां करते हैं, मदद देती है, तो अगर युनिवर्सिटी की अथारिटीज कहें कि हमारे यहां बड़ा भारी उपद्रव हो रहा है, हमारी जायदाद खतरे में है, मकानों के तोड़े जाने का हम खतरा देख रहे हैं, पढ़ाई बिलकुल बन्द हो गयी है, हमने युनिवर्सिटी को बन्द किया, फिर भी काम नहीं चला, आप हमारी मदद कीजिये, तो गवर्नमेंट का क्या फर्ज है ? क्या दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसी दशा में कह सकती है कि हम मदद नहीं करेंगे ? और फिर जब मदद में वहां पुलिस को जाना पड़ा, तो पुलिस क्या करती ? पुलिस ने दो घंटे इसमें लगाये कि कोई बात न हो।

आज कहा जाता है कि पुलिस को फौरन उठा ले जाना चाहिए था। क्या एक मनुष्यत्व दिखलाना और इस तरीके का व्यवहार करना अपराध है ? वह जब लड़कों को समझाने में सफल नहीं हुए तो जब पुलिस जाती है, तो खाली हाथ तो जा नहीं सकती है, उसको अपना कर्त्तव्य पूरा करना ही है, फिर वह मारे जायं, या पीटे जायं। फिर भी मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। एक आदमी के सामने दब जाना जरूरी है या लाखों आदमियों के लिए ऐसी अवस्था लायी जाय कि वे अपने हकों को पूरी तरह से एंज्वाय कर सकें। इस गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि चाहे कितनी भी मुहब्बत किसी से हो, उसको ऐसी बात न करने दें जिससे लाखों को अपनी दिनचर्या को ईमानदारी से पूरी करने में बाधा पड़े। इसलिए जब यह करना पड़ा, तो इसमें आपत्ति किस बात की है।

अब फिर कहा जाता है कि साहब दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन जो हुआ वह बड़ा दुखप्रद हुआ। मैं आप से कहता हूं कि पहले दिन जो कार्यवाही हुई, मैं नहीं समझता था कि ऐसी बात लखनऊ में हो सकती है और न मुझे ऐसी कल्पना ही थी। मैं अपने नगर को एक बहुत ऊंचे तबके का समझता आया हूं। हमने क्या किया। सीधी सी बात है, हम हंगर स्ट्राइक करने वालों को ले आये। आपको मालूम हो या न हो। एक लड़के का बाप आया और उसने कहा कि किसी तरह से हमारे बच्चे को बचा लीजिये। मेरे पास भी आया और शायद गृह मन्त्री जी के पास भी गया होगा और जो लड़के हंगर स्ट्राइक

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कर रहे थे उनके पास भी गया मगर वह कामयाब नहीं हुआ । उसने कहा कि साहब क्या अनर्थ की बात है, आप हमारे बच्चे को नहीं बचायेंगे ? अब आप बतलाइये कि गवर्नमेंट का क्या फर्ज हो जाता है ? फिर लड़कों को वहां से हटाया गया तो कौन सी अनर्थ की बात हो गयी । क्यों यह परिणाम उसका हो ? उनमें इतनी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए।

फिर दफा १४४ लगी हुई थी । लड़के हजारों की तादाद में आये । कुछ वहां से आये और कुछ शहर से जमा हो गये, बावजूद इसक कि ५ आदमियों से ज्यादा के जमा होने की इजाजत नहीं थी । पर लड़कों की वजह से फिर अथारिटीज खामोश रहीं। कुछ नहीं किया। एक तो उनको कानून के खिलाफ सब कुछ करने दिया गया, फिर कहा जाता है कि फायरिंग हुई । मैं कहता हूं कि पहले टेलीफोन एक्सचेंज के तार काटे गये और उन तारों के कटने के कारण लोगों में चिन्ता हुई । अब ऐसा मालूम होता है कि इन तारों के कटने में शायद पहले से कुछ ऐसा प्लान रहा हो । उन तारों के कटने पर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि अब तो इसकी रक्षा करनी है । एक तरफ से हजारों लड़के खड़े थे और फिर गुण्डे भी आ गये जिनको कि कहा जाता है कि उन्होंने यह सब किया । मैं नहीं जानता कि उनमें कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे । मगर ऐसी अवस्था आ गयी कि तमाम टेलीफोन एक्सचेंज कट जायं, वहां के सब तार काट डाले जायं और फिर किसी जगह से भी सम्बन्ध न रह सके । तमाम कम्युनिकेशन्स को दूर कर देना और उनको बेकार कर देना किसी खास पार्टी का प्लान था । इस लिए इस बात की जरूरत थी कि आखिर क्या किया जाय । उस वक्त मैजिस्ट्रेट ने उसकी रक्षा करने के लिए यह समझा कि फायरिंग करना लाजिमी हो गया है । आपको इस से भी मालूम हो सकता है कि यह जो फायरिंग हुई, ज्यादातर टेलीफान एक्सचेंज के आदमियों को इसमें ज्यादा चोट लगी और टेलीफोन एक्सचेंज के पास ही सब कुछ हुआ । इससे जाहिर होता है कि अगर टेलीफोन की रक्षा करना आवश्यक था तो फिर और क्या किया जा सकता था ? मैं यह नहीं कहता कि पुलिस हमेशा जिस बात को करती है, वह ऐसा ही करती है जैसा कि उसे करना चाहिए । हर गवर्नमेंट में डिफेक्ट्स रहते हैं । लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें कि १५ सौ तार कटे, सैकड़ों बल्ब तोड़े गये, कितनी बड़ी तादाद में टेलीफोन जंक्शन जलाये गये, बसेज जलायी गयीं, जगह जगह तार काटे गये मगर पुलिस ने फायरिंग कितने दफे की ? तीन या चार दफे । तो यह कहना कि पुलिस ने मनमाने तरीके से गोली चलायी ठीक नहीं मालूम देता । पुलिस की गाड़ियां बराबर गश्त लगा रही थीं तो क्या वह लोगों पर बराबर गोली चलाती रहीं । लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ । इसलिए इन बातों को देख कर यह ख्याल होता है कि पुलिस ने जहां तक हुआ फोर्स का इस्तेमाल कम किया । जबकि इतनी जगह तार, पोस्ट आफिस और बसेज आदि जलायी जायं और सिर्फ फायरिंग तीन चार जगह हो, तो यह कहना कि पुलिस ने अपनी तरफ से गोली चलायी, यह कोई उनका इन्सेन्टिव नहीं दिखलायी देता, बल्कि उसने रेस्ट्रेन्ट से काम लिया । इससे जाहिर होता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी ।

इसके अलावा जहां तक इन्क्वायरी की बात है, उसकी इन्क्वायरी एटा के कलेक्टर ने की, जिसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई। अब दिक्कत यह है कि आप किसी से इन्क्वायरी करायें और यदि वह आपको पसन्द न हो तो वह झूठी है और इन्क्वायरी करने वाले का दिमाग ठीक नहीं । जब तक आपकी तबियत के अनुसार कोई इन्क्वायरी न करे, तब तक आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे । दूसरी दिक्कत यह है कि यदि हम अपने मैजिस्ट्रेट को बेईमान समझ लें, तो आप ही बतलाइये ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल सकता है ? इसी प्रकार जस्टिस मुखर्जी ने कलकत्ता के झगड़ों के बारे में जो अपनी इन्क्वायरी रिपार्ट दी तो आज उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले इन्क्वायरी की मांग की थी, अब उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं ? मेरा ख्याल है कि पांच परसेंट भी ऐसे लोग न होंगे । सभी कहते हैं कि बिलकुल गलत है, यह तो होना नहीं चाहिए । अब इससे नतीजा यही निकलता है कि ऐसी इन्क्वायरी करायी जाय, जिसके

फैसले को श्री राज नारायण जी मंजूर करें, और यदि वह मंजूर नहीं करते हैं तो फिर दूसरी कमेटी बिठलायी जाय, यदि उसका भी फैसला मान्य न हो तो तीसरी। इस तरह से एक तो खर्चा अधिक होगा और फिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, इसका भी कुछ पता नहीं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आखिर पुलिसमें हैं कौन लोग? वे एम० ए० हैं, बी० ए० हैं और इन्हीं यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी हैं। क्या उनका दिमाग खतम हो गया, जो वे अपने नवयुवकों पर गोली चलावें? उनसे गलती हो सकती है, मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसको मान लेता हूं मगर मैलिस से या बदनियती से कोई बात न होनी चाहिए। यदि मलिस से कोई बात होती है तो वह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह जो दर्दनाक वाक़यात हुये, उनको आप लोग बदनियती से न देखें। आप लोग आइडियलिस्टिक ज्यादा हैं, मगर हम लोग रियलिस्टिक ज्यादा हैं। आइडियलिज़्म बिलकुल अलग चीज होती है। इस तरह लखनऊ शहर में जो दर्दनाक वाक़यात हुये और इनमें जिन लोगों को नुकसान पहुंचा या चोटें आयीं, उन आफिशियल्स तथा नान आफिशियल्स से हमारी हमदर्दी है।

अन्त में हमें यही उम्मीद है और यही हमारा ध्येय है कि हमारे प्रदेश में कभी भी ऐसी बात न हो।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३, को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१८ दिसम्बर, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव,
विधान सभा उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर।)

नक्शा भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का, जो रायबरेली जिले में गत ३ साल (१९५०-१९५१ और १९५२) के भीतर पुलिस विभाग में पकड़े गये।

क्रम-संख्या	नाम, पद	आरोप	नतीजा	टिप्पणी
१९५०				
१	राम प्रताप सिंह, सब-इन्सपेक्टर	३६३ धारा के मुकदमें में भ्रष्टाचार किया	एक साल के लिये १२६ रु० वेतन कर दिया गया।	
२	नन्द बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबुल	मुलजिमों की तलाशी का सामान नहीं दिखलाया	एक साल की तरक्की रोक दी गई	
३	पृथ्वी पाल कांस्टेबिल			
४	दामोदर पांडे, कांस्टेबिल	चोरी करने के जुर्म में	बरखास्त किया गया	
५	आशिक अली, कांस्टेबुल	१५० रु० एक आदमी से लिया	बरखास्त किया गया	
६	अख्तर हुसेन जैदी, सब-इन्सपेक्टर	७०० रु० एक बनिय से लिया	बरखास्त किया गया	अपील करने पर बहाल हुये और बाराबंकी तब्दील हो गय।
७	श्रीदत्त, हेड कांस्टेबुल	१४० रु० एक पासी से लिया	बरखास्त किया गया	
८	सफर उल्ला, कांस्टेबुल	३८ रु० एक आदमी छोटे लाल से लिया	बरखास्त किया गया	
१९५१				
	कोई नहीं			
१९५२				
१	जोखू खां, आफीशियेटिंग हेड कांस्टेबुल	२०० रु० श्री जगदीश प्रसाद मुन्शी इन्सपेक्टर को दिया	उसकी तरक्की ३ साल के लिये रोक दी गई और कांस्टेबुल बना दिया गया	
२	श्री सहदेव मिश्रा, सब-इन्सपेक्टर	लालगंज के एक कपड़े वाले से २५० रु० नाजायज लेने के जुर्म में	अमालनामा में इन्दराज किया गया।	

क्रम-संख्या	नाम, पद	आरोप	नतीजा	टिप्पणी
३	श्री राम औतार दायना, सब-इन्सपेक्टर			
४	महमूद इलयास, हेड कांस्टेबुल			
५	नन्द बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबुल			
६	मुहम्मद इस्माइल, कांस्टेबुल			
७	नूर मोहम्मद, कांस्टेबुल	एक कपड़े वाले से २५० रु० नाजायज लेने के जुर्म में ।	कोई चीज साबित न होने से बहाल किये गये। इन सबों को चेतावनी दी गई।	
८	मोहम्मद जलील, कांस्टेबुल			
९	बदरी बिशाल, कांस्टेबुल			
१०	मोहम्मद इशाक, कांस्टेबुल			
११	शिव पलटन, कांस्टेबुल			
१२	राम भजन, कांस्टेबुल			
१३	हसन रजा, कांस्टेबुल			
१४	अहमद हुसेन, कांस्टेबुल	श्रीमती गुलाबी को धमका कर १२५ रु० नाजायज तरीके से वसूल करने का शक था	३८ रु० से ३६ रु० पर तनज्जुल २ साल के लिये किया गया ।	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ व ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७८ पर)

देवरिया जिले के कसया पुलिस स्टेशन के अधिकार-क्षेत्र में इस वर्ष १-१-५३ से ३०-११-१९५३ तक किये गये त्ल, डकैतियां और चोरियों का विवरण--

क्रम संया	अपराध	रिपोर्ट हुई	जांच हो रही है	लापता	जांच नहीं हुई	मुकदमे अदालत में चल रहे हैं	सजा हुई	रिहा हुये
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	डकैती	१	–	–	–	१	–	–
२	कत्ल	–	–	–	–	–	–	–
३	चोरियां	३५	५	१७	२	१०	–	१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५१ और १९५२ में क़त्ल और डकैती का विवरण—

	वर्ष	कत्ल तथा डकैतियों की संख्या	जांच की गई	चालान किया गया	सजा हुई	अभी मुकदमा चल रहा है
कत्ल	१९५१	३३	३३	२५	१२	३
	१९५२	४४	४४	२६	३	२१
डकैती	१९५१	१२	१२	१०	२	७
	१९५२	२०	२०	२०	०	२०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ व ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९० पर)

मेरठ जिले के गाजियाबाद थाने में मई, जून तथा जुलाई, १९५३ में हुये क़त्लों तथा मोटर एक्सीडेंट द्वारा हुई मृत्युओं का विवरण --

	कत्ल		मोटर दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु	
महीना जिसमें अपराध हुआ	कत्लों की संख्या तथा आई० पी० सी० की धारा, जिसक अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया	दोषियों को दंड देने के लिये पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।	मृत्युओं की संख्या तथा आई० पी० सी० की धारा, जिसके अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया	दोषियों को दंड देने के लिये पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५
मई, १९५३	२ ३०२	एक मामले में भरसक प्रयत्न करने पर भी संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सबूत न मिल सका। इसलिये पुलिस ने जांच समाप्त कर दी और फाइनल रिपोर्ट लगा दी। दूसरे मामले में अभियुक्त का चालान कर दिया गया है और मुकदमा अदालत में चल रहा है।	१ ३०४ ए	जांच के बाद पुलिस ने अभियुक्त का चालान कर दिया। मुकदमा अदालत में चल रहा है।
जून १९५३	कोई कत्ल नहीं हुआ।	..	कोई दुर्घटना नहीं हुई	..
जुलाई, १९५३	१ ३०२	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु डूबने के कारण हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच समाप्त कर दी और फाइनल रिपोर्ट लगा दी	४ ३०४ ए	तीन दुर्घटनायें हुई। एक में दो की मृत्यु हुई परन्तु मोटर गाड़ी के नम्बर का पता न चलने के कारण जांच समाप्त करके पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। दूसरी में एक की मृत्यु हुई। ड्राइवर का चालान कर दिया गया है। मुकदमा अदालत में चल रहा है। तीसरी में भी एक की मृत्यु हुई। गाड़ी के नम्बर तथा ड्राइवर का पता चल गया है। मामला अदालत में भेज दिया जायेगा।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९१ पर।)

नाम तहसील	किस्म कूप	
	नये	मरम्मत
१—बस्ती	४	३
२—खलीलाबाद	३	३
३—बांसी	५	१
४—हरैया	३	३
योग	१५	१०

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९२ पर)

द्वितीय सत्र १९५३ के तीसरे शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर से संबंधित तालिका ।

तालिका नं० १ (उपाधि महाविद्यालय)

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुपालन अनुदान
१	ए० एस० के० ई० एम० यू० जाट कालेज, लखावटी, बुलन्दशहर	६३,५३८
२	एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर	६२,०००

तालिका नं० २ (माध्यमिक विद्यालय,)

(अ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

अनुदान वर्ष, १९५२–५३

क्रम-संख्या	शिक्षण संस्था का नाम	अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतनबृद्धि अनुदान	शुल्क छुट के घाटे के संबंध में अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१	एस० एम० जे० ई० सी० खुरजा ..	१३,१०४	१,०८०	७६८	..	१४,९५२
२	नैशनल खलौर दारोरा ..	३,७६८	७२०	..	..	४,४८८
३	डी० ए० वी० ..	१४,०२८	१,१४०	२,९६०	४,१५७	२२,२८५
४	गूजर ए० एस० दादरी ..	३,७०८	६९०	..	..	४,३९८

क्रम-संख्या	शिक्षण संस्था का नाम	अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	शुल्क छूट के घाटे के संबंध में अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
५	मुस्लिम राजपूत शेखूपुरा ..	४,५३६	४८०	..	..	५,११६
६	कुबेर दिबाई ..	१४,२२०	६००	२,२४४	..	१७,०६४
७	डी० ए० मोहरा ..	४,५८४	४८०	..	..	५,०६४
८	लक्ष्मण प्रसाद डी० ए० वी० अनूपशहर	११,४९६	६००	६८०	२,४३०	१५,२०६
९	मुकुन्द स्वरूप सिकन्दराबाद ..	१२,७५६	४८०	१,६७२	१,१६७।।)	१६,०७५।।)
१०	शिव चरन	४,५२४	३००	..	..	४,८२४
११	ए० एस० जहाँगीराबाद ..	६,०४८	४२०	८००	..	७,२६८
१२	माडल थोरा	४,५१२	६६०	१२०	..	५,५९२
१३	मुकर्रम पहासू ..	४,०५६	७१०	२४०	..	५,००६
१४	जानकी प्रसाद ऐंग्लो संस्कृत खुर्जा ..	१०,०३२	१,०८०	१,४१६	..	१२,५२८
१५	जाट हिरोज मेमोरियल साईदपुर ..	६,१४४	७२०	..	..	६,८६४
१६	डी० ए० पालीवाल, शिकारपुर ..	५,८५६	६००	३९२	..	६,८४८
१७	अमरसिंह किंग एडवर्ड मेमोरियल उदयभानु जाट लखौटी ..	७,५९६	९६०	७४४	..	९,३००
१८	देवनागरी गोलीवथी ..	५,२५६	६६०	..	..	५९१६
१९	मुस्लिम	१४,५०८	७२०	३४०	..	१५,५६८
२०	पब्लिक सियाना ..	४,२७२	७८०	..	५८८।।)	५,६४०।।)
२१	आर० आर० के० के० कुचेसर ..	६,९००	७२०	१२०	१,१२५	७,७४०
२२	अग्रवाल सिन्दराबाद ..	६,५१६	५४०	१,०४०	..	८,०९६
२३	आर्य कन्या विद्यालय खुर्जा ..	१०,८६०	१,२००	३१२	१६४	१२,५३६

(ब) पूर्व माध्यमिक विद्यालय

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुदान		
		अनुपालन	महंगाई	योग
१	बिहारी लाल डनकौर	३,२६४	६६०	३,९२४
२	आर्य कन्या पाठशाला	४,४६८	१,०२०	५,४८८
३	आर्य कन्या पाठशाला गुलौठी	१,८२३	३००	२,१२३
४	कन्या शिक्षा सदन	३,५७६	७८०	४,३५६
५	आर्य कन्या पाठशाला अनूपपुर	२,४२४	७२०	३,१४४
६	स्वामी दयाल पुत्री पाठशाला सिकन्दराबाद	४,९८०	१,०२०	६,०००
७	कन्या पाठशाला दिवई	३,२८८	७२०	४,००८
८	वैदिक कन्या पाठशाला दावरी	१,१७७	३००	१,४७७
९	रामप्यारी कन्या पाठशाला	३,५८४	८४०	४,४२४

तालिका नं० ३
संस्कृत विद्यालय ओरियन्टल विद्यालय

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुपालन अनुदान
१	साँगदेव विद्यालय नटवर	२,९४४
२	एन० आर० संस्कृत कालेज, खुर्जा	९००
३	राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा	३,५५२
४	श्री १०८ स्वामी भिक्षानन्द श्रीमती कट्टो देवी एवम् मनोरमा देवी सरस्वती वेजीटेरियन ऐंग्लो हिन्दी इन्टर कालेज	८४०
५	देशबन्धु श्री महाराणा प्रताप विद्यालय, वियारा घुम	४८०
६	श्री लक्ष्मण दास शुक्ला आयुर्वेद विद्यालय, खुर्जा	७२०
७	गुरुकुल सिकन्दराबाद पोथ्रा खास	१,०८०
८	श्री सरस्वती संस्कृत पाठशाला, पक्का घाट, अनूपशहर	५१६

(ब) अरेबिक मदरसा

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुपालन अनुदान
१	मदरसा कासिमिया बदविया	[illegible]

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६७ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० पर प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट

[उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३, दिनांक १२ अगस्त, १९५३ ई० को उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।]

२—प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की बैठकें ७ अक्तूबर, १९५३ ई०, ३० नवम्बर, १९५३ ई०, १ और २ दिसम्बर, १९५३ ई० और १४ दिसम्बर, १९५३ ई० को (१४ दिसम्बर को १० बजे सुबह और ५ बजे शाम दोनों समय) वित्त मन्त्री के सभापतित्व में हुईं।

३—प्रवर समिति ने विधेयक में जो प्रमुख संशोधन किये हैं, वे नीचे दिये जाते हैं :—

(१) विधेयक के खंड २ का उपखंड (४) जिसका सम्बन्ध "स्पष्टीकरण ४" से है, निकाल दिया जाय।

(२) प्रस्तावित धारा ७ ग के खण्ड (५) के मसविदे में शब्द "इस धारा के अनुसार" के पश्चात् और शब्द "कर निर्धारण" पूर्व शब्द "किये गये" जोड़ दिये जायं।

(३) विधेयक के खंड ८ के उपखंड (१) "तुरन्त ही" के स्थान पर शब्द "उपधारा (२) के अनुसार" रख दिये जायं।

(४) विधेयक के खंड १० के उपखंड (१) में शब्द और अंक "धारा ७, ७ क या ७ ख" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ७, ७क, ७ख, १८ या २१" रख दिये जायं।

(५) विधेयक के खंड १० के उपखंड (१) में शब्द "की तामील होने से ३० दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "के तामील होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर" रख दिये जायं।

(६) मूल ऐक्ट की धारा १० में जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित नयी उपधारा (३-ख) (विधेयक का खंड ११ देखिए) के सम्बन्ध में नीचे दिये गये निर्णय किये गये :—

(क) शब्द "६ माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" जोड़ दिये जायं।

(ख) शब्द "उक्त आज्ञा के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "उक्त आज्ञा के तामील होने के दिनांक से" रख दिये जायं।

(७) मूल ऐक्ट की धारा ११ के प्रस्तावित संशोधित मसविदे (विधेयक का खंड १२ देखिये) के सम्बन्ध में समिति ने निम्नलिखित निश्चय किये :—

(क) उपखंड (१) में शब्द "६० दिन" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस दिन" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "दी गयी आज्ञा के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "आज्ञा तामील होने के दिनांक से" रख दिये जायं।

(ग) उपखंड (३) में शब्द "और मानो कि शब्द 'साठ दिन' के स्थान पर शब्द 'एक सौ बीस दिन' रख दिये गये हों" निकाल दिये जायं।

(घ) उपखंड (८) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "अधिक कर" के पश्चात् और शब्द "लौटा दिया जायगा" के पूर्व शब्द "ब्याज सहित जिसकी दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसी भी हाई कोर्ट अनुमति दे" जोड़ दिये जायं।

(८) विधेयक के खंड १३ के उपखंड (२) में शब्द "वर्गों के माल का" के पश्चात् और शब्द "अलग अलग लेखा रखेगा" के पूर्व शब्द "जहां तक सम्भव हो" जोड़ दिये जायं।

(९) मूल ऐक्ट की धारा १३ के प्रस्तावित संशोधित मसविदे (विधेयक का खंड १४ देखिए) के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

(क) उपखंड (१) में शब्द "ऐसा अधिकारी" के पश्चात् और शब्द "जिसको राज्य सरकार ने" के पूर्व शब्द "जिसका पद कर निर्धारक अधिकारी (असेसिंग अथारिटी) से निम्न न होगा और" जोड़ दिये जायं।

(ख) उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य (प्रोविजो) जोड़ दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक अवधि की बहियां, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं कराये जायेंगे, जब तक कि किसी विशेष स्थिति में, जिसके लिए कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका किया जाना आवश्यक न समझे।"

(ग) उपखंड (२) में से शब्द "तथा वस्तुयें" निकाल दिये जायं।

(१०) धारा १४ के प्रस्तावित मसविदे (विधेयक का खंड १५ देखिये) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(११) प्रस्तावित नयी धारा १५-क के मसविदे के सम्बन्ध में, जो दण्ड आरोपण के बारे में है, निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

(क) शब्द "ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो" के पश्चात् आने वाले शब्द "उक्त धनराशि" के स्थान पर शब्द "यदि कर की राशि १०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५ प्रतिशत से और यदि कर की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५० प्रतिशत" रख दिये जायं।

(ख) उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खण्ड के अधीन कोई अर्थ दण्ड (पेनालटी) न दिया जायगा :

(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गयी हो,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों की स्थिति में जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र (रिटर्न) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात् सात दिन की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।"

(ग) उपधारा (२) में शब्द और अंक "१५ दिन" के स्थान पर शब्द "३० दिन" रख दिये जायं।

४—विधेयक की एक प्रति, जिसमें समिति द्वारा किये गये निर्णयों के अनुसार संशोधन कर दिये गये हैं, इस रिपोर्ट के साथ नत्थी कर दी गयी है।

५—प्रवर समिति इस विधेयक को फिर से प्रकाशित कराना आवश्यक नहीं समझती।

(१) हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम
(२) हनुमान प्रसाद*
(३) बाबूलाल मित्तल
(४) सईदा जहां बेगम मख़फ़ी (श्रीमती)
(५) शाहिद फ़ाखिरी
(६) रामकुमार शास्त्री
(७) जयपाल सिंह
(८) नेकराम शर्मा
(९) कालीचरण टण्डन
(१०) पुलिन बिहारी बनर्जी
(११) परिपूर्णानन्द वर्मा
(१२) अवधेशप्रताप सिंह
(१३) गेंदा सिंह
(१४) रामनारायण त्रिपाठी*

असहमति टिप्पणी

१—(१) उपस्थित विधेयक द्वारा सेल्स टैक्स सम्बन्धी बहुत सी कानूनी दिक्कतें समाप्त कर दी गयी हैं।

प्रवर समिति ने विधेयक में निम्नलिखित तीन सुधार किये हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं :—

१—(१) धारा १२ की उपधारा ८ में अधिक वसूल किये गये सेल्स टैक्स की अपील के फैसले के बाद अधिक वसूल किये गये धन पर व्यापारी को २ प्रतिशत तक ब्याज देने की व्यवस्था पायी है।

२—(२) धारा १५ की उपधारा (२) निकाल दी गयी है जिससे सेल्स टैक्स सम्बन्धी उपधाराओं के लिए किसी कम्पनी के प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, भागीदार, एजेन्ट आदि सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

३—(३) धारा १५-ए में सेल्स टैक्स सम्बन्धी विभिन्न उपधाराओं के लिए अर्थ-दण्ड १०,००० रु० तक सेल्स टैक्स देने वालों पर टैक्स के धन का २५ प्रतिशत तक तथा १०,००० रुपये से अधिक सेल्स टैक्स देने वालों पर टैक्स के धन का ५० प्रतिशत तक कर दिया गया है, जहां कि पहले टैक्स के धन के डेढ़ गुना अर्थ-दण्ड की व्यवस्था की गयी थी।

परन्तु इस विधेयक द्वारा सरकार ने बहुत से व्यापक अधिकार सेल्स टैक्स विभाग को दे दिये हैं, जिनसे बहुत ही अनर्थ हो सकता है, उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं :—

(१) मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (जी) में जो माल की परिभाषा दी गयी थी, उक्त परिभाषा इस विधेयक द्वारा बहुत ही व्यापक बना दी पायी है। अब माल के अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तुएं भी रख दी गयी हैं, जो भूमि से लगी हुई किसी वस्तु से जकड़ी हुई हों। इस परिभाषा से सरकार किसानों के ऊपर भी सेल्स टैक्स का भार लाद सकती है, यह नितान्त अनुचित है।

---

* असहमति टिप्पणी सहित।

(२) अब तक उन्हीं व्यापारियों पर सेल्स टैक्स लगाया जाता था जिनका साल का विक्रय धन १५,००० रुपये या इससे अधिक होता था, परन्तु इस विधेयक की धारा ३ की उपधारा (१) द्वारा विक्रय धन की सीमा १२,००० रुपये कर दी गयी है। व्यापार में व्यापक मन्दी के कारण यह सीमा कम से कम २०,००० रुपये होनी चाहिए।

(३) धारा ११ की उपधारा (१) में सेल्स टैक्स सम्बन्धी आज्ञा के पुर्नानिरीक्षण के सम्बन्ध में अनुचित पाबन्दी लगा दी गयी है। पहले व्यापारियों को अपील और रिवीजन दोनों करने का अधिकार था, परन्तु उक्त धारा द्वारा जिस मामले में अपील हो सकती थी, और नहीं की गयी हो, उस मामले में रिवीजन करने का अधिकार छीन लिया गया है।

(४) धारा २३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) में व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ऐसी वस्तुओं के क्रय-विक्रय का (१) जिन पर सेल्स टैक्स लगता हो, और (२) जिन पर सेल्स टैक्स नहीं लगता हो, अलग-अलग हिसाब रखें। इस व्यवस्था से व्यापारियों को व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ेगी।

(५) धारा १४ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा ३ और ५ में अधिकार प्राप्त सेल्स टक्स अधिकारी को व्यापारी के कार्यालय, गोदाम, दुकान तथा यानपात्र में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया हैं। यानपात्र को छोड़ कर कार्यालय, गोदाम या दुकान में अधिकारी का काफी समय के भीतर ही प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। सेल्स टैक्स अधिकारी इस धारा का दुरुपयोग करके व्यापारियों का मनमाना निरादर कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ने की सम्भावना है।

(६) धारा १५ में प्रस्तावित धारा १४ तथा धारा १६ में प्रस्तावित धारा १५-क में सेल्स टैक्स का धन निश्चित अवधि के भीतर न देने तथा अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की पहले की व्यवस्था के बजाय अर्थ दण्ड की व्यवस्था की गयी है। सरकार इस विधेयक द्वारा यह असाधारण अधिकार ले रही है।

अर्थ दण्ड लगाने का अधिकार अपील सुनने वाले अधिकारियों के बजाय सेल्स टैक्स विभाग को ही दिया गया है, यह और भी अनुचित है।

(७) धारा १८ में प्रस्तावित धारा २१ में कर निर्धारक अधिकारी को किसी व्यापारी के किसी वर्ष के विक्रय धन पर उक्त वर्ष के कर निर्धारण के तीन वर्ष के भीतर फिर से उक्त वर्ष के हिसाब से पूरे अथवा किसी भाग पर कर निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है।

कर निर्धारक अधिकारी इस व्यवस्था से व्यापारियों को परेशान कर सकते हैं। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी फैलेगा। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में फिर से कर निर्धारण करने का अधिकार सेल्स टैक्स सम्बन्धी अपील सुनने वाले अधिकारी को दिया जाना चाहिए।

(१) राम नारायण त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा।
(२) गेंदा सिंह, सदस्य, विधान सभा।
(३) हनुमान प्रसाद मिश्र, सदस्य, विधान सभा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन करने का

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८।

विधेयक

यह आवश्यक है कि इसमें आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर निश्चित करे।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ग) में—

(क) शब्द "बेचने" और शब्द "का कारोबार करने" के बीच में आने वाले शब्द "और पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(ख) शब्द "माल बेचने" और "हों" के बीच में आने वाले शब्द "या पूर्ति करते (सप्लाई करते)" निकाल दिये जायं।

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "बेचने" और शब्द "का काम करता" के बीच में आने वाले शब्द "या उसकी पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(घ) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तु है जो भूमि से लगी हुई (attached) अथवा भूमि स स्थायी रूप से लगी हुई (attached) किसी वस्तु से जकड़ी हुई (fastened) हों किन्तु जिसका बिक्री के मुआहिदे (contract of sale) के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो परन्तु इसके अन्तर्गत वाद योग्य दावे (actionable claims) स्टाक, हिस्से या सिक्योरिटियां सम्मिलित नहीं हैं।"

(३) वाक्य-खंड (ङ) निकाल दिया जाय।

[(४) वाक्य-खंड (ज) में "स्पष्टीकरण (३)" के पश्चात् निम्न-लिखित स्पष्टीकरण (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण (४)—किसी ऐसे माल की बिक्री जो उक्त बिक्री के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में उपभोग के लिये उक्त राज्य में वस्तुतः दिया गया हो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त राज्य में की हुई समझी जायगी, चाहे ऐसी बिक्री के कारण उक्त माल का स्वत्व हस्तान्तरण किसी दूसरे राज्य में हुआ हो।"]

[(५)] (४) वाक्य-खंड (झ) में—

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नांकित तीसरे प्रति-बन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तर प्रदश के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति का एजेन्ट उत्तर प्रदेश में उसकी ओर से माल बेचे तो उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि एजेन्ट के विक्रय-धन (turnover) में सम्मिलित कर ली जायगी।"

(ख) "स्पष्टीकरण" के उप-वाक्यखंड (३) में शब्द "उस माल को उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" के स्थान पर "उस माल को बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" रखा जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण किया जा सकना।

३—(१) इस अधिनियम के आदेशों के प्रतिबन्ध सहित, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन (turnover) पर, जो उस रीति से जैसी निर्धारित की जाय, निश्चित किया जायगा, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा :

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को, धारा १८ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुये, कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनी (भविष्य के मुआहिदों) (forward contracts) के विक्रय-धन को छोड़ कर जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का उसका विक्रय-धन १२,००० रुपये से या उस अधिक धनराशि से जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर किसी माल या माल के वर्गों क सम्बन्ध में विक्रय-धन पर कर की दर कम कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसे विक्रय-धन पर कम की हुई दर स कर देय होगा;

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में पहिले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित धनराशि कम कर दी जाय तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार के देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा; अर्थात्

(क) कम करने के पूर्व की अवधि के विक्रय-धन पर उस हिसाब से, मानों कि धनराशि कम नहीं की गई है, और

(ख) शेष धनराशि पर उस हिसाब से, मानो कि कम की हुई धनराशि उन सभी दिनांकों पर प्रचलित थी जिनका उस विषय में कोई महत्व हो on all material dates)।

(२) राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों का वर्ग पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान करने के बजाय कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान कर और तत्पश्चात् इस अधिनियम के सभी आदेश ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों जहां कहीं भी प्रसंगानुसार अपेक्षित हो, शब्द "पूर्व वर्ष" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण वर्ष" रख दिया गया है।"

४—वर्तमान धारा ३-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३-ख का संशोधन।

३-ख—बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के संबंध में, जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता, किसी व्यापारी के विक्रय-धन का हिसाब कर निर्धारण और कर भुगतान के प्रयोजनार्थ उसके शेष विक्रय-धन से अलग लगाया जायगा और अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी उस पर कर लगाया जा सकेगा जो ऐसी दर से, जो दो रुपया प्रति इकाई (यूनिट) से अधिक न हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, देय होगा।"

"बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के विक्रय-धन पर कर।

५—मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जायगी।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ६ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७ का संशोधन।

(१) वर्तमान उपधारा (१) और पहिल प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) प्रत्येक व्यापारी, जिस इस अधिनियम क अधीन कर भुगतान करना है, पूर्व वर्ष या कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन का ऐसा विवरण-पत्र (return) या ऐसे विवरण-पत्रों को जो ऐसी अवधि में लागू होता हो या होते हों, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में प्रमाणित (तसदीक) करके देगा जो निर्धारित की जाय।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जिसके विक्रय-धन पर कर भुगतान करने का उसका दायित्व न हो, कोई विवरण-पत्र देने की आवश्यकता न होगी।"

(२) उपधारा (३) में शब्द "व्यापारी के पूर्व वर्ष की धनराशि" के स्थान पर शब्द "व्यापारी का विक्रय-धन" रखा जाय।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ७-क, ७-ख और ७-ग बढ़ा दी जायं :—

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७-क, ७-ख और ७-ग का बढ़ाया जाना।

"७-क—(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को धारा ७ में उल्लिखित विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों क अतिरिक्त कर-निर्धारण

वर्ष के ऐसे भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र, ऐसी अवधियों पर और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जायं, देने के लिये आदेश दे सकती है और कर-निर्धारक अधिकारी उक्त धारा के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के आदेशानुसार जहाँ तक वे लागू हो सकते हों, वर्ष के भाग के संबंध में अस्थायी रूप से (provisional) कर निर्धारित कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी से कर-निर्धारण वर्ष के भाग के लिये भी विवरण-पत्र देने के लिये कहा जाय और कर-निर्धारक अधिकारी ने वर्ष के ऐसे भाग के लिये अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो, तो इस प्रकार कर निर्धारित किये जाने के कारण पूरे वर्ष का कर-निर्धारण करने तथा पूरे वर्ष का विक्रय-धन पुनः निश्चित करने में कर निर्धारक अधिकारी को कोई बाधा न होगी।"

"किसी वर्ष में सभी कर-निर्धारणों में कर की दर या उससे मुक्ति समान होगी।

७-ख--(१) किसी विशेष कर-निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर की दर या उससे मुक्ति (exemption) उक्त वर्ष के सभी कर-निर्धारणों में समान होगी चाहे निर्धारित विक्रय-धन पूर्व वर्ष का हो या कर-निर्धारण वर्ष का हो।

(२) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर की दर बदली जाय या ऐसे वर्ष के दौरान में धारा ४ के अधीन कोई मुक्ति दी जाय और नई दर या मुक्ति के प्रचलित होने के पहिले पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर ऐसे वर्ष के लिए कोई कर निर्धारित किया जा चुका हो तो नई दर या मुक्ति को ध्यान में रखकर फिर से ऐसा कर-निर्धारण किया जायगा।"

"मृत व्यक्ति के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा।

७-ग--(१) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो उसका निष्पादक (executor), प्रशासक (administrator) या अन्य विधिक प्रतिनिधि (legal representative) ऐसे व्यक्ति द्वारा देय निर्धारित-कर या कोई अर्थदंड (penalty) जो यदि वह न मरा होता तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, मृत व्यक्ति की संपत्ति (Estate) से उस सीमा तक, जहां तक व्यय संपत्ति से पूरा हो सकता हो, भुगतान करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर धारा ७ के अनुसार जारी किये गए नोटिस, यदि कोई हो, के तामील होने के पूर्व मर जाय, तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, पूर्वोक्त नोटिस तामील होने पर उसका पालन करेगा और कर-निर्धारक अधिकारी मृत व्यक्ति के विक्रय-धन पर उसी प्रकार कर-निर्धारण करेगा, मानो ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जिस पर कर निर्धारित करना है।

(३) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के आदेशों के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र प्रस्तुत किये बिना या ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत करके, जिसके संबंध में कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या अपूर्ण है, मर जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति का विक्रय-धन निश्चित कर सकता है और ऐसे निश्चित किये गये विक्रय-धन के आधार पर उसके द्वारा देय कर निर्धारित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये नोटिस द्वारा मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि से कोई लेखा, लेख-पत्र (document) या अन्य साक्ष्य, जिसे इस अधिनियम के आदेशों के अधीन मृत व्यक्ति से प्रस्तुत करने के लिये कहता, प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है।

(४) उपधारा (१) से (३) तक के आदेश किसी भागीदारी (partnership) फर्म पर, जिसके एक या एक से अधिक भागीदार मर गये हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(५) धारा ६, १० और ११ के अधीन अपील, निरीक्षण (revision) और समाधान (reference) से सम्बद्ध आदेश इस धारा के अनुसार किये गये कर-निर्धारण पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो पूर्वोक्त निष्पादक, प्रशासक अथवा विधिक प्रतिनिधि स्वयं ही व्यापारी है।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन।

८—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ [बदल कर] को धारा ८ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित [की जायगी] किया जाय और उसमें शब्द "उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो" के स्थान पर शब्द "[तुरन्त ही] उपधारा (२) के अनुसार वसूल की जा सकेगी" रखा जायगा।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा—

"(२) कोई कर अथवा अन्य शेष धनराशि (due) जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) (as arrears of land revenue) हो।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में निम्न लिखित उपधारा (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन किसी क्रेता (purchaser) से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिये कोई रजिस्टर्ड व्यापारी मूल्य में आठ आना तक रुपये की भिन्न (fraction of a rupee) की गणना नहीं करेगा और आठ आना से अधिक भिन्न को एक रुपया मान कर गणना करेगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) कोई व्यापारी, जो धारा १५-क के अधीन अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ७, ७-क [या], ७-ख, १८ या २१ के अधीन निर्धारित-कर के विरुद्ध आपत्ति करता है, आज्ञा की प्रतिलिपि अथवा कर-निर्धारण का नोटिस, जैसी भी दशा हो, [की] के तामील होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के सामने अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील गृहीत (entertain) न होगी यदि उसके साथ इस बात का संतोषप्रद प्रमाण न होगा कि अपीलकर्ता (appellant) ने उतने कर का, जिसका दायित्व वह मानता हो, अथवा उसकी ऐसी किस्तों का, जो देय हो गई हों, भुगतान कर दिया है।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग न करेगा और न किसी ऐसे अन्य कार्य का सम्पादन करेगा, जो ऐसे अधिकारी की हैसियत से उसे दिये या सौंपे न गये हों।"

(२) उपधारा (३) में वाक्य-खंड (ख) के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध-विराम रखा जाय, जिसके बाद शब्द 'अथवा' होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया वाक्य-खंड (ग) बढ़ाया जाय :—

"(ग) अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (confirm) कर सकते हैं या उसे निरस्त (cancel) कर सकते हैं या लगाये गये अर्थदंड की धनराशि को कम कर सकते हैं।"

(३) उपधारा (५) के बाद निम्नलिखित उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(६) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ लागू होगी।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(३) फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) किसी भी समय स्वतः (suo motu) अपने विवेक से (in his discretion) या बिक्री-कर कमिश्नर या असंतुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना पर इस अधिनियम के अनुसार किसी अपील सुनने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी की किसी आज्ञा का लेखा (record) आज्ञा के विधान युक्त या उचित होने के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने के लिये मांग सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी मामले में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र गृहीत न किया जायगा यदि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन्तु की न गई हो।"

(२) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३-क) और (३-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी पर तामील की जायगी।"

"(३-ख) उपधारा (३) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के तामील होने के दिनांक से [६ माह] एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो, किन्तु फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) पर्याप्त कारणों के प्रमाण पर किसी प्रार्थना-पत्र को और अधिक ६ मास की अवधि के भीतर गृहीत (entertain) कर सकता है।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ११ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"हाई कोर्ट के मामले का विवरण।

११—(१) धारा १० की उपधारा (३) के अधीन [दी गई] आज्ञा के तामील होने के दिनांक से [९०] एक सौ बीस दिन के भीतर, असन्तुष्ट व्यक्ति लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा जिसके साथ १०० रु० शुल्क (फीस) दिया जायेगा, फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है कि वह उक्त

आज्ञा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी प्रश्न को समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेज दे और फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी, यदि वह प्रार्थना-पत्र को गृहीत करने से इनकार न कर दे, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से एक सौ बीस दिन के भीतर मामले का विवरण तैयार करेगा और समाधान के लिये हाई कोर्ट को भेज देगा।

(२) यदि फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (१) के अधीन मामले को समाधान के लिये भेजने से इनकार करे तो वह प्रार्थी को नोटिस द्वारा तदनुसार सूचित करेगा और तब प्रार्थी उक्त इनकार की नोटिस पाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो शुल्क (फीस) उसे लौटा दिया जायगा।

(३) उपधारा (१) के आदेश इस परिवर्तन के साथ बिक्री-कर कमिश्नर पर भी लागू होंगे कि उसके लिये कोई शुल्क (फीस) जमा करना आवश्यक न होगा [और मानो कि शब्द "साठ दिन" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस दिन" रख दिये गये हों।]

(४) यदि उपधारा (१) या (३) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी इस आधार पर मामले का विवरण देने से इनकार करे कि उसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता तो असन्तुष्ट व्यक्ति या बिक्री-कर कमिश्नर यथास्थिति, उस पर उक्त इनकार का नोटिस तामील किये जाने से नब्बे दिन के भीतर हाई कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे सकता है और हाई कोर्ट, यदि इस बात से सन्तुष्ट न हो कि फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी का निर्णय सही था, फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी से कह सकता है कि वह मामले का विवरण समाधान के लिये भेज दे और इस आदेश के प्राप्त होने पर फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी मामले का विवरण देगा और उसे समाधान के लिये भेजेगा।

(५) यदि हाई कोर्ट को इस बात का संतोष नहीं होता कि इस धारा के अधीन समाधान के लिये भेजे हुये मामले का विवरण इस बात के लिये पर्याप्त है कि वह उसके आधार पर उठाये गये प्रश्न का निर्णय कर सके, तो वह उस विवरण में ऐसी बातें सम्मिलित करने और उसमें ऐसे परिवर्तन करने के लिये, जैसा कि उक्त कोर्ट निदेश दे, उस विषय को फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(६) किसी ऐसे मामले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न का निर्णय करेगा और उसके संबंध में अपनी तजवीज देगा जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायगा जिनके आधार पर उक्त निर्णय किया गया है और उस तजवीज की एक प्रति फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी तथा बिक्री-कर कमिश्नर के पास भेजेगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और तदुपरान्त फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उस मामले के उक्त तजवीज के अनुरूप निबटारे के लिये ऐसी आज्ञायें देगा जो आवश्यक हों।

(७) जब कोई मामला इस धारा के अधीन समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेजा गया हो, तो उसका व्यय दिलाना जिसमें उपधारा (१) में निर्दिष्ट शुल्क सम्मिलित है, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा।

(८) फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी की आज्ञा के अनुसार देय करों की उस धनराशि का, यदि कोई हो, भुगतान जिसके संबंध में उप-धारा (१) या (३) के अधीन समाधान के लिये प्रार्थनापत्र भेजा गया हो, उक्त समाधान के विचाराधीन होने तक स्थगित न किया जायगा, किन्तु यदि उक्त समाधान (reference) के परिणामस्वरूप वह धनराशि कम कर दी जाय तो भुगतान किया हुआ अधिक कर ब्याज सहित, जिसकी दर २ % से अधिक न होगी, जैसा भी हाईकोर्ट दिलाये लौटा दिया जायगा।

(९) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५, उप-धाराएं (१), (३) और (४) के अधीन प्रार्थना-पत्रों पर लागू होंगी।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) शब्द "तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको धारा ६ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो" के स्थान पर शब्द "जिसमें कोई ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित है जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश क अधीन शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो," रखे जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नांकित को द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्येक व्यापारी, जिसके द्वारा कर देय हो और जो कर लगने योग्य माल तथा ऐसे माल का व्यापार करता हो जिस पर उसके द्वारा कर देय न हो, दोनों वर्गों के माल का जहां तक सम्भव हो अलग-अलग लेखा रखेगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १३ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय:—

"लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार।

१३—(१) कोई ऐसा अधिकारी जिसका पद कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न न हो और जिसको राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिकार दिया हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे उपस्थित करे जिनका संबंध उसके व्यवसाय से हो और उक्त अधिकारी उनका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है और व्यापारी से उसके व्यवसाय के संबंध में एसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हों।

किंतु प्रतिबंध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि की बहियां, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं किये जायंगे जब तक कि किसी विशेष स्थिति में जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे।

(२) ऐसी सब बहियां, लेख-पत्र और लेखे, जिनको कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के संबंध में साधारणतया रखता हो, माल [तथा वस्तुएं] जो उसके पास हों, और उसका कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र (vessel) अथवा गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण क लिये प्राप्य रहेंगे जिनको राज्य सरकार इस संबंध में अधिकार दे।

(३) उपधारा (२) के अधीन अधिकार-प्राप्त कोई अधिकारी उक्त उपधारा में उल्लिखित किसी भू-गृहादि (premises), यान-पात्र (vessel) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सब यथोचित समयों पर प्रवेश कर सकता है।

(४) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा (custody) या नियंत्रण में ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखा हो जिसके निरीक्षण का अधिकार उपधारा (२) के अधीन किसी अधिकारी को दिया गया हो, ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे को निरीक्षण के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या जानबूझ कर उपस्थित न करे या यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसी सूचना दे सकता हो जो इस धारा के अधीन आवश्यक हो, उक्त सूचना देने के लिये कहे जाने पर अनुचित रूप से इनकार करे या जानबूझ कर न दे, या जानबूझ कर ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जो किसी महत्वपूर्ण विवरण-पत्र के संबंध में असत्य हो, तो प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा जो १,००० रु० से अधिक न हो।

(५) यदि बिक्री-कर कमिश्नर के पास ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हों कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन किसी बिक्री-कर के भुगतान के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्रों में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह उक्त व्यापारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश करे और ऐसे लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अपना अधिकार कर ले जो आवश्यक हों। उक्त लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझी जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से १५ दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त व्यापारी उस लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। कर-निर्धारक अधिकारी उक्त व्यापारी को लेखा, खाता (रजिस्टर) या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है, और ऐसी दशा में व्यापारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर कर-निर्धारक अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर, या दोनों ही प्रत्येक लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में लगाये गये हों।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १४ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नांकित रखा जायः—

"१४—(१) अपराध तथा दंड—किसी ऐसे व्यक्ति को जो—

(क) जानबूझ कर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन अथवा तदधीन निर्मित नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे; अथवा

(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे धारा १३ के अधीन अधिकार दिया गया हो, किसी भूगृहादि, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी को उसक कर्त्तव्य के पालन के संबंध में निरीक्षण करने से रोके या उसम बाधा डाले; अथवा

(घ) जानबूझ कर इस अधिनियम के या तद्धीन निर्मित नियमों के आदेशों का उल्लंघन करे; अथवा

(ङ) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ के या उसके अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया हो, बिक्री-कर मांगे या वसूल करे, या इस अधिनियम के आदेशों के अधीन देय--दर से अधिक दर से कर मांगे या वसूल करे।

प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी अन्य कानून के अधीन, जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थदंड दिया जा सकेगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, और यदि अपराध बराबर होता रहे, तो और भी अधिक अर्थदंड दिया जा सकेगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रु० तक हो सकता है।

[(२) यदि धारा १३ की उपधारा (४) या उपधारा (१) के अधीन, दंडनीय उक्त उल्लंघन किसी कम्पनी, भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म या अन्य निगमित निकाय (body corporate) द्वारा हो तो उसका प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, या अन्य अधिकारी, भागीदारी (पार्टनर) या एजेंट, जब तक कि वह यह प्रमाणित न करे कि उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिये पूर्णरूप से यथोचित सावधानी से काम किया, ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जायगा।]"

स० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० में एक नई धारा १५-क का बढ़ाया जाना।

१६--मूल अधिनियम की धारा १५ के बाद निम्नांकित एक नयी धारा १५--क के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"विवरण न प्रस्तुत करने के लिए दंड।

१५-क--(१) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में इस बात का संतोष हो जाय कि--

(क) किसी व्यापारी ने बिना यथोचित कारण के अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र जिसे उसे धारा ७ क अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक था, प्रस्तुत नहीं किया है अथवा बिना यथोचित कारण के नियत समय के भीतर तथा निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा

(ख) अपने विक्रय-धन के व्योरों को छिपाया है अथवा जान बूझ कर ऐसे विक्रय-धन के ठीक-ठीक व्योरे प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) बिना यथोचित कारण के, नियत समय के भीतर, उस पर निर्धारित किये गये कर का भुगतान नहीं किया है।

तो वह यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, दंड के रूप में, वाक्य-खंड (क) और (ग) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो [उक्त धनराशि] यदि कर की राशि

१०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५% से और यदि कर की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५०% से अधिक न होगी, और वाक्यखंड (ख) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो कर की उस धनराशि के डढ़ गुना से अधिक न होगी, जिसके भुगतान से वह बच जाता यदि वह विक्रय-धन, जिसको ऐसे व्यापारी ने विवरण-पत्र में दिया था, सही विक्रय-धन के रूप में मान लिया गया होता।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खंड क अधीन कोई अर्थदंड (पेनल्टी) न लगाया जायगा:

(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गई हो,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों की स्थिति में, जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र (रिटर्न्स) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात् साठ दिन की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(२) कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगाई गई हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड लगाये जाने के दिनांक से १५ दिन से कम न होगा, जैसा कि कर-निर्धारक अधिकारी अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता।

(३) उपधारा (१) के अधीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायगी, जब तक व्यापारी की सुनवाई न कर ली जाय अथवा उसकी सुनवाई के लिये यथोचित अवसर न दे दिया जाय।

(४) धारा १४ क अधीन कोई अभियोग (prosecution) उन्हीं बातों के संबंध में नहीं चलाया जायेगा, जिनके लिये इस धारा क अधीन कोई दंड लगाया जा चुका हो।

(५) कर-निर्धारक अधिकारी, बिक्री-कर कमिश्नर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया हो, इस धारा के अधीन कोई दंड नहीं लगायेगा।

(६) इस धारा के आदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) धारा ७-ग में अभिलिखित निष्पादक (executor), प्रबन्धक तथा विधिक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे।"

१७—मूल अधिनियम की धारा १८ में:—

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १८ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) उस दशा में जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ऐसा परिवर्तन हुआ हो अथवा व्यापार बन्द हो गया हो, और व्यापारी पर पूर्व वर्ष के विक्रय-धन के आधार पर ऐसे वर्ष के लिए कर निर्धारित किया गया हो, तो निर्धारित कर अनुपाततः कम कर दिया जायेगा।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(३) (क) प्रत्येक व्यापारी अथवा पुर्निर्माणित फर्म, जिसने किसी कर-निर्धारण वर्ष के बीच व्यापार आरम्भ किया हो, और जिसका अनुमानित मासिक औसत विक्रय-धन वर्ष की शेष अवधि के लिये कम से कम एक हजार रुपया हो, अथवा उससे उतनी बड़ी धनराशि का १/१२ हो, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबंधात्मक वाक्य के अधीन निर्धारित की गई हो, उस मास के समाप्त होने से ३० दिन के भीतर जिसमें वह व्यापार आरम्भ किया गया था, इस बात की सूचना कर-निर्धारक अधिकारी को दे देगा और साथ ही अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र ऐसे रूप में, ऐसी अवधि पर और ऐसी रीति से प्रमाणित करके देगा, जो निर्धारित किये जायं।

(ख) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, संतोष हो जाय कि वाक्यखंड (क) के अधीन दिया गया विवरण-पत्र या दिये गये विवरण-पत्र सही और पूर्ण हैं और यह कि औसत मासिक विक्रय-धन उस धनराशि से कम नहीं है जो उपर्युक्त वाक्यखंड (क) के अनुसार हिसाब लगाकर आती है, तो वह उक्त व्यापारी पर उस कुल विक्रय-धन के संबंध में, जो विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों में दिखाया गया हो, कर निर्धारित करेगा।

(ग) यदि कोई व्यापारी वाक्यखंड (क) के अधीन उसके लिये नियत अवधि के भीतर कोई विवरण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता अथवा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण-पत्र अशुद्ध अथवा अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जिसको वह आवश्यक समझे, व्यापारी के विक्रय-धन को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार निश्चित करेगा, और वह देय कर को, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि यदि कर-निर्धारण वर्ष के अन्त में, औसत मासिक विक्रय-धन वाक्य खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से कम पाया जाय, तो भुगतान किया गया कर लौटा दिया जायगा, सिवाय उस धनराशि के जिसके जमा करने का दायित्व व्यापारी पर धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन आता हो।"

(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २१ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"उस विक्रय धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया, हो, कर निर्धारित करना।

२१--यदि किसी भी कारण से किसी वर्ष में किसी व्यापारी के विक्रय-धन के पूरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसे वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच कर के, जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रय-धन पर देय कर को निर्धारित कर सकता है।"

१९—(१) मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) में वाक्य-खंड (ङ) के बाद शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और वाक्यखंड (च) के बाद निम्नलिखित नये वाक्यखंड (छ) और (ज) जोड़ दिये जायं:—

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन।

"(छ) धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन जमा की गई धनराशियों की वापसी (refunds), ऐसी वापसियों (refunds) के लिये प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वे की जा सकती हैं; और

(ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट सन् १९४८ ई० को कार्यान्वित करने में कुछ त्रुटियां तथा दोष पाये गये हैं। न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप कुछ धाराओं में संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है। तदनुसार, संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विचार है। इस अवसर पर इस बात के लिये भी उपबन्ध रख जा रहे हैं जिससे ऐसे व्यापारियों पर, जो अपने विक्रय-धन के विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते अथवा अपने विक्रय-धन के ब्योरे छिपाते हैं, दंड लगाया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों से प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०४ एल० ए०—??—८५०।।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

आ

प्रश्नोत्तर

य

र

ल

[विधेयक]

व्यक्तिगत प्रश्न

श

स

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १२१ एल०ए०-१९५४--८५०।